


छठा वर्ष



*A rich contribution
to the world's well-being*

Over the years from 1884, the scientific achievements of research work by Ciba Limited, Basle (Switzerland), have enriched the world with new and improved products in ever widening fields. Ciba Pharmaceutical Specialities have won renown in almost every part of the globe

CIBA

Ciba Pharma Limited
Bombay

Espanade House
Waudby Road


Why everyone stays at the **OBEROI HOTELS**

INDIA AND PAKISTAN


Whether you visit India on business or holiday, our chain of 12 hotels throughout India and Pakistan offer you every convenience.

Oberoi Hotels are well-known for their excellent cuisine, cleanliness and comfort, personalised service (to ensure the success of your stay) and convenient locations. Each hotel has its own specialities, plus, in many cases, the advantage of a Travel Agent (MESSRS. MERCURY TRAVELS (INDIA) LTD.) on the premises.


PRESIDENT: M. S. OBEROI




Imperial Hotel
New Delhi



Grand Hotel
Calcutta



Maiden's Hotel—Delhi




Clarke's Hotel—Simla

INDIA

Imperial Hotel, New Delhi
Maiden's Hotel, Delhi
Swiss Hotel, Delhi
Palm Beach Hotel,
Gopalpur-on-Sea
Grand Hotel, Calcutta
Clarke's Hotel, Simla
Cecil Hotel, Simla
Mount Everest Hotel,
Darjeeling



Palm Beach Hotel
Gopalpur-on-Sea



Swiss Hotel
Delhi

PAKISTAN

Faletti's Hotel, Lahore
Cecil Hotel, Murray
Flashman's Hotel, Rawalpindi
Dean's Hotel, Peshawar



Dean's Hotel—Peshawar



Mount Everest Hotel
Darjeeling

MERCURY TRAVELS OFFICES

Grand Hotel, Calcutta
Imperial Hotel, New Delhi
Maiden's Hotel, Delhi
Sangeh Bank Building,
Behind Reserve Bank, Bombay
Mount Road, Madras

डा० पंजाबराव देशमुख



केन्द्रीय कृषि-मन्त्री का

कथन : खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के दो बड़े उपाय हैं :—

१. नई जमीन तोड़ कर खेती के काम में लाना, और
२. जिस जमीन पर खेती हो रही है उसकी प्रति-थकड़ पैदावार बढ़ाना।

खेती-बाड़ी के काम में मशीनों के प्रयोग से यह सिद्ध हो गया है कि दक्षता, किफायत, विश्वस्तता और सेवा की दृष्टि से फर्गुसन पद्धति ही एक ऐसी पद्धति है, जो खेती-बाड़ी के समस्त कार्यों के लिये संसार के सबसे अधिक जरूरी मशीनी औजार किसानों को देती है।

J. 14.


अच्छी जुताई * अच्छी फसल * अच्छी खेती

फर्गुसन पद्धति द्वारा

खेती के पूर्णतया मशीनीकरण से

हैरी फर्गुसन आफ इण्डिया लिमिटेड, बंगलौर

**India's own
India's best**



Nicco Produces

Copper Conductors, Solid,
Stranded, Aluminium
Conductors, Rubber
Insulated Cables, Flexibles,
Cotton Covered Wires,
Enamelled Wires. All
Strictly to Standard
Specifications.



NICCO is on Government of India Rate
Contract and is a regular Supplier to all
Government and quasi-Government bodies.


**THE NATIONAL INSULATED CABLE
CO., OF INDIA LIMITED**



STEPHEN HOUSE, 4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA—1.
Agents and Branches all over India.

सामूहिक योजनाओं को

मूर्त्त रूप देना



चिरस्थायी रहने के लिये

ए सी सी सिमेंट से निर्मित

दि असोसिएटेड सिमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड

के सेल्स मैनेजर्स

दि सिमेंट मार्केटिंग कम्पनी

ऑफ़ इण्डिया लि.

छ्ठा वर्ष



सत्यमेव जयते

पब्लिकेशन्स डिपार्ट्मन्ट

मिनिस्त्री ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड पब्लिकरिश्निंग
गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली



हरक्युलीज़-इंडिया बायसिकल्स के बढ़ते हुये उत्पादन के फलस्वरूप हम देश को इस लोकप्रिय वाहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में स्वावलम्बी बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

टी. आई. सायकिल्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास
द्वारा भारत में निर्मित

पंचवर्षीय योजना में हमारा योगदान

कलकत्ता में प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों को
शुद्ध, स्वास्थ्यवर्द्धक और सस्ता खाना देना।

राष्ट्र की सेवा में

इन्टरनेशनल कैंफेडेरिया

२५ नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता।

आमुख

इस क्रम की यह छठी पुस्तक है। इसमें वर्ष १९५२-५३ में राज्यों और भारत सरकार की विशेष महत्वपूर्ण सफलताओं और कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग का सम्बन्ध केन्द्र से और दूसरे का राज्यों से है।

सुविधा की दृष्टि से विषयों का सामाजिक, आर्थिक, संचार, गृह एवं वैदेशिक कार्य तथा पंचवर्षीय योजना शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है।

रामतीर्थ

ब्राह्मी तेल स्पेशल नं० १

चँदलापन समाप्त करता है, स्मरण-शक्ति बढ़ाता है, दृष्टि का ज्वामिन है, गहरी नींद लाता है।



सफेद बालों को दूर करता है, सभी मौसमों में प्रत्येक के लिए लाभदायक है।

बड़ी बोतल ३ रुपये ८ आने, छोटी बोतल २ रुपये। (सब जगह मिलता है) बड़ी बोतल के लिए ५ रुपये १३ आने का और छोटी बोतल के लिए ३ रुपये १३ का मनीआर्डर भेजिए।

(डाक और पैकिंग का भार सम्मिलित है)

विदेशों से बड़ी बोतल के लिए १४ शिलिंग का और छोटी बोतल के लिए १२ शिलिंग का पोस्टल आर्डर आना चाहिए डाक और पैकिंग के भार सहित।

श्री रामतीर्थ योगाश्रम,
दादर (मध्य रेलवे), बम्बई १४.

विषय-सूची

	केन्द्र	पृष्ठ		पृष्ठ
१. सामाजिक			(१३) परिवहन	१६२
(१) शिक्षा	१		(१४) संचार	१८२
(२) स्वास्थ्य	१३			
(३) धर्म	२८		४. आन्तरिक और	
(४) पुनर्वास	४४		वैदेशिक कार्य	
२. आर्थिक			(१५) आन्तरिक मामले	२०२
(५) वित्त	५६		(१६) राज्य	२१३
(६) खाल तथा कृषि	६८		(१७) कानून	२२५
(७) सिंचाई और बिजली	८४		(१८) सूचना एवं प्रसार	२२७
(८) वाणिज्य और उद्योग	९७		(१९) प्रतिरक्षा	२४३
(९) उत्पादन	११७		(२०) वैदेशिक कार्य	२५४
(१०) निर्माण, मकान			५. पंचदर्पीय योजना	२६९
और पूर्ति	१२६		राज्य	
(११) प्राकृतिक साधन तथा			१. "क" भाग	२८८
वैज्ञानिक अनुसंधान	१३५		२. "ख" भाग	३६२
३. संचार			३. "ग" भाग	४०८
(१२) रेलें	१५३		४. "घ" भाग	४५२

२,००,००,०० से

अधिक मकानों में



- ब्रिटिश, जर्मन और अमरीकन स्तर के समरूप ।
- एक ही भारतीय लालटेन जो पांच साइजों में बनाई गई हैं—३३३, ५५५, ६६६, ७७७, और ८८८ ।
- चमकदार टीन तथा मीनाकारी की हुई—भूरे, नीले और हरे रंगों की ।

समस्त भारतवर्ष में डीलर्स और स्टॉकिस्टों से प्राप्य हैं ।

व्यापारिक विवरण के लिये लिखिये :—

मैन्युफैक्चरर्स—

जे० एन० शर्मा एण्ड सन्स,

१४ रोहतक रोड, नई दिल्ली ।

फैक्टरियां—

हेमिल्टन रोड और शाहगंज, दिल्ली—६

केन्द्र

१. सामाजिक

कल्याणकारी लोकराज होने के कारण, भारत अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और १९५२-५३ में उसने सामाजिक कल्याण के जरूरी कामों में काफी प्रगति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण आवास और पुनर्वास आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है।

शिक्षा

बुनियादी और समाज शिक्षा

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन् १९५२-५३ के लिए १ करोड़ रुपये की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि योजना कमीशन ने बुनियादी और समाज शिक्षा सम्बन्धी जो-जो सिफारिशों की हैं, उनमें से कुछ पर अमल किया जा सके। इन सिफारिशों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा की मार्ग-दर्शक योजनाओं के विकास की भी एक स्कीम थी। प्रारम्भिक से लेकर स्नातकोत्तर ट्रेनिंग स्तर तक बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा की पद्धतियों को भी स्थिर किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को विभिन्न संस्थाओं की स्थापना या विकास के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस स्कीम पर अमल करने के लिए सन् १९५३-५४ के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

समाज-शिक्षा क्षेत्र में सद्यःसाक्षरों के लिए फिल्म, छोटी फिल्म, चित्र और चार्ट तैयार करने की शिक्षा देने के लिए इस वर्ष यूनेस्को ने एक ट्रेनिंग पाठ्य-क्रम संगठित किया।

माध्यमिक शिक्षा

भारत भर में माध्यमिक शिक्षा की व्यापक पड़ताल और उसकी उन्नति के उपाय सुझाने के लिए एक माध्यमिक शिक्षा कमीशन नियुक्त किया गया है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं का मार्गजनिक कोष से सहायक अनुदान देने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए सरकार ने एक विश्व-विद्यालय अनुदान कमीशन स्थापित करने का निश्चय किया है।

उच्च शिक्षा और खोज सम्बन्धी पंचवर्षीय योजना के लिए सन् १९५२-५३ में ३४.२ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालयों ने इस सम्बन्ध में स्कीमें तैयार की हैं। यह आशा की जाती है कि सन् १९५२-५३ में मारे भारत के लिए एक संयुक्त योजना पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

इस वर्ष दिल्ली की केन्द्रीय शिक्षा संस्था ने खोज कार्य में अथर्व उन्नति की। इसका एक मुख्य कार्य हिन्दी सम्बन्धी वैयक्तिक ज्ञान के स्तर को निश्चिन करना और उसकी उपलब्धि के उपाय बताना रहा है। इसका दूसरा मुख्य कार्य हिन्दी में सामूहिक ज्ञान-परीक्षणों को तैयार करना रहा है। गणित, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान में सफलता-परीक्षणों तथा प्रवीणता-परीक्षणों की तैयारी के लिए भी कार्य आरम्भ हो चुका है।

टेकनिकल शिक्षा

वर्ष पर्यन्त टेकनिकल शिक्षा, ट्रेनिंग और खोज के विकास की पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए टेकनिकल शिक्षा के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। कमेटी द्वारा प्रस्तावित योजना को योजना-कमीशन ने मंजूर कर लिया है।

इसके अलावा, अखिल भारतीय टेकनिकल शिक्षा कौंसिल की सिफारिशों के अनुसार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों के लिए दो प्रादेशिक कमेटियां बनाई गई हैं। एक और कमेटी टेकनिकल हाई स्कूलों के कोर्सों (पाठ्य-क्रमों) और उनकी व्याख्या के लिए सुझाव देने के हेतु बनाई गई है। इस कौंसिल ने दो स्कीमें तैयार की हैं जिनमें से एक भवन-निर्माण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए और दूसरी चित्र-कला तथा उस से सम्बन्धित टेकनोलोजी और छपाई के लिए है।

इस बीच टेकनिकल शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् ने जिन विषयों पर राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पाठ्य-क्रम को अन्तम दिया है, वे हैं : चमड़ा, प्लास्टिक तथा इलास्टोमर, रंग-रोगन, पिगमेंट, वार्निश, तेल, चर्बियां, मोम, और जड़ी-बूटियां ।

इस वर्ष वैज्ञानिक जन-शक्ति कमेटी की सिफारिश के अनुसार देश में वैज्ञानिक जन-शक्ति साधनों के विकास के लिए तीन योजनाओं पर अमल किया गया ।

इसमें से पहली व्यावहारिक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना है । इसके अन्तर्गत इंजीनियरी और टेकनोलोजी के शिक्षार्थियों के लिए पढ़ाई खत्म करने के बाद दो साल का ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम रखा गया है जिस से उन्हें लाभप्रद रोजगार मिल जाए । सन् १९५२-५३ में इस योजना के लिए ७.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई और १७५ सीनियर तथा ६० जूनियर छात्रवृत्तियां दी गईं । यह योजना सन् १९५३-५४ के लिए भी चालू रहेगी और इसके लिए ९ लाख रुपए की रकम रखी गई है ।

दूसरी योजना का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में गवेषणा-कार्य के विकास के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से है, जिस से कि राष्ट्रीय गवेषणा-शालाओं और अन्य खोज-केन्द्रों के लिये प्रवीण कार्यकर्ता निश्चित रूप से मिलते रहें । सन् १९५२-५३ से छात्रवृत्तियों की वर्ष प्रति वर्ष स्वीकृति देने के बजाय विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के लिए उनकी वार्षिक संख्या स्थिर कर दी गई है । इसके लिए सन् १९५३-५४ के बजट में ८ लाख रुपए रखे गए हैं ।

तीसरी योजना का सम्बन्ध विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर वैज्ञानिक तथा टेकनिकल शिक्षा और खोज के विकास से है । इसके लिए सन् १९५२-५३ में ३० लाख रुपये के अनावर्तक और ५ लाख रुपये के आवर्तक अनुदान की व्यवस्था की गई । सन् १९५३-५४ के लिए भी ८८ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

अखिल भारतीय टेकनिकल शिक्षा कौंसिल की सम्पर्क-समिति ने यह

सिफारिश की है कि टेकनिकल शिक्षा की सुविधाओं को उन्नत तथा विस्तृत करने के लिए १५ गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए पूर्ण, आचर्तक सहायता और बिना सूद के कर्जों की व्यवस्था की जाए। तदनुसार सरकार ने मकान बनाने के लिए १६२.२२ लाख रुपये के अनावर्तक अनुदान, २५.५५ लाख रुपये के आचर्तक अनुदान और ३७.६७ लाख रुपये के बिना सूद के कर्जों की व्यवस्था की है।

यह योजना पूर्ति की अन्तिम अवस्था में है और सन् १९५३-५४ में इसके पूरे हो जाने की आशा है। इस से सम्बन्धित संस्थाओं में दाखिले की संख्या में पहले से ही ४७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९५३-५४ में इस योजना के लिए ४४.२० लाख रुपये मुहैया किये गये हैं।

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलोर, के विभिन्न विभागों के विस्तार की स्कीमें लगभग तैयार हैं। इसके कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए हैं, और विभिन्न विभागों का फिर से युक्तियुक्त वर्गीकरण किया गया है। इस इंस्टीट्यूट ने 'असॉसियेटशिप' और 'फेलोशिप' सनद के अतिरिक्त 'मेम्बरशिप आफ इंस्टीट्यूट' नामक एक नई सनद जारी की है जो कि भारत के विश्व-विद्यालयों की पी० एच० डी० डिग्री के बराबर है। इंस्टीट्यूट के बिजली इन्जीनियरिंग विभाग में थर्मल बिजलीघर और सिविल तथा हायड्रोलिक भवन पूर्ण रूप से तैयार होने ही वाले हैं। इन्टर्नल कम्बशन इन्जीनियरिंग विभाग ने कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च के तत्वावधान में चलाई गई विभिन्न स्कीमों पर अपनी गवेषणा जारी रखी और अब यह भारत भर के लिए कम्बशन इन्जीनियरिंग की खोज का केन्द्र बन गया है। वर्ष के उत्तरार्ध में इस विभाग ने नई किस्म का २ स्ट्रोक वाला एक डीजल इंजन तैयार किया और इसकी दूर-दूर तक चर्चा हुई।

इस वर्ष इंजीनियरिंग के पाठ्य-क्रमों के अतिरिक्त खड़गपुर के इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी में भवन-निर्माण-कला, कृषि इन्जीनियरिंग, पोत निर्माण, उत्पादन तथा चालन के पाठ्य-क्रम भी शुरू किए गए। रिहायशी प्रबन्ध कौर्स के अध्ययन की भी व्यवस्था की गई है और यह एशिया में अपनी किस्म का पहला पाठ्य-क्रम है।

कला और साहित्य

इस वर्ष मद्रास स्थित अदयार के 'कलाक्षेत्र' को १०,००० रुपए की सहायता दी गई तथा "शंकरस वीकली" को ५,००० रुपए उन बच्चों को पारितोषक देने के लिए दिए गए जिनके चित्र दिल्ली की बाल-प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए थे। सन् १९५३-५४ में सांस्कृतिक विकास कार्यों, जैसे बाल-केन्द्रों की स्थापना, देशी कला की खोज के लिए छात्रवृत्तियां देना, कला सम्बन्धी पत्रिकाओं के प्रकाशन, लोकप्रिय मार्ग-दर्शक पुस्तकें छापना इत्यादि तथा कला प्रदर्शनियों के संगठन आदि के लिये ४.५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

कला और संस्कृति के क्षेत्र में संगीत-नाटक-अकादमी (नृत्य, नाटक और संगीत की राष्ट्रीय संस्था) स्थापित की गई। इसी प्रकार नई दिल्ली के जयपुर भवन में राष्ट्रीय चित्रालय (नेशनल आर्ट गैलरी) स्थापित किया जा रहा है। आशा है कि साहित्य अकादमी (साहित्य की राष्ट्रीय संस्था), कला अकादमी, हिन्दुस्तानी संगीत अकादमी, और कर्नाटक संगीत अकादमी भी जल्दी ही स्थापित की जायेंगी जिनके लिए सन् १९५३-५४ में व्यवस्था की गई है।

दिखा-सुना कर शिक्षा

इस वर्ष केन्द्रीय ब्यूरो आफ एजुकेशन की फिल्म लाइब्रेरी के लिए १६ एम० एम० की २४७ फिल्में और ३५ एम० एम० की १२० छोटी फिल्में मोल ली गईं और अब इन फिल्मों की कुल संख्या क्रमशः १,३०० और १,५०० हो गई है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में शिक्षा-सम्बन्धी चार्ट, पोस्टर और नक्शों की संख्या ४०० है।

इसके अलावा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से दो सुसज्जित चलती-फिरती सिनेमा गाड़ियां भी उपहार के रूप में प्राप्त हुईं। स्थानीय शिक्षा-संस्थाओं और समाज सुधार संगठनों को नियमानुसार फिल्में दिखाई गईं।

दिखा-सुना कर शिक्षा देने की कान्फ्रेंस की सिफारिश के अनुसार तीन महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स इस उद्देश्य से आयोजित किया गया क

उम्मीदवारों को दिव्या-मुना कर शिक्षा देने की साधारण सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, पोस्टर, नक्शे, ग्राफ, माडल आदि, तैयार करने तथा प्रौढ़ मात्सरों के लिए साहित्य लिखने की ट्रेनिंग दी जाए। यह ट्रेनिंग काम पुनेरको के विशेषज्ञों द्वारा दिल्ली में चलाया जा रहा है।

सन् १९५२-५३ में दिव्या-मुना कर शिक्षा देने की सहायक सामग्री माल लेने के लिए ६५,००० रुपये की व्यवस्था की गई और गैर-सरकारी उद्योगों को दिव्या-मुना कर शिक्षा देने के लिए उपयोगी सामग्री तैयार करने के लिए २५,००० रुपए देकर प्रोत्साहित किया गया।

साथ ही, इस क्षेत्र के कार्य में ताल-मेल स्थापित करने तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों को देश में दिव्या-मुना कर शिक्षा देने के प्रत्येक विषय पर सलाह देने के लिए दिव्या-मुना कर शिक्षा देने का एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जा रहा है।

हिन्दी

अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली, को हिन्दी अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए, आगरा में एक स्कूल स्थापित करने के लिए १०,००० रुपये दिए गए। यह स्कूल अगस्त १९५२ से चल रहा है। साथ ही इलाहाबाद की साहित्यकार संसद् को १०,००० रुपये इसलिए दिए गए कि आर्थिक संकटग्रस्त लेखकों को सहायता प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए हिन्दी कक्षाएं प्रारम्भ की हैं। मंत्रालय में हिन्दी पुस्तकों का एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें २,००० पुस्तकें हैं।

साथ ही, हिन्दी में उत्तम पुस्तकें लिखनेवालों के लिए २६,००० रुपये के इनाम दिए जाने की घोषणा की गई। इस के अतिरिक्त ५,००० रुपये इनाम उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी चित्रमय हिन्दी वर्णमाला सर्वोत्तम सिद्ध होगी।

हिन्दी शिक्षा समिति की तीन उप-समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से एक हिन्दी परीक्षाओं, दूसरी बुनियादी व्याकरण और तीसरी हिन्दी को

लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार-कार्य पर अपने सुभाव देगी । साथ ही वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली परिषद् (बोर्ड ऑफ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी) ने कई एक विषयों, जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, प्राणि शास्त्र, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और रसायन की हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली तैयार की है ।

अपांगों की शिक्षा

भारतीय भाषाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ब्रेल के समान 'भारतीय ब्रेल' नामक एक ब्रेल कोड तैयार किया जा चुका है । हिन्दी में एक संक्षिप्त ब्रेल तैयार करने के लिए अब एक कमेटी नियुक्त की गई है । एक और कमेटी बहरेपन के कारणों तथा व्यापकता को आँकने और इसकी रोकथाम के उपाय तथा बहरो की शिक्षा और कल्याण सम्बन्धी सुभाव देने के लिए बनाई गई है । अभी 'ब्रेल संगीत स्वरलिपि कमेटी' ने भारत के लिए एक आम ब्रेल संगीत स्वरलिपि बनाने के लिए अपनी पहली जाँच खत्म की है ।

सन् १९५२-५३ में देहरादून स्थित बालिश अन्धों के प्रशिक्षण केन्द्र के लिए २,५५,००० रुपये की व्यवस्था की गई । इस प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षा पाने वालों की संख्या १२५ से बढ़ा कर १५० कर दी गई । प्रत्येक शिक्षार्थी को रहने, खाने-पीने और कपड़े की तथा अन्य सुविधाएँ मुफ्त दी जाती हैं । इस केन्द्र के साथ एक ऐसा कारखाना, जिसमें अन्धों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त हो सके, खोलने के लिए प्रबन्ध लगभग पूरा हो गया है ।

इसके अतिरिक्त भाग 'क' और 'ख' राज्यों के अन्य शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा पाने के लिए ११ छात्रवृत्तियाँ दी गईं । सन् १९५३-५४ के लिए और भी १४,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

गवेषणा के लिए अनुदान

इस वर्ष भी, पहले की तरह, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक गवेषणा को प्रोत्साहन देने के लिए, कई एक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई । जिन संस्थाओं को यह सहायता मिल रही है वे हैं, 'दि इन्टर यूनिवर्सिटी

बोर्ड', 'दि इन्टर स्टेट बोर्ड आफ् एंग्लो इण्डियन एजुकेशन', पूना स्थित 'दि दक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट', कलकत्ता को 'एशियाटिक सोसायटी', 'दि रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट आफ् कल्चर, कलकत्ता,' होशियारपुर स्थित 'दि विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट', 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद', 'अंजुमने तरक्कीये उर्दू (भारत) अलीगढ़' और 'हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा' ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

इस वर्ष राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो मुख्य काम किया वह अंग्रेजी राज्य के समय की रेज़ीडेंसियों के बहुत बड़े रेकार्डों को प्राप्त करना था । विदेशों से भारत के काम की पांडुलिपियों की माइक्रो-फ़िल्म नकलें प्राप्त की गईं । इनमें डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के सन् १६७७ से सन् १६६३ तक के रिकार्डों की ६१,५०० हस्तलिखित पृष्ठों से ली गई ५३ रीलें उल्लेखनीय हैं । श्रीमती सरोजिनी नायडू की रचनाओं की पांडुलिपियों के संग्रह के अलावा कई एक ऐतिहासिक पांडुलिपियां और दस्तावेज़ मंगल लिए गए ।

'इंडियन आर्काइव्ज़' (भारतीय अभिलेखागार) की दो संख्याएँ प्रकाशित हुईं और तीसरी मुद्रण के लिए भेज दी गई है । 'कैलेंडर आफ् पर्शियन कारेस्पॉन्डेंस' (फारसी पत्र-व्यवहार तालिका) की दो जिल्दें तैयार करने का काम शुरू किया गया । इसके अतिरिक्त दस्तावेज़ों के २,५०,००० पृष्ठों के माइक्रो-फ़िल्म लिए गए । फोर्ट विलियम-इंडिया हाउस पत्र-व्यवहार की एक जिल्द मुद्रण के लिए भेजी जा चुकी है और दो और जिल्दों को अन्तिम रूप दिया गया है ।

पुरातत्व

मध्य प्रदेश के बस्तर राज्य में, जहाँ चित्रकूट के जल-प्रपातों के पास उत्तर-पाषाण युग के कुछ चिन्ह पाए गए, खुदाई का काम किया गया । वहाँ लगभग २५ स्मारक खोद कर निकाले गए । मद्रास राज्य में सांदुर और बंगनापल्ली स्थानों में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कुछ मंदिर भी खोद कर निकाले गए ।

उत्तर अरकाट ज़िले के पास प्राचीन काल के खँडहरों में भी अन्वेषण के बड़े-बड़े काम किए गए । सेंगामेट्टु में एक महत्वपूर्ण स्थान की खुदाई हो रही है । तिन्नवल्लि ज़िले के कोरकई तथा कायल में, कान्चीपुरम् के पास पल्लवमेट्टु में पुद्दु कोट्टाई, बहादुराबाद (हरद्वार), रूपड़, नागार्जुन कोंडा, बहल (पूर्वी खान्देश), अमरेली और पाटन में भी अन्वेषण-कार्य किए गये । इसके अलावा इस विभाग ने 'क' और 'ख' राज्यों के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का काम भी किया ।

नर-देह विज्ञान

सन् १९५२-५३ में नर-देह विज्ञान विभाग ने महत्वपूर्ण पड़तालें कीं । इनमें से कुछ पड़तालें इस प्रकार हैं :-अभोर कबीले की पड़ताल, जौनसार-बावर और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के लोगों की पड़ताल, तथा त्रान्कोर की आदिम जातियों की पड़ताल । इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों में सामूहिक तनावों सम्बन्धी रिपोर्ट और दक्षिण बंगाल के देहाती तथा औद्योगिक इलाकों के सामूहिक जीवन की पड़ताल इस वर्ष पूरी की गई ।

इसके अतिरिक्त पोर्ट ब्लेयर में नर-देह विज्ञान विभाग की एक छोटी सी शाखा स्थापित की गई और छोटे अंडमान द्वीप के अंजों की जांच के साथ जरायम पेशा कबीलों की पड़ताल भी शुरू की गई ।

अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए वज़ीफे

सन् १९५२-५३ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों (कबीलों) और अन्य पिछड़ी हुई जातियों के शिक्षार्थियों को वज़ीफे देने के लिए ३० लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गई । इस वर्ष दिए गए वज़ीफों की कुल संख्या ५,८६३ रही ।

विदेश में शिक्षा पाने के लिये वज़ीफे

समुद्र-पार या विदेश में शिक्षा पाने के लिए वज़ीफा-स्कीम का एक अभिप्राय तो यह है कि शिक्षार्थियों को उन विषयों में ट्रेनिंग प्राप्त

करने के लिए भेजा जाए जिनके लिए देश में कोई प्रवन्ध न हो। और दूसरा यह कि देश में खोज तथा प्रशिक्षण का माध्यम उचित हो जाए। इसलिए भारतीय विद्यार्थियों को वजीफे दिए गए, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों की अग्रजा-बदली की गई तथा पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर विदेशी विद्यार्थियों को वजीफे भी दिए गए। सन् १९५२-५३ में विदेश में शिक्षा पाने के लिए वजीफे देने के लिए २५ विद्यार्थी चुने गए। इसके अलावा फ्रेंच विद्यार्थियों को भारतीय विश्व-विद्यालयों में शिक्षा देने तथा गवेषणा-कार्य के लिए ६ फ़ेलोशिप, तथा जर्मन विद्यार्थियों को भारतीय भाषा, धर्म और दर्शन के अध्ययनार्थ १० वजीफे दिए गए।

पश्चिमी जर्मनी के संघीय गणराज्य ने, पारस्परिक सम्बन्ध के उद्देश्य से २५० भारतीय इंजीनियरों और नौसिंघियों को भारी उद्योगों की ट्रेनिंग प्राप्त करने और ५० भारतीय विद्यार्थियों को पश्चिमी जर्मनी के विश्वविद्यालयों और टेकनिकल संस्थाओं में स्नातकोत्तर ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए सुविधाएँ प्रदान कीं। इसके अलावा 'फ़ेडरेशन आफ़ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़' ने भी ७ भारतीयों को ब्रिटेन के उद्योगों में ट्रेनिंग पाने के लिए वजीफे दिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् १९५२ में ३५ से ४० तक फ़ेलोशिप और १० से १५ तक वजीफे दिए। अब तक २४ वजीफों का अन्तिम रूप में दिया जा चुका है और प्रायः २० विद्यार्थी विदेश जा भी चुके हैं।

भारत और विदेशों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक वजीफे भी दिए गए। सन् १९५२-५३ में भारत सरकार ने अफ्रीका, एशिया और मित्र देशों के विद्यार्थियों को इस तरह के कुछ वजीफे दिए। इस वर्ष ३,२५,००० रुपये की व्यवस्था इसके लिए की गई, और विभिन्न देशों के ६१ विद्यार्थी भारत की विभिन्न संस्थाओं में दाखिल हुए।

भारतीय राष्ट्रीय कमीशन

नए संविधान के अधीन, भारतीय राष्ट्रीय कमीशन के तीन उप-कमीशन होंगे, यानी शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए एक-एक

उप-कमीशन होगा। एक कमेटी ने भारत के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की जाँच की और लेखकों तथा अध्यापकों के लिए मार्ग-दर्शक नियम तैयार किए। इसने राज्य सरकारों से यह सिफारिश की कि वे भाषा या प्रादेशिक आधार पर इतिहास पढ़ाने वाले अध्यापकों की गोष्ठियाँ बुलाएँ और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करने के तरीकों का अध्ययन करें।

जनवरी सन् १९५३ में नई दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन यह देखने के लिए किया गया कि राष्ट्रों के आन्तरिक तथा पारस्परिक तनावों को दूर करने में गांधीवादी दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम का क्या प्रभाव हुआ है। इस गोष्ठी में विभिन्न देशों के चोटी के विचारकों ने भाग लिया। इस गोष्ठी ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए, गांधी जी के उपदेशों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

भारत और यूनेस्को

दिसम्बर सन् १९५२ में, बम्बई में, दक्षिण-पूर्वी एशिया में आनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पर एक सम्मेलन हुआ। इसके अलावा दिल्ली में दो और गोष्ठियाँ हुईं जिनमें से एक 'दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्त्रियों का सामाजिक स्थान' पर थी और दूसरी 'संयुक्त राष्ट्र छात्र संघ' का थी जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के छात्रों ने भाग लिया।

इसके अलावा भारत सरकार ने जिन सम्मेलनों में भाग लिया, वे हैं: यूनेस्को का सातवाँ आम सम्मेलन, पेरिस; यूनेस्को राष्ट्रीय कमीशनों का प्रादेशिक सम्मेलन, बैंकाक; १५ वाँ अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन, जेनेवा; और अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट सम्मेलन।

यूनेस्को की कूपन-स्कीम के अन्तर्गत विदेशों से पुस्तकें, विज्ञान का सामान, शिक्षा सामग्री तथा वैज्ञानिक फिल्में मोल लेने के लिए कूपन मुहैया किए गए। अब तक भारत को फिल्मों के लिए २०,००० डालर और पुस्तकों के लिए १,८५,००० डालर के कूपन मिल चुके हैं।

सांस्कृतिक काय

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सन् १९५२-५३ में २,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई। इसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक संस्थाओं, आस्ट्रेलिया की इटिया लीग और इन्डो-इटालियन संस्था को दी गई सहायता भी शामिल है। इस वर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों तथा अन्य विदेशी संस्थाओं को उपहार में पुस्तकें भेजने के लिए ६०,००० रुपये की व्यवस्था की गई। ये पुस्तकें भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, कला तथा भवन-निर्माण आदि विषयों पर थीं। अब तक अमेरिका, ब्रिटिश वैस्ट इन्डोज, ईरान, मारीशस, न्यूज़ीलैंड, नार्वे तथा स्वीडन तथा देशों को ये उपहार भेजे जा चुके हैं।

एक भारतीय कला-प्रदर्शनी अमेरिका भेजी गई और दूसरी चीन और जापान जाने वाली प्रदर्शनी को आस्ट्रेलिया भी भेजा गया। एक भारतीय वाद-विवाद टीम ब्रिटेन भेजी गई तथा एक भारतीय विद्यार्थी को न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून की गांठी में भाग लेने के लिए भेजा गया।

इसके अतिरिक्त पूर्वी अफ्रीका के सांस्कृतिक कार्यों की पड़ताल के लिए मैरोशी में एक शिक्षा-शाखा स्थापित की गई। इसी प्रकार की एक शाखा बोन में भी स्थापित की गई, जिसका काम उन छात्रों के हितों की देख-भाल करना है जो 'भारत जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना' के अन्तर्गत पश्चिमी जर्मनी में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं।

सन् १९४८ में सामूहिक तनावों के बारे में जो खोज-कार्य शुरू किया गया था वह सन् १९५२ में भी चालू रखा गया। इस वर्ष सामूहिक तनावों के विषय पर किए जाने वाले खोज-कार्यों में ताल-मेल स्थापित कराने वाले 'भारतीय राष्ट्रीय कमिशन' की कमेटी ने ६ अन्य खोज-स्कीमों को मंजूरी दी। भारत सरकार ने इन स्कीमों के लिए ६०,००० रुपये की व्यवस्था की है।

सन् १९५२-५३ में शिक्षा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए २.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई। अब तक जिन संस्थाओं को सहायता दी जा चुकी है उनमें से कुछ ये हैं:— श्री भारत सरस्वती मन्दिर संसद् को १०,००० रुपये; श्री शिवाजी शिक्षा समाज को १०,००० रुपये; जामिया मिल्लिया की

हिन्दी में एक लोकप्रिय विश्व-कोष प्रकाशित करने के लिए ५,००० रुपये; कलकत्ता के अन्ध विद्यालय को २,००० रुपये और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध कौंसिल को ३,००,००० रुपये आदि-आदि ।

केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो

इस वर्ष इस विभाग ने अपने कार्यों में काफी वृद्धि की । इसने बड़ी संख्या में नए प्रकाशन निकाले, जैसे— 'अध्यापकों के लिए समाज शिक्षा की पुस्तिका' (टीचर्स हैंड बुक आफ सोशल एजुकेशन), 'बालियों के लिए पुस्तकें लिखना', (राइटिंग बुक्स फार अडल्ट्स), 'सद्यः साक्षरों के लिए साहित्य लिखना' इत्यादि । इसके अलावा आँकड़ों सम्बन्धी ११ और प्रकाशन निकाले गए । इसके अतिरिक्त भारत और विदेशों की गोष्ठियों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शनार्थ बहुत से चार्ट तैयार किए गए । चार्ट और चित्र बनाने के कार्य को उन्नत करने के लिए अमेरिका से माइक्रो-प्रिंट लेटरिंग का सामान भी खरीदा गया ।

साथ ही, सन् १९५२-५३ में होलरिथ पंचरों की सहायता से शिक्षा के विभिन्न रूपों सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करने तथा उनके एकीकरण का काम जारी रहा । शिक्षा सम्बन्धी कई विषयों के आँकड़े तैयार करने के लिये नए ढंग के फार्म चालू किए गए ।

स्वास्थ्य

सहायक स्वास्थ्य सेवा

डाक्टरी सहायता तथा इलाज की जो वर्तमान प्रणाली है, उसके अनुसार केन्द्र के सरकारी कर्मचारियों को सन्तोषजनक सेवाएँ प्राप्त नहीं हो पा रहीं । अतएव उनके लिए एक सहायक स्वास्थ्य-सेवा-योजना बनाई गई है । अभी तो यह योजना केवल दिल्ली तक ही सीमित रहेगी ।

इस योजना की मुख्य बातें ये हैं—(१) अधिकृत चिकित्सा-कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ा दी जायगी । उनमें से अधिकांश अपना पूरा समय सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा-सेवा में लगाएँगे । लेडी डाक्टरों

की, और आँख, कान, नाक और गले की बीमारियों का इलाज करने के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की जायगी। (२) निक्किता-कर्मचारियों को निजी प्रैक्टिस करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी और न वे अस्पताल के अन्दर या बाहर सरकारी कर्मचारियों या उनके परिवार के लोगों से उनकी निक्किता अथवा इलाज के लिए किसी प्रकार की फीस ही ले सकेंगे। पर प्राइवेट प्रैक्टिस की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें एक अच्छा खासा भत्ता दिया जायगा। (३) सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को घर पर मुफ्त इलाज के अलावा अस्पताल में भी मुफ्त इलाज की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। (४) जहाँ तक इलाज की रियायतों का सम्बन्ध है, चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को भी वही रियायतें और सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी, जो कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को होंगी। (५) ऐसी दवाइयों का संग्रह, जो कि ग्राम तौर पर अस्पतालों में नहीं मिलती, कुछ ग्राम केन्द्रों में किया जायगा और वे बिना दाम के दी जाएँगी। पर खुले बाजार से जो दवाइयाँ खरीदी जाँगी उनकी कीमत नहीं दी जाएगी।

इस सुधरी हुई निक्किता-सेवा के लिए सरकारी कर्मचारियों को ग्रैंड फं. क्रम से कुछ रकम मासिक चन्दे के रूप में देनी होगी। इसके लिए शुरू से सन् १९५३-५४ के बजट में १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

तपेदिक से मोर्चा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, भारत सरकार ने अनेक बीमारियों को, और खास तौर पर तपेदिक को उखाड़ फेंकने के लिए आन्दोलन चलाया है। सन् १९५२-५३ की योजना के अनुसार सार्वजनिक रूप से बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्य बढ़ा कर ६ राज्यों तक फैला दिया गया था और यह आशा की जाती है कि सन् १९५३ के अन्त तक बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्य सारे भारत में पूरा हो जायगा। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर इस कार्य को करने के लिये एक केन्द्रीय बी० सी० जी० योजना बनाई गई है। विश्व-स्वास्थ्य संघ ने बाहर जाकर काम करने के लिये तथा स्थानीय बी० सी० जी० की टुकड़ियों को सिखाने के लिये दो विदेशी डाक्टरों और चार नर्सों के अतिरिक्त, इस काम में मदद देने के

लिये एक सीनियर बी० सी० जी० सलाहकार तथा अन्य सहायक कर्मचारी भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ ने ३,८५,००० डॉलर की कीमत का साज-सामान देकर मदद की है। नवम्बर १९५२ के अन्त तक १ करोड़ २० लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गई तथा लगभग ४० लाख व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

गुन्डी में बी० सी० जी० वैक्सीन की जो प्रयोगशाला है, उसका काम भी बढ़ा दिया गया है। उसने विभिन्न राज्यों के अलावा मलाया, सिंगापुर, बर्मा और सीलोन को भी अधिक संख्या में बी० सी० जी० की वैक्सीन और तपेदिक के टीके भेजे हैं।

इस साल भारत की कई तपेदिक निवारक संस्थाओं में तपेदिक नाशक एक नई औषधि 'आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड' के कई परीक्षण भी किये गये। उन परीक्षणों से यह पता चला कि यह नई दवाई आम तौर पर फायदेमन्द है। अतएव इसे आम जनता के लिये बाजार में बेचने की छूट दे दी गई।

कर्मचारियों को तपेदिक की रोकथाम की शिक्षा देने के लिये, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस विषय पर एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, अनुसन्धान कार्य के लिये सुविधाएँ देने के लिये इसी विश्वविद्यालय में बल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिस पर अब तक, ११,६०,४७० रुपया खर्च हो चुका है।

यूनिशन मिशन तपेदिक स्वास्थ्य सदन, मदनपल्ली, मद्रास, में विश्व स्वास्थ्य संघ के तपेदिक अनुसन्धान केन्द्र की सहायता से तपेदिक के सम्बन्ध में एक अनुसन्धान-योजना चलाई गई, जिसमें बी० सी० जी० पर विशेष खोज की जा रही है। इस बात की भी मंजूरी दी गई कि तपेदिक की संक्रामकता के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाय, ताकि इस बीमारी की संक्रामकता का अन्दाज़ा लगाया जा सके और भारत में इसकी रोकथाम के जो तरीके अपनाए गए हैं, उनकी उपयोगिता का पता लग सके। इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार को ३.२६ लाख रुपया खर्च करना होगा और यह उम्मीद है कि विश्व स्वास्थ्य संघ इसके लिए कर्मचारी तथा आवश्यक चीजें देगी।

मेडिकल विद्यार्थियों, पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों तथा नर्सों आदि को तपेदिक की रोकथाम के काम की ट्रेनिंग देने के लिए, सन् १९५१ में, दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में तीन ट्रेनिंग और प्रदर्शन केन्द्र खोले गए। यूनिसेफ तथा विश्व-स्वास्थ्य संघ ने आवश्यक साज-सामान तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त पार्श्वतः देशों में जाकर अध्ययन करने के लिए वज़ीफे देकर भी मदद की। सन् १९५२-५३ में विश्व स्वास्थ्य संघ ने विविध राज्यों में भी तपेदिक की रोकथाम के इसी प्रकार के अन्य केन्द्र खोल कर सहयोग दिया।

इस साल तपेदिक के टिकट बेचने के तीसरे आन्दोलन का प्रबन्ध भारत के तपेदिक संघ (ट्युबरक्युलोसिस एसोसिएशन) ने किया। इस आन्दोलन का मुख्य ध्येय यह था कि जनता भारत में तपेदिक की समस्या की भयंकरता को समझ सके। इस आन्दोलन को २ लाख रुपये चन्दे के रूप में प्राप्त हुए।

भारत के तपेदिक संघ (ट्युबरक्युलोसिस एसोसिएशन) को इस साल आर्थिक सहायता भी दी गई। इसमें निम्नलिखित सहायता भी शामिल है—१,३५,००० रुपया मुख्य कार्यालय बनाने के लिए; ३,८५,००० रुपया मेहरौली रोड पर तपेदिक कालिज तथा अस्पताल बनाने के लिए; तथा १,९५,००० रुपया कसौली में लेडी लिनलिथगो स्वास्थ्य-सदन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त २,६०० रुपया कर्मचारियों को तपेदिक की रोकथाम का काम सिखाने के लिए, ५५,८०० रुपया कसौली स्वास्थ्य-सदन में ३० पलंगों की व्यवस्था करने के लिए, तथा २,३६,००० रुपया नई दिल्ली में तपेदिक केन्द्र के लिए भी दिया गया।

ट्रेनिंग, शिक्षा और अनुसन्धान कार्य

स्वास्थ्य पड़ताल तथा विकास समिति ने इस बात की निफारिश की कि दिल्ली में एक अखिल भारतीय संस्था खोली जाए, ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्राप्त करने और स्वास्थ्य-अनुसन्धान कार्य की उन्नति करने तथा उच्च स्तर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग देने की सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। इसी बीच में, वर्तमान मेडिकल कालिजों तथा अनुसन्धान संस्थाओं में कई एक शिक्षण तथा अनुसन्धान विभागों का स्तर ऊँचा कर दिया गया, ताकि संस्था के लिए आवश्यक शिक्षक-कर्मचारी प्राप्त हो सकें।

इस संस्था के लिए एक संशोधित योजना बनाई गई है, जिस पर सन् १९५२-५३ से सन् १९५८-५९ तक ६००.७० लाख रुपया खर्च होगा। उपर्युक्त संस्था में ग्रन्डर-ग्रेजुएटों के लिए एक मेडिकल कालिज, एक पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षण केन्द्र और शिक्षण अस्पताल से युक्त एक दंत-चिकित्सा-कालिज भी शामिल होगा। इस योजना को योजना कमीशन ने स्वीकार कर लिया है। यह योजना इस साल शुरू होकर सात साल में पूरी हो जाएगी।

राष्ट्र-मंडल-टेकनिकल-सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, न्यूजीलैंड की सरकार ने दस लाख पाँड की रकम इस संस्था को देनी मंजूर की है। इसमें से २,५०,००० पाँड उसने सन् १९५१-५२ में ही दे दिए थे।

पोषण विज्ञान के विषय में ट्रेनिंग की सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। सन् १९५३-५४ से अश्विन भारतीय हाईजीन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता, में पोषण-तत्व-डिप्लोमा-पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। सन् १९५३-५४ के बजट में इस कार्य के लिए ३१,४०० रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इस संस्था में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग तथा माता और शिशु स्वास्थ्य विभाग भी खोला जाएगा। माता और शिशु स्वास्थ्य विभाग शिशु-स्वास्थ्य-कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय ट्रेनिंग-केन्द्र का काम भी देगा तथा इससे संस्था की वर्तमान माता तथा शिशु-कल्याण शाखाओं की उन्नति करने में भी सहायता मिलेगी। भारत सरकार तथा यूनिसेफ के प्रयत्नों से यह योजना अमल में लाई जाएगी और इस पर पाँच साल में लगभग ६० लाख रुपया खर्च होगा। नई दिल्ली के नर्सिंग कालिज के विद्यार्थियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य-शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए एक गश्ती दवाखाना, २,२५० पाँड मूल्य पर खरीदा गया है। इस गश्ती दवाखाने का नाम एडमिना माउंटवेटन मोबाइल नर्सिंग क्लिनिक रखा गया है। लेडी माउंटवेटन ने इस दवाखाने के खरीदने के लिए १,००० पाँड दिए थे। इस दवाखाने ने दिल्ली राज्य में, नजफगढ़ के आसपास, काम शुरू कर दिया है।

मद्रास के आन्ध्रमहिला समा ट्रस्ट बोर्ड ने भारत सरकार के सामने एक योजना पेश की थी कि सहायक नर्सों तथा दाइयों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल तथा उन्हें व्यावहारिक ट्रेनिंग देने के लिए एक नर्सिंग होम खोल दिया जाए। सरकार ने उनका यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और सन् १९५२-५३ में

इसके लिए १५,००० रुपया मंजूर किया है। इसी प्रकार, पंचवर्षीय योजना में नई दिल्ली के लेडी हार्डिज कालिज और अस्पताल में एक लायब रुपया खर्च कर नर्सों को ट्रेनिंग की आवश्यक मुविधाएँ देने की योजना भी शामिल है।

इस बात का भी फ़ैसला हो चुका है कि ३३,००० रुपये के आवसंनक व्यय पर नवम्बई के के० ई० एम० अस्पताल में एक शरीर-चिकित्सा स्कूल और केन्द्र की स्थापना की जाए। यह स्कूल तमाम भारत के लिए ट्रेनिंग केन्द्र का काम देगा। विश्व-स्वास्थ्य संघ इस बात पर सहमत हो गया है कि वह टेकनिकल-सहायता-योजना के अन्तर्गत, ५,००० डालर की कीमत का आवश्यक साज-सामान तथा दो शरीर-विज्ञान-विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करेगा।

किसी उपयोगी धन्धे की शिक्षा देने के अभिप्राय से, विस्थापित लड़कियों तथा महिलाओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग देने की योजना शुरू की गई। सन् १९५२ में बारह लड़कियों ने नर्सिंग तथा दाई के काम की अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली। इनकी ट्रेनिंग का कुल खर्च भारत सरकार ने दिया है।

इस साल नर्सिंग कालिज, नई दिल्ली, में सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नर्सिंग में एक नए पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स के अलावा, माढ़े नौ मास का शिक्षण तथा प्रशासन सम्बन्धी एक संयुक्त पाठ्य-क्रम शुरू किया गया है। फिलहाल पन्द्रह नर्सों ने यह पाठ्यक्रम लिया है और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो सामूहिक योजना के अन्तर्गत ये नर्सों विविध राज्यों में काम करेंगी। नवम्बर-दिसम्बर १९५२ में विश्व-स्वास्थ्य-संघ के सहयोग से इस कालिज में चार सप्ताह के लिए सिस्टर-ट्यूटर्स के लिए एक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का भी प्रबन्ध किया गया था।

सन् १९५२-५३ में एक खास कमेटी ने नई दिल्ली के लेडी हार्डिज मेडिकल कालिज और अस्पताल में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएँ बनाने की सिफारिश भी की, जिसके अनुसार ३६,००० रुपया खर्च करके शव-परीक्षा (पोस्ट मार्टम) के लिए एक नया कमरा बनवाया गया। इसके अलावा, ३ लाख रुपया साज-सामान खरीदने के लिए दिया गया तथा २४,५०० रुपया कोल्ड स्टोरेज का सामान खरीदने के लिए भी मंजूर किया

गया। नमों के निवास-स्थान, प्रसूतालय, शिशु-गृह, विपाक-प्रसूता-गृह (सेप्टिक मेटनिटी वार्ड) आदि के निर्माण के लिए ३,५७,००० रुपया खर्च करने की मंजूरी दी गई ।

लुधियाना के वीमेन्स क्रिश्चियन मेडिकल कालिज को एम० बी० बी० एम० के स्तर तक उठाने की दृष्टि से, सरकार ने इस संस्था को दस साल के असें में साढ़े चारह लाख रुपया देना निश्चय किया है ; पर यह इस शर्त पर, कि पंजाब सरकार भी इन दस सालों में इतनी ही रकम इस संस्था को देगी। सन् १९५२-५३ में इसी उद्देश्य से ५०,००० रुपया इस संस्था को दिया जा चुका है।

मलेरिया-विज्ञान में होने वाले आधुनिक विकास को दृष्टि में रख कर भारत के मलेरिया इन्स्टीट्यूट में मेडिकल अफसरों के लिये मलेरिया-पाठ्य-क्रम को ६ सप्ताह से बढ़ा कर १२ सप्ताह कर दिया गया है। इसी प्रकार लेक्चरों की संख्या ७५ तथा व्यावहारिक कार्य के अनुभव के घण्टे भी बढ़ा कर २७५ कर दिये गये हैं। इस मलेरिया इन्स्टीट्यूट में परीक्षण द्वारा यह पता चला है कि डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी० जैसी कीटाणुनाशक औषधियों के द्वारा तथा मलेरिया की रोकथाम में सफल अन्य कृत्रिम औषधियों के प्रयोग से मलेरिया को काफी हद तक रोका जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम के जो उपाय दिल्ली राज्य, कोयले की खदानों की बस्तियों तथा 'ग' भाग के कुछ राज्यों में काम में लाए गए थे, वे बहुत सफल रहे हैं तथा इन उपायों के कारण उपर्युक्त कुछ भागों में मलेरिया केवल नाममात्र को ही रह गया है। भारत के मलेरिया इन्स्टीट्यूट में एक विभाग फील-पाँव की बीमारी की खोज-बीन के लिये भी खोला गया है, ताकि इस बीमारी की संक्रामकता का अध्ययन किया जा सके।

सीरा और वैक्सीन तैयार करने तथा अनुसन्धान करने के अतिरिक्त कसौली की केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था को यह भी काम सौंपा गया है कि वह ऐसी व्यावसायिक कम्पनियों तथा विज्ञानशालाओं का, जो कि सीरा और वैक्सीन तैयार करती हैं, निरीक्षण करे। यह संस्था औषध-कानून व्यवस्था की धाराओं के अनुसार काम करे, इसलिये कीड़े मारने की दवाइयों के विषय में अनुसंधान कार्य

करने के लिये, इमारत में एक नया खण्ड बनाया गया है। कसौली में पागल जानवरों के काटे के इलाज के विषय में अनुसन्धान करने के लिए एक केन्द्र खोलने का काम पूरा हो गया है। इसके लिए भारत की पासब्युर संस्था ने २,००,००० रुपये दिया था। और यह भी तय हुआ है कि केन्द्रों अनुसन्धान संस्था में पीले बुखार अर्थात् येलो-फीवर का रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार की जाय। इस काम के लिए नई देहली में विश्व-स्वास्थ्य संघ का जो प्रादेशिक कार्यालय है, उस से साज-सामान प्राप्त किया जा रहा है।

इस साल पूना में लूत की बीमारियों का अनुसन्धान-केन्द्र खोला गया ताकि भारत में ऐसे कीटाणुओं के विषय में खोज-बीन की जा सके जिनमें स्वस तीर पर भारत में ही लूत की बीमारिया फैलती हैं, और इस संस्था में कीटाणु-अनुसन्धान क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा सके। यह केन्द्र भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान परिषद् तथा रोकफेलर फाउण्डेशन के संयुक्त प्रयत्नों का फल है।

सन् १९५२-५३ में कैंसर के लिए, बम्बई के टाटा-मेमोरियल-अस्पताल को अखिल भारतीय पोस्ट-ग्रेजुएट तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाने के उद्देश्य से, बढ़ाने के लिये १,३२,००० रुपये की आवर्षक आर्थिक सहायता दी गई।

स्वास्थ्य पड़ताल तथा विकास समिति की सफारिश पर, मद्रास राज्य में निगल-पट में एक कुष्ठ-निवारण सम्बन्धी शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्था खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस संस्था को चलाने के लिए एक प्रशासक-मण्डल की नियुक्ति करने के लिए योजना भी बना ली गई है।

स्वास्थ्य-शिक्षा

दो गश्ती सिनेमा यूनिटों की सहायता से, जो कि यूनिसेफ ने भेंट किये हैं, इस साल स्वास्थ्य-शिक्षा-प्रचार का काम किया गया। शहरों और गांवों में मिलाकर लगभग ६०० बार चित्र दिखाए गए। इन भागों में लगभग आठ लाख आबादी है।

मन्त्रालय की फिल्म लाइब्रेरी में स्वास्थ्य सम्बन्धी ७२ और चित्र जमा करके उसे अधिक बढ़ाया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब उसमें २४६ चित्र

हो गये हैं। इस लाइब्रेरी को ६ और छोटे-छोटे फ़िल्म दि गप हैं। एक छोटा सा फ़िल्म तपेदिक के बारे में 'गनपत की कहानी' के नाम से बनाया गया था।

इसके अलावा, तीन और स्वास्थ्य सम्बन्धी चित्र बनाये गये हैं। इनके नाम हैं 'भीतरी विद्रोही अर्थात् कैंसर' 'तुम्हारी आँखें' और 'कुष्ठ को रोको'। संयुक्त-राज्य-सूचना-सेवा की सहायता से दो चित्र ग्राम-स्वास्थ्य के विषय में भी तैयार किए गए। इनके नाम हैं 'उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है' और 'साफ़ पानी तन्दुरुस्ती बनाता है'। अब तक कुल मिला कर स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयों पर १६ चित्र तैयार किये जा चुके हैं और ये चित्र भारत की छः भिन्न-भिन्न भाषाओं में ३५ मिलीमीटर तथा १६ मिलीमीटर दोनों आकारों में मिल सकते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र ने तीन चित्र 'माँ' 'बच्चा' तथा 'समाज' नाम के बनाए थे। इन्हें हिन्दी में रूपान्तरित कर लिया गया है।

स्वास्थ्य पर १० पोस्टरों में से प्रत्येक की दस हज़ार प्रतियाँ फिर से छापी गई हैं, जबकि दांतों की सँभाल पर पाँच पोस्टरों की छपाई चालू है। स्वास्थ्य शिक्षा पर दस फोल्डर अंग्रेजी में तथा पाँच हिन्दी में छापे गये हैं। सात और हिन्दी फोल्डर छप रहे हैं। स्वास्थ्य-शिक्षा पर कई व्याख्यान भी दिये जा चुके हैं।

इस बात का सुझाव भी दिया गया है कि भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा के कार्यक्रम में जनता का सहयोग पाने और प्रेरणा देने के लिए एक केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-ब्यूरो की स्थापना की जाय। इस उद्देश्य के लिए सन् १९५३-५४ के बजट में २,७२ २०० रुपये की व्यवस्था की गई है।

६ नवम्बर १९५२ को लोक सभा में एक केन्द्रीय-खाद्य-अपमिश्रण-विधेयक पेश किया गया ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके और खाद्य पदार्थों की किस्म सब जगह एक सी रहे। इसके अलावा एक केन्द्रीय खाद्य-अनुसन्धान-शाला खोली जाए, जहाँ संदिग्ध मामलों में खाद्य-पदार्थों के नमूने अन्तिम राय के लिए भेजे जा सकें। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ के स्तर का निश्चय करने के लिये एक केन्द्रीय समिति अलग काम

करेगी। इस समिति में केन्द्र तथा राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, जो भांजन कानून के मामलों पर सलाह देंगे।

दवाइयों की किस्म पर नियन्त्रण

इस साल, उन सभी दवाइयों पर, जो कि देश में तैयार की जाती हैं या बाहर से मँगवाई जाती हैं, कड़ा नियन्त्रण रखा गया। इसके लिये निगरानी का क्षेत्र बढ़ा कर बन्दरगाहों तथा गोदामों तक, जहाँ पर कि इन दवाइयों का संग्रह किया जाता है, कर दिया गया। अधिकारी बीच-बीच में इन गोदामों पर जाँच के लिये बराबर जाते रहते हैं, ताकि इस बात का पता चल सके कि कहीं संग्रह में दवाइयों की किस्म खराब तो नहीं हो गई। वे दवाइयों के नमूने जाँच के लिये भी ले जाते हैं। अगर किसी दवाई की किस्म निर्धारित स्तर से नीचे पाई जाती है तो उसकी बिक्री बाजार में रोक दी जाती है, अथवा उसे नष्ट कर दिया जाता है।

बहुत से राज्यों में दवाइयों की किस्म और नाम लिखने के मामले में नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया, ताकि कोई भी ऐसी दवाई, जिसकी किस्म निश्चित स्तर के मुताबिक न हो, बाजार में बिकने के लिए न आ सके। इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत-सी दवाइयाँ बाजार से हटा दी गई हैं और उनका बिकना रोक दिया गया है। नकली दवाइयों के विरुद्ध भी रोकथाम की कार्रवाई की गई और इसका दिल्ली और बम्बई में बहुत उत्साहवर्द्धक नतीजा निकला। जो औषध-गुण-धर्मशास्त्र (निषट्ट शास्त्र) तैयार किया जा रहा है, उसमें १,००० औषधि-द्रव्यों की सूची तैयार की गई है। अभी तक १,००७ दवाइयों के सन्क्षिप्त मोनोग्राफ अन्तिम रूप से तैयार किए गए हैं। भारतीय औषध-गुण धर्मशास्त्र के सन्क्षिप्त मसविदे के संग्रह का जो खास काम है, वह लगभग पूरा हो गया है।

परिषदें

नर्सिंग, दाँतों की डाकटरी तथा दवाई बनाने के कामों पर नियन्त्रण रखने और इन धन्धों को व्यवस्थित करने के लिए एक आवश्यक कानून बना दिया

गया तथा केन्द्र में नर्सिंग, दाँतों की डाक्टरी और औषध निर्माताओं की परिषदें बना दी गईं ।

राज्यों की दंत-चिकित्सक परिषदों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए जो दंत-चिकित्सा नीति सम्बन्धी नियम बनाए गये हैं, उनके अतिरिक्त भारत में दाँतों के चिकित्सा-व्यवसाय के लिए शिक्षा का कम से कम स्तर एक सा बनाने के लिए, दंत-चिकित्सक-परिषद् ने डिग्री कोर्स के लिए एक पाठ्यक्रम भी निश्चित किया है । अभी हाल में सरकार ने शिक्षा के उस कम से कम स्तर का भी अनुमोदन किया है, जो शिक्षा रेग्युलेशन के मुताबिक एक दवाई बनाने का काम करने वाले व्यक्ति को प्राप्त करना जरूरी है ।

सब राज्यों में फार्मैसी ऐक्ट समान रूप से लागू हो सके, इसलिए भारत की औषध निर्माताओं की परिषद् ने नमूने के तौर पर नियमों का एक मसविदा बनाया है ।

अगस्त-सितम्बर सन् १९५० में, नई दिल्ली में जो स्वास्थ्य-मंत्री कान्फ्रेंस हुई थी, उसके निर्णय के मुताबिक एक केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् नियुक्त की गई, ताकि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी बातों पर नीति स्पष्ट करने में मदद दे सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

इस साल, विश्व स्वास्थ्य संघ ने मलेरिया, रुधिर सम्बन्धी गुप्त बीमारियों, तपेदिक आदि से संघर्ष करने के लिए विशेषज्ञ तथा साज-सामान देकर मदद की और साथ ही माता और शिशु-स्वास्थ्य के लिए भी साधन जुटाए । सार्व-जनिक रूप से बी. सी. जी. के टीके लगाने, हैजा तथा प्लेग का अनुसन्धान करने तथा आबादी की समस्या का अध्ययन करने के लिए कर्मचारी देने के अतिरिक्त, विश्व-स्वास्थ्य-संघ ने स्वास्थ्य के आँकड़ों, रुधिर सम्बन्धी गुप्त बीमारियों तथा नर्सिंग और डाक्टरी शिक्षा के लिए वज़ीफे भी दिए ।

दिल्ली में एक डी. डी. टी. का कारखाना खोलने का विचार है । यह कारखाना, भारत सरकार, यूनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संघ इन तीनों की एक संयुक्त योजना के रूप में काम करेगा । इस योजना में जो टैकनिकल कर्मचारी काम करेंगे उनका खर्च विश्व स्वास्थ्य संघ देगी । अनुमान है कि इस

पर १,००,००० डालर स्वर्च आणगा तथा साज-सामान का स्वर्च, जो कि यूनिसेफ उठाएगा, लगभग २,५०,००० डालर होगा।

अक्टूबर १९५२ तक, यूनिसेफ ने भारत के लिए स्वास्थ्य योजना पर ७१,४२,००० डालर स्वर्च मंजूर किया। इस संस्था ने निम्नलिखित कामों के लिए सहायता प्राप्त हुई, यथा— साज-सामग्री, दवाइयों आदि की मरलाई और बज्जीफे। आसाम में मलेरिया की रोकथाम के प्रदर्शन और भूचाल पीड़ितों को सहायता के लिए २,२२,००० डालर स्वर्च किया जा चुका है और ६८,६५,००० डालर की सहायता का कार्य चालू है। यूनिसेफ ने स्वास्थ्य प्रचार का कार्य करने के लिए दो गाड़ियां (Van) दी हैं, जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी निच दिखाने का सामान भी है। पोलियो नामक लकवा की रोकथाम के लिए १६ आयरन लंग्स (लोहे के फेफड़े) दिये हैं। इसके अलावा वरुण स्वास्थ्य संघ के चार मलेरिया दलों तथा नई दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित राये तपेदिक-निरोधक केन्द्रों के लिये सामान तथा औपधियां आदि भी दी हैं।

यूनिसेफ ने भारत के २८ राज्यों में, माता तथा शिशु-कल्याण केन्द्रों में ३,०६,६०० पाँड माबुन भी वटयाया है। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद टाउनशिप अस्पताल केन्द्र और भारत में नर्सों तथा दाइयों के लिए ट्रेनिंग स्कूलों के लिये सामान भी दिया है। साथ ही यूनिसेफ ने भारत को १३,४६,००० डालर शिशु-स्वास्थ्य, नर्सों और दाइयों की ट्रेनिंग आदि पर स्वर्च करने के लिए भी दिए हैं।

भारत सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से कलकत्ता में शिशु-पालन-पोषण की ट्रेनिंग देने के लिए एक केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी है। उसने इस साल यूनिसेफ को १२,००,००० रुपये भी दिए हैं।

जनता को मलेरिया का शिकार होने से बचाने की दृष्टि से भारत-अमेरिका समझौते के मुताबिक एक राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना बनाई गई है। इसके अनुसार १२५ दल मलेरिया की रोक-थाम का काम करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इस में डी० डी० टी० के सामान तथा यातायात के प्रबन्ध के रूप में टेकनिकल सहयोग करार के अंतर्गत अमेरिका मदद करेगा।

अमेरिका ने यूरोप के लिए रुपया भेजने के लिए एक सहकारा संस्था बनी है। अमेरिका की यह एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी प्रकार के आर्थिक लाभ के काम करती है। इस संस्था ने भारत को प्रसूति कार्य के लिए बहुत सा सामान तथा बंदल दिए हैं, ताकि ये सब चीजें अस्पतालों, ट्रेनिंग संस्थाओं, प्रसूति-गृहों, शिशु-कल्याण तथा स्वास्थ्य-केंद्रों का मुफ्त उपहार के रूप में बांटी जा सकें।

सन् १९५२-५३ में कोलम्बो योजना तथा चतुर्थ लक्ष्मीय योजना के अधीन कई विशेषज्ञ भी भारत आए। अन्य लोगों के अलावा इनमें अमेरिका से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार इंजीनियर, ब्रिटेन से टूटी हड्डी की सर्जरी (शल्य चिकित्सा) करने वाला एक सर्जन तथा दो शरीर चिकित्सक; आस्ट्रेलिया से दो शिशु नर्सिंग विशेषज्ञ, दिल्ली में बलभ-भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट तथा टी० बी० अस्पताल और वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कालिज तथा अस्पताल की जरूरतों का अध्ययन करने के लिये भारत आए।

सन् १९५२-५३ में कोलम्बो योजना के अधीन केंद्र तथा राज्यों की सरकारों द्वारा चिकित्सा विषयों की ट्रेनिंग के लिए चुने गए २७ उम्मीदवारों में से १३ उम्मीदवार ब्रिटेन के लिए खाना भी हो गए हैं। चतुर्थ लक्ष्मीय योजना के अधीन, ३१ में से २६ उम्मीदवार, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया जाकर वार्ड सिस्टर कोर्स की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चार उम्मीदवारों के नामों की वजीफे के लिए सिफारिश की गई है। कनाडा की सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन डाक्टरों और नर्सों के लिए ३० वजीफे दिए हैं।

आबादी पर नियन्त्रण

इस साल, परिवार-नियोजन के 'अश्रुत काल' तथा 'सुखा काल' इन दो तरीकों के प्रयोग के विषय में मार्ग-दर्शक अध्ययन करने के लिए तीन परीक्षक बल—दो दिल्ली में और एक मैसूर राज्य के रामनगरम् में—

नियुक्त किए गए । इस योजना के लिए पंचवर्षीय योजना में ६५ लाख रुपया रखा गया है ।

लसीका-विज्ञान

फिलहाल सभी राज्यों के चिकित्सा सम्बन्धी कानूनी मामलों की सीरोलॉजिकल परीक्षा का काम भारत सरकार के सीरोलॉजिकल और रासायनिक परीक्षक कलकत्ते में करते हैं । मद्रास और बम्बई सरकारों ने अपनी-अपनी विज्ञान शालाएँ खोलने का प्रस्ताव रखा है । इस बात की जरूरत महसूस की गई कि ऐसी भारी जिम्मेदारी का काम, जिस में खुर्चा मुकदमों में बहुत प्रमाणपूर्ण सबूत पेश करना हो और जिस पर न्यायालय की पूर्ण भरोसा हो, ऐसे विशेषज्ञों के जिम्मे रहे, जो कि किसी ऐसी विज्ञानशाला में कार्य करते हों, जहाँ पर कि इसके लिए खास कर्मचारी हो तथा पूरा साज-सामान भी हो । इस मामले में न्यायालय का दृष्टिकोण जानने की चेष्टा की गई है ।

नाड़ी शल्य चिकित्सा दल

बम्बई के म्युनिसिपल कारपोरेशन ने के० ई० एम० अस्पताल बम्बई में एक नाड़ी-शल्य-चिकित्सा दल स्थापित करने का फैसला किया है । इस दल की उपयोगिता का ध्यान करके, भारत सरकार ने साज-सामान के खरीदने के लिए आधा खर्च यानी अपने हिस्से की रकम—एक लाख रुपया—देना मंजूर कर लिया है । साथ ही वह प्रति वर्ष ३७,००० रुपया आर्थिक मदद के रूप में कर्मचारियों के लिए भी देगी । सन् १९५३-५४ के लिए भी १,३७,००० रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

दान कोष

फरवरी १९५१ में एक स्वास्थ्य-मंत्री-दान-कोष खोला गया था । २३ दिसम्बर, १९५२ को इसका नाम बदल कर स्वास्थ्य-मंत्री-कल्याण-कोष रख दिया गया । यह कोष कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना की उन्नति के लिए इकट्ठा किया जा रहा है । फरवरी १९५३ तक इस कोष में कुल मिला कर

जमा और खर्च क्रमशः ५,४५,५२५ रुपये ६ आने १ पाई तथा २,१६,६६३ रुपये ३ आने हुए ।

आर्थिक मदद

इस साल, भारत की तर्पेदक-निवारक संस्था के अतिरिक्त, ट्रेनिंग प्राप्त नर्सों की संस्था तथा रामकृष्ण मिशन को भी आर्थिक मदद दी गई । सन् १९५२-५३ में ३ लाख रुपये की एक रकम कई अन्य उचित कार्यों की मदद के लिए भी खर्च की गई । इसमें कैसर और कुष्ठ-अनुसन्धान-कार्य, अन्धों की सहायता तथा बच्चों का कल्याण-कार्य, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य भी शामिल हैं ।

‘ग’ भाग के राज्य

‘ग’ भाग के राज्यों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सीधी भारत सरकार पर है, और सन् १९५२-५३ में इन राज्यों में स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था की गई थी । उदाहरणार्थ, इस साल छूत की बीमारियों के अस्पताल में २४ पल्लंग और बढ़ाए गए । एक ऐसी इमारत बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है जो कि चार मजिल ऊँची होगी, तथा जिसमें ४८ पल्लंगों वाले चार वार्ड होंगे । केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में रोमन कैथोलिक मिशन को आंखला के पास मसीहगढ़ में एक आधुनिक ढंग का अस्पताल बनाने के लिए सन् १९५१-५२ में एक लाख रुपया तथा सन् १९५२-५३ में ७५,००० रुपया दिया ।

यूनिसेफ की मदद से, सन् १९५१-५२ में दिल्ली में जच्चा-बच्चा की स्वास्थ्य शिक्षा की ट्रेनिंग का विकास करने, और शिशु-पालन में सुधार करने के लिए एक योजना चलाई गई थी । इस योजना के लिए यूनिसेफ ने चार गाड़ियां दी हैं । इर्विन अस्पताल में जो नया शिशु-वार्ड बना है, उसमें पूरे समय के लिए एक शिशु-पालन-विशारद नर्स की नियुक्ति भी की गई है । स्वास्थ्य पड़ताल तथा विकास समिति के सुभाष के मुताबिक नजफगढ़ में एक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है । यह केन्द्र भारत के अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक नमूने के तौर पर होगा । अन्य ‘ग’ भाग के राज्यों के विभिन्न भागों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है तथा वहां पर भी विविध स्वास्थ्य-योजनाएं चालू की गई हैं ।

श्रम

श्रम कानून

सन् १९५२-५३ में श्रम कानून और मजदूरों का प्राविष्ट फंड कानून नामक दो महत्वपूर्ण कानून पास किए गए। पहला कानून श्रम तथा सुरक्षा के नियमों में सुधार तथा एकीकरण के लिए बनाया गया है। दूसरे कानून द्वारा औद्योगिक संगठनों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्राविष्ट फंड की व्यवस्था की गई है। यह कानून उन तमाम वस्त्र, लोहा, इस्पात, सीमेंट, इंजीनियरिंग, कागज़ तथा सिगरेट उद्योगों पर लागू होता है जिनमें ५० या इससे अधिक लोग काम करते हों। यह स्कीम लगभग १,५०० कारखानों पर लागू होती है और इससे १२ लाख कर्मचारियों को लाभ मिलना है। इस खाते में, कर्मचारियों और मालिकों द्वारा प्रति वर्ष १० से १२ करोड़ रुपये की रकम जमा किए जाने का अनुमान किया गया है।

अब तक एक केन्द्रीय प्राविष्ट फंड कमिश्नर नियुक्त किया गया है और १८ राज्यों में इसके प्रादेशिक विभाग स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक 'केन्द्रीय बोर्ड आफ ट्रस्टीज़' स्थापित किया गया है, और बड़े-बड़े राज्यों में अप्रैल सन् १९५३ तक प्रादेशिक कमेटियां स्थापित किए जाने का विचार है।

इसके अतिरिक्त सन् १९४८ के कारखाना कानून को सुधारा जा रहा है। 'कर्मचारियों का सुआवज़ा (पैसों का स्थानान्तरण) नियम, १९३५,' कर्मचारियों का सुआवज़ा (पैसों का स्थानान्तरण, अर्मा), नियम, १९३८ तथा मजदूरी अदायगी कानून, १९३६ को जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरे भारत में लागू किया गया। दुकानों तथा व्यापार गृहों के कर्मचारियों के काम तथा नौकरी की दशाओं को नियमबद्ध करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाए जाने के सवाल पर विचार हो रहा है।

श्रम कल्याण

सन् १९५२-५३ में 'कोयला खान श्रम कल्याण फण्ड' के अन्तर्गत ७०,१८,३०० रुपये की व्यवस्था 'सार्वजनिक कल्याण' खाते में और १९,८१,७०० रुपये की मकानों के लिए की गई।

पैड़ा रोड सैनेटोरियम में ४ पल्लंग और नौगांव के टी० बी० सैनेटोरियम में ५ पल्लंग केवल कोयला खान मजदूरों की चिकित्सा के लिए अलग रखे जाने की मंजूरी दी गई। चांदा के सरकारी अस्पताल के साथ ६७,००० रुपये की लागत से १० कमरों का एक प्रसूतिका भवन तैयार करने की भी स्वीकृति दी गई। नवरोज़ाबाद के अस्पताल में एक एकस-रे मशीन लगाई गई और राजस्थान की कोयला खानों के लिए एक लेडी डाक्टर नियुक्त की गई। करनपुरा-रामगढ़ की कोयला-खानों के लिए एक एम्ब्युलेंस गाड़ी मंगाई गई।

बिहार तथा बंगाल की कोयला-खानों में मलेरिया की रोक-थाम के कामों पर प्रति वर्ष ७ लाख रुपये खर्च किए जाने के अतिरिक्त हैदराबाद की कोयला-खानों में इस कार्य को चालू रखने के लिए लगभग ३२,००० रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई। भरिया और आसनसोल खानों के स्वास्थ्य बोर्ड को प्रसूतिका और शिशु कल्याण केन्द्रों के संचालन के लिए ५०,००० रुपये की सहायता दी गई।

स्त्रियों तथा शिशुओं के कल्याण के लिए मंजूर किए गए केन्द्रों में से सात केन्द्र हैदराबाद की कोयला-खानों के लिए और एक आसाम की खासी-जयंतिया पहाड़ियों के लिए था। यह भी तय किया गया कि अपांग खान-मजदूरों के लिए धनबाद के केन्द्रीय अस्पताल में एक पुनर्वास-केन्द्र खोला जाए।

विन्ध्य प्रदेश का कोयला-खानों की तीन विविध-उद्देश्य-युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त, कोयला वाले क्षेत्रों में शिक्षा, मनोरंजन तथा अन्य कल्याण कार्यों के लिए सात बहुद्देशीय केन्द्र खोले जाने की मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त हैदराबाद की कोयला-खानों में मनोरंजन कार्यों की व्यवस्था

की स्वीकृति दी गई। इसी के अन्तर्गत फिल्मों का प्रदर्शन और खेलकूद की स्कीमों का चालू रखना भी आता है। इसके अतिरिक्त पंच घाटी कोयलाखानों के लिए लाउड-स्पीकर युक्त तीन रीटयो नेट मंजूर किए गए। करणपुर-रामगढ़ कोयला क्षेत्र के लिए एक चलते फिरते सिनेमा दल की और राजस्थान के कोयला-क्षेत्र में बच्चों के एक पार्क की व्यवस्था की गई।

इसके अलावा कोयला-खान क्षेत्रों में बालिश-शिक्षा-कार्य का उन्नत करने के लिए कदम उठाए गए। लड़कियों केन्द्र खोले जाते हैं। ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या ३० है। पंच घाटी, चांदा और मध्य-प्रदेश के कोयला क्षेत्रों में वर्तमान समाज शिक्षा स्कीम इस वर्ष भी चालू रही। मालिकों द्वारा सुईया की गई मकान, सफाई, पीने के पानी, चिकित्सा तथा मनोरंजन की सुविधाओं को उन्नत करने की दृष्टि से कोयला-खान श्रम कल्याण फंड के निरीक्षण-अधिकारी (Inspector) नियमित रूप से कोयला-खानों का निरीक्षण करते रहे।

शिशु-गृहों और प्रवेश-द्वार स्नानागारों के लिए बनाई गई कागज धारा सन् १९५२-५३ में पूरे तौर से लागू की गई। शिशु-गृहों की देख-रेख करने वालियों की ट्रेनिंग के साथी कार्यक्रम पर व्यय करने के लिए १२,००० रुपये मंजूर किए गए।

कोयला-खान प्राविडेंट फंड तथा धोनास स्कीम अधिकतर लोकप्रिय होती गई। दिसम्बर सन् १९५२ तक लगभग ६ लाख व्यक्ति इस फंड के सदस्य हुए और मालिकों तथा कर्मचारियों ने इस में ३ करोड़ रुपये जमा किए। ६,७१२ कोयला-खान मजदूरों को उनके प्राविडेंट फंड में से ४,५२,६३६ रुपये अदा किए गए।

अन्नक-खान श्रम कल्याण फंड के बजट में बिहार के लिए ७,७५,००० रुपये, मद्रास के लिए ४ लाख रुपये, राजस्थान के लिए १,३७,००० रुपये और अजमेर के लिए २,००० रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई।

बिहार में धाब स्थित अन्नक-खान क्षेत्र में, एक प्रसूतिका तथा शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण के लिए ३४,००० रुपये और एक एक्सर-

यंत्र खरीदने के लिए ३०,००० रुपये मंजूर किए गए । साथ ही मद्रास प्रादेशिक कल्याण फंड के नेलोर स्थित टी० बी० अस्पताल में, केवल अभ्रक-खान मज़दूरों तथा उनके परिवारों की चिकित्सार्थ ८ पल्लों वाला एक वार्ड बनाने के लिए १५,००० रुपये की स्वीकृति दी गई । मद्रास के अभ्रक-खान क्षेत्रों में मलेरिया से बचाव के प्रबन्ध-कार्य जारी रखने के लिए १५,००० रुपये व्यय किए गए ।

इस के अतिरिक्त मद्रास के अभ्रक-खान मज़दूरों के बच्चों को, योग्यता के आधार पर माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा पाने के लिए छात्र-वृत्तियाँ दी गईं । इन छात्रवृत्तियों के लिए २,००० रुपये मंजूर किए गए । खान-मज़दूरों के बच्चों को पुस्तकें तथा स्लेटें भी मुफ्त दी गईं ।

औद्योगिक स्वास्थ्य एकक के डा० हीमैन तथा डा० सेम्पूएल योस्कोविट्ज़ ने अभ्रक-खान कर्मचारियों के स्वास्थ्य-संकटों की ब्यौरेवार पड़ताल की ।

बगान श्रम कानून के अन्तर्गत, कर्मचारियों को मकान तथा चिकित्सा की सुविधाएँ हस्तगत हों, इसकी सीधी जिम्मेदारी मालिकों पर पड़ती है । यद्यपि इस कानून की धाराएँ अभी लागू नहीं की गई हैं, तथापि बहुत से मालिक अपने मज़दूरों को ये सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं । सरकार उन्हें भवन निर्माण का सामान जैसे लोहा, इस्पात तथा सीमेंट आदि प्राप्त करने में सहायता देती है ।

बगान मज़दूरों को ऐसे छोटे धंधों की ट्रेनिंग देने के लिए, जिनके द्वारा वे अपने फालतू समय में लाभप्रद धंधा चला कर अपनी आय में वृद्धि करने के योग्य हो जाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के साथ किए गए एक करार के अन्तर्गत एक जापानी विशेषज्ञ का आमंत्रित किया गया है ।

चाय के बाजार में मंदी के कारण वर्ष के अन्तिम भाग में कुछ चाय के बगीचे बन्द हो गए थे । इसके कारण कई एक क्षेत्रों में बेरोज़गारी फैल गई । इस बेरोज़गारी से प्रभावित बहुत से मज़दूरों को रोज़गार देकर उनके कष्ट दूर करने के लिए जो कुछ राज्य सरकारों से बन पड़ा, किया गया । मई सन् १९५२ में केन्द्रीय सरकार ने भी इस उद्योग की दशा की जाँच तथा

सहायता के उपायों के सुभाव देने के लिए, एक सरकारी टीम को नियुक्त किया। इस टीम ने और सुभावों के साथ-साथ यह भी सुभाव दिया कि एक तो मज़दूरों को दी जाने वाली अनाज की रियायतों को नकदों में बदला जाए और दूसरे बगान मज़दूर कानून को दो साल तक लागू न किया जाए। चाय बगानों के बन्द किए जाने के विषय पर तथा सरकारी टीम के सुभावों पर विचार करने के लिये बगान औद्योगिक कमिटी की एक मीटिंग दि.सम्बर सन् १९५२ में कलकत्ता में हुई। इस कमिटी ने इस उद्योग के स्वर्न सम्बन्धी हॉन्स को जीवित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का सुभाव रखा है। इसके साथ ही इस उद्योग की मीजूद कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

सन् १९४८ के 'गोदी कल्याण (कार्य नियमन) कानून' के उद्देश्यों का पूर्ति के लिए, मद्रास के बन्दरगाह के लिए सन् १९५२ में 'मद्रास गोदी कल्याण (कार्य नियमन) स्कीम' नामक एक योजना तैयार की गई है। इस योजना का विस्तार अभी जहाज़ों से माल उतारने और लादने वाले मज़दूरों के कुल ही वर्गों तक सीमित है, और इसमें मज़दूरों तथा मालिकों के रजिस्ट्रर किए जाने की व्यवस्था के साथ न्यूनतम निश्चित मज़दूरी दिए जाने तथा समय समय पर काम पर लगाए जाने वाले मज़दूरों के लिए उपस्थिति भत्ते और निराशा-धन की भी व्यवस्था है। इस योजना के प्रबन्ध के लिए एक गोदी कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है। कलकत्ता गोदी मज़दूरों को सन् १९५१ की (कार्य-नियमन) स्कीम के प्रबन्ध के लिए भी इसी तरह के एक बोर्ड की स्थापना की गई है।

सन् १९४८ का न्यूनतम मज़दूरी कानून लागू करने की दृष्टि से कुर्ग के बगान मज़दूरों तथा अजमेर और विन्ध्य प्रदेश के औद्योगिक मज़दूरों के पारिवारिक बजट के सम्बन्ध में पूछताछ पूरी की गई है।

इस वर्ष भी पहले की तरह औद्योगिक मज़दूरों ने गणराज्य दिवस, मई दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस मनाया। केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए गणराज्य दिवस की वेतन-सहित छुट्टी मंजूर की गई और गैर-सरकारी मालिकों को भी यही नीति अपनाने के लिए कहा गया। मई

दिवस के बारे में यह सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में यह दिवस उसी दशा में वेतन-सहित छुट्टी माना जाए जबकि मजदूर किसी अन्य वेतन-सहित छुट्टी के दिन काम पर आ जाने के लिए राजी हों । गैर-सरकारी तथा सार्वजनिक उद्योगों को भी यही नीति अपनाने के लिए कहा गया । गैर-सरकारी उद्योगों में दी जाने वाली वेतन-सहित राष्ट्रीय तथा त्यौहारों की छुट्टियों को एक स्तर पर लाने के लिए एक सुझाव विचाराधीन है ।

सन् १९५२-५३ में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के थोड़े समय के समाज-सेवा कोर्स में, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ३० श्रम अधिकारियों (लेबर आफिसरों) को ट्रेनिंग दी गई । सन् १९५३-५४ में ३० और उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए भेजने का विचार है ।

राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई कि वे केन्द्र द्वारा संचालित उद्योगों के लिए एक श्रम कल्याण फंड योजना चलाएँ और साथ ही अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में मालिकों द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों तथा संस्थाओं में इसी प्रकार का स्वेच्छा फंड स्थापित करवाएँ ।

१९ दिसम्बर सन् १९५२ को केन्द्रीय श्रम अधिकारियों की एक मिलीजुली सूची तैयार की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार के उद्योगों के १०० पद आ गए और इसी दिन से ऐसे उद्योगों में काम करने वाले श्रम अधिकारियों का प्रबन्ध-अधिकार श्रम सचिवालय को सौंप दिया गया । सन् १९५१ के 'श्रम अधिकारियों (केन्द्रीय समूह) की भर्ती तथा नौकरी के नियम' कानून को जल्दी ही लागू करने के लिए प्रारम्भिक परिभाषा शीघ्रता से तैयार की जा रही है ।

मजदूरों के लिए मकान

रेलवे कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सन् १९५१-५२ में जिन ५३६ मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी उनमें से ४०० पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं । ये आम किस्म के दो कमरों वाले मकान हैं और उनमें एक सामूहिक टट्टी, बाहरी नल, बिजली युक्त सड़कें तथा गन्दे पानी के निकास की नालियों की सुविधाएँ हैं । इसके अलावा १२० मकान बन कर तैयार हो चुके हैं और सहायता देने की योजना के अन्तर्गत कोयला-क्षेत्रों में ५४० और

मकान तैयार हो रहे हैं। मकान बनाने की रफ्तार को तीव्रता देने के लिए, उन प्रार्थनावचनों पर जो १ दिसम्बर सन् १९५२ तक प्राप्त हो चुके हैं, सहायता की मात्रा बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दी गई है, पर इस तरह मिलने वाली सहायता की सीमा ७५० रुपये कर दी गई है। बिहार और मद्रास के अभ्रक-क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह की एक सहायता योजना विचारार्थीन है।

औद्योगिक सम्बन्ध

इस वर्ष मालिक-मजदूर सम्बन्ध धीरे-धीरे उन्नत हुए। इसके फलस्वरूप सन् १९५०-५१ में होने वाली ३४,९४,११९-मनुष्य-दिवसों की हानि घट कर सन् १९५१-५२ में ३४,५६,८७१ रह गई। इसी प्रकार श्रम-संघर्षों की संख्या, जो १९५०-५१ में १,००१ थी, कम होकर सन् १९५१-५२ में ६८० हो गई।

इस वर्ष श्रम अपील अदालत की एक तीसरी बेंच ने लखनऊ में काम शुरू किया। 'अखिल भारतीय श्रम अदालत (बैंकों के भ्रमण)' ने अपने कार्य का विशेष भाग स्वतन्त्र किया। आशा है कि यह अदालत शीघ्र ही अपना फौसला देगा।

श्रम सम्बन्धी तथा मजदूर संस्थाओं के लिए नए कानून का रूप देखा हो, इस बारे में आम राय प्राप्त करने के लिए, इस वर्ष एक प्रस्तावली जारी की गई। प्राप्त उत्तरों पर अक्टूबर सन् १९५२ में, एक 'विदलीय श्रम कानूनों' ने नैनीताल में विचार किया और उसके बाद इसकी एक उप-समिति में उन पर विचार किया गया। इसके सदस्य मजदूरों तथा मालिकों के केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि थे। फरवरी सन् १९५३ में, राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों की कानूनों में भी इस पर विचार किया गया। इन विचार विमर्शों के आधार पर बनाए गए एक कानूनी मसविदे को जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा।

खेतिहर मजदूरों की पड़ताल

इस वर्ष जगह-जगह जाकर खेतिहर मजदूरों की पड़ताल का काम पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश के खालिसपुर गांव में की गई प्रारम्भिक खेतिहर श्रम पड़ताल की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई।

खेतिहर श्रम सम्बन्धी खास पड़ताल की रिपोर्ट का पहला खंड 'एग्रीकल्चरल वेजिज़ इन इंडिया (भारत में खेतिहर श्रम मज़दूरी)' प्रथम भाग' नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है और इसका दूसरा भाग भी छप रहा है। पड़ताल के दूसरे खंड की रिपोर्ट भी रूरल मैनपावर एन्ड आक्य-पेशनल स्ट्रक्चर' (देहाती जनशक्ति तथा व्यावसायिक ढांचा) के नाम से प्रकाशित हो रही है। तीसरे खंड के ब्यौरे और आँकड़ों का विश्लेषण हो रहा है।

खेतिहर मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी

बिहार के पटना ज़िले में खेतिहर मज़दूरों की मज़दूरी की न्यूनतम दरें निश्चित की गईं, और अब वहाँ की राज्य सरकार गया तथा शाहाबाद ज़िलों में पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुजतानपुर, प्रतापगढ़, बांदा, वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया तथा जालौन ज़िलों में ५० एकड़ या इससे अधिक के संगठित फार्मों में मज़दूरी करने वालों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दरें निश्चित कर दी हैं। पंजाब, अजमेर, विलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और पेसू की सरकारों ने सारे राज्य के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दर निश्चित की है। विन्ध्य प्रदेश में सीधी ज़िले के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दर निश्चित की गई है।

सन् १९४८ के न्यूनतम मज़दूरी कानून के अन्तर्गत उड़ीसा, मद्रास तथा राजस्थान की सरकारों ने न्यूनतम मज़दूरी की दर निश्चित करने के लिए कानून के मसविदों की सूचनाएँ जारी की हैं। उड़ीसा की सरकार अपने राज्य के कम मज़दूरी वाले क्षेत्रों के विषय में आँकड़े आदि एकत्र कर रही है। इसके अतिरिक्त इसी कानून के अन्तर्गत बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पेसू, अजमेर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, आसाम, मध्य भारत, हैदराबाद तथा मैसूर की सरकारों ने सलाहकार कमेटियाँ और बिहार, मद्रास, राजस्थान, त्रान्कोर-कोचीन, विलासपुर तथा कुर्ग में सलाहकार बोर्ड नियुक्त किए हैं।

श्रम-कानूनों

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों में योग देती रही। इस वर्ष इस संस्था की महत्वपूर्ण मीटिंग इसकी ३५ वीं सभा थी, जो कि जून सन्

१९५२ में जिनेवा में हुई। जिन विषयों पर इसमें विचार हुआ उन में से कुछ हैं: खेतिहर मजदूरों के लिये वेतन सहित क्युटियाँ, सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम स्तर, सरकारी कर्मचारियों, मालिकों तथा मजदूर-संस्थाओं का आपसी सहयोग, सन् १९१९ के प्रसूति संरक्षण कन्वेंशन का सुधार, राजगार के स्थानों में मजदूरों के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा कोयला-खानों के गर्भ में काम करने के लिए युवक मजदूरों के काम का नियमन। स्वीकृत कन्वेंशनों तथा सिफारिशों की संख्या क्रमशः १०३ और ६५ है। भारत ने अब तक कुल २० कन्वेंशनों का समर्थन किया है। इतने कन्वेंशनों का एशिया के किसी भी अन्य देश ने समर्थन नहीं किया।

निम्नलिखित बैठकों में या तो भारत के प्रतिनिधि मंडलों या विशेषज्ञों ने भाग लिया:— (क) अप्रैल-मई सन् १९५२ में जिनेवा में धातु व्यवसाय की औद्योगिक कमेटी का चौथा अधिवेशन, (ख) मई सन् १९५२ में जिनेवा में लोहा और इस्पात की औद्योगिक कमेटी का चौथा अधिवेशन, (ग) सितम्बर १९५२ में रसायनों की औद्योगिक कमेटी की तीसरी बैठक, (घ) नवम्बर सन् १९५२ में जिनेवा में एशियाई सलाहकार कमेटी की चौथी बैठक, (च) दिसम्बर सन् १९५२ में कैंडी, लंका में एशियाई बाल-मजदूरों के व्यावसायिक ट्रेनिंग काल में संरक्षण सम्बन्धी टेकनिकल मीटिंग, (छ) जिनेवा में फरवरी सन् १९५३ में सूती कपड़ा उद्योग की औद्योगिक कमेटी की चौथी बैठक, और (ज) जिनेवा में दिसम्बर सन् १९५२ में खानों, मुरगों और पत्थर की खानों में धूल की रोक-थाम पर विशेषज्ञों की बैठक।

इसके अलावा भारत में भी कई एक विषयों पर कान्फ्रेंसें हुईं, जैसे (१) नई दिल्ली में अप्रैल सन् १९५२ में कोयला-खानों से कोयला निकालने के लिए औद्योगिक कमेटी की चौथी बैठक, (२) उद्योग तथा श्रम के संयुक्त सलाहकार बोर्ड की चौथी बैठक, नई दिल्ली, जून १९५२, (३) भारतीय

* भारत द्वारा समर्थित कन्वेंशनों में से बेरोजगारी विषयक नं० २ कन्वेंशन बाद में दोषपूर्ण समझा गया। कन्वेंशन नं० ४, जिसका विषय स्त्रियों के रात में मजदूरों करने के बारे में था, भारत में लागू नहीं है क्योंकि भारत ने इसके संशोधित रूप नं० ८९ का समर्थन किया है।

श्रम कान्फ्रेंस का १२ वाँ अधिवेशन, नैनीताल, अक्टूबर, १९५२, (४) बगान औद्योगिक कमेटी की चौथी बैठक, कलकत्ता, दिसम्बर सन् १९५२, (५) श्रम मंत्रियों की १० वीं कान्फ्रेंस, नई दिल्ली, फरवरी १९५३ और (३) शिलांग में फरवरी १९५३ में (दक्षिण भारतीय सदस्यों को छोड़ कर) स्थायी बगान कमेटी के सदस्यों की एक विशेष सभा ।

टेकनिकल सहायता

संयुक्तराष्ट्र संघ और विशेष संगठनों के व्यापक टेकनिकल सहयोग प्रोग्राम के अन्तर्गत विशेषज्ञों की सेवाओं तथा ट्रेनिंग की सुविधाओं के रूप में टेकनिकल सहायता पाने के लिये, अप्रैल सन् १९५१ में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ एक करार किया । इसके फलस्वरूप इस संस्था ने भारत को उत्पादन बढ़ाने, बगान मज़दूरों को धन्धों की ट्रेनिंग देने तथा सामाजिक संरक्षण के कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान कीं ।

इसके अलावा अमेरिका के चतुर्थ लक्ष्यीय प्रोग्राम के अन्तर्गत १० भारतीय अफसरों को विदेश में ट्रेनिंग पाने की सुविधाएँ प्राप्त हुईं । आशा है कि ३ और अफसरों के लिये भी जल्दी ही ट्रेनिंग की सुविधा प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त कामनवेल्थ टेकनिकल सहयोग योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में १२ उम्मीदवारों के लिये ट्रेनिंग की सुविधाओं की प्राप्ति के साथ ही ३ अफसरों को 'संयुक्त राष्ट्रीय कल्याण फेलोशिप' तथा वज़ीफा प्रोग्राम के और ६ अफसरों को अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत सुविधाएँ प्रदान की गईं । ८ और अफसरों के लिये कॉलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ट्रेनिंग की सुविधाएँ प्राप्त हुईं । और भी ५ अफसरों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय रोज़ी-रोज़गार सेवाओं, काम सीखने की ट्रेनिंग तथा व्यावसायिक ट्रेनिंग दिलाने वाली संस्थाओं में भाग लेने के लिये भेजा गया ।

खानों का निरीक्षण

सन् १९५२-५३ में खान विभाग ने, जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़कर, सारे भारत के लिये सन् १९५२ के नये खान कानून के प्रबन्ध का भार सँभाला ।

मैसूर में, जहां कुछ अत्यन्त गहरी खानों में काम होता है, कई बार चट्टानें फट गईं। अतः चट्टानों के फट जाने से बचाने के उपाय सिन्वाने के लिये कनाडा से दो विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की गईं। अप्रैल और जून सन् १९५२ में हुए दो विस्फोटों की पड़ताल करने के लिये सरकार ने सन् १९५२ के खान-कानून के अन्तर्गत एक पड़ताल अदालत भी स्थापित की।

वर्ष के अन्तिम भाग में जो विभिन्न कदम उठाए गए उनके फलस्वरूप हैदराबाद की खानों में बढ़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं में विशेष कमी हो गई।

इस बात का ध्यान रख कर कि ओपन-कास्ट खानों (युएँ की तरह की खानों) में काम करने वाली लगभग ५०,००० स्त्रियों बेरोज़गार न हो जायें, इन खानों को सन् १९५२ के खान कानून के अन्तर्गत ६ बजे सुबह से ७ बजे शाम तक स्त्रियों को काम पर लगाए जाने वाले निषेध से मुक्त रखा गया। अन्य समय में स्त्रियों के भूतल पर या ओपन-कास्ट खानों के अन्दर हर समय के काम पर निषेध ज्यों का त्यों लागू रहा।

सरकार ने खानों के लिये स्वास्थ्य सम्बन्धी निरीक्षण का प्रबन्ध करने के सुझाव को स्वीकार किया। इसका प्रारम्भ, खानों के लिये एक डिप्युटी चीफ इंस्पेक्टर (चिकित्सा) नियुक्त करके किया जा रहा है। साथ ही इस डिप्युटी चीफ इंस्पेक्टर आफ माइन्ज़ को संयुक्त राष्ट्रीय संस्था फेनोशिप के अन्तर्गत विदेशों में खानों में काम के तरीकों तथा व्यवहार की ट्रेनिंग दी गई।

श्रम तथा टेकनिकल हितों को काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस बात को नज़र में रख कर, बिहार की कोयला खानों को छोड़ कर अन्य खानों के लिये खान-बोर्ड फिर से स्थापित किया गया।

अभ्रक-खान श्रम कल्याण फण्ड के अन्तर्गत राजस्थान और अजमेर में भी बिहार और मद्रास जैसी सलाहकार कमेटियाँ स्थापित की गईं। ये कमेटियाँ इन राज्यों की अभ्रक-खानों के मज़दूरों के हितार्थ कल्याण-कार्य करेंगी।

कोयला-खानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के प्रश्न की पड़ताल करने के लिये 'कोयला-खान श्रम कल्याण फण्ड परामर्श कमेटी' की एक उपसमिति नियुक्त की गई।

फैक्ट्रियों का निरीक्षण

सन् १९५१ में शुरू की गई औद्योगिक श्रम स्वास्थ्य सम्बन्धी पड़ताल अब भी जारी है। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक 'इंडस्ट्रियल हाइजीन यूनिट' (औद्योगिक स्वास्थ्य एकक) की सहायता प्राप्त है।

इस औद्योगिक स्वास्थ्य एकक के चिकित्सा विशेषज्ञ डा० हीमैन की सहायता से 'ओक्यूपेशनल डिज़ीज़ेज़—ए गाइड टू रिकागनीशन एन्ड नोटिफिकेशन' नामक एक पुस्तिका तैयार कर ली गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उत्पादन संबंधी एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें चार विशेषज्ञ हैं, भारत में आया हुआ है। इस प्रतिनिधि मंडल का काम यह दिखाना है कि किस तरह काम करने तथा कारखाना-प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों पर अमल करने के फलस्वरूप मज़दूरी का एक उचित तरीका शुरू करके भारत के सूती कारखानों तथा इंजीनियरिंग उद्योगों की माल तैयार करने की शक्ति तथा मज़दूरी को बढ़ाया जा सकता है। इस समय बम्बई तथा अहमदाबाद के सूती कपड़ा तैयार करने वाले कुछ चुने हुए कारखानों तथा कलकत्ता के इंजीनियरिंग उद्योगों में काम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

पुनर्वास तथा रोज़गार संस्था

इस वर्ष उद्योगों के अन्दर ही ट्रेनिंग देने की योजना के लिए सरकार ने १ लाख रुपये की व्यवस्था की। इस वर्ष केन्द्रीय रोज़गार सलाहकार कमेटी का पुनर्गठन हुआ। इस कमेटी का कार्य डाइरेक्टर जनरल को रोज़गार तथा ट्रेनिंग की प्रत्येक बात में मश्वरा देना है। पुनर्वास तथा रोज़गार संस्था के भविष्य के बारे में पूछ-ताछ करने के लिए मालिकों, मज़दूरों, राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी नियुक्त की गई।

एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज

सन् १९५२ में भोपाल, ग्वालियर, मंडी, उटकमंड और श्रीरामपुर में ५ और एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज (काम दिलाने केन्द्र) खोले गए जिससे अब इनकी कुल संख्या १३१ हो गई है।

केन्द्रीय सरकार के ज्यादा स्टाफ के काम पर से हटाए गए पहले ग्रेड के और दूसरे ग्रेड के गजेटेड आफसरों तथा कमीशंड आफसरों को फिर से रोजगार पाने में सहायता दी गई। सन् १९५२ में ऐसे १६० आफसरों को रोजगार दिलाया गया। इस वर्ष ३३ और आफसरों को रोजगार दिलाया गया। विशेष उद्देश्य के लिए रखे गये खाते (स्पेशल रजिस्टर) पर दिसंबर सन् १९५२ में ३०७ नाम थे।

सन् १९५२ में १४,७६,६६६ नाम रजिस्टर हुए और ३,५७,८२८ को काम दिलाया गया। इसकी तुलना में सन् १९५१ में १३,७५,३५१ नाम रजिस्टर हुए थे और ४,१६,८५८ को काम दिलाया गया था। खाली स्थान, जिनकी सूचना सन् १९५१ में एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजों को मिली थी, ४,८६,५३४ थे, पर सन् १९५२ में इनकी संख्या घटकर ४,२६,५५१ हो गई। इसमें ५४.२ प्रतिशत स्थान ऐसे थे जिनकी सूचना गैर-सरकारी संस्थाओं की ओर से प्राप्त हुई थी। सन् १९५२ में प्रति मास औसतन ७७,७५० प्रार्थी चुनाव के लिए भेजे गए और ६,०२३ मालिकों ने एक्सचेंज की सेवाएँ प्राप्त की। अबतक सन् १९५२ के अत तक रोजगार पाने के लिए सहायता चाहने वालों में १,२६,४६८ मैट्रिक्यूलेशन या उससे अधिक शिक्षा पाए हुए थे। ये लोग चालू रजिस्ट्रों में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या का ३०.६ प्रतिशत थे। इनमें से ६६,३५८ मैट्रिक, १४,०८५ एफ० ए० पास और १६,०५५ ग्रेजुएट थे। दिसंबर सन् १९५२ के अन्त तक एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजों द्वारा ४,३७,५७१ व्यक्तियों ने काम की तलाश की।

साथ ही १७,०८८ विस्थापितों को एक्सचेंज द्वारा नौकरी दिलाई गई जिससे देश के बँटवारे के बाद, अब तक काम पर लगाए गए लोगों की कुल संख्या २,१६,७६७ हो गई। इसके अतिरिक्त काम पर से हटाए गए ८,५६६ सरकारी नौकरों को फिर से काम पर लगवाया गया, जिनमें से ६,२०४ केन्द्रीय और २,३६२ राज्य सरकारों के पहले कर्मचारी थे।

इस वर्ष अनुसूचित जातियों के ४६,०४४ प्रार्थियों को रोजगार दिलाया गया।

कानपुर और ब्यावर (अजमेर) में एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजों द्वारा सुती कपड़ा उद्योग के मज़दूरों को समय-समय पर फुटकर मज़दूरी मिलने की

सुविधा में सुनार की जिस स्कीम पर अमल किया गया था वह इस वर्ष भी चालू रही। विशाखापट्टनम् बन्दरगाह में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने एक तृतीय श्रम समूहीकरण स्कीम बनाई।

सन् १९५२ में रेल विभाग ने एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों को ३६,१७४ रिक्त स्थानों की सूचना दी, जिनमें से ३१,७४३ उनके द्वारा भरे गए। एम्प्लायमेंट अफसरों और सम्पर्क अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए डाइरेक्टरेट जनरल आफ रीसेटिलमेंट एंड एम्प्लायमेंट ने एक स्टाफ ट्रेनिंग कोर्स भी जारी किया। १९ एम्प्लायमेंट अफसरों और तीन सम्पर्क अफसरों को प्राथमिक ट्रेनिंग दी गई। इस कोर्स में कार्य चलाने के ढंग, दफ्तर के संगठन तथा प्रबन्ध के विषयों की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा श्रम के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा भाषणों का भी प्रबन्ध किया गया।

एक्सचेंजों से दूर के इलाकों में भी रोजगार दिलाने की सेवाएँ प्राप्त हो सकें इसलिए ३० एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों की चलती-फिरती टुकड़ियों ने अपना कार्य चालू रखा। सन् १९५२ में प्रति मास लगभग ६,३७० व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

ऐसे रिक्त स्थानों की, जिनके लिए कोई स्थानीय प्रार्थी न था, सूचना के प्रसार से, और साथ ही उन प्रार्थियों की संख्या तथा योग्यता की सूचना देने से, जो कि घर से बाहर जाने के इच्छुक थे, एक्सचेंजों ने रोजगार ढूँढने वालों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति को उन्नत करने की चेष्टा की। इसके फलस्वरूप प्रति मास औसतन् ४०२ प्रार्थियों को अपने जिले से बाहर रोजगार दिलाया गया। प्रार्थियों को अपने घर से दूर के क्षेत्रों में नौकरी मिलने में सहायता पहुँचाने के लिए एक गश्ती श्रम स्थान सूची द्वारा प्रति मास लगभग २,८०० व्यक्तियों का ब्यौरा एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों को भेजा गया।

ट्रेनिंग की योजना

सन् १९५२ में लुधियाना, लखनऊ, आगरा और जादवपुर की चार ट्रेनिंग संस्थाएँ बन्द करके इलाहाबाद, नाभा तथा कलकत्ता में तीन नई संस्थाएँ स्थापित की गईं। दिसम्बर १९५२ के अंत में चालू ट्रेनिंग संस्थाओं की कुल

संख्या ६२ थी। इनमें से चार केवल स्त्रियों के लिए थीं जिनमें एक नई दिल्ली में, दूसरी देहरादून में और दो मद्रास में थीं। इनमें से ३२ में टेकनिकल और २६ में व्यावसायिक धंधों की ट्रेनिंग दी जाती थी।

सन् १९५० में चालू की गई 'प्रौढ़ नागरिक ट्रेनिंग स्कीम' के अन्तर्गत ६,५०० स्थान टेकनिकल और व्यावसायिक धंधों की ट्रेनिंग के लिये प्राप्त हुए, जिनमें टेकनिकल (इंजीनियरिंग तथा निर्माण) व्यवसाय के लिये ७,५०० और घरेलू उपयोग धंधा व्यवसाय के लिये २,००० थे।

इसके अलावा डाइरेक्टर जनरल आफ रिसेटिलमेंट ऐण्ड एम्प्लायमेंट के द्वारा चलाए गए ट्रेनिंग केंद्रों में, पुनर्वास मन्त्रालय के एक विशेष प्रबन्ध के अन्तर्गत ३,६७० विस्थापितों के लिये ट्रेनिंग की सुविधा प्राप्त हुई। इन में से ६०० विस्थापितों को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में उम्मीदवारी की ट्रेनिंग दी गई। इस वर्ष डाइरेक्टर जनरल आफ रिसेटिलमेंट एण्ड एम्प्लायमेंट द्वारा पश्चिमी बंगाल में चलाई गई ट्रेनिंग संस्थाओं में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों की ट्रेनिंग के लिये पुनर्वास मन्त्रालय ने ५०० सीटें मंजूर कीं। दिसम्बर १९५२ के अन्त तक ट्रेनिंग के लिये मंजूर की गई सीटों की संख्या १३,०४० थी।

दिसम्बर सन् १९५२ के अन्त में, प्रौढ़ नागरिक ट्रेनिंग योजना के अन्तर्गत ६,१६२ व्यक्ति टेकनिकल ट्रेनिंग और १,८०७ व्यक्ति व्यावसायिक ट्रेनिंग पा रहे थे। इनमें ४२६ स्त्रियां थीं। इसके अलावा २,४३३ विस्थापितों (२,०२४ को टेकनिकल और ४०९ को व्यावसायिक) को भी विस्थापितों की ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत ट्रेनिंग दी गई। ६६५ और भी विस्थापितों को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की २०६ औद्योगिक संस्थाओं में ऐपेंटिमेंटशिप ट्रेनिंग दी गई। दिसम्बर सन् १९५२ के अन्त में ट्रेनिंग पाने वालों की कुल संख्या ११,१२७ थी।

टेकनिकल व्यवसायों की ट्रेनिंग पाने वालों की पहली टुकड़ी की परीक्षा जनवरी सन् १९५२ में ली गई और व्यावसायिक ट्रेनिंग पाने वाली दूसरी टुकड़ी की परीक्षा जुलाई सन् १९५२ में ली गई। इस वर्ष

८,५०३ प्रशिक्षार्थियों ने व्यवसाय संबन्धी परीक्षा (ट्रेड टेस्ट) पास किये जिनमें से ६,९५५ टेकनिकल और १,५४८ व्यावसायिक थे ।

उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में नवम्बर १९५० में विस्थापितों के लिये जो ऐप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की स्कीम शुरू की गई थी, उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ३४३ और पश्चिमी बंगाल में ४६३ विस्थापितों ने ट्रेनिंग खत्म की । दिसम्बर सन् १९५२ के अन्त में ६६५ विस्थापित ऐप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पा रहे थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश में ३७५ और पश्चिमी बंगाल में ३२० थे ।

कोनी-विलासपुर में, जो मध्य प्रदेश में है, ट्रेनिंग देने वालों तथा देखभाल करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग देनेवालों के लिए प्रशिक्षण संस्था का संगठन किया गया है । यह एशिया में अपने किस्म की एक ही संस्था है । इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी कारखानों के ट्रेनिंग देने वाले तथा देखभाल करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है । इस कोर्स में ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी दाखिला मिलता है जिनका किसी भी संगठन से सम्पर्क न हो । इस वर्ष २०७ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग ली, जिससे ट्रेनिंगशुदा लोगों की संख्या ८७४ हो गई । दिसम्बर सन् १९५२ के अन्त में ११८ ट्रेनिंग दिलाने वालों और देख-भाल करने वालों की दसवीं टुकड़ी ट्रेनिंग पा रही थी ।

सन् १९५१ में स्थापित की गई 'अखिल भारतीय ट्रेड्स सर्टीफिकेट्स इन्वेस्टिगेशन' कमेटी ने सरकार को १९५२-५३ में अपनी रिपोर्ट पेश की । इस कमेटी से एक ऐसी योजना तैयार करने को कहा गया था जिसके अनुसार एक ऐसे अखिल भारतीय ट्रेड्स सर्टीफिकेशन बोर्ड की स्थापना की जा सके, जो राष्ट्रीय आधार पर मापदंड कायम करे तथा इजीनियरिंग, भवन निर्माण और तत्सम्बन्धी अन्य व्यवसायों के लिये कारीगरों की परीक्षा लेकर उनकी योग्यता के प्रमाण-पत्र प्रदान करे ।

पुनर्वास

सन् १९५१ की अग्विल भारतीय जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की संख्या ७४,८० लाख थी, जिनमें से ४९,०५ लाख व्यक्ति तो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे तथा २५,७ लाख व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से। जनगणना के बाद, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बहुत अधिक संख्या में विस्थापित आए। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से देशभर होकर आए हुए व्यक्तियों की संख्या का अन्दाज लगभग ३१ लाख तक लगाया गया है।

गाँवों में फिर से बसाने का कार्य

पश्चिमी पाकिस्तान से बे-परवार होकर आए लोगों में ५० प्रतिशत व्यक्ति तो शहर के वासी हैं और ५० प्रतिशत गाँव के रहने वाले हैं। इस प्रकार २५ लाख लोगों को खेती-बाड़ी तथा नौकरियों में लगाकर बसाना था। पंजाब, पेशू, राजस्थान और दिल्ली में मुसलमान खेती योग्य काफी धरती खाली छोड़ गए थे। आसानी से प्राप्त होने वाली खेती के लायक बन सकने वाली वंजर भूमि भी खाली पड़ी थी। ऐसी सारी धरती को विस्थापित किसानों के बसाने के काम में लिया गया।

सरकार ने गाँव में फिर से बसाने के काम को करने के लिए तीन मांगें अपनाए, यथा ४,४६ लाख परिवारों को अर्ध-स्थायी रूप से बसाना, ०,३३ लाख परिवारों को किसानों के रूप में बसाना तथा ०,५५ लाख परिवारों के लिए अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए जिन विस्थापित परिवारों को जमीन देकर बसाया गया, उनका कुल संख्या ५,३४ लाख थी। भूमि देने के अलावा, योग्य व्यक्तियों को बैल, बीज, खेती के औजार आदि खरीदने के लिए पेशगी ऋण भी दिया गया। आम तौर पर प्रति परिवार ऋण की यह रकम लगभग १,१५०

रूपए मंजूर की गई थी। इस प्रकार सन् १९५२-५३ तक कुल मिलाकर ६.२८ करोड़ रुपया पेशगी ऋण के रूप में दिया गया। सन् १९५३-५४ के लिए २५ लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। इस लिए पश्चिमी पाकिस्तान से बेघरवार होकर आए हुए अधिकांश लोगों को तो अब बसा हुआ ही समझा जाना चाहिए।

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए जिन विस्थापित परिवारों को गाँवों की बस्तियों में ज़मीन देकर या खेती-बाड़ी के अन्य ग्रामीण धन्धों में लगा कर बसा दिया गया है, उनकी संख्या २.३ लाख है। लगभग २५ लाख परिवार सन् १९५३-५४ तक बस जाएंगे। सन् १९५२-५३ तक ७ ७४ करोड़ रुपया पेशगी ऋण के रूप में दिया गया। पश्चिमी बंगाल में प्रायः परिवार पीछे लगभग १,७०० रुपया पेशगी ऋण के रूप में मंजूर किया गया था और सन् १९५३-५४ के लिए २.५४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए कुल मिलाकर ७.६४ लाख परिवारों को फिर से बसाया गया, तथा उन्हें ऋण के रूप में १७.०२ करोड़ रुपया पेशगी दिया गया।

शहरों में फिर से बसाने का कार्य

व्यापक रूप से, शहरों में फिर से बसाने के कार्य की दो समस्याएँ थीं— विस्थापितों के रहने का प्रबन्ध करना और उनके लिए रोजगार जुटाना। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शहरी विस्थापितों के लिए ३.६ लाख मकानों की व्यवस्था की गई तथा २३.८० लाख व्यक्तियों के लिए रहने की सुविधाएँ जुटाई गईं। साथ ही निष्क्रान्त अर्थात् देश छोड़ कर गए व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई लगभग २७,००० दुकानें तथा २,००० जमे हुए कारोबार विस्थापितों के नाम किए गए। इसके अतिरिक्त ३१,००० नई दुकानें भी विविध शहरों में बनाई गईं।

इस के अलावा सरकार ने कई क्षेत्रों का विकास भी किया, और यह आशा की जाती है कि इससे अनेक विस्थापितों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। विस्थापित व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को भी कच्चे माल का कोटा देने,

माल बाहर भेजने और मँगाने का परमिट तथा माल-गाड़ियों की सुविधा प्राप्त करने में प्राथमिकता देकर मदद की गई ।

सन् १९५२-५३ तक पश्चिमी पाकिस्तान से बे-घरवार होकर आए लोगों के लिए मकान-योजना पर ४९'२६ करोड़ रुपया खर्च किया गया । सन् १९५३-५४ में ३०,००० और भी निवास स्थान बनाने की योजना विचाराधीन है, जिस के लिए ७'३० करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है । यह आशा की जाती है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की मकान समस्या अधिकांश रूप में सन् १९५३-५४ तक प्रायः हल हो जाएगी ।

जहाँ तक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सवाल है, सरकार ने उनके मकान बनाने के लिए धरती तथा साथ ही ऋण भी दिया है । दिसम्बर सन् १९५२ तक लगभग १'६० लाख मकान या तो बन चुके थे या बनाए जा रहे थे ।

कलकत्ते में तथा उसके आसपास बेघरवार लोगों की लगभग १३३ बस्तियाँ निजी भूमि पर बस गई हैं । यह तय हो गया है कि जहाँ पर भूमि कम दामों पर प्राप्त की जा सके, वहाँ अपने मूलतः धीरे-धीरे पर कब्जा कर लिया जाए और उसे बे-घरवार लोगों को दे दिया जाए, जो कि छोटी-छोटी क़िस्तों में उम की कीमत धीरे-धीरे चुका देंगे । सन् १९५२-५३ में, देशप्रियनगर, विजयनगर तथा शहीद जतीनदास इन स्थानों पर बेघरवार लोगों की तीन बस्तियाँ बनाने की एक मार्गदर्शिका योजना मंजूर की गई थी, जिस पर कि २८'४ लाख रुपया खर्च किया गया । इनके अलावा अलीपुर हवाई मैदान पर १'८६ करोड़ रुपया खर्च कर ४,००० मकान तथा एक निजी संस्था द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर १६'६ लाख रुपया खर्च कर ४३२ मकान बनाने की व्यवस्था की गई । इससे बेघरवार लोगों को, जिनका अधिकार उपयुक्त योजना के अनुसार बाकायदा प्रमाणित नहीं होता, रहने को मकान मिल सकेगा । इन योजनाओं के लिए, सन् १९५३-५४ में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

सन् १९५२-५३ के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए बेघरवार लोगों के लिए मकान-योजनाओं पर ११'१४ करोड़ रुपया खर्च हुआ ।

सन् १९५३-५४ में इस काम के लिए २.६८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

यह अनुमान किया जाता है कि सन् १९५२-५३ के अन्त तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में कुल मिलाकर मकान-योजना पर लगभग ६०.४० करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, अर्थात् पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए देघरवार लोगों पर ४६.२६ करोड़ रुपया तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों पर ११.१४ करोड़ रुपया खर्च होगा।

रोज़गार

तेरह राज्यों के काम दिलाऊ केन्द्रों में, दिसम्बर १९५२ तक, ६०५,४०० विस्थापितों के नाम दर्ज किए गए थे। इनमें से २००,००० लोगों को रोज़गार मिल गया। इनमें से लगभग ३४,००० व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आए थे।

केन्द्र तथा राज्यों की सरकारें इस बात के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील रहीं कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके। गृह-मंत्रालय ने एक ट्रान्सफर ब्यूरो की स्थापना की, ताकि उस के जरिए उपयुक्त कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त हो सकें। रेलवे विभाग में पंच-फैसले के कारण लगभग १५,००० जगहें खाली हुई थीं, जहाँ पर विस्थापितों की नियुक्ति हुई। विविध राज्यों में पुनर्वास-विभाग ने भी ग्राम तौर पर विस्थापित कर्मचारियों में से ही अपने विभाग के लिए कर्मचारी भरती किए। इन तरीकों से केन्द्र तथा राज्यों में ८०,००० से अधिक विस्थापितों को रूपा लिया गया।

हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से अत्यधिक संख्या में लोगों के भारत आने से पूर्वी भाग में काम दिलाऊ केन्द्रों का काम बहुत बढ़ गया। आजकल मंदी के कारण रोज़गार मिलने की संभावना भी बहुत हद तक कम हो गई है। इस के अतिरिक्त इन में से अधिकांश व्यक्ति गाँवों से आए हैं। इनमें से बहुत से लोग न तो पढ़े-लिखे हैं और न उन्हें शहरी धन्धों का कुछ अनुभव ही है, तो भी इस बात की चेष्टा बराबर की जा रही है कि उन्हें किसी उपयोगी धन्धे में लगा दिया जाए।

शिल्प और धन्धों की शिक्षा

शहरों से आये हुए असंख्य विस्थापितों को उत्पादन के कार्य में लगाने के विचार से, योजनाएँ बनाई गई थीं, ताकि उन्हें किसी ठीक ढंग के शिल्प

तथा धन्धों की ट्रेनिंग दी जाय और व्यवसाय में लगा दिया जाए । अब तक पश्चिमी पाकिस्तान में आए हुए लगभग ५७,००० विस्थापितों को ऐसे धन्धों की ट्रेनिंग मिल चुकी है और १२,००० व्यक्तियों को या तो ट्रेनिंग दी जा रही है या वे उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं । इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लगभग १०,००० विस्थापितों को भी ट्रेनिंग मिल चुकी है तथा लगभग ४,००० व्यक्ति पूर्वी राज्यों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं ।

ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) योजना

फिलहाल तीन प्रकार की योजनाएँ हैं, जिनके अधीन विस्थापितों को शिल्प तथा धन्धों की ट्रेनिंग दी जा रही है—(१) श्रम मन्त्रालय के पुनः संस्थापन तथा राजगार के डाइरेक्टर जनरल के द्वारा चलाई गई योजना के अधीन ३१ ट्रेनिंग केन्द्र चलाये गये थे, जिनमें पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए १,६०६ विस्थापितों ने तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए ६०० व्यक्तियों ने नवम्बर १९५२ तक ट्रेनिंग प्राप्त की । उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में भी ट्रेनिंग के लिये आए हुए ६५६ व्यक्ति उद्योग सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । नवम्बर १९५२ तक कुल मिला कर १५,२४६ विस्थापितों ने इन योजनाओं के अधीन ट्रेनिंग प्राप्त की । इन लोगों में से ४,००० व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से आए थे । (२) राज्यों की सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं के अधीन पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लगभग ४१,००० विस्थापितों को ट्रेनिंग दी गई तथा लगभग १०,००० व्यक्ति ट्रेनिंग पा रहे थे अथवा उत्पादन कार्य में लगे हुए थे । इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लगभग ५,००० विस्थापितों को भी ट्रेनिंग दी गई तथा लगभग २,००० व्यक्ति पूर्वी राज्यों में ट्रेनिंग पा रहे थे । (३) पुनर्वास मन्त्रालय की भी अपनी योजनाएँ थीं, परन्तु उसने धन्धों की ट्रेनिंग के केन्द्र राज्यों की अपनी अपनी सरकारों को सौंप दिये । उदाहरणार्थ, इस मन्त्रालय के द्वारा जितने भी केन्द्र दिल्ली (अब की सराय केन्द्र को छोड़ कर), भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा पेश्वर (राजपुर को छोड़ कर) में संचालित थे, वे सब के सब सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंप दिये गये । नीलोखेड़ी योजना को सामूहिक योजना प्रशासन ने अपने अधिकार में ले लिया ।

सरकार दिल्ली में अरब की सराय में ऐसा केन्द्र चला रही है, जिसमें विशेष ट्रेनिंग तथा कार्य को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर साधारण शिल्प कला के अतिरिक्त जापानी मशीनों का प्रयोग भी सिखाया जाता है। इस केन्द्र में अब तक ६६६ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और २३१ विस्थापित ट्रेनिंग पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त योल में कश्मीरी विस्थापितों के लिए धन्धों की ट्रेनिंग देने का जो केन्द्र है, वहाँ पर १,२५० व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा १८५ व्यक्ति अभी ट्रेनिंग पा रहे हैं। नीलोखेड़ी में २८०० से अधिक विस्थापितों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। राजपुरा बस्ती में जो केन्द्र है, उसमें अब तक ४७६ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है तथा २८० व्यक्तियों का एक दूसरा जत्था ट्रेनिंग ले रहा है। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए ६०० से ऊपर विस्थापित फूलिया तथा आसाम जिले के कछार केन्द्रों से ट्रेनिंग पाकर निकले हैं।

कर्जे

सन् १९५२-५३ के अन्त तक १८.०५ करोड़ रुपया कर्जे के रूप में दिया गया अर्थात् १०.६१ करोड़ से १.७६ लाख रुपए तक तो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को तथा ७.१४ करोड़ रुपए से लेकर ६१,००० रुपए तक पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को दिया गया।

पुनःसंस्थान-वित्त-प्रशासन ने भी, जो कि वित्त-मंत्रालय के अधीन है, कर्जे दिए। नवम्बर १९५२ तक १०,८१३ विस्थापितों को ऋण दिए गए। पश्चिमी पाकिस्तान से आए ७,७३० व्यक्तियों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए ३,०८३ व्यक्तियों को कर्जा दिया गया। कुल मिलाकर ८६३ करोड़ रुपया कर्जे के रूप में दिया जाना मंजूर हुआ था, — ६.५४ करोड़ रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए तथा २.३६ करोड़ रुपया पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए। पर वास्तव में कुल ५.१४ करोड़ रुपया कर्जे के रूप में दिया गया था जिसमें से ३.८५ करोड़ रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोगों को तथा १.२९ करोड़ रुपया पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मिला। सरसरी तौर पर यह अनुमान किया जाता है कि इन कर्जों से लगभग तीन लाख व्यक्तियों को फिर से बसने में सहायता मिलेगी।

शिक्षा

शिक्षा प्राप्त करने के लिए विस्थापित विद्यार्थियों को दो प्रकार से मदद दी गई—एक तो फीस में रियायत तथा आर्थिक सहायता देकर, दूसरे वर्तमान शिक्षा-संस्थाओं को सहयोग देकर तथा नई संस्थाओं की तरफकी करके शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाकर।

राज्यों में, जहाँ आरम्भिक शिक्षा निःशुल्क (मुफ्त) थी, विस्थापितों को आरम्भिक शिक्षा देने का भार राज्यों पर था। इसके अभाव में, केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक रूप से सहयोग दिया। सेकन्डरी तथा हाई स्कूल क्लासों में, पाँचवीं से दसवीं तक, ५० प्रतिशत विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी गई तथा उन्हें प्रतिवर्ष २० रुपए से लेकर ४० रुपए तक किताबों के लिए भत्ता भी दिया गया। जो विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर में प्रथम रहे या लगभग प्रथम रहे उन्हें आर्ट तथा साइंस क्लासों में वजीफा भी दिया गया। जिन विद्यार्थियों को मेडिकल (चिकित्सा विज्ञान), इंजीनियरिंग, एग्रिकल्चर (कृषि-शास्त्र), वेटरिनरी (पशु-चिकित्सा-विज्ञान) की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी टेकनिकल संस्था में दाखिला मिल गया, उन्हें प्रति मास ४० से ६० रुपए तक वजीफा दिया गया।

शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के मामले में, छिन्न-भिन्न और नए स्कूलों के लिए इमारत बनाने और सामान खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की गई। स्थानीय स्कूलों में विस्थापित विद्यार्थियों की खाने-पीने की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए रकम मंजूर की गई। कुल मिला कर ७२ शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक मदद दी गई। सरकार ने उपनगरों में तथा दिल्ली के आस-पास विस्थापितों की बस्तियों में ३२ और स्कूल खोले।

इसी प्रकार की सुविधाएँ पूर्वी पाकिस्तान से आए विद्यार्थियों को भी दी गईं। सरकार ने पश्चिमी बंगाल में १,०१६ प्राइमरी स्कूल खोले, जिनमें लगभग १,२०,००० विस्थापित विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा इन स्कूलों का वार्षिक खर्चा लगभग २८ लाख रुपया है। २१३ सेकन्डरी स्कूलों तथा ११७ कालिजों को आर्थिक सहायता तथा ऋण दिया गया। ३० सितम्बर १९५२ तक ३४ लाख रुपया खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त जो लड़के सेकन्डरी स्कूलों तथा कालिजों में पढ़ते थे, उन्हें वजीफा तथा ऋण भी दिया गया।

इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की सरकार को, कलकत्ते के बाहर अधिक स्कूल खोलने के लिए ८० लाख रुपया दिया गया। कलकत्ता तथा त्रिपुरा

में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा का सारा खर्च पुनःसंस्थापन मन्त्रालय ने उठाया । उड़ीसा में भी केन्द्र ने राज्य के लिए एक विशेष आर्थिक सहायता विस्थापितों की बस्तियों में नए स्कूल खोलने के लिए मंजूर की । पूर्वी भाग में कुल मिलाकर शिक्षा पर २.३ करोड़ रुपया खर्च किया गया ।

सहायता

पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को सहायता कैम्पों से इधर-उधर भेजने का काम बहुत पहले ही पूरा हो गया है और सब प्रकार के कैंप सन् १९५०-५१ के अन्त तक बन्द कर दिए गए थे । सन् १९५१-५२ तक पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की सहायता पर कुल मिलाकर ३४.४२ करोड़ रुपया खर्च हुआ । सन् १९५२-५३ के लिए ४.२५ करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई तथा सन् १९५३-५४ के लिए ३.२६ करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है ।

पर पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए अभी भी सहायता-कैम्पों का काम चालू है । सन् १९५२-५३ के आरम्भ में इन कैम्पों में लोगों की संख्या कम होकर लगभग ४०,००० रह गई थी, परन्तु पाकिस्तान से एक दम फिर अधिक संख्या में शरणार्थियों के आने से इनकी संख्या अक्टूबर १९५२ के अन्त तक बढ़ कर ८८,००० हो गई । पश्चिमी बंगाल पर पड़ने वाले इस भार को हल्का करने के लिए १५,००० शरणार्थियों को बिहार भेजने तथा इतने ही व्यक्तियों को उड़ीसा भेजने का सुझाव दिया गया । इन लोगों को इधर-उधर भेजने का काम अब तेजी से चल रहा है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों पर सन् १९५१-५२ तक कुल मिलाकर १२.६३ करोड़ रुपया सहायता के लिए खर्च हुआ । सन् १९५२-५३ के लिए २.६५ करोड़ रुपए की रकम मंजूर हुई, जब कि २.४० करोड़ रुपया सन् १९५३-५४ के लिए रखा गया है ।

भारत सरकार ने अनाश्रित स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और असहायों तथा उन पर आश्रित लोगों की जिम्मेदारी भी सँभाली है । इस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या ७५,००० है । इन में से ३८,००० व्यक्ति तो पूर्वी पाकिस्तान के और ३७,००० व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान के हैं । इनमें से अधिकांश लोग ऐसे अनाथालयों में तथा असहाय-गृहों में हैं, जो कि खास उन्हीं के लिए खोले गए हैं । बहूतों को बराबर मुफ्त खाना-कपड़ा दिया जा रहा है । इस

वान की चेष्टा की जा रही है कि ग्रियों और बच्चों तथा वृद्धों और असहायों पर आश्रित व्यक्तियों को किसी उपयुक्त धर्म या शिल्प-कला की शिक्षा और ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस काम के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

सरकार ने यह बात मान ली है कि ऐसे विस्थापितों को, जो बुढ़ापा, दुर्बलता या बीमारी के कारण अपनी रोजी कमाने में असमर्थ हों, अन्तरिम सहायता के रूप में जाँच-निर्वाह के लिये कुछ रकम दी जाए। दिसम्बर १९५२ तक लगभग १५,००० व्यक्तियों को सहायता दी गई और ८३ लाख रुपया इस मद में खर्च हुआ।

क्षतिपूर्ति और दावे (क्लेम)

जिन लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान में अपनी अचल सम्पत्ति खोई है, उनके दावे सन् १९५० में माँगे गये थे। कुल मिला कर ५,३५ लाख दावे दर्ज हुए, जिनका ब्याँरा १०.३८ लाख कागज़ों पर लिखा गया। इन दावों की जाँच-पड़ताल करीब-करीब पूरी हो गई है और एतराजों के जवाब में हकदारों के ध्यान मुने जा रहे हैं। भारत सरकार क्षति-पूर्ति करने की योजना पर विचार कर रही है।

जाँच-पड़ताल के बाद, जिन व्यक्तियों के दावों की पुष्टि हो गई है, उन्हें कर्ज़ की अदायगी में दस प्रतिशत छूट मिल गई है। जब तक क्षति-पूर्ति योजना सरकार से मंजूर नहीं होता, ऐसे लोगों से अर्जियों आमन्त्रित की गई हैं, जो विधवा, बूढ़े या असहाय हैं, जिन्हें गुजर-बसर के लिये कुछ रकम मिल रही है, तथा जो वनिताश्रम या असहाय-गृहों अथवा पंजाब में मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। चीफ सेटिलमेंट कमिश्नर के अधीन एक छोटी सी समिति खोली गई है, जिसका काम अर्जियों की जाँच-पड़ताल करना है। इससे यह लाभ होगा कि क्षति-पूर्ति करने की योजना सम्पूर्ण होने पर, ऐसे अत्यन्त जरूरतमन्द विस्थापितों को क्षति-पूर्ति की रकम मिल सकेगी।

निष्क्रान्तों की सम्पत्ति का उपयोग और उन्हें क्षति-पूर्ति के रूप में कुछ रकम देने के विषय में कानून बनाया जा रहा है। यह सुभाव भी विचाराधीन है कि विस्थापितों का एक ट्रस्ट बना दिया जाय, जिस पर पश्चिमी पाकिस्तान

से आए हुए शरणार्थियों की शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण तथा अन्य धर्मार्थ कार्यों का भार रहे ।

विस्थापित हरिजन

विस्थापित हरिजनों को फिर से बसाने के लिये अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संरक्षण में एक स्वतन्त्र बोर्ड की स्थापना हुई । इस संघ को केन्द्रीय सरकार की ओर से एक एजेण्ट के रूप में हरिजनों को फिर से बसाने का काम करने का अधिकार दिया जा चुका है ।

पिछले चार वर्षों में, जब से यह बोर्ड काम करने लगा है, इसने दिल्ली, अजमेर, ब्यावर, अहमदाबाद और बम्बई में आठ योजनाएँ चलाई हैं । इन योजनाओं के अधीन ३६.६६ लाख रुपया खर्च करके हरिजनों को बसाने के लिये एक-कमरे वाले २,२०३ घर बनवाये गये हैं ।

इस बोर्ड ने ८,८०२ हरिजन परिवारों को रोजगार में लगवाया तथा १७,२७३ परिवारों को खेती-वाड़ी का काम करके अपनी गुजर-बसर करने में मदद दी । ४,११२ हरिजन परिवारों को, जो कि शिल्पकार या कारीगर थे, ८.२७ लाख रुपया कर्जों के रूप में दिया गया । इसके अतिरिक्त २० सहकारी समितियाँ बनाई गईं ।

पाकिस्तान से समझौता-वार्ता

अक्टूबर १९५२ में, पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि ऐसी हालत में, जब कि देश छोड़ कर गये हुए लोगों की दोबारा अपने-अपने देश में लौटने की कतई सम्भावना नहीं है, तथा उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति की हालत दिन पर दिन अधिक खराब हो रही है, यह अधिक ठीक होगा कि दोनों देशों की सरकारें उनकी अचल सम्पत्ति को अपने-अपने अधिधार में ले लें तथा परस्पर जो समझौता हो, उसके आधार पर निष्क्रान्तों को उसका हरजाना दे दें । अगर सीधी बातचीत से सफलता न मिले, तो इस मामले को किसी पंच-पैसले के द्वारा तय करा लिया जाय या किसी तटस्थ अदालत से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के द्वारा इसका निर्णय करा लिया जाय । पैसला हो जाने पर देनदार देश लेनदार देश को निष्क्रान्तों की सम्पत्ति के मूल्य का अन्तर, स्वीकृत समझौते के अनुसार, चुका दे । परन्तु पाकिस्तान सरकार ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया ।

दिसम्बर १९५२ तक भारत सरकार ने १८,६४१ विस्थापित सरकार नौकरों, राष्ट्रियों के सरकारी नौकरों तथा स्थानीय संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के दावे पाकिस्तान सरकार को भेजे थे। ये दावे उनकी पेंशन, प्रावि-
डेंट फण्ड, छुट्टियों की तनखाह, तथा सीक्यूरिटी (जमानत जमा) के बारे में थे। इसके विपरीत भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के द्वारा भेजे गये कुल २४,६८० दावों में से १२,६२८ दावों की जाँच-पड़ताल कर ली है।

इसके अतिरिक्त, दिसम्बर १९५२ तक ३,६६६ दावे पेंशन और प्राविडेंट फंड के सिलसिले में प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ३,०१६ दावों का पूर्ण रूप से निबटारा भी कर दिया गया है।

क्योंकि भारत-पाकिस्तान की अस्थायी भुगतान-योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार का भी भुगतान करना असम्भव था, अतएव भारत सरकार ने अन्तरिम सहायता योजना मंजूर कर ली। जिन लोगों की पेंशन अभी मंजूर नहीं हुई, पर उसकी पुष्टि होगई है, उन लोगों को पेंशन का ५० प्रतिशत दिया जाना मंजूर कर लिया गया, यह उसी सुरत में जब कि उन व्यक्ति के जीवन-निर्वाह का और कोई जरिया न हो। दिसम्बर १९५२ तक ७८१ दावे दर्ज हुए और उनमें से ७०६ पूर्ण रूप से निबटा दिए गए।

सरकार ने ऐसे विस्थापितों को भी अन्तरिम सहायता देने की योजना मंजूर की, जिनके पास भारत में राटी कमाने का कोई साधन नहीं था, परन्तु जिन्होंने अपनी बचत की रकम को पोस्ट ऑफिस, पोस्टल कैंश सर्टिफिकेट या पोस्टल लाइफ इंश्योरेन्स में लगा दिया था। इस प्रकार की ६६३ अर्जियों में से ३६६ अर्जियों का पूरा फैसला कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ऐसे विस्थापितों को भी अन्तरिम सहायता देने का निश्चय किया गया, जिनकी अचल सम्पत्ति पाकिस्तान में कोर्ट आफ वार्ड के अधीन है। दिसम्बर १९५२ तक, भत्तों की मंजूरी के लिए आई १३३ अर्जियों में से १११ का पूर्ण रूप से फैसला कर दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों का जीवन बीमा हो चुका था, उनके हक की पुष्टि हो जाने के बाद पाकिस्तान से दिसम्बर, १९५२ तक भेजी गई ३३७ बीमा पालिसियों प्राप्त हुईं। इनमें से २६५ पालिसियाँ हकदार विस्थापितों को दे दी गईं।

(५५)

पास-पोर्ट प्रणाली

१४-१५ अक्टूबर, १९५२ की अर्धरात्रि से पाकिस्तान और भारत के बीच पास-पोर्ट और विजा प्रणाली लागू हुई। इसके साथ ही सन् १९५० के एक्ट के अन्तर्गत जो परमिट दिए जाते थे, वे बन्द कर दिए गए।

भारत सरकार नई प्रणाली के नियमों को इस उम्मीद से नर्मी के साथ लागू कर रही है कि पाकिस्तान के अधिकारी भी उसी तरह करें। इन नियमों के अन्तर्गत उन लोगों को विशेष सुविधाएँ दी गई हैं, जो कि सीमाओं पर बसे हैं, जिन के नज़दीकी रिश्तेदार दूसरे देश में हैं, जो यातायात विभाग में काम कर रहे हैं, जो व्यवसायी, अफसर, गैर-सरकारी कर्मचारी, कूटनीतिक मिशन के कर्मचारी, या नाविक हैं, जो इधर से उधर आते जाते रहते हैं, या भगाए गए व्यक्ति हैं जिनका पता चल गया है अथवा अल्प संख्यक समूह के सदस्य हैं, जो दूसरे देश में जाकर बसना चाहते हैं।



२. आर्थिक

किसी भी राष्ट्र की समृद्धि उसकी आर्थिक और औद्योगिक प्रगति पर निर्भर होती है। उम्मे जनता के लिये कार्पा अनाज, कपड़ा, लोहा, इत्यान और अन्य औद्योगिक चीजें पैदा करनी चाहिए। उम्मे खनिज पदार्थों को निकालने और बाध, रेलें, कारखाने तथा ऐसी और भी चीजें बनाने के सर्वथा योग्य होना चाहिये। वित्त, उद्योग और राजस्व के सम्बन्ध में पृष्ट नीति, अनाज, कच्चा सामान और औद्योगिक चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आयोजित प्रयत्न और मकानों की समस्या को सुलभाने का दृढ़ निश्चय-ये १९५२-५३ में भारत सरकार के कामों की विशेषतायें थीं।

वित्त

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दो विभाग हैं। इन में से एक का सम्बन्ध आमदनी और खर्च से है और दूसरे का बजट और आर्थिक मामलों से।

राजस्व विभाग

यह विभाग प्रत्यक्ष और परोक्ष कर सम्बन्धी नीति और प्रबन्ध जैसे मामलों से सम्बन्ध रखता है। यह विभाग तटकर और भारत सरकार के उत्पादन कर से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न-भिन्न कानूनों के अधीन अधीन सुनने वाली संस्था का भी काम करता है। यह अधिकार इसे कानून द्वारा दिया गया है। जहाँ तक आय-कर का सम्बन्ध है, यह विभाग आय-कर का टीक-टीक प्रबन्ध करने के लिए आज्ञाएँ निकालने, आदेश देने और निर्देशन करने के काम में ताल-मेल रखने का काम भी करता है। यह अधिकार भी इसे कानून द्वारा मिला है। इसे आय-कर कानून के अधीन कुछ मूल मामलों और अधीनों की सुनवाई करने का अधिकार भी प्राप्त है।

आय-कर-जाँच-कमीशन की अवधि ३१ दिसम्बर सन् १९५३ तक के लिए बढ़ा दी गई है। २० फरवरी सन् १९५३ तक कमीशन को १,५६७ मामलों सँपे गए जिनमें से ८६७ मामलों का निपटारा किया गया। बाकी ७३० मामलों की जाँच सम्बन्धी कार्रवाई लगभग पूरी होने वाली है। जिन मामलों का निपटारा कर दिया गया है, उनमें छिपाई हुई आमदनी की कुल रकम ४० करोड़ रुपये थी। अपनी इच्छा से छिपाई हुई आमदनी का हवाला देने की योजना के अधीन अब तक ७० करोड़ रुपये की छिपाई

हुई आमदनी का पता चला है। यह योजना २२ अक्टूबर सन् १९५१ को खत्म हो गई थी।

पिछले वर्ष के आरम्भ में कपड़ा-बाज़ार में मन्दी का रुख होने के कारण बारीक कपड़े और बहुत बारीक कपड़े पर मूल्य के अनुसार कर लगाने की पद्धति जो उस समय चालू थी, अव्यवहार्य हो गई और फिर कपड़े पर उस की निश्चित दर पर कर लगाने का तरीका लागू किया गया। लेकिन व्यापारियों को यह इजाजत दी गई कि वे उस हालत में मूल्य के आधार पर कर लगाने की माँग कर सकते हैं जबकि इस से उन्हें लाभ होता हो। इसी तरह पिछले साल चाय पर केन्द्रीय उत्पादन-कर वसूल करने का काम स्थगित कर दिया गया था जिससे कि चाय उद्योग को भयंकर मन्दी के समय राहत मिल सके। खँडसारी को भी केन्द्रीय उत्पादन-कर से छूट दे दी गई थी।

देश के अन्दर चोरी से माल लाने और ले जाने की कार्रवाई तेज़ हो जाने के कारण उसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को और कड़ा बना दिया गया। चोरी से माल लाने-लेजाने का काम खास तौर पर भारत में फ्रांस और पुर्तगाल की अधीन वस्तियों से मिलने वाली भारतीय सीमा पर होता रहा। मिसाल के तौर पर गश्त करने के लिए अधिक जीपों और छोटे छोटे जहाज़ों की व्यवस्था की गई। एक ओर की सीमा पर तो लोगों के आने जाने को नियमित करने के उद्देश्य से परमिट-प्रणाली चालू की गई।

इस वर्ष कई कानून बनाए गए, जिन में से मुख्य ये हैं :—भारतीय-आय कर (संशोधन) बिल १९५२ और सन् १९५२ का सम्पत्ति-कर-बिल। दूसरे बिल के पास होने पर राज्य सरकारों की आमदनी के साधन बढ़ जाएंगे।

असैनिक खर्च विभाग

जुलाई सन् १९५२ में एक समिति बनाई गई जिसका काम इस बारे में सिफारिश करना था कि सरकारी नौकरों के वर्तमान मंहगाई भत्ते की कितनी रकम उनके वेतन में मिला दी जाए। इस समिति की सिफारिशों से, जिन पर सरकार विचार कर रही है, केन्द्रीय सरकार के कोई १५ लाख कर्म-चारियों को लाभ पहुँचेगा और इस पर भारत सरकार के वित्त विभाग को प्रति वर्ष कोई ५ करोड़ रुपया खर्च करना होगा।

भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों के वित्तीय नियमों में संशोधन आदि करने के बारे में जो समिति बनाई गई थी, उसने वेतन, छुट्टी और हानिपूर्क भत्तों के नियमों में फेर-बदल करने का काम पूरा कर लिया है। अनुमान है कि सफ़र भत्ते और पेंशन सम्बन्धी बाकी नियमों को फिर से ठीक-ठाक करने का काम मार्च १९५४ के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

फरवरी सन् १९५२ में अफसरों का एक दल इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया कि भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और उन के सम्बन्धित और अधीन दफ्तरों में कितने कितने कर्मचारियों की जरूरत है। अभी तक इस सम्बन्ध में तीन मंत्रालयों और उनके दफ्तरों और केंद्रीय-लोक-सेवा-आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) की जांच की जा चुकी है। इस दल ने कई सिफारिशों की हैं जिन में से कुछ सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और बाकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

रक्षा खर्च विभाग

इस विभाग का काम रक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई सभी महत्वपूर्ण कार्यवाहियों की जांच करना है। इस वर्ष सरकार ने रक्षा सम्बन्धी खर्च में बचत करने के सवाल पर विशेष रूप से ध्यान दिया। सशस्त्र सेना पुनः संगठन समिति की अन्तरिम रिपोर्ट पर विचार किया गया। यह समिति इस बारे में विचार करने के लिये बनाई गई थी कि रक्षा सेवाओं के खर्च में किस हद तक कमी की जा सकती है। इसके फलस्वरूप रक्षा सम्बन्धी बजट में कुछ बचत की गई। समिति की बहुत सी सिफारिशों पर अब भी विचार किया जा रहा है।

देशी राज्यों की सेनाओं के भारतीय सेना में मिला दिये जाने के बाद देशी राज्यों की सेनाओं के वित्तीय और हिसाब-सम्बन्धी मामलों का प्रबन्ध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इससे जो बड़ी बड़ी समस्याएँ उत्पन्न हुईं, उन्हें अब हल किया जा चुका है।

इस वर्ष आर्थिक दृष्टि से महत्व रखने वाले नियमों की पुस्तकों में संशोधन करने और उन्हें फिर से लिखने का काम काफी आगे बढ़ा। नियमों की कई पुस्तकों और पुस्तिकाओं में संशोधन किए गए और उन्हें फिर से लिखा गया। ये पुस्तकें अब छापी जा रही हैं। अनुमान है कि कोई एक वर्ष के अन्दर सभी काम लगभग पूरा हो जाएगा।

बजट विभाग

वित्त कमीशन ने, जो नवम्बर १९५१ में नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट दिसम्बर १९५२ में पेश की। सरकार ने उसकी सिफारिशों मंजूर कर ली हैं।

आन्तरिक वित्त विभाग

इस वर्ष इस विभाग ने जो मुख्य मुख्य काम किए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(१) व्यापारी वर्ग की भारी असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से एक हज़ार, पाँच हज़ार, और दस हज़ार रुपये के नोट फिर से जारी करने का फैसला किया गया। चूँकि रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट के अनुसार पाँच हज़ार रुपये के नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इस कानून को संशोधित करने और साथ ही अध्यादेश (आर्डिनेन्स) को भी संशोधित करने के बारे में एक बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। इनके अलावा बिल में ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया आर्थिक-सहायता देकर देहाती इलाकों की ज़रूरतें पूरी कर सके।

(२) ग्राम-महाजनी-जाँच-समिति (रूरल बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटी) की सिफारिशों को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार इम्पीरियल बैंक आफ़ इंडिया ३० जून १९५३ को खत्म होने वाले दो वर्षों में ३१ नई शाखाएँ खोलने के लिए राजी हो गया है। पन्द्रह जनवरी १९५३ तक १६ शाखाएँ खोली जा चुकी हैं।

(३) भारत सरकार ने जुलाई सन् १९५२ में एक समिति नियुक्त की थी जिसका काम बैंकों के परिसमापन सम्बन्धी कार्य-प्रणाली की जाँच करना और इस सम्बन्ध में सिफारिशें करना था कि उनकी कार्य-प्रणाली को किन उपायों से सरल बनाया जा सकता है और मामलों को कैसे जल्दी ही निबटाया जा सकता है। सरकार इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

(४) कीमतों के एकदम गिर जाने से भारतीयों के चाय के बगीचों को भयंकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक स्थिति खराब बनी रहेगी तब तक आम तौर पर बैंक उन्हें आर्थिक सहायता देने में

की जाँच करने और उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक जाँच-कमेटी भी बनाई जा चुकी है।

(७) श्रीपुर की एक नई टकसाल में पहली बार निकिल के सिक्के बनने लगे। निकिल की सफाई के लिए खास किस्म की मशीनों की जरूरत है। यह टकसाल दुनिया की कुछ गिनी चुनी टकसालों में से है, जहाँ इस तरह के काम के लिए सभी आवश्यक मशीनें लगी हैं।

(८) सरकार ने चाँदी साफ करने के नए कारखाने में चाँदी साफ करने के जर्मनी के 'डीमग' तरीके को अपनाया है। 'डीमग' मशीन सादी और स्टैन्डर्ड है और इसे प्रायः सभी देशों में विद्युत्-रासायनिक क्रिया द्वारा धातुएँ साफ करने के काम में लाया जाता है।

इस कारखाने में हर साल ३,६०० टन इलैक्ट्रोलेटिक तॉबा तैयार किया जाएगा। इसे चलाने का खर्च भी काफी कम होगा। इस तरीके से साफ की गई एक पौंड चाँदी पर १.४६६ रुपए खर्च आएगा, जब कि सरकार द्वारा सुभाए गए पहले तरीके से २.३४३ रुपये खर्च आता है।

(९) कम्पनी कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसकी सिफारिशें लागू की जा रही हैं। समिति के सुझावों के अनुसार सन् १९१३ के भारतीय कम्पनी कानून में व्यापक फेर-बदल करने के उद्देश्य से संसद् में एक बिल पेश करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इधर, एक केन्द्रीय संगठन कायम किया जाएगा जिस से भारतीय कम्पनी कानून के अमल का काम भारत सरकार की देख-रेख में हो।

उद्योग धन्धों पर लगाई जाने वाली पूँजी पर नियंत्रण

सन् १९५२ में उद्योग-धन्धों में पूँजी लगाने के बारे में ३२६ अर्जियाँ निबटाई गईं। ये अर्जियाँ कुल मिलाकर १५२.३ करोड़ रुपये की थीं। इनमें से औद्योगिक कम्पनियों की १०२ अर्जियाँ मंजूर की गईं, जिनमें कुल मिलाकर ३२.७ करोड़ रुपये की लागत की माँग की गई थी। इनके अलावा गैर-औद्योगिक कम्पनियों की १५२ अर्जियाँ, जिनमें ७.१० करोड़ रुपये की पूँजी लगाने की इजाजत माँगी गई थी, मंजूर की गईं। इनके अलावा ६ करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी लगाने के बारे में ७६ अर्जियाँ आईं। इनमें से ६३ अर्जियाँ

मंजूर की गई, जिनमें साढ़े पाँच करोड़ रुपये की पूँजी लगाने की माँग की गई थी।

योजना विभाग

इस वर्ष सन् १९५२ के जरूरी माल की खरीद और बिक्री पर कर लगाने की घोषणा और उसके नियमन से सम्बन्ध रखने वाला कानून पास कर दिया गया। बहुदल शैलीय राष्ट्रीय सैंपिल-सर्वे की पहली रिपोर्ट दिसम्बर सन् १९५२ में निकाली गई। इसके अलावा सरकार उस रिपोर्ट पर विचार कर रही है जो सार्वजनिक शासन के बारे में एक अमेरिकी सलाहकार ने भारत में सार्वजनिक शासन की समस्याओं के सम्बन्ध में पेश की है। यह सलाहकार फोर्ड फाउण्डेशन की ओर से भेजा गया था।

सन् १९५२-५३ में कई दलों ने मैसूर, हैदराबाद, मद्रास, बम्बई और आसाम के अनाज की कमी वाले इलाकों का दौरा किया। इनका उद्देश्य यह सिफारिश करना था कि सहायता कार्यों के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को कितनी मदद दे। सरकार इनकी रिपोर्टों पर इस समय विचार कर रही है।

बाह्य वित्त विभाग

भारत की विकास योजनाओं में सहायता देने के उद्देश्य से, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने दिसम्बर सन् १९५२ में भारत की इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ३ करोड़ १५ लाख डालर के कर्ज की मजूरी दे दी है। भारत की किसी प्राइवेट कम्पनी को बैंक द्वारा दिया गया यह पहला कर्ज है। इसके अलावा जनवरी सन् १९५३ में १ करोड़ ६५ लाख डालर का कर्ज दिया गया था, जिसका उद्देश्य दामोदर घाटी योजना के कई सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए विदेशी विनिमय के खर्च को पूरा करना था। अनुमान है कि औद्योगिक वित्त कारपोरेशन के लिए भी जल्दी ही कर्ज की मजूरी मिल जायगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की सातवाँ बैठक सितम्बर १९५२ में मैक्सिको शहर में हुई। भारत की अर्थ-व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कुछ टेक्निकल जानकार भी भारत आए।

सन् १९५१ में जापान और स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के बीच अदायगी

सम्बन्धी जिस समझौते पर दस्तखत किए गये थे, उसकी मियाद एक साल के लिये बढ़ा दी गई। इस समझौते की मियाद ३१ दिसम्बर १९५२ को खत्म होगई थी। इस समझौते के अनुसार एक ओर जापान और दूसरी ओर स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को स्टर्लिंग में ही अदायगी करनी होगी।

जहाँ तक आयात और निर्यात व्यापार के नियन्त्रण का सम्बन्ध है, जापान को भी सुलभ मुद्रा वाला देश समझा जाएगा।

कामनवेल्थ देशों के प्रधान मंत्रियों का आर्थिक सम्मेलन लंदन में २७ नवम्बर १९५२ को हुआ। इसका उद्देश्य स्टर्लिंग क्षेत्र की अदायगी सम्बन्धी स्थिति को मज़बूत बनाना और इस बात का पता लगाना था कि दुनिया के उत्पादन और व्यापार को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है।

सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य मुख्य सिद्धान्त स्वीकार किये गये:-

१—स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को अपने-अपने देशों में टोस आर्थिक नीति अपनानी चाहिए।

२—इन देशों को सुदृढ़ आर्थिक विकास से अपनी उत्पादन शक्ति और होड़ लगाने की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए।

३—व्यापार करने वाले दूसरे देशों का ऐसी स्थिति पैदा करने में सहयोग प्राप्त किया जाए जिससे कि स्टर्लिंग को दूसरी मुद्राओं में बदला जा सके और बहुद्वैतीय व्यापार और अदायगी की स्थिति फिर से ठीक तरह से कायम की जा सके। सम्मेलन में यह बात भी मान ली गई कि मूल विकास के काम के लिए पूँजी लगाने की जरूरत है, जिससे कि कम उन्नत देशों में रहन-सहन का स्तर सुधर जाय।

इन सिद्धान्तों के स्वीकार किये जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत सरकार को कोई नई नीति अपनानी पड़ेगी। भारत की आन्तरिक नीति का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्तियों रोकी जा सकें। इसके अलावा इस बात की आशा है कि भारत सम्मेलन में स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर विश्व-व्यापार के बढ़ाने में सहयोग दे सकेगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच सन् १९४७ में पौंड पावने के बारे में जो समझौता हुआ था उसकी मियाद ६ साल के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से भारत

सरकार और ब्रिटेन की सरकार ने एक समझौते का समझौता स्वीकार कर लिया है। नए समझौते में स्टर्लिंग की मुक्ति के बारे में पिछली व्यवस्था में कोई फेर-बदल नहीं की गई। फेर-बदल केवल उसके स्वरूप में की गई है।

भारत और अमेरिका के टेकनिकल सहयोग सम्बन्धी सन् १९५१-५२ के समझौते के मिलसिले में सन् १९५२-५३ के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार अमेरिकी सरकार ३ करोड़ ८३ लाख ५० हजार डालर देगी जो वर्तमान योजनाओं के विकास पर और ऐसी दूसरी योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जिनके बारे में समझौता हो जाएगा। जो योजनाएँ शुरू की जाएँगी, उनका उद्देश्य पिछले सान की तरह ही स्वेती की कार्य-कुशलता और अनाज का उत्पादन बढ़ाना होगा।

इसके अलावा कोलम्बो योजना में भाग लेने वाले देशों की सरकारें भी भारत की विकास योजनाओं के लिए धन देने का राजी हो गई हैं। मिसाल के लिए कनाडा ने १ करोड़ ३८ लाख डालर, आस्ट्रेलिया ने ३० लाख पाँड और न्यूजीलैंड ने ३,७५,००० पाँड दिए हैं। टेकनिकल सहायता के भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के अधीन कुल मिला कर कोई १५० जानकार काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब तक कोई ३५० टेकनिशियनों के लिए ट्रेनिंग की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। भारत ने कोई पाँच जानकार दिए हैं और इस एलाके के भिन्न भिन्न देशों के कोई ७० विद्यार्थियों को ट्रेनिंग की सुविधाएँ दी हैं।

भारत के लोगों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के काम का आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नार्वे की सरकार यूनाइटेड नेशन्स टेकनिकल असिस्टेंस बोर्ड की मार्फत कोई ६७ लाख रुपये की सहायता देगी। यह रकम चावणुकार-कोचीन में मछली पकड़ने के उद्योग और आर्थिक विकास की योजनाएँ शुरू करने पर खर्च की जाएगी।

तटकर और केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग

जाँच के तरीके में सुधार करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया कि तटकर और केन्द्रीय उत्पादन-कर की जाँच से सम्बन्ध रखने वाले डाइरेक्टर के दफ्तर का फिर से संगठन किया जाय और १५ नवम्बर सन् १९५२ से चार प्रादेशिक दफ्तर खोले जाएँ, जिनके प्रधान कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में हों। हैदराबाद में दो प्रादेशिक दफ्तर होंगे।

आय-कर दफ्तर

आय-कर कानून के कारण सौदों की संख्या और किस्में बढ़ गई हैं। इस बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिये आय-कर के दफ्तर को मजबूत करने की जरूरत पड़ी। इसलिये, केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) के द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भरती करने की योजना को अन्तिम रूप दिया गया। साथ ही, आय-कर-जाँच-कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से और दफ्तर में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जाँच का एक दफ्तर खोल दिया गया है।

रक्षा विभाग सम्बन्धी हिसाब का दफ्तर

इस वर्ष रक्षा विभाग सम्बन्धी हिसाब के दफ्तर ने पिछली लड़ाई में और उसके बाद देश के बटवारे से पैदा होने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के हल करने की दिशा में काफी प्रगति की। सेना से हटाये गये सैनिकों से सम्बन्ध रखने वाले सभी ऐसे मामलों को, जिनका अब तक निबटारा नहीं हुआ था, निबटारने की सभी तरह की कोशिश की गई। साथ ही काम को तेज़ी के साथ निबटारने की भरसक कोशिश की गई। एक नया तरीका अपनया गया जिसके अनुसार हर एक सैनिक को तीन-तीन महीने के बाद उसके वेतन आदि का विवरण दिया जाता है, जिससे कि वह और उसका कमांडिंग अफसर सही-सही स्थिति जान सके और अगर कोई शिकायत हो तो उसे जल्दी ही निबटारा जा सके। इस सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ है।

देश के बटवारे के फलस्वरूप सैनिक-पेंशन-दफ्तर के एकाएक लाहौर से इलाहाबाद आने से बड़ी गड़बड़ी हुई, जिसमें बहुत से आवश्यक कागज़ आदि नष्ट हो गये या लाहौर में रह गये। इसे अब बहुत-कुछ ठीक किया जा चुका है, और सैनिकों को पेंशन देने के तरीके में काफी सुधार किया जा चुका है। अमृतसर जिले के पेंशन पाने वाले सैनिकों को पेंशन देने के लिये एक दफ्तर अमृतसर में खोल दिया गया। इसके नतीजे सन्तोषजनक रहे। पंजाब के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के दफ्तर खोलने का विचार किया जा रहा है।

‘ख’ भाग के राज्यों की अर्थ-व्यवस्था के संघीय अर्थ-व्यवस्था के साथ मिला दिये जाने से देशी रियासतों की सेनाओं के पेंशन पाने वाले सैनिकों

को पेंशन देने और उनकी जाँच करने का काम भी रक्षा विभाग के विसाव-किताब रखने वाले दफ्तर पर धरा पड़ा। हैदराबाद राज्य की सेनाओं के पेंशन पाने वाले मैनिकों की जरूरतें पूरी करने के लिये इस वर्ष वहाँ एक पेंशन बाँटने का दफ्तर खोला गया। इस राज्य में पेंशन पाने वाले लोगों के परिवारों की पर्दानशीन श्रौतों को पेंशन देने के सम्बन्ध में शनाख्त करने और दूसरी कार्रवाईयों को पूरा करने के लिये एक महिला-कमिश्नर नियुक्त की गई।

अग्रदाय-कोषों के सुगतान और अग्रदाय-लेखे के निबटार, मुविधा के अनुसार काम को फिर से संगठित करने तथा भंडार और निर्माण कार्य से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण टैकों की जाँच के काम के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में विभाग में कई आन्तरिक परिवर्तन किये गये। आशा है इन सब कार्रवाईयों से विभाग की कार्य-कुशलता और अधिक बढ़ जायगी।

सरकारी आजा के अनुसार बहुत से क्लकों को क्वासी-परमानेंट कर दिया गया। इससे लोगों में काफी उल्हाह पैदा हुआ और काफी मात्रा में और अच्छा काम होने लगा।

नोट छापने का छापाखाना

नासिक रोड में भारत के नोट छापने के छापाखाने में साधारण काम के अलावा नेपाल सरकार के एक-रुपये के नोट भी छापे गए। बाहर से एक मशीन न आ सकने के कारण, फोटोग्रेव्यूर मशीन अभी तक लगाई नहीं जा सकी। फिर भी, छापाखाने ने फोटोग्रेव्यूर तरीके से भारत के इतिहास में पहली बार 'कवि-सन्त सीरीज' के टिकट छापे।

टकसालें

इसी प्रकार अजलीपुर की नई टकसाल में सिक्के ढालने के इतिहास में भारत में पहली बार निकिल के सिक्के ढाले गये। चाँदी-सोने आदि की शुद्धता की जाँच करने वाली शाखा का काम सिक्के ढालने की शाखा के काम से अलग कर दिया गया और 'ऐसे मास्टर' (Assay Master) की नियुक्ति फिर से कर दी गई। यह पद कई वर्ष पहले खत्म कर दिया गया था।

बीमा सम्बन्धी दफ्तर

सन् १९५२-५३ में भारत सरकार ने कई प्रबन्धक नियुक्त किये, जिनका काम तीन और बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध संभालना था। ऐसी कम्पनियों की संख्या अब आठ तक पहुँच गई है। बीमा की ग्राम कार्य-प्रणाली के प्रबन्ध के लिये अलग व्यवस्था कर दी गई है। बीमा-विभाग जीवन बीमा कम्पनियों के लिये ऐसे ही नियम बनाने का काम करेगा। इण्डियन इश्योरेंस ईयर बुक का ३८ वाँ अंक तैयार हो चुका है और प्रकाशित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय बचत संस्था

विहार, राजस्थान और मध्यभारत में दफ्तरों के खुल जाने से अब मैसूर को छोड़ कर देश भर में राष्ट्रीय बचत संस्था की शाखाएँ खुल गयी हैं। मैसूर राज्य की सरकार अपनी बचत योजना अलग चलाती है।

सन् १९४९-५० तक छोटी बचत (स्माल सेविंग्स) योजना के अधीन इकट्ठा की गई रकम घटकर कुल २६.१ करोड़ रुपये रह गई थी। लेकिन सन् १९५०-५१ में यह रकम बढ़ने लगी और कुल मिलाकर ३३.३ करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। सन् १९५१-५२ में ३८.५ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। चालू साल के पहले नौ महीनों में अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर १९५२ तक २८ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ।

देहाती इलाकों में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटों की बिक्री के लिये विभाग से बाहर के लोगों का पोस्ट मास्टर के रूप में अधिकृत एजेंट बनाने का काम इस साल सन्तोषजनक रहा। राज्य सरकारों और गैर-सरकारी लोगों का, जिनमें महिलाओं की संस्थाएँ भी शामिल हैं, अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, जिससे कि लोगों में मितव्ययिता का प्रचार किया जा सके और वे छोटी बचत (स्माल सेविंग्स) स्कीम में योग दे सकें।

नमूनों की जाँच करने वाली बहूदेशीय राष्ट्रीय पड़ताल संस्था

इस संस्था के डाइरेक्टर के दफ्तर में उत्पादन, खपत और आर्थिक जीवन के दूसरे पहलुओं के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातों के बारे में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधि के बारे में प्राप्त आँकड़ों सम्बन्धी सूचना के अभाव को दूर

किया जा सके। इस तरह की नमूने की जाँच करने के लिये भविष्य में यह केन्द्रीय संस्था होगी। नेशनल मैग्नेल सर्वे की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। सर्वे अब देश के आर्थिक विकास के बारे में आवश्यक सूचना देता रहेगा।

साथ ही, सरकार अदायगी और हिसाब की जाँच के कामों को अलग अलग करने के बारे में कार्रवाई करने का विचार कर रही है। ये काम इस समय एक ही संस्था कर रही है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे अपने अकाउंटेंट जनरल / कम्प्ट्रोलर से, जहाँ कहीं वह ऐसा काम कर रहा हो, अदायगी सम्बन्धी काम न कराये।

खाद्य तथा कृषि

सम्मिलित फसल उत्पादन

सम्मिलित फसल उत्पादन योजना, जो कि १९५०-५१ में अनाज, कपास, जूट और चीनी के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी, बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही एक अंग बन गई। योजना के पहले ही साल में यानी १९५१-५२ में जूट और चीनी की उपज में काफी वृद्धि हुई। जूट की कुल सात लाख गाँठों शेष चार सालों में और पैदा करनी बाकी रह गई हैं। उधर चीनी का पंचवर्षीय लक्ष्य सन् १९५१-५२ में ही पूरा हो गया था।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजनाएँ

इस साल अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के छोटे साधनों और भूमि सुधार के काम हाथ में लिये गये। इन योजनाओं के लिए १७ करोड़ रुपये निश्चित किया गया। १९५२-५३ के लिए निश्चित १६.९७ करोड़ रुपये में से ३१ दिसम्बर, १९५२ तक १२.६२ करोड़ रुपये राज्यों को दिया गया।

ऐसी आशा की जाती है कि १९५२-५३ में ६७,६०० सिंचाई के छोटे साधन बनाए जाएँगे, ३,१८,००० एकड़ भूमि को सुधारा और ठीक किया जाएगा और २२,३५,००० टन अच्छा बीज, खाद और रासायनिक

उर्वरक बाँटा जाएगा । इन सब उपायों के फलस्वरूप १९५२-५३ में पहले साल से १२*३ लाख टन अधिक उपज का अनुमान किया जाता है ।

फरवरी १९५२ में सरकार द्वारा नियुक्त 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना जाँच समिति की सिफारिश के अनुसार सन् १९५२-५३ में सिंचाई के छोटे काम शुरू किये गये । इन के लिए दस करोड़ रुपया दिया गया था । इस के अलावा सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए राज्यों को भी आर्थिक और टेकनिकल सहायता दी ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्य भारत और भोपाल में २*३५ लाख एकड़ काँस भरी भूमि को जनवरी-जून, १९५२ में जोता । इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नैनीताल की तराई के क्षेत्र की लगभग १८,००० एकड़ जंगली भूमि को पूरी तरह से सुधारा गया । १,६०० एकड़ भूमि में गहरी जुताई और ढेले तोड़ने के अलावा और सब काम पूरे हो चुके हैं ।

१९५२-५३ में लगभग २५० ट्रैक्टरों ने काम किया । यह आशा की जाती है कि ये २*१ लाख एकड़ काँस भरी भूमि को जोतने योग्य बना देंगे, और २५,००० एकड़ भूमि के जंगल को साफ कर देंगे ।

सिन्धु-गंगा की पेटी में भूमिगत जल को सिंचाई के काम में लाने के लिए नल-कूप बनाने का काम भी काफी आगे बढ़ा । दिसम्बर १९५२ तक उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में ४६६ नल-कूप लगाए गए । साथ ही केन्द्रीय नल-कूप उप-विभाग ने ११ नल-कूप और लगाए । भारत-अमेरिका टेकनिकल सहयोग समझौते के अधीन १९५२-५३ में उत्तर प्रदेश में ६६५, बिहार में ३५०, पंजाब में ३५५, और पेप्सू में ३०० नल-कूप लगाने का काम आरम्भ हुआ ।

अधिक उत्पादन के लिए सहायता

बचत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को खरीफ की फसल के लिए ३*१२ लाख मन बीज दिया गया । रबी की फसल के लिए ५*३ लाख मन बीज बाँटा जाएगा, जिस में २*८ लाख मन गेहूँ और २*२ लाख मन चने का बीज होगा । १९५२ में केन्द्रीय वनस्पति उत्पादन केन्द्र में ३,३०० पौंड सब्जियों के बीज पैदा हुए ।

१९५१-५२ में शहरी और देहाती कूड़ा-ककट-खाद-केन्द्रों में कुल १२३ लाख टन खाद बनाई गई जबकि १९५०-५१ में केवल ९८ लाख टन ही बनाई गई थी। इस साल पिछले साल से अधिक खाद बाँटी भी गई।

गांधी जयन्ती के अवसर पर २ अक्टूबर से लेकर ८ अक्टूबर तक ग्राम सुधार सप्ताह मनाया गया। उस में कूड़े ककट की खाद के लिए गढ़े खोदें गए, पेड़-पौधे लगाए गए, गाँव साफ किए गए और कूड़े से खाद बनाई गई। कूड़े-ककट और मैले से खाद बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दस और योजनाएँ स्वीकार की गईं और राज्य सरकारों ने वर्तमान योजनाओं को फिर से नया रूप दिया। इन योजनाओं से १६,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुँचाने की आशा है।

१९५२-५३ में अनाज की तथा अन्य फसलों के लिए लगभग ३७ लाख टन अमोनियम सल्फेट दिया गया। इस साल भारत-अमेरिका-टेकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी मात्रा में अमोनियम सल्फेट बाहर से मँगाया गया। १९५२ के समझौतों के अनुसार ३१ दिसम्बर १९५२ तक लगभग ९०,००० टन अमोनियम सल्फेट बाहर से मँगाया जा चुका था।

१९५२ के जनवरी से अगस्त तक २७,४०० टन सुपर-फास्फेट राज्यों को और चाय और काफी आदि दूसरे उद्योगों को दिया गया। १९५२-५३ में टेकनिकल-सहयोग-करार-कार्यक्रम के अन्तर्गत ४,५०० टन ट्रिपल-सुपर-फास्फेट भी बाहर से मँगाया गया। इस के अतिरिक्त ८,५०० टन अन्य उर्वरक इन्हीं दो सालों में मँगाए गये। राज्यों को १३७ लाख टन लोहा और इस्पात खेती के काम के लिये दिया गया। इसके अलावा, ११० लाख टन इस्पात टेकनिकल-सहयोग-करार-कार्यक्रम के अर्धन मँगाया जायगा। इसमें से ७८,००० टन इस्पात किसानों और ग्रामीण लाहारों का तथा ३२,००० टन नये ढंग के खेती के औजार बनाने वाले कारखानों को दिया जायगा। खेती के काम के लिये सीमेंट, कोयला और नल भी दिये गये।

रेलवे भूमि

रेल-मार्गों के आस-पास पड़ी फालतू भूमि को प्रयोग में लाने के लिए एक योजना आरम्भ की गई। इस साल लगभग १२,८०० एकड़ भूमि राज्य

सरकारों द्वारा रेलवे से प्राप्त की गई । इस क्षेत्र में से लगभग ६,५०० एकड़ भूमि बिहार, बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल और त्रान्कोर-कोचीन के कार्तकारों को ठेके पर दे दी गई ।

खराब और बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए केन्द्रीय मशीनी फार्म खोले जा रहे हैं । इसी प्रकार जम्मू के अन्दर २,००० एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए एक फार्म खोला गया है ।

कपास

इस साल, कपास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए । उन में कपास उगाने वाले क्षेत्रों को सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएँ देना, कपास के अच्छी किस्म के बीज और अमोनियम सल्फेट खरीदने के लिए राज्यों को बिना ब्याज के ऋण देना, कपास के बीज के लिए आर्थिक सहायता देना और कार्तकारों को टेकनिकल सलाह देने और प्रचार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी सम्मिलित है । १९५२-५३ में ६३ लाख रुपए का बिना ब्याज का कर्ज और १२ लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकारों को दिए गए ।

इस के अलावा, कपास पैदा करने वालों को अच्छी कीमत दिलाने के लिए कपास की मुख्य-मुख्य किस्मों की कम से कम कीमत पिछले साल की अपेक्षा ५५ रुपए प्रति गाँठ बढ़ा दी गई, और कई और किस्मों पर कंट्रोल लगा दिया गया । १२ दिसम्बर १९५२ से बम्बई रुई बाज़ार को नियन्त्रित रखने के कार्यक्रम को भी फिर से चालू किया गया । सरकार ने अपनी रुई-निर्यात-नीति को भी उदार कर दिया ।

१९५२-५३ की फसल के लिए २.५ लाख गाँठों के निर्यात कोटे के अतिरिक्त कलकत्ता से आसाम-कोमिल्ला का और मद्रास से कोकोनाडा का मुक्त निर्यात की आज्ञा दे दी गई । १९ नवम्बर १९५२ से आसाम-कोमिल्ला पर लगने वाला निर्यात-कर पूरी तरह हटा दिया गया, और बंगाल देशी पर २०० रुपए प्रति गाँठ से घटा कर १२५ रुपए प्रति गाँठ कर दिया गया । १९५१-५२ में रुई की ३१.३ लाख गाँठों (एक गाँठ = ३६२ पौंड) पैदा की गईं जब कि १९५०-५१ में २६.७ लाख गाँठों, १९४९-५० में २६.३ लाख गाँठों और १९४८-४९ में केवल १७.७ लाख गाँठे पैदा की गई थीं । १९५२-५३ की फसल मौसम की खराबी से कम पैदा हुई ।

जूट

भारत को जूट के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने के लिए खाद बाँटा गया, सन मुलायम करने के लिए तालाव बनाए गए और बीज बढ़ाने के लिए फार्म स्थापित किए गए । सुधरी हुई किस्म के बीज बोनो और उन्हें एक लाइन में बोनो की विधि को समझाने के लिए प्रदर्शन किए गए । काश्तकारों को पड़ती ज़मीन में भी जूट बोने की सलाह दी गई और जिस भूमि पर सर्दी में चावल पैदा किया गया हो उस पर फौरन जूट बोने को कहा गया । १९५२-५३ में ३८ लाख रुपया बिना व्याज के कर्ज़ों के रूप में और ८५ लाख रुपया सहायता के रूप में जूट की खेती बढ़ाने के लिए राज्यों को दिया गया ।

१९५२-५३ में जूट की ४६.९ लाख गाँठें (१ गाँठ = ४०० पौंड) पैदा की गईं जबकि १९४८-४९ में केवल २०.७ लाख गाँठें पैदा हुई थीं । योजना के पाँच सालों के अन्त में जूट की उपज का जो अतिरिक्त लक्ष्य योजना कमीशन ने निश्चित किया था, वह १९५०-५१ के उत्पादन से २०.९ लाख गाँठें अधिक है । इस प्रकार योजना के बाकी के तीन सालों में हमें केवल ७ लाख गाँठों की कमी पूरी करनी है ।

खाद्य-नियन्त्रण

खाद्य-वितरण सम्बन्धी जो सब से खास कदम १९५२ में उठाया गया वह कुछ राज्यों में नियन्त्रण का ढीला कर दिया जाना है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं : राशनिंग के बदले उचित मूल्य पर अनाज बेचने वाली दुकानें स्थापित करना, अन्न प्राप्ति के तरीकों में सुधार, राज्यों के बीच माल भेजने में अधिक स्वतंत्रता, और कम खर्च करने के लिए बनाए गये नियमों में उदारता । १९५२ के अन्त में सरकार के पास अनाज का केन्द्रीय संग्रह पर्याप्त था । आवश्यक नियन्त्रणों को रखने सम्बन्धी सरकार की आधारभूत नीति में कोई अन्तर नहीं आया । उदारताओं के बावजूद अनाज जमा रखने और अनुचित लाभ उठाने की सम्भावना को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए गए ।

१९५२ में सरकार ने १९,११,००० टन अनाज बाँटा, जबकि १९५१ में १३,०७,००० टन बाँटा गया था ।

अन्न की प्राप्ति

१९५२ में अन्न प्राप्त करने के लिए ३७ लाख टन का लक्ष्य निश्चित

किया गया था जिसमें से ३४ लाख टन प्राप्त किया गया। कमी का कारण कुछ राज्यों में साल के बीच में अन्न-प्राप्ति की प्रणाली में परिवर्तन का किया जाना है। दूसरी तरफ हैदराबाद, मध्यभारत, मैसूर और सौराष्ट्र आदि राज्यों में अन्न की प्राप्ति निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ गई।

आयात

१९५२ में आयात का लक्ष्य ५० लाख टन निश्चित किया गया था। परन्तु बाद में भण्डारों में माल अधिक हो जाने के कारण आयात कम हो गया। साल में ३८.६ लाख टन का आयात हुआ, जिसकी कीमत २१० करोड़ रुपए थी। इस में २५.१ लाख टन गेहूँ और आटा, ७.२ लाख टन चावल और ६.३ लाख टन मिलो था। इस आयात में ११.१ लाख टन गेहूँ और मिलो शामिल है जो ऋण-समझौते के अधीन अमेरिका से भेगाया गया और १.७ लाख टन गेहूँ और आटा शामिल है जो कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा और आस्ट्रेलिया से भेगाया गया।

वस्तुओं के आदान-प्रदान-समझौते के अनुसार पाकिस्तान ३६,७०० टन अमरीकी गेहूँ के बदले ३७ ७०० टन सिन्धी चावल देने को राजी हो गया है।

राशनिंग

राशन या तो पूरी तरह से उठा दिया गया या पहले से कम शहरों में कर दिया गया। ऐसे सब राज्यों में उचित दामों वाली दुकानें खोल दी गईं जिनसे कार्ड दिखाकर लोग उतना ही अनाज ले सकते हैं जितना कि राशन की दुकानों से लेते थे। इसके साथ साथ वे अपनी कमी को खुले बाजार में पूरी कर सकते हैं।

इन सब सुविधाओं के फलस्वरूप दिसम्बर १९५२ में राशन लेने वालों की संख्या ३१२ लाख रह गई, जब कि मई १९५२ में, जब नियन्त्रण ढीले नहीं किए गए थे, यह संख्या ४६० लाख थी। और अन्य प्रकार की राशन प्रणाली के अधीन, जिसमें उचित मूल्यों वाली दुकानें भी शामिल हैं, मई १९५२ में राशन लेने वालों की संख्या ६८२ लाख से बढ़ कर दिसम्बर १९५२ में ६७१ लाख हो गई।

बेचने के भाव

खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता को १ मार्च १९५२ से रोक देने के कारण कुछ केन्द्रों में बिक्री के भावों में कुछ वृद्धि हो गई। सरकार आयात किए

हुए (घटिया किस्म के और टूटे हुए) चावल और मिलो को निरन्तर घाटा उठा कर कम दामों पर देती रही। ये कीमती लेने वालों की सुविधा के लिए और भी घटा दी गई। कुछ राज्यों को सलाह दी गई कि वे कम कीमत वाले स्थानीय अनाज को आयात किए हुए कीमती अनाज के साथ मिला दें। इससे कुछ केन्द्रों में गेहूँ और मिलो के बिक्री के भावों में कुछ कमी हो गई।

दुर्भिक्ष की हालतें

१९५२ के अन्तिम दिनों में बम्बई के महाराष्ट्र प्रदेश व मैसूर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दुर्भिक्ष के चिन्ह दीखने लगे। प्रभावित क्षेत्रों को संकट से बचाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा फौरन कदम उठाए गए। साथ ही केन्द्रीय सरकार ने ऋण और सहायता दी और कुछ राज्यों में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। मद्रास के रायलसीमा क्षेत्र में सशस्त्र फौजों ने कुँओं को गहरा करने और नए कुँए खोदने में बहुत मदद दी।

साथ ही, स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी रूप में संकट को दूर करने के लिए एक दल ने मद्रास के रायलसीमा क्षेत्र, बम्बई के महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक क्षेत्रों तथा मैसूर और पश्चिमी बंगाल का दौरा किया। सौराष्ट्र में दुर्भिक्ष के कारणों को खोजने और बाढ़ के नियंत्रण और जमीन की तरी और कटाव को रोकने आदि उपायों द्वारा जमीन को उपयोग में लाने के तरीके बताने के लिए एक समिति नियुक्त की गई।

सेना के लिए खाद्य सामग्री

१९५२ में सेना के लिए ५.३ करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की ७२,००० टन खाद्य सामग्री देश के अन्दर से खरीदी गई, और ४.३६ करोड़ रुपए की कीमत की ७८,००० टन आयात किए हुए माल में से ली गई। २६ लाख रुपए के लगभग १,६०० टन डिब्बाबन्द फल और सब्जी भी सेना के लिए मँगवाई गई। इसी साल योल (काँगड़ा ज़िला) के केन्द्र द्वारा प्रशासित सहायता शिविर को ३.२ लाख रुपए की खाद्य सामग्री दी गई।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

पारिषद् ने विभिन्न राज्यों में ३६ शाखाएँ खोलीं। यह अब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में १४ उपाहारगृह चला

रही है, जिनमें एक चलता-फिरता उपाहार-गृह भी सम्मिलित है। परिषद् ने खाना पकाने के बहुत से प्रदर्शन किए, औगों की सभाएँ कीं और खाना पकाने के सम्बन्ध में किताबें छपाई ।

विदेशों के उपाहार-गृहों में रह कर उनके काम करने के ढंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए खाद्य और कृषि-संगठन ने टेकनिकल-सहायता-योजना के अधीन परिषद् को ३ शिक्षावृत्तियाँ दीं। परिषद् ने बम्बई में एक स्कूल भी खोला जिसमें भोजन विज्ञान और पोषण की शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल के संगठन के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान की हैं।

चीनी

१९५१-५२ में चीनी का उत्पादन १५ लाख टन तक पहुँच गया। इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए सरकार ने चीनी, गुड़ और खांड की कीमतों पर लगे नियंत्रण को ढीला कर दिया। इसके साथ ही १९५२-५३ की फसल के लिए गन्ने की कीमत भी कम कर दी।

दिसम्बर १९५२ तक लगभग २६,६०० टन चीनी, ५०,००० टन गुड़ और १०,००० टन खांड निर्यात की जा चुकी थी। आगे कीमतों की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए फिलहाल निर्यात बन्द कर दिया गया है।

वनस्पति

१९५२ में १.६० लाख टन वनस्पति तैयार किया गया, जबकि १९५१ में केवल १.७२ लाख टन तैयार किया गया था। क्योंकि माल आसानी से आ रहा था, इसलिए जून १९५२ में वनस्पति की कीमतों पर से नियंत्रण उठा लिया गया। धी-अपमिश्रण समिति ने, जो कि सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, सिफारिश की कि प्रत्येक फैक्टरी से निकलने वाले वनस्पति के साथ इस बात का प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि वह 'बोडोइन' जांच पर पूरा उतरता है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि तिल के तेल के साथ कैराटीन तेल मिलाकर वनस्पति को नारंगी रंग का बना दिया जाए और उसमें विटामिन 'ए' मिलाकर उसकी पोषण-शक्ति को बढ़ा दिया जाए। सरकार ने पहली और तीसरी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक दूसरी सिफारिश का सवाल है, अभी और प्रयोग होने शेष हैं, क्योंकि जिस रंग की सिफारिश की गई थी वह कच्चा निकला और उसे खरीदने के लिए डालर खर्च करने पड़ते थे।

अनुसन्धान

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् निरन्तर विभिन्न केन्द्रों में हुई कृषि सम्बन्धी खोजों को समन्वित करती रही । १९५२ में ३०० से भी अधिक योजनायें इन केन्द्रों से चलाई गईं । नई और पुरानी योजनाओं के लिये ४० लाख रुपया दिया गया । इन योजनाओं में अधिक महत्वपूर्ण वह योजना है जो जापानी ढंग से चावल की खेती करने के सम्बन्ध में है और जिसका प्रयोग बम्बई में हुआ है । यह बताया गया है कि साधारण भारतीय ढंग से खेती करने से चावल की जितनी उपज होती है उसकी अपेक्षा जापानी ढंग से खेती करने से चावल की उपज कहीं अधिक हुई । इसी परिषद् की खोजों के परिणाम स्वरूप एक नई प्रकार का मीठा आलू भी, जिस की—४,००४ कहते हैं, बम्बई में उत्पन्न किया गया । इस किस्म का आलू १३,५०० पौंड प्रति एकड़ पैदा होता है ।

केन्द्रीय अनुसन्धानशालाएँ

भारतीय कृषि-अनुसन्धानशाला में हाने वाली खोजों में जमीन की उर्वरता के लिए उर्वरकों का प्रयोग और भारत-अमरीकी-टेकनिकल-महभाग समझौते के अधीन किये जाने वाले कृषि-प्रयोगों सम्बन्धी योजनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

इस साल, कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसन्धानशाला में पौधा सम्बन्धी पड़ताल (सर्वे) और उड़ीसा राज्य के जेपुर स्थित से किस्म-सुधार-सम्बन्धी पदार्थों को इकट्ठा करने की एक योजना शुरू की गई है । चावल की 'इंडिका' और 'जैपोनिका' किस्मों को मिलाकर नई किस्में पैदा करने की एक पंचसाला योजना भी चालू है । खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस अनुसन्धानशाला को चावलों की किस्में पैदा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में चुन लिया है । केन्द्रीय आलू अनुसन्धानशाला में आलू के विकास की पंचसाला योजना भी काफी आगे बढ़ रही है । इस योजना पर १४.५ लाख रुपया लगाने का अनुमान है और ३० लाख मन आलू के बीज का लक्ष्य निश्चित किया गया है ।

जिस-समितियाँ

भारतीय केन्द्रीय कपास समिति आजकल इस कोशिश में है कि कपास

की लम्बे रेशे वाली किस्मों के बीज विकसित किये जायें और अच्छी किस्मों को प्रचलित किया जाये। इस समिति की प्रयोगशालाओं में कपास की खेती, शिल्पविज्ञान एवं अंकविज्ञान सम्बन्धी पहलुओं पर खोजें की गईं। इन्दौर की पौधा उद्योग प्रयोगशाला में कपास के वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान और उत्पत्ति विज्ञान पर खोजें हो रही हैं।

जूट कृषि अनुसन्धानशाला में जूट का नई किस्म का बीज प्रगुणित किया गया और जूट उगाने वाले राज्यों को लगभग २०० मन बीज दिया गया। जूट की किस्म सुधार और उत्पत्ति विज्ञान की खोज में सन्तोषजनक प्रगति हुई।

इज्जतनगर में घानी और मशीन द्वारा निकाली गई खली की तुलनात्मक पौष्टिकता की खोज सम्बन्धी योजना जारी है। विभिन्न राज्यों में, गाँवों में तेलवालों की सहकारी समितियाँ बनाकर तेल निकालने के प्राभीण उद्योग के विकास की एक और योजना भी चालू है।

इसी साल भारतीय चीनी टेक्नोलोजी और गन्ना अनुसन्धानशाला की नींव रखनऊ में रखी गई। कानपुर में भारतीय चीनी टेक्नोलोजी अनुसन्धानशाला में इस बात के लिये जो प्रयोग किये गये थे कि क्या गंधक का इस्तेमाल किये बिना सफेद चीनी बनाई जा सकती है, उनके परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोयम्बटूर की गन्ना सुधार प्रयोगशाला में नई किस्म के गन्ने पैदा किये गये।

भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति ने अपने गुन्तूर और राजमहेन्द्री के अनुसन्धान-केन्द्रों में किसान सप्ताह का आयोजन किया। इस अवसर पर वर्जीनिया तम्बाकू की खेती के ढंग में सुधार करने के लिये किये गये विभिन्न प्रयोगों के परिणाम किसानों को समझाये गये। विदेशों में भारतीय तम्बाकू के प्रचार के लिये तम्बाकू के अच्छे-अच्छे नमूने भेजे गये।

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ने विभिन्न राज्यों में नारियल के २८ पौदघरों का अपने खर्च से प्रबन्ध किया। ये पौदघर सालाना ४.८ लाख पौदे पैदा करते हैं। कासारगोद के पौदघर में १०,००० पौदे प्रति वर्ष पैदा किये जाते हैं। इस साल बंगाल और अन्धम में नारियल के विकास की और रासौल और कासारगोद में पौदों के नारियों की रोकथाम की योजनायें शुरू की गईं।

भारतीय केन्द्रीय सुगरो समिति ने भी सुपारी सम्बन्धी खोजों की बहुत सी योजनाओं के लिये सहायता दी। मैसूर, ब्रायन्कोर-कॉन्चीन, और दक्षिणी कनारा में तीन प्रादेशिक सुपारी खोज केन्द्र खोले गये।

पशु-चिकित्सा सम्बन्धी खोज

१९५२ में भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धानशाला ने लगभग ४० लाख खुराकें और विभिन्न औषधियाँ तैयार कीं। चतुर्थ लक्ष्मीय कार्यक्रम के अधीन अमेरिका के एक विशेषज्ञ की सलाह से नई यन्त्रसामग्री को लगाने के लिये बायोलॉजिकल प्रौडक्ट्स डिजीजन में रद्दोबदल करनी पड़ी। खाद्य और कृषि संगठन ने इस प्रयोगशाला का औपधीय पदार्थ बनाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र के रूप में स्वीकार कर लिया है।

दूध सम्बन्धी खोज

भारतीय डेरी अनुसन्धानशाला ने मक्खन निकले दूध से सूयें म्याथ पदार्थ बनाने की आठान विधियाँ निकालीं। ऐसे पदार्थों का गृह-उद्योग-स्तर पर बनाने के लिये उपकरण गृह भी बनाया गया। एक औद्योगिक ढंग का घी को उबालने का बायलर भी तैयार किया गया। शाला ने लाल सिन्धी और गिर गायों के वंश-विकास का कार्य जारी रखा।

ऊन सम्बन्धी खोज

इस साल प्रादेशिक आधार पर भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिपद् की भेड़ों की नस्ल सुधार सम्बन्धी योजनाओं को नया रूप दिया गया और हर प्रदेश में अनुसन्धान-केन्द्र खोले गये।

मछली उद्योग सम्बन्धी खोज

बारकपुर के केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली अनुसन्धान केन्द्र में अन्तर्देशीय मछली उद्योग से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी समस्याओं का अध्ययन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि किस तरह अधिक से अधिक मछली पैदा की जा सकती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में छोटी मछलियों का पता लगाने तथा उनकी मात्रा का अनुमान लगाने के लिये पड़ताल का काम शुरू हो गया है। चिल्का झील में मछली के उत्पादन का अध्ययन भी पूरा किया गया। विस्तार के क्षेत्र में ३५ लाख से भी अधिक छोटी मछलियाँ विभिन्न राज्यों को संग्रह करने के लिये भेजी गईं।

इस साल मंडपम के केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसन्धान केन्द्र में समुद्री मछली उद्योग के, खारे पानी की मछली को बढ़ाने के और व्यापारिक दृष्टि से आवश्यक समुद्री मछलियों के बारे में अध्ययन जारी रहा ।

सारडीन मछली उद्योग की ओर, जो कि वर्षों से अवनति पर था और अब पुनर्जां वित होने लगा है, विशेष ध्यान दिया गया । केन्द्र से संयुक्त विशेष अनुसन्धानशालाओं ने कोचीन और मद्रास में प्रान और शैल मछली पर प्रयोग किये । एक जापानी फर्म पिछले साल से मछली पकड़ने के एक जापानी जहाज पर बम्बई से आगे समुद्र में मछलियाँ पकड़ रहा था । उसने १,००० टन से भी अधिक मछलियाँ पकड़ीं । अक्टूबर १९५२ से खाद्य और कृषि संगठन से एक मछली उद्योग सलाहकार इस केन्द्र में काम कर रहा है ।

वन-अनुसन्धान

इस साल वन-अनुसन्धानशाला ने वन में पेदा होने वाली उन चीजों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिये काम किया जा या ता बेकार समझा जाता थी या व्यापारिक दृष्टि से कम कीमती । चौड़ा पत्तियों वाली कई किस्म की घासों से लिखने और छापने का कागज और अखबारी कागज बनाने के लिये रासायनिक लुगदी तैयार करने की काशिश की गई और उनमें से कुछ उपयुक्त पाई गईं । चीनी की सीठी, धान के पयाल और उल्ला घास से बनाये गये कागज के गत्ते बहुत संतोषजनक सिद्ध हुए । लकड़ी को अधिक अच्छी तरह और जल्दी सिभाने के लिये एक सन्दूक तैयार किया गया, जिसमें सूर्य-शक्ति को संग्रहीत किया गया । इसके कारण एक तिहाई समय लगने लगा । कपूर के तेल को परिष्कृत करने के लिये एक छोटा केन्द्र गृह-उद्योग के स्तर पर बनाया गया । दियासलाई और प्लाईवुड उद्योग के लिए कुछ वृक्षों की लकड़ी को छीला गया और इस बात की जाँच की गई कि वह दियासलाई बनाने योग्य है या नहीं । सफेद बलूत जूट की मिलों के लिये ऐने बनाने के लिये उपयुक्त निकला ।

जहाँ तक ट्रेनिंग का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्यों के वन-अफसरों के लिये बहुत से रिफ्रेशर कोर्स शुरू किये गये । इसी साल थाईलैंड के दो विद्यार्थियों ने और वर्मा सरकार के एक विद्यार्थी ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की ।

लाख-अनुसन्धान

नामकम स्थित लाख-अनुसन्धानशाला द्वारा लाख के दो नए उपयोग खोजे गए, पहला मिट्टी के बर्तनों पर तह चढ़ाने में और दूसरा कम ताकत के बिजली के बल्बों पर सफेद सीमेंट करने में ।

कृषि-विस्तार

१९५२ में अनुसन्धान-कर्ताओं और किसानों के बीच की खाई को पाटने के लिये एक विस्तार-संगठन बनाया गया । फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से एक प्रतिनिधिमण्डल ने जापान और अमेरिका का दौरा वहाँ की विस्तार-सेवाओं का अध्ययन करने के लिये किया । १९५२-५३ में देश में विस्तार-कार्य के लिये २४.४ लाख रुपया निर्धारित किया गया ।

फसल-प्रतियोगिता

१९५१-५२ में लगभग २२ राज्यों ने फसल-प्रतियोगिता के कार्यक्रम में भाग लिया । लगभग १ लाख एकड़ भूमि पर प्रतियोगिता-खेती की गई जबकि १९५०-५१ में ४७ ००० एकड़ में ही की गई थी । 'कृषि-परिदृष्ट' के प्रमाण-पत्रों के साथ उन काश्तकारों को, जिन्होंने सबसे अधिक उपज करके दिखाई, ५,००० रुपये के नकद इनाम भी बाँटे गये ।

टिड्डियों का नियंत्रण

१९५२-५३ में टिड्डियों से मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये । फुदकने वाली छोटी टिड्डियों के बहुत से दलों को समय पर नियन्त्रण में ले आने से फसलों को बहुत कम हानि हुई । भारत-अमेरिकी-टैक्नीकल सहायता के अधीन इस काम के लिये हवाई जहाज और अन्य सामग्री भी ली गई । कुछ कीड़े मारने वाली औषधियाँ और अन्य सामग्री टिड्डियों का हमला रोकने के लिये ईरान भेजी गई ।

ताड़ गुड़

पहली पंचवर्षीय योजना में ताड़ गुड़ उद्योग के विकास के लिये एक चार साला योजना भी शामिल की गई है । अब भी चौदह राज्यों में योजनाओं पर कार्य हो रहा है, जिन पर १९५१-५२ में लगभग १३.४ लाख रुपया खर्च हो चुका है ।

पशु-विकास

१९५२-५३ में ६६ मुख्य पार्म केन्द्र स्वीकृत किये गये थे। इनमें १९५१-५२ के केन्द्र भी शामिल हैं। इस योजना में अन्धे बैलों से या कृत्रिम गर्भाधान से गाँव में अन्धे जानवरों की नम्ल पैदा करने के लिये १५० केन्द्रों और ६०० केन्द्र-ग्रामों के स्थापित करने की व्यवस्था है।

इसके साथ ही, गोसदन-योजना के अनुसार बेकार जानवरों को अलग करने के लिये कदम उठाये गये। १९५२-५३ में १८ गोसदन प्रारम्भ किये गये।

पशुधन के विकास के महत्व पर सबका ध्यान केन्द्रित करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित गो-संवर्धन की केन्द्रीय परिषद् ने गो-संवर्धन दिवस मनाया। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों में गोशालाओं में काम करने वालों को शिक्षा दी गई तथा गोशालाओं और रिजरापोलों के नये राज्य संघ खोले गए या मौजूदा संघों का पुनर्गठन किया गया।

वन

१९५२ में केन्द्रीय वन-बोर्ड ने अपनी नई वन-नीति तैयार की। वन-प्रेमी संघ ने जनसाधारण की नजरों में वनों का कीमत को बढ़ाने के लिए टोस प्रयास किये। वन-महोत्सव भी चौथी बार बहुत जोर से मनाया गया। वनों को सुरक्षित रखने और दुबारा बढ़ाने के लिये मद्रास राज्य में २५ से भी अधिक सालों तक पंचायतों के प्रबन्ध में रहने के बाद बड़े बड़े वन-क्षेत्र वन-विभाग के अधिकार में फिर से आ गये। राजस्थान के रेगिस्तान के बढ़ते जाने की समस्या पर विचार करने के लिये जांघपुर में एक प्रायोगिक अनुसन्धान केन्द्र खोला गया। उत्तरी अन्दमान के वनों की कटाई का काम शुरू हो चुका है और लगभग ७,५०० टन सख्त और मुलायम लकड़ी भारत पहुँच चुकी है।

वन के जीव

भारत सरकार ने एक केन्द्रीय बोर्ड कम मिलने वाले वन-जीवों को, जिनके लिये कि भारत प्रसिद्ध है, सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिये स्थापित

किया है। जंगली जीवों की उन जातियों के लिये, जो बहुत कम मिलती हैं अथवा जिनके विलकुल ही खत्म हो जाने का डर है, बोर्ड ने राष्ट्रीय पार्क और वन-जीव-रक्षा-केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

टेकनिकल सहायता

इस साल वनोद्योग, मछली-उद्योग, पशु-पालन और कृषि के लिये विशेषज्ञों के रूप में टेकनिकल सहायता देने के लिये खाद्य और कृषि संगठन तथा भारत के बीच इस साल कटक के चावल सुधार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त कई समझौते हुए। कोयम्बटूर में भूमि की उर्वरता की शिक्षा के लिये और इज्जतनगर में पशुओं की खूनी दस्त की बीमारियों के टीके तैयार करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा केन्द्र स्थापित किए गए।

साथ ही अमेरिका के चतुर्थ लक्ष्यीय कार्यक्रम और कोलम्बो योजना के अधीन टेकनिकल सहायता भी मिली। इस साल कृषि और सम्बन्धित विषयों के बीस विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हुईं, और २५ भारतीय अफसर शिक्षा के लिये बाहर भेजे गये।

फोर्ड फाउण्डेशन और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार प्रस्तावित केन्द्रों में से २३ खोले जा चुके हैं। ये केन्द्रीय कार्यकर्ताओं को ग्राम सम्बन्धी विविध कार्यों और गाँव तथा शहरों की सम्मिलित सामूहिक योजनाओं की शिक्षा देंगे।

विद्यार्थियों को कृषि और विस्तार की प्रयोगात्मक शिक्षा देने के लिए जो पैसा फोर्ड फाउण्डेशन ने दिया था उससे ही चुने हुए छः कृषि-कालेजों में विस्तार विभाग खोले जा रहे हैं।

साथ ही त्रावन्कोर-कोचीन में मछली उद्योग के विकास के लिये एक योजना शुरू करने के लिये नावे की सरकार से सहायता प्राप्त हुई। इस योजना पर १९५३-५४ में ३७.६ लाख रुपया खर्च होगा, जिसमें से २७ लाख रुपया नावे की सरकार देगी।

अंक-संकलन

१९५२ में खेती की २३ जिलों के बारे में ७४ अखिल भारतीय फसल

अनुमान प्रकाशित किये गये। कृषि सम्बन्धी आर्थिक आँकड़ों को सुधारने की दृष्टि से अंक संग्रह न करने वाले क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन और भूमि की मात्रा के अनुमान, ऊन के उत्पादन के अनुमान और फलों और शाकों के आँकड़ों के संग्रह के लिए योजनायें बनाई गईं और राज्य सरकारों को भेजी गईं। उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के आँकड़े भी १९४६-४७ में ५,५६० लाख एकड़ से बढ़ कर १९४६-५० में ६,७३० लाख एकड़ हो गए। जो क्षेत्र बाकी बचे हैं उनके आँकड़े अगले कुछ सालों में तैयार हो जायेंगे।

इसी प्रकार वन-विषयक आँकड़े भी, जो पहले केवल तत्कालीन अंग्रेजी प्रान्तों और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों तक ही सीमित थे, अब सारे देश तक विस्तृत हो चुके हैं। वन विषयक आँकड़ों को सुधारने के लिए एक पत्रक तैयार किया गया है और राज्यों को भेजा गया है। आर्थिक सहायता देने की नीति में जो सुधार हुए उनका दिल्ली में खाद्यान्नों की निकासी पर क्या असर पड़ा, इसकी जाँच भी भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, दिल्ली राशन प्रशासन आदि के सहयोग से की गई। इसी साल परिषद् द्वारा की गई पंच-वर्षीय कृषि-आँकड़े सुधार योजना भी पूरी की गई। इस योजना की विशेषता यह है कि इससे राज्यों द्वारा इकट्ठे किये गये क्षेत्र विशेष के आरम्भिक आँकड़े सही हैं या नहीं इस बात की सीधी जाँच केन्द्र द्वारा हो सकेगी।

इसके साथ ही इस साल मद्रास के पूर्वी समुद्र तट पर पकड़ी गई समुद्री मछलियों की तादाद, मध्य प्रदेश के एक जिले में पशुओं की गिनती और मध्य प्रदेश के अकोला जिले में कपास के उत्पादन के लिये और फसलों की अदला-बदली के लिए आवश्यक भ्रम एवं साधनों के अनुमान के लिये आरम्भिक पड़ताल शुरू की गई। खाद्य और कृषि संगठन के अंक-विशेषज्ञ प्रो० टी० जे० फिने की सेवाएँ भी परिषद् को अपने शिक्षण एवं अनुसन्धान-कार्य में सहायता और सलाह देने के लिये मिलीं।

साल में ३० पुस्तकें प्रकाशित की गईं। उनमें भारत में कृषि-सम्बन्धी कानूनों पर लिखी गई पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतीय कृषि-सम्बन्धी अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तकों की एक सूची छप रही है।

सिंचाई और बिजली

मई सन् १९५२ में भारत सरकार के प्राकृतिक सभ्रन और वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग के दो भागों में बाँटे जाने पर सिंचाई और बिजली विभाग की स्थापना की गई । यह विभाग और बातों के साथ-साथ, सिंचाई और बिजली के विकास, नदी-घाटी योजनाओं, केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन, दामोदर घाटी कारपोरेशन, बिजली और तार और टेलीफोन व्यवस्था में तालमेल पैदा करने और केन्द्रीय विद्युत् संस्था के काम के लिये जिम्मेवार है । पंचवर्षीय योजना के स्वीकार किये जाने पर यह विभाग योजना में शामिल की गई सिंचाई और बिजली की ऐसी योजनाओं के काम की प्रगति की देखरेख करेगा जिनके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाइयाँ

शुष्क इलाकों के बारे में सलाह देने वाली यूनेस्को की कमेटी का तीसरी और चौथी बैठक क्रमशः सन् १९५२-५३ में अंकारा और लंदन में हुई । इनमें शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों के विकास और रेगिस्तानी इलाकों में खेती करने के बारे में कई विषयों पर विचार किया गया । कमेटी यूनेस्को के शुष्क प्रदेश सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन उपयुक्त टेकनिकल और वैज्ञानिक संस्थाओं को सहकारी दर्जा देने की योजना पर विचार कर रही है ! जोधपुर के जसवंत कालेज को यह दर्जा दिया जा चुका है । इस कालेज को शुष्क प्रदेश के विकास सम्बन्धी यूनेस्को की और संयुक्तराष्ट्र संघ की दूसरी संस्थाओं की रिपोर्टें प्राप्त होती रहेंगी । शुष्क प्रदेश के इस कार्यक्रम के अधीन जो अनुसंधान-योजनाएँ शुरू की जाएँगी उनके लिए कालेज को टेकनिकल सहायता मिलाने में अधिक सुविधायें दी जाएँगी । अन्त में, ऐसी संस्थाओं के अध्यक्षाओं की समय-समय पर बैठकें हुआ करेंगी जिनमें कालेज में किए गए अनुसंधान के काम में तालमेल पैदा किया जाएगा ।

अमेरिका के मिचिगन इंजीनियरों की सोसाइटी के बुलावे पर भारत ने शिकागो में सितम्बर सन् १९५२ में सोसाइटी के शताब्दी-समारोह में भाग लिया इसके अलावा भारत ने सिंचाई और नालियों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कमिशन की कार्यकारिणी, बड़े-बड़े बाँधों से सम्बन्ध रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कमिशन, अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत सम्मेलन, और जल शक्ति अनुसन्धान से सम्बन्ध रखने वाली अन्तर्राष्ट्रीय-संस्था की बैठकों में भी भाग लिया ।

कमेटियाँ और सम्मेलन

दामोदर घाटी कारपोरेशन से सम्बन्ध रखने वाली भिन्न-भिन्न समस्याओं की जांच करने और उन पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये १५ अक्टूबर सन् १९५२ को एक समिति बनाई गई । इस समिति को जिन जिन बातों पर विचार करने को कहा गया, वे इस प्रकार हैं—जमीन को फिर से खेती योग्य बनाना और दामोदर घाटी कारपोरेशन द्वारा शुरू किया हुआ पुनःसंस्थापन का काम, कोनार और तिलैया बाँध के निर्माण और उसके डिजाइन में परिवर्तन और दामोदर-घाटी कारपोरेशन के काम के लिए सामान आदि की खरीद, आदि ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कहने पर भारत और पाकिस्तान ने सिन्धु नदी के कछार की जांच करने के बारे में एक दल नियुक्त किया, जो सिन्धु और उसके आसपास की नदियों के पानी का भारत और पाकिस्तान दोनों में अधिक से अधिक उपयोग करने के बारे में योजना तैयार करेगा । इस दल की पहली बैठक मई-जून १९५२ में बैंक के वाशिगटन-स्थित दफ्तर में, दूसरी दिसम्बर १९५२ में कराची में, और तीसरी जनवरी १९५३ में, दिल्ली में हुई । सितम्बर १९५३ में वाशिगटन में इसकी अन्तिम बैठक होगी, जिसमें प्रस्तावित योजना तैयार की जाएगी ।

नदी-घाटी योजनाओं के काम को अधिक से अधिक कुशलता के साथ चलाने के लिए यह जरूरी समझा गया कि देश के अच्छे से अच्छे इंजीनियरों की सेवाएँ प्राप्त की जाएँ । इस सबब से एक ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसके अधीन पन-विजली और सिंचाई के इंजीनियरों की एक आल-इण्डिया-सर्विस शुरू की जाएगी । साथ ही राज्यों के अनुभवी और योग्य इंजीनियरों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य एक केन्द्रीय संस्था बनाना है । ये इंजीनियर भारत और राज्य सरकारों द्वारा शुरू कों गई विभिन्न योजनाओं के लिये टेकनिकल सहायता देंगे ।

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन का मुख्य काम बाढ़ की रोकथाम, सिंचाई, जहाजरानी और बिजली तैयार करने के उद्देश्य से देश के जल साधनों पर नियन्त्रण रखने, उन्हें सुरक्षित रखने और उनका सदुपयोग करने की योजना तैयार करना, उनमें तालमेल पैदा करना और उनका विकास करना है। कमीशन का काम थर्मल-शक्ति के विकास और देश में प्राप्त बिजली के उपयोग और उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने की योजनाओं की देखभाल करना भी है।

इस वर्ष दो समितियों ने केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन के काम की जाँच की। इस जाँच का उद्देश्य कमीशन की संगठन सम्बन्धी और टेकनिकल व्यवस्था में सुधार करना और कमीशन के खर्च में कमी करना था। समितियों की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस वर्ष नदी-घाटी योजनाओं के बारे में सलाह देने के लिए कोलम्बो-योजना, अमेरिका के कम उन्नत देशों को सहायता देने के कार्यक्रम और यूनेस्को के टेकनिकल सहायता कार्यक्रम के अधीन कमीशन ने ६ जानकारों की सेवाएँ प्राप्त कीं। कमीशन के कुछ अफसर ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन और अमेरिका भेजे गए।

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन, भारत सरकार और राज्य-सरकारों के भिन्न-भिन्न विभागों को कई समस्याओं के बारे में अपने विचार बताता रहा है। मिसाल के लिए, पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए बिजली सम्बन्धी कार्यक्रमों के टेकनिकल और आर्थिक पहलुओं पर काफी काम किया गया और उन पर विचार प्रगट किए गए।

केन्द्रीय डिजाइन-संस्था ने नमूनों और अनुमानों की जाँच आदि से सम्बन्ध रखने वाली भिन्न-भिन्न समस्याओं आदि पर राज्य-सरकारों को सलाह दी। संस्था ने पश्चिमी बंगाल की मयूराक्षी बाँध योजना, चंबल हाइडल और इर्शीगेशन प्रोजेक्ट, आसाम की उमतरु-हाइडल-योजना और राजस्थान के जवाई बाँध के बारे में नमूनों, ड्राइंग आदि की पूरी जाँच की।

नदी-घाटी-योजनाएँ

सन् १९५२-५३ में जिन बाँधों का निर्माण-कार्य जारी है, उनके काम में चतुर्मुखी प्रगति हुई। इनमें से कुछ बाँध इस प्रकार हैं—हीराकुड, काकरापार दामोदर घाटी और भाकरा-नागल-योजनाएँ।

हीराकुड बांध योजना

अक्टूबर सन् १९५० में महानदी पर रेल और सड़क के पुल बनाए जाने के बाद मुख्य बाँध, पुरते, और नहरें बनाने का काम शुरू कर दिया गया। बाँध के ऐसे हिस्से जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, बनाए जा रहे हैं और यह काम काफी आगे बढ़ा है। ३८०० फुट लंबे कंकरीट के बाँध के लिए नींव की खुदाई का काम लगभग पूरा ही गया है और कंकरीट डालने का काम शुरू हो गया है। बाहर के मिट्टी के पुरते बनाने का काम भी काफी आगे बढ़ा है, और कुछ भाग तो बनकर तैयार भी हो गए हैं। नहरें बनाने का काम भी सुचारु रूप से चल रहा है। दो बड़ी मशीनें लगा दी गई हैं, जिनमें स्पिल-वे और बाँध के दाहिने किनारे के निर्माण के लिए कंकरीट तैयार की जाएगी। ये मशीनें जल्दी ही चालू हो जाएँगी।

योजना के लिए बहुत ज्यादा सीमेंट की जरूरत है और राजगंगपुर में सीमेंट तैयार करने का एक कारखाना चालू है। अनुमान है सन् १९५३-५४ में बिजली-घरों, सब-स्टेशनों और ट्रांसमिशन-लाइनों पर काम चालू हो जाएगा।

हीराकुड के अनुसंधान-केन्द्र में बाँध और पुरते बनाने से सम्बन्ध रखने वाली इंजीनियरी सम्बन्धी बातों पर तजुबे किए गए और उनकी जाँच की गयी। कमीशन की दूसरी योजनाओं का काम भी इस वर्ष केन्द्र में परीक्षण के लिए भेजा गया।

हीराकुड जलाशय कोई १५७,६०० एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। चूँकि यह बाँध सन् १९५६ तक बन जाना है, इस लिए तब तक उन सभी जमीनों का बन्दोबस्त फिर से कर लिया जाएगा, जिन पर उस समय तक खेती शुरू करनी है। उड़ीसा सरकार यह काम कर रही है। पता चला है कि उसने अप्रैल १९५२ तक ६,५५० एकड़ जमीन खेती योग्य बना ली है और अगले चार वर्षों में ६१,००० एकड़ जमीन खेती योग्य बगाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। बाँध बनाने के सिलसिले में जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं उन्हें इस क्रम से बसाया जायगा कि हर साल के अप्रैल महीने तक २३,००० एकड़ जमीन खेती योग्य बनाई जाएगी और उस पर इन लोगों को बसाया जायेगा।

काकरापार बाँध योजना

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन बम्बई सरकार को ओर से एक बाँध

बनवा रहा है। इस योजना का सारा प्रारम्भिक काम पूरा हो गया है। अनुमान है कि ताप्ती नदी के थार-पार बाँध बनाने का काम जून १९५३ तक पूरा हो जायगा। नहरों और नालियों आदि की खुदाई का काम ज़ोर शोर में चल रहा है और जगह-जगह पर नहरों को पक्का करने का काम शुरू हो गया है। नवम्बर सन् १९५२ के अंत तक योजना पर २ करोड़ ६ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। योजना के पूरे हो जाने पर ६॥ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही अनाज का उत्पादन १ लाख ६० हजार टन और कपास का उत्पादन १६ हजार टन बढ़ जायेगा।

दामोदर घाटी कारपोरेशन

दामोदर घाटी कारपोरेशन का काम शुरू हुए चार वर्ष पूरे हो गये हैं और अब पाँचवाँ वर्ष शुरू हो गया है। इस वर्ष कारपोरेशन की कार्रवाईयाँ काफी बढ़ गईं। कार्यक्रम के पहले भाग के संशोधित अनुमानों के अनुसार इस भाग पर ८३.८ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से कोई ४५ करोड़ रुपया १९५२-५३ के अन्त तक खर्च किया जाएगा।

इस वर्ष तिलैया-बाँध पूरा हो गया। बाँध का उद्घाटन २१ फरवरी १९५३ को प्रधान मन्त्री ने किया था। वास्तव में इस जलाशय में पिछली वर्षों का पानी इकट्ठा किया गया था, और इस से कोई ५ हजार एकड़ जमीन सींची गई। एक पनबिजली घर और दों-दों हजार किलोवाट बिजली तैयार करने के दो कारखाने लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। आशा है इस सारी योजना का काम शीघ्र ही चालू हो जायगा।

कोनार-बाँध बनाने का काम भी काफी आगे बढ़ा है। मिट्टी के बाँध का कोई ५५ फी सदी भाग और कंकरीट के बाँध का ६३ फी सदी भाग तैयार हो गया है। यह सारा बाँध शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायगा।

बोकारो-बाँध-थर्मल-स्टेशन का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। इसमें अन्त में जाकर २,००,००० किलोवाट बिजली तैयार होगी। बोकारो बाँध का कोई ६७ फी सदी काम पूरा हो चुका है। टरबो-जेनरेटर की पहली और दूसरी यूनिट और नम्बर १ और २ बायलर लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। ५०,००० किलोवाट बिजली तैयार करने वाली पहली यूनिट २१ फरवरी १९५३ को चालू हो गई। इस का उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने किया था। सारा बिजली-घर शीघ्र ही चालू हो जायगा।

एक जगह से दूसरी जगह बिजली भेजने और उस के वितरण को व्यवस्था का काम भी आगे बढ़ा है। १३२, ६६ और ३३ किलोवाट शक्ति वाली १५० मील लम्बी लाइनें डाल दी गई हैं और कोई १०० मील लम्बी लाइनें व्यापारिक काम के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। १३२ किलोवाट की शक्ति वाली ६२ मील लम्बी लाइनों के निर्माण का कोई ४० फी सदी काम पूरा हो चुका है। इन के अलावा पाँच ग्रिड सब-स्टेशन और चार रिसेविंग स्टेशन चालू किये जा चुके हैं। बोकारो-थर्मल-स्टेशन का बिजली देने का काम शीघ्र ही शुरू हो जायगा।

मैथान-योजना के निर्माण का काम भी जोरशोर से चल रहा है। दाहिने पुश्ते का काम लगभग पूरा हो रहा है। सर्दियों में नदी के पानी का बहाव एक सुरंग की सहायता से भोड़ दिया गया था और मिट्टी का मुख्य बाँध बनाने का काम सन्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के अनुसार यह बाँध जून १९५४ तक और पन-बिजली केन्द्र मार्च १९५५ तक पूरा हो जायेगा।

पंच-पहाड़ी योजना का प्रारम्भिक और आवश्यक कार्य पूरा हो गया है। पानी के बहाव को मोड़ने वाली नहर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य के लिये ५० लाख रुपये का सामान पहुँच गया है और काम जल्द ही शुरू हो जायगा।

इस के साथ ही बाँध और नहरों का बनाया जाना शुरू हो गया है। इमारतें बनाने का काम और दूसरा आवश्यक प्रारम्भिक काम भी हो रहा है।

भूमि प्राप्त करने का काम भी सन्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ा है। बेघर लोगों को बसाने के लिए २० हजार एकड़ पड़ती ज़मीन प्राप्त की गई। तिलैया, कानार, बोकारो और मैथान इलाकों के ८१ गाँवों का आर्थिक पड़ताल पूरी हो गई है। इन गाँवों में कोई १७ हजार व्यक्ति रहते हैं। अभी तक खेती योग्य बनाई गई कोई ४ हजार एकड़ ज़मीन में १६०० परिवारों को बसा दिया गया है और ऐसे बेघर लोगों के लिए, जो मकान के बदले मकान चाहते थे, ३४३ मकान बनवाए गए हैं।

प्राकृतिक साधनों की पड़ताल शुरू करने और मूल आँकड़े तैयार करने के क्षेत्र में काफी काम किया जा चुका है। अभी तक ४६८० एकड़ ज़मीन खेती योग्य बनाई गई है। इस में से ३६२३ एकड़ ज़मीन

को ठीकठाक कर लिया गया है। कोई १७० एकड़ पड़ती ज़मीन पर एक फार्म खोला गया है, जहाँ प्रयोग वगैरा किए जाएँगे। अभी तक धान आदि की खेती वाली ४६१४ एकड़ ज़मीन खेती योग्य बनाई गई है और १,११० एकड़ जंगल वाली ज़मीन साफ की गई है। राज्य सरकारों और दूसरी संस्थाओं की ओर से सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएँ शुरू की गईं।

भाकरा-नांगल योजना

पंजाब की यह योजना देश की सब से बड़ी बहुदेशीय योजना है। इस योजना का काम पंजाब, राजस्थान और पेप्सु की सरकारों कर रही हैं। लेकिन भारत-सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य-सरकारों को कर्ज दिए हैं जिन पर सूद लिया जाएगा।

योजना के निर्माण का काम सन् १९४६ में शुरू हो गया था और यह काम संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। नांगल बाँध पूरा हो गया है। उसमें सिर्फ दरवाजे लगाना और गियरिंग करना बाकी है। नांगल नहर का काम चल रहा है और आशा है नहर सन् १९५४ तक बन कर तैयार हो जाएगी। आशा है नहर के पास का पहला और दूसरा बिजली-घर क्रमशः जून १९५४ और जून १९५५ तक बन जाएगा।

भाकरा-बाँध में पानी का बहाव मोड़ने वाली सुरंगें शीघ्र ही तैयार हो जाएँगी। मुख्य बाँध के किनारों पर जो चट्टानें हैं उनकी खुदाई का काम जोर-शोर से चल रहा है। निर्माण योजना तैयार कर ली गई है और जिस सामान की जरूरत है, उस के नमूने तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें मँगाने के आर्डर दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

भाकरा नहर का काम भी काफी आगे बढ़ा है और कार्यक्रम के अनुसार वह १९५४ तक पूरा हो जाएगा। आंशिक रूप से सिंचाई का काम शुरू हो गया है। सन् १९५१-५२ में कोई १९ हजार एकड़ जमीन सिंची गई और आशा है कि सन् १९५२-५३ के अन्त तक १०० ००० एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। जून १९५४ तक नांगल से दिल्ली और दूसरे इलाकों को बिजली मिल सकेगी। अनुमान है, मार्च १९५३ के अन्त तक ५४ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जाँच-पड़ताल

उपयुक्त योजनाओं के अलावा कई ऐसी योजनाएँ हैं जिनकी जाँच की जा रही है। मिसाल के लिए साबरमती और गंगा बाँध योजनाओं की पड़ताल पूरी हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट की जाँच हो रही है। नर्मदा घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में तावा, पुनासा और भड़ौच बाँधों की जाँच का काम पूरा हो चुका है। कुर्ग की हैरंगी-योजना की जाँच का काम भी पूरा हो गया है। जोंक और अपर महानदी योजनाओं की जाँच हो रही है और अक्टूबर १९५३ तक पूरी हो जाएगी। जहाँ तक महानदी का सम्बन्ध है, क्रमबद्ध जल सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करने के साथ-साथ टिक्करपारा और नारज बाँध की प्रारम्भिक जाँच का काम भी चालू था। महानदी डेल्टा की जाँच और विकास का काम भी शुरू कर दिया गया है और जून १९५३ तक पूरा हो जाएगा।

नदियों की पड़ताल करने के लिए एक शाखा खोली जा रही है जो आसाम की सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बुनियादी जल सम्बन्धी आँकड़े आदि इकट्ठा करेगी। इस वर्ष कोपिल्ली घाटी और ग्वालपाड़ा जिले के एक भाग में पहाड़, नदियों आदि की पड़ताल की गई। इसका उद्देश्य गंदा पानी निकालना और सिंचाई की योजनाएँ तैयार करना है। डिब्रूगढ़ शहर में भूमि को कटने से बचाने के लिए चार मील तक नदी के दोनों किनारों को पक्का करने का विचार है। इस पर एक करोड़ रुपया खर्च होगा।

इस समय जिन योजनाओं की पड़ताल की जा रही है, उन में से सब से महत्वपूर्ण कोसी योजना है। जानकारों की सलाहकार-समिति की सलाह पर बेलका के बाँध की पड़ताल शुरू की गई थी। यह पड़ताल अब पूरी होने वाली है। अगले वर्ष जिन योजनाओं की पड़ताल शुरू करने का विचार है, उनमें से कुछ कृष्णा, गोदावरी और पन्नार के कछारों में हैं। इन नदियों के कछार की पड़ताल योजना-कमीशन द्वारा नियुक्त की गई खोसला समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाएगी। राजस्थान के मरुस्थली इलाकों के विकास की पड़ताल के काम को सन् १९५३-५४ में अधिक तेज करने का विचार है।

अनुसंधान-केन्द्र

पूना में केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान केन्द्र में हीराकुड स्पिल-वे

(जलप्लावन द्वार) के नमूनों, हुगली बन्दरगाह, मद्रास और कांचीन बन्दरगाह और महानदी और काकरापार बाँध के बारे में विस्तृत प्रयोग किए गए ।

पिछले साल भौतिक विज्ञान और मिट्टी की जाँच के बारे में जो नए प्रयोगशालाएँ खोली गईं, उनमें भी खोज का उपयोगी काम हो रहा है । 'दक्खिनी मिट्टी' की बुनियादी और विशेष समस्याओं का इस वर्ष इन प्रयोगशालाओं में अध्ययन किया गया । एक फोटो-इलैस्टिक प्रयोग-शाला खोलने का भी विचार है । यह भारत में सब से बड़ी प्रयोगशाला होगी । यह संयुक्त राष्ट्र-संघ की सहायता से बनाई जाएगी और इस में बुनियादी और विशेष समस्याओं की खोज का काम किया जाएगा ।

इंजीनियरों की ट्रेनिंग

भारत सरकार के शिक्षा-विभाग के कहने पर केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन द्वारा बनायी जाने वाली नदी-घाटी योजनाओं में इंजीनियरी के नए प्रोजेक्टों को व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की एक योजना तैयार की गई है । इस ट्रेनिंग के लिए हर वर्ष भिन्न-भिन्न इंजीनियरी-संस्थाओं से पंद्रह विद्यार्थी लिए जाएँगे । पाठ्य-क्रम तैयार कर लिया गया है और अठारह महीने ट्रेनिंग दी जाएगी । कुछ विद्यार्थियों को तो ट्रेनिंग दी जा चुकी है ।

इस के अलावा, बाँध के नमूने और उस के निर्माण की उच्च शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई जा रही है । 'इकाफे' के तत्वावधान में एक एशियाई शिक्षा-केन्द्र खोलने का भी विचार है । इस केन्द्र में जलीय साधनों के विकास के बारे में शिक्षा दी जाएगी ।

बिजली-शाखा

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन की बिजली शाखा का काम ग्राम-स्तरीय पर बिजली की योजनाओं में तालमेल पैदा करना और उनका विकास करना है । इसका एक काम बिजलीघरों की योजनाएँ और नमूने तैयार करना भी है । इस वर्ष इस शाखा ने उड़ीसा के उन भागों में बिजली के भार के सम्बन्ध में पड़ताल की जहाँ हीराकुड बाँध से बिजली पहुँचेगी । उसने राजस्थान और पेप्सू में भी ऐसी ही पड़ताल की । राजस्थान में इसके अलावा एक बार और ऐसी ही पड़ताल की जायगी, जिसका उद्देश्य यह होगा

कि भाकरा-नांगल और उल नदी की बिजली-व्यवस्था से मिलने वाली बिजली को कैसे और किस काम में लाया जायेगा । हिमाचल प्रदेश और आसाम के कुछ इलाकों में भी जल्दी ही ऐसी पड़ताल की जाएगी ।

बिजली-शाखा ने कच्छ, भोपाल और मणिपुर की सरकारों को बिजली के बारे में सलाह और सहायता दी । धोराजी, जूनागढ़, भावनगर और शाहपुर में सौराष्ट्र में बिजली लगाने की योजना के अधीन बिजलीघर बनाने की योजना बनाई गई । शाहपुर में बनाए जाने वाले ६ हजार किलोवाट शक्ति के भाप से बिजली तैयार करने वाले प्रस्तावित केन्द्र की मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है । साथ ही इससे सम्बन्ध रखने वाली दूसरी जगहों को बिजली पहुँचाने की व्यवस्था और सब-स्टेशनों के बारे में ब्यौरा तैयार किया जा चुका है । राजस्थान में बिजली तैयार करने के बारे में क्या स्थिति है, इस सम्बन्ध में भी वहाँ जाकर जाँच-पड़ताल की गई और राज्य के वर्तमान और प्रस्तावित बिजलीघरों आदि के आर्थिक और टेकनिकल पहलुओं के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली गई । कमीशन हैदराबाद-सरकार का भी सलाह देता है और इस नाते वह राज्य की बिजली-वितरण-व्यवस्था को फिर से संगठित करने के सवाल पर विचार कर रहा है ।

कमीशन द्वारा बिजली तैयार करने की कई मशीनें लगाने का काम या तो पूरा हो गया है या पूरा होने वाला है । इनमें राजगंगपुर में एक हजार किलोवाट बिजली तैयार करने का स्टीम-प्लान्ट, हीराकुड में ५०० किलोवाट बिजली तैयार करने का डीजल-पावर स्टेशन, और नांगल में ५,००० किलोवाट बिजली तैयार करने का स्टीम-पावर स्टेशन और इन्दौर में ३००० किलोवाट का स्टीम-पावर स्टेशन शामिल है ।

बिजली-शाखा ने कोयले का अभाव हो जाने पर दिल्ली राज्य के बिजली बोर्ड का आवश्यकता पड़ने पर अमूल्य सहायता दी, जिससे राजधानी में बिजली पहुँचने के काम में न तो कोई गड़बड़ ही हुई और न काम ही रुक पाया ।

खास-खास बिजली-योजनाओं को सहायता देने के साथ कमीशन ने देश में बिजली के विकास से सम्बन्ध रखने वाली ग्राम दिलचस्पी की समस्याओं का अध्ययन किया । इस वर्ष जिन जिन विषयों पर विचार किया गया, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं — भारत के थर्मल-स्टेशनों में ईंधन और गर्मी पैदा करने की शक्ति की बचत, ताँबे के बसबार के स्टैंडर्ड निश्चित करना, बिजली पहुँचाने के बाहर लगाये जाने वाले तारों के लिए अत्युत्तम नियम के

बने कन्डक्टर की व्यवस्था करना, और फरीदाबाद स्टीम पावर स्टेशन में बिजली तैयार करना ।

जहाज़रानी

जहाँ तक देश के अन्दर की नदियों आदि द्वारा आने-जाने का सम्बन्ध है, गंगा और घाघरा नदियों के ऊपरी भागों तक नावें आदि ले जाने के सवाल को प्राथमिकता दी गई । इस वर्ष संयुक्त-राष्ट्र-संघ के जहाज़रानी से सम्बन्ध रखने वाले एक विशेषज्ञ की सहायता से कई कार्यक्रम तैयार किये गये । आसाम की नदियों में नावें या जहाज़ आदि चलाए जा सकते हैं या नहीं, इस सवाल को भी पहले रखा गया । महानदी के मुहाने पर पाराद्वीप में प्रस्तावित बन्दरगाह बनाने के सम्बन्ध में इस साल भी जाँच-पड़ताल होती रही । भारतीय नौसेना की सहायता से महानदी के मुहाने पर समुद्र की विस्तृत पड़ताल की गई ।

तावा, नर्मदा, जोंक और महानदी के ऊपरी भाग में बाढ़ के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया । ताप्ती में बाढ़ के बारे में भी जाँच-पड़ताल की जा रही है । केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन ने जिन नदियों के कछारों में योजनाओं की पड़ताल का काम अपने हाथ में लिया था, वहाँ जल-सम्बन्धी आँकड़े आदि तैयार करने का काम पूरा किया जा रहा है । वर्षा और जमीन के कटाव के बारे में एक पुस्तिका तैयार की गई है । इस वर्ष राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों को खेती योग्य बनाने की विभिन्न कार्रवाइयों में तालमेल पैदा करने का काम जारी रहा ।

हीराकुड, काकरापार, माही और घटप्रभा योजना के बारे में भारत और अमेरिका के बीच हुए टैकनिकल सहयोग करार के अधीन अमेरिका से निर्माण के काम में आने वाली कुछ मशीनें भारत आईं ।

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड

बोर्ड ने सिंचाई और पन-बिजली सम्बन्धी खोज के काम में ताल-मेल पैदा करने, संस्थाओं और लोगों से सम्पर्क स्थापित करने और इन विषयों पर लोगों तक टैकनिकल जानकारी पहुँचाने का काम जारी रखा ।

बोर्ड की खोज-समिति की सालाना बैठक शिमला में जुलाई १९५२ में हुई । भारत और लंका के ११ खोज केन्द्रों में बाँध और नहरों के सम्बन्ध

में किये गये खोज के काम और सिंचाई और पन-बिजली की इंजीनियरी की टेकनिकल बातों के बारे में लेख आदि पढ़े गये और उन पर बहस हुई ।

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड ने इस वर्ष अपनी रजत-जयन्ती मनाई । इस समारोह में देश भर के कोई १२५ प्रमुख इंजीनियरों ने भाग लिया ।

हर महीने संक्षिप्त विवरण छापने और हर तीन महीने में एक पत्रिका निकालने के अलावा बोर्ड ने इस वर्ष कई दूसरी पुस्तकें छपाईं । इनमें भूमि और भूमि को खेती योग्य बनाने और भारत में बहूद्देशीय योजनाओं के बारे में भी पुस्तकें हैं ।

बोर्ड ने बीकानेर-हाउस में एक इंजीनियरी-सम्बन्धी संग्रहालय भी खोला । इसमें भारत की नदी-घाटी योजनाओं के नमूने और उनसे सम्बन्धित चार्ट, योजनायें और फोटो वगैरा रखे गये हैं । इसमें भारत का एक प्राकृतिक नक्शा भी है जिसमें बिजली से रोशनी की ई है । इस नक्शे में बिजली और पन-बिजली सम्बन्धी वे योजनायें बताई गई हैं जिन पर इस समय काम हो रहा है या जो पूरी की जा चुकी हैं । इसमें विदेशों के कई बाँधों के भी नमूने बनाये गये हैं ।

बोर्ड का पुस्तकालय और सूचना केन्द्र एशिया और मध्यपूर्व में अपने ढंग का अद्वितीय और सब से बड़ा है । इस वर्ष देश के भिन्न-भिन्न भागों के इंजीनियरों को ६४२० पुस्तकें दी गईं, जो बाद में वापस करनी थीं । साथ ही भारत और विदेशों के लोगों के ३७२ प्रश्नों का जवाब दिया गया । इस समय पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाओं की कुल संख्या ५६,६४१ है ।

बिजली और तार-टेलीफोन व्यवस्था

बिजली और तार-टेलीफोन व्यवस्था में तालमेल पैदा करने के बारे में मई सन् १९४६ में जो केन्द्रीय स्थायी समिति बनाई गई थी, उसने इस वर्ष इस समस्या के भिन्न-भिन्न पहलुओं के बारे में कई वैज्ञानिक और दूसरे प्रकार के अध्ययन किये । कई इलाकों में मिट्टी की अवरोध-शक्ति की पड़ताल की गई और पंजाब, मद्रास, मध्य प्रदेश आदि में एल० ए० इलैक्ट्रो मैग्नेटिक-इन्डक्शन के बारे में प्रयोग किये गये ।

संयुक्त राष्ट्रों के फेलोशिप-कार्यक्रम के अधीन कमेटी के कुछ अफसरों को स्वीडन, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन भेजा गया, जिससे कि वे इन देशों

में जाकर इन्डक्टिव-कोऑर्डिनेशन की समस्याओं को निपटाने के वार में काम में लाये जाने वाले तरीकों और प्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर लें।

केन्द्रीय बिजली बोर्ड

बोर्ड सन् १९३७ से भारत के बिजली सम्बन्धी नियमों में पूरी तरह फेर-बदल करने का काम करता रहा है। ये नियम सन् १९१० के बिजली सम्बन्धी नियमों के अधीन बनाये गये थे। इन नियमों में फेर-बदल करने का उद्देश्य यह है कि इन्हें बिजली-उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप किया जा सके। संशोधित नियमों के मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उसे प्रकाशित कर दिया जायगा।

कानून

सन् १९४८ के बिजली (स्वपत) कानून की कुछ कमियों को दूर करने के उद्देश्य से उसमें फेर-बदल किया गया है और एक बिल का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जो राज्य सरकारों, भारत के बिजली तैयार करने के कारखानों के फ़ैडरेशन आदि के पास भेज दिया गया है। इन समस्याओं आदि के जवाब इकट्ठे कर लिये गये हैं और बिल को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सन् १९१० के बिजली सम्बन्धी कानून में भी संशोधन करने का विचार किया जा रहा है, जिससे कि वह बिजली तैयार करने और उसकी स्वपत के तरीकों में की गई प्रगति के अनुरूप हो जाए। इस काम के लिये एक सलाहकार बोर्ड बनाया जा रहा है।

दिल्ली-राज्य बिजली-बोर्ड

इस वर्ष बिजली का 'बी' स्टेशन बनाया गया, जिस पर २ करोड़ रुपये खर्च हुआ। बिजली तैयार करने की क्षमता अब १९२०० किलोवाट बढ़ गई है। इससे दिल्ली में बिजली की जो भारी कमी महसूस की जा रही थी, वह अब काफी हद तक दूर हो गई है। दिल्ली राज्य-बिजली-बोर्ड नांगल पन-बिजली बाँध से ४० हजार किलोवाट बिजली खरीदने की व्यवस्था कर रहा है। अनुमान है इसमें से २० हजार किलोवाट बिजली १९५४ के मध्य तक मिल जायगी। बाकी बिजली इसके कुछ समय बाद मिलेगी। बोर्ड ने एक योजना स्वीकार की है, जिसके अनुसार ओखला के प्रस्तावित बिजलीघर से कालका जी और मालवीय नगर होते हुए महरौली तक ट्रांसमिशन लाइनें डालने की व्यवस्था

है । जब यह योजना पूरी हो जाएगी तो कालका जी, मालवीय नगर, क्लोकरी, और महारौली की नई बस्तियों में बिजली पहुँचाई जा सकेगी । आशा है बोर्ड नांगल में बिजली प्राप्त करने का अधिकतर काम सन् १९५३-५४ तक पूरा कर लेगा ।

दिल्ली के आसपास की नई बस्तियों में बिजली पहुँचाने के लिए भिन्न-भिन्न सब-स्टेशनों में अधिक बड़े ट्रांसफार्मर लगाकर और सात नए सब-स्टेशन खोलकर बिजली-वितरण के तरीके को अच्छा बना दिया गया है ।

प्रचार

केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन की पत्रिकाओं के अलावा कमीशन ने इस वर्ष टैकनिकल विषयों पर कई पुस्तकें निकालीं । नयी दिल्ली में सिंचाई और बिजली के केन्द्रीय बोर्ड की सालाना बैठक के अवसर पर हीराकुड योजना पर एक फिल्म दिखाई गई जिसमें यह दिखाया गया कि योजना की प्रगति कैसे कैसे हुई ।

वाणिज्य और उद्योग

सन् १९५२ विश्व भर के लिए संक्रमण काल रहा । कोरिया में लड़ाई शुरू हो जाने के बाद चीजों की जो कीमतें बढ़ीं और उनका जो अभाव मालूम पड़ा, वह खत्म हो गया और इसके बाद भाव गिर गये । सरकार को अपनी नीति इन जल्दी बदलती हुई हालतों के अनुरूप बनानी थी और साथ ही उसे उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की समान रूप से रक्षा करनी थी । इस वर्ष मंत्रालय के मुख्य काम यही रहे ।

सन् १९५२ के विदेश-व्यापार की मुख्य बात आर्थिक तालमेल रहा । देश के भीतर और बाहर दोनों क्षेत्रों में विक्रेता-बाजार की जगह धीरे-धीरे क्रोता-बाजार ने ले ली । यह बात भारत द्वारा बाहर भेजी जाने वाली मुख्य चीजों पर विशेष रूप से लागू होती है—जैसे पटसन की बनी चीजें, चाय, चमड़ा और हड्डियाँ, तम्बाकू, काली मिर्च, लाख और अभ्रक । सन् १९५२ में जनवरी से दिसम्बर तक के समय में भारत ने कुल मिलाकर १४०८ करोड़ रुपये का व्यापार किया जब कि सन् १९५१ में उसने १६१० करोड़ रुपये का व्यापार किया था । सन् १९५२ में कुल मिलाकर ६१७ करोड़ रुपये का माल

इस वर्ष दूसरे देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने और व्यापारिक सद्भाव के कागज-पत्रों की अदलाबदली के कारण भारत का कुछ दुर्लभ चीजें मिल गईं जिनकी कमी थी और जो औद्योगिक या दूसरी तरह के आर्थिक विकास के लिए जरूरी थीं। इस वर्ष बहुत सी चीजें भी विदेशों को भेजी गईं।

प्रदर्शनियाँ और मेले

सन् १९५२-५३ में, भारत ने सालह प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लिया। छोटे और घरेलू उद्योगों में तैयार होने वाली चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। इटली के लेवेंट-मेले और टर्की के इज्मीर मेले उपयोगी थे, क्योंकि यूरोप और मध्यपूर्व में बाजार ढूँढने के लिये इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इन प्रदर्शनियों और मेलों में भारत सरकार भाग न ले सकी, उन में व्यापारियों को व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने और व्यापार का विकास करने के लिए और फर्मों को अपनी चीजों का प्रचार करने के लिये सुविधाएँ दी गईं। इस सम्बन्ध में फिलिपाइन में मनीला नामक स्थान में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेले और जर्मनी के हनोवर-मेले विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बान, हैम्बर्ग, प्रेग, अकारा, कोलंबो, मौरीशस, ट्रिनिडाड जैसी जगहों में हमारे व्यापारिक प्रतिनिधियों का भी अदन प्रतिदिन के प्रचार के लिए वे चीजें भेजा गईं जा विदेशों को भेजा जा सकता है।

इन प्रदर्शनियों और मेलों में भारत का भाग लेना उपयोगी ही रहा। हजारों लोगों ने, विशेषकर दस्तकारी की चीजों, घरेलू-उद्योगों से बनी चीजों और विलास की चीजों में दिलचस्पी जाहिर की, जिससे कि भारतीय चीजों का प्रचार हो गया।

विदेशों में व्यापारिक व्यवस्था

इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में सात व्यापारिक दफ्तर काम कर रहे थे, जिनमें से एक लंदन में था। मध्यपूर्व, पूर्वी अफ्रीका, लंका, बर्मा, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के दफ्तर अब भी काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे व्यापारिक प्रतिनिध नहीं हैं, वहाँ हमारे राजनीतिक और वाणिज्य-दूतों के दफ्तर बराबर हमारे व्यापारिक हितों की देखभाल कर रहे हैं।

इस वर्ष विदेशों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधियों पर टीक तरह से नियन्त्रण रखने के लिए हर जगह एक-समान तरीका अपनाया गया। भारतीय मिशनों के सर्वोच्च अधिकारी अब अपने-अपने क्षेत्रों के अर्धन आने वाली व्यापारिक संस्थाओं पर प्रशासी और वित्तीय मामलों के बारे में पूरा नियन्त्रण रखते हैं।

भारत के वर्तमान स्वतन्त्र दर्जे और एक संगठित भारतीय विदेश-सर्विस की स्थापना के अनुसार भारतीय विदेश-सर्विस के सभी व्यापारिक अधिकारियों को फिर से सेक्रेटरी प्रथम और द्वितीय, व्यापारिक अटैची, व्यापारिक दूत, आदि के नाम दिए गए हैं, जो कि साधारण कूटनीतिक परम्परा के अधिक निकट हैं।

व्यापार-संतुलन

बदलती हुई हालतों के फलस्वरूप सन् १९५२ में आयात और निर्यात नीति में फेरबदल करनी पड़ी। आयात नीति तो पहले ही ढाली कर दी गई थी जब विदेशों की मंडियों में माल की कमी थी और उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई होती थी और जब हर महीने भारत विदेशों को वहाँ से मँगाये गए माल के मूल्य से अधिक मूल्य का माल भेजता था। हालात बदलने पर आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। दूसरी ओर उन चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध ढीले कर दिए जो देश में लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक थीं।

जब विश्व-कीमतेँ देश के अन्दर की कीमतों से काफी अधिक थीं उस समय जो निर्यात-कर लगाये गए थे, उनकी दर कम कर दी गई। साथ ही कन्ट्रोल ढीले कर दिए गए और कोटे बढ़ा दिये गए। इन उपायों के फलस्वरूप, इस वर्ष के पहले चार महीनों में ३५ करोड़ रुपए का जो व्यापार-संतुलन विपरीत चला गया था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा और सन् १९५२ की अन्तिम तिमाही में भारत का व्यापार-संतुलन उसके पक्ष में हो गया।

कन्ट्रोल-व्यवस्था का प्रबन्ध

इस वर्ष की पहली छमाही में ६१,८५१ अर्जियाँ आईं। इनमें से ५६,२१३ अर्जियाँ ३० जून १९५२ से पहले निपटा दी गईं। दूसरी छमाही में अर्जियों की संख्या घट कर ४८,६३५ रह गई। लेकिन इनमें से अधिकतर

अर्जियाँ इस समय के अन्त में आईं. जिसका परिणाम यह हुआ कि पहली जनवरी १९५३ को १०,००२ अर्जियाँ के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ था। इतनी अर्जियों के इकट्ठा होने का मुख्य कारण यह था कि कई चीजों की आयात-नीति की घोषणा करने में जानबूझ कर देर की गई। आयात-व्यापार-नियन्त्रण सूची में फेर-बदल करने के सवाल पर इस वर्ष काफी ध्यान दिया गया। इस काम के लिए एक विशेष अधिकारी (आर्ग्रेसर आन स्पेशल ड्यूटी) की नियुक्ति की गई।

व्यापार की दशा

भारत के व्यापार की दशा इस वर्ष मोटे तौर पर बहुत कुछ पहले जैसी ही रही। अमरीका और ब्रिटेन ने ही मुख्य रूप से उस से चीजें खरीदीं और उसे बेची। वर्ष के पहले ११ महीनों में अमरीका ने भारत द्वारा निर्यात किए गए कुल माल का १७.८६ प्रतिशत माल १९५१ में और १८.५५ प्रतिशत माल १९५२ में मँगाया। भारत में अमेरिका से उक्त दोनों वर्षों में क्रमशः २३.६ प्रतिशत और ३४.७६ प्रतिशत माल आया। लेकिन भारत के निर्यात-व्यापार में ब्रिटेन का हिस्सा २६.२३ प्रतिशत से घटकर २०.२६ प्रतिशत हो गया। लेकिन आयात में उसका हिस्सा १७.०६ प्रतिशत से कुछ अधिक यानी १८.५७ प्रतिशत तक बढ़ गया।

औद्योगिक उत्पादन

कई कारणों से देश के अन्दर सन् १९५२ की दूसरी तिमाही में चीजों के भाव गिर गये। यह अच्छी बात हुई और इसका स्वागत किया गया। लेकिन सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि कहीं कीमतेँ गिरने से उत्पादन को नुकसान न पहुँचे। इस कारण, जब कभी जरूरत पड़ी, कन्ट्रोल ढीले कर दिये गये। देश की विदेशी विनिमय-स्थिति के हित में आयात पर जो प्रतिबन्ध लगाने जरूरी हों गये, वे इस प्रकार लगाये गये कि देश के उत्पादक को अपनी चीजों का उत्पादन बढ़ाने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। देशी और बाहर से मँगाये गये दुर्लभ कच्चे माल के उचित बटवारे के प्रयत्न जारी रखे गये। इस प्रकार यद्यपि सन् १९५२ विशेष रूप से कठिन वर्ष रहा; फिर भी उत्पादन में वृद्धि हुई और विकास के नए कार्यक्रम शुरू किये गये। इन उपायों के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन का साधारण

संकेत-चिन्ह सन् १९५२ में १२८.७ हो गया, जो युद्ध के बाद के किसी भी साल से अधिक है। सन् १९५१ में संकेत-चिन्ह ११७.२ और १९५० में १०५.० था।

इस वृद्धि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सन् १९५२ के दिसम्बर में मासिक संकेत-चिन्ह सबसे अधिक यानी १३७.८ तक पहुँच गया और जून का संकेत-चिन्ह जो सबसे कम यानी १२१.५ था, विद्युत् साल के औसत संकेत-चिन्ह से अधिक था।

सूती कपड़ा

सूती-कपड़ा-उद्योग में उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। सन् १९५२ में कुल मिलाकर ४ अरब ६० करोड़ गज कपड़ा और १ अरब ४ करोड़ पाँड सूत तैयार किया गया। इतना कपड़ा और सूत पहले कभी नहीं तैयार किया गया था। सन् १९५२ में देश में प्रति व्यक्ति १४ गज कपड़ा मिल सकता था, जबकि सन् १९५१ में ११.८ गज ही प्राप्त था। इस के फलस्वरूप कन्ट्रोल ढीले कर दिए गए और दिसम्बर १९५२ से रूई के अगाऊ सौदों की इजाजत दे दी गई। कपड़े की कीमतों के गिरने से कीमतों पर नियन्त्रण भी धीरे धीरे ढीला कर दिया गया। इस समय वह एक तिहाई से भी कम उत्पादन पर लागू है। वितरण के नियन्त्रण की गुंजाइश और भी कम है। एक तरह से सन् १९५३ के मध्य से कपड़े के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा है।

खादी और करघा उद्योग

इस वर्ष करघा उद्योग को आम तौर पर काफी सूत मिलता रहा। सन् १९५२ में हर महीने औसतन् ७२,००० गाँठ सूत मिला, जबकि सन् १९५१ में ५८,००० गाँठ सूत हर महीने मिलता था। मिल का कपड़ा काफी मात्रा में मिलने के कारण करघा उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ा और खादी उद्योग की स्थिति तो और भी खराब हो गई। इसके फलस्वरूप एक सूती-कपड़ा जॉच कमेटी बनाई गई। इसका काम इस बात की जाँच करना है कि सूती कपड़ा तैयार करने के निम्नलिखित भिन्न भिन्न तरीकों का आपस में क्या सम्बन्ध है और देश की आर्थिक व्यवस्था में उनका उचित स्थान क्या है? ये हैं—मिलें, बिजली के करघे, हथकरघे और खादा।

इस कमेटी की सिफारिशें प्राप्त होने तक यह व्यवस्था की गई है कि मिलें सन् १९५१-५२ के वास्तविक उत्पादन की सिर्फ ६० प्रतिशत धातियाँ तैयार करें।

साथ ही करघा और खादी उद्योग के विकास के लिए कोष इकट्ठा करने के उद्देश्य से मिल के कपड़े पर तीन पाई (एक पैसा) प्रति गज के हिसाब से एक उप-कर लगाने के बारे में एक बिल पेश किया गया। इसके अलावा, खादी और घरेलू उद्योगों के उत्पादन के तरीकों में सुधार करने और देश-विदेश में उनकी बनी चीजों की खरीद-विक्री की सुविधायें देने के बारे में सलाह देने के लिये एक अखिल-भारतीय करघा बोर्ड और एक अखिल-भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई।

पटसन

पटसन उद्योग का एक और कठिन वर्ष व्यतीत हो गया। विदेशों में पटसन के स्टाक में कमी होने और यूरोप की जूट-मिलों की होड़ बढ़ जाने से, इस उद्योग को विदेशों में अपना माल बेचने के लिये अपनी मंडियों बनाने रखने के लिये बराबर संघर्ष करना पड़ा। सन् १९५१-५२ में औसत से हर महीने कुल मिलाकर ६३.३ हजार टन पटसन निर्यात किया जाता था। लेकिन १९५२ के नवम्बर-दिसम्बर में यह औसत घट कर ४२.५ हजार टन रह गया। ३० मार्च सन् १९५२ से कारखानों में काम करने का समय सप्ताह में ४८ घंटे से घटाकर ४२॥ घंटे प्रति सप्ताह करना पड़ा। इसके बावजूद भी सन् १९५२ में कुल उत्पादन ९,५२,००० टन हुआ। सन् १९४९ के बाद इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था। सन् १९५१ में इससे ८०,००० टन उत्पादन कम हुआ था।

विदेशों की मण्डियों में उद्योग की स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखने में सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने टाट पर निर्यात-कर ७५० रुपए प्रति टन से घटाकर २७५ रुपये प्रति टन कर दिया और बोरों पर निर्यात-कर ३५० रुपये प्रति टन से घटाकर १७५ रुपये प्रति टन कर दिया। हाल में ही इसे और भी घटा दिया गया है और यह ८० रुपये प्रति टन हो गया है। भारतीय पटसन-मिल-एसोसियेशन ने भी विदेशों में अपने प्रचार-कार्यक्रम को तेज करने के लिए कदम उठाये और अमेरिका, कनाडा, और ब्रिटेन को सद्भावना-मिशन भेजे।

इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप टाट की माँग फिर बढ़ गई और कई जगह, जहाँ सूती कपड़े और कागज के थैलों या बोरो का इस्तेमाल होने लगा था, इस वर्ष फिर टाट काम में आने लगा । लेकिन बोरो की माँग कम हो गई और इस वर्ष के अन्त में निर्यात की मात्रा और कीमतें दोनों काफी कम हो गईं । पटसन की चाँजों का भाव गिरने से कच्चे पटसन के भाव पर भी असर पड़ा और वह धीरे-धीरे गिर रहा है । पटसन की चाँजों के निर्यात-व्यापार को ज्यों का त्यों बनाये रखने और उसे बढ़ाने का सवाल भविष्य के लिए एक गम्भीर और महत्वपूर्ण समस्या उपस्थित कर रहा है ।

लोहा और इस्पात

सन् १९५२ में १,१०१,००० टन इस्पात तैयार हुआ, जबकि सन् १९५१ में १,०७४,००० टन हुआ था । विदेशों से पहले की तरह कम इस्पात मँगाया गया, यद्यपि इस वर्ष पिछले वर्ष के १५०,००० टन के मुकाबले कोई १९५,००० टन इस्पात मँगाया गया । अनुमान है कि हर साल २४ लाख टन इस्पात की जरूरत होती है और जो इस्पात प्राप्त होता है, वह आवश्यकता से बहुत कम होता है । इसके बावजूद, बदली हुई आर्थिक-स्थितियों के कारण कई किस्मों के इस्पात की माँग गिर गई । इस कारण इस्पात के वितरण पर लगाये गये कंट्रॉल का कुछ ढीला करना संभव हो सका ।

अमेरिका-सरकार के टेकनिकल-सहयोग-कार्यक्रम के अधीन मई १९५२ में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार खेती के काम के लिए ३० जून १९५२ में खत्म होने वाले साल में भारत को ५५ हजार टन इस्पात देने की व्यवस्था की गई । दिसम्बर १९५२ में दूसरे समझौते के अनुसार ३० जून १९५३ में खत्म होने वाले वर्ष में इतने ही इस्पात देने की व्यवस्था और की गई । पहले समझौते के अधीन, ३६,७५० टन इस्पात के आर्डर दिये जा चुके हैं और अब तक कोई ७००० टन इस्पात भारत पहुँच चुका है और आशा है कि बाकी इस्पात जल्दी ही भारत पहुँच जाएगा ।

लोहा-उद्योग की इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि १९५२ के स्टील कंपनीज़ एमल्गोमेशन आर्डिनैस के अधीन इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड और बंगाल की स्टील-कारपोरेशन आपस में मिल गई । इस कार्रवाई का उद्देश्य सन १९५६ के अन्त तक तैयार इस्पात का

उत्पादन बढ़ा कर ६२०,००० टन और कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाकर ५००,००० टन कर देना है । अनुमान है कि इस पर ३५ करोड़ रुपया खर्च होगा । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को नए ढंग का बनाने और उसका विस्तार करने के प्रयत्न पूरे किए जा चुके हैं । इसका लक्ष्य प्रति वर्ष ७५०,००० टन इस्पात के उत्पादन को सन् १९५६-५७ तक बढ़ा कर ९,३१,००० टन प्रतिवर्ष कर देना है । मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स के विस्तार की योजना पर भी विचार किया जा रहा है ।

इंजीनियरी-उद्योग

इंजीनियरी-उद्योगों का उत्पादन सन् १९५२ में सन् १९५१ के मुकाबले अच्छा रहा । बिजली के लैम्प, बिजली के ट्रांसफार्मर, इलैक्ट्रिक-मोटर, इन-सुलेटर, ग्राइंडिंग व्हील और मशीनी स्क्रू जैसे उद्योगों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई । कुछ उद्योगों में तो उत्पादन लगभग सन् १९५१ के बराबर रहा । मुख्य रूप से मशीनी औजार, रिंग और स्पनिंग फ्रेम, तेल से जलने वाले लैम्प और बिजली के लैम्पों का उल्लेख किया जा सकता है । देश में कई चीजें पहली बार बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में बनाई गईं । इनमें औद्योगिक-बाइलरो, आटोजिगर्स, इंटरलाक निटिंग मशीनें; कार्ड और गिल पिन्स; फ्लोरेसेंट ट्यूब, रेडियो के हिस्स, रेडियो ग्रामोफोन के पिक-अप-हेड्स, मशीनों के पुंजे और बाइसिकलों के स्पोक आदि उद्योगों की विशेष रूप से चर्चा की जा सकती है ।

इसके अलावा सन् १९५२ में कुछ नयी चीजों का उत्पादन शुरू किया गया । विभिन्न वर्तमान इंजीनियरी उद्योगों के विकास की योजनाएँ भी तैयार की गईं और इनको लागू किया जा रहा है । इनमें ऐसी धातुओं जिनमें लोहा नहीं होता, कपड़े की मशीनों, स्वयंचालित गाड़ियों के हिस्सों, टाइपराइटर्स, रेडियो, बाइसिकलो, लालटेनों और रेज़र-ब्लेडों आदि की चर्चा की जा सकती है ।

रासायनिक उद्योग

सन् १९५२ के आरम्भिक काल में बहुत से रासायनिक-उद्योगों के लिये गंधक की समस्या बनी रही । इस साल इसकी स्थिति संतोषजनक रही । सिन्द्री के खाद के कारखाने के पूरे जोरशोर से चालू हो जाने के कारण

सन् १९५२ में एमोनियम सल्फेट (खाद) के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होती हुई। कास्टिक सोडा, तरल क्लोरीन, वै-ज़ीन, डोलीन, घुलने वाली सैल्फा, सायुन, अशुद्ध ग्लैसरीन, कार्बन ट्राइऑक्साइड, और कार्बोमेथेन (मोदर्य-प्रसाधनों) का सन् १९५२ में सन् १९५१ के मुकाबले काफी अधिक उत्पादन हुआ।

जहाँ तक दवाओं का सम्बन्ध है, शार्क तेल का उत्पादन काफी बढ़ा। कैफीन का उत्पादन सन् १९५२ में फिर शुरू किया गया। साथ ही इस वर्ष पावर-अलकोहल का उत्पादन बराबर बढ़ता रहा। जहाँ तक रासायनिक-चीजों का सम्बन्ध है, कैल्सियम-कार्बाइड, चिकित्सादयोगी सायुन और विनाका दूध पेस्ट पहली बार भारत में बनाए गए। मर्करी सेल प्रोसेस से ब्रेनज़ीन हेक्सा-क्लोराइड, रायन ग्रेड, और कास्टिक-सोडा बनाना और तीन महत्वपूर्ण वैक्यूमिटा-मारक दवाओं का उत्पादन इस वर्ष शुरू किया गया। इसके अलावा इस बात का सफलता के साथ पता चलाया गया कि तपेदिक की रोकथाम की नवीनतम दवा के संशोधन के लिये किन तरीकों से काम लिया जाय। इस वर्ष सरकार की पेनिसिलीन तैयार करने की योजना का काम कुछ और आगे बढ़ा।

साथ ही कई और कार्यक्रमों का काम भी इस वर्ष काफी आगे बढ़ा। इस सम्बन्ध में कलकत्ते के पास एक कारखाने की, जिसमें हर साल तीन हजार टन कैल्सियम कार्बाइड बनाया जा सकता है, हर साल ७५०० टन अमोनियम-क्लोराइड तैयार करने के एक कारखाने की और फार्मासिक-सिड और ट्रिपल सुपर-फॉस्फेट तैयार करने के एक कारखाने की चर्चा की जा सकती है।

शीशा और मिट्टी के बर्तन

यद्यपि शीशे के वास्तविक उत्पादन में सन् १९५२ में कमी हुई, फिर भी नए कारखाने खुल जाने से उत्पादन-क्षमता में ३०,००० टन की वृद्धि हुई। एक कारखाने में ३६ औंस तक की खिड़कियों में लगाए जाने वाले शीशे की चादरें बनाने की नयी मशीन लगाई गई। इसकी उत्पादन-क्षमता २७००० टन है। एक दूसरे कारखाने ने बोतलों, तथा लैम्पों के काम आने वाला काँच का सामान बनाने की एक मशीन लगाई। इसकी क्षमता १०,८०० टन है।

शीशा-उद्योग के विकास की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कई तरह की चीजें तैयार करना शुरू कर दिया है। थर्मस बोतल बनाने का एक मशान लगाई गई। इससे हर साल १० हजार दर्जन बोतल बनाई जा सकती हैं। बनावटी हीरे आदि बनाने का एक कारखाना खोला जा रहा है। शीशे के सुनहरे मोती और बनावटी मोती बनाने के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। थर्मामीटर और हाइपोथर्मिक सिरिंजेस तैयार करने के एक कार्यक्रम के लिए औद्योगिक-वित्त-वारपोरेशन की ओर से ४ लाख रुपए का कर्ज दिया गया है। पैनिंसलीन रखने की शीशियाँ तैयार करने की एक मशीन लगाई जा रही है जो हर साल कुल ५०,००० शीशियाँ तैयार करेगी। मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के १३ नए कारखाने चालू हो गए हैं और इससे उत्पादन-क्षमता में २०,००० टन से अधिक की वृद्धि हो गई है।

सीमेंट

सन् १९५२ में सीमेंट-उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक रही। इस वर्ष कुल उत्पादन ३५ लाख टन हुआ जबकि सन् १९५१ में ३२ लाख टन हुआ था। उत्पादन की क्षमता ३६ लाख टन से बढ़कर ३९ लाख ७० हजार टन प्रतिवर्ष हो गई।

कागज

कागज-उद्योग में भी बराबर प्रगति हुई। एक कारखाना बनाया जा रहा है जिस में हरसाल ८ हजार टन कागज तैयार होगा। आशा है कि यह कारखाना १९५२ के मध्य तक चालू हो जाएगा। आशा है कि एक दूसरे कारखाने के विस्तार की योजना सन् १९५३ में पूरी हो जाएगी। इससे इस कारखाने में उत्पादन ५ हजार टन प्रतिवर्ष से बढ़कर १५ हजार टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। तीसरे कारखाने में कागज तैयार करने के लिए एक और यांकी-मशीन लगाने का विचार है। इससे कई किस्म के पतले कागज बनाए जा सकेंगे। मध्यप्रदेश में अखबारी कागज तैयार करने के एक कारखाने के निर्माण का काम भी इस वर्ष कुछ आगे बढ़ा। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ३० हजार टन अखबारी कागज तैयार किया जा सकेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं के पूरे हो जाने पर सन् १९५३ तक प्रति वर्ष १७१,५०० टन तक कागज आ

कागज के गत्ते तैयार किए जा सकेंगे और सन् १९५४ तक कागज आदि के उत्पादन की क्षमता बढ़कर १७५,००० टन तक पहुँच जाएगी ।

रबड़

रबड़ उद्योग के अधीन इस वर्ष खराब टायरों की मरम्मत के लिए काम आनेवाले सेक्शनल एयर और स्टीम बैग तैयार किए गए । स्विडेट का उत्पादन भी किया गया । वर्तमान फैक्टरी की क्षमता ३००,००० गज प्रतिवर्ष है । रेडियो तैयार करने के काम में आने वाली रबड़ की चीजें तैयार करने के लिए जरूरी कई चीजें इस वर्ष देश में पहली बार बनाई गईं ।

रबड़ की कई तरह की चीजें तैयार करने की कई नयी योजनाओं का इस वर्ष स्वीकृति दी गई । इस सम्बन्ध में सड़क के अलावा दूसरी जगहों पर काम में आने वाले टायरों और ट्यूबों, टेनिस की रॉटें, चीर-फाड़ के काम आने वाली लचकदार चीजें, और रबड़ के हाँज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । व्यापार में मन्दी आ जाने के कारण, स्थय-चालित गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों, रबड़ के जूतों और नैक्यूअम ब्रेक हाँजेज जैसी चीजों का उत्पादन कम रहा । दूसरी ओर, बाइसिकल के टायरों, रेलों के रबड़ के स्पिंग, रबड़ के होजों, पंखों के बेल्ट, रबड़ की सामग्री और फॉम स्पंज रबड़ जैसी चीजों का उत्पादन पिछले साल से अधिक हुआ ।

सन् १९५२ के अन्त में एक कारखाना खोलकर व्यापार के लिये बड़े पैमाने पर कार्बन-ब्लैक का उत्पादन शुरू किया गया । इस वर्ष पंखों के अच्छे बेल्ट और 'वी' किस्म के बेल्ट तैयार करने का काम भी शुरू किया गया ।

प्लास्टिक

प्लास्टिक-उद्योग के सम्बन्ध में फीनोलिक-रैसिन लैमीनेटेड शीट तैयार करने का काम इस वर्ष शुरू किया गया । इसके अलावा कंप्रेशन मोल्डिंग द्वारा रेडियो-सैटों के ढाँचे भी बनाए गए । देश में इस तरीके से रेडियो सैट के ढाँचे तैयार करने का यह सबसे बड़ा प्रयोग है । पी० वी० सी० चढ़ाए हुए लेदर-क्लाथ का उत्पादन भी शुरू किया गया । कलकत्ते में पोलिथिलीन-फिल्म तैयार करने का एक कारखाना भी बनाया जा रहा है ।

दूसरे उद्योग

रेयन (बनावटी रेशम) उद्योग में सन् १९५१ के मुकाबले सन् १९५२ में काफी अधिक उत्पादन हुआ । इनामिल (कांच जैसा चिकना मुलम्मा) के वर्तनों का उत्पादन कम हो गया । इसका मुख्य कारण यह था कि इस तरह की तैयार की गई चाँजों की मांग नहीं थी । वैज्ञानिक कामों में आने वाले यंत्रादि का उत्पादन पहले जैसा ही हुआ । परतदार-लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि हुई । अभी तक इसका इतना अधिक उत्पादन कभी नहीं हुआ था ।

भारत का चमड़ा पक्का करने के काम में आने वाले वनस्पति-पदार्थों में आत्म-भरित बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के साथ वृद्ध उगाने के सवाल पर बातचीत की गई । मद्रास-सरकार ने वृद्धों के लगाने के लिए दा याजनाएं स्वीकार कीं । आशा है इन योजनाओं से हर साल की ११ हजार टन छाल मिल सकेगी । आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वृद्ध उगाने के वास्ते उपयुक्त जमीन ढूढने के लिये पौध-घर बनाए जा रहे हैं और छोटे पैमाने पर जमीनों पर प्रयोग किये जा रहे हैं ।

बगीचा-उद्योग

सन् १९५२ में चाय-उद्योग को भीषण संकट का सामना करना पड़ा । सन् १९५१ में ब्रिटेन द्वारा बड़ी मात्रा में चाय की खरीद बन्द किए जाने से सन् १९५२ में उपभाक्ताओं ने बेरोकटोक व्यापार की स्थिति में अच्छी किस्म की चाय खरीदनी शुरू कर दी । चाय के भाव गिर गए । बहुत से बगीचों को नुकसान उठाना पड़ा और सन् १९५२-५३ में १०० से अधिक बगीचों में काम बन्द हो गया, जिससे ६० हजार कर्मचारी बेकार हो गए । मई १९५२ में भारत सरकार ने उद्योग की समस्याओं की जांच करने और उसकी कठिनाइयों का दूर करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया । उत्पादन-कर की वसूली स्थगित की गई और दूसरी ओर आय-कर के पेशगी-भुगतान के सिलसिले में कुछ रियायतें दी गईं । सरकार ने अनुसूचित बैंकों और सर्वोच्च-सहकारी-बैंकों को कई गारंटियाँ दीं जिससे कि वे चाय के बगीचों को आर्थिक सहायता दे सकें ।

वर्ष के अन्त में स्पष्ट रूप से चाय के भाव बढ़ने के आसार दिखाई देने लगे। दूसरे बगीचों का बन्द होने से रोकने और ऐसे बगीचों में फिर से काम शुरू करने के उद्देश्य से जो बन्द हो गये थे पश्चिमी बंगाल और आसाम सरकारों ने न्यूनतम मजूरी-कानून के अधीन कई तरह की छूट दी।

एक नए चाय-बिल को कानूनी रूप देने के लिए कार्रवाई की गई। इस बिल का उद्देश्य दो वर्तमान कानूनों सन् १९३८ के भारतीय चाय-नियन्त्रण-कानून और सन् १९४६ के केन्द्रीय चाय-बोर्ड-कानून को व्यवस्थाओं को मिलाकर एक कानून बनाना है जिससे कि बोर्ड और केन्द्रीय-सरकार के बीच अधिक तालमेल पैदा किया जा सके और उसका काम चलाने में आसानी हो सके।

सन् १९५२ में १९८६३ टन कच्चा रबड़ पैदा हुई जबकि इससे पहले साल १७१४८ टन पैदा हुई थी। लेकिन सन् १९५२ में सन् १९५१ के मुकाबले रबड़ की खपत कम हुई। सन् १९५२ में रबड़ की खपत २१,०६१ टन हुई जबकि सन् १९५१ में २२,४२७ टन हुई था। तटकर कमीशन की सिफारिशों पर देश में पैदा होने वाली कच्ची रबड़ की कीमतों में फेरबदल की गई और अक्टूबर १९५२ में पहली श्रेणी की प्रति १०० पौंड रबड़ की कीमत १३८ रुपए निर्धारित की गई। इसी तरह दूसरी श्रेणियों की रबड़ का कीमत भी उचित अन्तर से निश्चित कर दी गई। सन् १९५२ में रबड़ की खपत में थोड़ी कमी हो जाने के कारण, साल के अन्त में पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक स्टॉक जमा था।

दिसम्बर सन् १९५२ में सन् १९४७ के रबड़ उत्पादन और बिक्री सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के लिए एक बिल पेश किया गया। इसका उद्देश्य बोर्ड और केन्द्रीय सरकार के काम में पहले से अधिक तालमेल पैदा करना था।

यद्यपि सन् १९५१-५२ की फसल में २१ हजार टन से अधिक (थानी पिछले साल से ढाई हजार टन अधिक) काफ़ी पैदा हुई, फिर भी अप्रैल १९५२ से काफी के भाव बढ़ने शुरू हो गए। इसका कारण यह था कि काफी पीने की आदतों के धीरे-धीरे बढ़ जाने से काफी की मांग भी बढ़ गई। फिर भी काफी की कीमतें कम करने के लिए सितम्बर से कार्रवाई की गई।

दिसम्बर सन् १९५२ में, सन् १९४२ के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक बिल पेश किया गया जिससे कि बोर्ड और केन्द्रीय सरकार

के काम के बीच पहले से अधिक तालमेल पैदा किया जा सके और बोर्ड में उपभोक्ताओं के पर्याप्त प्रतिनिधि लिये जा सकें ।

निर्यात कम हो जाने से नाखिल के रेशे के उद्योग में सन् १९५२ के मध्य से मंदी रही । इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने बेकार मजदूरों को त्रस्त इलाकों में हार्वजनिक कार्यों के द्वारा काम देकर सहायता के कई कदम उठाये । इस उद्योग के मजदूरों की हालत में स्थायी रूप से सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने कानून द्वारा एक बोर्ड बनाने का विचार किया है जो उद्योग के भिन्न-भिन्न पहलुओं—खोज, प्रमाणीकरण और खरीद-बिक्री के बारे में काम करेगा ।

घरेलू-उद्योग

घरेलू और छोटे-छोटे उद्योगों के विकास को अधिक ठोस रूप से बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष दो बोर्डों—अखिल भारतीय दस्तकारी-बोर्ड और अखिल भारतीय खादी और ग्राम-उद्योग-बोर्ड—की स्थापना की गई । इनमें से पहला बोर्ड नवम्बर १९५२ में और दूसरा फरवरी १९५३ में बनाया गया ।

दस्तकारी-बोर्ड का काम दस्तकारी उद्योग की समस्याओं के बारे में सरकार का सलाह देना, उद्योग के उत्पादन का बढ़ाना और उसमें सुधार करना और भारत और विदेशों में इस उद्योग की चीजों की बिक्री को बढ़ावा देना है । घरेलू उद्योगों से तैयार की जाने वाली चीजों के प्रचार और उनके प्रदर्शन के लिये एक अखिल भारतीय दस्तकारी संग्रहालय बनाने का भी विचार किया गया है । खादी और घरेलू-उद्योग बोर्ड का काम सरकार को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देना है जिनसे खादी और घरेलू-उद्योगों का विकास ठीक तरह से और सही रास्ते पर हो सके और बिक्री बढ़ सके । सरकार का विचार मिल के बने कपड़े पर उपकर लगाकर, खादी-कोष तैयार करना है । इस कोष में से खादी-उद्योग के विकास और सुधार कार्यों के लिये अनुदान और कर्ज देकर आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

इन दो बोर्डों की स्थापना के बाद घरेलू-उद्योग के डाइरेक्टर के दफ्तर को एक अलग दफ्तर के रूप में जनवरी सन् १९५३ से बंद कर दिया गया । अब इसे औद्योगिक सलाहकार (रासायनिक) के अधीन विकास शाखा

का एक अंग बना दिया गया है। यह नयी शान्ति सभी तरह के छोटे-छोटे उद्योगों के लिये जिम्मेदार होगी।

भारत सरकार धरलू-उद्योगों के विकास के लिये अधिकधिक व्यवस्था कर रही है। मिसाल के लिये, सन् १९५२-५३ में २० लाख रुपये की व्यवस्था की गई जबकि सन् १९५१-५२ में १४५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। दस्तकारी धरलू उद्योग और छोटे-छोटे उद्योगों के लिये सन् १९५३-५४ में १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्वादी के विकास के लिये भी इतनी ही रकम की व्यवस्था की गई है।

उद्योग (विकास और नियमन) कानून सन् १९५२

यह कानून सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों के बीच एक अत्यधिक महत्व रखने वाली कड़ी है। इस कानून के अधीन बनाई गई केन्द्रीय औद्योगिक सलाहकार-परिषद ने इस वर्ष रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देने में सम्बन्ध रखने वाले नियमों को स्वोक्तृति दी। ७ नवम्बर सन् १९५२ तक ३५६२ अर्जियाँ आईं। इनमें से २२०६ अर्जियाँ इस कानून के अधीन दर्ज की गईं। नये व्यवसायों में सूती और ऊनी कपड़े के नौ, बिजली और इंजीनियरी उद्योग के पांच-पांच, सीमेंट के पांच, भारी रासायनिक पदार्थों के तीन, वनस्पति तेल के १४, और चीनी के पांच हैं।

तटकर-कर्मिशन

तटकर-कर्मिशन जो जनवरी १९५२ में बनाया गया था, संरक्षित उद्योगों की प्रगति और संरक्षण के लिये दावों की जाँच करता रहा है। इस वर्ष जिन उद्योगों को पहली बार संरक्षण मिला, वे इस प्रकार हैं— हाइड्रोक्वीनीन, मशीनों के इस्पात और लोहे के बने स्क्रू, बिजली के लैम्पों के पीतल के बने होल्डर, जिप और धातु विद्युत्-विनिर्माण की संरक्षण की मियाद बढ़ा दी गई। तटकर कर्मिशन में लोहा, इस्पात और कच्ची खड़ की कीमतों और स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के साधारण हिस्सों (शेयरों) के उचित पारस्परिक-अनुपात के बारे में अपनी रिपोर्टें पेश कीं। इन दोनों कर्मियों को कानून द्वारा मिला दिया गया था।

उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता

औद्योगिक वित्त-क्लरपोरेशन की स्थापना जुलाई १९४८ में हुई । इसका उद्देश्य भारत के उद्योगों को लम्बे और मध्यम समय के लिये कर्जों के रूप में आर्थिक सहायता देना है । सन् १९५२ में आर्थिक सहायता के लिये उद्योगों की कोई ८२ अर्जियां आईं । इनमें कुल मिलाकर ११.२६ करोड़ रुपये की मांग की गई थी । इनमें से ३३ अर्जियां, जिनमें कुल मिलाकर ४.७८ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी गई थी, स्वीकार की गईं ।

विदेशी सहायता

अमरीका की कम उन्नत देशों को आर्थिक सहायता देने की योजना, कोलंबो-योजना, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेष एजेन्सियों के टेकनिकल सहायता देने के विस्तृत कार्यक्रम जैसे विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अधीन इस वर्ष भारतीय उद्योगों के विकास के लिये, औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत राष्ट्रों से टेकनिकल सहायता प्राप्त हुई । मिसाल के लिये, इस साल उद्योगों के लिये विकास-परिषदों की स्थापना, दस्तकारी की चीजों की बिक्री, और कार्बन-ब्लैक, सोडा ऐश, शीशा, प्लास्टिक, हार्ड-टैन्शन इन्सुलेटर आदि उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये विशेषज्ञों की सेवारतें प्राप्त की गईं ।

पूँजी विनियोग

इस वर्ष भारत-सरकार ने ऐसे सभी उद्योगों में विदेशी पूँजी लगाने को बढ़ावा दिया जहाँ पर ऐसी पूँजी का लगाना राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक समझा गया । इस वर्ष कोई ५.५० करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी पूँजी लगाने की स्वीकृति दी गई । जिन उद्योगों में विदेशी पूँजी लगाने की इजाजत दी गई, वे इस प्रकार हैं—औषधियां और दवाएं, रबड़ के टायर और ट्यूब, टाइपराइटर और बिजली का सामान ।

इसके अलावा, कुछ ऐसी योजनायें भी थीं जिनके अधीन भारतीय कंपनियों ने टेकनिकल जानकारी की व्यवस्था करने वाली विदेशी कंपनियों को रायल्टी (लाभांश) या फीस देकर माल तैयार किया । सन १९५२ में

इस प्रकार की जो योजनाएं स्वीकार की गईं, उनमें से कुछ मकानों के इलैक्ट्रिक मीटर, सैन्ट्रीफ्यूगल-पंप, बिजली के मीटर, शाक-एञ्जावर, और बनावटी-जवाहरात के निर्माण से सम्बन्ध रखती थीं।

भारतीयों की नौकरी की स्थिति

औद्योगिक विकास का एक उद्देश्य यह है कि उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में भारतीयों को अधिकाधिक ऊँचे तकनिकल और प्रबंध-संबंधी पद मिलें। इसके अनुसार सन् १९४७ के बाद विदेशी प्रबन्ध वाली कंपनियों में भारतीय कर्मचारियों के बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पड़ताल की गई।

कोई एक हजार ऐसी फर्मों द्वारा, जहाँ विदेशियों का अत्यधिक नियन्त्रण है, पेश की गई रिपोर्टों की जांच से पता चला कि सन् १९४७ में एक हजार रुपया या इससे अधिक वेतन वाले पदों पर ७.५ प्रतिशत भारतीय थे, और सन् १९५२ में भी उनकी संख्या २५ प्रतिशत से कम ही थी। सन् १९४७ में एक हजार रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या ४५१ और गैरभारतीयों की संख्या ५५०७ थी जबकि सन् १९५२ में यही वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या २३१७ और गैर भारतीयों की संख्या ६६६१ थी। दूसरे शब्दों में, ७० फीसदी से अधिक जगहें गैरभारतीयों के हाथों में थीं। तीन सौ से ४६६ और ५०० से ६६६ रुपये वेतन पाने वाले लोगों की श्रेणियों में, सन् १९४७ में क्रमशः ६६.१ और ५७.६ प्रतिशत भारतीय थे। लेकिन, सन् १९५२ में यह अनुपात बढ़ कर क्रमशः ६६ और ८५ फी सदी तक पहुँच गया।

भारतीय माननिर्धारण संस्था

भारतीय माननिर्धारण संस्था ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रगति जारी रखी। वर्तमान इंजीनियरी, रासायनिक और कपड़ा सम्बन्धी शाखाओं के अलावा भवन-निर्माण शाखा का उद्घाटन किया गया और इस वर्ष अनाज-भंडार के लिये इमारतें बनाने के बारे में काम शुरू किया या। भारतीय माननिर्धारण संस्था का सर्टिफिकेशन-मार्क-बिल, मार्च १९५२ में संघ में पास कर दिया गया जिसके अनुसार संस्था को निश्चित मानदंडों के अनुसार उपजों, पदार्थों

और तरीकों को प्रमाणित करने के लिये कई अधिकार दिये : ये और साथ ही जिम्मेदारियां भी डाल दी गईं । इस कानून के अधीन नियमों के मसौदे तैयार कर लिये गये हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है ।

सन् १९५२ में १०० से अधिक चीजों के प्रमाण जारी किये गये । ये छत के पंखों, बैटरियों, कच्चा मैगनीज, नहाने और कपड़े साफ करने का साबुन, ब्लिचिंग पाउडर, रंग और वार्निश, लुब्रिकेटिंग-तेल, सूती धागे जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में थे । इनको मिलाकर संस्था ने कुल ३४६ चीजों के प्रमाण जारी किये । साथ ही २०० और चीजों के प्रमाणों के नमूने प्रचारित कर दिये गये हैं या विकास की अन्तिम श्रेणी तक पहुँच गये हैं । सभी राज्यों के औद्योगिक डाइरेक्टरों का सम्मेलन करके प्रमाणों को लागू करने की कोशिशें और तेज कर दी गई ।

इस वर्ष सालाना चन्दे में कुल २.१८ लाख रुपया प्राप्त किया गया जबकि सन् १९५१ में २.०१ लाख और सन् १९५० में १.८७ लाख प्राप्त किया गया था । चन्दा देने वालों की संख्या भी बढ़ गई । सन् १९५१ में इनकी संख्या ७१६ थी जबकि सन् १९५२ में ७७७ हो गई । साथ ही कमेटी के सदस्यों की संख्या २५८६ से बढ़कर ३६०२ हो गई । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संस्था ने न्यूयार्क में लाख और अभ्रक सम्बन्धी टेकनिकल-कमेटियों की बैठकें करने का प्रबन्ध किया । विदेशों में जब ऐसी बातों के प्रमापीकरण के बारे में बैठकें हुईं जिनमें भारत को विशेष रूप से दिलचस्पी थी तो भारत ने भी इनमें भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे ।

पेटेंट

इस वर्ष सन् १९११ के पेटेंट और नमूनों से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय कानून में संशोधन किया गया और इस प्रकार पेटेंट और नमूनों सम्बन्धी कन्ट्रोलर को यह अधिकार दिया गया कि वह खाद्य-पदार्थों और दवाओं के बारे में अधिक स्वतन्त्रता के साथ पेटेंट के अनिवार्य लाइसेंस दे सकते हैं । सन् १९५२ में पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट सलाहकार-समिति के पास २४ चीजें आईं जबकि सन् १९५१ में सिर्फ १८ चीजें आई थी ।

तदर्थ समितियां

इस वर्ष विशेष समस्याओं की जांच करने के लिए कई विशेष समितियाँ

बनाई गईं । मिसाल के लिए—सूती कपड़ा उद्योग के तीनों क्षेत्रों के ढांचे और संगठन की जांच करने और इस बारे में सिफारिश करने के लिए कि भविष्य में इनका विकास किस तरह किया जाना चाहिये, कपड़ा-सलाहकार-समिति बनाई गई । जिस नियंत्रण समिति की नियुक्ति कन्ट्रोल की वर्तमान प्रणाली और भिन्न-भिन्न कानूनों के अधीन जारी किए गए भिन्न भिन्न नियमों और अधि-सूचनाओं की जांच करने के लिए की गई । इनके अलावा एक और समिति सरकार द्वारा व्यापार किये जाने के सवाल का अध्ययन कर रही है । औपधि-उद्योग के विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई । दस्तकारी, घरेलू और छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिए दस्तकारी बोर्ड और खादी और घरेलू उद्योग बोर्ड की स्थायी संस्थाओं के रूप में स्थापना की गई ।

कानून-निर्माण

सन् १९५२ में सरकार को बहुत से कानून बनाने थे । इस वर्ष १५ बिल पास किये गये । इनमें अगाऊ-सौदा (नियमन) बिल और लोहा और इस्पात कम्पनी (विलयन) बिल महत्वपूर्ण हैं ।

सन् १९५२ में पेश किये गये ७ बिल सदन के सामने पेश हैं । इनमें चाय, काफी और रबड़ बोर्डों को फिर से संगठित करने और इन उद्योगों को नियमित करने, औद्योगिक-विकास और नियमन कानून में संशोधन करने और मिल के कपड़े पर उप-कर लगाने के बिल शामिल हैं ।

उत्पादन

उत्पादन मन्त्रालय पहली मई सन् १९५२ को स्थापित हुआ था । इसका उद्देश्य है कि देश भर में शीघ्रता के साथ उद्योग फैल जाएं । अप्रैल १९४८ में एक प्रस्ताव पास हुआ था जो कि देश की उद्योग नीति से सम्बन्ध रखता था । इस मन्त्रालय का कार्य उस प्रस्ताव के उद्देश्यों की पूर्ति करना है । अतः यह इस का उत्तरदायित्व है कि यह सरकारी क्षेत्र में उद्योगों पर नियन्त्रण रखे तथा तत्सम्बन्धी योजनाएं बनाए । उत्पादन के लिये नये कारखाने बनाने और जो बन रहे हैं उन्हें शीघ्रता से पूरा करने तथा जो उत्पादन शुरू कर चुके हैं उनके अधिक अच्छे प्रबन्ध के लिये मन्त्रालय सब प्रकार के साधन जुटाएगा ।

कोयला

इस साल १९४६ में पास हुए आवश्यक संभरण (अस्थायी अधिकार) कानून के अधीन कोयले के उत्पादन, वितरण तथा मूल्य पर नियन्त्रण जारी रहा । इस साल कोयले का उत्पादन ३६० लाख टन रहा । इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था । सन् १९५२ में ३१० लाख टन कोयले की निकासी हुई जब कि उससे हिल्ले वर्ष २६० लाख टन की ही हुई थी । सन् १९५२ में कोयले का कुल निर्यात ३० लाख टन से कुछ अधिक हुआ । इस में ८.७ लाख टन वह कोयला भी शामिल है जो कि रेल द्वारा पाकिस्तान भेजा गया । इस के विपरीत १९५१ में २७ लाख टन निर्यात हुआ ।

इस वर्ष कोयले से सम्बन्ध रखने वाला एक कानून पास हुआ जिस का नाम है 'कोयले की खानों की अधिरक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम' । इस कानून के अनुसार एक कोयला बोर्ड स्थापित किया गया । इस बोर्ड का कार्य कोयले की अधिरक्षा तथा खानों में काम करने वालों की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाना है । अब इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि धातु शोधन में काम आने वाले कोयले के बजाय घटिया किस्म का कोयला इस्तेमाल किया जाय क्योंकि इस प्रकार के कोयले की

कमी है। इस घटिया कोयले को लोक-प्रिय बनाने के लिए बालू भरने की योजना पर अधिक जोर दिया जा रहा है। साथ ही कोयले को साफ करने के लिए शुद्धिगृहों की स्थापना की जा रही है। १९५१-५२ में रेलवे की कोयला खानों में ११ लाख रुपए का लाभ हुआ। अनुमान है कि १९५३-५४ में ६३ लाख रुपए का लाभ होगा।

रेलवे की कोयला खानों में फालतू मजदूरों की समस्या की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। तथ्यों की खोज करने वाली इस कमेटी ने जांच कर यह बतलाया है कि खानों में ५.५०० से भी कहीं अधिक आदमी फालतू हैं। चूंकि यह कोयले की खानों पर भारी बोझ है सरकार ने फालतू आदमियों की छुंटनी करने का निश्चय किया है। उन को नोटिस के समय की मजदूरी तथा वृत्ति (गैरच्युटी) दे दी जाएगी।

दक्षिणी अरकाट में पत्थर खोदने की एक योजना चलाने के लिए भारत सरकार ने इंडियन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कुछ भारी किस्म की खोदने वाली मशीनें लेकर मद्रास सरकार को सौंप दी हैं।

नमक

१९५१ में इतना नमक बनाया गया कि भारत के खर्च के लिए काफी था। १९५२ में नमक बनाने में उन्नति जारी रही और उत्पादन ७६८ लाख मन तक पहुँच गया। इतना उत्पादन पहले कभी न हुआ था। १९५० और १९५१ में जापान को लगभग ५ लाख मन नमक का निर्यात हुआ था पर इस वर्ष यह बढ़ कर ६७४ लाख मन हो गया। १९५३ में ८९५ लाख मन नमक के उत्पादन का अनुमान है। योजनानुसार तथा नियमानुकूल चालान से नमक के वितरण के तरीके में काफी सुधार हुआ। साथ ही मूल्यों में चढ़ाव उतार बहुत कम रहा और वे ठीक जगह पर टहरे। इस के साथ ही नमक की किस्म में भी काफी सुधार हुआ।

यह सुभाष पेश किया गया है कि मण्डी की नमक खानों को विकसित किया जाए। भारत में यही अकेली सेंधे नमक की खानें हैं। इस मद पर खर्च के लिए एक करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में रख लिया गया है। विकास के कार्यों को हाथ में लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि खानों में नमक कितनी गहराई तक मिलेगा। इस बात को मालूम करने के

लिए तह तक सुराख किए जा रहे हैं । इस कार्य पर खर्च करने के लिए १.७५ लाख रुपया सन् १९५२-५३ के लिए दिया गया है ।

१९५२ में सौराष्ट्र स्थित भावनगर में नमक की खोज करने वाली एक केन्द्रीय अनुसन्धानशाला बनाई गई । यह कार्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की देख-रेख में हुआ । फिलहाल बम्बई में वाडला नामक स्थान पर एक ऐसी अनुसन्धानशाला तथा एक फार्म मौजूद भी है ।

सिन्द्री उर्वरक फैक्टरी

२३ करोड़ रुपए की लागत से सिन्द्री उर्वरक फैक्टरी का निर्माण कार्य पूरा हुआ । स्वतन्त्रता के बाद यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी धन्धा है । यह एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है । इस कारखाने में उत्पादन का लक्ष्य एक हजार टन प्रतिदिन रखा गया था । परन्तु एक ही वर्ष में उत्पादन का औसत ६६५ टन प्रतिदिन तक पहुँच गया है । २८ फरवरी १९५३ तक उत्पादन २३६,५६० टन और कुल निकासी १५६,७५० टन हुई, जिसका मूल्य ५४८ लाख रुपये था । जैसा कि स्वाभाविक है सिन्द्री के कारखाने से खाद्य की समस्या के हल में बड़ी सहायता पहुँचेगी । प्रति वर्ष ३,५०,००० टन एमोनियम सल्फेट का अर्थ है ८ लाख ७५ हजार टन अधिक खाद्यान्न की उपज । इस कारखाने के कारण विदेशी खाद के आयात में भी भारी कमी हो जायगी, जिससे विदेशी विनिमय में प्रतिवर्ष १०-१२ करोड़ रुपये की बचत होगी । दिसम्बर सन् १९५२ तक, खाद का मूल्य प्रति टन ३५० रुपए था पर अब ६५ रुपए प्रतिटन घटा कर २८५ रुपए प्रति टन कर दिया गया है । इस के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं के पूरे हो जाने पर मूल्य और भी अधिक घटा दिया जायगा । योजनायें ये हैं :—

१. प्रति दिन ६०० टन कोक बनाने के लिए एक कोक भट्टी यन्त्र की स्थापना । इस यन्त्र के बनाने के लिए एक जर्मन फर्म को २॥ करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया है । इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

२. खड़िया मिट्टी की कीचड़ को उपयोग में लाने के लिए ए. सी. सी. द्वारा एक सीमेंट बनाने वाले यन्त्र की स्थापना । इस यन्त्र पर लगभग १॥ करोड़ रुपया खर्च होगा और यह प्रतिदिन लगभग ६०० टन सीमेंट बनायेगा ।

३. ऐसे यूरिया यन्त्र की स्थापना जो प्रतिदिन लगभग १०० टन यूरिया तैयार करेगा। इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए टेकनीकल सहयोग प्रशासन के साहचर्य से एक टेकनीकल कमीशन बनाया गया है। ६॥ करोड़ रुपये की लागत से यन्त्र की स्थापना का सिद्धान्त स्वीकार भी हो चुका है।

सिन्ध्री में ट्रेनिंग प्राप्त आदमियों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक ट्रेनिंग योजना बनाई गई है जिसके अधीन उम्मेदवारों को शिक्षा दी जाएगी। रसायन, यन्त्र और बिजली इंजीनियरिंग के ग्रेजुएटों को निरीक्षण के काम की ट्रेनिंग दी जायगी और स्कूली शिक्षा पाये हुए लड़कों को फिटिंग, बट्टई के काम, बिजली के काम, लोहार के काम आदि की ट्रेनिंग दी जायगी इसके अतिरिक्त एक दूसरी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को शिक्षा दी जाएगी जो विशेष पाठ्य-क्रमों द्वारा अपना टैकनीकल ज्ञान या अनुभव बढ़ाना चाहते हैं।

इस प्रकार सिन्ध्री के कारखाने ने राष्ट्र की खाद्य-समस्या के लिये अत्यावश्यक उद्योग की ही नींव नहीं डाली बल्कि उतने ही आवश्यक भारी रासायनिक तथा संलग्न उद्योगों को भी खड़ा कर दिया है। रासायनिक पदार्थों तथा रासायनिक इंजीनियरी की खोज का एक विशाल क्षेत्र खुल गया है। इस संगठन में चार विदेशी विशेषज्ञों के अतिरिक्त जो कि थोड़े समय के लिए नौकर रखे गए हैं, बाकी सब हिन्दुस्तानी हैं।

हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना

सिंधिया-स्टीम-नेवीगेशन कम्पनी से बातचीत करने के बाद सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह विशाखापत्तनम् के जहाज बनानेवाले कारखाने में सम्मिलित हो सके तथा उस के कार्य की देख-रेख कर सके। तदनुसार हिन्दुस्तान शिप-यार्ड लिमिटेड, जो कि पहले एक निजी कम्पनी थी, २१ जनवरी १९५२ को दिल्ली में लिमिटेड कम्पनी के नाम से रजिस्टर्ड हो गई। जुलाई १९५२ में जहाज के उद्योग की टैकनिकल सहायता के लिए फ्रांस की एक नाविक फर्म के साथ एक पंचसाला करार हो गया है। यह फर्म जहाज बनाने वाले यार्ड के पुनर्गठन तथा विकास के विषय में सलाह दिया करेगा। दो फ्रांसीसी विशेषज्ञ यार्ड को विस्तृत करने की योजनाएं बना रहे हैं। संयुक्त-राष्ट्रसंघ के टेकनीकल सहायता देने वाले प्रशासन

ने दो जहाज-निर्माण-विशेषज्ञों की सेवाएं सरकार को सौंप दी हैं और अब सरकार उनकी सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

सन् १९५२ में तीन जहाजों (८००० डी० डब्ल्यू० टी०) का निर्माण पूरा हुआ । अब यार्ड एक से टन-भार तथा बनावट वाले दो और जहाज बना रहा है । यार्ड के पास ७००० टन वाले पांच तथा ८००० टन वाले दो जहाजों के आर्डर और हैं । ये जहाज नई बनावट के होंगे तथा डीजल इंजनों से चलने वाले होंगे । भारतीय जहाजी कम्पनियों को विशाखापत्तनम् में तैयार किए हुए जहाजों को खरीदने में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारत-तट पर व्यापार के हेतु लिए जाने वाले जहाजों पर ४ प्रतिशत ब्याज की दर पर दीर्घकालीन ऋण दिया जायगा और समुद्र-पार के व्यापार के लिए खरीदे जाने वाले जहाजों पर २॥ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिया जायगा ।

इसके अलावा, हिन्दुस्तान-शिप-यार्ड लिमिटेड के लिए पंचसाला स्कीम में १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है । जहाजों के खड़े करने के स्थानों की संख्या बढ़ाने, विभिन्न कारखानों, मशीनों तथा साज-सज्जा को विस्तृत करने तथा इंजनों और बाइलरों का निर्माण करने वाले एक कारखाने की स्थापना करने के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है । इस काम के लिए १९५२-५३ में ३५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी और १९५३-५४ के बजट में ६० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

शिप-यार्ड में २००० से ऊपर प्रवीण तथा अर्ध-प्रवीण कारीगर लगे हुए हैं । दो फ्रांसीसी विशेषज्ञों के अतिरिक्त सभी कर्मचारी भारतीय हैं चाहे वे टेकनिकल काम करते हों चाहे प्रशासन सम्बन्धी ।

टेलीफोन केबिल फैक्टरी

आजकल ड्राईकोर कागज लिपटे टेलीफोन के तारों की भारत को जितनी आवश्यकता होती है वह पूरे तौर पर आयात से पूरी की जाती है । डाक और तार विभाग की सालाना आवश्यकता-पूर्ति पर ही लगभग ८० लाख रुपए खर्च हो जाते हैं । इस माँग को पूरा करने के लिए पश्चिमी बंगाल में बर्दवान जिले के रूपनारायणपुर में ११० लाख रुपए की लागत से एक कारखाना खड़ा किया जायगा । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की स्टैन्डर्ड:

टेलीफोन एंड केबिल्स लिमिटेड के साथ एक टेकनिकल सहायता करार किया जा चुका है।

कारखाने तथा निवास-गृहों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। यन्त्र तथा मशीनें भी आ रही हैं। यह कारखाना प्रति वर्ष लगभग ४७० मील लम्बे विभिन्न प्रकार के केबिल बनाएगा और इस में दिसम्बर १९५३ तक पूरा उत्पादन होने लगेगा। कारखाने का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध हिन्दुस्तान-केबिल्स लिमिटेड नामक एक कम्पनी को दे दिया गया है।

इसी बीच ६ टेकनिकल अफसरों का एक साल की ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन भेजा गया है। ये अफसर स्टैन्डर्ड टेलीफोन्स एण्ड केबिल्स लिमिटेड के कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

मशीनी औजारों का कारखाना

भारत की मशीनी औजारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार ने ओरलीकंस के एक स्विस् फर्म के साथ अप्रैल १९४९ में टेकनिकल सहायता के लिए एक करार किया था। करार में प्रतिवर्ष ६०० तीव्र गति वाले खरादों, ४६० मिलिंग मशीनों तथा २४० सुराख करने वाली भारी मशीनों के बनाने की योजना है। एक गरारी काटने वाला तथा दूसरा ढालने वाला कारखाना खड़ा किया जाएगा। इस योजना पर लागत का अनुमान लगभग ८.३७ करोड़ रुपया है और सालाना उत्पादन का मूल्य लगभग ४ करोड़ रुपया। उत्पादन-कार्य के १९५३ के अन्त तक शुरू हो जाने की आशा है।

११० लाख रुपए के मूल्य की मशीनें तथा यन्त्र आ रहे हैं, और उन्हें बंगलौर के निकट जलहल्ली नामक स्थान पर लगाया जा रहा है। मशीनों के रखने के लिए स्थान बन कर तैयार हो रहे हैं। प्रशासनिक दफ्तरों और रहने की बस्तियों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

इसी बीच १३ टेकनिकल विशेषज्ञों को नौकर रख लिया गया है। उन में से चार तो आ चुके हैं। इन का काम मशीनों को उतारना और ठीक जगह पर रखना है। नौ विशेषज्ञ ज्यूरिख में ओरलीकंस के कारखानों में ट्रेनिंग ले रहे हैं।

कारखाने का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध १ मार्च १९५३ को हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, को सौंप दिया गया है। इस में सरकार के शेरर ८५ प्रतिशत तथा ओरलीकंस के १५ प्रतिशत हैं।

राष्ट्रीय औजार कारखाना

दिसम्बर १९४७ में एक कमेटी नियुक्त हुई थी। उसकी सिफारिशों के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक यन्त्रों के बनाने के लिए राष्ट्रीय औजार कारखाने का पुनर्गठन किया जा रहा है।

योजना-कमीशन ने इस काम के लिए १८२ लाख रुपए की व्यवस्था की है। आरम्भ में ८० लाख रुपए की एक योजना की मंजूरी हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत नए भवनों का निर्माण, नई मशीनों का खरीदना और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चश्मे के शीशे तथा लिनेन के नापने के फीते बनाना है। दूसरा नवीन कार्य जो बड़ा महत्वपूर्ण है बिल्लौरी पत्थर के प्रतिध्वनि-उत्पादक यन्त्र तैयार करना होगा। इस कार्य के लिए हाल में ही संयुक्त-राष्ट्र-संघ के टेकनिकल-सहायता-प्रशासन से एक विशेषज्ञ कारखाने में आया था। कारखाने की नींव २२ फरवरी १९५३ को रखी गई थी।

यह कारखाना कलकत्ता में जादवपुर के इंजीनियरिंग एंड टेकनालोजिकल कालेज के निकट बनाया जाएगा। इस कारखाने के भवन-निर्माण पर लगभग २८.५४ लाख रुपया व्यय होगा।

कारखाने में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सन् १९५२-५३ के प्रारम्भिक नौ महीनों में इस कारखाने ने १३.५८ लाख रुपए के मूल्य की वस्तुएं तैयार कीं। यह पिछले तीन वर्षों में सब से अधिक है। आशा है कि सारे वर्ष का उत्पादन २० लाख रुपए के मूल्य का हो जाएगा। इस वर्ष का सब से महत्वपूर्ण कार्य पांच इंच वाले आन्तरिक (केन्द्रगामी गति कोणमापक) यन्त्र का निर्माण करना है। इस प्रकार के सूक्ष्म मापक यन्त्र का निर्माण भारत में यन्त्रनिर्माण के विकास में बड़े महत्व का है।

पेनिसिलिन का कारखाना

विश्व-स्वास्थ्य-संघ तथा यूनीसेफ की सहायता से एक पेनिसिलिन फैक्टरी की स्थापना हुई है। इसके लिए सरकार लगभग १३० लाख रुपए और उपयुक्त दोनों संस्थाएं १२ लाख डालर देंगी। यूनीसेफ ८५०,००० डालर के मूल्य का सामान देगा और विश्व-स्वास्थ्य-संघ शैल्पिक सहायता देगा, जिसपर उसका लगभग ३,५०,००० डालर व्यय होगा। फैक्टरी का स्वामित्व तथा प्रशासन भारत सरकार के हाथ में रहेगा।

पूना के निकट पिंपरी नामक स्थान पर यह फैक्टरी बनाई जाएगी। प्रारम्भ में इस का उत्पादन प्रतिवर्ष ३,६०,००,००,००,००,००० यूनिट पेनिसिलिन होगा। बढ़ते-बढ़ते यह ६०० खरब यूनिट तक पहुँच जाएगा। इसी बीच एक यन्त्र की स्थापना हाफकिन्स इंस्टीट्यूट बम्बई में हुई है। यहां देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए १०,००० शीशियां प्रतिदिन बनाई जाएंगी तथा प्रतिवर्ष १५० खरब यूनिट पेनिसिलिन तैयार होंगी।

इस फैक्टरी के लिए तीन टेकनिकल अधिकारी पेनिसिलिन टेकनोलोजी की ट्रेनिंग के लिए देश के बाहर गए हुए हैं। उनको ट्रेनिंग देने के लिए विश्व-स्वास्थ्य-संघ ने एक छात्र-वृत्ति दी है। अभी आठ आदमी और जल्दी ही जाने वाले हैं।

डी० डी० टी० फैक्टरी

विश्व-स्वास्थ्य संघ तथा यूनीसेफ की सहायता से एक डी० डी० टी० फैक्टरी भी स्थापित हो रही है। इसके लिए सरकार २२.४५ लाख रुपए और उपयुक्त दोनों संस्थाएं ३.५ लाख डालर देंगी। यूनीसेफ साज-सज्जा का प्रबन्ध करेगा और विश्व-स्वास्थ्य-संघ टेकनिकल सहायता देगा।

इस फैक्टरी का प्रबन्ध सरकार एक गैर-सरकारी कम्पनी से करायेगी। यह १९५३ के अन्त तक उत्पादन करने लगेगी। इसकी उत्पादन-क्षमता प्रति वर्ष ७०० टन डी० डी० टी० की होगी।

मकान बनाने वाली फैक्टरी

२७ जनवरी १९५३ को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी निजी कम्पनी के रूप में संगठित हुई और भारत सरकार तथा श्री बसाखासिंह वालिनवर्ग

लिमिटेड बराबर के हिस्सेदार बने। यह कम्पनी मकान बनाने वाले कारखानों के उपयोग के लिए, फोम कंकरीट की छत बनाने वाली चादरों के उत्पादन के लिए, पूर्व-निर्मित कंकरीट के भाग तथा भवन-निर्माण के लिए लकड़ी का काम बनाने के लिए स्थापित हुई थी।

दूसरी छोटी यूनिट नाहन फाउंड्री है। यह सरकार के स्वामित्व तथा नियन्त्रण में आ गयी है। यह कार्य संघ के वित्तीय एकीकरण के बाद हुआ है। यह फाउंड्री पेरने के कोल्हू, गन्ने का रस उवालने की कढ़ाइयाँ तथा गुड़ बनाने के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं बनाती है। प्रतिवर्ष इसका उत्पादन लगभग ३,००० कोल्हू है। एक निजी लिमिटेड कम्पनी, जिसका नाम नाहन फाउंड्री लिमिटेड है, २० अक्टूबर १९५२ को स्थापित हुई थी। इस कम्पनी का काम फाउंड्री का प्रबन्ध करना है।

देश में कच्चे लोहे और फौलाद की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने फरवरी १९५२ में अच्छी क्षमता वाली एक विस्फोट भट्टी बनाने का निश्चय किया। तदनुसार अक्टूबर १९५२ में तीन अफसर विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी दलों से इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए अमेरिका भेजे गए। उनकी रिपोर्ट के अनुसार एक मिशन कायम किया गया जो कि लोहे और फौलाद के एक नए कारखाने के बनाने के बारे में योजना पेश करेगा। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी, विश्व-बैंक से आर्थिक सहायता मांगी जाएगी। फौलाद बनाने वाले विदेशियों से आर्थिक तथा प्रौद्योगिक सहायता भी ले ली जाएगी, पर उस में शर्त यह होगी कि इस बुनियादी उद्योग का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण सरकार के हाथ में रहेगा।

बिजली की भारी साज-सज्जा में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े कारखाने के स्थापित करने का निश्चय किया है जिस में कि इस प्रकार का माल तैयार होगा। इस योजना को चलाने के लिए योजना-कमीशन ने ७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। योजना की एक सर्वोच्च-पूर्ण-रिपोर्ट तैयार करने के लिए १९५३-५४ के बजट में १० लाख रुपए की व्यवस्था और की गई है।

तेल साफ करने वाले कारखाने

न्यूयार्क की स्टैन्डर्ड-ग्रायल-वेकुअम कम्पनी तथा लन्दन की बर्मा शैल समूह की कम्पनियों के इस सुझाव को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है कि बम्बई में टूम्बे द्वीप पर दो आधुनिक ढंग के तेल साफ करने वाले कारखाने बनाए जाएं। न्यूयार्क की कार्लटेक्स कम्पनी के साथ भी बातों चल रही है कि उस की सहायता से एक तीसरा तेल साफ काने वाला कारखाना भारत के पूर्वी समुद्र-तट पर स्थापित किया जाए।

बम्बई के दोनों कारखानों का कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग ३३ लाख टन होगा। इस कच्चे तेल से लगभग २६ लाख टन शुद्ध किए हुए पेट्रोल के पदार्थ बन सकेंगे। भारत के तीनों कारखानों से देश की लगभग ७५-८० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी।

आशा है स्टैन्डर्ड-वेकुअम कम्पनी का कारखाना जनवरी १९५५ तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा और बर्मा शैल का जनवरी १९५६ तक। बम्बई के दोनों कारखानों में लगभग ४३ करोड़ रुपया लगेगा। इस में लगभग ७ करोड़ रुपया भारतीयों का होगा।

निर्माण, मकान और पूर्ति

निर्माण, मकान और पूर्ति मन्त्रालय मई १९५२ में बना था। यह गैर-फौजी निर्माण, मकान और दफ्तरों के स्थानों का वितरण, निवास-स्थानों की व्यवस्था, स्टेशनरी छुपाना और उसकी मांग की पूर्ति करना, तथा सरकारी भंडार के लिए सामान खरीदना और उसे ठिकाने लगाना आदि कार्य करता है। यह बाइलरों और विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी तथा तेल-शोधक कारखानों के अतिरिक्त पेट्रोलियम सम्बन्धी काम भी करता है। इस मन्त्रालय का बनाना यह बताता है कि सरकार मकानों की समस्या को बहुत आवश्यक समझती है। १९५२ से पहले इस जरूरी काम के लिए कोई मन्त्रालय न था।

मकानों की व्यवस्था

मकानों की समस्या राष्ट्रीय महत्त्व की समस्या है और इसका सम्बन्ध शहरी और देहाती सभी लोगों से है। इसलिए इस समस्या को असरदार तरीके से

हल करने के लिए मई १९५२ में मकानों की व्यवस्था का एक अलग विभाग खोला गया। पंचवर्षीय योजना में मकानों की व्यवस्था के लिए ३८.५ करोड़ रुपया निश्चित किया गया है।

खराब और गन्दे मकानों में रहने वालों में उन मजदूरों की हालत सबसे खराब है जो बड़े-बड़े शहरों में कारखानों में काम करते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे मजदूरों के वास्ते मकान बनाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें सरकार भी आर्थिक सहायता देगी। मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए राज्य-सरकारों, मकान-निर्माण-बोर्डों, गैर-सरकारी मालिकों और औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियों को सरकार की ओर से कर्ज़ भी दिए जाएंगे और आर्थिक सहायता भी। एक-मंजिले और कई-मंजिले एक कमरे वाले मकानों के कम से कम आकार निश्चित हो चुके हैं। राज्य-सरकारों द्वारा या उनके मकान-निर्माण-बोर्डों द्वारा शुरू की जाने वाली मजदूर-मकान-योजनाओं के लिए स्वीकृत खर्च का ५० प्रतिशत दिया जाएगा और बाकी खर्च की पूर्ति के लिए रुपया कर्ज़ दिया जाएगा। गैर-सरकारी मालिक या मजदूरों की सहकारी समितियाँ यदि मकान बनाने का काम शुरू करेंगी तो उन्हें २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाएगी और ३७.५ प्रतिशत कर्ज़ दिया जाएगा। इस योजना के प्रति बहुत उत्साह प्रकट किया गया है, और यद्यपि यह १९५२ के अन्तिम भाग में घोषित की गई थी, अब तक लगभग १५० योजनाओं के लिए, जिनके द्वारा लगभग १५ करोड़ रुपये के खर्च से लगभग ४७,३२६ परिवारों के लिए मकान बनाए जाएंगे, अर्जियाँ आ चुकी हैं।

दूसरा विषय, जो सरकार का ध्यान खींच रहा है, गन्दे मुहल्लों को साफ करना है। आरम्भ में, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे गन्दे मुहल्लों की सफाई के लिए निश्चित योजनाएं भेजें, जिससे कि इस विषय में एक निश्चित नीति बनाई जा सके।

देहात में मकानों की व्यवस्था उस व्यापक विकास-योजना का एक भाग है जो इस समय सामूहिक योजनाओं द्वारा देश के बहुत से भागों में पूरी की जा रही है। जल्दी ही इसके बारे में एक निश्चित नीति बनाई जाएगी, ऐसी आशा है।

निर्माण-व्यय कम करने और देश में मिलने वाले इमारती सामान को पूरे तौर से काम में लाने के लिए इस विषय पर तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों पर रुड़की, देहरादून, तथा अन्ध्र केन्द्रों में काफी खोज-बीन हुई है । निर्माण-विधि की खोज-बीन के परिणामों को इकट्ठा करने और उनका मूल्य आंकने, निर्माण के नियमों को एक सा रूप देने, और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में मिलने वाले इमारती सामान को काम में लाने के लिए, एक राष्ट्रीय-भवन-निर्माण-संगठन बनाने का विचार हो रहा है । अगले साल के शुरु में सरकार सस्ते मकान बनाने के सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी करना चाहती है और उसके बाद इसी सम्बन्ध में एक सम्मेलन भी । इसी अवसर पर दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मकान-निर्माण और नगर-निर्माण-योजना संघ का प्रादेशिक सम्मेलन भी किया जाएगा ।

केन्द्रीय निर्माण-विभाग

इस विभाग के कार्य की जांच कस्तूरभाई लालभाई समिति ने की थी, जिसकी रिपोर्ट जुलाई १९५२ में पेश की गई । इस समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं । ३ सर्किल और ५ डिवीज़न बन्द किए जा चुके हैं, जिससे ११ लाख रुपये साल की बचत हुई है । प्रबन्ध की व्यवस्था में भी फेर-बदल हुआ है, और प्रशासनिक ग्राडिट व्यवस्था आरम्भ करने का विचार किया जा रहा है । इस योजना के लिए १९५३-५४ में ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

दफ्तर कम कर देने के फलस्वरूप कर्मचारियों की छुटनी भी जरूरी हो गई । सम्बन्धित व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के विचार से कर्मचारियों की छुटनी अखिल भारतीय आधार पर की गई और सारे विभाग पर बराबर फैला दी गई । कमी में आए कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के धन्धों में खपाने के प्रयत्न भी किए गए ।

१९५२-५३ में, केन्द्रीय निर्माण-विभाग ने सरकारी नौकरों और विस्थापित व्यक्तियों के लिये दिल्ली में लगभग ७,००० मकान बनाने का काम शुरु किया । इनमें से अधिकांश मकान बन कर तैयार हो गए । इसी वर्ष दिल्ली की नई बस्तियों में अस्पताल, स्कूल, आग-दफ्तर, स्वास्थ्य-केन्द्र, पुलिस-

थाने आदि बनाने का काम भी शुरू किया गया, जो लगभग पूरा हो गया । इसके अलावा, नई बस्तियों में पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए जलागार और वाटर-वर्क्स बनाए गए तथा नई बस्तियों और शहर के बीच और खुद बस्तियों के बीच थाने-जाने के लिए षडकों की व्यवस्था की गई ।

इसी वर्ष, विभाग ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, और अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार के दफ्तर, इन्कम-टैक्स और सेन्ट्रल एक्साइज दफ्तरों के लिए कई-मंजिल की इमारतें बनाने का काम भी शुरू किया । हिजली में हायर टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट की मुख्य इमारत काफी बन चुकी है । साथ ही, कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और होस्टल आदि भी बनाए जा रहे हैं, इनमें से अधिकांश बन कर तैयार भी हो गए हैं ।

कलकत्ता में टेलीफोन की स्वयंचालन-योजना के लिए कई एक्सचेंज बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जिनमें दो बन कर तैयार हो गई हैं । विभाग ने हैदराबाद, बंगलौर और दिल्ली में बड़े-बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण भी किया । डाक और तार विभाग के लिए एक प्रशिक्षण-केन्द्र जबलपुर में बनाया जा रहा है ।

कलकत्ता में सामुद्रिक इंजीनियरिंग कालेज बनाया जा रहा है, जिसके साथ शिक्षार्थियों के लिए छात्रालय और अध्यापकों के लिए मकान भी बनाए जा रहे हैं । चित्तरंजन में टेलीफोन केबिल कारखाने, पिम्परी-पूना में पेनिसिलिन के कारखाने, बंगलौर में मशीनी औजारों के कारखाने और नासिक में छापे-खाने की इमारतों का बनाना भी इसी साल शुरू किया गया ।

इसके अलावा, मंगलौर में एक नए हवाई अड्डे, बागदोगड़ा, गोहाटी और दमदम में हवाई अड्डे पर हवाई जहाज के चढ़ने-उतरने के स्थान, नागपुर, सेंटाक्रूज, वागदोगड़ा और गोहाटी में यात्रान्त-इमारतों और कई हवाई अड्डों पर कर्मचारियों के रहने के लिए मकान बनाने का काम भी शुरू किया गया । कुछ हवाई अड्डों पर रोशनी का प्रबन्ध भी किया गया ।

योजनाओं पर १९५२-५३ में कुल १२ करोड़ और १९५३-५४ में १६ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है । यह रख-रखाव के खर्च से अलग है ।

पुनःसंस्थापन, टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट (हिजली), सामुद्रिक इंजीनियरिंग कालेज (कलकत्ता), बाल-चिन्ता-केन्द्र (कलकत्ता), उच्चतम न्यायालय

(दिल्ली), तथा छापाखाना (नासिक) आदि से सम्बन्ध रखने वाले कामों को पूरा करने के लिए विभाग ने इस वर्ष बहुत सा सामान खरीदा ।

भूसम्पत्ति-कार्यालय (एस्टेट आफिस)

अन्य कई कामों के अलावा इस कार्यालय का मुख्य कार्य दफ्तरों के और रहने के स्थानों का वितरण करना है ।

इस वर्ष दिल्ली में दफ्तरों के लिए स्थानों की मांग अधिक रही । दिल्ली राज्य का विधान-मंडल बन जाने, विदेशों के कई नए राजदूतावास खुल जाने और केन्द्रीय सरकार का काम बढ़ जाने से स्थान की विशेष कमी हो गई । दिल्ली में दफ्तरों के लिए ३१,३३,६७६ वर्ग फुट स्थान की मांग की गई, परन्तु स्थान केवल २६,५०,६५६ वर्ग फुट ही उपलब्ध था । १९५२ में रहने के लिए कुल ४६,१०० मकानों की मांग की गई, परन्तु उपलब्ध मकानों की संख्या केवल १४,०३६ ही थी ।

दफ्तरों के और रहने के स्थान की कमी को दूर करने के लिए कुछ दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ले जाने की सम्भावना पर विचार हो रहा है । १९५२ में, जयपुर हाउस, धौलपुर हाउस और उदयपुर हाउस भी दफ्तर बनाने के लिए सरकार ने अपने अधिकार में ले लिए । नई दिल्ली में क्वीन विक्टोरिया रोड पर दफ्तर के लिए एक कई-मंजिल की इमारत बनाई जा रही है । जब यह बन कर तैयार हो जाएगी तो दफ्तरों के लिए १.३ लाख वर्ग फुट स्थान और उपलब्ध हो जाएगा ।

५०० रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले अफसरों के रहने के लिए उपलब्ध स्थान का प्रतिशतक ६८.५ है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर, अन्य ऐसे अफसरों के रहने के लिए, जो ५०० रुपये से कम वेतन पाते हैं, स्थान का प्रतिशतक २८.८ है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रहने के स्थान का ३३.४ ।

जब पंजाब सरकार चंडीगढ़ चली जाएगी तो शिमला में दफ्तरों के लिए और रहने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो सकेगा । कुछ दफ्तर शिमला भेज कर इस फालतू स्थान का सदुपयोग किया जा सकता है और दिल्ली में स्थान की कमी को दूर करने के लिये इस पर विचार किया जा रहा है ।

१९५२ की एक मुख्य बात यह भी है कि दिल्ली में सरकारी इमारतों के किराये में परिवर्तन किया गया। काम में आने वाली इमारतों के क्षेत्रफल के आधार पर नई और पुरानी इमारतों के किराये एक जगह करके सरकारी इमारतों के स्टैंडर्ड किराये निश्चित किये गये। इस परिवर्तन से किरायेदारों का किराया भी बराबर हो जाएगा और साथ ही अगले वर्ष से सरकारी आय में लगभग ३ लाख रुपया वार्षिक की वृद्धि भी हो जाएगी।

स्टेशनरी और छपाई विभाग

अनुमान-समिति की सिफारिशों के अनुसार, कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग ऐंड स्टेशनरी के दफ्तर का और भारत सरकार के कलकत्ता-स्थित स्टेशनरी के दफ्तर का पुनर्गठन करने और कर्मचारियों में कमी करने के विषय पर विचार करने के लिये इस वर्ष एक विभागीय समिति बनाई गई थी। इस समिति की सभी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं और उनमें से कुछ पूरी भी की जा चुकी हैं।

नई दिल्ली के सरकारी प्रेस में एक स्वावलम्बी और अत्यन्त गोपनीय विभाग और एक नई संसदीय शाखा का खोलना तथा छपाई के काम को केन्द्रित करने के लिए व्यापार एवं उद्योग मन्त्रालय और सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय से दो छापेखानों का लेना १९५२ की सबसे मुख्य घटनायें हैं।

साथ ही, फरवरी १९५१ में नासिक में स्थापित प्रेस को बढ़ाया जा रहा है। इसकी ताकत बढ़ा कर मौजूदा ताकत से तिगुनी कर दी जाएगी। प्रेस की इमारत और क्वार्टरों का बनना शुरू हो गया है। अलीगढ़ फार्म्स प्रेस के लिये रील्स-शैड के रूप में अतिरिक्त स्थान बनाया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है।

यह भी निश्चय हुआ है कि शिमला और मैदान के मध्य कागज़ तथा अन्य सामान लाने-लेजाने पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए शिमला के सरकारी प्रेस को प.रीदाबाद लें जाया जाए।

इसके अलावा, फार्म्स प्रेस कलकत्ता के विस्तार, फोटो-लिथो प्रेस और सरकारी प्रेस, नई दिल्ली, के एकीकरण, यूनाइटेड प्रेस और शिमला प्रेस का (मैदान में लाकर) एकीकरण और नई दिल्ली प्रेस के लिए रहने और काम करने के वास्ते अतिरिक्त इमारतें बनाने की योजनाओं पर भी विचार हो रहा है।

छुपाई के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सलाह लेने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के अनुसार, दो वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार के स्टेशनरी आफिस, लन्दन, के एक शिल्प-सलाहकार की सेवाएं प्राप्त कीं।

पूर्ति और वितरण का संचालन-विभाग

भारत सरकार, राज्य सरकारों और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिए अधिकतर खरीद का काम निर्माण मकान और पूर्ति मंत्रालय में केन्द्रित है, जो खरीदने वाली संस्थाओं से काम लेता है। १९५१-५२ में इन संस्थाओं ने देश में और विदेश में जो माल खरीदा उसका कुल मूल्य ३०० करोड़ रुपये था। अप्रैल से दिसम्बर १९५२ तक ११९.१ करोड़ रुपये की खरीद हुई, जबकि १९५१ में इसी अवधि में १८५.७९ करोड़ रुपये की हुई थी। अनाज की खरीद के अलावा, अधिकतर खरीद रेलों और रक्षा-सेवाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के लिए की गई।

भारत में जहाँ भी कीमती ठीक दिखाई दीं वहाँ से खरीद की गई। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो सामान खरीदा जाय वह अच्छी किस्म का हो। अप्रैल से अक्टूबर १९५२ तक जितने सामान का निरीक्षण किया गया उसका मूल्य ४९ करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में निरीक्षण किए जाने वाले सामान का मूल्य ६४ करोड़ रुपये था।

घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निश्चय किया है कि यदि उनकी बनी चीजें श्रेष्ठता और माल पहुँचाने की शीघ्रता आदि बातों में अन्य उत्पादकों की बनी चीजों के मुकाबिले की हों तो घरेलू धंधों की चीजों को ही तरजीह दी जाए। फौजी कम्बल बनाने के लिए पानीपत और श्रीनगर के घरेलू धंधों को आर्थिक सहायता भी दी गई।

विदेशों में भंडार का सामान खरीदने के वर्तमान संगठन और प्रणाली को सुधारने के लिए नवम्बर १९५२ में दो प्रादेशिक समितियाँ बनाई गईं—एक लन्दन में और दूसरी वाशिंगटन में। लन्दन समिति की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

अलीपुर का सरकारी परीक्षा-घर सरकारी महकमों, सामान्य व्यक्तियों फर्मों और सार्वजनिक संस्थाओं के सामान की परीक्षा करता है। यह परीक्षित

नमूनों की उच्चमता के प्रमाणपत्र देता है, नमूनों के रूप तैयार करता है, और शिल्प-सम्बन्धी जानकारी भी देता है। अप्रैल से सितम्बर १९५२ तक ८,४१५ वस्तुओं के विश्लेषण और परीक्षाओं की गईं और उनसे ३,०३,४८८ रुपया शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

पिछले युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने भारत में जो फालतू सामान छोड़ दिया था, उसमें से बहुत कुछ ठिकाने लगा दिया गया है, केवल थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ तक कुल १८.८२ करोड़ रुपये का सामान बेचा गया।

युद्ध की क्षतिपूर्ति के अपने हिस्से की कुल १०,४३१ मशीनें भारत को जर्मनी से प्राप्त हुईं। ये मशीनें राष्ट्र के काम में अच्छी तरह से लाई जायें इस बात को सुनिश्चित करने के लिये एक प्राथमिकता-सूची बना ली गई है, जिसके अनुसार रक्षा-सेवाओं को पहला नम्बर और रेलों को दूसरा नम्बर दिया गया है। अब तक ८,६८६ मशीनें काम में ले ली गई हैं। बाकी मशीनों की परीक्षा के लिये और उनके इस्तेमाल करनेवालों का निर्देशन करने के लिये निरीक्षकों का एक दल बनाया गया है।

विस्फोटक पदार्थ विभाग

इस वर्ष ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया जहाँ विस्फोटक पदार्थ और पेट्रोलियम रखे जाते हैं और उठाये-धरे जाते हैं। इसके अलावा, विस्फोटक पदार्थों के रखने और उठाने धरने के कारण हुए विस्फोटों और दुर्घटनाओं की कई छान-बीनें की गईं। 'ख' और 'ग' भाग के राज्यों में तथा उन राज्यों में, जो भारत में मिल गये हैं और जिनमें विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी तथा अन्य नियम हाल ही में लागू हुए हैं, बहुत से गोदाम नियमों के अनुसार नहीं बने। इन गोदामों को ठीक ढंग का बनाने के उपाय किये जा रहे हैं।

विभिन्न राज्यों से विस्फोटक पदार्थों के बहुत से नमूने परीक्षा के लिये और सम्मति के लिये प्राप्त हुए। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर से प्राप्त विस्फोटक पदार्थों की रासायनिक परीक्षा विभाग की कलकत्ता-स्थित नई प्रयोगशाला में की गई। इसी बीच

बम्बई में स्थापित होने वाली दो तेल शोधनशालाओं में से एक की योजना स्वीकार कर ली गई।

इस वर्ष खानों और पत्थर खोदने की जगहों में उड़ाने के काम के लिये लगभग १.५ करोड़ रुपया मूल्य के बड़ी ताकत के विस्फोटक त्रिटोन से मंगाये गये। गैर-फौजी कामों के लिये विस्फोटक तैयार करने के वास्ते भारत में एक कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

पेट्रोलियम डिबीजन

अबादान की तेल शोधन-शाला बन्द हो जाने के कारण १९५२ में भारत को पेट्रोलियम की चीजें और खास तौर से हवाई जहाज की स्पिट पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों से मंगानी पड़ी। अप्रैल के महीने में अमेरिका की तेल शोधन-शालाओं में हड़ताल होजाने के कारण भारत में माल मंगाने में कठिनाई हुई। इस कठिनाई को दूर करने के लिये नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली हवाई जहाज की स्पिट की खपत में १५ मई १९५२ से २८ दिन के लिये ३५ प्रतिशत की कमी कर दी गई। बाद में यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया और ७८ प्रतिशत पिछली बकाया स्पिट लेने की आज्ञा दे दी गई।

अबादान शोधनशाला बन्द होजाने के कारण पेट्रोलियम की बनी विभिन्न प्रकार की चीजों के लाने-लेजाने का खर्चा बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप जनवरी और अगस्त १९५२ में पेट्रोलियम की चीजों की कीमत कुछ बढ़ गई, परन्तु दिसम्बर १९५२ से फिर गिर गई।

केन्द्रीय बाइलर्स बोर्ड

इस वर्ष, केन्द्रीय बाइलर्स बोर्ड ने आधुनिक बाइलर शिल्पविज्ञान के साथ चलने की दृष्टि से भारतीय बाइलर नियमावली १९५० के कई नियमों में संशोधन किया। इसके अलावा, बोर्ड ने भारतीय बाइलर नियमावली १९५० की उस ग्राम आलोचना को अन्तिम रूप दे दिया है जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स आफिस, लन्दन, से प्राप्त हुई थी। अब भारतीय बाइलर नियमावली १९५० के संशोधनों का मसविदा उसके लागू किये जाने से पहले ग्राम आलोचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है। बोर्ड ने उन प्रस्तावों के मसविदे पर भी

विचार कर लिया है जो ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय वाइलर निर्माण नियमावली के लिये भेजा था ।

प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान

इस वर्ष इस मन्त्रालय का पुनर्गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप ७ जुलाई १९५२ को ' सर्वे आफ इण्डिया ', ' दि जूलाजिकल (प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी) सर्वे आफ इण्डिया ', ' दि बोटैनिकल (वनस्पति सम्बन्धी) सर्वे आफ इण्डिया, ' तथा अहमदाबाद की सूती कपड़ा उद्योगों की खोज संस्था आदि कई संस्थायें अन्य मन्त्रालयों से हटाकर इसमें मिला दी गईं ।

ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया

सन् १९५२-५३ में ज्योलोजिकल सर्वे ने आर्थिक, इंजीनियरिंग, भूगर्भ सम्बन्धी भूमि जल तथा अन्य विशेष विषयों की सर्वे का काम जारी रखा । भूगर्भ सम्बन्धी ब्यौरेवार नक्शे तैयार करने के अलावा इस विभाग ने तेल, कोयला, लाइम-स्टोन, तांबा, मैंगनीज़, कच्चा लोहा, लिगनाइट, अभ्रक आदि के लिए महत्वपूर्ण खोजें कीं । इसके अतिरिक्त अन्डमान द्वीप समूह तथा उदयपुर की अभ्रक खानों के क्षेत्र में भूमिजल के लिए भूगर्भ सम्बन्धी जांच-पड़ताल की । मध्यभारत में बोक्साइट तथा चिकनी मिट्टी, उत्तर कनारा में धातु मिश्रित गंधक, तथा गोलकुण्डा और इसके आस-पास फेल्सपार की खोज की गई ।

विभागीय अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के भूगर्भ-शास्त्र के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के अभिप्राय से सन् १९५२-५३ में एक फील्ड (बाह्य) ट्रेनिंग कैम्प संगठित किया गया । इसके अतिरिक्त नेता विनिमय कार्यक्रम (लीडर एक्सचेंज प्रोग्राम) राष्ट्रसंघीय शिक्षावृत्ति योजना (यू० एन० ओ० फेलोशिप स्कीम), चतुर्थलक्ष्यीय कार्यक्रम (प्वाइंट फोर प्रोग्राम) तथा राष्ट्रसंघ की शिल्प-सहयोग योजना के अन्तर्गत कई एक अफसरों को उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेशों में भेजा गया । अमेरिका की

इस वर्ष खनिज उद्योगों को विभिन्न खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई । खानों के मालिकों को घटिया दर्जे के और रद्दी किस्म के कच्चे खनिजों को काम में लाने के बारे में सलाह दी गई । भारत के हितों की रक्षा के लिये और खासतौर से खनिज पदार्थों के आयात और निर्यात के बारे में खनिज नीति क्या हो, इसके लिए भी टेकनिकल सलाह दी गई ।

खानों में वैज्ञानिक ढंग से खुदाई की जाए और छीजन की मात्रा में कमी हो इस लिए खानों का निरीक्षण जारी रखा गया । इस वर्ष, विभिन्न राज्यों में मैंगनीज़ तथा अभ्रक की खानों और क्रोमाइट, बालफ्राम, खड़िया मिट्टी तथा पायराइट के जखीरों का निरीक्षण किया गया । विन्ध्य प्रदेश में खानों से हीरे निकालने के बारे में भी प्राथमिक परीक्षण किया गया ।

ब्यूरो आफ माइन्स (खान कार्यालय)

इस ब्यूरो ने 'मिनरल कन्सेशन' (खनिज पदार्थ सम्बन्धी रियायत) तथा 'पेट्रोलियम कन्सेशन' (पेट्रोल सम्बन्धी रियायत) के नियमों के अन्तर्गत पुनरीक्षण के लिये आये हुए आवेदनपत्रों पर विचार किया । इसके साथ ही इस ब्यूरो ने भारत में खनिज पदार्थ तथा तेल सम्बन्धी रियायतों से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार किया ।

सन् १९५२-५३ में मध्य-प्रदेश में तिरोदी खान की तथा मानसुर खान की घटिया दर्जे की कच्ची धातु की गवेषणा का कार्य पूरा हुआ । इसके अलावा जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुशोधनशाला में मध्यप्रदेश की घटिया दर्जे की मैंगनीज़ धातु की उपयोगिता के बारे में ब्यूरो द्वारा प्रयोग किये गये ।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स (भारतीय खान स्कूल)

इस स्कूल की प्रयोगशाला तथा कारखाने में पढ़ा कर तथा हाथों से काम करवा कर ट्रेनिंग देने का काम जारी रहा । कोयलाखानों, कारखानों तथा भूगर्भज्ञान प्रदान करने वाले स्थानों के दौरे भी किए गए । एक खान सर्वे कैम्प भी लगाया गया । गवेषणा कार्य यथापूर्व जारी रहा ।

किफायत समिति की सिफारिशों के अनुसार इस स्कूल की चारों कक्षाओं की फीस १ जुलाई १९५२ से एक स्तर पर ला कर १८० रुपया वार्षिक कर

दी गई। सरकार ने यह बात भी मान ली कि १० प्रतिशत तक योग्य शिक्षार्थियों को मुफ्त शिक्षा की सुविधाएं दी जाएं।

विद्यार्थियों को खानों में मशीनों से काम करने की ट्रेनिंग देने के लिये स्कूल में एक यन्त्र विभाग खोलने की सम्भावना पर विचार करने के वास्ते सन् १९५२-५३ में विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की गई।

खान इंजीनियरिंग के ४२ शिक्षार्थियों तथा भूगर्भ विद्या के ४ शिक्षार्थियों को असोसियेटशिप के डिप्लोमा दिए गए। खान इंजीनियरिंग के आठ शिक्षार्थियों को खान प्रबन्धकों के योग्यता सर्टिफिकेट भी दिए गए और वे अब वेतनभोगी रोजगार में लगे हुए हैं।

सर्वे आफ इण्डिया

सन् १९५२-५३ में "सर्वे आफ इण्डिया" ने कई एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथा टेकनिकल विषयों पर अपना कार्य जारी रखा। उदाहरणार्थ ज्वारभाटा तथा भूकम्प विज्ञान के सम्बन्ध में खोजें की गईं। भारतीय धन्दरगाहों के लिए सन् १९५४ के वास्ते पहले से ही भविष्यवाणियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं और सन् १९५५ के लिए ज्वारभाटे की तालिकाएं तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। पंजाब और कश्मीर में फ्रास्ट ग्रेविमीटर द्वारा गुरुत्व (ग्रेविटी) के निरीक्षण किए गए। अक्टूबर सन् १९५२ में ज्वारभाटा का पता देने वाली ४२ अंगों वाली ड्रडसन हेज नाम की एक नई मशीन लगाई गई। उस फोटो सामग्री को नया रूप देने के लिए जिसकी अवधि खत्म हो चुकी है, गवेषणा कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है।

कई एक नक्शे संकलित करने, खींचने और छापने के अलावा इस विभाग ने इस वर्ष इन नक्शों के बनाने का काम भी शुरू किया:—हिन्दी में ७० मील प्रति इंच पैमाने वाला भारत का राजनैतिक नक्शा, ४० मील प्रति इंच पैमाने का भारत का दीवारों पर टांगने वाला नक्शा (नया संस्करण), ६७ मील प्रति इंच पैमाने का भारतीय रेलों का नक्शा (नया संस्करण) और एक स्कूली एटलस।

साथ ही इस विभाग ने ३६ योजनाओं की सर्वे का काम भी हाथ में लिया। इन कामों में हाल की बाढ़ों से पीड़ित इलाके के विकास तथा

पुनर्निर्माण में मदद पहुंचाने के लिये आसाम की कोपिल्ली घाटी की सर्वे, माउण्ट एवरेस्ट की ठीक-ठीक ऊंचाई मात्तूम करने के लिये हिमालय प्रदेश की सर्वे, और सिंचाई तथा पन-विजली की कई योजनाओं की सर्वे भी शामिल है। इसके अलावा पूर्वी-पश्चिमी बंगाल सीमा, बम्बई में तेल साफ करने के कारखानों तथा केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था की 'ट्रैक्टर्स गोइंग योजना' के सम्बन्ध में सुधार के लिये पड़ती जमीन के बहुत बड़े इलाकों की सर्वे का काम समाप्त हो चुका है।

विभागीय अफसरों तथा उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें राज्य सरकारें और पड़ोसी देश ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, सर्वे आफ इंडिया देहरादून में एक स्कूल चला रही है। सन् १९५२-५३ में ११ विभागीय अफसरों, बर्मा सरकार के २ अफसरों, अफगान सरकार के दो अफसरों और राज्य सरकारों के २४ अफसरों ने ट्रेनिंग पूरी की। इस समय १६ विभागीय अफसर तथा विभिन्न राज्यों के ८ अफसर ट्रेनिंग ले रहे हैं।

जूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया

प्राणि-निरीक्षण-विभाग के पुनर्गठन के लिए एक योजना तैयार की जा रही है और सन् १९५२-५३ में इसके लिए १ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

यह विभाग भारतीय शिक्षार्थियों को अपनी प्रयोगशालाओं में प्राणि-विज्ञान, प्राणि-भूगोल, मत्स्य-पालन तथा पशु-स्वभाव पर गवेषणा कार्य की सुविधाएं देता है। विश्वविद्यालयों के प्राणि-विज्ञान विभागों तथा भारत और विदेशों की अन्य संस्थाओं को जो प्राणि-शास्त्र के ज्ञान को व्यावहारिक समस्याओं पर लागू करने की इच्छुक हैं, आवश्यक जानकारी दी गई।

बोटैनिकल सर्वे आफ इण्डिया

भारतीय वनस्पति सर्वे के पुनर्गठन के लिये भी एक योजना तैयार की जा रही है। सन् १९५२-५३ में भारतीय अजायबघर के शैवोगिक विभाग के

पुनर्गठन का काम जारी रहा। इसके फलस्वरूप संगृहीत वस्तुओं में काफी सुधार और वृद्धि हुई। ब्राजिलियन वैक्स पाम तथा काग-बलूत के बीजों के छोटे-छोटे पार्सल बाहर से मंगवाए गए, और उन्हें भारत में तलुबों के लिये बोने और परीक्षा के लिये बांट दिया गया। इस वर्ष कई प्रकार की वनस्पतियों की जांच करके पहचान की गई, और पौधों के बारे में कई प्रकार की खोजबीन की सामग्री और जानकारी विभिन्न संस्थाओं को दी गई।

परमाणु-शक्ति कमीशन

सन् १९५२-५३ में परमाणु-शक्ति कमीशन ने उन धातुओं की ब्यौरेवार जांच की जिनमें यूरेनियम पाया जाता है और बिहार में इनके महत्वपूर्ण जखीरे पाए गए हैं। प्राथमिक सर्वे कार्य के पश्चात् अब वहां जमीन छेद कर देखने (ड्रिलिंग) का कार्य तथा विस्तृत अन्वेषण हो रहा है। राजस्थान में रेडियो शक्ति विशिष्ट (रेडियो-एक्टिव) खनिज पदार्थों के नए जखीरे मालूम किये गए हैं।

इसके साथ ही 'इलमिनाइट' में कितना 'मोनेजाइट' पाया जाता है, इसकी जांच की जा रही है। 'इलमिनाइट' में ०.१ प्रतिशत 'मोनेजाइट' को 'रेडियो-मीटर' से जल्दी से बताने का एक तरीका मालूम किया गया है। 'मोनेजाइट' की मात्रा के नियंत्रण के लिए कमीशन ने एक यन्त्र भी तैयार किया है। इसके अलावा, फीरोजा (वैरिल) के उत्पादन को बढ़ा दिया गया है और राजस्थान, बिहार तथा दिल्ली में इसके नये स्रोत पाए गए हैं।

साथ ही, ताम्र की धातु के साथ जुड़े हुए यूरेनियम को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अलग करने का एक तरीका भी निकाला गया है। इसके लिए एक प्रारंभिक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। यूरेनियम निकालने और साफ करने, कीमती मिट्टियों को एक दूसरे से अलग करने और चिनगारी फेंकने वाला एक नया फास्फोरस विकसित करने के लिये एक नया तरीका निकालने का काम भी जारी है।

कमीशन द्वारा काम में लाए जाने वाले इलेक्ट्रन सम्बन्धी अधिकांश सामान का विकास भी हो चुका है। इसके अलावा, समय को सिकंड के १ करोड़वें भाग तक नापने के लिए 'सैक्रोस्कोप' यन्त्र का सफलतापूर्वक निर्माण हो चुका

है। सेकेंड के १०० वें भाग के नापने के लिए एक और यन्त्र तैयार करने का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष परमाणु गवेषणा के लिए २५०,००० वोल्ट का एक 'वान डर ग्राफ जनरेटर', दस लाख वोल्ट वाला एक 'साइक्लोट्रॉन' और ५०-सेनल वाला एक 'पल्स हाइट अनालाइज़र' तैयार किए गए हैं।

जो सामान प्राप्त किया गया है, उसमें न्यूट्रन साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिये १२ लाख वोल्ट का एक 'कास्केड जेनरेटर', एक 'रेडियम-बेरिलियम न्यूट्रन साधन,' तथा 'सीगबान' किस्म का एक बड़ा 'बीटा-रे स्पेक्ट्रोमीटर' उल्लेखनीय है।

इस वर्ष बंबई के 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' में कई एक वैज्ञानिक दल संगठित किए गए और ब्रह्माण्ड किरण, (कास्मिक-रेज) के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की गई। उदाहरणार्थ भूमध्य रेखा के प्रदेश में 'कास्मिक रेडियेशन' की रासायनिक बनावट, ६०,००० फुट की ऊंचाई तक ब्रह्माण्ड किरण की तीव्रता, तथा जमीन के तल से बहुत नीचे ब्रह्माण्ड-किरण के फैलाव पर अनुसंधान किए गए।

परमाणु शक्ति सम्बन्धी खोज-बीन के लिए प्रमाप के अनुसार एलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करने के वास्ते कमीशन ने अपना एक कारखाना स्थापित किया है। यह कारखाना कई सौ 'फील्ड सर्वे मीटर' तैयार कर चुका है। प्रयोगशालाओं में काम आनेवाले बड़े-बड़े 'स्केलर' भी तैयार किए जा रहे हैं।

२४ दिसम्बर १९५२ को प्रधान मंत्री ने मोनेज़ाइट फ़ैक्ट्री का नियमानुसार उद्घाटन किया। यह फ़ैक्ट्री प्रति वर्ष १,५००० टन मोनेज़ाइट शुद्ध कर सकेगी। इससे लगभग १,५०० टन कीमती मिट्टियों के क्लोराइड तथा कारबोनेट, और १,५०० से १,८०० टन तक 'ट्रिसोडियम फास्फेट' प्राप्त होंगे।

कमीशन ने कई कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है। इनमें से पहला 'यूरेनियम-थोरियम' कारखाना है, जिसमें मोनेज़ाइट से कीमती मिट्टियों तथा फास्फेट तत्व अलग करने के बाद जो भाग शेष रह जायगा उसको काम

में लाने योग्य बनाने के लिये शुद्ध किया जायगा। दूसरे कारखाने में यूरेनियम को शुद्ध करके परमाणु की शुद्धता तक लाया जाएगा। एक और कारखाने में तांबे की फेंकी जाने वाली छीलन (कचरा) के लगभग २०० टनों पर प्रति दिन काम किया जायगा। इस छीलन के १,००० टन प्रति दिन प्राप्त हो सकते हैं और अगर इसका पूरा-पूरा प्रयोग किया जा सके तो प्रति मास लगभग ३ टन यूरेनियम प्राप्त हो सकता है।

कमीशन ने अगले चार वर्षों में परमाणु-शक्ति के विकास के लिये एक योजना तैयार की है। इस योजना में अन्य चीजों के अलावा भारत में एक परमाणु-प्रति-क्रियाकारी स्थापित करने का विचार है। परमाणु-शक्ति और अणु-पदार्थ-विज्ञान के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देख भाल के लिए एक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग भी स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परमाणु-शक्ति के विकास से विज्ञान तरीकों द्वारा प्राणि-विज्ञान क्षेत्र में सारभूत कार्य करने के लिए प्राणि-विज्ञान विभाग भी स्थापित किया जाएगा।

वैज्ञानिक कार्य

वैज्ञानिक कार्यों में ताल-मेल स्थापित करने के लिये सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार, मैसूर के राजप्रमुख की अध्यक्षता में वन पशु संबंधी एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है। बोर्ड के कार्यों में ये चीजें शामिल हैं— कानूनी तथा अन्य तरीकों से वन पशुओं के जीवन को सुरक्षित करना, राष्ट्रीय पार्कों, शरण-स्थानों तथा जीव-जन्तु बागों, का निर्माण करना, और वन-पशुओं की ओर लोगों का ध्यान-आकर्षित करना इत्यादि। बोर्ड की पहली सभानवम्बर-दिसम्बर ५२ में मैसूर में हुई थी।

भारत की राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था और यूनेस्को के तत्वावधान में नवम्बर १६५२ में दिल्ली स्थित नेशनल फिज़िकल लेबोरेट्री, में वैज्ञानिक सिद्धान्तों और भवन-रूपण तथा भवन निर्माण में उनको लागू करने के विषय पर विचार करने के लिए एक विचार गोष्ठी हुई। इन विचारों में भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया तथा लंका ने भाग लिया और इंग्लैंड तथा इसराइल से सलाहकार भी आये। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था, विश्व स्वास्थ्य संघ, एशिया तथा

सुदूर पूव के लिए आर्थिक कमीशन तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति-संगठन ने भी अपने प्रेक्षक भेजे । भारत की राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था के तत्वावधान में राजपूताना के रेगिस्तान के बारे में भी एक विचार-गोष्ठी हुई । पूना की राष्ट्रीय रासायनिक अनुसंधान-शाला में अगस्त सन् १९५२ में भारतीय प्रायद्वीप के अर्धशुष्क भागों के बारे में एक और विचार-गोष्ठी हुई ।

भारतीय सायेंस कांग्रेस का ४० वां अधिवेशन जनवरी सन् १९५३ में लखनऊ में हुआ । इसमें कई विदेशी वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इन दिनों एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी भी हुई जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक कारखानों की बनी चीजें दिखाई गईं ।

भौतिक विज्ञान में राष्ट्रीय गवेषणा के प्रोफेसर डा० सी. वी. रामन ने बंगलोर की इण्डियन एकाडमी आफ साइंसिज़ में अपना गवेषणा कार्य जारी रखा । डा० रामन और उनके सहयोगियों ने एक्स रेडियशन्स के बारे में एक महत्त्वपूर्ण खोज की, जिस से गवेषणा के नए अध्यायों का श्री गणेश हुआ और जिसका वैज्ञानिक महत्त्व भी बहुत बड़ा है ।

रामन रिसर्च इंस्टीचूट जो अब तक निर्माण के दौर से गुजर रहा था, अब अच्छे सामान से सुसज्जित है । अब इसके साथ एक क्रिस्टलोग्राफिक और भिनरलोजिकल अजायबघर भी खुल गया है । इससे गवेषणा कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । इस समय, इस संस्था में छः गवेषणा-शिक्षार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं ।

भारतीय विज्ञान समाचार-पत्र नामक एक पाक्षिक पत्र, जिसमें भारत के वैज्ञानिक तथा टेकनिकल कार्यों के ताजा समाचार होते हैं, प्रकाशित किया गया है । यह पत्र भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं के अतिरिक्त ब्रिटेन में भारतीय वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी तथा डी.एस.आई.आर. (लन्दन) के सूचना विभाग को भी भेजा गया ।

भारत में वैज्ञानिक कार्य की प्रगति पर गैर-टेकनिकल लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाने के लिये प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो को भी भेजे गये । इसके अतिरिक्त, भारतीय गवेषणा-कर्ताओं को, कनाडा की नवीनतम

वैज्ञानिक प्रगति की पूरी जानकारी देने के लिए, कनाडा की वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के सार कई एक गवेषणा संस्थाओं को भेजे गये ।

गवेषणा-शालायें और वजीफे

सन् १९५२-५३ में लखनऊ में वीरबल साहनी इन्स्टीचूट आफ पेलिओवाटनी का निर्माण हुआ । २ जनवरी सन् १९५३ को प्रधान मन्त्री ने इसका उद्घाटन किया । डा० श्रीवे एबी होग, जिनकी सेवाएं यूनेस्को द्वारा उपलब्ध की गई हैं, सन् १९५३ में इसके डाइरेक्टर होंगे ।

बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा को जारी रखने तथा युवक वैज्ञानिकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते गवेषणा शालायें, विश्वविद्यालयों की प्रयोग शालायें और वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए सन् १९५२-५३ में २२ लाख रुपये के अनुदान दिए गए । इसके अलावा हैदराबाद की केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा-शाला को भवन निर्माण के लिए ५ लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया गया ।

सन् १९५२-५३ में युवक वैज्ञानिकों को विभिन्न कामों की ट्रेनिंग देने के लिए इन संस्थाओं में वजीफे दिये गए:—‘इण्डियन एकाडेमी आफ साइंसिस, बंगलौर,’ ‘इण्डियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता,’ ‘बोस इन्स्टीचूट’ कलकत्ता, ‘टाटा इन्स्टीचूट आफ फंडामेंटल रिसर्च,’ बम्बई, तथा ‘वीरबल साहनी इन्स्टीचूट आफ पेलिओवाटनी’ लखनऊ, ।

स्वीडन की ‘स्वीडिश एकाडेमी आफ इंजीनियरिंग एन्ड साइंसिज’ के गवेषणा केन्द्र या ‘टैनिंग इन्डस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन’ की प्रयोगशाला में चमड़ा कमाने और कमाये हुए चमड़े की टैनिंग तथा गवेषणा के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक को स्टाकहाल्म (स्वीडन) भेजा गया । इस शिक्षार्थी की ट्रेनिंग का खर्च ‘स्वीडिश रिसर्च कौंसिल’ देगा । इसके अलावा वह उसे रहने के लिये सजा सजाया मकान भी मुफ्त देगी । बर्मा शेल तथा आसाम आयल कम्पनियों ने प्रति वर्ष क्रमशः ५०,००० रुपये तथा १००,००० रुपये उन भारतीय शिक्षार्थियों को वजीफे के रूप में दिए हैं जो राष्ट्र मण्डल के देशों में शिक्षा पा रहे हैं । ‘बर्मा शेल’ कम्पनी ने ५०,००० रुपये की एक और

रकम उन भारतीय शिक्षार्थियों को वजीफे देने के लिए दी है, जो ब्रिटेन के लोहब्रो कालेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पा रहे हैं। इन योजनाओं का अभिप्राय यह है कि शिक्षार्थियों को विशेष विषयों की ट्रेनिंग दी जा सके जिस से सरकार तथा उद्योगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें, सरकार द्वारा चलाए गए कारखाने अच्छी तरह चल सकें, और शिक्षा टेकनिकल तथा गवेषणा सस्थाओं का सुचारु रूप से संचालन हो सके।

इन दो योजनाओं के अन्तर्गत ब्रिटेन तथा कनाडा में ट्रेनिंग पाने के लिए सन् १९५२ में आठ भारतीय शिक्षार्थी चुने गए। इसके अलावा 'बर्मा शेल कम्पनी' ने लोहब्रो कालेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए दो भारतीय शिक्षार्थियों को चुना।

गवेषणा का विकास और उपयोग

इस वर्ष 'कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च' द्वारा दिए गए २५ नये आविष्कारों के पेटेन्टों के लिए प्रार्थनापत्र दिए गए तथा एक दर्जन और नए प्रार्थनापत्र जल्दी ही दिए जाएंगे। कुछ आविष्कारों की दूर दूर तक चर्चा हुई। उदाहरणार्थ, तम्बाकू के कचरे से निकोटीन सल्फेट तैयार करने के आविष्कार के बारे में तुर्की, अमेरिका तथा क्यूबा के देशों ने पूछ ताछ की। सूर्य-ताप चूल्हा (सोलर कुकर) के लिए पेटेन्ट स्वीकृत हुआ और व्यापारिक स्तर पर इसे बनाने के बारे में बातचीत हो रही है।

सन् १९५२-५३ में विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए आविष्कारों का प्रवाह यों रहा :—'नैशनल केमिकल लेबोरेटरी' १३, 'नैशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी,' ४, 'सेंट्रल टेकनालाजिकल रिसर्च इंस्टीचूट,' २, 'फ्यूल रिसर्च इंस्टीचूट' २, 'नैशनल फिजिकल लेबोरेटरी,' १, 'सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीचूट' २, तथा 'सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीचूट' १,। पेटेन्टों के प्रमाणों के विषय में मशविरे के लिये अच्छी सुविधाओं और गवेषणा कार्यकर्त्ताओं और आम लोगों के लिये साहित्य प्रदान करने की ओर कौंसिल ने इस वर्ष बहुत ध्यान दिया।

वैज्ञानिक तथा टेकनिकल बोर्ड

अहमदाबाद के सूती-कपड़ों उद्योग की गवेषणा संस्था की अनुसंधान-शालायें आज कल सूती कपड़ा उद्योग तथा व्यापार के कई विषयों की खोज के कार्य में लगी हुई हैं। सन् १९५२-५३ में जिन विषयों पर खोज कार्य किए गए उनमें से कुछ ये हैं, एक्स-रे का कातते, बुनते तथा साफ (फिनिश) करते समय सूत के रेशों और धागों की 'फैटीग' (धागे का आगे न बढ़ना) और 'क्रीप' (धागे का इधर उधर सरक जाना)। सूती कपड़ा उद्योग में रासायनिक शुद्धि करते समय धन तथा गुण का नियंत्रण आदि लम्बे समय की एक योजना के रूप में शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त कार्य-भार, जाव (हल्के काम) का मूल्यांकन तथा रोशनी और निपुणता पर सुधरी दृष्टि के प्रभाव का अध्ययन भी किया गया।

इस वर्ष इस संस्था ने, अहमदाबाद के सूती कपड़ा उद्योग में मालिक तथा मज़दूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायता दी। इस संस्था का दूसरा योग यह था कि इसने संस्था की सदस्य मिलों के प्रबन्धकों और शिल्पियों में काम करने के वैज्ञानिक ढंग का विस्तार किया। गुण-नियन्त्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) का विषय २४ मिलों में लागू किया गया। लगभग १५० पत्रिकाओं से चुन-चुन कर तैयार की गई वर्गीकृत विषयों और सूती कपड़ा सम्बन्धी लेखों के प्रमुख भागों की एक सूची प्रकाशित करके औद्योगिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण घटनायें उद्योगों के सामने उपस्थित की गईं।

शिल्पियों और मिल प्रबन्धकों के साथ मिल कर टेकनोलाजी, विज्ञान, अंकशास्त्र, तथा मानव सम्बन्धों के विभिन्न विकासों पर सोच विचार करने के लिए बाकायदा मीटिंग भी होती रही।

'यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आफ केमिकल टेकनोलाजी' 'टेकनोलाजिकल लेबोरेटरी आफ दि इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी,' 'विक्टोरिया जुबली टेकनिकल इंस्टीचूट' तथा 'ए.टी.आई.आर.ए.' के सम्मिलित तत्वावधान में जून सन् १९५२ में बम्बई में एक विचार-गोष्ठी संगठित की गई। अमेरिका के बपोलो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोल्डफिंगर की सेवा भी प्राप्त की गई। आशा की

जाती है कि वे इस संस्था के रासायनिक विभाग में जुलाई सन् १९५३ में विज़िटिंग प्रोफेसर का कार्य संभालेंगे ।

भू-भौतिक विज्ञान के केन्द्रीय बोर्ड ने एक केन्द्रीय भू-भौतिक विज्ञान-शाला स्थापित करने की सिफारिश की है । यह भू भौतिक विज्ञान की बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा के लिए उच्चकोटि की गवेषणा शाला होगी । इस संस्था के लिए एक योजना तैयार की जा रही है ।

भू-भौतिक विज्ञान के केन्द्रीय बोर्ड के अधीन एक प्राचीन ज्वालामुखी-विज्ञान (पेलिओवालकेनोलोजी) कमेटी बनाई गई है । इसका पहला कार्य संसार के ज्वालामुखी पर्वतों वाले प्रदेशों के लिए ऐसी भूगर्भवर्ती तहों का पता लगाना है, जिनके कारण ज्वालामुखी पैदा हो जाते हैं । दूसरा काम शिला-लेखों तथा ज्वालामुखी विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना है । कमेटी ने भारत की ज्वालामुखी चट्टानों के सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकों की सूची तैयार कर ली है । इस सूची को चोटी के भूगर्भविज्ञानवेत्ताओं से प्राप्त व्योरे के आधार पर अब संशोधित किया जा रहा है ।

बोर्ड के अधीन एक भू-गर्भ भू-जल-साधन कमेटी भी काम कर रही है । इस कमेटी के कार्य हैं—भू-जल कितनी गहराई पर है इसके बारे में जानकारी एकत्र करना, पृथ्वी के भीतर तहों की बनावट और विस्तार, पानी की किस्म, पूर्ति न होने के कारण भू-गर्भ-जल के त्यवत साधन, कुओं के जल की गहराई की मास प्रतिमास न्यूनाधिकता के बारे में जानकारी एकत्र करना आदि ।

मार्च-मई १९५२ में, भारत के अन्तरिक्ष-विज्ञान विभाग के दो वैज्ञानिकों ने भारतीय जलपोत 'इन्वेस्टीगेटर' पर समुद्री प्राणि-विज्ञान के सम्बन्ध में महासागर का अध्ययन किया । इस दौरे में उन्होंने जो काम किया उसमें ये बातें शामिल हैं :—प्रतिदिन रेडियो-सैण्ड तथा बैलूनों की प्रारम्भिक उड़ानें, समुद्र की निचली तह पर वायु की आर्द्रता तथा उतार चढ़ाव, समुद्र की सतह पर पानी के खारापन, तापमान और घनत्व आदि की नाप तोल के लिये पानी के नमूने जमा करना आदि ।

इन गवेषणाओं को काम में लाने के लिए योजना कमीशन एक राष्ट्रीय गवेषणा विकास कारपोरेशन स्थापित करने के लिये राजी होगया है और इसकी योजना बनाने के लिये थोड़े से कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं ।

१९५२ में दिल्ली की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में विज्ञान और उद्योग अनुसंधान परिषद के अधीन 'नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेंटेशन सेंटर' ने अपना काम शुरू किया। यूनेस्को ने परिषद को तीन विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं प्रदान कीं। इस कार्य के लिये आवश्यक वैज्ञानिक तथा टेकनिकल कर्मचारी नियुक्त किए जा चुके हैं। सामान भी सब प्राप्त हो चुका है। केन्द्र के लिए यूनेस्को के अनुदान से जो कि १२,००० डालर है, लगभग ३,००० वैज्ञानिक पत्र मंगवाए गए हैं।

साथ ही इस केन्द्र ने एक सूचना विभाग, फोटो नकल करने का एक विभाग तथा एक अनुवाद विभाग आदि स्थापित किए हैं। इन विभागों के शुरू होने के समय से ४०० मांगें आईं, जिनमें ३०० फोटो नकल करने या वैज्ञानिक लेखों की प्रतियां लेने के लिये, ७० अनुवाद के लिए और ३० पुस्तक सूचियों और वैज्ञानिक विषयों की अन्य जानकारीयों के लिये थीं।

इस साल, विज्ञान और उद्योग अनुसंधान बोर्ड तथा विभिन्न खोज कमेटियों ने गवेषणा क्षेत्र में विकास की जांच-पड़ताल की और विभिन्न योजनाएं चालू करने में उद्योगों को सहायता दी। उन महत्वपूर्ण योजनाओं में जिनकी ओर सन् १९५२-५३ में ध्यान दिया गया, एक योजना 'सिलवर आयोडाइड' से नकली बादल बनाकर वर्षा करने की थी। 'फ्लेश स्टीम जेनरेटर' नामक एक नए किस्म के स्टीम वायलर का भी निर्माण किया गया।

खानों में तथा पृथ्वी के भीतर खुदाई का काम करने वालों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में खोज करने के लिए बोर्ड ने खान अनुसंधान कमेटी बनाने की जो सिफारिश की थी, उस पर योजना कमीशन द्वारा विचार हो रहा है। सन् १९५२-५३ में बोर्ड ने १४ नई गवेषणा योजनायें मंजूर कीं।

इंजीनियरिंग गवेषणा बोर्ड के अधीन 'सिविल इंजीनियरिंग', 'एरोनाटिकल इंजीनियरिंग', 'मेकेनिकल इंजीनियरिंग', 'हैड्रालिक्स इंजीनियरिंग', तथा 'रेडियो इंजीनियरिंग' सम्बन्धी कई विशेषज्ञ समितियाँ हैं।

सिविल इंजीनियरिंग कमेटी सस्ते मकान, सड़कें आदि बनाने के बारे में सुझाव तैयार कर रही है। रेडियो कमेटी ने विशेष प्रकार के बिजली तथा मशीनी गुणों वाले अल्यूमिनियम अपमिश्रण तैयार करने की योजना पर और हैड्रालिक्स

कमेटी ने तीव्र फिल्टरों और नल के मीटर तैयार करने की योजना पर विचार किया। पवन शक्ति के विकासार्थ एक विशेष कमेटी स्थापित की गई है और इसके लिए एक गवेषणा योजना मंजूर की जा चुकी है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद

यह परिषद राष्ट्रीय के अनुसन्धानशालाओं द्वारा खोज कार्य कर रही है। सन् १९५२-५३ में तीन और अनुसन्धानशालाएं स्थापित की गईं जिनके नाम ये हैं:—‘सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीच्यूट’, दिल्ली, ‘सेंट्रल एलवट्रो-केमिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट’ कराइकुड़ी, और ‘लेदर रिसर्च इंस्टीच्यूट’, मद्रास। इनका उद्घाटन क्रमशः १६ जुलाई १९५२ और १४ तथा १५ जनवरी सन् १९५३ को हुआ। अब केवल एक प्रयोगशाला अपूर्ण है, और वह है रुड़की की ‘सेंट्रल बिस्किंग रिसर्च इंस्टीच्यूट’। परिषद ने ‘सेंट्रल साइट रिसर्च स्टेशन’ के स्थापनार्थ सौराष्ट्र सरकार से भावनगर के ‘राज होटल’ का भवन प्राप्त कर लिया है।

इस वर्ष पूना की ‘नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आफ इंडिया’ ने महत्त्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया। अन्य कार्यों के अतिरिक्त ये कार्य किए गए—चमड़े और खालों से सरेस बनाना, तम्बाकू के कचरे से निकोटीन सल्फेट तैयार करना, गन्धक का मायक्रो-वायलोजिकल उत्पादन और प्राकृतिक रदड़ का क्लोरिनेशन तथा काजू के छिलके के द्रव से इन्मेल तैयार करना, चमड़े तथा फर्श की पालिश तैयार करने के लिए गन्ने की कच्ची गाद को शुद्ध करना, कारबन कागज बनाना आदि।

मैसूर के ‘केन्द्रीय फूड टेकनोलाजिकल इंस्टीच्यूट’ में जिन मुख्य विषयों पर खोज की गई उनमें कुछ ये हैं:—बनावटी चावल, तथा मारिटेड दुध पाऊडर तैयार करना, उत्तम प्रकार के निशास्ते तथा नशा न करने वाली शराबें बनाना, और फलों तथा सब्जियों को डिब्बों में सुरक्षित रखना आदि। सस्ते पर पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी तैयार किए गए और अब पोषण की दृष्टि से उनकी जाँच की जा रही है।

सोना तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं को महसूल की चोरी करके देश से बाहर

ले जाने और लाने वालों को पकड़ने के लिए दिल्ली की 'नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी' ने एक दस्ती 'एन्टी स्मगलिंग वैटरी' तैयार की।

अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त सूर्य की शक्ति को खाना पकाने के काम में लाने के लिए गर्म हवा वाला एक इंजन तैयार किया गया।

सन् १९५२-५३ में जिन अनुसंधान-शालाओं में महत्वपूर्ण कार्य किए गए वे हैं— 'नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी', जमशेदपुर, 'सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीच्यूट' लखनऊ, 'सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीच्यूट' मद्रास, 'फ्यूअल रिसर्च इंस्टीच्यूट' डिगवाडीह, 'सेंट्रल ग्लास एन्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीच्यूट' जादवपुर, कलकत्ता, 'सेन्ट्रल विल्डिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट' सड़की और 'सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीच्यूट' दिल्ली।

कराइकुडी में 'सेंट्रल एलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट' का भवन तैयार हो चुका है। बहुत कुछ सामान भी प्राप्त किया जा चुका है।

२६ गवेषणा विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुसार परिपद ने विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा-संस्थाओं को बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा संस्थाओं को बुनियादी तथा व्यावहारिक गवेषणा के लिए अनुदान दिए। इस समय ऐसी १०० से ज्यादा स्कीमों पर अमल किया जा रहा है।

परिपद की शासन समिति ने २० मार्च १९५२ की मीटिंग में एक कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी भारत के विभिन्न भागों में रिहायश की न्यूनतम आवश्यकताओं तथा रिहायश के सम्पूर्ण विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बनाई गई। इस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क

भारत 'इंटरनेशनल कौंसिल आफ साइंटिफिक यूनियन्स' तथा ११ अन्य वैज्ञानिक संघों का सदस्य है। इन संस्थाओं द्वारा भेजा गया साहित्य गवेषणाशालाओं और विश्व-विद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए बहुत काम की चीज प्रमाणित हुआ, क्योंकि यह उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के सम्पर्क में रखता है।

इस वर्ष भारत अन्तर्राष्ट्रीय लेख्य प्रमाण (डाक्यूमेंटेशन) संघ तथा अन्तर्राष्ट्रीय गणित संघ में शामिल हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय लेख्य प्रमाण संघ के कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय लेख्य प्रमाण केन्द्र ही भारत में राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करेगा । दो और राष्ट्रीय कमेटियां स्थापित की गई हैं, जिनमें से एक अन्तर्राष्ट्रीय गणित संघ के लिए और दूसरी पत्तियों की रक्षार्थ अन्तर्राष्ट्रीय कर्मिशन के लिए है ।

भारतीय वैज्ञानिकों का कार्य सराहा गया है और उनमें से बहुत से वैज्ञानिक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघों के अधीन विभिन्न संगठनों में नियुक्त किये गए हैं । इस प्रकार, विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों में भारत के विचारों का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से हो रहा है ।

कई एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मण्डल भेजे गए । ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने से, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किये गये विशेष प्रकार के टेकनिकल कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है । ऐसे संसर्गों से उन्हें विशेष विषयों पर विदेशों में किए गए आधुनिकतम विकास कार्यों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी मिली ।

ब्रिटेन में भारतीय वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी ने हमारी गवेषणा-शालाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक विज्ञान तथा टेकनिकल विषयों की जानकारी ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों से प्राप्त करने का काम जारी रखा । इस तरह की जानकारी प्रायः साधारण तौर से प्राप्त नहीं की जा सकती । इसमें अनुवाद, गवेषणा-पत्रों और वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं तथा इन पत्रों में दिए गए उन लेखों के अनुवादों की सूचियाँ सम्मिलित हैं, जो भारत के काम के होते हैं । इसके अतिरिक्त वह ऐसे नये टेकनिकल प्रकाशन भी भेजता है जिनकी सारे भारतीय संगठनों को जरूरत होती है । इसके अलावा वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी उन वैज्ञानिकों से भेंट करने तथा उनके बारे में सूचना देने का कार्य भी करता है, जिन्हें भारत में किसी ओहदे पर लगाने का विचार होता है ।

प्रकाशन

सन् १९५२-५३ में भारत का धन अर्थात् 'वेल्थ आफ इण्डिया' (भारत के आर्थिक उत्पादनों तथा औद्योगिक साधनों का क्रोश) नामक पुस्तक की

तीसरी जिल्द का तीसरा भाग प्रकाशित किया गया । इसके अतिरिक्त 'नेशनल रजिस्टर आफ साइंटिफिक एन्ड टेकनिकल परसोनेल' नामक पुस्तक की तीसरी जिल्द का पहला भाग भी प्रकाशित किया गया ।

इस वर्ष के अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से कुछ ये हैं— 'इंडेक्स टू ज्यूथीज फ्लोरा', 'फैटस एन्ड आइलज रिव्यू- १९४६,' 'फैटस एन्ड आइलज रिव्यू १९५०', तथा 'वेल्थ आफ इण्डिया' कच्चा माल-जिल्द ३ । इसके अतिरिक्त गेहूं तथा गेहूं से तैयार की गई वस्तुओं के मनुष्यों के योग्य आहारों के विषय की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं के बारे में कई पुस्तिकाएं, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद समाचार नामक एक पत्रिका (बुलिटिन) तथा 'विज्ञान प्रगति' नामक, विज्ञान की सूचना युक्त, हिन्दी की एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की गई ।

३. संचार

परिवहन और संचार के साधन राष्ट्र की प्राण-शिराएँ हैं। इसलिए समस्त विकास-कार्यक्रम में सरकार की संचार-योजनाओं का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने रेलों, बन्दरगाहों, जहाजरानी, सड़कों, नागरिक उड्डयन, डाक और तार पर काफी रूपया खर्च करने की योजनाएँ बनाई हैं। स्वतन्त्रता के छठे वर्ष में परिवहन और संचार की सुविधाओं के विकास में इसीलिए इतनी उन्नति हुई है।

रेलें

पिछले वर्ष की अपेक्षा सन् १९५१-५२ में रेलों के वित्तीय परिणामों और कई कामों में अधिक सुधार हुआ। इस वर्ष सब रेलों की कुल आमदनी २६०.८२ करोड़ रुपए थी; रेलों से इतनी आमदनी पहले कभी नहीं हुई। यह आमदनी यात्रियों और माल दोनों से हुई, और दोनों प्रकार की आमदनी पिछले सब सालों की आमदनी से अधिक रही।

इसके अलावा, रेलों पर सन् १९४७-४८ से आमदनी के मुकाबले खर्च का अनुपात इतना कम कभी नहीं रहा, जितना कि इस साल। कुल आमदनी, यात्रियों से आमदनी, माल से आमदनी, ले जाए जाने वाले माल के वजन, माल के ले जाने की दूरी और रेलों के चलने की दूरी आदि में इस साल सब से अधिक वृद्धि हुई। परन्तु पिछले १० सालों से यात्रियों के यातायात में जो लगातार वृद्धि हो रही थी, उसमें इस साल पहली बार कुछ कमी हुई। फिर भी रेलों द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों की संख्या युद्ध से पहले वर्षों की अपेक्षा १३३ प्रतिशत अधिक रही।

विकास कार्य

यद्यपि सन् १९५२-५३ में रेलों की समृद्धि कम रही, फिर भी पुनःसंस्थापन और रेल-सुविधाओं के विकास की गति में कोई अन्तर नहीं आने पाया, यही

नहीं, सन् १९५३-५४ में यह गति और तेजी से हो रही है । सन् १९५३-५४ के लिए रेलों का पूंजीगत बजट ७९,६१ करोड़ रुपया रखा गया है, जब कि सन् १९५२-५३ का संशोधन अनुमान ७६.७० करोड़ रुपए था ।

१९५२-५३ में जो आवश्यक कार्य पूरे किए गए या शुरू किए गए उनमें ये उल्लेखनीय हैं—पश्चिमी रेलवे की डीसा-गाँधीधाम शाखा, जो अक्टूबर १९५२ में खोली गई, उत्तरी रेलवे की विजनौर-चांदपुर-सियाऊ शाखा, जो नवम्बर १९५२ में फिर से चालू की गई, पश्चिमी रेलवे की वसाद-कथाना लाइन, जिसके सन् १९५३ में पूरे होने की आशा है और दक्षिणी रेलवे की क्विलोन-इर्नाकुलम को मिलाने वाली छोटी लाइन, जो दिसम्बर १९५२ में शुरू की गई । इसके अलावा रेलों के काम के लिए अधिक बिजली प्राप्त करने के लिए ३ करोड़ रुपए के खर्च से कल्याण के बिजली घर को विस्तृत किया गया ।

इस प्रकार, उखाड़ी हुई १२ लाइनों में से, जिन्हें फिर से बिछाने की स्वी-कृति परिवहन-बोर्ड ने सन् १९५० में दी थी, दो लाइनें बिछाई जा चुकी हैं, दो सन् १९५३-५४ में बिछाई जाएंगी, और सात के बिछाने का काम पूरा होने वाला है । उत्तरी रेलवे की रोहतक-गोहाना-पानीपत लाइन ही एक ऐसी लाइन है, जिसका बिछाना बाकी है । इस पर सन् १९५३-५४ में काम शुरू हो जाएगा । इसके लिए २२ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

बारसी लाइट रेलवे के खरीदने के लिए १.८९ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा, सौराष्ट्र में भावनगर तारापुर लाइन की पड़ताल और मध्यप्रदेश में इन्दौर तक तथा उड़ीसा में बेराबिल और सम्बल-पुर के बीच बड़ी लाइनों की आरम्भिक पड़ताल का काम शुरू हो गया है । पेराम्बूर (मद्रास) में रेलवे के डिब्बे बनाने वाले कारखाने के निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है । इस कारखाने के बनाने के लिए सन् १९५३-५४ के बजट में १.३ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

इसके अलावा, सन् १९५३-५४ में ५ और लाइनें बनाने की व्यवस्था की गई है । इनमें से मध्य रेलवे की एक लाइन से खंडवा और निगोली को मिलाया जाएगा और पश्चिमी रेलवे की एक लाइन से गांधी-

धाम और कांधला को मिलाया जाएगा । एक दूसरा बड़ा काम मोक्कामे के पास गंगा पर रेल-सड़क-पुल का बनाना है ।

इसके साथ ही, विजयवाडा से मद्रास की और यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों और साबरमती जैसे कुछ जंकशनों पर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर माल चढ़ाने की कठिनाइयों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । कोयला, लोहा और इस्पात के स्थानान्तरण की सुविधाएं बढ़ाने के लिये कुछ शाखाओं पर लाइनों को बढ़ाने का विचार भी हो रहा है । इसके लिए ४ करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ।

इंजन और डिब्बे

रेलों के इंजनों और डिब्बों की स्थिति पर भी सावधानी से विचार हो रहा है । १९५२-५३ में २३६ नए इंजनों के प्राप्त किए जाने की आशा है । इनमें से ३६ चित्तरंजन के इंजन-कारखाने से लिए जाएंगे । टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कम्पनी ने जनवरी १९५३ तक ३५ इंजन बनाए थे ।

१९५१-५२ में सवारी गाड़ी के ७७१ नए डिब्बे काम में लिए गए, जबकि १९५०-५१ में ४७६ लिए गए थे । पैम्बूर में डिब्बे बनाने का जो कारखाना तैयार हो रहा है, वह एक पाली प्रतिदिन काम करके एक वर्ष में इस्पात ही इस्पात के और हल्के वजन के ३५० रेल-डिब्बों के ऊपरी हिस्से बना सकेगा । सन् १९५३-५४ में २४५ इंजनों, १७६ बाइलरों, १,३८४ सवारी गाड़ी के डिब्बों और १०,६६३ मालगाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता होगी; जिनमें से १५० इंजन, ६३ बाइलर, १,१२१ सवारी गाड़ी के डिब्बे और ६,८३४ मालगाड़ी के डिब्बे देश में ही बन जाएंगे और केवल बाकी के ही बाहर से मंगाए जाएंगे—ऐसी आशा है ।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

इस साल यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया । प्रतीक्षालय, पीने का पानी, प्लेटफार्म के अच्छे फर्श, टिकट देने का अच्छा प्रबन्ध आदि कुछ छोटी-छोटी सुविधाएं तो सब स्टेशनों पर की जा

रही हैं। ऐसा प्रबन्ध करते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वह स्टेशन कितना बड़ा है और किस दर्जे का है। अधिक बड़े स्टेशनों पर प्रकाश और सामान रखने के स्थान की अधिक अच्छी व्यवस्था, प्लेटफार्मों के ऊपर छत डालना आदि कार्य किए जा रहे हैं। दिसम्बर १९५२ तक इंटर और थर्ड क्लास के डिब्बों में २० हजार से अधिक पंखे लगाए जा चुके हैं। थर्ड क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को भी उनके डिब्बे में भोजन-गाड़ियों से खाना पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा चुका है। इस साल थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए खास-खास डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों पर पहले से टिकट लेने की और लम्बे सफर के लिए खास गाड़ियों में स्थान सुरक्षित कराने की सुविधाएं भी बढ़ा दी गईं हैं।

इसके अलावा, रेलों में भीड़-भाड़ कम करने की भी कोशिश की गई। सवारी गाड़ियों के चलने की कुल दूरी सन् १९४८-४९ में ९३० लाख मील से बढ़ कर सन् १९५१-५२ में १,०५० लाख मील हो गई। १ अप्रैल १९५२ से १ जनवरी १९५३ तक १०९ नई गाड़ियां चलाई गईं और १०८ गाड़ियों के अन्तिम गन्तव्य स्थान और आगे बढ़ा दिए गए, सवारी गाड़ियों के चलने की कुल दूरी प्रतिदिन ९,८५० मील बढ़ गई; इसमें से ५,४८३ मील बड़ी लाइन पर बढ़ी। उत्तर-पूर्वी रेलवे की पहली आसाम-रेलवे शाखा पर यात्रा की स्थिति और यात्रियों की सुविधाओं की जांच करने के लिए एक विभागीय समिति बना दी गई है।

साथ ही, रेलवे के समय पर आने-जाने का पूरा ध्यान रखा गया और कई दूसरे कामों को भी बड़ी दक्षता से किया गया।

यात्रा सम्बन्धी रियायतें

इस साल यात्रियों को कुछ रियायतें भी दी गईं। इनमें से एक रियायत तो शिक्षा सम्बन्धी यात्राओं के लिए स्वीकृत स्कूलों को तथा सामूहिक योजनाओं पर काम करने वाले स्वयंसेवकों को रियायती टिकटों का जारी करना था। विद्यार्थियों को यह रियायत पहले से ही प्राप्त थी। दूसरी रियायत थर्ड क्लास के लिए 'जहाँ चाहो वहाँ घूमो' टिकटों का जारी करना था।

यह रियायत रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के अवसर पर दी गई थी। यह केवल एक ही मंडल की रेलों के लिए थी और यात्रा जारी करने से १४ दिन तक उपलब्ध रहती थी।

कार्य-पटुता

इस साल रेलों के चलाने में पिछले साल की अपेक्षा अधिक पटुता दिखाई गई। उदाहरण के लिए, बड़ी लाइन की रेलों का सूचक अंक सन् १९५०-५१ में १००.७ से बढ़ कर सन् १९५१-५२ में १०२.८ हो गया और छोटी लाइन का सन् १९५०-५१ में ६२.४ से बढ़ कर सन् १९५१-५२ में ६३.६ हो गया। समय पर आने-जाने के सम्बन्ध में, बड़ी लाइन पर समय का पालन करने वाली गाड़ियों की संख्या सन् १९५२ के पूर्वार्द्ध में ७८.४ प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या ७७.१ प्रतिशत थी। छोटी लाइन पर समय पर आने-जाने वाली गाड़ियों की संख्या १९५२ में ८१ प्रतिशत और सन् १९५१ में ७४.३ प्रतिशत थी। बड़ी लाइन पर मालगाड़ी के डिब्बों और इंजनों का इस्तेमाल भी अच्छा रहा। पर छोटी लाइन पर इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं रहा।

सेवाएं

रेलों की सभी महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए चुनाव-बोर्डों द्वारा आदमी चुने जाते हैं। बोर्ड के तरीके को अधिक सन्तोषजनक बनाने के लिए तथा कर्मचारियों को सीनियरिटी के आधार पर ऐसे ऊंचे ओहदों तक पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए, जहां से आगे केवल चुनाव से ही आदमी चुने जाएंगे, अस्थायी प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं। दोनों संघों से बातचीत करने के बाद अन्तिम आदेश जारी हो जाएंगे।

इसके अलावा, कर्मचारियों की बाजिव रकम, छुट्टी, और पांस आदि देने में देरी होने की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से सुधार के उपाय बताने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति ने उत्तरी रेलवे पर परिस्थिति की छान-बीन कर ली है।

निश्चित मात्रा तक अर्थात् रिक्तस्थानों के २५ प्रतिशत तक द्वितीय श्रेणी के अफसरों को तरक्की देकर प्रथम श्रेणी के अफसर बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिक अफसरों को तरक्की के योग्य बनाने के लिए २५ प्रतिशत की वर्तमान मात्रा भी बढ़ा कर ३३.३ प्रतिशत कर दी जाएगी। साथ ही, यह भी निश्चय हुआ है कि द्वितीय श्रेणी के जो अफसर ३ वर्ष के अधिक किसी सीनियर ओहदे पर स्थानापन्न होकर काम कर चुके हैं, वे फिर से अपने ओहदों पर नहीं उतारे जाएंगे, बल्कि स्थानापन्न रूप में उसी ओहदे पर कायम रहेंगे। उन अफसरों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा, जो भिड़ले वर्षों में ३ साल से अधिक स्थानापन्न रहने के बाद फिर अपने ओहदों पर उतारे जा चुके हैं।

सभी रेलों पर, जिनमें पहले देशी राज्यों की रेलें भी शामिल हैं, केन्द्रीय वेतन कमीशन की लगभग सभी सिफारिशें पूरी की जा चुकी हैं। संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों और पंच-फैसला भी अधिकतर कार्यान्वित किया जा चुका है।

स्टोर-संगठन

भारतीय रेलवे स्टोर-जांच-समिति की सिफारिशों के अनुसार स्टोर के प्रबन्ध का पुनर्गठन शुरू कर दिया गया है। प्राप्ति के तरीके में सुधार के लिए रेलवे स्टोर की एक प्रामाणिक सूची तैयार की जा रही है। भंडार में अधिक सामान जमा न रखने और मौजूदा भंडारों से पूरा लाभ उठाने के लिए, अखिलभारतीय आधार पर स्टोर के इस्तेमाल को समन्वित और न्यायपूर्वक व्यवस्थित करने का प्रबन्ध भी किया जा चुका है।

इसके अलावा, स्टोर की चीजों के नाम, इंसान और डिब्बों की मरम्मत, कर्मचारियों की ट्रेनिंग के तरीके आदि के बारे में रेलों में जो घोर विभिन्न्य था, वह दूर किया गया। रेलवे के सभी कामों को उचित मानदण्ड का बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक मानदण्ड सलाहकार समिति बनाई गई है। यह समिति काफी काम कर चुकी है और विभिन्न रेलों के बीच तथा एक ही रेलवे के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो असमानता थी, वह धीरे-धीरे कम की जा रही है।

क्षति-पूर्ति के दावे

इस साल रेलों द्वारा खोए गए या खराब किए गए माल की क्षति-पूर्ति के दावों के तय करने में काफी सुधार हुआ। दावों के तय करने में लगने वाले समय का औसत सन् १९४६-५० में ६४ दिन था, जो घट कर सन् १९५०-५१ में ७५ दिन और सन् १९५१-५२ में ७२ दिन रह गया। पुराने मामले भी छुट्टि जा रहे हैं और उस सबको अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

हाल ही में जो दावे पेश किए गए हैं, उनमें से अधिकतर उन हानियों के सम्बन्ध में हैं जो चलती गाड़ी में या चोरों के संगठित दलों द्वारा चोरी करने से हुई हैं। गृह मन्त्रालय का एक बड़ा अफसर इस आतंक को दूर करने के उपाय सुझाने के लिए छहों रेल मण्डलों के प्रधान कार्यालयों में भेजा गया है।

भ्रष्टाचार

रेल-कर्मचारियों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लगभग सभी रेलों ने भ्रष्टाचार विरोधी संगठन बनाए हैं। जालसाजी और भोखेबाजी के कई मामले पकड़े गए और उनके लिए ऐसे दण्ड दिए गए जिससे ऐसे काम फिर न किए जा सकें। इस बुराई को दूर करने के लिए और कौन से उपाय काम में लाए जाएं यह जानने के लिए शीघ्र ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इस समस्या पर विचार करेगी।

पुनः समूहीकरण

१९५२-५३ की सब से बड़ी घटना समस्त भारतीय रेल-चक्र का केवल एक केन्द्रीय प्रशासन के अधीन होना और दैनिक प्रबन्ध की सुविधा के लिए उसे ६ मण्डलों में विभाजित करना है। दक्षिण रेलवे मण्डल १४ अप्रैल १९५१ को, मध्य और पश्चिम रेलवे मण्डल ५ नवम्बर १९५१ को और उत्तर, उत्तर-पूर्व और पूर्व रेलवे मण्डल १४ अप्रैल १९५२ को बना।

यात्री-श्रेणियां

जो शाखाएं दो महत्त्वपूर्ण बड़ी लाइनों को जोड़ती हैं उनको छोड़ कर शेष सब शाखाओं की गाड़ियों से तथा बड़ी लाइन की भी कम महत्त्वपूर्ण

गाड़ियों से प्रथम श्रेणी के डिब्बे पहले ही हटा लिए गए थे । कुछ एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों को छोड़ कर बाकी सब गाड़ियों से प्रथम श्रेणी के डिब्बे अब १ अप्रैल १९५३ को हटा लिए गए हैं । अक्टूबर १९५३ तक सभी प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटा लिए जाएंगे । यह भी निश्चय हुआ है कि छोटी-छोटी शाखाओं पर केवल दो श्रेणी के डिब्बे रखे जाएं—एक तो तीसरी श्रेणी के और दूसरे यातायात को देखते हुए दूसरी श्रेणी के या मध्यम (इन्टर) श्रेणी के ।

सलाहकार-समितियां

रेलों का नए समूहों में रखकर उनके बड़े-बड़े मण्डल बनवाने के सिलसिले में और रेल-प्रयोक्ताओं के अधिक अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए तथा रेल-सेवा की दक्षता में सुधार के लिए यह निश्चय किया गया है कि मौजूदा स्थानीय सलाहकार समितियों के स्थान पर (१) प्रादेशिक या डिवीजनल-स्तर पर रेल-प्रयोक्ता सलाहकार समिति, (२) हर रेलवे के प्रधान कार्यालय में मण्डलीय रेल-प्रयोक्ता सलाहकार समिति और (३) केन्द्र में एक राष्ट्रीय रेल-प्रयोक्ता-सलाहकार समिति बनाई जाय ।

पहली समिति में उन क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, जिनमें होकर रेल जाती है । इनमें खेती-बाड़ी से सम्बन्ध रखने वाले लोग भी शामिल हैं । राष्ट्रीय परिषद रेलों द्वारा की जाने वाली सेवाओं और दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय महत्त्व के मामलों का निपटारा करेगी । मण्डल-समिति स्वभावतः केवल अपने मण्डल के ऐसे ही मामलों का निपटारा करेगी । दोनों समितियां और राष्ट्रीय परिषद सलाह देने वाली होंगी ।

श्रमिक-कल्याण

मजदूरों के कल्याण के कार्य और सुविधायें बराबर बढ़ाई जा रही हैं । यदि मकान बनाने के काम को ही लिया जाय तो पता चलेगा कि सन् १९४७ से १९५२ तक ५ सालों में मजदूरों के लिए ३०,२८७ नए क्वार्टर बनाए गए । सन् १९५२-५३ में ८,००० क्वार्टरों के बनाने की आशा है । ३१ मार्च १९५३ तक चतुर्थ श्रेणी के २ लाख से भी अधिक आवश्यक कर्मचारियों को

मकान मिल जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस श्रेणी के ६६ प्रतिशत कम-चारी मकान प्राप्त कर चुकेंगे। चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं और नर्स स्कूलों तथा कल्याण-कार्यों आदि की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। १९५३-५४ के बजट में इसके लिए ८.९७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

गवेषणा

इंजनों और डिब्बों के निर्माण की गति में तेजी के साथ-साथ गवेषणा और जांच के कार्यों में भी बहुत विस्तार हुआ है। १९५२-५३ में गवेषणा-संचालन के अधीन एक संगठन बनाया गया। इसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में रखा गया और इसके दो उपकेन्द्र बनाए गए—एक चित्तूरंजन के उपकेन्द्र में जहाँ रासायनिक और धातुसम्बन्धी गवेषणा आरम्भ करने के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है। लोनावला का उपकेन्द्र इमारतों और कंकरीट आदि से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं की जांच करेगा। दिल्ली के सभीप शकूरबस्ती की मिट्टी यन्त्रविज्ञान प्रयोगशाला को भी लोनावला भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ इस किस्म के काम के लिए अधिक सुविधाएँ हैं।

प्रदर्शनी

दिल्ली में एक विशाल पैमाने पर रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। यह, प्रदर्शनी मार्च से मई १९५३ तक रही। इस प्रदर्शनी में यह बताया गया था कि भारत में रेलवे ने पिछले १०० वर्षों में क्या काम किए और क्या-क्या उन्नति की, तथा उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योग दिया। प्रदर्शनीय वस्तुओं में पुराने और नए ढंग के इंजन और डिब्बे भी थे। यह विचार है कि इस्लामाल में आने वाली रेल-सामग्री की खास-खास चीजों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी-वाली जगह पर एक विचित्रालय खोला जाए और इन चीजों की नाप-तोल, वार्षिक खपत और भारत में बनाए जाने की सम्भावना के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए।

बजट

फरवरी १९५३ में संसद के सामने उपस्थित किए गए बजट के अनुसार

सन् १९५२-५३ में रेलों की कुल आय २६९.५५ करोड़ रुपए थी ; संचालन का कुल खर्चा, जो २१९.१ करोड़ रुपए था तथा अन्य खर्चें काट कर, असली आमदनी ४३.५९ करोड़ रुपए रही । 'साधारण रजस्व' की मद में लाभांश दे देने के बाद ९.४८ करोड़ रुपए की बचत हुई, जबकि मई १९५५ में १९५२-५३ के बजट में २३.४७ करोड़ रुपए की बचत का अनुमान लगाया गया था । इस प्रकार लगभग १४ करोड़ रुपए की कमी हुई । इसका खास कारण रेलों की सम्पत्ति और कारखानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अधिक व्यवस्था हो जाने के फलस्वरूप आमदनी में १२.६१ करोड़ रुपए की कमी और संचालन के खर्च में १.१६ करोड़ रुपए की वृद्धि का होना है । आमदनी की कमी का खास कारण यात्रियों से होने वाली आय की मद में १०.१४ करोड़ रुपए की कमी और माल ि होने वाली आय की मद में १.१० करोड़ रुपए की कमी है ।

परिवहन

केन्द्रीय-परिवहन-बोर्ड

सन् १९५२-५३ में केन्द्रीय-परिवहन-बोर्ड और उसकी स्थायी-समिति ने नयी रेलों के निर्माण के कार्यक्रम : मोटर-गाड़ियों और सड़क के रास्ते आने-जाने वाले माल और यात्रिय पर टैक्स लगाने के सम्बन्ध में कई राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और लोहा, इस्पात, कपड़ा और सीमेंट का उत्पादन करने वाले कारखानों को कच्चा माल पहुंचाने और वहां से तैयार माल ले जाने से सम्बन्ध रखने वाली हालत के बारे में विचार किया । इसके अलावा, कायला अनाज, नमक, कच्चा मैगनीज़, और रासायनिक-खाद के लाने-ले जाने के बारे में भी विचार किया गया

पंच-वर्षीय-योजना में रेल सम्बन्धी योजनाओं के लिए ४०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई यह रकम हर साल ८० करोड़ रुपए के हिसाब से खर्च की जाएगी । इसमें से १५० करोड़ रुपया योजना के १९५१-५२ और सन् १९५२-५३ में खर्च करने के लिए रखे गए हैं । इसके अनुसार, रेल-विभाग ने २२ कार्यों की एक सूची तैयार की । योजना के बाकी समय में आठ योजनाओं के

लिए १८ करोड़ रुपए निश्चित करने का विचार है। अनुमान है इसपर कुल मिलाकर ३१.२२ करोड़ रुपया खर्च होगा।

सन् १९५२ में रेलों ने सन् १९५१ से अधिक कोयला एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। सन् १९५२ में जहाजों द्वारा दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्रों और सौराष्ट्र को पहले से अधिक कोयला भेजना संभव था। वास्तव में सन् १९५२ में जहाजों से जो कोयला दूसरी जगहों को भेजा गया उसकी मात्रा पहले दो वर्षों से अधिक थी।

बंदरगाह-प्रशासन

इस वर्ष बम्बई की तरह कलकत्ता-बंदरगाह कमीशन में जहाजी-हितों को सीधा प्रतिनिधित्व दिया गया। बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता बंदरगाहों में ट्रस्ट की बैठकों में भाग लेने के लिए पदेन और सरकारी ट्रस्टियों को फीस देने की प्रथा पहली जनवरी १९५३ से बंद कर दी गई। देश के बड़े बड़े बंदरगाहों की एक डाकूमेंटरी-फिल्म तैयार की गई और सिनमाघरों में दिखाई गई।

कलकत्ता-बंदरगाह

सन् १९५१-५२ में कलकत्ता-बंदरगाह के काम में २,७५२,६७१ रुपए का घाटा हुआ। आशा है कि सन् १९५२-५३ में २,६८२,४५२ रुपए की बचत होगी। सन् १९५१-५२ में इस बंदरगाह से ४,०६३,०६३ टन माल आया और ५,४८६,६१४ टन माल विदेशों को भेजा गया। जनवरी सन् १९५३ के अन्त तक इस बंदरगाह से २,८१८,६२७ टन माल विदेशों से भारत आया और ५,४०३,११२ टन माल भारत से विदेशों को भेजा गया। सन् १९५१-५२ में १,४६० जहाज इस बंदरगाह के अन्दर आए। सन् १९५३ के अन्त तक कोई १,८६२ जहाज इस बंदरगाह में आए।

इस वर्ष बंदरगाह-कमिशनरों ने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर जिनमें रिमाउंट और नीमक महल सड़क पर क्वाटर बनवाने, कोयला-लादने की मशीन लगाने, चाय के लिए और गोदामों की व्यवस्था करने, १२ एंजिल और ३७२ रेल के डिब्बे (माल गाड़ी) खरीदने के काम शामिल हैं, पूंजीगत खर्च किया। इस खर्च को पूरा करने के लिए सन् १९५२-५३ में पोर्ट-ट्रस्ट के कोष में से डेढ़ करोड़ रुपए के कर्ज लिए गए।

बम्बई-बंदरगाह

सन् १९५१-५२ में बम्बई बंदरगाह के काम में १८३.९१ लाख रुपए की बचत हुई। अनुमान लगाया जाता है कि सन् १९५२-५३ में ५८.५१ लाख की बचत दिखाई जाएगी। लेकिन, अन्तिम-संकेतों से पता चलता है कि बचत इससे अधिक होगी। सन् १९५१-५२ में इस बंदरगाह से ५,८०६,००० टन माल विदेशों से भारत आया और १,६७३,००० टन माल विदेशों को भेजा गया। जनवरी १९५३ के अन्त तक इस बंदरगाह से ३,७८१,६०२ टन माल आया और १,५९५,२४४ टन माल विदेशों को भेजा गया। सन् १९५१-५२ में २,७६७ जहाज इस बंदरगाह पर आए। जनवरी १९५३ के अन्त तक कोई २,२९१ जहाज इस बंदरगाह पर आए।

पोर्ट-ट्रस्ट ने इस वर्ष कई महत्वपूर्ण कार्यों पर पूंजीगत खर्च किया। इन कार्यों में, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने के शौह और गोदाम, समुद्र तट पर काम करने वाले लोगों और जहाजों पर काम करने वाले लोगों और अनुसूचित कर्मचारियों में, खलासियों आदि के लिए क्वार्टर बनवाना शामिल हैं। सारा खर्च पोर्ट-ट्रस्ट ने अपने कोष से पूरा किया। पोर्ट-ट्रस्ट ने कराची पोर्ट-ट्रस्ट के बेघर-कर्मचारियों को काम पर लगाना जारी रखा। अक्टूबर, सन् १९५२ के अन्त तक इस तरह के कुल ७०५ लोगों को काम दिया गया।

मद्रास-बंदरगाह

सन् १९५१-५२ में मद्रास-बंदरगाह के काम में ४८.८६ लाख रुपए की बचत दिखाई गई। बजट के अनुमानों के अनुसार सन् १९५२-५३ में ४१.११ लाख रुपए की बचत का अनुमान किया जाता है। लेकिन, वर्तमान संकेतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि बचत इससे भी अधिक हो सकती है। बंदरगाह से १,८५४,६८२ टन माल देश के अन्दर आया और ३००,१३८ टन माल देश के बाहर गया। जनवरी १९५३ के अन्त तक १,५२६,८५१ टन माल विदेशों से आया और २,६६१,०६ टन माल विदेशों को गया। सन् १९५१-५२ में कुल मिलाकर १,०६१ जहाज बंदरगाह पर आए जबकि जनवरी १९५३ के अन्त तक बंदरगाह पर आने वाले जहाजों की संख्या ६२२ थी।

(१६५)

इस वर्ष पोर्ट-ट्रस्ट ने जिन महत्त्वपूर्ण कामों पर पूंजीगत खर्च किया उनमें नयी गोदामों, बालू निकालने की नयी मशीनें लगाना शामिल है। यह सारा खर्च पोर्ट-ट्रस्ट ने अपने कोष से किया न कि कर्जों से।

कोचीन बंदरगाह

सन् १९५१-५२ में कोचीन-बंदरगाह के काम में १६.६६ लाख रुपए की बचत दिखाई गई। सन् १९५१-५२ में इस बंदरगाह से कुल मिलाकर १,५८०,८४७ टन माल आया और गया। इसमें से ११,६६,००७ टन माल आया और ३,८४०,८४० टन माल गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सन् १९५०-५१ में इससे १७ प्रतिशत यानी २३३,६६६ टन कम माल आया-गया था। आयात में पिछले साल के मुकाबले १५ फी सदी और निर्यात में २८ फी सदी वृद्धि हुई। सन् १९५२-५३ में इस बंदरगाह से कुल मिलाकर ७३६,७६१ टन माल देश के अन्दर आया और २०४,०७३ टन माल देश से बाहर गया।

बंदरगाह-विकास

कांडला बंदरगाह के लिए जहाजों के ठहरने का स्थान बनाने के ठेके को इस वर्ष अन्तिम रूप दे दिया गया। गांधीधाम में एक बस्ती की योजना बनाने के लिये अमरीका का कम उन्नत देशों को सहायता देने की योजना के अधीन मैसर्स एडमस रोवर्ड और ग्रीले (अमरीकी फर्म) की सेवाएं प्राप्त की गईं। पूना के केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान केन्द्र ने कलकत्ता डायमंड हार्वर और समुद्र के बीच पानी की गहराई को बढ़ाकर उसे जहाजों के आने जाने योग्य बनाने के लिए, नदी के दो नमूने तैयार किए हैं। संकरेल-रीच पर जो तजुबे किए गए, उन्हें भी पूरा किया जा चुका है। इस वर्ष एक टैकनिकल-समिति बनाई गई जो इस बात के बारे में विचार करेगी कि हुगली नदी को किस हद तक पहले से अधिक और तिरन्तर रूप से ऐसा पानी मिलता रहे जिसमें मिट्टी न हो। सरकार समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

बम्बई में प्रिस और विक्टोरिया गोदियों को नए ढंग का बनाने के बारे में एक योजना स्वीकार की जा चुकी है । अनुमान है इस योजना पर ४.३० करोड़ रुपया खर्च होगा । नयी गोदियों में प्रथम-श्रेणी के १४ वर्थ और दूसरी श्रेणी के ८ वर्थ बनवाए जाएंगे । साथ ही इन गोदियों से हर साल लगभग ८ लाख टन माल अधिक आ जा सकेगा ।

मद्रास पोर्ट-ट्रस्ट का विचार एक वैट-डाक बनाना है जिसमें चार बड़े-बड़े जहाज आ सकें । सरकार ने इस योजना के पहले भाग के 'ए' भाग को स्वीकृति दे दी है । अनुमान है इस पर १.१५ करोड़ रुपया खर्च होगा । योजना के पहले भाग के 'बी' भाग के जितनी जमीन की जरूरत है, वह भी राज्य सरकार से खरीद ली गई है । इस पर ३० लाख रुपया खर्च हुआ है ।

कोचीन-बंदरगाह के मुख्य घाट के अगले भाग के निर्माण का काम इस वर्ष पूरा हो गया । इस पर ४२.८४ लाख रुपए खर्च हुए । एक जगह से दूसरी जगह को भेजे जाने वाले माल के लिए एक शोड और ऐसे लोगों के लिए दफ्तर बनाने का काम पूरा हो गया है जिनका बंदरगाह से व्यापार संबंध है । सन् १९५२-५३ में बन्दरगाह के लिए २५ लाख का कर्ज दिया गया । इस कर्ज पर सूद लिया जायगा । इस कर्ज का उद्देश्य कई योजनाओं का खर्च पूरा करना है । अनुमान है कि इन योजनाओं पर कोई ५४.५ लाख रुपया खर्च होगा ।

कच्छ के बंदरगाहों को ठीक ठाक रखने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से पंच वर्षीय योजना में इस काम के लिये १३.४ लाख रुपए की व्यवस्था है । सन् १९५१-५२ में कच्छ में छोटे-छोटे बंदरगाहों के कोष के लिए २ लाख रुपए के कर्ज दिए गये जिससे कि विकास के काम पूरे किए जा सकें । सन् १९५३-५४ के लिए भी ३.५ लाख के कर्ज की व्यवस्था की गई है । विकास के जो काम अभी तक पूरे किए जा चुके हैं उनमें मुंद्रा शहर और बोचा क्रीक में बनाई गई नयी जेटी के बीच सड़क और छोटे-छोटे बन्दरगाहों पर किए गए कई दूसरे विकास और मरम्मत के काम शामिल हैं । इन बन्दरगाहों की प्रबंध-व्यवस्था भी फिर से संगठित की गई है और कच्छ की खाड़ी की जल-सम्बन्धी पड़ताल जारी है ।

श्रम

बंदरगाह के अधिकारियों ने कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए। मिसाल के लिए-बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में गोदियों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी के रजिस्ट्रेशन और नियमन की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया। कलकत्ते में एक गोदी-श्रमिक-बोर्ड की स्थापना की गई। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाहों के लिए कम से कम मंजूरी की दरें भी अन्तिम रूप से निश्चित की गईं।

सरकार ने बम्बई पोर्ट-ट्रस्ट के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि कुल ६२८ में से ३३६ छोटे-छोटे मकाम बनवाए जाय। अनुमान है इनपर ६६.२४ लाख रुपए खर्च होंगे।

राष्ट्रीय-बंदरगाह-बोर्ड

बम्बई-सरकार ने राज्य के छोटे-छोटे बंदरगाहों में सामुद्रिक-पड़ताल करने के लिए अपनी ही एक संस्था बनाई है। इस काम के लिए अमरीका की टैकनिकल-सहयोग-संस्था के अधीन एक जानकार की सेवाएं भी प्राप्त की गई हैं।

भारत सरकार ने बम्बई सरकार को २० लाख रुपए का कर्ज देने का फैसला किया है जिससे कि वह ओखा के बंदरगाह में कुछ आवश्यक मरम्मत और बदल का काम शुरू कर सके।

योजना के पांच वर्ष के समय में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन और विशाखपट्टम के बड़े-बड़े बंदरगाहों को फिर से ठीक ठाक करने और उनमें सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनुमान है-इस पर २६.२७ करोड़ रुपया खर्च होगा। योजना-कमीशन इस काम के लिए १२ करोड़ देने को राजी हो गया है।

जहाजरानी

सन् १९५२-५३ में भारतीय जहाजरानी ने सर्वतोमुखी-प्रगति की पिछले वर्ष लाभदायक भाड़े पर जहाज में लादने वाला माल प्राप्त होने के

कारण, जहाज कम्पनियों ने सन् १९५१-५२ में काफी अच्छी प्रगति की। सिंधिया और इंडिया स्टीम जैसी कुछ कम्पनियों को इस वर्ष पहली बार लाभ हुआ। इससे ये कम्पनियाँ पिछले साल के नुकसान को पूरा करने में समर्थ हुईं। पुराने जहाजों की कीमतों में भी कमी हुई और इससे कुछ कम्पनियों ने विदेशों से जहाज खरीदकर अपनी माल ढोने की शक्ति में बढ़ोतरी की।

पंच-वर्षीय-योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि योजना-काल के अन्त में भारतीय जहाजों की माल लादने की शक्ति में २००,००० जी० आ० टी० की वृद्धि हो जाए। सन् १९५२-५३ में समुद्र-तट के साथ-साथ होने वाले व्यापार के लिए १ करोड़ रुपए और विदेशी व्यापार करने के लिए जहाज खरीदने के वास्ते २ करोड़ रुपए कर्जे के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष कोई ५०,००० टन माल ढोनेवाले १३ जहाज खरीदे गए। लेकिन, १५,००० टन माल ढोने वाले तीन जहाज बेच दिए गए। इस प्रकार जहाजों की माल ढोने की शक्ति में कुल ३५,००० टन की ही वृद्धि हुई। सन् १९५२ के अन्त में १५० जी० आर० टी से अधिक के ऐसे जहाजों की माल ढोने की कुल रजिस्टर की हुई शक्ति ४५२,२७४ टन थी जिनके मालिक भारतीय हैं। सन् १९५१ में ऐसे जहाजों की शक्ति ४१७,२२५ टन थी।

समुद्र तट के साथ-साथ व्यापार करने की इजाजत सिर्फ भारतीय जहाजों को ही देने की नीति इस वर्ष पूरी तरह लागू की गई। आम तौर पर भारतीय जहाजों ने समुद्र तट के साथ-साथ होने वाले व्यापार की सभी आवश्यकताएं पूरी कीं और इस तरह के व्यापार के लिए विदेशी-जहाजों से बहुत कम सहायता ली गई।

सन् १९५२ के अन्त में आन्तरिक और समुद्र तट के साथ-साथ होने वाले व्यापार के लिए भारतीय-कम्पनियों के पास २५४,००० टन के जहाज थे जबकि सन् १९५१ के अन्त में २१०,००० टन के जहाज थे। भारतीय-कम्पनियों ने सन् १९५२ के अन्त तक ७०,००० टन के जहाज किराए पर लिए जब कि सन् १९५१ के अन्त तक १५,००० टन के जहाज लिए थे।

विजगापट्टम शिपयार्ड पर सरकारी-खाते में बनने वाले दूसरी किश्त के तीन जहाज इस वर्ष बनाकर तैयार किए गए । इनमें से पहला जहाज ग्रेट-ईस्टर्न शिपिंग-कम्पनी को और बाकी दो, सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को बेच दिए गए । अब इस यार्ड में आर्डर देकर सभी तरह और सभी आकार के जहाज बनवाए जा सकते हैं ।

सरकार और जहाजी-उद्योग के बीच पहले से अधिक सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से इस वर्ष जहाज मालिकों की एक सलाहकार समिति बनाई गई । इस वर्ष समिति की दो बैठकें हुईं जिनमें राष्ट्रीय-जहाजरानी के विकास से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार किया गया ।

शिक्षण के जहाज

जहाज चलाने आदि की शिक्षा देने वाला 'डफरिन' जहाज और बम्बई के नौ-परिवहन और इंजीनियरी सम्बन्धी कालेज में जहाजरानी के लिए अप्सरों को शिक्षा देने का काम जारी रहा । कालेज अब एक स्थायी संस्था बन गयी है । जनवरी १९५३ में खत्म होने वाले दस महीनों में नौ-परिवहन का काम सीखने के लिए १०६ और इंजीनियरी का काम सीखने के लिए ११५ लोगों को कालेज में भरती किया गया । सामुद्रिक-इंजीनियरी की शिक्षा देने वाले डायरेक्टर के दफ्तर को भी १३ सितम्बर १९५२ से स्थायी कर दिया गया है । सामुद्रिक-इंजीनियरी का काम सीखने के लिए नयी योजना के अधीन सन् १९४६ में जो लोग भरती किए गए थे, उनके पहले दल ने वर्कशाप का काम पूरा कर लिया है और सितम्बर १९५२ के मध्य में उन्होंने चौथे साल का कोर्स जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा, कलकत्ते में शुरू किया ।

जहाजों के कर्मचारियों को काम सिखाने वाले जहाजों—'भद्र' और 'मेखला' से १,०४५ लोग काम सीख कर निकले और उन्हें व्यापारिक-जहाजों के काम पर लगा दिया गया । व्यापारिक-बेड़ा-विभाग के २ इंजीनियरों और जहाज निरीक्षक और सामुद्रिक पड़ताल करने वाले दो निरीक्षकों ने ब्रिटेन में परिवहन-मंत्रालय में अपनी ट्रेनिंग पूरी की । कोलंबो-योजना की टैकनिकल-सहयोग-योजना के अधीन दो इंजीनियर और जहाज निरीक्षकों को ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन भेजा गया ।

जहाजियों की भलाई

कलकत्ता-पोर्ट कमिश्नरों ने सितम्बर १९५२ में कलकत्ते में जहाजियों के लिए एक होस्टल बनाने का काम शुरू किया था। आशा है यह होस्टल १९५३ के मध्य तक बन जाएगा। मद्रास में भारतीय जहाजियों के होस्टल की इमारत बनवाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

अगस्त १९५२ में जहाजियों की डाक्टरी-परीक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों में कुछ फेर बदल की गई। सन् १९५२ में बम्बई में ११,२६६ और कलकत्ते में १३,४८२ जहाजियों की डाक्टरी-जांच की गई। धीरे-धीरे यह संख्या बम्बई में ३१,५८४ और कलकत्ते में ३४,२४० तक पहुँच गई। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के अलावा कोच्चिन और विजगापट्टम में भी डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था की गई।

डैक-यात्री-समिति

भारत-सरकार ने डैक-यात्री-समिति की प्रायः सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं। मिसाल के लिए—सरकार ने ऐसे यात्रियों की हालत सुधारने के सम्बन्ध में सिफारिशें मान ली हैं जो बिना वर्थ के यात्रा करते हैं—जैसे कई जगहों के लम्बे-सफर के लिए बंक की व्यवस्था करना, लोगों को अधिक जगह देना और यात्रियों के लिए समुद्र-तट सम्बन्धी सुविधायें देना और खाने पीने की अच्छी चीजें देना। यात्री-कल्याण-समितियों की स्थापना और मुख्य-मुख्य बंदरगाहों में यात्रियों की भलाई के लिए अफसरों की नियुक्ति करने के बारे में भी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

जहाजरानी सम्बन्धी कानून

इस वर्ष भारत-सरकार ने सन् १९४८ के समुद्र पर जीवन की रक्षा सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय-समझौते को पक्का कर दिया जो १९ नवम्बर १९५२ से लागू हो गया है। भारतीय-जहाजरानी कानून, १९२३ में संशोधन करने के लिए एक बिल संसद में पेश कर दिया गया है जिससे समझौते की विभिन्न व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके।

भारतीय जहाजरानी संशोधन और एकीकरण बिल तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जहाजरानी से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न कानूनों का

एकीकरण करना ही नहीं है बल्कि वर्तमान कानूनों में संशोधन करना भी है जिससे उसे जहाजरानी की वर्तमान प्रथाओं और हालतों के अनुरूप बना दिया जाए ।

प्रकाश-स्तंभ

इस वर्ष केन्द्रीय-प्रकाश-स्तंभ-विभाग ने पिछले ऐसे देशी राज्यों के पचास प्रकाश-स्तंभों का प्रबन्ध और देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया जो समुद्रों में अपने जहाज वगैरह चलाते थे । इन प्रकाश स्तंभों को कार्य-कुशलता के स्वीकृत-स्तरों तक लाने के लिए कई तरह के सुधार किए गए हैं । साथ ही मीनाक्वाय द्वीप के प्रकाश-स्तंभों के ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत सरकार को सौंप जाने के प्रबन्ध लगभग पूरे हो गए हैं ।

इनके अलावा, सन् १९५२-५३ में कई नए प्रकाश-स्तंभ और लाइटवाय (एक प्रकार की तैरने वाली चीज जिस के सहारे पानी में गिरा हुआ मनुष्य अपनी जान सहायता पहुंचने तक बचा सकता है) बनाए गए । इनमें कच्छ की खाड़ी के दो बड़े प्रकाशवान वाय, केक्रेमेटों शोल्स से कुछ दूर स्थित एक बड़ा वाय; डोलफिन्स नोज़ विजगापडनम, कोयालथोट्टम, त्रावणकोर-कोचीन राज्य और कच्छ की खाड़ी के पूर्व में चेन्का द्वीपों के तीन प्रकाश-स्तंभ शामिल हैं ।

इनके अलावा, मद्रास के प्रकाशस्तंभों में बिजली की व्यवस्था की गई । प्रकाश स्तंभों में सुधार करने और उन्हें आधुनिक-ढंग का बनाने के लिए प्रकाश करने के यंत्र आदि मंगाने के आर्डर दिए गए । प्रकाश स्तंभ सम्बन्धी विभाग ने भारत के समुद्र तट के साथ-साथ कई नए प्रकाश स्तंभ बनाने की योजना बनाई है । भटकल में नया प्रकाश-स्तंभ बनाने का काम हो रहा है और उसमें प्रगति हुई है ।

साथ ही, प्रस्तावित 'सुशिंगटन-शोल्स लाइट हाऊस' के लिए अध्ययन किया जा रहा है । इसके अलावा इस वर्ष कई निर्माण-कार्य पूरे किए गए जैसे राजपुर खाड़ी और आयस्टर राक्स लाइटहाउसेस में पानी के टैकों का निर्माण, टैविल द्वीपों में इस्पाते के टैकों का निर्माण आदि । द्वीपों के प्रकाश-स्टेशनों और मुख्य-भूमि के बीच आवागमन की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की दिशा में पहला कदम यह उठाया गया है कि दो मोटर-बोट

बनाए जा रहे हैं। योजना कमीशन ने प्रकाश-स्तंभों के लिए एक विकास-योजना स्वीकार की है। अनुमान है इसपर ४ करोड़ रुपया खर्च होगा। अनुमान है योजना-काल में इसमें से २ करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। इस खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि प्रकाश-देय की वर्तमान दर बढ़ा दी जाए। इसके अनुसार, प्रकाश-देय की वर्तमान दर को दो आने प्रति टन से बढ़ाकर चार आने प्रति टन करने के लिए भारतीय-प्रकाश-स्तंभ-कानून में संशोधन करने के लिए एक बिल संसद में पेश किया जा चुका है।

अन्तर्देशीय-जल-परिवहन

आंतरिक जल-परिवहन के क्षेत्र की सबसे बड़ी घटना—गंगा-ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रांसपोर्ट-बोर्ड की स्थापना है। सन् १९५२-५३ में इस बोर्ड की दो बैठकों में आसाम की बाढ़ से पैदा होने वाली स्थिति पर विचार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि नदी के बहाव की गति को उपयुक्त स्थान पर रोकने के लिए औपचारिक-उपाय करने की जरूरत है। बोर्ड ने सन् १९५२-५३ के अपने काम में गंगा नदी के उथले पानी में से नावों को दूधरी नावों की सहायता से बाहर निकालने की प्रारम्भिक-योजना को ऊँची प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इस योजना की वयारे बार बातें तैयार करने के लिए संयुक्त राज संघ से एक विशेषज्ञ मिस्टर जे० जे० सूरे की सेवाएं प्राप्त की गईं। इनकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

भारत-सरकार और नावाकोर-कोचीन सरकार से दक्षिण भारत में एक जल-परिवहन-बोर्ड बनाने के सुझाव पर विचार किया गया है। राज्य-सरकार ने प्रतिवर्ष एक लाख रुपया और भारत सरकार ने सन् १९५३-५४ में २ लाख रुपया राज्य के प्रस्तावित बोर्ड के कोष में देना स्वीकार कर लिया है।

सड़क-परिवहन

भारत में सड़क और रेल यातायात के बीच ठोस तालमेल पैदा करने के उद्देश्य से यह बात मान ली गई है कि रेलों और बड़ी बड़ी, सड़क यातायात कम्पनियों के वित्तीय-हितों को सम्मिलित कर दिया जाय। बम्बई, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में रेलों ऐसे काम में भाग ले रहीं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मैसूर, हैदराबाद, सौराष्ट्र और कच्छ की सरकारों ने भी उनसे ऐसे काम में भाग लेने को कहा है।

खुद-मुख्तारी और कुशल-प्रबन्ध की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, योजना कमीशन ने सिफारिश की है कि जहां कहीं भी राज्य-सरकारें मोटरों आदि खुद चलाती हैं, वहां कारपोरेशन बनाए जाएं। बम्बई, दिल्ली और बिलासपुर में मोटरों आदि चलाने के लिए कानून द्वारा कारपोरेशनें बना दी गई हैं। सन् १९५० का सड़क-परिवहन- कारपोरेशन कानून इस वर्ष बिहार, मैसूर, हैदराबाद और कच्छ में लागू कर दिया गया जिससे कि वहां भी ऐसे ही कारपोरेशन बनाए जा सकें।

यातायात-सलाहकार परिषद् की बैठक जनवरी सन् १९५३ में हुई और उसमें मोटर-गाड़ी-कर-जाँच-समिति की सिफारिशों को लागू करने के उपायों पर विचार किया गया। परिषद् ने, राज्य सरकारों की मोटर यातायात को फिर से संगठित करने की योजनाओं को लागू करने में सुविधा देने के उद्देश्य से सन् १९५३ के मोटर-गाड़ी-कानून में संशोधन करने के लिए एक बिल के मसौदे की जाँच की। आशा है जल्दी ही बिल अन्तिम रूप से बना दिया जाएगा।

इस वर्ष दिल्ली-ट्रांसपोर्ट-एथाहटी ने कई और रास्तों पर बसें चलानी शुरू कर दीं। जिससे कुल मिलाकर ३१५.३५ मील के रास्ते पर बसें चलनी शुरू हो गईं जबकि पिछले वर्ष के अन्त में २७०.७ मील लम्बी सड़कों पर ही बसें चलती थीं। कई रास्तों पर तो पहले से अधिक बसें चलने लगी हैं और अधिकांश रास्तों पर बसों के आने-जाने के नियत-समय का ध्यान पहले से अधिक दिया जाने लगा है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस के काम की जाँच करने के लिए जुलाई सन् १९५२ में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। कई दिशाओं में कई तरह के सुधार किये जा चुके हैं। सन् १९५२-५३ में डिसिल-आइल से चलने वाली ५७ बसें और चलाई गईं। इनको मिलाकर बस संख्या ३०४ तक पहुँच गई। तीस और बसों के लिए आर्डर दिए जा रहे हैं। विनय नगर और कारोनेशन रोड पर एक-एक डिपो बनाए जा रहे हैं। इन पर कोई ८ लाख रुपया खर्च होगा। ट्रांसपोर्ट-एथाहटी को बसें खरीदने और डिपो बनवाने के लिए ३३ लाख रुपये का कर्ज दिया गया। सन् १९५३-५४ में ७० डिसिल एंजिल वाली बसें, खरीदने के लिए ४५ लाख रुपए का

अंकड़े संग्रहीत करना, देश के लोगों को पहाड़ों पर जाने के लिए बढ़ावा देना, और प्रादेशिक सलाहकार समितियों का निर्माण उल्लेखनीय है। दिल्ली में प्रादेशिक सलाहकार समिति ने प्रादेशिक पर्यटन अधिकारी और पर्यटन-उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न व्यवसायों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में उपयोगी काम किया है। बम्बई के प्रादेशिक-पर्यटन-दफ्तर के लिए भी ऐसी ही समिति हाल में ही बनाई गई है। कलकत्ता और मद्रास में भी ऐसी ही समितियां बनाई जा रही हैं।

इस वर्ष सैर के लिए आने वाले लोगों के रहने की उचित व्यवस्था करने की समस्या पर विशेष-ध्यान दिया गया। रेलों अपने-अपने आराम गृहों में रहने की उचित व्यवस्था करने और महत्त्वपूर्ण केंद्रों में आराम के लिए और ज्यादा कमरे बनवाने के बारे में कार्यवाही कर रही हैं। साथ ही बहुत सी राज्य सरकारों डाक-बंगलों को सुधारने की कोशिशें कर रही हैं। कुछ राज्यों के संकट हाउसों में विशेषकर राजस्थान में सैर के लिए आने वालों के रहने की व्यवस्था की गई है।

होटलों में अच्छे भोजन और सर्विस की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने प्रादेशिक होटल एसोसियेशन बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। इस तरह के एसोसियेशन बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में काम कर रहे हैं। होटल चलाने वालों को अपने होटल के स्टैंडर्ड में सुधार करने के लिए सहायता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में विशेष आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रेलों के भोजनगृह आदि यात्रियों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करें।

अब सुसज्जित टूरिस्ट कारें और सैलून भी उचित दरों पर मिल सकती हैं। कई महत्त्वपूर्ण सैर-केंद्रों को जाने वाली सड़कों में सुधार किया जा रहा है और सड़क के रास्ते सैर करने वालों के लिए रास्तों के नक्शे और चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। सैर केंद्रों पर गाइड का सेवाओं और दूसरी तरह की सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। बम्बई और दिल्ली के प्रादेशिक-पर्यटन दफ्तरों में एक एक और मद्रास में एक गाइड नियुक्त कर दिया गया है। सैर करने वाले लोगों के लिए एक विशेष परिचय पत्र जारी किया जाता है जिससे कि वे सरकारी अधिकारियों से चूंगी के भुगतान, रेलों में सीटों के रिजर्व कराने और डाक-बंगलों में रहने की जगह प्राप्त करने के बारे में जल्दी ही सहायता प्राप्त कर सकें। इसके साथ-साथ पर्यटन सम्बन्धी प्रचार पर भी विशेष ध्यान दिया

जा रहा है। इंडिया-टूरिस्ट-इनफार्मेशन के नाम से एक पुस्तिका; त्रावणकोर-कोचीन, राजस्थान, शान्ति निकेतन, हैदराबाद, और काश्मीर के बारे में प्रादेशिक पथ-प्रदर्शक-पुस्तिकाएँ; एक सचित्र-हैडबुक आफ इंडिया; एक होटल गाइड पैनोरामा आफ इंडिया; मद्रास, कुल्लू, कांगड़ा, और हैदराबाद के नाम से कई छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित की गईं। आगरा, अजन्ता-एलोरा, बम्बई कलकत्ता, दिल्ली, काश्मीर, कोनारक, और मैसूर के बारे में फोल्डर और आगरा, बुद्ध गया, बनारस, दार्जलिंग, दिल्ली, जयपुर, काश्मीर, और उदयपुर के बारे में पोस्टर छपवाए गए और बाँटे गए। भारत का एक सचित्र नक्शा विशेष रूप से तैयार किया गया जिसमें भवन-निर्माण कला और मूर्ति कला के लिए आकर्षण रखने वाली चीज दिखायी गयी हैं। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्यभारत, उत्तरी भारत, और दिल्ली के बारे में गाइड-पुस्तकें और मद्रास, बनारस और हिमालय की चोटियों के बारे में फोल्डर तैयार किए जा रहे हैं। अमरीकी सैर करने वालों के लिए एक अमरीकी महिला द्वारा लिखी गयी एक शापिंग गाइड के अलावा आशा है कि शिकार और मछली पकड़ने के बारे में एक मनोरंजक-पुस्तक जल्दी ही छपाई जाएगी।

भारत में यात्रा सम्बन्धी उपयुक्त रंगीन फिल्में बनाने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं। ये फिल्में विदेशों को भेजी जाएंगी और इन पर कोई लाभ नहीं उठाया जाएगा। इनमें से कुछ तो जो दिल्ली, आगरा, जयपुर, काश्मीर, कुल्लू और स्पीती के बारे में हैं, जारी कर दी गई हैं। बनारस, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर और त्रावणकोर-कोचीन के बारे में फिल्में बाँटी जा रही हैं। पर्यटन-प्रचार-कार्यक्रम में रंगीन चित्रों के पोस्ट-कार्ड भी शामिल हैं। प्रादेशिक पर्यटन-दफ्तरों और विदेशों में भारतीय-मिशनों में रंगीन ट्रांसलाइट फोटो-चित्र दिखाने के बारे में कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन के लिए महत्त्वपूर्ण स्मारकों के नमूने भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

सन् १९५२ में २५,४४६ विदेशी तैर के लिए भारत आए। इनमें से ५ हजार अमरीकी थे। यात्री बड़े बड़े दलों में भी आए। मिसाल के लिए 'कारोनिया' और 'स्टील्ला पोलैटिस' नामक जहाज सन् १९५२ के शुरू में बहुत से अमरीकियों को भारत लाए। साधारण तौर पर जो जाँच की गई है, उससे पता चलता है कि यात्रियों ने भारत में २ करोड़ ५० लाख रुपए खर्च किए। सन् १९५२ में विदेशों के कई यात्रा सम्बन्धी प्रतिनिधि भारत आए।

वह यह पता चलाने यहां आए कि भारत में सैर करने वालों को क्या सुविधाएं प्राप्त हैं ।

विदेशियों को आकर्षित करने के अलावा देशवासियों को काश्मीर और दूसरे पहाड़ों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष कार्यवाहियों की गई हैं ।

जम्मू और काश्मीर सरकार ने श्रीनगर में सैर करने वालों को सूचना आदि देने के बारे में केन्द्र खोल रखा है जो बड़ी अच्छी तरह और कुशलता से काम कर रहा है । सन् १९५० में यात्रियों की संख्या ६,७८३ थी जब कि सन् १९५१ में १०,५७९ और सन् १९५२ में १३,१०० हो गयी । दूसरे पहाड़ी शहरों में पर्यटन-केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है । ये केन्द्र मसूरी, दार्जलिग, उटकमंड, नैनीताल, कोदाई वैनाल, शिमला और रानीखेत में काम कर रहे हैं । कांगड़ा-कुल्लू घाटियों, महाबलेश्वर, और मैथौरन के लिए सलाहकार-समितियां हैं । पंजाब सरकार ने अपने राज्य के लिए एक पर्यटन-सलाहकार-समिति बनाई है ।

सरकारी-यात्रा-संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन ने, जिसका भारत भी सदस्य है, यूरोप और अफ्रीका के कमीशनो के टंग पर एशिया और सुदूर पूर्व के लिए भी प्रादेशिक-यात्रा-कमीशन बनाए हैं । इसकी पहली बैठक नयी दिल्ली में मार्च १९५३ को हुई थी जिसमें यात्रा और निवास सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने, आंकड़े इकट्ठा करने, होटलों के वर्गीकरण, और होटल कर्मचारियों को काम सीखने की सुविधाएं देने आदि प्रश्नों पर विचार किया गया । कमीशन ने इस प्रदेश के देशों में कम से कम सुविधाओं के स्टैन्डर्ड निश्चित करने के उद्देश्य से, चुंगी व्यवस्था, पासपोर्ट और वीसा व्यवस्था, और मुद्रा और स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों का अध्ययन करने का भी फैसला किया ।

राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में एक मसौदा तैयार कर लिया गया है और आशा है यह अगले वर्ष संसद में पेश कर दिया जाएगा । बिल में उन मूल सिद्धान्तों और नीतियों की चर्चा की गई है जो संविधान के सातवें

अनुच्छेद की पहली सूची के २३ वें विषय के अधीन सड़कों को राष्ट्रीय राज-मार्ग-घोषित करने के सम्बन्ध में ध्यान में रखी जाएंगी।

इस वर्ष-पंच-वर्षीय-योजना के साथ के लिए राजमार्ग बनाने की योजना तैयार करने के बारे में काफी काम हो रहा है उसमें से अधिकतर काम 'लापता' पुल और सड़कें बनवाने और ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों का दर्जा बढ़ाने के बारे में है जो विभाजन के बाद मुख्य आबादी वाले शहरों और ऐसे शहरों के बीच बनाई गईं जिनके विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है। महत्वपूर्ण योजनाओं में नरकंदा से चिमनी (हिन्दुस्तान-तिब्बत-रोड) तक की मोटर की सड़क, राजकोट-पोरबंदर के बीच की सड़क का सभी मौसम में मोटर द्वारा आने-जाने की सड़क के रूप में विकास करना, और आसाम-असैस-रोड पर मोकामेह के पास गंगा नदी के पुल पर सड़क बनाने का काम उल्लेखनीय है।

सन् १९५१-५२ में १६० मील लम्बी नयी सड़कें और १० बड़े-बड़े पुल बनवाए गए। साथ ही ७५० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया। २२ हज़ार रनिंग-फ़ुट के २० बड़े-बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इनपर ३,४० करोड़ रुपया खर्च होगा। इनमें से कई पुल तो ऐसे नमूनों के हैं जो भारत के लिए नए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को ४५० मील लम्बा किया जा रहा है और १,५०० मील लम्बे राजमार्ग के सुधार का काम चालू है। इस समय कुल मिला कर ४०० राष्ट्रीय-राजमार्ग विकास वर्क्स काम कर रहे हैं।

जनवरी १९५३ के मध्य तक ५४ योजनाओं को पारिभाषिक तौर पर स्वीकृति दे दी गई। इन योजनाओं में से प्रत्येक पर एक-एक लाख से अधिक और कुल मिलाकर कोई २ करोड़ ८२ लाख रुपया खर्च होगा। इसी समय में ३७ योजनाएं पूरी की गईं जिनमें से प्रत्येक पर एक-एक लाख से अधिक और कुल मिलाकर २ करोड़ १६ लाख रुपए खर्च हुए।

सन् १९५१-५२ में ५.२० करोड़ रुपया खर्च हुआ। अनुमान है सन् १९५२-५३ में साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च होगा। सन् १९५३-५४ के लिए ५.५० करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है।

(१७६)

इसके अलावा, सन् १९५१-५२ में राष्ट्रीय-राजमार्गों को सुरक्षित रखने और उनकी मरम्मत कराने पर ३४७.६१ लाख रुपए खर्च हुए । अनुमान है इस काम पर सन् १९५२-५३ में ३ करोड़ ७० लाख और सन् १९५३-५४ में ३ करोड़ ९० लाख रुपया खर्च होगा ।

‘ग’ और ‘घ’ भाग वाले राज्य

सड़क सम्बन्धी संस्था ने पांच साल के समय में ‘ग’ और ‘घ’ राज्यों और कर्नायली-प्रदेशों में सड़कों के विकास की योजनाएं तैयार की हैं । और बातों के साथ-साथ इन योजनाओं में अधिक से अधिक सड़कें बनाने की व्यवस्था की गई है जिससे लोग उन इलाकों तक आ-जा सकें जो अब तक अगम्य बने हुए हैं ।

सन् १९५१-५२ में कुर्ग को छोड़ ‘ग’ भाग वाले राज्यों और ‘घ’ भाग वाले राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा दूसरी सड़कों के निर्माण और सुधार पर ९२.८८ लाख रुपया खर्च हुआ । आशा है सन् १९५२-५३ में १ करोड़ ६८ लाख रुपया खर्च होगा । सन् १९५३-५४ के लिए २२६.२४ लाख रुपया की व्यवस्था की गई है ।

इसी प्रकार सन् १९५१-५२ में इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ दूसरी सड़कों की मरम्मत और संरक्षण पर ७३.०६ लाख रुपए खर्च हुए । अनुमान है सन् १९५२-५३ में ३२.४८ लाख रुपए खर्च होंगे जबकि सन् १९५३-५४ के लिए ३०.५५ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

इस वर्ष आठ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए जिनमें से हर एक पर १ लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ और कुल मिलाकर १३.६१ लाख रुपया खर्च हुआ । इनके अलावा, १४ निर्माण-कार्यों को मंजूरी दी गई । अनुमान है-इनपर कोई ३९ लाख रुपया खर्च होगा । चौदह महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार हो रहा था । इनमें से हर एक पर एक लाख से अधिक रुपया खर्च होगा ।

विशेष-कार्यक्रम

भारत-सरकार ने सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्यभारत और पेश्वू को विकास-कार्यों के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी । इनमें से अधिकतर भाग

सड़क के कामों पर खर्च किया जा रहा है। विकास-कामों के लिए जो रकमें इन्हें दी जाएंगी, वे केन्द्रीय-सड़क-कोष (विशेष) निधि में जमा कर दी जाएंगी जिससे कि परिवहन-विभाग इन कामों को कार्यान्वित करने पर ठोस नियन्त्रण रख सके।

दूसरी विशेष-योजनाओं में पश्चिमी समुद्र तट सड़क (हुबली से त्रावणकोर-कोचीन सीमा तक), पठानकोट-जम्मू सड़क और सहकारी-प्रयत्नों द्वारा गांवों की सड़कों के विकास की चर्चा उल्लेखनीय है। सरकार बम्बई और मद्रास में पश्चिमी-समुद्र तट-सड़क के विकास पर ५० फी सदी तक खर्च वहन करेगी।

पठानकोट-जम्मू सड़क के काम का पहला भाग पूरा हो चुका है और इसपर कोई ३ करोड़ रुपया खर्च होगा। दूसरे भाग का काम जिस पर पांच वर्ष के समय में ८० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है, शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर २६ लाख रुपए के खर्च के दो अनुमानों को हाल में ही मंजूरी दी गई है। इस सड़क पर होने वाले खर्च का अधिकतर भाग जम्मू और काश्मीर सरकार से वसूल किया जाएगा।

गांव सड़क-विकास-सहकारिता-योजना के अधीन सहकारिता के आधार पर योजनाएं शुरू की जाएंगी। उनके लिए सड़क कोष (साधारण) निधि से सहायक अनुदानों के रूप में १५ लाख रुपया राज्यों को देने के लिए अलग कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकारों को यह प्रचार करने के लिए कि बैलगाड़ियों के चकों में चौड़े टायरों का प्रयोग किया जाए, जिससे बैलगाड़ियों के प्रयोग में आने वाले वर्तमान चकों से सड़कों को नुकसान न हो पाए, आर्थिक-सहायता देने को कहा है। दिल्ली की केन्द्रीय-सड़क अनुसंधान-संस्था को बैलगाड़ियों के एक्सेलवाले चकों के नमूने तैयार करने का काम दिया गया है।

केन्द्रीय-सड़क-कोष

केन्द्रीय-सड़क-कोष से सड़क-विकास और अनुसंधान के काम के लिए रुपया मिलता रहा। अब इस कोष से राष्ट्रीय-राजमार्गों को छोड़ दूसरी सड़कों के विकास के लिए हर वर्ष कोई साढ़े चार करोड़ रुपए मिलते

हैं। कई राज्यों के कई सौ निर्माण-कार्यों को कोष से पूरी तरह या आंशिक रूप से सहायता मिलती हैं। सन् १९५२-५३ के लिए इस कोष से ३.७ करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, कोष ने मंत्रालय द्वारा स्वीकृत और मंजूर योजनाओं के लिए इस वर्ष १८०.०१ लाख रुपए की मंजूरी दी। हाल में ही राज्यों को सड़कों और पुलों के विकास के लिए कोष (साधारण) निधि से कुल मिलाकर १६ लाख रुपए की आर्थिक-सहायता दी गई।

अनुसंधान और टेकनिकल कार्रवाइयाँ

सड़क संस्था के डिजाइन-तैयार करने वाले केन्द्रीय दफ्तर की इस वर्ष की कार्रवाइयों में फर्लिंग और सीमा के लिए डिजाइन तैयार करना और सड़क के किनारों पर विज्ञायत-बोर्ड लगाने के सिद्धान्त आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने १० जुलाई १९५२ को बाकायदा तौर पर दिल्ली के आखला नामक स्थान पर केन्द्रीय-सड़क-अनुसंधान संस्था की स्थायी-इमारत का उद्घाटन किया। इस वर्ष इसमें सड़क-इंजीनियरी के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर खोज की गई। सड़क-निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न समस्याओं पर राज्य-सरकारों को सलाह दी गई। इस सम्बन्ध में सामूहिक-योजना संस्था को उसके ग्राम एवं शहरी सामूहिक विकास योजनाओं के अधीन दी गई सलाह का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत सरकार की बड़ी संख्या में सड़क के टालर प्राप्त करने की योजना के अधीन मेसर्स जेसप एण्ड कम्पनी से डिसिल से चलने वाले सड़क के ४७५ टालर बनाए और विभिन्न लोगों और संस्थाओं को दिए। इसी प्रकार मेसर्स ग्राटा लोको-मोटिव-एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी को जिन ६५० स्टीम-टालरों के बनाने के आर्डर दिए गए थे, उनमें से ६१७ जनवरी १९५३ के मध्य तक भिन्न-भिन्न लोगों और संस्थाओं को अलाट कर दिए गए। इनमें से ८८७ बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के टेकनिकल सहयोग-कार्यक्रम के अधीन मिट्टी हटाने वाली दो मशीन प्राप्त करने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

शिक्षण

सड़क और पुल इंजीनियरी के आधुनिक तरीकों की उच्च व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब विभिन्न योजनाओं के अधीन सुविधाएं दी जा रही हैं। मिसाल के लिए-कामनवैल्थ टैकनिकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन बम्बई और मध्यभारत के दो सड़क इंजीनियरों को कैनाडा में इस समय शिक्षा दी जा रही है। अमरीका के कम उन्नत देशों की टैकनिकल सहायता देने के कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय-सड़क-संस्था के एक इंजीनियर को पुल निर्माण और उसके नमूने तैयार करने की व्यावहारिक-शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुना गया है। केन्द्रीय-सड़क-संस्था भी सड़क और पुल के डिजायन तैयार करने के आधुनिक तरीकों के बारे में राज्य सरकारों के इंजीनियरों को ट्रेनिंग देती है।

संचार

डाक और तार विभाग

सारे देश को ११ डाक-तार-सर्किलों में और ४ टेलीफोन-जिलों में बाँटा गया है। इसके अलावा चार प्रशासनिक एकक भी बनाए गये हैं। प्रत्येक डाक-तार सर्किल और प्रत्येक टेलीफोन-जिले में प्रादेशिक सलाहकार समितियां बनाई गई हैं।

सन् १९५२-५३ में विभाग ने जो काम किया है उसका व्यौरा इस प्रकार है:— लगभग २ अरब ५६ करोड़ २० लाख डाक द्वारा भेजी जाने वाली चीजें, ६ करोड़ ३८ लाख रजिस्ट्रीशुदा चीजें, ५ करोड़ ८६ लाख मनीऑर्डर, १ करोड़ ४४ लाख सेविंग बैंक के लेन-देन, १५ लाख नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, २ करोड़ ६७ लाख तार और १ करोड़ १२ लाख ट्रंक-काल।

योजना-कमीशन ने डाक, तार और टेलीफोन के विकास के लिये एक योजना की सिफारिश की है, जिस पर लगभग ५० करोड़ रुपया खर्च होगा। इस योजना में गांवों में डाक की सुविधाओं और बड़े शहरों में टेलीफोन की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

तदनुसार, गांवों और शहरों में डाकखाने खोलने, अतिरिक्त ट्रेनिंग केन्द्र खोलने और अच्छी तथा उपयुक्त इमारतें बनाने की योजनाएं बनाई जा रही

है। डाक सेवाओं में मशीनों का प्रयोग, पोस्टकार्ड और लिफाफे आदि बेचने के लिए दरार वाली मशीनों का लगाना, और तारीख की नई किस्म की मुहर बनाने के लिये आधुनिक ढंग के कारखाने बनाना आदि कुछ अन्य विषय हैं जिनके सम्बन्ध में योजनाएं बनाई जा रही हैं।

टेलीसंचार व्यवस्था के क्षेत्र में कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, नागपुर, बंगलौर, त्रावणकोर, शिमला, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े-बड़े शहरों और बिहार के कोयला वाले क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने की योजनाएं बनाई गईं। ट्रंक-टेलीफोन-व्यवस्था के सुधार और विस्तार के बारे में योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही नये टेलीफोन-सर्किट बनाने की योजनाएं बनाई गई हैं। पांच वर्ष के समय के पहले दो वर्षों में १२ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

डाकखाने

सन् १९५२-५३ में दो हजार या अधिक आबादी वाले हर एक गांव में डाकखाना खोलने का कार्यक्रम पूरा किया गया। इकतीस मार्च सन् १९५३ में गांवों में कुल मिलाकर ३६,७४१ और शहरों में ५,६८६ डाकखाने थे।

अब एक नयी योजना बनाई गई है। विशेष इलाकों में डाकखानों की भरमार रोकने के लिए पहली अप्रैल सन् १९५३ से न सिर्फ आबादी पर बल्कि इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि डाकखाने तक पहुँचने के लिए लोगों को कितनी दूर तक आना होता है। अब ऐसे गांवों के समूहों में डाकखाने खोले जाएंगे जहाँ की आबादी कुल मिलाकर दो हजार या इससे अधिक है। जहाँ तक चिड़ियां बाँटने का सवाल है, इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि डाकिया हर एक गांव में नियमित समय पर पहुँचे।

शहरी इलाकों में डाक की अधिक अच्छी सुविधाएं देने के उद्देश्य से पांच लाख या इससे अधिक आबादीवाले शहरों में चलते-फिरते डाकखाने खोले जा रहे हैं। मद्रास, नागपुर, दिल्ली और कानपुर में ऐसे डाकखाने काम कर रहे हैं। बम्बई, अहमदाबाद, पूना हैदराबाद, कलकत्ता, और बंगलौर में जल्दी ही ऐसे डाकखाने खुल जाएंगे। भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये चलते-फिरते डाकघर का एक अच्छा नमूना तैयार किया जा रहा है।

हवाई जहाज द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चिट्ठियां, पोस्टकार्ड, मनीआर्डर और बीमा-चिट्ठियां आदि ले जाने की योजना इस साल भी लोकप्रिय रही। देश के अन्दर की कोई २७ फी सदी डाक हवाई जहाजों द्वारा आई-गई।

दो जनवरी सन् १९५३ से अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र, स्विट्ज़रलैण्ड और आस्ट्रेलिया के लिये सीधी हवाई-पार्सल-सर्विस शुरू की गई। इसी तारीख से नियमित रजिस्ट्रेशन-फीस देकर हवाई जहाज से लंका के लिये भी रजिस्टर्ड पत्र भेजे जा सकते हैं। दो अक्टूबर सन् १९५२ को गांधी-जयंती के अवसर पर डाक-विभाग ने नये टिकट जारी किये जिनमें भारत के विख्यात संतों और कवियों के चित्र थे। ये टिकट इस देश में पहली बार फोटोग्रैवर प्रोसेस से तैयार किए गए।

चिट्ठी आदि की संख्या बढ़ जाने और डाक-विभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाने से डाकखानों में बड़ी भीड़भाड़ हो गई है। इससे वस्तुतः विभाग की कार्य-कुशलता पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण, पंच-वर्षीय-योजना के अधीन कोई साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से डाकखाने, डाक-दफ्तरों की इमारतें, और कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर बनाने का विचार है। इसके अतिरिक्त ऐसे ही कामों के लिये छोटी-छोटी निर्माण-योजनाओं को पूरा करने के वास्ते ७५ लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था है। डाकखानों में नियन्त्रण रखने और देखरेख करने के उद्देश्य से उनमें संगठन-सम्बन्धी सुधार करने और देहाती इलाकों में चिट्ठियां आदि पहुँचाने की व्यवस्था में सुधार करने के बारे में सुभाव देने के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। इस की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इधर, इस वर्ष बीस नये पोस्टल-डिवीजन बनाए गए हैं और डाकखानों और रेलवे मेल सर्विस के इंस्पेक्टरों की नई जगहें निकाली गई हैं।

डाकखाना जीवन-बीमा योजना में कई सुधार किये गये जिससे कि इस काम में देरदार न होने पावे। कुछ फार्म और सूचियां जो अब तक हाथ से तैयार की जाती थीं, अब ऐड्रेसोग्राफ प्लेटों की सहायता से तैयार की जाती हैं। डाकखाना जीवन-बीमा योजना को ऐसे उद्योगों पर भी लागू करने का विचार है जिनका संचालन सरकार करती है या जिनमें सरकार का अधिकांश

हिंसा है ।

कोलंबो-योजना के अधीन ब्रिटिश पोस्ट आफिस से दो जानकारों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं जो डाक तार विभाग का अपने काम में मशीनों का प्रयोग करने के बारे में सलाह देंगे । इस काम के लिये पंचवर्षीय योजना में ३० लाख रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है ।

विभाग के काम में सुधार करने के उद्देश्य से एक अधिकारी को ब्रिटिश पोस्ट आफिस की प्रशिक्षण-योजना की जानकारी प्राप्त कराने के लिये ब्रिटेन भेजा गया था । इधर सहारनपुर में एक प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया है । इसमें उत्तरप्रदेश, पंजाब और दिल्ली सर्किल के नये भरती किये गये लोगों को काम सिखाया जाएगा । सन् १९५२ में अप्रैल-दिसम्बर के बीच डाकखानों और रेलवे-मेल-सर्विस के ५८० लोगों को इस केन्द्र में काम सिखाया गया । बिहार, मम्बई, हैदराबाद और मद्रास में जल्दी ही एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है । नैपाल सरकार को यह सुविधा दी गई है कि वह सहारनपुर में अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकती है । नैपाल के लोगों का पहला दल सन् १९५२ के अक्टूबर-दिसम्बर सत्र में केन्द्र में भरती हुआ था । इस दल ने अपनी शिक्षा पूरी करली है ।

टेलीफोन

भारत में ३१ मार्च १९५२ को टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या ५८२ थी । सन् १९५२ के अप्रैल-दिसम्बर में २२ नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये जबकि २६ जगहों पर टेलीफोन एक्सचेंजों को फिर से ठीकठाक किया गया और उनका विस्तार किया गया । ३१ दिसम्बर सन् १९५२ में टेलीफोनों की संख्या १६६,६३४ थी ।

सन् १९५२-५३ में २८६ पब्लिक काल आफिस खोले गये । इस प्रकार अब पब्लिक काल आफिसों की कुल संख्या १,८८६ तक पहुँच गई । स्थानीय टेलीफोन-व्यवस्था के विस्तार के साथ साथ ट्रंक-व्यवस्था में भी सुधार किया गया और उसका विस्तार किया गया । इस प्रकार, १७ ट्रंक लाइनों की और व्यवस्था की गई ।

इस वर्ष देश में एक चैनल वाले ३ और तीन चैनलवाले ४ कैरियर लगाये गये। इनके अलावा, बारह चैनलवाले २ और तीन चैनलवाले ४ कैरियर लगाये जा रहे हैं।

जमीन के नीचे ट्रंक-केबिल डालकर मुख्य-मुख्य केन्द्रों को एक दूसरे से जोड़ने की योजनाएं भी तैयार कर दी गई हैं। एक और बम्बई और थाना और दूसरी और कलकत्ता और आसनसोल के बीच ऐसे केबिल डालने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। नई दिल्ली और अमृतसर के बीच केबिल डालने की योजना भी तैयार की जा रही है।

‘अपने टेलीफोन के आप मालिक बनो’ योजना जो दिसम्बर सन् १९४६ में शुरू की गई थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, नागपुर, हैदराबाद, मेरठ, राजकोट, सूरत, भटिंडा, इन्दौर, धुबरी और बंगलौर में लागू है। इस वर्ष इरोदी और कुदुर नामक दो जगहों में भी लागू कर दी गई। इस प्रकार अब ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या १८ हो गई है जहां ‘अपने टेलीफोन के आप मालिक बनो’ योजना लागू है। ३१ दिसम्बर सन् १९५२ तक १३,७५२ लोगों ने योजना के लिये चंदा दिया और कुल मिलाकर ३१,६८७,५०० रुपए जमा हुए। ३१ दिसम्बर १९५२ तक कुल मिलाकर १३,१०६ टेलीफोनों की व्यवस्था की गई।

बुलसर और तिरुपती में ‘अपने एक्सचेंज के आप मालिक बनो’ योजना के अधीन, इस वर्ष दो टेलिफोन एक्सचेंज खोले गये। मैसूर राज्य में देवन्नगरी में एक्सचेंज खोलने के लिये रकम जमा हो गई है और एक्सचेंज खोला जाने वाला है। आशा है कि बम्बई सर्किल में आनन्द नामक जगह में जल्दी ही एक एक्सचेंज खुल जाएगा।

टेलीफोन की फीस का ‘मेसेज-रेट-सिस्टम’ जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, पूना, कानपुर, अमृतसर, इंदौर, इलाहाबाद, दिल्ली, नागपुर और शिमला में लागू है, सोलह दिसम्बर सन् १९५२ को त्रिवेंद्रम में भी लागू कर दिया गया। इस प्रकार यह प्रणाली अब १३ जगहों में लागू है।

पब्लिक-काल आफिसों में दूसरी जगहों से आने वाले फोन के लिये संदेश-वाहक-व्यवस्था (Messenger Service) अब ७४ और पब्लिक-काल आफिसों में लागू कर दी गई है। इस प्रकार, अब यह व्यवस्था कुल मिलाकर

४१२ दफ्तरों में लागू है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर और पूना तथा बिहार में कोयले वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं।

आशा है कि कलकत्ता आटोमैटाइजेशन स्कीम के एक अंग के रूप में सन् १९५३ के मध्य तक तीन एक्सचेंजों की स्थापना की जाएगी, जिनमें कुल मिलाकर १४,००० लाइनों की व्यवस्था हो सकेगी। अब तक इस योजना पर ३.५ करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और सन् १९५३-५४ के लिए १.५ करोड़ रुपए के खर्च की व्यवस्था की गई है।

आशा है कि बम्बई में दिसम्बर सन् १९५३ तक १,४०० लाइनें स्थापित की जाएंगी। इनके अलावा ६,५०० लाइनें तो लगाई जा चुकी हैं। कोई ७,२०० लाइनों के आर्डर दिए जा चुके हैं।

मद्रास में किलपाक और माइलापुर में दो नये एक्सचेंजों की इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं और आशा है कि सन् १९५३-५४ में ३,००० लाइनों का सामान पहुँच जाएगा। केन्द्रीय एक्सचेंज में पुराने सामान की जगह नये सामान की व्यवस्था करने की भी एक योजना बनाई जा चुकी है।

दिल्ली में तीस हज़ारी में ४,००० लाइन का आटोमेटिक एक्सचेंज बनाने का काम भी आगे बढ़ रहा है। पहली २,९०० लाइनों पर २४ जनवरी सन् १९५३ से काम भी शुरू हो गया है।

हैदराबाद, बंगलौर, पूना, और बिहार के कोयले वाले क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली, नई दिल्ली, अमृतसर और इलाहाबाद के लिए आटो-एक्सचेंज की चार योजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। हाथ से चलाए जाने वाले एक्सचेंजों को आटो-एक्सचेंजों में बदलने और बनारस, कोयम्बटूर, लखनऊ, कानपुर, शिवाजी नगर (पूना) और आसन-सोल में आटो-एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना तैयार की जा चुकी है।

भारत और जापान के बीच १४ अगस्त सन् १९५२ से सीधी रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था चालू की गई। नैरोबी और बर्मा के लिए भी ऐसी व्यवस्था करने और भारत-ब्रिटेन रेडियो टेलीफोन व्यवस्था को ब्राजील, ग्रीस, आस्ट्रिया और इसरायल तक बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

सन् १९५२-५३ में टैकनिकल कर्मचारियों की शिक्षा का काम काफी आगे बढ़ा। अब तक जिन लोगों को शिक्षा दी जा चुकी है या दी जा रही है, उनकी संख्या ४५० है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, नागपुर और अम्बाला के प्रशिक्षण-केन्द्रों के अलावा टेलीफोन आपरेटरों को काम सिखाने के लिए २ दिसम्बर सन् १९५२ से सहारनपुर में एक क्लास खोली गई। इन केन्द्रों में हर वर्ष कोई २०० टेलीफोन-आपरेटर काम सीखते हैं।

मशीनों आदि को ठीक-ठाक रखने के तरीके में सुधार करने और मरम्मत के प्रादेशिक-वर्कशापों को पुनः संगठित करने के बारे में सहायता देने के लिए कोलम्बा-योजना के अधीन ब्रिटिश पोस्ट-आफिस से सन् १९५२ में एक टेलीप्रिंटर-जानकार की सेवाएं प्राप्त की गईं। तार व्यवस्था के मशीनीकरण की समस्याओं को निपटाने और जमीन के नीचे टेलीफोन और तार के केबिल बिछाने के बारे में योजना तैयार करने के लिए अब जाकारों के एक दल की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय टेली-संचार-यूनियन के पूर्ण अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधियों का सम्मेलन ३ अक्टूबर सन् १९५२ से २३ दिसम्बर १९५२ तक अजेंटाइना के ब्यूनस आयर्स नामक शहर में हुआ था। इसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया जिसमें चार सदस्य थे। भारत पहली बार प्रबन्ध परिषद् का सदस्य बना। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अबीसीनिया के हितों का भी प्रतिनिधित्व किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अबीसीनिया-सरकार ने सम्मेलन में अपनी ओर से भाग लेने और हस्ताक्षर करने के पूर्ण अधिकार दे रखे थे।

तार

पांच हजार या इससे अधिक आबादीवाले शहरों और हर एक सबडिवीजन के सदर मुकाम में तारघर खोलने की नीति पर धीरे-धीरे अमल किया जा रहा है। सन् १९५२ में १२२ तारघर खोले गये। इस प्रकार ३१ दिसम्बर सन् १९५२ तक तारघरों की संख्या ८,३६२ तक पहुँच गई।

इस वर्ष आठ 'वायस-फ्रीक्वेंसी-टेलीग्राफ-सिस्टम' चालू करके मुख्य-मुख्य स्टेशनों के बीच टेलीग्राफ-सर्किटों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा नई दिल्ली और कलकत्ते के बीच 'वायस-फ्रीक्वेंसी-टेलीग्राफ-दंत्र' को चलाने के

‘फ्रीक्वेंसी-माड्युलेशन-सिस्टम’ से काम लिया गया ।

टेलीप्रिंटरों के काम में काफी सुधार हुआ । सन् १९५१-५२ में साधारण संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में औसतन १.६७ घण्टे की देर होती थी लेकिन १९५२-५३ में (दिसम्बर सन् १९५२ के अन्त तक) यह घटकर १.३४ घण्टे रह गई । इस सुधार का ज्ञान “आवश्यक” और “साधारण” तारों के पारपरिक अनुपात से हो जाता है । “एक्सप्रेस”- तारों का अनुपात धीरे-धीरे कम हो रहा है जिससे पता चलता है कि “साधारण” तारों पर जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है । सन् १९४८-४९ में यह अनुपात ४५ फी सदी, सन् १९४९-५० में ३७.४ फी सदी और सन् १९५१-५२ में २९.४ फी सदी था ।

साथ ही टेलीप्रिंटरों को ठीक-ठाक रखने के काम में बड़ा सुधार हुआ है । टेलीप्रिंटरों को ठीक-ठाक रखने के लिए जितने घंटे काम करने की जरूरत होती है, अब इसमें भी कमी कर दी गई है और फालतू पुर्जों आदि की खपत में भी कमी की गई है । और अधिक टेलीप्रिंटर लगाए गए हैं । साथ ही २५० नये टेलीप्रिंटरों के आर्डर दिए गए हैं । टेलीप्रिंटर के काम में सुधार करने के साथ-साथ वायस-फ्रीक्वेंसी-टेलीग्राफ-सर्किटों को भी स्थायित्व दिया गया है ।

तार घरों के अन्दर, तार भेजने और तार प्राप्त करने में जितना समय लगता था उसे अब बहुत कम किया जा रहा है । संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने और उनकी पहुँच में जो देरदार होती थी, उसे टेलीप्रिंटरों और मशीनों की सहायता से कम किया जा रहा है । एक नयी योजना के अधीन सारे तार एक छेददार फीते पर प्राप्त किए जाएंगे जो एक ट्रांसमीटर के आरपार लगा होगा । इस प्रकार हाथ से किए जाने वाले दो काम कम हो जाएंगे । ये काम हैं— संदेश प्राप्त करना और संकेत देना । ट्रांजिट आफिस (बीच के दफ्तर) के स्विच-बोर्ड की सहायता से एक तार घर अपने स्विच-बोर्ड से दूसरे तार घर के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकेगा । इस तरह से जो लोग बहुत से तार भेजा करते हैं और प्राप्त करते हैं, वे टेलीप्रिंटरों की सहायता से सीधे तार घर से ही संदेश प्राप्त कर सकते हैं और संदेश दे सकते हैं । एक प्रस्ताव यह भी है कि शुल्क देने वाले लोगों के लिए टेलीफोन-ट्रंक-सर्किट की तरह ही एक टेलीप्रिंटर-सर्किट की व्यवस्था कर दी जाए । इससे

विभिन्न शहरों में शुल्क देने वाले लोग अधिक शीघ्रता से एक दूसरे के पास संदेश भेज सकेंगे ।

हिन्दी के तारों का प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है । सन् १९५१-५२ में ७,८०१ तार भेजे गये जबकि इस वर्ष के पहले ग्यारह महीनों में इनकी संख्या बढ़ कर १७,०१३ हो गई । अब हिन्दी के तार ८६ शहरों में लिए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष २३ शहरों में ही लिए जाते थे । हैदराबाद के नानलनगर में कांग्रेस अधिवेशन के समय पहली बार हिन्दी का टेलीप्रिंटर काम में लाया गया और यह सफल रहा । उत्तर प्रदेश और बिहार के उन स्थानों से हिन्दी में तार द्वारा मनीआर्डर भी भेजे जा सकते हैं और प्राप्त किये जा सकते हैं जहाँ हिन्दी से तार भेजने की व्यवस्था है । पहली जनवरी सन् १९५३ से देवनागरी लिपि में संक्षिप्त तार के पते दर्ज करने की इजाजत दे दी गई है । तार के फार्म और लिफाफे हिन्दी में भी छपने लगे हैं ।

इस वर्ष तार सम्बन्धी और भी कई सुविधाएं दी गई हैं । पहली जनवरी सन् १९५३ से तीन महीने, छै महीने, नौ महीने और एक साल के लिए क्रमशः आठ, बारह, सोलह और बीस रुपए के हिसाब से तार के संक्षिप्त पते दर्ज करने की व्यवस्था की गई । फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, और बेल्जियम के लिए भी फोटो-टेलीग्राम सर्विस शुरू की गई । यह व्यवस्था जल्दी ही जर्मन फेडरल रिपब्लिक तक बढ़ा दी जाएगी । विदेशी तारों की डी-लक्स सर्विस, जो पिछली लड़ाई के शुरू होने पर बंद कर दी गई थी, अब तक २१ देशों में चालू कर दी गई है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है ।

वायरलेस (बेतार का तार)

सन् १९५२-५३ में कलकत्ता और अगारतल्ला के बीच रेडियो-टेलीफोन-सर्विस शुरू की गई और मद्रास और रंगून के बीच तेज रफ्तार वाली वायरलेस-टेलीफोन सर्विस चालू थी । रंगून और भारत के बीच रेडियो-टेलीफोन व्यवस्था फिर से शुरू करने और तूतीकोरन, कांडला, विशाखपट्टनम, और कीचीन में खुले वायरलेस स्टेशन खोलने का विचार है जिससे कि समुद्र में जहाजों को रेडियो द्वारा टेलीफोन और तार भेजे जा सकें ।

गोदाम

आसाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वर्ष कटहार में एक गोदाम बनाया गया। गोदामों की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से कलकत्ता की मेसर्स इवकन लिमिटेड को वर्तमान व्यवस्था की जांच करने का काम सौंपा गया। इस फर्म की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

सन् १९५२-५३ में कई कैरियर सिस्टम और टेलीफोन-एक्सचेंजों की स्थापना का काम पूरा किया गया। इस के अलावा, आगरा, चंडीगढ़ कोयंबटूर, जबलपुर, जोधपुर, लखनऊ और मेरठ में टेलीफोन-व्यवस्थाओं के लिए जमीन के नीचे केबिल डालने की योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही दस निर्माण कार्यों का विशेष-विवरण तैयार किया गया और जारी किया गया और दस निर्माण-कार्यों के विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्यारह निर्माण कार्यों के अस्थायी विवरण जारी किये गये और नौ के विवरण जारी किए जा रहे हैं। पंद्रह जनवरी सन् १९५३ तक इंजीनियरी सम्बन्धी ६७ आदेश तैयार किए गए और ६४ जारी किए गए।

खोज

सन् १९५२-५३ में यंत्रों और सर्किटों के कई नये नमूने तैयार किए गए जैसे 'आटो-मैनुअल रिले सेट,' 'मैनुअल एक्सचेंज मीटर रूट टेस्ट सर्किट,' ट्रंक-बोर्डों पर काम के लिये हाई 'फ्रीक्वेंसी-मोनीटरिंग सर्किट' आदि।

कल्याण के कार्य

कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में इस वर्ष सर्वतोमुखी प्रगति हुई। इकतीस मार्च सन् १९५३ तक १८३ सहकारी-समितियाँ, १८७ कैंटीन, २२७ टिफिन-रूम, १८२ शयनागार, २३२ आर० एम० एस० रेस्ट हाउस, और ३२६ क्लबों की व्यवस्था थी। विभाग की ओर से रात के स्कूल, हालीडे होम (क्रीडा-गृह) और अनाज की दुकानें चलाई जाती हैं। दिसम्बर सन् १९५२ और जनवरी सन् १९५३ के बीच ६ केन्द्रों में प्रादेशिक खेल-समारोह हुए और फरवरी सन् १९५३ में नई दिल्ली में डाक और तार विभाग का अखिल भारतीय खेल-समारोह हुआ। इसके अलावा प्रादेशिक और अखिल भारतीय बैडमिंटन-प्रतियोगिताएं भी हुईं। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लोगों

को बी० सी० जी० के टीके लगाने के बारे में एक आन्दोलन शुरू किया गया है। देश के ६ चुने हुए तपेदिक के अस्पतालों में टी० बी० वाई बनाने का विचार है, जिसमें १२० रोगियों के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कसौली और अन्य स्थानों में कर्मचारियों के लिये १५ स्थानों की व्यवस्था है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

बंगलौर में इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज भारत का एक-मात्र कारखाना है जहां आटोमेटिक-टेलीफोन और कैरियर-सामग्री बनाई जाती है। यह अब एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में चलाया जा रहा है। इसकी वर्तमान एकत्रित पूंजी २२२.५ लाख रुपए है जिसमें से १८४.६ लाख रुपए भारत सरकार ने, ३१.२ लाख मैसूर सरकार ने और ६.७ लाख रुपए 'आटोमेटिक टेलीफोन एण्ड इलैक्ट्रिक कम्पनी' ने लगाए हैं।

सन् १९५२-५३ में कारखाने ने सभी दिशाओं में प्रगति की। डायल और कंडेन्स को छोड़ कर टेलीफोन-यंत्र की सभी चीजें अब इस कारखाने में बनने लगी हैं। ये दोनों चीजें बनाने की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और चार कर्मचारी ट्रेनिंग के लिये लिवरपूल भेजे जा रहे हैं। डाक तार विभाग की कलकत्ता टेलीफोन आटोमैटाइजेशन योजना के लिए यंत्रादि तैयार किए जा रहे हैं। बम्बई, दिल्ली और दूसरी जगहों के एक्सचेंजों के लिए नयी एक्सचेंज-लाइनों की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

आशा है कि सन् १९५२-५३ में बनाए गए टेलीफोन-यंत्रों की कुल संख्या २७,००० तक पहुँच जाएगी। इनके अलावा ११,००० टेलीफोन-लाइनें भी बन चुकेंगी। कारखाने में एक्सचेंजों में काम आने वाली दूसरी सहायक चीजें जैसे एरेस्टर्स, फ्यूज स्ट्रिप्स, प्रोट्रेक्टर स्ट्रिप्स, सिंगल लाइन प्रोट्रेक्टर और रेलेज़ भी तैयार की जा रही हैं। सन् २९५३-५४ के लिए ४०,००० टेलीफोन-यंत्र और ३०,००० आटोमेटिक-एक्सचेंज लाइनों का कार्यक्रम है।

कारखाने में आटोमेटिक एक्सचेंज सामग्री तैयार करने के साथ-साथ एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के यंत्रादि भी तैयार किये जा रहे हैं और उनका विकास किया जा रहा है। 'वन प्लस वन कैरियर सिस्टम' का सफलतापूर्वक विकास किया गया और अब डाक व तार विभाग के लिए ३६

आर्डर दिए गए हैं और उन पर काम हो रहा है । इस के अलावा १-३ कैरियर सिस्टम का भी विकास किया जा रहा है । साथ ही सेक्राफोन और परीक्षण के यंत्रों का भी विकास किया जा रहा है ।

कारखाने में ६५ लोगों को ऊंची शिक्षा दी जा रही है । इनमें से ३७ का संबंध उत्पादन पन्त से और २८ का इंजीनियरी पन्त से है । इसके अलावा कारखाने के मशीनी और बिजली विभागों के कर्मचारियों को काम सिखाने के लिए क्लास चलायी जा रही है । असेम्बली विभाग (पुजों को जोड़ने का विभाग) में कई लड़कियों को भी काम सिखाया जा रहा है ।

नागरिक विमान-संचालन

सन् १९५२-५३ में नागरिक विमान-संचालन की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत में हवाई परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय था । तदनुसार २१ मार्च सन् १९५३ में संसद में एक बिल पेश किया गया जिसमें दो कारपोरेशन बनाने की व्यवस्था थी । इनमें से एक कारपोरेशन देश के अन्दर तथा पास-पड़ोस के देशों के लिए और दूसरा दूरस्थ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-सर्विस के संचालन के लिए बनना था । २८ मई सन् १९५३ को बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई । इस कानून के फलस्वरूप दो कारपोरेशन, जिनके नाम 'एयर इन्डिया इन्टरनेशनल' तथा 'इंडियन एयरलाइन्स' हैं, १५ जून सन् १९५३ से स्थापित हो गए हैं । दोनों ही कारपोरेशनों के सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार द्वारा कर दी गई है । १ अगस्त १९५३ को एयरलाइन्स को कारपोरेशनों द्वारा अपने अधिकार में लाया जाएगा ।

प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के लिए पंचवर्षीय योजना में योजना कमीशन ने ६.५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है । इसमें से १.२५ करोड़ रुपए की सन् १९५३-५४ के बजट में व्यवस्था की गई है ।

इस वर्ष, देश के विभिन्न भागों में तीन नए हवाई-अड्डे और दो संचार-केन्द्र खोले गये । लालतपुर और चकोलिया के हवाई-अड्डों को वायुसेना से ले लिया गया है । इन्हें क्रमशः दिल्ली-नागपुर और नागपुर-कलकत्ता के रात की हवाई मेल के रास्ते पर संकट के समय हवाई जहाजों को उतारने के केन्द्रों के रूप में काम में लाया जाएगा । मंगलौर में एक नया हवाई अड्डा बनाने का काम पूरा हो गया है । कोचीन हवाई अड्डा जल-सेना के सुपर्द कर

दिया गया था। नागरिक विमान संचालन विभाग अब कुल मिलाकर ७७ हवाई अड्डों की देखरेख करता है और उनका संचालन करता है। इनके अलावा कूच-बिहार और बालुरघाट हवाई अड्डे पश्चिमी बंगाल सरकार से और मुजफ्फरपुर (रेवाघाट) हवाई अड्डा बिहार सरकार से लिया जा रहा है।

हवाई सर्विसों के संचालन के लिए मैदानी सुविधाएं देने की दिशा में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान-संचालन संस्था द्वारा निर्धारित प्रमाणों के अनुसार हवाई अड्डों को सुसज्जित रखने के कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में भी प्रगति हो रही है। सन् १९५२-५३ में जो निर्माण कार्य पूरे किये गए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:— मंगलौर में एक नया हवाई अड्डा बनाना, दमदम, पालम, गौहाटी, बागडोगरा में जहाज उड़ाने की जगहें (रनवे) और टैक्सियों के रास्ते बनाना और उनमें सुधार करना, सान्ताकुज में पहाड़ियों की चोटियों पर बाधा-सूचक रोशनी का इंतजाम करना, दमदम में जमीन पर रोशनी की व्यवस्था करना और नागपुर में एक टर्मिनल-इमारत बनाना। जिन-जिन निर्माण कार्यों का काम चल रहा है, उनमें दमदम, सान्ताकुज और अगर्तल्ला में रहने के लिए क्वार्टर बनाने, सान्ता-कुज बागडोगरा और गौहाटी में टर्मिनल-इमारत बनाना, तुलसी पाइप लाइन डालना, सान्ताकुज के ट्रेली-टैंक को दूसरी दिशा में मोड़ने और लखनऊ, इलाहाबाद और गौहाटी में ट्रांसमिटिंग-स्टेशन बनाना आदि काम शामिल हैं।

सन् १९५२ में नौ वायु-यात्रा कम्पनियां नियमित हवाई सर्विस चला रही थीं और सात, अनियमित हवाई सर्विस। रात को चिट्टियां वगैरह ले जाने वाली हवाई सर्विस में, जिसका संचालन डकन एयरवेज लिमिटेड और एयर इन्डिया लिमिटेड करती हैं, कोई २६,७८३ यात्री, २,८७६,३०८ पौंड चिट्टियां आदि और १,०७१,८५० पौंड माल आया-गया। इस प्रकार हर दिन औसतन ७३ यात्री, ७,८५९ पौंड डक और २,९२८ पौंड माल आया-गया।

इसी प्रकार, अनियमित हवाई सर्विसों ने ३६,५२८ घंटे हवाई जहाज चलाए और ५,८९६,४७९ मील की उड़ान की। इस सर्विस द्वारा ८३,७९० यात्री और १३७,६६४,७४१ पौंड माल आया-गया।

सन् १९५२ में तीन भारतीय हवाई यातायात कम्पनियां 'एयर इन्डिया इंटरनेशनल', 'भारत एयरवेज' और 'हिमालियन एवियेशन' ने अन्तर्राष्ट्रीय

हवाई सर्विस चालू रखी। एयर इंडिया इंटरनेशनल ने बम्बई-करांची-अरदन और नैरोबी के रास्ते पर साप्ताहिक-सर्विस चलाने के अलावा, ५ दिसम्बर १९५२ से इसी रास्ते पर हर पखवाड़े में पर्यटकों की विशेष सुविधा के लिए एक टूरिस्ट क्लास सर्विस भी शुरू की।

हिमालयन एवियेशन लिमिटेड ने अफगानिस्तान को साप्ताहिक सर्विस जारी रखी। इन रास्ते पर करांची में उतरने की व्यवस्था नहीं थी। इस सर्विस को पश्चिमी पाकिस्तान की भूमि से बचकर निकलना पड़ता था क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय हवाई जहाजों के अपनी भूमि पर उड़ान करने की मनाही कर रखी थी। समझौते की बातचीत के फलस्वरूप पाकिस्तान ने भारतीय हवाई जहाजों को दो रास्तों से होकर जाने की इजाजत दे दी है। ये हैं— लाहौर-कंधार और करांची कंधार के रास्ते। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन, अभी तक किसी भारतीय हवाई जहाज ने इन रास्तों पर उड़ान शुरू नहीं की है।

इस वर्ष निम्नलिखित सर्विसों को फिर से संगठित किया गया : भारत एयरवेज द्वारा संचालित गौहाटी-कुंभीग्राम सर्विस का गौहाटी-कुंभीग्राम इम्फाल के रूप में; एयर इंडिया द्वारा संचालित 'मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर-कोचीन त्रिवेन्द्रम सर्विस' का 'मद्रास-बंगलौर-कोयम्बटूर-कोचीन-त्रिवेन्द्रम-मदुरा-त्रिचना-पल्ली' के रूप में; हिमालया एवियेशन द्वारा संचालित अहमदाबाद-करांची-जही-दान-कंधार-काबुल सर्विस का बम्बई-करांची-कंधार-काबुल के रूप में; 'एयर सर्विसेज आफ इंडिया' द्वारा संचालित 'बम्बई-पूना-बंगलौर सर्विस' का बम्बई-पूना-बेलगांव-बंगलौर के रूप में; और 'एयर सर्विसेज आफ इंडिया' द्वारा संचालित 'बम्बई-कोचीन सर्विस' का 'बम्बई-मंगलौर-कोचीन सर्विस' के रूप में; साथ ही कई सर्विसें बन्द कर दी गईं। दूसरी ओर, इंडियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड को दिल्ली-आगरा सर्विस के लिए, एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड को कलकत्ता-गौहाटी-शीलांग-कलकत्ता सर्विस के लिए और 'डकन एयरवेज लिमिटेड' को 'बम्बई-औरंगाबाद सर्विस' के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए गए।

इस वर्ष अमरीका की कम उन्नत देशों को टैकनिकल सहायता देने की योजना और कोलम्बो-योजना के अधीन कई अधिकारी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए अमरीका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भेजे गए। इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय

नागरिक विमान संचालन संस्था की माफत नागरिक विमान संचालन की भिन्न-भिन्न शाखाओं के जानकारों की सेवाएं प्राप्त की गईं ।

इलाहाबाद के नागरिक विमान-संचालन-प्राशिक्षण केन्द्र के लड्डयन, हवाई अड्डा, संचार और इंजीनियरी सम्बन्धी स्कूलों में सन् १९५२-५३ में बहुत से विमान संचालकों और आपरेटरों को काम सिखाना जारी रहा । डकोटा हवाई-जहाज की ट्रेनिंग की योजना भी केन्द्र में शुरू की गई । इसी तरह से भारत के विभिन्न केन्द्रों में दस फ्लाइटिंग क्लब और दो ग्लाइडिंग क्लब काम करते रहे । इन क्लबों में ११५ 'ए' श्रेणी के विमान चालक, ६५ 'बी' श्रेणी के विमान चालक और १८ ग्लाइडर विमान चालकों को काम सिखाया गया । अनुमान है कि इन क्लबों को कुल मिलाकर १५ लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई ।

सन् १९५२-५३ में विभिन्न क्षेत्रों में खोज का काम भी होता रहा । मिसाल के तौर पर बंगलौर की हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा बनाए गए एच-टी-२ किस्म के ट्रेनर हवाई जहाज के लिए २० दिसम्बर १९५२ को सर्टिफिकेट दिया गया । एक बिचले किस्म का ग्लाइडर जहाज-आई० टी० १ बनकर तैयार हो गया और तीन अनुभवी ग्लाइडर चालकों ने उसकी उड़ान की जांच की जिसमें वह सफल रहा । इस वर्ष इसी तरह के दो और ग्लाइडर जहाजों के टांचों के हिस्से बनाने का काम पूरा हो गया । भारत में हवाई जहाज सामग्री के प्रमाप-विवरण तैयार करने के उद्देश्य से कई प्रयोग किए गए और विशेष विवरण तैयार किए गए । विदेश से मंगाए गए वी० जी० रिकार्डर की किस्म के कई एक रिकार्डर को बर्कशाप (कारखाने) में बनाया गया । टेक-आफ कैमरा के लिए अच्छे किस्म का एक व्यू-एनेलाइजर भी बनाया गया । बंगलौर की हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड में भारत में पहली बार कुल धातु का ट्रेनर-हवाई जहाज बनाया गया ।

हवाई-यातायात-समझौते

सन् १९५२ में भारत ने अफगानिस्तान, मिस्र, थाईलैंड और ईरान के साथ हवाई-यातायात सम्बन्धी समझौते किए । जापान, बर्मा, इटली और इराक के साथ जल्दी से जल्दी ऐसे ही समझौते करने का विचार है ।

वैमानिक-संचार-सर्विस

इस वर्ष मंगलौर और कानपुर (सिविल) में वैमानिक-संचार-सर्विस के दो नये केन्द्र खोले गये जबकि कोचीन केन्द्र, नौसेना के सुपुर्द कर दिया गया। अब ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या ५८ है। मध्यपूर्व के इलाके की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बम्बई में मौसमी जांच के सम्बन्ध में समाचार ब्राडकास्ट करने के एक प्रादेशिक केन्द्र की भी स्थापना की गई।

कुल मिलाकर रेडियो सम्बन्धी ४३६ सुविधाएं दी गईं जबकि पिछले साल ४०६ सुविधाएं दी गई थीं।

मौसमी जांच का दफ्तर

भारत का मौसमी जांच का दफ्तर, सैनिक और असैनिक विमान-संचालन, जलसेना और व्यापारिक बेड़े, बंदरगाहों, खेती, लिंचाई और बिजली योजनाओं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, लोक-स्वास्थ्य और ग्राम जनता के लिए मौसम के बारे में सूचना आदि देता रहा।

सन् १९५२ में खराब मौसम के बारे में चेतावनी दी जाती रही। विभिन्न प्रादेशिक केन्द्रों की चेतावनी सम्बन्धी सूचना में जिन चेतावनियों का उल्लेख है उनकी संख्या कुल मिलाकर ७८५ है। इस प्रकार सन् १९५२ में कोई ३,८०० चेतावनियां जारी की गई थीं। नवम्बर सन् १९५२ के मद्रास समुद्रतट के तूफान जैसे भयंकर मौसम के अवसरों पर आल इंडिया रेडियो से विशेष चेतावनियां ब्राडकास्ट की गईं। साथ ही आल इंडिया रेडियो के २२ स्टेशनों से १७ स्थानीय भाषाओं में किसानों के विशेष लाभ के लिए मौसम सम्बन्धी समाचार हर रोज ब्राडकास्ट किए गये।

इसके अलावा हवाई जहाजों के लिए जारी की गई मौसम सम्बन्धी तथा अन्य सूचनाओं की संख्या १२५,००० है। कोई ४८,००० विमान-संचालकों को हवाई-जहाज उड़ाने से पहले यह बताया गया कि उन्हें अपने रास्ते में कैसे मौसम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कोई ५,८०० विमान-चालकों से हवाई जहाज उतरने पर यह पूछा गया कि उन्हें रास्ते में कैसे मौसम का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से कलकत्ता, मद्रास और बम्बई बंदरगाहों को इस वर्ष कोई ५,००० चेतावनियां दी गईं।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान-संचालन-संस्था की सिफारिशों के अनुसार २५ अगस्त १९५२ से बम्बई से मौसम सम्बन्धी प्रादेशिक समाचार ब्राडकास्ट किए जाने लगे। ये समाचार हर तीसरे घंटे के बाद ब्राडकास्ट किए गये और इनमें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-स्थलों और भारत और पाकिस्तान में हवाई जहाजों के उतारने के सम्बन्ध में पूर्वानुमान दिए गये। साथ ही धरन-बम्बई के रास्ते पर मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की व्यौरवार बातें भी इस ब्राडकास्ट में दी गईं।

इस वर्ष निरीक्षण-केन्द्रों में १६ वेधशालाएँ तथा एक रडार-विहंग स्टेशन और भी खोला गया। अंदाज़मान द्वीप-समूह में भी ६ वेधशालाएँ स्थापित की गईं। भूकंप विज्ञान, खगोल विद्या और नक्षत्र-विज्ञान के बारे में विशेष अध्ययन और पर्यवेक्षण जारी रहा।

हवाई-संचालन में अधिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत में ५ जुलाई १९५२ से मौसम सम्बन्धी विश्व-संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संचालन-संस्था द्वारा निर्धारित नये तरीके को लागू किया गया। जनवरी सन् १९५३ से इस बात की व्यवस्था की गई कि मौसमी जाँच के मुख्य-मुख्य दफ्तरों में धरातल सम्बन्धी विवरण का एक अतिरिक्त चार्ट तैयार किया जाए। बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली में नये किरम के ब्राडकास्ट यंत्र की सहायता से कई टेलीप्रिन्टर-केन्द्रों को एक साथ संदेश भेजने के तरीके से फोरकास्टिंग-दफ्तरों में सूचना आदि पहले से जल्दी पहुँचने लगी है।

वर्षा सम्बन्धी आँकड़े और सूचनाएँ प्राप्त करने के अलावा सन् १९५२-५३ में भिन्न-भिन्न नदियों के कछारों का जल सम्बन्धी अध्ययन किया गया। इस वर्ष दामोदर और मयूरानी नदियों के कछारों का व्यौरवार जल-घन वातिकीय (hydro-meteorological) अध्ययन और राजस्थान के जल-विज्ञान का अध्ययन पूरा किया गया। वर्षा सम्बन्धी आँकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण में सुविधा देने के लिए होलेरिथ काडों पर इन आँकड़ों आदि के छुपवाने का काम शुरू किया गया। इसके अलावा आसाम की नदियों के बारे में सामूहिक जल-सम्बन्धी आँकड़े आदि तैयार करने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया।

शिलांग में भूकम्प की जाँच के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय वेधशाला स्थापित की गई। मद्रास में मामूली से मामूली भूकम्प का पता चलाने वाला एक केन्द्र खोला गया जो भारत के आसपास के समुद्रों में तूफानों का पता लगायेगा।

बम्बई में भी जल्दी ही ऐसा केन्द्र खोला जाएगा। बखारा और बोकरो में भूकम्प का पता चलाने के केन्द्रों के निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है जबकि देहरादून में सर्वे आफ इंडिया द्वारा बनवाई जाने वाली भूकम्प सूचक वेधशाला की इमारत बन कर तैयार हो गई है।

जेट हवाई जहाजों के लाभ के लिए तीस हजार फुट और इससे अधिक ऊँचाई पर मौसम की जाँच करने के वास्ते रेडियो विंड-फाईंडिंग स्टेशनों की स्थापना के बारे में एक योजना तैयार करली गई है और आशा है, यह योजना सन् १९५३ में लागू कर दी जाएगी।

अमरीका की कम उन्नत देशों को टैकनिकल सहायता देने की योजना और कामनवैल्थ टैकनिकल-सहयोग- कार्यक्रम के अधीन विभाग के अधिकारी मौसम-विज्ञान में ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमरीका और ब्रिटेन भेजे गए। इस वर्ष पूना के मौसमी जाँच के दफ्तर में कई अधिकारियों के अलावा ५८ विद्यार्थियों को भी काम सिखाया गया। जर्मनी में वान यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी, जिसे भारत सरकार की ओर से भारत-जर्मनी औद्योगिक-सहयोग कार्यक्रम के अधीन फेलोशिप प्रदान की गई है, अक्टूबर १९५२ में पूना में खेती सम्बन्धी मौसमी जाँच के विभाग में भरती हुआ। वह खेती सम्बन्धी मौसमी जाँच के क्षेत्र में खोज का काम करने के लिए आया है।

पूना और नई दिल्ली में विभाग की वर्कशापों में मौसमी जाँच और भूकम्प का पता चलाने के काम आने वाले यंत्र और दूसरे यंत्र बनाए जाते रहे। इस वर्ष यंत्र और पंच आदि बनाने के तरीकों में सुधार हुआ। बिजली की बड़ियों और एक साथ संदेश भेजने के लिए टेलीप्रिन्टर-रिले यूनितों जैसे नए किस्म के यंत्र इस साल बनाए गए।

इस वर्ष मौसम सम्बन्धी जो आँकड़े तथा सूचना आदि इकट्ठी की गईं या जिसका अध्ययन किया गया, उसमें सन् १९५१ की 'सेंसर रिपोर्ट आफ इंडिया' के लिए तैयार किए गए पंद्रह प्राकृतिक प्रदेशों और ५३ प्राकृतिक डिवीज़नों और भारत भर का मौसम सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मौसमी जाँच की विश्व-संस्था के अनुरोध पर ऐसे नक्शे बनाए गए हैं जिनसे भारत और आसपास के इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने के बारे में मासिक तथा वार्षिक औसतों का पता चलता है। मद्रास राज्य में बराबर सूखा पड़ने के

बारे में जो पूछताछ की गई है, उसे ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यापक जाँच की गई कि इस इलाके में पिछले वर्षों में वर्षा की स्थिति क्या रही ।

समुद्रपार संचार व्यवस्था

यह व्यवस्था भारत और विदेशों के बीच तार, टेलीफोन और रेडियो फोटो सर्विस के काम के लिए जिम्मेदार है । इस समय समुद्रपार-संचार-व्यवस्था चार सर्विसों—‘वायरलेस टेलीग्राफ सर्विस’, ‘रेडियो टेलीफोन सर्विस’, ‘फोटो-टेलीग्राफ सर्विस’, और ‘सवमेरीन कैबिल टेलीग्राफ सर्विस’ को चला रही है ।

समुद्रपार-संचार-व्यवस्था के पांच साला विकास कार्यक्रम के अधीन कलकत्ता में एक नया टेली-संचार केन्द्र स्थापित करने का विचार है । इस केन्द्र में वायरलेस द्वारा सीधे लंदन तार भेजने की व्यवस्था होगी । जब इसका पूरा-पूरा विकास हो जाएगा तो अमरीका के लिए सीधी टेलीफोन सर्विस और पूर्व और सुदूरपूर्व के देशों के लिए सीधी तार और टेलीफोन सर्विस की व्यवस्था हो जाएगी ।

भारत और जापान के बीच १४ अगस्त सन् १९५२ में सीधी रेडियो टेलीफोन सर्विस शुरू की गई थी । आशा है सन् १९५३ में तार और टेलीफोन की चार सीधी सर्विसें शुरू की जाएंगी । ये हैं—भारत और ईरान, भारत और इण्डो-चाइना और कलकत्ता और लंदन के बीच वायरलेस टेलीग्राफ सर्विस और भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच रेडियो-टेलीफोन सर्विस ।

कामनवैलथ टेली संचार करार में जो वित्तीय-व्यवस्था की गई है, उसकी मियाद अस्थायी रूप से एक साल के लिए और बढ़ा दी गई है । वरमूदा टेलीसंचार करार (लंदन रिवीजन्स १९४९) की कई धाराओं में पौंड के अवमूल्यन के बाद फेरबदल की गई । इन संशोधित धाराओं को एक पूरक समझौते द्वारा पहली अक्टूबर सन् १९५२ में लागू किया गया । इस समझौते में उन्हीं देशों ने भाग लिया जिन्होंने मूल समझौता किया था ।

तार और टेलीफोन द्वारा सन्देश भेजने के क्षेत्र में विदेशों की नई खोजों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की कम उन्नत देशों

को टैकनिकल सहायता देने की योजना के अधीन समुद्रपार-संचार व्यवस्था के दो अधिकारियों को अमरीका और संयुक्त राष्ट्र के फैलोशिप-कार्यक्रम के अधीन दो अधिकारियों को ब्रिटेन और अमरीका भेजा गया। कालंबो योजना के अधीन कुछ अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है।

रेलवे जाँच दफ्तर

रेलवे जांच दफ्तर के मुख्य काम रेलों की जांच करना, रेल दुर्घटनाओं की जांच करना, नये किस्म के इंजनों और बोगियों आदि की मंजूरी देना, प्रमाणीकृत लम्बाई चौड़ाई को भंग करने के सम्बन्ध में अर्जियों की जांच करना और उन्हें निपटाना है।

सन् १९५२-५३ के पहले दस महीनों में सरकारी इंस्पेक्टरों ने १६,००० मील रेल के रास्ते की जांच की। इसके अलावा उन्होंने कोई २५६ मील लम्बी नई लाइनों की, उन पर गाड़ियां चलाने से पहले जांच की। मार्च १९५२ से लेकर फरवरी १९५३ तक इस दफ्तर ने चौदह मुसाफिर-गाड़ियों की दुर्घटनाओं की जांच की। इसने नये किस्म के इंजिन और डिब्बे चलाने के बारे में मंजूरी के लिए आई हुई सात अर्जियां और प्रमाणीकृत लम्बाई-चौड़ाई को भंग करने के बारे में दस अर्जियां निपटाईं।

वायरलेस योजना तथा समन्वय विभाग

जुलाई सन् १९५२ में संचार-विभाग में एक नये विभाग वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन ब्रांच (वायरलेस योजना तथा समन्वय विभाग) की स्थापना की गई। यह विभाग एक सलाहकार के अधीन खोला गया जिसका काम भारत में वायरलेस से सम्बन्ध रखने वाले सभी कार्यों के बारे में योजना बनाना और उनमें तालमेल पैदा करना है। यह विभाग सन् १९५१ में जिनेवा में होने वाली विशिष्ट 'एडमिनिस्ट्रेटिव रेडियो कांफ्रेंस' के अन्तिम कानून को देश में लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है।

यह विभाग नये अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कई वायरलेस सर्विसों का संचालन करने लगा है, विशेष रूप से 'मीडियम वेव ब्राडकास्टिंग सर्विस' का।

यह धीरे-धीरे दूरे कायों के लिए भी फ्रीकेंसियां निश्चित कर रहा है। इसके अलावा यह विभाग अन्तर्राष्ट्रीय बाधाओं से मुक्त फ्रीकेंसियों के चुनाव के लिए मोनिटियरिंग व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार की फ्रीकेंसियाँ भारत में वायर-लेस सर्विस के लिए निर्धारित की जाएँगी।

आन्तरिक और वैदेशिक कार्य

देश का सुप्रबन्ध विधि और व्यवस्था की स्थापना, कुशल केन्द्रीय और राष्ट्रीय प्रशासन और प्रगतिशील वैधानिक कार्यों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में भी सरकार ने इस वर्ष उत्साहजनक उन्नति की। इसके अतिरिक्त भारत की फौजी ताकत ज्यों की त्यों बनी रही, और उसकी सुदृढ़ विदेशी नीति के कारण सद्भावना में वृद्धि हुई तथा संसार के राष्ट्रों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई।

आन्तरिक मामले

गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दो प्रकार की है। पहली का सम्बन्ध सार्वजनिक सेवाओं से है और दूसरी का सार्वजनिक सुरक्षा से। जहाँ तक सार्वजनिक सेवाओं का सम्बन्ध है, केन्द्र पर केन्द्रीय सेवाओं तथा दो अखिल-भारत सेवाओं की जिम्मेदारी है—जिनको भारतीय प्रशासन सेवा तथा पुलिस सेवा कहते हैं। जिनकी व्यवस्था और प्रबन्ध संयुक्त रूप से, केन्द्र तथा राज्य की सरकारों की ओर से किया जाता है।

जहाँ तक सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है, केन्द्र द्वारा शासित-क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था को बनाए रखने की वैधानिक जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। भाग 'ग' राज्य कानून, १९५१ के पास हो जाने के बाद से अब इस बारे में कुछ अधिकार भाग 'ग' के राज्यों को मिल गए हैं।

अखिल-भारतीय सेवाएं

भारतीय नागरिक शासन-(केन्द्र) संवर्ग योजना (इंडियन सिविल

एडमिनिस्ट्रेटिव—(सेन्ट्रल) केडर स्कीम को अमल में लाने के सिलसिले में, पदों पर नियुक्तियों की इस साल अन्तिम सूची तैयार करली गई थी। उक्त संवर्ग के लिए अफसरों के चुनाव का काम, जिसका भार संघीय लोक-सेवा-आयोग (यू-पी-एस-सी) के चैयरमैन तथा केन्द्रीय एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड पर होगा, प्रगति कर रहा है। सन् १९५२-५३ में भारतीय पुलिस सेवा में निश्चित आयु से बड़े, ११ व्यक्तियों का न्युक्त आम जनता में से ही की गई थी। इन नियुक्तियों से आपत् कालीन भरती-योजना के अन्तर्गत भाग 'क' के राज्यों के लिए तथा भारतीय शासन और पुलिस सेवा (राज्यों तक विस्तार) योजना के अन्तर्गत भाग 'ख' के राज्यों के लिए निश्चित आयु से बड़े अफसरों की भरती का कार्य पूर्ण हो चुका है। शासन और पुलिस सेवा में जो और नियुक्तियाँ अब की जाएंगी उन में २५ प्रतिशत तो सिविल सर्विस के अफसरों को तरक्की देकर भरी जाएंगी और शेष ७५ प्रतिशत संघीय-लोक-सेवा-आयोग के मारफत प्रतियोगिता-परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।

भाग 'क' राज्यों की भारतीय नागरिक शासन संवर्ग योजना की वर्गीकरण-सूची अन्तिम रूप से तैयार कर के छाप दी गई है। भारतीय पुलिस के सिलसिले में अस्थाई वर्गीकरण सूची भी तैयार हो गई है। जहाँ तक भाग 'ख' के राज्यों का सवाल है, मैसूर के भारतीय शासन और पुलिस सेवा का वर्गीकरण तथा हैदराबाद और त्रावनकोर-कोचीन की शासन सेवाओं के वर्गीकरण की सूची तैयार कर ली गई है। सन् १९५२ में भारत सरकार राज्य सरकारों की सलाह से, अखिल-भारत सेवाएं कानून, १९५१ के अनुसार कानूनी नियमों को अन्तिम रूप से निर्णय करने में लगी हुई थी, ताकि भरती करने में तथा परीक्षा (प्रवेशन), छुट्टियाँ, पेंशन आदि के मामलों में सब जगह एक से नियम लागू हो सकें। इन सब नियमों पर जल्दी ही एक सभा कर के जिस में कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग होंगे, विवेचन किया जाएगा। तब इन नियमों को घोषित किया जाएगा और पालियामेंट के आगे विचार के लिए रखा जाएगा।

प्रशिक्षण

अप्रैल सन् १९५२ में भारतीय शासन-सेवा प्रशिक्षण स्कूल ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ३८ उम्मीदवारों को भर्ती

किया। ऐसी आशा है कि मार्च १९५३ तक ये उम्मीदवार अपनी पूरी पढ़ाई करके, निकल आयेंगे। माउन्ट आबू के केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज में ६ खास उम्मीदवारों ने जून १९५२ से दिसम्बर १९५२ तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सन् १९५१ की प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर, जिन ३८ परीक्षा-कालीन-उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, वे इस साल प्रशिक्षण पा रहे हैं। वे जुलाई १९५३ के अन्त तक ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, ऐसी आशा है।

केन्द्रीय सेवाएं

स्पेशल भरती बोर्ड या संघीय लोक-सेवा-आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के ग्रेड अर्थात् ग्रैंड मेक्रेटरी, सुपरिण्टेण्डेन्ट और सहायक सुपरिण्टेण्डेन्ट के ग्रेड पूरी तौर से बना दिये गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के वर्गीकरण करने का काम अभी चालू है और यह आशा है कि सन् १९५३ तक वह समाप्त हो जाएगा।

सचिवालय तथा उससे संलग्न दफ्तरों में कई एक स्थानों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त हैं, जो कि अपने-अपने ग्रेडों में मुश्तकिल नहीं है। ऐसे कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट करने तथा नौकरी को नियमित करने के लिए यह जरूरी है कि सहायक सुपरिण्टेण्डेन्ट तथा सहायक कर्मचारियों (अस्सिस्टेंट) के नियमित अस्थाई कार्यालय बनाये जायें। सहायक सुपरिण्टेण्डेन्ट की संख्या ३६० होगी तथा सहायकों की १,२०० होगी।

सरकार केन्द्रीय सचिवालय-स्टेनो-ग्राफर-सेवा-योजना को भी कार्यान्वित करने में लगी हुई है। इस योजना का ध्येय यह है कि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट या इसी प्रकार के कोई और काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को ठीक से वर्गीकृत तथा सुगठित कर दिया जाये और उनमें जो योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उचित ग्रेड में खप जाने का मौका मिल सके।

सन् १९५३ में क्लर्क-सेवा को संगठित करने के लिए एक योजना बनाई जाने वाली है। यह योजना अपर डिविजन और लोअर डिविजन इन दो ग्रेडों में अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी कई योजनाएं हैं, जो कि इस समय विचाराधीन हैं। निम्नलिखित योजनाएं उल्लेखनीय हैं—केन्द्रीय

जंगल सेवा, केन्द्रीय कृषि और पशुपालन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, रक्षा-विज्ञान सेवा, भारतीय इंजिनियरिंग सेवा, केन्द्रीय लाइब्रेरियन्स सेवा, औद्योगिक व्यवस्था-सेवा, भारतीय सूचना सेवा, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, आंकड़ा-संग्रह कर्त्ताओं की सेवा ।

सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल का संगठन इस ढंग पर किया गया है कि भारत सरकार के मंत्रालय (मिनिस्ट्रियल)-कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को सुआयोजित और व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सके । जनवरी १९५३ के अन्त तक ६,७५० सरकारी नौकरों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ । इस साल भिन्न-भिन्न विषयों पर सुभाष और व्याख्यानों के अतिरिक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी ।

जो व्यक्ति भारत सरकार के दफ्तरों में क्लर्क ग्रेड में काम करने के इच्छुक हैं, उनकी भलाई के लिए, अगस्त १९५२ से एक स्कूल टाइपराइटिंग तथा स्टेनोग्राफी की योग्यता की जांच का काम कर रहा है । टाइपराइटिंग की परीक्षाओं में अब तक लगभग २,१२० उम्मीदवार बैठ चुके हैं, जिनमें ३५० सफल रहे, जब कि स्टेनोग्राफी में ४४३ उम्मीदवारों में से २१६ पास हुए हैं ।

कार्यालय (संगठन) योजनाएं

प्रशासन में यथा संभव क्वायत करने के विचार से गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के अधीन जितने भी कार्यालय हैं, उन सब की विस्तृत जांच की है । यह काम विशेष रूप से चुने गये अधिकारियों को सौंपा गया है । खाद्य कृषि मंत्रालय, भ्रम मंत्रालय तथा सिंचाई और बिजली मंत्रालय के जांच का काम पूरा हो गया है । जब कि संघीय-लोक-सेवा-आयोग और आयात-निर्घात के चीफ कंट्रोलर के दफ्तरों की जांच का काम चालू है ।

वर्णनात्मक संस्मरण जिनमें प्रत्येक मंत्रालय या विभाग की वर्तमान संस्थाओं तथा उनके कार्यवाहियों का वर्णन है, सन् १९४९ से बराबर प्रतिवर्ष उनका हिसाब किताब ठीक-ठाक रखा जाता है । सन् १९५१ की संस्मरण माला इस साल पूर्णरूप से तैयार करके छाप दी गई है ।

विभागीय कार्यवाही

सरकार ने इस बात की व्यवस्था की थी कि केन्द्रीय-सरकार में सभी

मंत्रालयों और विभागों में कई एक अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की जांच पड़ताल का काम सौंपा जाएगा, जब कि वे इस काम में संलग्न होंगे, उन्हें उनकी दैनिक जिम्मेदारी से अवकाश मिल जाएगा. ताकि मामलों के निबटारे में अनावश्यक देर न हो। इस तरीके से उन अपराधी अपसरो को अब सजा से बचने का मौका नहीं मिल सकेगा जैसा कि पहले टेकनिकल या जांच कार्यवाही की भूल के कारण मिल जाता था।

विस्थापित सरकारी नौकर

केन्द्रीय सरकार के अधीन पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को नौकरी के सिलसिले में, आयु और फीस के मामले में जो रियायतें दी गई थीं उनकी मंजूरी दिसम्बर १९५० तक थी, परन्तु बाद में वे साल-दर-साल बढ़ा दी गई थीं। ये रियायतें एक साल के लिए दिसम्बर १९५३ तक और बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद सन् १९५४ में ये रियायतें केवल उन्हीं विस्थापितों को मिल सकेंगी जो कि भारत दिसम्बर १९५० के बाद आये। बाद में सन् १९५४ में इस बात की फिर जांच की जायेगी कि इन रियायतों की अवधि सन् १९५४ के बाद आगे बढ़ाई जाए कि नहीं ?

वृद्ध अपसर

वृद्ध अपसरों की नौकरी की अवधि को आगे बढ़ाना या उन्हें फिर से नौकरी पर लगाने की नीति सन् १९५२-५३ में और कड़ी कर दी गई है। मंत्रालयों को इस विषय में अपने सुझाव कम से कम ६ महीने पहले देने पड़ेंगे। इस साल ३२८ अधिक आयुवाले अपसरों को फिर से काम पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी। इनमें से १०६ व्यक्ति तो टेकनिकल तथा २२२ व्यक्ति नान-टेकनिकल थे। १०० अपसरों को अपनी नौकरी पर काम करते रहने की भी इजाजत दी गई। इनमें से २५ व्यक्ति तो टेकनिकल थे और ७५ नान-टेकनिकल थे। उन अपसरों में से जिन्हें वृद्ध होने के बाद भी नौकरी करने की आज्ञा दी गई या जिनकी नौकरी की अवधि बढ़ा दी गई, ११४ विस्थापित व्यक्ति थे।

सार्वजनिक सुरक्षा

सन् १९५२ का निवारक-निरोध (द्वितीय संशोधन) कानून ३० सितम्बर १९५२ से अमल में आया। इस के मुख्य कानून की अवधि को २१ दिसम्बर

१९५४ तक बढ़ा दिया है। और साथ ही उसकी धाराओं को कई प्रकार से ढीला कर दिया है। उदाहरणार्थ किसी भी अधीन कर्मचारी के द्वारा पास किया गया निरोध का हुक्म, राज्य की सरकार की आज्ञा के बिना, १२ दिनों से अधिक लागू न रह सकेगा। रोके गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह व्यक्तिगत रूप से सलाहकार समिति के सामने पेश हो सकेगा। किसी व्यक्ति को रोकने की अधिकतम अवधि एक साल निश्चित की गई है।

सन् १९५२-५३ में अपराधी-जनजाति कानून, १९२४ और राज्यों में लागू इसी प्रकार के कानून समाप्त कर दिए गए और अब एक नया अखिल भारतीय-स्वाभाविक-अपराधी-विधेयक तैयार किया जा रहा है।

पुलिस विभाग

भाग 'क' के राज्यों और अजमेर, कुर्ग, दिल्ली तथा अन्दमान निकोबार में पुलिस की संख्या प्रायः पूर्ववत् है। राज्य की सरकारों को पुलिस-विभाग के लिए आवश्यक शस्त्रादि, गोला, बारूद और बेतार के तार की सामग्री प्राप्त करने में सहायता दी जाती थी।

राज्य सशस्त्र पुलिस सेना (कानून का विस्तार) कानून, १९५२, अब पास कर दिया गया है। इस कानून के अधीन कोई भी विशेष सशस्त्र पुलिस सेना की टुकड़ी पर जो कि किसी एक राज्य की हो पर काम किसी दूसरे राज्य में कर रही होगी, अनुशासन की जिम्मेदारी लागू होगी, जो कि विशेष कानून के द्वारा उन पर डाली गई होगी।

इस विशेष पुलिस विभाग का अधिकार क्षेत्र 'ग' राज्यों और कानूनी तथा अन्य संस्थाओं तक, जिनमें सरकार को दिलचस्पी है, विस्तृत कर दिया गया। इस संगठन के मार्ग में जो कुछ कठिनाइयाँ थीं उसे भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में और भारतीय दंड विधान तथा जाब्ता फौजदारी की कुछ धाराओं में सुधार करके दूर कर दिया गया। रिश्तत देना भी एक अपराध करार दे दिया गया। गवाही जुटाने, तथा मामलों को निबटाने के लिए, भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में क्षमा-दान दिलवाने तथा मुकदमों का निर्णय स्पेशल जजों के द्वारा करवाने की भी व्यवस्था की गई है।

पुलिस के लिए अन्तर्राज्यीय बेतार के तार की व्यवस्था का विस्तार, लखनऊ, बम्बई, मद्रास, राजकोट और पोर्ट ब्लेयर तक कर दिया गया है। अन्य जगहों

में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कार्य शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और १९५३ के अन्त तक उसके पूर्ण हो जाने की आशा है ।

शस्त्र-कानून और नियम

भारतीय शस्त्र नियम, १९५१, सभी 'ख' राज्यों पर (जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर) १७ जुलाई १९५२ से लागू कर दिये गये हैं । इन नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के आवश्यक अधिकार भी इन राज्यों को दे दिये गये हैं ।

जैसे-जैसे शस्त्रों की सप्लाई की स्थिति सुधरी, भारत सरकार ने नवम्बर १९५२ से जनता को बन्दूक-पिस्तौल आदि देने पर से कन्ट्रोल उठा लिया ।

राइफल क्लबों के संस्थापन कार्य को प्रेरणा देने की दृष्टि से राज्यों की सरकारों को यह सलाह दी गई कि वह इस प्रश्न पर विचार करें कि क्लब की लाइसेन्स-फीस में कुछ रियायत दे दी जाए ।

दंड-व्यवस्था में सुधार

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ से डाक्टर वाल्टर सी० रेकलेस की जो कि अपराध-विज्ञान के एक विशेषज्ञ हैं, सेवाएँ प्राप्त कर ली हैं । उन्होंने बम्बई में, समाज-विज्ञान के टाटा इंस्टीट्यूट में अपराध-विज्ञान पर एक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम तथा जेल अधिकारियों के लिए सुधार-व्यवस्था-शिक्षण का प्रबन्ध किया था । इसके अतिरिक्त तमाम जेलों के इंस्पेक्टर जनरलों की एक अखिल भारतीय कान्फ्रेंस तथा कुछ राज्यों के परिवीक्षा (प्रोवेशन) अफसरों की भी एक कान्फ्रेंस बम्बई में की गई थी । भारत में सभी जगह एक ही परिवीक्षा (प्रोवेशन) प्रणाली रहे, इसलिए भारत सरकार नमूने के लिए एक अखिल भारतीय अपराधी-परिवीक्षा विधेयक पर विचार कर रही है ।

डाक्टर रेकलेस का काम डाक्टर गालवे ने चालू रखा । इनकी सेवाएँ भी संयुक्त राष्ट्रसंघ से उधार मांगी गई थीं । डाक्टर गालवे ने भी अनेक राज्यों का दौरा किया ताकि वह जेलों के निर्माण और विकास की योजनाएँ तैयार करने तथा परिवीक्षा (प्रोवेशन) सेवाएँ स्थापित करने और बाल-अपराधियों के लिए विशेष प्रकार की संस्थाओं का संगठन और सुधार करने में उनकी सहायता कर सकें ।

प्रेस

प्रेस कानून जाँच कमेटी तथा राज्य सरकारों को सिफारिश के आधार पर शरदकालीन अधिवेशन में एक प्रेस और किताबों का रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक १९५२, लोक सभा में पेश किया गया था। इस विधेयक के मुख्य कानून में ऐसा सुधार किया गया है कि वह इतिहासों पर भी लागू हो सके और छपाई या प्रकाशन में जो अस्थाई परिवर्तन करने हों, उसके लिए नई घोषणा (डिक्लेरेशन) करने की जरूरत न पड़े और यह भी कि कोई भी ऐसी घोषणा निरर्थक समझी जाएगी, यदि उसके बाद ३ महीने के अन्दर अखबार का प्रकाशन शुरू नहीं किया गया या किसी अखबार का प्रकाशन १२ महीने या उससे अधिक समय तक बन्द रहा।

विदेशी लोग

भारत और पाकिस्तान आने-जाने के लिए जो पहले परमिट प्रणाली थी, उसके स्थान पर १५ अक्टूबर १९५२, से पासपोर्ट तथा वीसा प्रणाली चालू कर दी गई है। परिणामस्वरूप १९५० के भारतीय पासपोर्ट नियमों में आवश्यक सुधार करने पड़े। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर तमाम स्वीकृत मार्गों पर पासपोर्ट जांच के लिए चौकियां बिठा दी गई थीं।

संसद में व्यापार और उद्योग विभाग के मंत्री ने आश्वासन दिया था और यह बताया था कि भारत सरकार की यह घोषित नीति है कि भारत में विदेशी और अर्ध-विदेशी व्यवसायों के कर्मचारियों का भारतीयकरण कर दिया जाएगा। इस साल सभी विदेशी कर्मचारियों की अर्जियों की, जो कि उन्होंने भारत में प्रवेश और अपने ठहरने की अवधि बढ़ाने के लिए दी थीं, खूब बारीकी से जांच की गई। केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर जहाँ कि यह स्पष्ट था कि ऐसी जगह जहाँ पर कि कोई विदेशी काम कर रहा है या करेगा, कोई उपयुक्त भारतीय काम करने के लिए नहीं मिल सकेगा या फिर जहाँ पर यह ख्याल था कि भारत में विदेशी कर्मचारी के आने से या उसको और अधिक दिन ठहरने की आज्ञा देने से, भारत को लाभ होगा, ऐसी अर्जियों पर विचार नहीं किया गया।

१ जनवरी १९५२ को, विदेशियों संबंधी नियमों १९३६, के अनुसार रजिस्टर्ड होकर ७०,३२६ विदेशी लोग भारत में रह रहे थे। इनमें मुख्य रूप से निम्न-लिखित देशों के लोग थे—चीनी २३,७६२; तिब्बती १०,७१५ अपगानः ६,२४४; अमेरिकन ५,६३१, ईरानी ४,४०१ और बर्मी ३,१२२। इसमें इन लोगों की गणना शुमार नहीं है— बच्चे जो कि १६ वर्ष की आयु के नीचे थे, राष्ट्रमंडल के देशों के नागरिक और विदेशीय राजदूत तथा अधिकारी जो कि अपना नाम दर्ज कराने को बाध्य नहीं थे।

संशोधित भारतीय नागरिकता विधेयक विचाराधीन है। और यह आशा की जाती है कि साल के अन्तिम भाग में वह संसद के आगे पेश किया जा सकेगा।

केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र

सन् १९५२ में पूर्वी बंगाल से आए हुए ५१ विस्थापित परिवारों को अन्दमान में बसाया गया। सन् १९५२-५३ में बस्ती बसाने की एक पंचवर्षीय योजना, जिसपर ४०३ लाख रुपया खर्च होगा, मंजूर की गई थी।

तदनुसार अन्दमान में २०,००० एकड़ जंगली भूमि को साफ किया जायेगा और उसे खेती के योग्य बनाया जाएगा। इस भूमि पर मुख्यतः धान की खेती के लिए पांच वर्षों की अवधि में लगभग ४,००० खेतिहर परिवारों को बसाया जाएगा। इसके अतिरिक्त २०,००० एकड़ पहाड़ी ज़मीन मकान बनाने, और फल तथा साग-सब्ज़ी के बगीचे लगाने के लिए काम में लाई जाएगी। हर एक परिवार को पांच एकड़ साफ की हुई धरती तथा पांच एकड़ जंगल से युक्त धरती दी जाएगी, साथ ही २,००० रुपया कर्जे के रूप में भी दिया जाएगा। यह बस्ती सहकारी आधार पर बसाई जाएगी। दिसम्बर १९५२ में जंगल साफ करने की योजना कार्यान्वित की गई। वर्तमान ध्येय यह है कि मई १९५३ तक ५०० एकड़ धरती साफ कर दी जाए और उसमें १०० विस्थापित परिवार बसा दिए जाएं। मार्च १९५४ तक और भी १,५०० एकड़ धरती साफ कर दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उपाध्यक्ष और डेरी अनुसन्धान संस्था, बंगलौर के निर्देशक की सिफारिश पर इस साल पोर्ट ब्लेयर की डेरी का फिर से संगठन किया गया।

सन् १९५२-५३ में टेबल आयलैंड, मायाबन्दर, लौंग आयलैंड, कारनिकोबार, नान काञ्चौरी और कौन्डूल में मौसम-सूचक केन्द्र खोले गये। ये केन्द्र बंगाल की खाड़ी तथा भारत के पूर्वी तट पर मौसम की भविष्य वाणी के लिए पूना को सूचना देते हैं।

अनुसूचित जातियां और जनजातियां

भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आयु और फीस के संबंध में जो खास रियायत दी जाती थी वह सन् १९५२ में भी चालू रखी गई। वास्तव में आयु की रियायत और भी बढ़ा दी गई थी। नान-गजेटेड नौकरियों में प्रवेश के लिए ३ साल से पांच साल तक आयु बढ़ा दी गई। आगे यह बात भी विचाराधीन है कि सरकारी नौकरियों में भरती की इन्हें अधिक सुविधाएं दी जाएं।

भाग 'क' और भाग 'ख' के राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सन् १९५२-५३ में लगभग १,७९,६५,००० रुपयों तथा भाग 'ग' राज्यों में १४,५५,५०० रुपयों का सहायक अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य के लिए सन् १९५३-५४ के बजट में भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों के लिए २,२५,००,००० रुपयों तथा भाग 'ग' राज्यों के लिए ३०,००,००० रुपयों की व्यवस्था भी की गई है।

सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी जातियों की दशा और अयोग्यता की जानकारी के लिए और उनके सुधार के उपाय बनाने के लिए इस वर्ष ११ सदस्यों का एक पिछड़ी-जाति-कमीशन भी नियुक्त किया गया।

आन्ध्र-राज्य

इस साल राजस्थान के चीफ़ जस्टिस श्री के० एन० वांचू को इस अभिप्राय से नियुक्त किया गया कि वे आन्ध्र राज्य के निर्माण में जो आर्थिक तथा अन्य बातें विचारणीय हैं, उन पर अपनी रिपोर्ट दें। इस आन्ध्र राज्य में (मद्रास शहर को छोड़कर) तेलगू भाषी भाग सम्मिलित होगा। वांचू साहब ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह भारत सरकार के विचाराधीन है।

मंत्रियों की तनख्वाह और भत्ते

१२ अगस्त १९५२ को मंत्रियों की तनख्वाह और भत्ता कानून, १९५२ को राष्ट्रपति ने मंजूर किया और उसके अनुसार मंत्रियों की तनख्वाह कानून, १९४७ रद्द कर दिया गया। इस नये कानून के मुताबिक प्रत्येक मंत्री को २,२५० रुपये और प्रत्येक उपमंत्री को १,७५० रुपये प्रति मास तनख्वाह मिलेगी। मंत्री और उपमंत्री दोनों को सजी-सजाई कोठी भी मुफ्त मिलेगी।

संघीय लोक-सेवा-आयोग

संघीय लोक-सेवा- आयोग ने सन् १९५२-५३ में भिन्न-भिन्न २५ परीक्षाएं लीं जिन के किये १७,५१२ उमीदवारों ने अजियां भेजी थीं। चालीस से अधिक विभागीय प्रमोशन-कमेटियों की अध्यक्षता के लिए आयोग ने अपने प्रतिनिधि भेजे। इसके अतिरिक्त आयोग का १६ ऐसे मामलों से सम्बन्ध रहा, जिनमें कमेटियां कागज़ों को इधर-उधर भेज कर किसी निर्णय पर पहुँचीं। सब मिलाकर, कुल ३,४२४ अपसरों के मामलों पर विचार किया गया।

सचिवालय के कर्मचारी

इस साल संसद की अनुमान-कमेटी का सिफारिश के अनुसार सचिवालय-कर्मचारी-कल्याण और सुविधा कमेटी बनाने की ओर कदम उठाया गया। ताकि सम्पूर्ण सचिवालय-स्टाफ के लिए साहित्यिक, सामाजिक, तथा मनोरंजक कार्रवाइयों की व्यवस्था की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह-मंत्रालय को खर्च के लिए ४५, ६०० रुपये दिये गये हैं।

राज्य

राज्य मन्त्रालय 'ग' भाग के राज्यों अर्थात् भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल-प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और बिन्ध्य-प्रदेश और आम तौर से 'ख' भाग के राज्यों के प्रशासन से सीधा सम्बन्ध रखता है। सन् १९५२-५३ में इस मंत्रालय ने निम्नलिखित मुख्य कार्य किये :—

‘ख’ राज्यों में लोकतन्त्रात्मक शासन की स्थापना के कार्य को पूरा करना, कुछ ‘ग’ राज्यों में विधानमण्डलों तथा मन्त्रालयों की स्थापना करना तथा राज्यों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को पूरा करना ।

भाग ‘ग’ राज्य

भाग ‘ग’ राज्य शासन कानून १९५१ के अनुसार हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश और भोपाल राज्य में आम चुनाव के तुरन्त बाद मन्त्रपरिषद स्थापित करने के प्रबन्ध किये गये । तदनुसार मार्च १९५२ में इन राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्री नियुक्त किये गये । उसी कानून के अनुसार २७ जुलाई १९५२ को कच्छ राज्य में सलाहकार परिषद स्थापित की गई । इस प्रकार की परिषदें मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में भी स्थापित की जावेंगी ।

इसके अलावा १ अप्रैल १९५२ से अजमेर, भोपाल, कुर्ग, देहली, हिमाचल-प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में इस कानून की धारा १६ को लागू किया गया । उसी तारीख को दोहरी-सदस्यता-निषेध (‘ग’ राज्य) नियम १९५२ भी प्रकाशित किये गये ।

बढ़े हुए अधिकार

कानून के अनुसार हिमाचल-प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश व भोपाल में मन्त्र परिषद तथा विधान सभाओं के स्थापित हो जाने से लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों तथा चीफ कमिश्नरों को ११ अप्रैल १९५२ से अधिक वित्तीय अधिकार दिये गये और उनको इन राज्यों की कुछ सेवाओं के सम्बन्ध में, जो कि अब केन्द्रीय सेवायें हैं, कुछ अधिकार तथा कर्तव्य सौंपे गये ।

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर इन अधिकारों और कार्यों को प्रयोग करते समय मन्त्रपरिषद की सलाह लेंगे । इसके अलावा वे उन विषयों पर संविधान के अनुच्छेद ३२० की व्यवस्थाओं के अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग की सलाह लेंगे जिन पर संविधान के अनुसार आयोग से सलाह लेना आवश्यक होगा । अब इस बात पर विचार हो रहा है कि उनको और भी अधिकार दे दिये जायें, जिससे भारत सरकार से बार-बार न पूछना पड़े ।

शासन-व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश व भोपाल में विधान मण्डलों और मन्त्रि-परिषदों की स्थापना से उन राज्यों की शासन प्रणाली में कुछ हेर फेर की आवश्यकता हुई। इन तीनों राज्यों में चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किये गये और सचिवालय और विशेष रूप से विधान सभा से सम्बन्धित विभाग को बहुत कुछ बढ़ाया गया। केन्द्र से अनुभवी कर्मचारी भेजे गये जिन्होंने विधान सभाओं की स्थापना करने तथा काम करने के नियम बनाने का प्रारम्भिक कार्य किया।

त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में शासन प्रणाली को पुनर्गठित करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इनमें वहां के कर्मचारियों के वेतनों के बढ़ाने का आयोजन है। बड़े हुए वेतन आसाम व पश्चिमी बंगाल में प्रचलित वेतनों के समान होंगे। विन्ध्य-प्रदेश में भारत सरकार के एक अफसर ने इस विषय में छानबीन की। उसकी सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

इस वर्ष भोपाल में एक कृषि विभाग स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इससे उस राज्य के विभिन्न विभागों का पुनर्गठन पूरा हो गया। हिमाचल-प्रदेश व कच्छ में पुनर्गठन क्रमशः १९४८-४९ व १९४९-५० में ही पूरा हो गया था। कच्छ में बम्बई राज्य के वेतन लागू किये गये और सौराष्ट्र के वेतन, जो बीच के समय में लागू किये गये थे, समाप्त कर दिये गये।

सहायता अनुदान

सन् १९५२-५३ में भारत सरकार ने हिमाचल-प्रदेश, भोपाल और विन्ध्य-प्रदेश को अनुदान देने की स्वीकृति दी, जिससे उनके बजट की कमी पूरी हो सके व उनके स्थिर कोष में बचत भी बनी रहे। १९५३-५४ को हिमाचल प्रदेश को ६५ लाख रुपये, भोपाल को ११२ लाख और विन्ध्य प्रदेश को १२० लाख रुपये का अनुदान देने का सुझाव रखा गया है। इसके अलावा विन्ध्यप्रदेश को ५० लाख रुपये का अनुदान

जो वहाँ के वेतनों की दर संशोधित किये जाने और सेवाओं के पुनर्गठन के कारण हुए बकाया व चालू खर्च को पूरा करने के लिए और दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त रियासतों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हिमाचल प्रदेश को ५१.४६ लाख, भोपाल को ५१.७५* लाख और विन्ध्य-प्रदेश को ६५.४४ लाख रुपये देने की केन्द्रीय बजट में व्यवस्था की गई है ।

मेमोरैण्डम

सन् १९५३ के प्रारम्भ में ही भाग 'ग' राज्य के मुख्यमन्त्रियों ने भारत सरकार के सम्मुख एक मेमोरैण्डम उपस्थित किया जिसमें उन्होंने और चीजों के अलावा निम्नलिखित सुझाव दिये :—

१. लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों तथा चीफ कमिश्नरों के अधिकार बढ़ा दिये जायं, जिनको वे मन्त्रियों की सलाह से काम में ला सकें ।
२. सामान्य लोकसेवा आयोग तथा गजेटेड अफसरों के लिए एक सामान्य संवर्ग स्थापित किया जाये ।
३. 'ग' राज्यों की सरकारों को अपना पूंजीगत बजट बनाने की अनुमति मिले जिसमें पंचवर्षीय योजना के अधीन जो योजनाएँ बनाई जायेंगी, उनका व्यय भी सम्मिलित होगा ।
४. कुछ 'ग' राज्यों के लिये ग्राम उच्च-न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये ; और
५. कार्य नियमों में संशोधन होना चाहिये जिससे कि मन्त्रालयों को अधिक अधिकार मिल सकें ।

केन्द्रीय सरकार इस मेमोरैण्डम पर विचार कर रही है ।

*इसके अलावा भोपाल को ३३.४० लाख रुपये व विन्ध्य-प्रदेश को ५० लाख रुपये अन्न खरीदने के लिये अलग से दिये गये हैं ।

पंचवर्षीय-योजना

योजना कमीशन ने हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश, भोपाल, कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों की विकास योजनाओं पर बुल मिला कर लगभग २,२०८ लाख रुपये खर्च करने का निश्चय किया ।

‘ख’ राज्य

सन् १९५२ के आम चुनाव के पश्चात् कांग्रेस पार्टी ने ट्रावनकोर-कोचीन और पेप्सू को छोड़ कर सभी राज्यों के विधान मण्डलों में बहुमत प्राप्त किया । ट्रावनकोर-कोचीन और पेप्सू की विधान सभाओं में सब से बड़ा दल कांग्रेस का ही था । तदनुसार कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों में मन्त्रिमण्डल स्थापित किये । सभी राज्यों में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल कायम रहे पर पेप्सू में कांग्रेस पार्टी की शक्ति में कमी आ जाने के कारण कांग्रेस मन्त्रिमण्डल को २२ अप्रैल १९५२ को इस्तीफा दे देना पड़ा । उसके पश्चात् सरदार ज्ञानसिंह रेडेवाला ने, जो कि यूनाइटेड पार्टी के नेता थे, मन्त्रिमण्डल बनाया । फरवरी १९५३ में वहां की राजनैतिक परिस्थिति इतनी डांवाडोल हो गई कि राष्ट्रपति को वहां की राज्य-व्यवस्था विधान की धारा ३५६ के अनुसार ४ मार्च १९५३ को अपने हाथों में लेनी पड़ी, और राज्य की विधान सभा भंग कर दी गई । राष्ट्रपति द्वारा लिये गये अधिकारों और तमाम कार्यों को पेप्सू के राज-प्रमुख उस सलाहकार की सलाह से संभालते हैं, जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है । लेकिन उन अधिकारों और कार्यों पर राष्ट्रपति का निरीक्षण, आदेश तथा नियन्त्रण है ।

परामर्श-दाता

आम चुनावों के पश्चात्, घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैसूर के अतिरिक्त अन्य सब ‘ख’ भाग के राज्यों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया । इन राज्यों को स्थायी और कुशल शासन व्यवस्था को स्थापना करना, उचित वित्तीय प्रणालियों को चालू करना शांति एवं तथा व्यवस्था की स्थापना करना होगा है । अतएव यह बात आवश्यक समझी गई कि भारत सरकार शासन एवं वित्त सम्बन्धी प्रमुख मामलों पर परामर्श देने के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके इन राज्यों को सहायता देती रहे । इस प्रकार सन १९५२-५३ में हैदराबाद, पेप्सू व राजस्थान में परामर्शदाता-

काम करते रहे। १९५२ के अन्त में सौराष्ट्र का प्रादेशिक कमिश्नर वापस बुला लिया गया। मध्यभारत में परामर्शदाता को अन्य कार्य सौंप दिया गया।

उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश

भाग 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेन्शन, छुट्टियां, दौरे के भत्ते इत्यादि के लिये इस समय एक से नियम नहीं हैं। उनके वेतन भी प्रत्येक राज्यों में भिन्न भिन्न हैं और 'क' राज्यों के न्यायाधीशों के लिये विधान ने जो वेतन तय किये हैं, उनकी अपेक्षा कम हैं। अभी वेतन को समान करने में कुछ समय लगेगा, परन्तु इसी बीच में यह आवश्यक समझा गया है कि पेन्शन, छुट्टियां, दौरों आदि के नियम भी एक समान हों और जहाँ तक सम्भव हो वे लगभग वैसे ही हों जैसे कि 'क' राज्यों के न्यायाधीशों पर लागू हैं। इन नियमों के विषय में भारत सरकार जांच करने के पश्चात् जिस अस्थाई परिणाम पर पहुँची है, उन्हें राज्य सरकारों के पास उनके विचार को जानने के लिये भेज दिया गया है।

आर्थिक सहायता

जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है भारत सरकार ने 'ख' राज्यों की आर्थिक समस्याओं और बजट से अपना सम्बन्ध बनाये रक्खा और समय समय पर राज्य सरकारों को सलाह व सहायता भी दी। भारत सरकार से भाग 'क' राज्यों और भाग 'ग' राज्यों को प्रायः अधिक अन्न उपजाओं, नदीवाटी योजना, सिंचाई, अभाव-ग्रस्त भागों को सहायता आदि कार्यों के लिये आमतौर पर आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सन् १९५१-५२ में 'ख' भाग के कम विकसित राज्यों— मध्यभारत, सौराष्ट्र, राजस्थान और पेप्सू को ३ करोड़ रुपये सहायतार्थ दिये। ये अनुदान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेष योजनाओं के लिये योजना-कमीशन की सलाह से दिये गये थे।

सन् १९५२ के अन्तिम भाग में राजस्थान की सरकार को कठिन परिस्थितियों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कारण इस कठिनाई पर विजय पाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को १५० लाख रुपये पेशगी दिये।

१९५३-५४ के केन्द्रीय बजट में 'ग' राज्यों की पूंजीगत विकास योजनाओं के लिये ५० लाख रुपये मध्यभारत को, ७५ लाख रु० सौराष्ट्र को, १०० लाख रु० मैसूर को, १०० लाख रु० राजस्थान को, १५० लाख ट्रावनकोर-कोचीन को और ३०० लाख रुपये हैदराबाद को ऋण के रूप में सहायता देने की व्यवस्था की गई।

जम्मू और काश्मीर राज्य

२१ अगस्त १९५२ को जम्मू और काश्मीर राज्य की संविधान सभा ने राज्य के अध्येक्ष के बारे में एक प्रस्ताव पास किया। राज्य की संविधान सभा ने युवराज श्री करणसिंह को सदर-ए-रियासत चुना, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। युवराज ने १७ नवम्बर १९५२ को पद भार संभाला।

सदर-ए-रियासत का चुनाव भारत सरकार और जम्मू तथा काश्मीर सरकार के बीच किये गये समझौते के अनुसार था। जुलाई १९५२ में प्रधान मन्त्री ने इस समझौते को संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया। समझौते की अन्य शर्तों को, जिनका सम्बन्ध संविधान की नागरिकता, मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र आदि व्यवस्थाओं के जम्मू और काश्मीर पर लागू कियेजाने से है, अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये सब व्यवस्थाएं उस नए संविधान में कर दी जायेंगी, जिसे राज्य की संविधान सभा बना रही है। २१ अगस्त १९५२ को एक प्रस्ताव द्वारा सभा इस समझौते को स्वीकार करने की सम्मति दे चुकी है।

भूमि सुधार

राजस्थान जागीर उन्मूलन कानून और मध्यभारत-जागीर उन्मूलन कानून सन् १९५१-५२ में बनाये गये थे। दोनों ही राज्यों में उनके विरुद्ध कानूनी विरोध हो जाने के कारण वे लागू न किये जा सके। राजस्थान में कानून का विरोध करते हुए जागीरदारों द्वारा अदालत में अर्जियां पेश करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने एक निषेध आज्ञापत्र निकाल कर सरकार को तब तक के लिये कानून लागू करने से रोक दिया जब तक कि

अर्जियों पर कोई फैसला न हो जाये । मध्यभारत के उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रमाणित बताया : परन्तु जागीरदारों के उच्चतम न्यायालय में अपील कर देने से उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष आज्ञा निकाल कर राज्य सरकार को तब तक कानून लागू करने से रोक दिया, जब तक कि अपीलों पर कोई निर्णय न दे दिया जाय ।

हैदराबाद में राज्यों और किसानों के बीच जमींदारी उन्मूलन का कार्य शुरू हो गया है । अब राज्य की सरकार योजना कमीशन की सिफारिशों के अनुसार खेती के आकार को निश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

सन् १९५२-५३ में सौराष्ट्र में किये गये भूमि के सुधार के सम्बन्ध में ये कानून पास किये— सौराष्ट्र भूमि सुधार कानून १९५१, बरखाली उन्मूलन कानून १९५१ तथा सौराष्ट्र सम्पत्ति प्राप्ति कानून १९५१ ।

इन कानूनों को लागू करने में सौराष्ट्र सरकार ने काफी प्रगति की है । इस वर्ष १३,६२० गिरासदारों ने अर्जियां पेश की हैं, जिनमें उन्होंने अपने जोतने के लिये भूमि मांगने की प्रार्थना की है । इसमें से १०,५१७ अर्जियों पर निर्णय हो चुका है, जिसके फलस्वरूप २३९ 'क' दर्जे के, १,६३५ 'ख' दर्जे के तथा ५,२३९ 'ग' दर्जे के गिरासदारों की निजी जुताई करने के लिए लगभग १,७४,९८८ एकड़ भूमि दी गई है । इस कानून के अनुसार उनको लगभग २,९३,४११ एकड़ भूमि पर मौरूसी अधिकार भी दिये गये हैं ।

इनके अलावा गिरासदारों के असामियों की मौरूसी अधिकार प्राप्त करने के लिये दी गई २४,०२५ अर्जियों पर भी निर्णय हो चुका है, और उन्हें १,३९,५०० एकड़ भूमि पर मौरूसी अधिकार मिल गया । बरखालीदारों को खुदकाशत के लिये भी २९,८५५ एकड़ भूमि दी गई है । उनके असामियों की मौरूसी अधिकारों के सम्बन्ध में १५,९५५ अर्जियों पर निर्णय हो चुका है और उन्हें लगभग २६,९७८ एकड़ भूमि पर मौरूसी अधिकार प्राप्त हो गया है ।

पेप्सू में भूमि की पट्टेदारी व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव पेश करने के लिए भारत सरकार ने जो समिति बैठाई थी, उसने जून १९५२ में अपनी रिपोर्ट पेश की । पेप्सू सरकार ने इन सिफारिशों को साधारणतया स्वीकार

कर लिया है और एक कानून भी बनाया जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:— आला मालिकियत अधिकारों का उन्मूलन, असांभयों के द्वारा जमींदारों को देने के लिये लगान निश्चित करना, गैर कानूनी बेदखली से बचना, भौखसी किसानों को अपने खेतों का मालिकाना हक और खेतों के आकार को सीमित करना । २७ फरवरी १९५३ को इस कानून के सिद्धान्तों पर विचार करने के लिये आयोजन कमीशन ने पेंसू सरकार और राज्य के कानून और कृषि मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन ने इन सिद्धान्तों को आमतौर से स्वीकार कर लिया है ।

विन्ध्य-प्रदेश और भोपाल में जमींदारी उन्मूलन की समस्या पर विचार किया जा रहा है । विन्ध्यप्रदेश की सरकार ने जागीरदारी और पवाई के उन्मूलन के लिए विधान सभा में एक बिल भी पेश किया है । इसमें जागीर और पवाई भूमि के सरकारी अधिकार में लिये जाने की व्यवस्था है । जागीरदारों का खुदकाश्त भूमि पर और निजी कुआँ, पेड़ों, इमारतों, मकानों, खुली जगहों, तालाबों व बाग बगीचों पर भी अधिकार बना रहेगा ।

भोपाल में जागीरदारी प्रथा की छानबीन करने और उसपर रिपोर्ट देने के लिये एक विशेष अफसर नियुक्त किया गया । इस अफसर द्वारा की गई सिफारशों का भोपाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है । जागीरदारों के उन्मूलन के लिये एक बिल का मसविदा भारत सरकार के पास भेजा गया है । यह बिल जागीरदारों का क्रमिक आधार पर मुआवजा देने की व्यवस्था करता है । जो भूमि जागीरदारों को खुदकाश्त करने के लिये दी जावेगी, उसका क्षेत्रफल भी निर्धारित किया जावेगा ।

वैधानिक कार्य

सन् १९५२-५३ में राज्यमन्त्री ने संसद में दो बिल पेश किये । पहले का सम्बन्ध हैदराबाद की मुद्रा के विमुद्रीकरण से है । इस बिल से हैदराबाद का वह कानून रद्द हो जायेगा, जो बड़े नोटों को स्थानीय सिक्कों और एक रुपये के नोटों में बदलने के लिये बाध्य करती है । इसमें यह भी व्यवस्था है कि ३ वर्ष तक ये नोट कानूनी सिक्के माने जायें, लेकिन इन्हीं शर्तों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार लगाएगी । दूसरा बिल ट्रावनकोर-कोचीन-उच्च

न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक डिविजन बेंच स्थापित करने की व्यवस्था करता है, जिनका क्षेत्राधिकार ट्रावनकोर जिले में होगा ।

१९५२-५३ में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत ४० बिलों के अतिरिक्त राज्य मन्त्रालय में भाग 'ख' राज्यों से ४० बिल जांचपड़ताल और स्वीकृति के लिये भी आए । संवर्ती क्षेत्रों में कानून बनाने के बारे में भारत सरकार व भाग 'क' और 'ख' राज्यों की सरकारों के बीच एक ऐसी प्रथा जारी हो गई है कि ऐसे कानूनों को बनाते समय सलाह ली जायेगी । इसका उद्देश्य समस्त भारत में कानूनों में समानता बनाये रखना और कानून के लागू रखने के अनुभव को एक दूसरे के लिये उपलब्ध बनाने के बारे में विचारों का आदान प्रदान करना भी होगा ।

भाग 'ग' राज्य कानून १९५१ ने हिमाचल प्रदेश, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल राज्यों के लिये कानून बनाने की प्रणाली में एक परिवर्तन ला दिया । यह कानून इन राज्यों को राज्य संवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है, परन्तु शर्त यह है कि ऐसा कानून संसद द्वारा बनाये गये कानूनों में कोई संशोधन व उनका उल्लंघन न करता हो । इसके अलावा इसमें भाग 'ग' राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पास किये गये समस्त बिलों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने की व्यवस्था की गई है । सन् १९५२-५३ में राष्ट्रपति ने भाग 'ग' राज्यों के २० बिलों पर स्वीकृति दी ।

त्रिपुरा, मणिपुर, कच्छ और बिलासपुर में भाग 'क' के राज्यों में चालू उपयुक्त कानूनों को लागू करने का पुराना तरीका जारी रहा । इस प्रकार सन् १९५२-५३ में इन रियासतों में भाग 'क' राज्य के सात कानून लागू किये गये ।

विधि और व्यवस्था

इस वर्ष राजस्थान और सौराष्ट्र में डाकुओं के उपद्रवों, मध्यभारत में श्रमिकों की कठिनाइयों, कमी की हालतों, जमींदारों और किसानों के सम्बन्ध और पेप्सु में कम्युनिस्टों की हरकतों तथा किसान-सम्बन्धी अशान्ति के कारण विधि और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया । इन परिस्थितियों का सामना करने के लिये पुलिस की शक्ति बढ़ाई गई । जिन लोगों के बारे में डाकुओं को शरण

तथा धन, हथियार व गोला बारूद देने का पता चला, उनपर निवारक निरोधकानून लागू किया गया। नागरिकों को ग्राम प्रतिरक्षा सभाएं बनाने और धनी लोगों को फौज से निकाले हुए अच्छे चाल-चलन के पुरुषों को हथियार बन्द चौकीदार रखने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

इसी समय नियमित प्रशिक्षण, गुप्तचर सेवाओं में सुधार तथा आधुनिक सामान के द्वारा पुलिस की निपुणता व आदर्श में भी वृद्धि की गई। डाकुओं से मुठभेड़ में जो सिपाही मारे जाते थे, उनके आश्रितों को पेंशन तथा रूति देने के नियम और उदार कर दिये गये। तत्पश्चात् राजस्थान में भारतीय-हथियार कानून और नियम भी लागू किये गये और उनके ठीक-ठीक लागू होने के लिये हथियारों की गणना की गई। जिन लोगों पर डाकुओं को शरण तथा सहायता देने का देह किया जाता था, उनको दंड देने के लिये उन गांवों में अतिरिक्त पुलिस का प्रबन्ध किया गया। उन गांवों में जहां डाकुओं का प्रकोप था, अपराधों को रोकने के लिये पंचायतों की स्थापना की गई।

क्षेत्रों का समायोजन

भारतीय शासन विधान १९३५ की धारा २६० 'ए' के अनुसार गवर्नर-जनरल द्वारा २५ जनवरी १९५० के जारी किये गये एक आदेश और २६ जनवरी १९५० को विधान के लागू हो जाने के फलस्वरूप सिरोही राज्य के आबू रोड और दिलवारा तहसीलों के बहुत से गांव बम्बई राज्य में मिला दिये गये। सिरोही राज्य का शेष भाग राजस्थान में मिला दिया गया। इस निर्याय से राजस्थान के लोकप्रिय नेताओं को सन्तोष नहीं हुआ। इस कारण अक्टूबर १९५१ में राज्य मन्त्री ने संसद में एक घोषणा की कि आम चुनाव के बाद इस विषय पर अधिक विचार करने का भारत सरकार ने निश्चय किया है।

२२ अप्रैल १९५२ को राजस्थान की विधान सभा ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह विचार प्रगट किया गया कि विधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत राजस्थान के आबू और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को राजस्थान राज्य में मिलाने का कार्य जल्दी से जल्दी किया जाये। जनवरी १९५० में हुए निर्याय पर बम्बई सरकार पुनः विचार करने के पक्ष में नहीं है, परन्तु उससे इस विषय को राज्य के विधान मंडल में उसके विचारों के लिये पेश करने को

कहा गया। बम्बई राज्य के विधान मंडल के विचारों को जानने के बाद इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया है।

१८ अगस्त १९५२ को भारत सरकार, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, पेप्सु और राजस्थान राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बिलासपुर राज्य के भविष्य तथा उसके भाकरा-नांगल योजना से सम्बन्ध पर विचार किया गया। सम्मेलन में निम्नलिखित निष्णय हुए:—

(१) भाकरा-नांगल-योजना का निर्माण तथा भविष्य में उसका प्रबन्ध एक कानूनी संस्था के नियन्त्रण में होगा, जो शीघ्र ही स्थापित की जायेगी।

(२) उसमें उससे सम्बन्धित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होगा, जिसे कानून के द्वारा आवश्यक अधिकार दिये जायेंगे और

(३) इस संस्था की स्थापना के बाद बिलासपुर हिमाचलप्रदेश में मिला दिया जायेगा।

उस्मानिया विश्व-विद्यालय

सन् १९५२ के प्रारम्भ में भारत सरकार ने निश्चय किया कि उस्मानिया विश्व-विद्यालय का, दक्षिण में उसकी केन्द्रीय स्थिति, उसके अनुभव तथा परम्परा को ध्यान में रखते हुए, एक केन्द्रीय संस्था में बदल दिया जाये और उसकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो तथा उसका कार्य बनारस, अलीगढ़, और दिल्ली विश्व-विद्यालयों की भांति चलाया जाये। तदनुसार अप्रैल १९५२ में परिवर्तन के कार्य को करने के लिये एक समिति स्थापित की गई। १९५२ में हैदराबाद की विधानसभा ने इस विषय पर विचार किया और सबकी राय हुई कि इस प्रस्ताव के पहलुओं पर शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा सबसे पहले विचार किया जाये। तदनुसार भारत सरकार ने आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की, जो सारी समस्याओं की जांच करेगी। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्यभारत की राजधानी

मध्यभारत की राजधानी कहां स्थापित की जाये, इस विषय में काफी मतभेद रहा है। ग्वालियर, इन्दौर और उज्जैन के लिये विरोधी दावे पेश किये गये। जुलाई १९५१ में मध्यभारत की मंत्रीपरिषद ने प्रधानमंत्री से इस प्रश्न

का निर्णय करने की प्रार्थना करने का निश्चय किया। इसके अनुसार प्रधान-मन्त्री ने इन सब बातों पर विचार करते हुए ग्वालियर में वर्ष में सात से साढ़े सात माह व इन्दौर में साढ़े चार से पांच माह तक राजधानी रखने का निर्णय दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उज्जैन को शिक्षा व संस्कृति का केन्द्र बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये।

कानून

सन् १९५२-५३ के आरंभ में आय-कर-अपीली-अदालत की, जिसकी स्थापना भारतीय आयकर कानून १९२२ के अधीन की गई थी, आठ बैंचें थीं। इनमें से हर एक बैंच में एक जज और एक एकाउंटेंट होता है। इनमें से दो बैंच बम्बई में, दो मद्रास में और बाकी चार इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली और पटना में हैं। इन आठ में से छह बैंचों को स्थाई रूप से स्वीकृति मिली है और दो को केवल फरवरी १९५४ के अंत तक के लिये, जम्मू और काशमीर को छोड़ देश के बाकी सभी इलाके, अदालत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

पौजदारी-कानून-संशोधन-अध्यादेश १९४३ के अधीन घूसखोरी और अष्टाचार के मामलों को निबटाने के लिये जो तीन विशेष अदालतें बनाई गई थीं, उनमें से दो—बम्बई और कलकत्ता की अदालतों ने अपना काम क्रमशः २४ अप्रैल १९५० और २६ मई १९५० को खत्म कर दिया। शिमला में पूर्वी पंजाब विशेष अदालत को भंग करने में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें किये जाने; कार्रवाई रोक देने के सम्बन्ध में स्टे-आर्डर की अर्जियां देने और ब्रिटेन और बर्मा में कमीशन पर कुछ गवाहों की गवाही लेने के कारण देर हो गई। ब्रिटेन में कमीशन का काम अक्टूबर १९५२ में खत्म हो गया। बर्मा का कमीशन भी जल्दी ही जारी किया जायेगा। अदालत ने अपने काम का काफी भाग खत्म कर लिया है और यह सन् १९५३ के मध्य तक बाढ़ायदा तौर पर खत्म किया जा सकता है।

कानून-मंत्रालय के एक ज्वाइंट-सेक्रेटरी केन्द्रीय-पेंशन-अपील-अदालत के एकमात्र सदस्य बने रहेंगे। वह पेंशन-अपील अदालतों की दूसरी अपीलों की सुनवाई करते हैं। अनुमान है यह काम सन् १९५३-५४ के माली वर्ष के अन्त से पहले ही खत्म हो जायेगा।

संविधान-सम्बन्धी ब्रांच

यह ब्रांच पहली मार्च सन् १९४६ को कानून-मन्त्रालय में खोली गई थी । इसका काम संविधान से संबंध रखनेवाले आम-प्रश्नों को निवटाना, संविधान के अधीन राष्ट्रपति के आदेश जारी करना और संसद, राज्य विधान मंडलों, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का काम संभालना है । यह ब्रांच पहली सितम्बर १९५२ को खत्म कर दी गई क्योंकि इसका काफी काम खत्म हो चुका था । सन् १९५२ के परिसीमन-आयोग-कानून (१९५२ के LXXXI) की तीसरी धारा के अनुसार भारत सरकार ने २२ जनवरी सन् १९५३ में परिसीमन-कमीशन बनाया । आशा है कमीशन अक्टूबर १९५३ के अन्त तक अपना काम खत्म कर लेगा ।

वैधानिक-कार्य

विधान के क्षेत्र में, कानून-मन्त्रालय का काम विशेष-विवाह-बिल १९५२ और सन् १९५२ के हिंदू-विवाह और विवाह-विच्छेद बिल के काम को और आगे बढ़ाना होगा । दूसरा बिल हिंदू कोड बिल की पहली किश्त है । इसके अलावा, मन्त्रालय पर जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) बिल और रिपीलिंग और एमेंडिंग-बिल को पेश करने और उसे पास कराने की जिम्मेदारी होगी । पहले बिल में जन-प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने की व्यवस्था है और दूसरे बिल में भारत सरकार के कुछ ऐसे कानूनों को रद्द करने की व्यवस्था की गई है जो बेकार हो गये हैं । साथ ही इसमें कई दूसरे कानूनों में संशोधन करने की भी व्यवस्था की गई है । सन् १९५३-५४ में यह मन्त्रालय हिंदू-कोड-बिल के दूसरे भागों के बारे में आवश्यक बिल पेश करने का काम करेगा ।

अखिल-भारत वकील समिति

वकीलों की अखिल-भारत-समिति की नियुक्ति भारत-सरकार ने दिसम्बर १९५१ में की थी । इसका उद्देश्य इस बात की जाँच करना है कि देश भर के लिये वकीलों की एक संस्था बनाना कहां तक उचित होगा । साथ ही यह इससे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे मामलों पर भी विचार करेगी । आशा है यह समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को पेश कर देगी ।

केन्द्रीय एजेन्सी शाखा

सन् १९५२-५३ के आरम्भ में, केन्द्रीय एजेन्सी-शाखा में एक सरकारी-एजेन्ट, एक उप-सरकारी एजेन्ट, एक सहायक सरकारी एजेन्ट और कुछ कर्मचारी थे। इसकी स्थापना अगस्त सन् १९५० में हुई थी। यह शाखा उन मामलों को निपटाने के लिये बनाई गई थी जो सुप्रीम-कोर्ट के सामने पेश हों और जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकारें दिलचस्पी रखती हों। चूंकि सरकार को सुप्रीम-कोर्ट के सामने अलग-अलग मामलों के लिए वकील की फीस के तौर पर भारी खर्च वहन करना पड़ता था, इसलिये, यह उचित समझा गया कि सुप्रीम-कोर्ट के सरकारी-काम के लिये एक जूनियर-एडवोकेट रखा जाय। इसके अनुसार नवम्बर सन् १९५२ में सरकारी-एजेन्ट के पद को सरकारी-एडवोकेट; और उप-सरकारी एजेन्ट के पद को सरकारी एजेन्ट के पद में बदल दिया गया। सरकारी-एडवोकेट, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की श्रोर से फौजदारी के मामलों विशेषकर बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की अर्जियों की सुनवाई करता और दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने जूनियर एडवोकेट की तरह पेश होता है। वह सिर्फ उन्हीं मामलों में नहीं आता जहां राज्य-सरकार एक विशेष-वकील चाहती है। सरकारी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के लिये अतिरिक्त-फीस प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

सूचना एवं प्रसार

प्रेस-कमीशन

भारत सरकार ने अक्टूबर सन् १९५२ में प्रेस-कमीशन नियुक्त किया था। यह कमीशन भारत में प्रेस (अखबारों) की हालत की जांच करेगा और इस बारे में सुझाव देगा कि भविष्य में इसका विकास कैसा होना चाहिए। कमीशन के सदस्यों की संख्या दस है और जस्टिस श्री राज्यध्वज इसके अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में संसद के सदस्य और प्रमुख पत्रकार शामिल हैं। कमीशन को जिन विषयों पर विचार करना है, वे काफी व्यापक हैं। हाल में ही कमीशन ने

अखबारों, पत्रिकाओं, सम्पादकों की संस्थाओं, पत्रकारों की संस्थाओं और विज्ञापन की एजेन्सियों आदि को एक प्रश्नावली भेजी है जिसमें बहुत सी बातें पूछी गई हैं। आशा है इसकी रिपोर्ट अक्टूबर के अन्त तक तैयार हो जाएगी।

आल इंडिया रेडियो

सन् १९५२-५३ में पंच वर्षीय-योजना के एक अंग के रूप में रेडियो शाखा के विकास के लिए ४३.२६,००० रूपए की मंजूरी दी गई। रेडियो के खर्च में कमी की गई पर फिर भी आल इंडिया रेडियो से सन् १९५२ में कुल मिलाकर ७४,६४० घंटे कार्यक्रम चला जबकि सन् १९५१ में ७३.०७२ और सन् १९५० में ६४ ५२६ घंटे कार्यक्रम चला। अब होम-सर्विस में १६ भाषाओं जिनमें संस्कृत भी शामिल है, और २० बालियों में ब्राडकास्ट होता है। उधर, एकसटर्नल सर्विसेज में १४ भाषाओं में ब्राडकास्ट हो रहा है।

संगीत

रेडियो कार्यक्रम बढ़ाने के साथ-साथ, उसकी किस्म सुधारने के भी प्रयत्न किए गए। इसलिए, उत्तर और दक्षिण भारत के शास्त्रीय और हल्के शास्त्रीय-संगीत ब्राडकास्ट करने वाले कलाकारों का चुनाव करने और उनके ग्रेड (दर्जा) निश्चित करने के काम में आल इंडिया रेडियो को सहायता देने के लिए एक सलाहकार-मंडल बनाया गया।

इसके साथ ही, हल्के संगीत के स्तर में भी सुधार किया जा रहा है। फिल्मी संगीत (गानों) के कार्यक्रम का समय कम कर दिया गया है और इस प्रकार जो समय बच जाता है, उसमें ऐसा हल्का-संगीत ब्राडकास्ट किया जाएगा जो संगीत-कला के स्वीकृत नियमों के अनुरूप होगा।

साथ ही ऐसे नए रागों के प्रचार के लिए जिनका धीरे-धीरे प्रयोग कम हो रहा है, दिल्ली से इतवार के सबेरे शास्त्रीय-संगीत का एक विशेष कार्यक्रम ब्राडकास्ट किया जाता है।

इस वर्ष आल इंडिया रेडियो ने दिल्ली से एक राष्ट्रीय-संगीत-कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य जनता की सांस्कृतिक-एकता का विकास करना है। यह कार्यक्रम आल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशन रिले करते हैं। इसमें हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत, दोनों के विख्यात संगीतज्ञ भाग लेते हैं।

इसके अलावा आल इण्डिया रेडियो ने महत्वपूर्ण समारोहों, और सम्मेलन की कार्रवाईयों को प्रसारित किया जैसे सांची का अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक सम्मेलन, सारिपुत्र और महामोगल्लायन के पवित्र-अवशेषों की उनके मूल स्थानों तक की यात्रा, गणराज्य दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयन्ती आदि। पंच-वर्षीय-योजना पर प्रधान-मन्त्री और राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों के रेडियो-भाषण प्रसारित करने की भी व्यवस्था की गई।

समितियां

आल इण्डिया रेडियो को संगीत और दूसरे कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए इस वर्ष दो समितियां बनाई गईं। इसके अलावा एक सलाहकार मंडल बनाया गया है जो कलाकारों की संगीत ब्राडकास्ट करने की योग्यता की जांच करेगा। हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर विचार करने के लिए इस मंडल को दो भागों में बांट दिया गया है जो इस प्रकार हैं— उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। इनके अलावा २० कार्यक्रम-सलाहकार-समितियां १३ ग्राम-सलाहकार-समितियां और ४ सलाहकार-मंडल हैं जो आल इण्डिया रेडियो के भिन्न-भिन्न स्टेशनों से शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित करने में सहायता देते हैं।

आल इण्डिया रेडियो की सम्पर्क-समिति की सिफारिश के अनुसार रेडियो सेट रखने वाले ऐसे सभी लोगों को क्षमा कर दिया गया जिन के पास लाइसेंस नहीं थे। इसके फलस्वरूप कोई २७,००० लोगों ने नए लाइसेंस लिए और कोई इतने ही व्यक्तियों ने जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो गई थी, नए लाइसेंस लिए। साथ ही रेडियो-प्रदर्शनियां भी की गईं, रेडियो द्वारा प्रचार के काम को प्रोत्साहन दिया गया और रेडियो लाइसेंस के बिना रेडियो रखने वाले लोगों की रोकथाम के आन्दोलन को तेज किया गया, जिससे रेडियो-लाइसेंसों की संख्या बढ़ जाए।

समाचार-शाखा (न्यूज सर्विसेज)

सन् १९५२ के अन्त तक हर रोज ७३ समाचार बुलेटिन ब्राडकास्ट किए जाते थे। इनमें से ४४ बुलेटिन देश के लिए और २९ विदेशों के लोगों के लिए थे। इस व्यवस्था में दो बुलेटिन और शुरू किए गए। इनमें एक दस मिनट का फ्रांसीसी भाषा का बुलेटिन है जो पश्चिमी यूरोप,

उत्तरी अफ्रीका और मध्यपूर्व के लोगों के लिए है और दूसरा बुलेटिन कोकणी का है जो बम्बई स्टेशन से प्रसारित किया जाता है ।

साथ ही संसदीय कार्रवाई के बारे में हर दिन और सप्ताह में एक बार साप्ताहिक समीक्षा ब्राडकास्ट की जाती है । खेलों के समाचार, प्रादेशिक खबरें, पंचवर्षीय योजना और विश्व-शान्ति का काम आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के योग के बारे में काफी समाचार वगैरह ब्राडकास्ट किए गए ।

वैदेशिक-कार्यक्रम (एक्स्टरनल सर्विसेज़)

इस वर्ष आल इंडिया रेडियो ने भारतीय संगीत के रिकार्ड और छोटे छोटे कार्यक्रमों के रिकार्ड आस्ट्रेलिया, मलाया, बर्मा, लंका, सीरिया, जर्मनी, अमरीका, ब्राजिल, स्विट्ज़रलैंड, उत्तरी रोडेशिया आदि देशों को भेजे । ये रिकार्ड इन देशों की होम-सर्विसेज़ के काम आएंगे । इनके अलावा महात्मा गांधी के बारे में एक अभिलेख सीरिया के रेडियो को और भारतीय-महिलाओं की स्थिति के बारे में एक अभिलेख जारडन रेडियो को भेजा गया ।

वाद्य-वृन्द, वाद्य संगीत और लोक गीत, शास्त्रीय और हल्के फुल्के गाने सभी सर्विसेज़ में प्रसारित किए गए और विदेशियों के लिए इनके साथ टिप्पणियां भी ब्राडकास्ट की गईं ।

आल इंडिया रेडियो के आरकेस्ट्रा से ईरान और अरब के संगीत ब्राडकास्ट करने के बारे में जो प्रयोग किए गए, वह सफल रहे । इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय-दिवस और विदेशों के राष्ट्रीय दिवस जैसे विशेष कार्यक्रम भी भिन्न भिन्न सर्विसेज़ से प्रसारित किए गए । यूरोप और अरब के लोगों के वास्ते प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए क्रमशः लंदन और काहिरा के प्रमुख व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार किए गए ।

लिसनर-रिसर्च

रेडियो सुनने वाले लोगों के विचारों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले यूनिटों ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया है, वह गांवों में रेडियो

सुनने वाले लोगों के विचार जानने के बारे में है। इसके लिए इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग रेडियो सुनते हैं, और ऐसे गांवों में जहाँ ग्राम लोगों के लिए रेडियो-सेट लगा दिए गए हैं समाचारों का प्रचार कैसा और कितनी तेजी के साथ होता है। इनके अलावा दूसरी बातों की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

इंजीनियरिंग

इस वर्ष आल इंडिया रेडियो की अनुसंधान-शाखा ने बोडास मशीनों के दो चलाऊ नमूने बनाए जिनकी सहायता से रेडियो-वेनल पर बातचीत की जा सकती है। ग्राम जनता के लिए लगाए गए रेडियो-सेटों; ऐसे रेडियो सेटों के लिए बिजली प्राप्त कर के दूसरे साधनों और आल इंडिया रेडियो द्वारा तैयार किए गए यंत्रों की सहायता से आयनावरण (आइन्सिफियर) से सम्बन्ध रखने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े वगैरह, दूसरे देशों को भेजने के लिए, इकट्ठा किए जा रहे हैं। विदेशों के लिए ब्राडकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों में टेकनिकल-सुधार करने के उपाय किए गए हैं। आल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशनों से निश्चित समय पर सीटी (पिप्स) देने का यंत्र बना लिया गया है और उससे काम भी लिया जा रहा है।

फ्रीक्वेंसी-एसाइनमेंट (आवृत्ति संख्या निश्चित करने) और उससे संबंध रखने वाले विषयों पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा अगस्त सन् १९५२ में स्थापित की गई थी। इस शाखा ने इस बारे में सूचना वगैरह इकट्ठा की कि सोलर-साइकिल में भारत की हाई-फ्रीक्वेंसी सम्बन्धी जरूरतें क्या हैं। सन् १९५१ में जिनेवा में हुए ई० ए० आर० सम्मेलन में भारत के लिए मीडियम-वेव और ट्रापिकल बैंड में जो फ्रीक्वेंसियां (आवृत्ति संख्याएं) निर्धारित की गई थीं, उन्हें लागू करने का काम इस शाखा ने पूरा किया।

विकास-योजनाएं

भारत में रेडियो का विकास करने के लिए पंच-वर्षीय योजना तैयार की गई है। इसमें दूसरी बातों के साथ-साथ, बम्बई, अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, जालन्धर और इलाहाबाद में बड़ी शक्ति के शार्ट वेव ट्रांसमीटर

लगाने की व्यवस्था की गई है । साथ ही नागपुर, मद्रास इंदौर और हैदराबाद में २०।१० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की गई है । पूना, जयपुर, जोधपुर (रिलेइंग-केन्द्र) और राजकोट में नए रेडियो-स्टेशन बनाए जाँगे । कलकत्ता और मद्रास में स्टूडियो की इमारतें बनाई जाएंगी और नई दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस (रेडियो-स्टेशन) को बढ़ाया जायेगा ।

इस वर्ष ७,५०,००० रुपए के मूल्य का सामान, यंत्र आदि खरीदा गया । त्रिवेंद्रम और बम्बई में क्रमशः स्टूडियो और नया रिसीविंग-केन्द्र खोले गये । नागपुर और गोहाटी में ३५० फुट ऊंचे मास्ट (मस्तूल) बनाए गए । अमरीका की जिस फर्म ने भारतीय कार्यक्रम दूसरी जगह पहुँचाने वाले और दूसरी जगहों के कार्यक्रम आदि प्राप्त करने वाले बल्ब भारत भेजे थे, उससे यह कहा गया है कि वह ऐसे बल्बों के बदले में दूर-रे बल्ब दे जो गोदाभों में रखते समय नष्ट हो गए या जलते नहीं हैं । ऐसे बल्बों की कीमत कोई ४२,४०० डालर है । अमरीकी फर्म २७,३०० डालर की मूल्य के बल्ब बदलने को राजी हो गई है । इस सम्बन्ध में कोशिश की जा रही है कि फर्म सभी बल्ब देने को तैयार हो जाए । इस बात की संभावना पर भी विचार किया गया कि आल इंडिया रेडियो की अनुसंधान-शाखा ने जो लिमीटिंग एम्प्लीफायर तैयार किया है उसे आम विक्री के लिए बनाने की क्या संभावनाएं हैं । इसके अलावा दिल्ली में रिकार्ड तैयार करने की मशीन लगाई है ।

प्रेस-इन्फार्मेशन-ब्यूरो (समाचार-सूचना-कार्यालय)

सन् १९५२ में ब्यूरो ने ७,६६८ प्रेस-विज्ञप्तियां जारी कीं जिनमें से १,८०८ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रादेशिक दफ्तरों से प्राप्त हुईं । इनके अलावा १६५ सरकारी-प्रकाशन, प्रशासी रिपोर्ट, कमीशनों और कमेटियों की रिपोर्ट आदि निकाली गईं । इस वर्ष १४० सचित्र लेख दिए गए जिनमें से २६ गणराज्य और स्वाधीनता-दिवस के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए थे ।

इनके अलावा, १२ छोटी-छोटी पुस्तकों के मसौदे तैयार किए गए जिनमें पांच खाद्य और खेती, एक कलकत्ता की नई टकसाल, एक अपने

आप इन्कम टैक्स से बचाई गई रकम की इतला करने की योजना और एक भारत को दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली टेकनिकल-सहायता और भारत द्वारा दूसरे देशों को दी गई टेकनिकल-सहायता के बारे में है।

सम्मेलन

ब्यूरो ने ३०३ सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के सम्बन्ध में अखबारों के लिए सामग्री और फोटो चित्रों की व्यवस्था की। इन सम्मेलनों में श्रमजांच के बारे में एशियाई देशों की गोष्ठी, कामनवैल्थ आफिसियल मैडिकल हिस्टोरियन्स लिएज़ोन कमेटी बच्चों की भलाई के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और गर्म देशों में भवन निर्माण के बारे में गोष्ठी आदि शामिल हैं।

पंचवर्षीय-योजना

सामूहिक-योजना के कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से सूचना सेवाओं का संगठन किया गया। ये सेवाएं योजना की प्रबन्ध-व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार और राज्यों की कार्रवाई के क्षेत्रों, और अन्य योजनाओं की ब्यौरे-वार बातों के बारे में संगठित की गईं। पंच-वर्षीय योजना का एक संक्षिप्त विवरण हिन्दी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगाली और तमिल में निकाला गया।

प्रतिरक्षा

भारत सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के प्रचार के काम के अतिरिक्त ब्यूरो की प्रतिरक्षा-शाखा ने 'हमारी सशस्त्र सेना' नामक एक डाकूमैटरी-फिल्म तैयार करने में सहायता दी। इस फिल्म में यह बताया गया है कि सेनाओं ने नागरिकों को क्या-क्या सहायता पहुंचाई। नेशनल-केडेट कोर और भारतीय हवाई बेड़े की टेकनिकल-सेवाओं के बारे में दो डाकूमैटरी फिल्में तैयार करने का काम शुरू किया गया। इस वर्ष सशस्त्र सेनाओं की घटनाओं के बारे में ३५ न्यूज रीलें (समाचार सम्बन्धी फिल्में) जारी की गईं।

इनके अलावा, 'हमारी सेना के सैनिक' और 'सेनाओं के कमीशन' नामक दो पुस्तकें तैयार की गईं जो अब छपायी जा रही हैं। पहली में यह बताया

गया है कि सेना में किस-किस मूलवंश (जाति) और प्रदेशों के लोग हैं। यह पुस्तक नए कमांडिंग अफसरों के लिए तैयार की गई है। दूसरी पुस्तक में यह सूचना दी गई है सेना में किन शर्तों पर भरती की जाती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो सेना में भरती होना चाहते हैं।

वैदेशिक-मामले

भारत में श्रीमती रूजवेल्ट की यात्रा, जापान के संसदीय-सद्भावना-मिशन, मलाया के गृहमंत्री, नाइजीरिया के सद्भावना-मिशन, यूगोस्लाविया के सद्भावना-मिशन और ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के शिक्षा सम्बन्धी दौरे के बारे में अखबारों के लिए सूचना, लेख आदि और फोटो चित्रों आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की गई। चीन में भारत के सांस्कृतिक मिशन की कार्यवाहियों के बारे में भारतीय अखबारों को ब्यौरेवार सूचना भी दी गई।

खाद्य और कृषि

सन् १९५१-५२ में खाद्य और खेती के बारे में प्रचार का काम करने के लिए जो शाखा खोली गई थी, उसने अखबारों के लिए सूचना देने के साथ साथ फिल्में, पोस्टर, छोटी-छोटी पुस्तकें, फोल्डर, नारे और विज्ञापन तैयार किए। यह शाखा खाद्य-स्थिति के बारे में प्रति सप्ताह सचित्र लेख प्रकाशित करती है। इसके अलावा इस शाखा ने हिन्दी और अंग्रेजी में पाँच छोटी-छोटी पुस्तकें निकालीं जो इस प्रकार हैं :—

फ्राम लेबोरेटरी टू फील्ड,
टूवर्ड्स लैन्ड ट्रांसफार्मेशन-पार्ट वन एण्ड टू,
लैन्ड ट्रांसफार्मेशन-ए फिलासफी एण्ड ए फेथ,
दी गासपेल आफ दी डर्टी हैंड,
सेव दी नेशन्स फूड फ्राम इनसैकटस, रैट्स एण्ड डैम्प,

पाँच पुस्तिकाएं इस समय लिखी जा रही हैं और नौ छापी जा रही हैं। साथ ही अगमार्क घी, अगमार्क तेल, आसू के कीड़े और बीमारियाँ, चाड़गुड़ और वनमहोत्सव के बारे में पोस्टर तैयार किए गए। इंदौर में हुई

विस्तार-गोष्ठी और भूमि-विज्ञान-सम्मेलन की १६ मिलीमीटर लम्बी एक फिल्म तैयार की गई। कूड़ा-करकट को काम में लाने के बारे में एक फिल्म बनाई जा रही है।

फोटो-चित्रों की व्यवस्था

फोटो-चित्रों की मांग, ब्यूरो के साधनों से कहीं अधिक हो गई। ब्यूरो के फोटोग्राफरों ने सन् १९५२, में १,५७८ फोटो लिए जब कि सन् १९५१ में ६७८ ही फोटो लिए गए थे। इन फोटो की १,६६,५२० प्रतियां तैयार की गईं जिनमें से ३,२६८ प्रतियां एक्जिबीशन-साइज की थीं। इनमें से समाचारों के लिए महत्त्व रखने वाले १,७४६ फोटो की ५६,६५५ प्रतियां देश भर के अखबारों और पत्रिकाओं को भेजी गईं। इससे यह पता चलता है कि पहले से ५० फी सदी प्रतियां अधिक बांटी गईं और २० फी सदी फोटो अधिक लिए गए।

इनके अलावा भारत सरकार के विदेश-विभाग की भारतीय-सूचना-शाखा को ७४,७७७ प्रतियां विदेशों के ६० सूचना-केन्द्रों की माफत वहां के अखबारों में बांटने के लिए दी गईं। इनमें २,४०० बड़ी फोटो थीं जो भारतीय कला, भवन निर्माण कला और दूसरे सांस्कृतिक विषयों और सामाजिक और औद्योगिक-विकास के बारे में हैं। ये फोटो-चित्र ब्रूसेल्स और इज़मीर (तुर्की) के अन्तर्राष्ट्रीय-मेलों, लेवेंट के मेले और नैराबी, सिडनी, ओस्लो, रायोडीजीनेरो, विलिंगटन, टोकियो और लंदन की प्रदर्शनियों में रखे गए थे। इनके अलावा ब्यूरो के पुस्तकालय में ६ हजार नए फोटो रखे गए। अब इस पुस्तकालय में ४५,००० से कुछ अधिक फोटो हैं इवो-नायड-ब्लाक तैयार करने के लिए ७१,५०० रुपए के अनावर्तक और ७४,३०० के आवर्तक खर्च की व्यवस्था की गई है। ये ब्लाक मुफसिल इलाकों में भारतीय भाषाओं के पत्रों को दिए जाएंगे।

भारतीय-भाषा-व्यवस्था

तेलगू की सर्विस व्यवस्था के लिए बजट में ३० हजार रुपए का प्रबन्ध किया गया है। बम्बई और कलकत्ता के हिन्दी अखबारों में बांटने के लिए, हिन्दी के समाचार आदि ब्यूरो के टेलीप्रिंटरों पर रोमन-लिपि में इन जगहों पर शाखा

दफ्तरों को भेजे जाते हैं। एक नयी व्यवस्था शुरू की गई है जिसके अनुसार समाचार बुलेटिनों में काम आने वाले व्यक्तियों और शहरों आदि के नामों के सही उच्चारण देवनागरी-लिपि में दिए जाते हैं। ब्यूरो ने गुजराती भाषा में, सामूहिक-योजना कार्यक्रम में प्रयोग किए गए पारिभाषिक शब्दों का एक कोष तैयार किया है। इसका अच्छा स्वागत हुआ है।

इस वर्ष टेलीप्रिंटर लाइन मद्रास-आफिस तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार ब्यूरो के दूसरे छोटे-छोटे दफ्तरों से एक साथ ही सूचना भेजी जा सकेगी।

प्रेस-सम्पर्क-व्यवस्था

अखिल भारत समाचारपत्र सम्मेलन की केन्द्रीय-प्रेस-सलाहकार-समिति से निकट सम्पर्क बनाए रखा गया। निम्नलिखित स्थानों के लिए पत्रकारों के दल भेजने की व्यवस्था की गई: सांची विहार समारोह; कांडला बंदगाह की नींव रखने के अवसर पर कांडला और गांधीधाम; पठानकोट-मुकेशियाँ रेल के उद्घाटन पर पठानकोट सिटी; सिंद्री, चित्तरंजन और आसाम-रेल-लिनक। ब्यूरो की प्रतिरक्षा-विभाग सम्बन्धी शाखा ने पत्रकारों को जल, थल और वायु सेना के केन्द्रों को देखने और भारतीय हवाई बेड़े के जहाजों में सैर कराने के लिए भेजा।

ब्यूरो ने विदेशों के सम्पादकों, संवाददाताओं और फोटोग्राफरों आदि को सुविधाएं देने के अलावा, ईरान के पाँच सदस्यों वाले प्रेस-प्रतिनिधिमंडल के दौरे के लिए प्रवन्ध किया।

फिल्म-डिविज़न

डाकूमेंटरी

फिल्म-डिविज़न ने भारत के राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर फिल्में आदि तैयार कीं। फिल्मों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रही है। सन् १९५२-५३ में ३६ डाकूमेंटरी-फिल्में बनीं, जब कि सन् १९५१-५२ में ३६ बनी थीं। दस डाकूमेंटरी फिल्में बनाई जा रही हैं या बनकर तैयार होने वाली हैं।

इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण सफलता दो रंगबिरंगी फिल्मों तैयार करना है। इसमें से एक 'कुमायूँ की पहाड़ियाँ' कई रंगों में तैयार हो गई है और उसे जल्दी ही सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। दूसरी फिल्म 'उत्तरी भारत के पहाड़ी-स्टेशन' जल्दी ही पूरी हो जाएगी। सन् १९५३ के गणराज्य दिवस और इस अवसर पर दिल्ली में हुए लोक नृत्यों के बारे में एक रंगीन-फिल्म तैयार की जा रही है।

इनके अलावा इस वर्ष सूचना और शिक्षा की दृष्टि से महत्त्व रखने वाली कई फिल्में बनाई गईं जैसे—'दी ग्रेट एक्मपेरामेंट', 'पब्लिक स्कूल्स आफ इंडिया', 'चूज़ योर कैरियर', और 'नेशनल फिज़िकल लेबोरेटर्स'। 'नो योर कन्ट्री' (अपने देश की जानकारी प्राप्त करो) नामक फिल्मों के सिलसिले में मनीपुर और आसाम पर दो फिल्में तैयार की गईं।

खाद्य और खेती के बारे में जो फिल्में तैयार की गईं इनमें भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने और भूमि के कटाव के बारे में तैयार की गईं फिल्मों की विशेष चर्चा की जा सकती है। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए कैन्सर, आंखों की रक्षा और काढ़ के बारे में फिल्में तैयार की गईं। भारतीय हवाई-बेड़े, नेशनल-कैडेट-कोर और भंडा-दिवस के सम्बन्ध में तीन फिल्में बनाई गईं, जिनमें सेनाओं के काम की चर्चा है। बेघर लोगों के पुनर्वास के बारे में चुनावगढ़ फोर्ट के एक महला-गृह की फिल्म तैयार की गई। सामाहिक-योजनाओं के सम्बन्ध में लोगों की दिलचस्पी जगाने के लिए एक फिल्म सिनेमाघरों को दी गई जिसका नाम—'रोड टू न्यू इंडिया' (नवीन भारत की ओर) है। प्राचीन-स्मारकों और इमारतों के बारे में दो फिल्में जारी की गईं। इनमें से एक विजयानगरम् और दूसरी बांजापुर के बारे में है।

इनके अलावा, प्राइवेट फिल्म-निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, उनकी सात फिल्मों जिनके नाम इस प्रकार हैं— 'इंडिया प्लाउज डीपर', 'इटावा स्टोरी', 'रोड टू तिब्बत' और 'हाबीज़ हाकी' फिल्म डिवीजन की ओर से निकाली गईं। इनके अलावा प्राइवेट फिल्म निर्माताओं को ६ फिल्में तैयार करने के ठेके दिए गए।

न्यूज़ रीलें (समाचार-फिल्में)

भारत में हर सप्ताह न्यूज़ रील जारी की जाती है। इसके अलावा हर महीने चुने हुए समाचारों के बारे में एक विशेष-फिल्म तैयार की जाती है जो विदेशों

में दिखाने के लिए भेजी जाती है। इस पर कोई लाभ नहीं उठाया जाता। न्यूज़ रील में भारतीय समाचारों के अलावा विदेशों के समाचार भी होते हैं। यह समाचार अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, हालैंड और दूसरे देशों से समाचार-फिल्मों के बदले में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार फिल्मों और टेलीविजन के माध्यम से भारत की घटनाओं का विदेशों में बड़ा प्रचार होने लगा है।

वितरण

सन् १९५२-५३ में भारत की डाकूमैट्री-फिल्में कई देशों को व्यावसायिक आधार पर बांटी गईं। ये फिल्में अब पूर्वी अफ्रीका, मारीशस, मेडागास्कर, हिन्दचीन स्याम, मलाया, सिंगापुर, इंडोनीशिया, वेस्ट इंडीज, फिजी द्वीप-समूह, न्यूजीलैन्ड, बेहरिन और अदन में दिखाई जाती हैं। अमरीका, केनाडा और दक्षिण अमरीका में फिल्मों को व्यावसायिक आधार पर देने के प्रबन्ध को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

फिल्म-समारोह

सन् १९५२ में भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय-फिल्म-समारोह हुआ। इसके फलस्वरूप भारत को विदेशों से फिल्म-समारोहों में भाग लेने के बुलावे बढ़ गए हैं। सन् १९५२-५३ में भारत ने आठ अंतर्राष्ट्रीय-फिल्म-समारोहों में भाग लिया।

योजना

पंच-वर्षीय योजना को लागू करने के सम्बन्ध में सामूहिक-योजना-प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय के लिए अलग-अलग फिल्म-यूनिटें बनाई जाएंगी। इनके अलावा योजना-कमीशन के लिए अलग दो यूनिटें होंगी।

सामूहिक-विकास-योजनाओं के काम के बारे में हर साल आठ से लेकर १२ तक बड़ी-बड़ी और कई छोटी-छोटी फिल्में अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, तमिल और तैलगू में बनाई जाएंगी। ये फिल्में ३५ मिलीमीटर और १६ मिलीमीटर लम्बी होंगी। तीन नयी यूनिटों में हर साल १६ मिलीमीटर की लम्बाई की १८ शिक्षा-सम्बन्धी फिल्में बनाई जाएंगी। इन फिल्मों का उद्देश्य भारत में बुनियादी और सामाजिक शिक्षा का विकास करना है।

प्रकाशन-विभाग

पैम्फलेटें

इस वर्ष अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और बंगला में ५३ पुस्तिकाएँ पुरी की गईं; जबकि लक्ष्य ४८ पुस्तिकाएँ तैयार करने का था। इनके अलावा निम्नलिखित १५ पुस्तिकाएँ छापी जा रही हैं या लगभग तैयार हो गई हैं :—

गांधी एलबम (गांधी-चित्र-माला का पहला संग्रह); सरदार पटेल के भाषण (हिन्दी); भारत-चित्रों में (हिन्दी); भारतीय कला का सिंहावलोकन (हिन्दी); प्रधानमंत्री के भाषण; राष्ट्रपति के भाषण; मारीशश में प्रवासी भारतीय; भारत की परिवहन प्रणाली; निकोबार और अंडमान द्वीप; भारत का चीनी उद्योग; पहली पंच-वर्षीय-योजना-जनता-संस्करण (हिन्दी); पंच-वर्षीय-योजना (संक्षिप्त परिचय) ; पंच-वर्षीय-योजना (देहात के पाठकों के लिए) और पंच-वर्षीय योजना (हिन्दी और अंग्रेजी)

पांचवा वर्ष; हमारा संविधान (चौथा संस्करण) ; हरिजन्स डुडे और फैक्ट्स एबाउट इंडिया नामक पुस्तकें सबसे अधिक बिकीं। पंच-वर्षीय-योजना (संक्षिप्त-परिचय) और दी हैन्ड बुक आफ इंडिया लोगों को बहुत पसंद आई और वे फिर छापी गईं।

सामूहिक-योजनाओं के बारे में कई प्रादेशिक भाषाओं में कई पुस्तिकाएँ निकाली गईं। ये पुस्तिकाएँ सामूहिक प्रशासन योजना की ओर से छापी गईं।

पत्रिकाएँ

छोटी छोटी पुस्तिकाएँ निकालने के अलावा अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और अरबी की ७ पत्रिकाओं के ६७ अंक निकाले गए। इन्हें भारत और ४१ दूसरे देशों में बांटा गया। इन सात पत्रिकाओं में से दो-‘मार्च आफ इंडिया’ और ‘सौत-उल-शर्क’ विदेशों में प्रचार के लिए थे। ‘मार्च आफ इंडिया’ अंग्रेजी में छपती है और यह एक सचित्र-सांस्कृतिक पत्रिका है। यह दो-द्वे-

महीने बाद छुटती है और अंग्रेजी भाषाभाषी देशों के लिए है। दूसरी पत्रिका में अरब भाषाभाषी देशों के लिए अरबी में लेखादि होते हैं।

देश के लिए जो पत्रिकाएं निकाली जाती हैं वे इस प्रकार हैं:-हिन्दी में दो मासिक पत्रिकाएं- 'आजकल' और 'बालभारती'; एक उर्दू मासिक- 'आजकल', अंग्रेजी में पंद्रह दिन के बाद निकलने वाला- 'काश्मीर' और अंग्रेजी का मासिक 'कुरुक्षेत्र'। कुरुक्षेत्र सामूहिक-योजना-प्रशासन द्वारा निकाला जाता है और इसमें मंचित्र लेखों द्वारा यह बताया जाता है कि देश में सामूहिक योजना के काम में क्या प्रगति हुई है। साथ ही इसमें गांवों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी सूचना भी रहती है। 'सौत-उल-शर्क' और 'बच्चों का आजकल' का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है। पहला विदेश-विभाग के कहने पर और दूसरा बचत के उद्देश्य से अरब 'काश्मीर' मासिक-पत्रिका में बदल दिया गया है।

विक्री

इन प्रकाशनों की विक्री की कोशिश कई तरह से की गई। महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में दुकानें लगाई गईं। कई महत्त्वपूर्ण प्रकाशन, विदेशों में भारतीय-मिशनो ने वहां की प्रदर्शनियों और मेलों में भी रखे।

विज्ञापन-सलाहकार की शाखा

सामूहिक योजनाओं, सर. स्माल सेविंग्स स्कीम, नौकरी दिलाने की व्यवस्था, कारखानों में मजदूरों आदि की रक्षा के नियम, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू-उद्योग और अगमार्क के बारे में विज्ञापन-सम्बन्धी जोरदार कार्रवाई की गई।

इस वर्ष सैर के सम्बन्ध में एक पोस्टर की २०,००० प्रतियां और पाँच फोल्डरों की १,५०,००० प्रतियां छापने के आर्डर दिए गए। इनके अलावा, नौ पोस्टरों, पोस्ट-कार्ड-साइज के चार चित्र और मद्रास, पुरी-भुवनेश्वर और बनारस के बारे में तीन फोल्डर तैयार किए जा रहे हैं।

स्माल-सेविंग्स-स्कीम (छोटी-छोटी रकमें बचाने की योजना) के सम्बन्ध में फोल्डरों, स्टीकरो, और कलैन्डरों की २,२६,७०० प्रतियां

छापी और बांटी गई। इन पर कोई ३४,००० रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट के विज्ञापन के लिए मार्चिसों के पीछे चिपकाने के लिए २,००,००,००० लेबिल तैयार किए गए। साथ ही सिनेमा के लिए ३,००० विज्ञापन-चित्र तैयार किए गए। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के बारे में भी ३,२०० सिनेमा विज्ञापन तैयार किए गए।

सन् १९५३ के एक कलैन्डर की १५,००० प्रतियां और दो पोस्टरों की १३,००० प्रतियां पुनर्वास और नौकरी दिलाने के डायरेक्टर के दफ्तर के लिए और तीन पोस्टरों की ६०,००० प्रतियां कारखानों के मुख्य-सलाहकार के दफ्तर के लिए छापी गईं। प्रतिरक्षा-मंत्रालयके लिए पांच पोस्टर, एक फोल्डर, और ८०० सिनेमा-विज्ञापन तैयार करने का काम किया गया।

तीसरे वनमहोत्सव के अवसर पर एक पोस्टर की ४०,००० प्रतियां तैयार करने के अलावा अग्रमार्क के बारे में दो परचे, एक पोस्टर और सिनेमा-विज्ञापन तैयार किए जा रहे हैं। चिट्ठियों में टिकट कैसे लगाने चाहिए इस बारे में एक पोस्टर की कोई ४०,००० प्रतियां छापी गईं।

प्रेस-विज्ञापन

सन् १९५२-५३ में अखबारों के लिए १६० विज्ञापन दिए गए। ये विज्ञापन २१७ अखबारों और पत्रिकाओं में कुल मिलाकर ६,१०० बार छापे गए और इस प्रकार इन विज्ञापनों ने कोई १,३२,५०० कालम-इंच जगह घेरी। इन २१७ अखबारों में से १६० भारतीय भाषाओं के हैं और ५७ अंग्रेजी के। भारतीय भाषाओं के १६० अखबारों में से ५५ हिन्दी के हैं।

भारतीय भाषाओं के अखबारों को अधिकाधिक विज्ञापन दिए जा रहे हैं। सन् १९५२-५३ में भारतीय भाषाओं के पत्रों को कुल विज्ञापनों के ७४% फीसदी विज्ञापन मिले जब कि सन् १९५१-५२ में ७३% फीसदी और सन् १९५०-५१ में ७०% फीसदी मिले थे। सन् १९४८-४९ में अंग्रेजी अखबारों आदि को हिन्दी से दुगुने विज्ञापन मिले। लेकिन, सन् १९५२-५३ में दोनों को लगभग बराबर विज्ञापन मिले।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर (जांच) बोर्ड

अप्रैल सन् १९५२ और जनवरी सन् १९५३ के बीच बोर्ड ने २,२६८ फिल्मों की जांच की। कोई २,४३४ फिल्मों को सर्टिफिकेट दिए गए जिसमें से २,४११ 'यू' सर्टिफिकेट थे और २३ 'ए' सर्टिफिकेट थे। इक्कीस फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, जब कि कई फिल्मों को उनके कुछ हिस्से निकाल देने के बाद सर्टिफिकेट दिए गए। इस समय में कुल मिला कर ४६,६६५ फुट की रील काट दी गई। इसी समय में ७११ फिल्मों को इस बारे में सर्टिफिकेट दिए गए कि वे मुख्य रूप से शिक्षा से सम्बन्ध रखती हैं।

फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भेजी गई फिल्मों की जांच अच्छी तरह करने और यह देखने के लिए कि फिल्में उसी रूप में लोगों को दिखाई जाती हैं जिसे प्रमाणित किया जा चुका है, सिनेमा सम्बन्धी (सेंसरशिप) नियमों में कुछ संशोधन किए गए। फिल्मों की जांच करने और उनपर फिर से विचार करने के लिए बनाई गई कमेटियों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और न्यूज़ रीलों (समाचार सम्बन्धी फिल्मों) और डाक्यूमेंटरी फिल्मों की जल्दी जांच करने की व्यवस्था की गई। सर्टिफिकेट जारी किए जाने से पहले, फिल्म की एक सर्टीफाइड (स्वीकृत) प्रति या शूटिंग स्क्रिप्ट-बोर्ड के पास रखा दी जाती है। अगर सिनेमाघरों में यह फिल्म अन्य किसी रूप में दिखाई गई तो सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जा सकता है। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट सिर्फ ५ वर्ष तक ही चल सकते हैं।

सिनेमा सम्बन्धी सन् १९५२ के कानून में संशोधन करने के लिए एक बिल संसद में रखा गया। इसका उद्देश्य कई कमियों को दूर करना है। जांच का उद्देश्य यह है कि ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन न किया जा सके जो लोक-हित के लिए हानि-कारक हैं।

रिसर्च एण्ड रिवरेंस डिविज़न

सन् १९५२-५३ में इस शाखा को एक व्यापक रिवरेंस-एनुअल तैयार करने का महत्वपूर्ण काम दिया गया। यह पुस्तक अब छपाई जा रही है। इस पुस्तक में भारत की मूल बातों का संग्रह है। साथ ही इसमें यह दिया गया है कि भारत सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों और राज्य सरकारों ने

क्या काम किया और क्या सफलतायें प्राप्त कीं । चालू वर्ष की पुस्तक में एक विशेष विषय की चर्चा की गई है । यह विषय है-संसद और राज्य विधानमंडलों के पिछले आम-चुनाव ।

यह शाखा समाचारों की एक सूची तैयार कर रही है । इसमें देश और विदेश दोनों की खबरें होंगी । सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण समाचारों का ही ध्यान रखा जाता है । जो समाचार मुख्य रूप से स्थानीय महत्व रखते हैं, उन्हें इसमें नहीं लिया जाता है । इस वर्ष समाचार-भूमिका का एक सिलसिला शुरू किया गया । इससे रेडियो और सूचना मंत्रालय की भिन्न-भिन्न शाखाओं को तत्संबंधी विषयों पर सूचना मिल सकेगी ।

प्रतिरक्षा

स्थल-सेना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सेनाओं ने जो भी सफलताएँ प्राप्त की हैं, उन पर अब स्वतन्त्रता के छठे वर्ष सिंहावलोकन करने से सन्तोष होता है । देश विभाजन के परिणामस्वरूप जो समस्याएँ उपस्थित हो गई थीं, उनमें से अधिकांश हल की जा चुकी हैं और अब सेनाओं को अधिक संगठित करने का काम शुरू हो गया है । इसमें विशेष रूप से अफसरों और सैनिकों के प्रशिक्षण, उत्पादन बढ़ाने के लिए, फौजी सामान बनाने के कारखानों के पुनर्गठन, रक्षा-विज्ञान-सर्विस की स्थापना, और सेना के पिछले सैनिकों के पुनः संस्थापन और भलाई की योजनाओं का ध्यान रखा गया है ।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सेना की आम-नीति, भारतीय साधनों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ढंग की शिक्षा देने की रही है । बड़े अफसरों के लिए सैनिक-प्रशिक्षण के डाइरेक्टर द्वारा 'प्राक्-अध्ययन' चलाने के अलावा एक सैनिक-अभ्यास जो भारत में अपने ढंग का सबसे बड़ा अभ्यास था, किया

गया । इसका उद्देश्य अफगनों और सैनिकों को जहाँ तक संभव हो लड़ाई की अधिक से अधिक वास्तविक स्थिति में अगले मोर्चे की लड़ाई की ट्रेनिंग देना था । भारत के प्रधान-मंत्री, रक्षा-संगठन के मंत्री, और दो प्रतिरक्षा उप-मंत्रियों ने यह अभ्यास देखा और उसके संचालन की सफलता पर संतोष प्रकट किया ।

सेनाओं की सामान्य-शिक्षण-संस्थाओं में पिछले सालों की भांति ही प्रगति जारी रही । कुछ अफगनों को इस उद्देश्य से विदेशों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए भेजा गया कि सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को युद्ध के नए तरीकों और सिद्धान्तों की जानकारी रहे ।

इसके अलावा, भारत ने बर्मा, इंडोनीशिया, नेपाल, अफगानिस्तान और लंका आदि देशों की स्थल सेना और वायुसेना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं भी दीं ।

हथियार और युद्ध सामग्री

हथियारों और लड़ाई के दूसरे सामान के बारे में आत्म-निभर होने की दिशा में निरन्तर प्रयत्न होते रहे । इस समय सेना की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है । अम्बरनाथ में प्रधान मंत्री द्वारा मशीनों के पुर्जों बनाने की फैक्टरी का उद्घाटन कराके इस दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया । यह कारखाना नयी सैनिक सामग्री के लिए पुर्जों आदि की जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायता देगा । यह कारखाना नए ढंग का है । फौजी सामान बनाने के कारखाने भी बराबर इस बात की कोशिश करते रहें कि वे सशस्त्र सेनाओं की सभी जरूरतें पूरी कर सकें और बाहर से कम से कम चीजें खरीदी जाएं । एक वायरलैस फैक्टरी बनाने के लिए भारत-सरकार ने एक फ्रांसीसी-फर्म के साथ समझौता कर लिया है । इस फैक्टरी के बन जाने पर बहुत सी चीजें बनाई जा सकेंगी जिससे तीनों सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी । आशा है-फैक्टरी में सन् १९५६ तक काम चालू हो जाएगा ।

रक्षा-विज्ञान

रक्षा-सामग्री से रक्षा-विज्ञान का निकट सम्बन्ध है क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में किए गए काम पर ही रक्षा-सामग्री का विकास निर्भर है । भारत ने हाल ही में रक्षा-विज्ञान में दिलचस्पी लेनी शुरू की है और इसलिए राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ रक्षा-विज्ञान की समस्याओं पर विचार करने का इसे जो अवसर प्राप्त हुआ था, उसका स्वागत किया गया । वैज्ञानिकों के इस सम्मेलन का प्रधान मंत्री ने उद्घाटन किया । बाद में प्रतिनिधियों ने आपस में विचार विमर्श किया और लेखादि पढ़े । इस समय इस बातचीत का पूरा-पूरा मूल्य आंकना कठिन है, फिर भी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों को बड़ा लाभ होगा ।

सन् १९५२ के आरम्भ में खिड़की में युद्धसामग्री-अध्ययनशाला की स्थापना हुई । भारत में यह इस किस्म की पहली ही अध्ययनशाला है । यह अध्ययनशाला टेकनिकल अफसरों के लिए पहला नियमित कोर्स अबतक १९५३ में आरम्भ करेगी । यह कोर्स १८ महीने का होगा और इसके द्वारा अफसरों को युद्धसामग्री सम्बन्धी विज्ञान और शिल्प की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी । इस अध्ययनशाला का एक और महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालयों तथा अन्य गैर-फौजी अनुसन्धानशालाओं से सम्पर्क रखना और हर तरह से प्रतिरक्षाविज्ञान की बुनियादी जानकारी को फैलाना होगा ।

पेंशन का नया कोड

साल की एक और खास घटना पेंशन कोड का संशोधन है । सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा सैनिकों के रिटायर होने पर मिलने वाली पेंशन की दर बढ़ाने का निश्चय कर लिया है । अफसरों के सम्बन्ध में मासिक पेंशन की संशोधित अधिक से अधिक दर कप्तान के लिए ३५० रुपए से लेकर जनरल के लिए १००० रुपए तक जाती है । जलसेना और वायुसेना के इसी श्रेणी के अफसरों को भी इतनी ही पेंशन मिलेगी । सैनिकों के सम्बन्ध में,

मासिक पेंशन की संशोधित दर अधिक से अधिक १५३ रुपए स्थल-सेना के सूबेदार-मेजर के लिए, ११६ रुपए जलसेना के चीफ आर्टिफिसर के लिए और १६५ रुपए वायुसेना के मास्टर वारन्ट अफसर के लिए तथा कम से कम १५ रुपए १५ वर्ष की नौकरी वाले स्थल सेना के सिपाही के लिए निश्चित की गई है ।

कल्यानवाला कमेटी की रिपोर्ट

सन् १९५२ का एक दूसरा खास काम कल्यानवाला कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्णय करना था । कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने प्रतिस्ना- कारखानों में काम करने वाले नौकरों के प्राविडेंट फंड में अपना अंश $६\frac{१}{२}$ प्रतिशत से बढ़ा कर $८\frac{३}{४}$ प्रतिशत कर दिया है । इसके अलावा, हर कारखाने में कुछ औद्योगिक ओहदों को स्थायी घोषित करने का निश्चय किया गया है और जो गैर-औद्योगिक कर्मचारी कन्फर्म (पक्के) हुए बिना ही रिटायर हो जाएंगे, उनको उनकी गैर-अस्थायी सर्विस के लिए उसी दर पर वृत्ति (ग्रेज्युइटी) दी जाएगी जो औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होती है ।

जो कर्मचारी संगतिकरण-योजना के फलस्वरूप नीचे के ग्रेड में आ गए हैं, पर जिन्होंने पहली बार में ही उपयुक्त धन्धे की परीक्षा पास कर ली है, वे वेतन-कमीशन की वेतन-दर के चुनाव की तारीख के अनुसार १ जनवरी १९४७ या १ जनवरी १९४८ से उपयुक्त वेतन-दर के लिए 'योग्यता प्राप्त' समझे जाएंगे। जिन कर्मचारियों ने धन्धे की परीक्षा पास नहीं की, पर जो ३१ दिसम्बर १९५३ तक पास कर लेते हैं और पहली बार में ही सफल हो जाते हैं, उनको भी ऊंची वेतन-दर का कुछ लाभ मिलेगा, और वह बीते समय के लिए भी लागू होगा ।

राष्ट्रीयकरण

स्वतन्त्रता के बाद से सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण में बहुत प्रगति हुई है । इस समय स्थल सेना में कुल ५७ अफसर हैं, जिनमें ५२ विशेषज्ञ हैं और

वे टेकनिकल ओहदों पर हैं। विदेशी अफसरों को कम करने के लिए एक योजना बना ली गई है, जिसके अनुसार सन् १९५५ तक कुछ विशेषज्ञों को छोड़ कर कोई ब्रिटिश अफसर न रहेगा। जलसेना में इस समय कुल ४६ ब्रिटिश अफसर हैं और वायुसेना में केवल ६।

कोरिया में भारतीय फौजी अस्पताल

कोरिया में भारतीय फौजी अस्पताल ने साल भर सहायता-कार्य जारी रखा। कोरिया में पहुँचने पर सैनिकों और नागरिकों से उसे जो प्रशंसा और बहादुरी मिली थी, वह अब भी उसी प्रकार मिल रही है।

पिछले सैनिक

पिछले सैनिकों के पुनर्वास के प्रयत्नों में इस वर्ष सरकार को संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में बसाई जाने वाली किसानों की ६ बस्तियों में से भोपाल की बस्ती पूरी हो गई है और उत्तरप्रदेश में मानूनगर की बड़ी बस्ती का काम आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सरकार ने कई दूसरी योजनाएँ भी चालू कीं, जिनसे पिछले सैनिकों को जीवन में नए सिरे से काम शुरू करने में सहायता मिल सकती है।

जल-सेना

भारतीय जल-सेना का यह वर्ष भी ट्रेनिंग, मेहनत, योजना-निर्माण और स्थिर प्रगति में व्यतीत हो गया।

प्रशिक्षण

वर्ष भर इस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया गया कि जल-सेना को ट्रेनिंग और संगठन की आवश्यकता है। समुद्र में, समुद्र-तट पर और अब हवा में ट्रेनिंग के क्षेत्र में जलसेना ने दो मुख्य काम किए। इनमें से एक यह है कि मई में एक जहाज पर जिसका नाम 'गरुड़' रखा गया, और समुद्र-तट पर जल-सेना के पहले हवाई-स्टेशन के खुलने और जहाजी बेड़े की

आवश्यकतायें पूरी करने वाली यूनिट की स्थापना हो जाने से, नौसैनिक-उड्डयन आरम्भ हो गया। इस यूनिट का मुख्य काम जहाजी-बेड़े के और जल-सेना के प्रशिक्षण-केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं देना है।

खुद अपनी वायुयान सम्बन्धी सुविधा हो जाने के कारण अब जलसेना इस छोटे से आरम्भ के आधार पर ही एक महान् और सन्तुलित जलसेना के रूप में विकसित हो सकती है।

इस वर्ष की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना यह है कि ब्रिटेन के जलसेना विभाग से 'हंट' किस्म के तीन विध्वंसक जहाज, जिनके नाम अब गोदावरी, गोमती और गंगा रखे गये हैं, उधार लिए गए। इन जहाजों से सामुद्रिक-ट्रेनिंग की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। इस दिशा में एक और कदम उठाया गया। यह था, भारतीय समुद्री बेड़े के 'तीर' जहाज को मिडशिप मैनों (जहाज के अफसरों) को दी जाने वाली ट्रेनिंग के जहाज के रूप में बदलना।

सभी ट्रेनिंग-केन्द्रों में निर्माण का काम जोरशोर से चल रहा है और पुरानी अस्थायी इमारतों की जगह धीरे-धीरे नयी स्थायी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनमें रकूल खोले जा सकें और जल-सेना के कर्मचारी रखे जा सकें। अब तक जो टेक्निकल-ट्रेनिंग ब्रिटेन में दी जाती थी, उसमें से कुछ अब भारत में ही दी जाने लगी है।

सद्भावना के दूत के रूप में

भारतीय जल-सेना हमारे पड़ोसी देशों में सद्भावना के दूत के रूप में काम करती रही। पश्चिम में मध्य और पूर्वी भूमध्यसागर के देशों और पूर्व में बर्मा तक हमारे जहाज भंडा-प्रदर्शन-भिशन पर गए। जहाँ कहीं वे ठहरे वहाँ उनका हार्दिक स्वागत किया गया।

भूमध्यसागर में ब्रिटेन की जलसेना पाकिस्तान की जल-सेना आदि के जहाजों के साथ प्रशिक्षण अभ्यास करते समय हमारे तीन जहाजों ने जिनमें सेनापति का जहाज 'दिल्ली' भी है, जून में राज्याभिषेक के अवसर पर नौ-

सेना के समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाने का अवसर भी प्राप्त किया । इधर कई राष्ट्रमंडल के देशों और अमेरिका, ब्राजिल आदि विदेशों की जल-सेनाओं के जहाज भारत आए । इनका परम्परानुसार भारतीय विधि से आतिथ्य-सत्कार किया गया ।

जहाज-मरम्मत का कारखाना

चूंकि बम्बई के जल-सेना के वर्तमान डाक्यार्ड से जल-सेना की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए सरकार ने डाक्यार्ड को बढ़ाने का फैसला किया । इस योजना पर काम शुरू हो गया है ।

सामुद्रिक सर्वे

भारत में सामुद्रिक पड़ताल के काम को और आगे बढ़ाने के लिए भारत में जल-विज्ञान का दफ्तर खोलने का फैसला किया गया । इसका काम सर्वे के लिए चार्ट तैयार करना और उन्हें छपाना होगा । साथ ही, भारतीय जलसेना सुरंगें साफ करने वाले एक जहाज को अस्थायी तौर पर भारत के समुद्र तट के साथ-साथ सामुद्रिक पड़ताल के काम में लाया जाएगा ।

नौ-सेना की टुकड़ियां

बम्बई, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता और विजगापट्टम में नेशनल केडेट कोर की नौ-सैनिक टुकड़ियां बनाई गईं । कोचीन की टुकड़ियों का उद्घाटन गत नवम्बर में वाकायदा त्रावण्कोर-कोचीन के राजप्रमुख ने किया था । इसी महीने बम्बई में नेशनल केडेट कोर की एक परेड में भारतीय जलसेना के प्रधान सेनापति ने सलामी ली ।

पुरस्कार

१५ अगस्त सन् १९४७ में नए पदक चालू होने के बाद वीरता के लिए भारतीय जल-सेना का सबसे पहला पुरस्कार लक्ष्मण टोपास को मिला । इन्हें 'अशोक चक्र तृतीय श्रेणी' दिया गया । यह पुरस्कार इसलिए दिया

वायुसैनिकों को शिक्षा देने के लिए अपनी शिक्षा-संस्थाओं के दरवाजे खोल दिए। इस साल बर्मा के वायु-सैनिक भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनिंग स्कूल से पूर्ण योग्यताप्राप्त वायु-शिल्पी बन कर निकले। बर्मा और इंडोनीशिया के हवाई सैनिकों के दूसरे दल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं।

सभी फ्रंटलाइन-यूनिटों में पोस्ट स्क्वैडन ट्रेनिंग का काम बिना रुकावट चलता रहा। वायुसेना की वाह्य और आंतरिक संदेशवाहक सर्विस नियमित रूप से वर्षभर चलती रही। इसी तरह वायुसेना के संचार-दस्ते ने योग्यता के साथ काम किया और दूसरी बातों के साथ-साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम पूरा किया।

पड़ताल के लिए उड़ानें

वायुसेना के पड़ताल के लिए उड़ान करनेवाले दल और एअरक्रू कैटागो-रजेशन टीम ने जो सन् १९५१ में बनाई गई थी, इस वर्ष अपने-अपने कामों का क्षेत्र और बढ़ाया। पिछले वर्षों की तरह वायुसेना ने सन् १९५२-५३ में भी अगम्य इलाकों में हवाई जहाजों से रसद गिराना और 'दया के काम' करना जारी रखा।

पुरस्कार

वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस० विश्वास को इस वर्ष देश का सबसे बड़ा इनाम 'अशोक-चक्र प्रथम श्रेणी' प्रदान किया गया। यह वायुसेना के लिए बड़े सम्मान का विषय था।

प्रादेशिक-सेना

प्रादेशिक सेना के सम्बन्ध में इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम प्रादेशिक-सेना-ब्रिगेड का निर्माण है जिसे दिल्ली के पास कोई चार सप्ताह तक ट्रेनिंग दी गई थी। चार वर्ष पुरानी प्रादेशिक सेना के विकास की यह निश्चित अवस्था है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि एक और भरती

की समस्याओं को निवटारा जा रहा है, तो दूसरी ओर ऐसी टुकड़ियों की ट्रेनिंग का काम अबाध गति से आगे बढ़ रहा है जो बन चुकी हैं। प्रादेशिक-सेना को पूरी और प्रकृष्ट ट्रेनिंग देने की दिशा में ब्रिगेड बनाना सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इससे उन टुकड़ियों को जिनको मिलाकर ब्रिगेड तैयार हुई है, ऐसे अभ्यास करने का अवसर मिला जो साधारण तौर पर उनकी सालाना ट्रेनिंग के अन्दर नहीं आता। दूर की टुकड़ियों को एक साथ रख कर प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों में हिल-मिल कर रहने की भावना भी पैदा की गई।

नवम्बर सन् १९५२ में प्रादेशिक-सेना का दूसरा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर उन सभी जगहों पर समारोहों की व्यवस्था की गई, जहाँ प्रादेशिक सेना की टुकड़ियाँ बनाई गई थीं। इस सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्र-पति के एक भाषण के साथ हुआ, जो आल इंडिया रेडियो के सभी स्टेशनों से प्रसारित किया गया। इस सप्ताह से जनता को यह जानने का मौका मिला कि भारत की रक्षा की दूसरी पंक्ति तैयार करने की दिशा में क्या-क्या सफल-ताएं प्राप्त हो चुकी हैं। प्रादेशिक-सेना की टुकड़ियों द्वारा काम में लाई जाने वाली सामग्री की प्रदर्शनियाँ की गईं और साथ ही परेड और प्रदर्शन भी हुए।

प्रादेशिक सेना का विकास में सहायता करने के लिए सरकार ने एक केन्द्रीय-सलाहकार-समिति बनाई है जो समय-समय पर अपनी बैठकें करती है और प्रगति पर विचार करने के साथ-साथ वह भरती और ट्रेनिंग के तरीके में सुधार करने के सुझाव भी देती है।

यद्यपि शहरी टुकड़ियों में भरती अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी पिछले साल संसद द्वारा प्रादेशिक-सेना-संशोधन-कानून पास किए जाने से गैर-सरकारी फर्मों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों में जो प्रादेशिक सेना में भरती होना चाहते हैं, विश्वास पैदा हो गया। कानून में भरोसा दिलाया गया है कि जो व्यक्ति प्रादेशिक सेना में भरती होगा, उसे प्रादेशिक सेना की सेवा से मुक्त होने पर अपनी असैनिक नौकरी पर वापस ले लिया जाएगा।

सरकार ने एक सहायक प्रादेशिक सेना बनाने का भी निश्चय किया है ।

राष्ट्रीय सैनिक शिक्षार्थी दल (नेशनल केडेट कोर)

राष्ट्रीय सैनिक शिक्षार्थी दल (नेशनल केडेट कोर) के विद्यार्थी (केडेट) अपने सालाना कैंपों का लाभ उठाकर, गांवों में गए और वहां सामूहिक विकास-योजनाओं के कार्यक्रमों को पूरा करने में सहायता दी। इसके दो लाभ हुए। एक ओर तो इससे गांव वालों को अपनी योजनाएं पूरी करने में सहायता मिली और दूसरी ओर इससे केडेटों में सेवा की भावना पैदा हुई और उन्हें श्रम की प्रतिष्ठा मालूम हो गई। कई जगह तो उन्हें महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुईं। दूसरी जगह वे इस समय देहाती इलाकों के विकास की विभिन्न योजनाओं का काम करने में लगे हुए हैं या फिर उन पर काम शुरू करने वाले हैं।

मिसाल के लिए दिल्ली में अजमेर, राजस्थान, मध्यभारत और दिल्ली के १२०० केडेटों ने चालीस मील लम्बी नालियों को साफ करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। इन नालियों में मिट्टी जमा हो जाने से वर्षा के दिनों में हर साल ही शहर के समीपवर्ती गांवों में पानी भर जाया करता था। बेलगांव जिले में बम्बई और सौराष्ट्र के कोई ७०० केडेट इस समय दलित जातियों के लोगों के परिवारों के लिए मकान बना रहे हैं। इन्होंने एक दो मील लम्बी सड़क बनाने का काम भी शुरू कर रखा है। बिहार के केडेट रांची के पास औरमांभी सामूहिक विकास-योजना के काम में हाथ बटा रहे हैं और उन्होंने इस इलाके में सड़कें और बांध बनाने का काम अपने ऊपर ले रखा है। उत्तर प्रदेश और विन्ध्यप्रदेश के कोई ६०० केडेटों ने लैंसडौन में कैंप लगा रखा है और लगभग १४ फुट चौड़ी और ४ मील लम्बी एक सड़क बना रहे हैं। यह सड़क जारीकल और लैंसडौन को मिला देगी। यह इस इलाके की एक सामूहिक विकास-योजना में शामिल है। यह सब काम केडेटों को दी जाने वाली साधारण शिक्षा के अलावा है। इसका मुख्य उद्देश्य केडेटों में अनुशासन और नेता बनने के गुण पैदा करना, उनके चरित्र का निर्माण करना और उनमें सामूहिक-जीवन की भावना पैदा करना है।

सन् १९५२ की एक महत्वपूर्ण घटना यह रही कि एक नौसेना-शाखा की स्थापना की गई जिसमें दो सीनियर डिवीजन और ३६ जूनियर डिवीजन यूनिट शामिल किए गए। सीनियर डिवीजन यूनिटों में इस समय कोई ८०० अफसर और २५००० केडेट शामिल हैं और जूनियर डिवीजन यूनिटों में कोई १५०० अफसर और ५२००० केडेट हैं। लड़कियों के डिवीजन की यूनिट में १६ अफसर और ४५० केडेट हैं।

सरकार ने नेशनल-डिफेन्स-एकेडेमी में नेशनल-केडेट-कोर के लोगों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए हैं। एकेडेमी में बहुत से केडेट नेशनल-केडेट कोर के सीखे सिखाए लोग ही हैं। ये उन लोगों के अलावा हैं जो सुरक्षित स्थानों पर लिए जाते हैं।

नेशनल-केडेट-कोर का काम सिर्फ लड़कों और लड़कियों को सैनिक बनाना ही नहीं है। उसका मुख्य उद्देश्य उनमें नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक गुणों का विकास करना है जिससे वे उस काम को निभा सकें, जिसे वे देश-सेवा के लिए अपने ऊपर ले। पिछले वर्ष नेशनल-केडेट-कोर इस लक्ष्य की ओर बराबर अग्रसर होती रही।

वैदेशिक-कार्य

भारत विश्व में शान्ति का समर्थक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी सन् १९५३ में संयुक्त-राष्ट्र-संघ की जनरल असेम्बली के अधिवेशन में इस बारे में अनथक प्रयत्न किए कि कोरिया में युद्धबंदियों की वापसी के सवाल को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है वह दूर हो जाए और लड़ाई बन्द हो जाए। भारतीय प्रस्ताव का ५४ राष्ट्रों ने समर्थन किया। भारत ने चीन जन-राज्य को संयुक्त-राष्ट्र-संघ और उसकी दूसरी सहायक-संस्थाओं का सदस्य बनाने के प्रयत्न जारी रखे।

भारत ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ, उसके कार्यकारी कमीशनों और विशेष एजेन्सियों के कार्यों में सक्रिय भाग लिया। खाद्य-कृषि-संगठन, संयुक्त-राष्ट्र-संघ के शिक्षा-विज्ञान संस्कृति-संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय

असैनिक उड्डयन-संगठन, विश्व-स्वास्थ्य-संघ, अन्तर्राष्ट्रीय तार-टेलीफोन-यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय डाक-यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संगठन, विश्व-अन्तरिक्ष-विज्ञान-संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय राजकीय सामुद्रिक सलाहकार-संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष आदि के अधिवेशनों के अलावा, उसने १४ दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया।

दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में जनरल-असेम्बली में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसके अनुसार एक सद्भावना कमीशन की स्थापना की गई जो दक्षिण अफ्रीका सरकार, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच समझौता कराने की व्यवस्था करेगा और उसमें सहायता भी देगा। साथ ही, उसमें दक्षिण अफ्रीका क सरकार से कहा गया है कि वह क्षेत्र-विभाजन-कानून की धाराओं को अभी लागू न करे। असेम्बली ने एक प्रस्ताव और पास किया जिसके अनुसार एक कमीशन बनाया गया जो दक्षिण अफ्रीका में जाति-भेद सम्बन्धी समस्या की जांच करेगा और असेम्बली के आठवें अधिवेशन में यह बताएगा कि उसने क्या-क्या नतीजे निकाले हैं।

भारत सन् १९५३ और १९५४ के लिए जनरल-असेम्बली के राष्ट्र-शान्ति-जांच-कमीशन का फिर से सदस्य चुन लिया गया। वह जनवरी सन् १९५३ से तीन साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुन लिया गया। पराधीन देशों के बारे में सूचना प्राप्त करने वाली कमेटी का भी वह फिर से तीन साल के लिए सदस्य चुना गया।

भारत के उपराष्ट्रपति डाक्टर एस० राधाकृष्णन एक राय से संयुक्त-राष्ट्र-संघ के शिक्षा-विज्ञान और संस्कृति-संगठन के सातवें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। डाक्टर राधाविनोद पाल अन्तर्राष्ट्रीय कानून-कमीशन के सदस्य चुने गए। वे उनसे ही समय तक इस कमीशन के सदस्य रहेंगे जितने समय श्री बी० एन० राव और रहते। श्री बी० एन० राव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज (न्यायाधीश) नियुक्त हो कर चले गए हैं।

नए कूटनीतिक मिशन

इस साल जर्मनी और जापान के दो नए कूटनीतिक मिशन स्थापित किए गए। इस प्रकार अब भारत में ४२ देशों का कूटनीतिक प्रतिनिधित्व है।

जहां तक विदेशों में भारत के कूटनीतिक-मिशनों का सम्बन्ध है, मास्को स्थित भारतीय राजदूत को हंगरी में भारत का दूत, काहिरा में भारत के राजदूत को लीबिया में भारत का दूत और पोर्ट-लुई स्थित भारतीय कन्सुल को मेडागास्कर में भारत का वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया। दमिश्क में एक अलग लीगेशन खोला गया जिसमें फर्स्ट-सेक्रेटरी के दर्जे का एक कार्यकारी दूत नियुक्त किया गया। साथ ही मशेद में एक कौन्सल-जनरल का दफ्तर खोला गया। हांगकांग में जल्दी ही एक कन्सुलर नियुक्त किया जाएगा। जर्मनी और जापान में भारतीय-मिशनों के दर्जे को बढ़ाकर राजदूतावास बना दिया गया।

इस साल, हेग में भारतीय राजदूत के लिए मकान खरीदने की मंजूरी दी गई। नौरोबी में मकान बनवाए जा रहे हैं। कराची में निर्माण-कार्य शुरू करने की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

उत्तर-पूर्वी सीमा

इस साल आसाम की जन-जातियों के इलाकों के प्रशासन को मजबूत बनाने की कार्यवाहियां की गईं। से ला सब-एजेन्सी में सेपला नामक स्थान पर एक नया प्रशासन-केन्द्र खोला गया। कई नई सड़कें भी बनाई गईं और मौजूदा सड़कों को बढ़ाया गया और मरम्मत की गई। उत्तर-पूर्वी-सीमा-प्रशासन के लिए इमारतें बनवाने का काम और विकास-योजना का काम ठीक तरह से आगे बढ़ रहा है।

बर्मा-सरकार के सुभाव पर भारत सरकार यह बात मान गई है कि जन-जाति इलाकों के भगड़े और भारत-बर्मा सीमा से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे भगड़ों को निपटाने के उद्देश्य से दोनों सरकारों के प्रतिनिधि सीमा पर सम्मेलन करने का कार्यक्रम फिर शुरू कर दें। इस प्रकार का पहला सम्मेलन दिसम्बर

१९५२ में रंगून में हुआ था जिसके फलस्वरूप दोनों सरकारें जनजातियों पर नियन्त्रण रखने और उन्हें हत्या करने की कार्रवाइयों से रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही हैं।

जनजातियों के इलाकों में कई व्यापार-केन्द्र खोले गए हैं जिससे कि जनजातियों के लोगों को उचित दामों पर आवश्यक चीजें मिलने में सुविधा हो जाए। जहाँ कहीं सड़कों द्वारा चीजें नहीं भेजी जा सकीं, वहाँ हवाई जहाजों से चीजें डाली गईं।

उत्तर-पूर्वी सीमा-एजेन्सी की विकास-योजना को योजना कमीशन की सलाह से अन्तिम रूप दे दिया गया है। योजना में सड़कों, इमारतों, जंगल, खेती, शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। उत्तरी पूर्वी-सीमा-एजेन्सी के जनजाति इलाकों के लिए पासीघाट में एक सामूहिक-विकास-खंड बनाया गया है।

अक्तूबर सन् १९५२ में प्रधानमंत्री ने आसाम का दौरा किया और वे एजेन्सी के तीन जिलों—चारद्वार, जीरो और पासीघाट के प्रधानकार्यालयों में गये। इन स्थानों में जनजातियों के लोगों और उनके नायकों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

भारत सरकार, नेपाल सरकार को शासन के पुनर्संगठन और देश के विकास के बारे में सलाह देती रही। भारत सरकार के मुख्य चुनाव-कमिश्नर हाल ही में नेपाल गए थे। राज्य-विधान-मंडल के लिए पहला चुनाव कराने के वास्ते प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस वर्ष ल्हासा के भारतीय मिशन को कौंसल-जनरल के दफ्तर में बदल दिया गया। यातुंग, ग्यांसी, और गाटोंक की भारतीय व्यापार-एजेन्सियां बराबर काम करती रहीं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया

३१ जनवरी सन १९५२ को रंगून में भारत और बर्मा के मध्य एक मैत्री-

सन्धि पक्की कर दी गई और ७ नवम्बर सन् १९५२ को उसे संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सचिवालय में दर्ज करा दिया गया ।

नवम्बर १९५२ में बर्मा के प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध के दो मुख्य शिष्यों के अवशेषों की प्रतिष्ठा के अवसर पर समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए ।

बर्मा सरकार का एक पुनर्वास-पड़ताल-दल अप्रैल १९५२ में भारत आया । यह दल कोई चार सप्ताह के लिए आया था और इस समय में इसने पुनर्वास और घरेलू-उद्योगों के कई केन्द्र देखे, जिनमें फरीदाबाद, नीलोखेड़ी, बम्बई, गांधीधाम, मद्रास और कलकत्ता शामिल हैं ।

बर्मा सरकार के राष्ट्रीय-योजना मन्त्रालय का एक दल भी एक महीने के दौरे पर भारत आया और उसने छोटे-छोटे उद्योगों के केन्द्र और बम्बई, पूना, बंगलौर और मैसूर की पन-बिजली योजनाओं को देखा ।

चूंकि शान राज्यों के सरदारों ने अपने शासन-सम्बन्धी अधिकार बर्मा-सरकार को सौंप देने का फैसला कर लिया था, इसलिए बर्मा का एक प्रतिनिधि मंडल अगस्त १९५२ में एक महीने के लिए भारत आया । यह प्रतिनिधि मंडल इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि देशी-राज्यों के भारत में मिल जाने से वित्तीय और दूसरी समस्याओं का निपटारा किस ढंग से किया गया ।

इस वर्ष बर्मा सरकार की नौकरियों से भारतीय नागरिकों को निकाला जाना शुरू रहा । इन्हें भारत में काम दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत नौकरियां प्राप्त कराने में सहायता दिलाने का काम जारी रखा गया । इनमें से अधिकतर लोगों को भारत सरकार, राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं ने अपने यहां नौकरियों पर रख लिया । सन् १९५२ में, कोई १७३ भारतीय नागरिकों को जो बर्मा में बेसहारे हो गए थे, सरकारी खर्च पर वापस बुला लिया गया ।

बर्मा सरकार ने बर्मा में सर्विस के लिए कोई दो सौ भारतीय डाक्टर ऐसी शर्तों पर भरती किए जो भारत सरकार को मान्य थीं ।

सितम्बर १९५२ में लंका में विनिमय-नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया और भारत भेजे जाने वाले धन की मात्रा कम कर दी गई। इस वर्ष लंका-सरकार देश के व्यापार को लंका वालों के अधिकार में लेने की नीति पर चलती रही। आवासी और प्रवासी कानून के प्रशासन के बारे में लंका-सरकार की नीति में कोई फेर-बदल नहीं दिखाई दिया। लंका में भारतीय हाई कमिश्नर, लंका अधिकारियों का ध्यान भारतीय लोगों की कठिनाइयों की ओर दिलाते रहे।

यानी अर्जी भेजने की अन्तिम तारीख ५ अगस्त १९५१ तक रजिस्ट्रेशन-कमिश्नर के पास नागरिक अधिकार प्राप्त करने के बारे में २,३७,०३४ अर्जियां पहुंचीं। ये अर्जियां कोई ८ लाख भारतीयों की ओर से थीं। ३१ दिसम्बर १९५२ तक ४४६८ अर्जियां स्वीकार की गईं जिनका सम्बन्ध कोई १५,५६६ व्यक्तियों से था। वर्ष के अन्त में भारतीय और पाकिस्तानी निवासी (नागरिकता) कानून में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार लंका में रहने वाले कई हजार व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

२३ मार्च सन् १९५१ को भारत और इंडोनीशिया ने एक मैत्री-संधि पर दस्तखत किए। बाद में इंडोनीशिया की संसद ने इसे पक्का कर दिया।

मलाया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लाभ के लिए एक वजीफा कोष स्थापित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस कोष की सहायता से मलाया में रहने वाले भारतीय-विद्यार्थी मलाया-यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह कोष मलाया में खोला जा रहा है।

मलाया में भारतीय प्रतिनिधि के प्रयत्नों के फलस्वरूप, मलाया-सरकार यह मान गई है कि वह भारतीय आवासी-कोष में बची हुई रकम के अपने १/३ वें हिस्से को मलाया में रहने वाले भारतीय मजदूरों को जमीनें देकर बसाने के काम में खर्च करेगी। सिंगापुर-सरकार ने भी इस कोष में जमा की गई अपनी रकम, भारतीय मजदूरों को वापस भारत भेजने के काम में खर्च करने का फैसला किया है।

यह भी फौसला किया गया है कि हर साल एक विख्यात विद्वान थाईलैन्ड भेजा जाएगा जो वहाँ भारत-थाईलैन्ड के पारस्परिक हित से संबंध रखने वाले सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों पर तीन लैक्चर देगा । इसका खर्च पिछली आजाद हिन्द फौज और इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स लीग फंड की बाकी रकम पर मिलने वाले व्याज से दिया जाएगा ।

सुदूर-पूर्व

चीन जनराज्य और भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे । सन् १९५२ की पहली छमाही में भारत का एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल चीन गया । सांस्कृतिक मंडलों के एक देश से दूसरे देश में आने जाने से दोनों देशों के मैत्री सम्बन्ध अधिक अच्छे हो गए ।

भारत इस बात की बराबर कोशिश करता रहा कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ में चीन जन-राज्य का प्रतिनिधित्व हो जाय ।

भारत और फिलिपीन के बीच एक मैत्रीसंधि हुई । इसे दोनों देशों की सरकारों द्वारा पक्का किए जाने के बाद लागू कर दिया जाएगा ।

ब्रिटेन की सरकार हांगकांग में वैधानिक सुधार करने की समस्या पर विचार कर रही है । भारत सरकार जल्दी ही हांगकांग में एक कमिश्नर नियुक्त कर रही है जो वहाँ उसका प्रतिनिधित्व करेगा ।

२८ अप्रैल सन् १९५२ को भारत सरकार ने जापान के साथ लड़ाई की स्थिति खत्म करने का एलान कर दिया था । इसके बाद भारत-सरकार ने जापान के साथ एक अलग शांति-संधि कर ली । टोकियो के भारतीय सम्पर्क-मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया गया । जापान सरकार ने नई दिल्ली में राजदूत का दफ्तर और बम्बई और कलकत्ता में कौंसल-जनरल (वाणिज्य-दूत) के दफ्तर खोले ।

मध्य-पूर्व

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी जो संधि हुई थी, वह मार्च १९५२ में लागू हो गई ।

नवम्बर १९५२ में सहारनपुर के आर्मी रिमाउंट डिपो के दो सीखे-सिखाए घोड़े अफगानिस्तान के बादशाह को भेंट किए गए ।

अगस्त सन् १९५२ में अफगानिस्तान सरकार के बुलावे पर एक भारतीय हाकी टीम और पहलवानों का एक दल 'अफगान जश्न' के समारोह में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान गए । इसके अलावा, अफगानिस्तान के स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अध्यापकों के एक और दल का चुनाव किया जा रहा है ।

चूंकि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय हवाई जहाजों को दिल्ली से सीधे काबुल जाने की सुविधाएं देने से इन्कार कर दिया था इसलिए अप्रैल १९५२ में मॉन्ट्रियल में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संगठन से शिकायत की गई । इस सम्बन्ध में बातचीत होने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों के लिए दो वैकल्पिक रास्ते बताए : दिल्ली-लाहौर-कंधार-काबुल (पेशावर के इलाके को छोड़ कर) या भारत-कराची-कंधार-काबुल (क्वेटा के इलाकों को छोड़ कर) । भारत सरकार ने ये रास्ते स्वीकार कर लिए हैं और इसकी सूचना अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संगठन को भेज दी है ।

मार्च सन् १९५२ में एक भारतीय हवाई प्रतिनिधि-मंडल ईरान के साथ हवाई समझौता करने के लिए तेहरान भेजा गया था । अभी बातचीत चल रही है । ईरान को टिड्डियों के खतरे से बचाने में सहायता देने के लिए, भारत सरकार ने ७६,००० रुपए के मूल्य की सामग्री ईरान भेजी । १ मार्च सन् १९५२ को भारत और ईरान के बीच एक सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा शुरू की गई । अप्रैल १९५२ में ईरान के पशु-चिकित्सा के दो प्रोफेसर और आठ विद्यार्थी कोई तीन सप्ताह के दौरे पर भारत आए और उन्होंने भारत के कुछ पशु-चिकित्सालयों का काम देखा ।

१० नवम्बर १९५२ को बगदाद में इराक के साथ एक मैत्री-संधि पर दस्तखत हुए । व्यापार और हवाई समझौतों के बारे में भी बातचीत चल रही है ।

भारत और इराक की सरकारें सिद्धान्त रूप में यह मान गई हैं कि वे अपने-अपने लीगेशन को राजदूतावास में बदल दें ।

भारत और मिस्र ने १४ जून १९५२ को काहिरा में जिस हवाई सम्झौते पर दस्तखत किए थे, वह इस वर्ष लागू हो गया ।

इस वर्ष कोई न हजार भारतीय मुसलिम यात्रियों के हैजाज की यात्रा के लिए जाने का प्रबन्ध किया गया ।

तुर्की के साथ हुई मैत्री-संधि ६ अगस्त सन् १९५२ को लागू हो गई । व्यापार सम्झौते के बारे में बातचीत चल रही है ।

अमेरिका

भारत और अमेरिका के बीच पिछले कई वर्षों से मित्रता, व्यापार और जहाजरानी सम्बन्धी संधि करने के बारे में बातचीत चल रही है । यह सुझाव रखा गया है कि संधि हो जाने पर, इसे मित्रता और संस्थान की संधि कहा जाय ।

यूरोप

फ्रांसीसी पार्लैमेंट द्वारा चन्द्रनगर को भारत के साथ मिलाने की संधि के पक्का किएजाने पर ६ जून सन् १९५२ को चन्द्रनगर वैधानिक दृष्टि से भारत को सौंप दिया गया । इस समय इस इलाके का शासन, संविधान के २४३ वें अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जा रहा है ।

जहां तक भारत में बाकी चार और फ्रांसीसी इलाकों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने फ्रांस सरकार को सुझाव दिया है कि इन इलाकों को जनमत लिए बिना सीधे ही भारत को सौंप देने के लिए बातचीत शुरू की जाए ।

१३ नवम्बर १९५२ को हेग में पीस-पैलेस् में महात्मा गान्धी की कांसे की ऊर्ध्वकाय मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई ।

भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से अनुरोध किया है कि वह गोआ, दमन, और ड्यू भारत को सौंपने के वास्ते बातचीत शुरू करे। पुर्तगाल सरकार के पास इस बारे में कई अभिवेदन भेजे गए कि उसने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनमें भारतीयों के साथ भेद-भाव किया गया है।

स्वीडन का पुरातत्व खोज सम्बन्धी एक दल दिसम्बर सन १९५२ में भारत आया। इसमें ग्यारह सदस्य पुरातत्व विज्ञान सम्बन्धी खोज के लिये आए थे।

संयुक्त राष्ट्र संघ, नार्वे सरकार और भारत के बीच एक त्रिदली समझौते पर न्यूयार्क में २७ अक्टूबर १९५२ को दसखत किए गए। यह समझौता भारत के आर्थिक विकास के बारे में है।

यूगोस्लाविया का एक सद्भावना मण्डल जिसमें बड़े-बड़े राजनीतिक नेता शामिल थे, दिसम्बर १९५२ में भारत आया।

अफ्रीका

टांगानीका सरकार के अनुरोध पर वहां सरकारी नौकरी के लिए केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन) की मार्फत, कई भारतीय डाक्टर चुनने की व्यवस्था की गई।

भारत सरकार और लीबिया सरकार ने लीगेशन खोल कर एक दूसरे के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना स्वीकार कर लिया। काहिरा में भारतीय राजपुत्र को लीबिया में भी भारत का दूत बना दिया गया है।

मेडागास्कर में कौंसिल-जनरल (वाणिज्य-दूत) का दफ्तर खोलने का फैसला किया गया है। मारीशस में भारतीय कमिश्नर को मेडागास्कर में भी कौंसिल जनरल बना दिया जायगा।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार क्षेत्र विभाजन कानून के अनुसार गैर-यूरोपियनों के आर्थिक और निवास सम्बन्धी पार्थक्य की नीति पर चलती रही। इस वर्ष इस कानून के अधीन कई सूचनाएं और नियम जारी किए गए।

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका स्थित भारतीय कमिश्नर जुलाई-अगस्त सन् १९५२ में गोल्डकोस्ट और नाइजीरिया के दौरे पर गए। एकरा में एक भारतीय मिशन खोलने का विचार है जिसका अधिकार क्षेत्र गोल्डकोस्ट और नाइजीरिया में होगा।

नवम्बर १९५२ में नाइजीरिया के दो मन्त्री सद्भावना के लिये भारत के दौरे पर आए।

पाकिस्तान

२१ अगस्त १९५२ को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान सरकारों के पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। उन्होंने अन्तिम रूप से गंगा नदी के साथ-साथ पश्चिमी और पूर्वी बंगाल की सीमा स्वीकार की। इस विषय पर भारत और पाकिस्तान में मतभेद था और यह झगड़ा निपटाने के लिये बागे अदालत को सौंपा गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की प्रेरणा से भारत और पाकिस्तान द्वारा नामज़द किए गए इंजीनियरों की एक बैठक वाशिंगटन में मई-जून १९५२ में और कराची में दिसम्बर १९५२ में हुई। इसमें इस बात पर विचार किया गया कि दोनों देशों को अपने-अपने आर्थिक विकास के लिये सिन्ध नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलने वाले पानी की मात्रा किन टैकनिकल उपायों से बढ़ाई जा सकती है। अनुमान है, यह काम इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

अप्रैल सन् १९५२ में पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिये परमिट प्रणाली की जगह पासपोर्ट और विज्ञा-प्रणाली शुरू करने का फैसला किया। उसने यह भी फैसला किया कि यह प्रणाली पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच आने जाने वाले लोगों पर भी लागू की जाए। पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच लोगों के आने जाने पर उस समय कोई रोकटोक न थी। बातचीत के फलस्वरूप दोनों देशों द्वारा शुरू की जाने वाली नयी प्रणाली की मुख्य-मुख्य बातों पर समझौता हो गया। यह व्यवस्था १५ अक्टूबर १९५२ से लागू हो गई। केवल पाकिस्तान जाने के लिये विशेष पासपोर्ट देने के बारे में राज्य सरकारों के साथ भी प्रबन्ध किया गया।

पासपोर्ट प्रणाली पर विचार करने के लिए भारत और पाकिस्तान का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में जनवरी १९५३ में हुआ। इस सम्मेलन में जिन बातों पर समझौता हुआ, उन्हें अभी तक दोनों सरकारों ने पक्का नहीं किया है। यदि ये लागू हो गए तो भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों का आना जाना पहिले से अधिक आसान हो जाएगा।

अप्रैल सन् १९५० में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों के बीच अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनके अधिकारों के बारे में जो समझौता हुआ था, वह अब भी लागू है और इसके अधीन जो संगठन कायम किये गये थे वे काम कर रहे हैं।

पासपोर्ट और विज्ञा-प्रणाली जारी करने से पहले पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के बीच लोग बड़ी संख्या में आ जा रहे थे। १ जनवरी १९५२ से १५ अक्टूबर १९५२ तक, जब कि पासपोर्ट विज्ञा प्रणाली लागू हुई, १७.०५ लाख हिन्दू और ७.६८ लाख मुसलमान यात्री रेलों से पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आए और १७.७२ लाख हिन्दू और ६.०३ लाख मुसलमान पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल गए। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो एक देश से दूसरे देश को वहां रहने के वास्ते गए। सितम्बर और अक्टूबर १९५२ में पासपोर्ट विज्ञा प्रणाली के दुष्परिणामों के डर से हिन्दू बड़ी संख्या में पूर्वी बंगाल से भागे। १५ अक्टूबर १९५२ में पासपोर्ट विज्ञा प्रणाली लागू होने के बाद, यातायात बहुत कम होगया।

भारत पाकिस्तान का सन् १९५२ का व्यापार समझौता ३० जून १९५२ को खत्म हो गया। सन् १९५२-५३ के लिए दोनों सरकारों ने ५ अगस्त सन् १९५२ को एक नए समझौते पर दस्तखत किए।

इस वर्ष कुछ और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया, जो इस प्रकार हैं — भारत-पाकिस्तान की सीमा बन्दी, निष्क्रान्तों की संपत्ति का सवाल और पाकिस्तान में भारत-विरोधी प्रचार।

अपहृत व्यक्तियों की खोज और वापसी से सम्बन्ध रखने वाले सन् १९४६ के कानून में संशोधन किया गया और उसकी जगह अपहृत व्यक्तियों की खोज और वापसी के बारे में सन् १९५२ का संशोधित कानून बनाया गया जो

फरवरी १९५४ के अन्त तक लागू रहेगा। मियाद इसलिए बढ़ानी पड़ी कि अभी दोनों ओर बहुत से अपहृत लोगों की खोज और वापसी का काम बाकी है।

सन् १९५२-५३ में भारत में १२८६ और पाकिस्तान में ४७४ अपहृत व्यक्तियों की खोज की गई। भारत में ढूँढ कर निकाले गए अपहृत व्यक्तियों की संख्या इस वर्ष इसलिए कम हो गई कि भारत में पंजाब हाईकोर्ट के पूरे बेंच के फैसले के फलस्वरूप कोई चार महीने तक काम रुका रहा। हाईकोर्ट की पूरी बेंच ने यह फैसला दिया था कि यह कानून संविधान के २२ वें अनुच्छेद की धाराओं के अनुकूल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधानिक रूप से ठीक बताया। इसके बाद यह काम फिर शुरू किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने कश्मीर का भगड़ा सुलभाने के बारे में अपने प्रयत्न जारी रखे। उसके प्रतिनिधि डाक्टर फ्रांक ग्राहम ने भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ २६ मई से ६ जुलाई १९५२ तक न्यूयार्क में और २६ अगस्त से १० सितम्बर १९५२ तक जिनेवा में बातचीत की। इस बातचीत के नतीजे डाक्टर ग्राहम ने अपनी तीसरी और चौथी रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद के सामने पेश किये। इन रिपोर्टों पर विचार करने और भारत और पाकिस्तान के विचार जानने के बाद सुरक्षा परिषद ने २३ दिसम्बर १९५२ को ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा रखा गया प्रस्ताव पास कर दिया। भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी मूलस्थिति के विलकुल विरुद्ध था। फिर भी, उसने यह इच्छा प्रगट की कि वह इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकालने के लिए बातचीत जारी रखने को तैयार है। इसके बाद, फरवरी १९५३ में जिनेवा में डाक्टर ग्राहम से फिर बातचीत हुई।

सांस्कृतिक वजीफे

एक ओर भारत और दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने सन् १९४९ में सांस्कृतिक वजीफे देने का जो कार्यक्रम शुरू किया था, उसका विदेशों में बड़ा स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार इन देशों के विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। इस कार्यक्रम को अधिक देशों में लागू करने

और इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से वजीफों की संख्या ७० से बढ़ाकर १०० कर दी गई। ये वजीफे एशिया और अफ्रीका के देशों में रहने वाले गैर भारतीय और भारतीय दोनों तरह के विद्यार्थियों को दिए गये।

प्रवास

इस वर्ष भारत सरकार की प्रवास नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अप्रवीण मजदूरों के देश से बाहर जाने पर रोक लगी रही। सिर्फ कुछ विशेष श्रेणियों के मजदूरों को ही देश से बाहर जाने की इजाजत दी गई। प्रवीण मजदूरों का बाहर जाना भारतीय आवास कानून के अधीन नियमित किया जाता रहा। लेकिन, वर्मा के लिए २५० डाक्टर और कई लैक्चरर भरती करने की इजाजत दे दी गई थी।

कानून का उल्लंघन करके लंका जाने वालों को रोकने के बारे में क्या प्रगति हुई है, इस बारे में विचार करने के लिए मद्रास में नवम्बर १९५२ में भारत सरकार और मद्रास सरकार के अफसरों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को रोकने के लिये और भी उपायों के बारे में विचार किया गया। अप्रवीण मजदूरों के मलाया जाने पर रोक लगाने के बारे में पुरानी अधिसूचनाओं की जगह सितम्बर १९५२ में एक नयी अधिसूचना जारी की गई।

भारत सरकार ने उत्तर बोरिनियों सरकार का यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है कि दस हजार भारतीय परिवार उत्तरी बोरिनियों में स्थायी रूप से बसाने के वास्ते वहां भेजे जाएं। एक प्रतिनिधि मण्डल उत्तर बोरिनियों भेजने का विचार है जो इस बात की जांच करेगा कि वहां भारतीयों के सफल रूप से बसाए जाने की कैसी संभावना है।

जहाजों के डेक में बैठ कर मलाया जाने वाले यात्रियों की संख्या जहाजों में लोगों के बैठने के लिये प्राप्त जगह से कहीं अधिक है। इसलिए, यात्रियों का जगह की व्यवस्था करने वाले दलालों और दूसरे लोगों ने चोर बाजारी दलाली और दूसरी खराब बातें शुरू कर दीं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अब विशेष जहाजों द्वारा यात्रा करने के वास्ते बारी के हिसाब से "कोई आपत्ति नहीं" इस आशय के सर्टिफिकेट जारी कर दिये जाते हैं। डेक में यात्रा करने के लिए पहले से ही बुकिंग करने की व्यवस्था हो सकती है।

सूचना सेवार्ये

इस वर्ष विदेशों में किए जाने वाले प्रचार के काम में काफी वृद्धि और सुधार हुआ । दमिश्क में भारत के दफ्तर की जगह लीगेशन बना दिया गया । पश्चिमी जर्मनी में बौन में एक नया प्रचार केन्द्र खोला गया । सेल्जिबरी (दक्षिण रोडेशिया) और एकरा (गोल्ड कोस्ट) के लिए छोटे-छोटे सूचना दफ्तर मंजूर किए गए । प्रचार के काम में सुधार करने के लिए, लिस्वन, सानफ्रांसिस्को, गोआ, और जोहान्सबर्ग में भारतीय मिशनो को प्रचार के काम के लिए थोड़े से कर्मचारी दिए गए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के एक अफसर को चतुर्थ सूचना अफसर के रूप में नियुक्त करके अमेरिका में प्रचार संगठन को मजबूत बनाया गया । समूचे मध्य-पूर्व के लिए एक सीनियर अफसर को भारतीय जन-सम्पर्क-अधिकारी बनाकर काहिरा भेजा गया । उसका प्रधान कार्यालय काहिरा में है । इस वर्ष प्रचार के काम के लिये २६ नियमित पदों पर लोग काम करते रहे । पिछले साल इस तरह के बीस अफसर थे ।

इस वर्ष बहुत सी पुस्तिकाएं और संक्षिप्त विवरण-पत्र आदि निकाले गए । विदेशों में प्रचार केंद्रों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का वितरण काफी बढ़ाया गया । बाहरी लोगों से पहले से अधिक विशेष लेख आदि लिखाए गए । इबोनाइड ब्लाक छपाने और फोटो चित्र बांटने में भी वृद्धि की गई ।

ईरान के प्रमुख पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पांच सप्ताह तक भारत का दौरा किया । आशा है आस्ट्रेलिया का एक पत्रकार प्रतिनिधि मण्डल इस वर्ष के अन्त तक भारत आएगा ।

इस वर्ष फिल्मों द्वारा भी विदेशों में प्रचार करने का काम काफी आगे बढ़ा । भारत सरकार के सूचना और प्रसार मन्त्रालय के फिल्म डिवीजन द्वारा तैयार की गई कोई २५ डाकूमेटरी फिल्में विदेशों में ३७ भारतीय मिशनो को भेजी गईं । इस के अलावा भारतीय समाचार समीक्षाओं के विदेशी संस्करण चुने हुए भारतीय-मिशनो को भेजे गए । कुछ हिन्दी फिल्मों को बाहर भेजकर भारतीय फिल्मों का प्रचार करने की कोशिश की गई ।

इसके अलावा भारतीय मिशनों को भिन्न-भिन्न प्रकार के भारतीय संगीत के कोई १७०० ग्रामोफोन रिकार्ड बट्टे गए । इस वर्ष के अन्त तक विदेशों में बांटने के लिए ४,००० और रिकार्डों के आर्डर दिए ।

भारतीय कला कलैण्डर की १५,००० प्रतियां प्रयोग के तौर पर तैयार की गईं । इस कलैण्डर में आधुनिक भारतीय कलाकारों द्वारा बनाये गये चित्रों की रंगीन प्रतियां छपी हैं । इनमें से ११,००० से भी अधिक प्रतियां विदेशों में बांटने के लिए भारती मिशनों को भेजी गईं ।

एक भारती कला-प्रदर्शनी चीन, जापान और आस्ट्रेलिया भेजी गई और इसके परिणाम सन्तोषजनक रहे । इसके अलावा, भारतीय मिशनों ने कई छोटी-छोटी प्रदर्शनियों का प्रबन्ध किया । सभी सूचना केन्द्रों में गणराज्य दिवस के समारोहों पर विशेष ध्यान दिया गया और विशेष बुलेटिन निकाले गए ।

विदेशों में भारतीय मिशनों के पुस्तकालयों को बहुत सी चुनी हुई पुस्तकें भेजी गईं । निर्देश पुस्तकों के अलावा, प्रमुख भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई, इतिहास, संस्कृति और कला की पुस्तकें नियमित रूप से इन पुस्तकालयों को भेजी जाती हैं ।

पंचवर्षीय योजना

अप्रैल सन् १९५१ से पंचवर्षीय योजना पर वाक्यादा अमल हुआ । योजना का पहला मसौदा जुलाई सन् १९५१ में प्रकाशित किया गया, और केंद्रीय और राज्य सरकारों के सन् १९५१-५२ के बजट के आधार पर ही इस वर्ष का विकास-व्यय निश्चित किया गया ।

सन् १९५० की दूसरी छमाही में तथा सन् १९५१ के शुरू में स्फीतिकारी प्रभावों का अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा । सन् १९५२-५३ में कोरियाई युद्ध के कारण व्यापारिक हलचल बढ़ जाने से स्फीतिकारी प्रभाव में काफी शिथिलता आ गई । यह बात भी साफ हो गई कि विकास का जो कार्यक्रम पहले तैयार किया गया है, उससे देश की आवश्यकताएं पूरी न हो पाएंगी ।

अतः सन् १९५२-५३ में सामूहिक विकास जैसी कुछ योजनाएं चालू करके विकास-कार्य की शुरुआत की गई, और बाद में बड़ी-बड़ी चालू योजनाओं के लिए भी अधिक खर्च की व्यवस्था की गई। इस तरह सन् १९५२-५३ में, सन् १९५१-५२ के विकास-व्यय से ६० करोड़ रुपये और सन् १९५०-५१ के विकास व्यय से लगभग ६० करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की गई।

कुल व्यय

सन् १९५१-५२ तथा सन् १९५२-५३ में कुल मिल कर ५८५ करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि पांच साल के लिये योजना पर कुल मिला कर २,०६६ करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इस प्रकार अगले तीन वर्षों में कुल व्यय का ७० प्रति खर्च करना बाकी रहा है। इन दो वर्षों में केंद्र ने राज्य सरकारों को ७१७ करोड़ रुपयों की सहायता दी। सन् १९५३-५४ में सन् १९५२-५३ से कोई ८० करोड़ रुपया अधिक खर्च करने की व्यवस्था की गई है और सन् १९५४-५५ तथा सन् १९५५-५६ के लिए खर्च की जाने वाली रकम को और भी बढ़ाना पड़ेगा।

सिन्ध्री के रासायनिक खाद तथा चित्तरंजन के रेल इंजन तैयार करने वाले कारखाने जैसे कई कार्यक्रम सन् १९५१-५३ में पूरे हो गए और इनमें काम भी शुरू हुआ। कई अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर वे योजना के चौथे और पांचवें वर्षों में ही पूर्ण हो कर बड़े पैमाने पर लाभदायक हो सकेंगे। योजना के पहले तथा दूसरे वर्ष का अधिकतर भाग इसके लिए कार्यक्रम तथा इसके खर्च का व्यौरा तैयार करने में ही व्यतीत हुआ खर्च की जानेवाली रकम का अधिकाधिक प्रयोग शेष रहा।

अर्थिक प्रवृत्तियां

आर्थिक क्षेत्र में इस समय जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये उन में से दो इस प्रकार हैं।

(१) मुद्रा स्फीति का नियंत्रण और आन्तरिक उत्पादन में वृद्धि। योजना ऐसे समय लागू की गई जबकि मुद्रा-स्फीति बहुत अधिक थी। गुजरे हुए दो वर्षों में प्रत्यन्त तथा अप्रत्यन्त मुद्रास्फीति को बढ़ने से

रोक लिया गया। इसके लिए बहुत हद तक बाहरी प्रभाव जिम्मेदार हैं पर भारत सरकार की आर्थिक नीति से भी इस में बड़ी सहायता मिली।

मुद्रा-संकोच (डिफ्लेशन) भी बहुत हद तक लाभदायक रहा। चीजों के दाम कोरियाई युद्ध से पहले की कीमतों से कम हो गए हैं और बहुत हद तक संतुलित हैं। दामों का एक जैसा रहना अधिक अन्न उपजाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है। खेती की उपज और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ संतुलित कीमतों से देश की आदायगी की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता मिली है।

अभी यह देखना बाकी है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं का उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, फिर भी आंतरिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। कच्चे माल, खास कर पटसन और रूई की उपज में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन में भी सन् १९५० की तुलना में कोई १५ से २० प्रतिशत वृद्धि हुई है। साथ ही अधिक जमीन पर खेती की गई है जिससे उपज में भी वृद्धि की संभावना है।

वित्तीय

योजना के दो वर्षों में विकास-कार्यों पर ५८५ करोड़ रुपये खर्च किये गये। इसमें से लगलग ३६३ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने आया की बचत; सरकारी उद्योगों की बचत या कर्जों, छोटी-छोटी डिपाजिटों तथा अन्य साधनों से प्राप्त किए। इन दो वर्षों में विदेशी कर्जों और सहायक-अनुदानों द्वारा १०६ करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। ११५ करोड़ रुपये की शेष रकम राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार संक्षिप्त प्रतिभूतियों (Securities) को बेचकर और रोकड़ से निकाल कर पूरी करेगी।

केन्द्र को पांच वर्षों में ७२६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था करनी है, जिनमें से इन से पहले दो वर्षों में २६२ करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। वित्तीय कमीशन के फैसले के फलस्वरूप केन्द्रीय को सन् १९५२-५३ से प्रतिवर्ष २० करोड़ रुपयों का घाटा होता है और राज्य सरकारों को इतना ही लाभ इस घाटे के बावजूद केन्द्र इतनी व्यवस्था कर सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा पांच वर्षों में ५३२ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, पर उन्होंने दो वर्षों में केवल १०१ करोड़ रुपये ही खर्च किये । 'क' भाग के राज्यों का कार्य 'ख' भाग के राज्यों से थोड़ा अच्छा रहा है ।

योजना के दो वर्षों में भारत सरकार ने राज्यों को कुल मिलाकर ७१.१ करोड़ रुपये की सहायता दी जब कि पांच वर्षों में कुल मिलाकर १८७ करोड़ रुपये की सहायता दी जानी है ।

विदेशी सहायता

योजना के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साधनों तथा २६० करोड़ रुपये की घाटे की नीति अपनाने के अतिरिक्त ५.२१ करोड़ रुपयों की कमी रहती है । इस कमी को विदेशी सहायता द्वारा, कर लगा कर, तथा बर्ज लेकर पूरा करने का सुझाव है । पिछले दो वर्षों में भारत को लगभग १८६ करोड़ रुपये विदेशी सहायता तथा कर्जों से प्राप्त हुए । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कर्ज, अमेरिका का अन्न का कर्जा, अमेरिकन टेकनिकल सहयोग संस्था और कोलम्बो योजना की सहायता तथा नारवे और फोर्ड प्रतिष्ठान के कर्ज भी शामिल हैं ।

उन्नति

योजना के विभिन्न क्षेत्रों में जो-जो विकास सन् १९५१-५३ में हुए उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(१) बड़ी योजनाओं से सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि... १४.२ लाख एकड़

(२) नई उत्पन्न की गई बिजली ३१५.०००

किलोवाट

(३) १९५१-५२ में फसलों में वृद्धि:

पटसन.. १४ लाख गांठें

रई.. ३.६ लाख गांठें

गन्ना.. ३ लाख टन

अनाज.. ११.५ लाख टन

(२७३)

(४) खेती की भूमि में वृद्धि (खरीफ की फसल सन् १९५२-५३)	६० लाख एकड़
(५) रेल इंजिन	५८
(६) रेल के डिब्बे (१९५१-५२)	६४३
(७) तैयार किए गए रेल के बैगन (अप्रैल १९५१-दिसम्बर १९५२)	८,०००
(८) चित्तरंजन में तैयार किए गए रेल-इंजिन के पुर्जे (जनवरी १९५३ तक)	७० प्रतिशत
(९) तटीय जहाजों में वृद्धि	७७,००० टन
(१०) विजगापट्टम के जहाज तैयार करने के कारखाने में बनाये गए जहाज	६
(११) नई सड़कें (राष्ट्रीय पथ तथा फौजी सड़कें)	२४० मील
(१२) मौजूदा सड़कों में सुधार	१,०५० मील
(१३) नए पुल (बड़े)	१७

निम्नलिखित सरकारी कारखानों में उत्पादन शुरू हुआ :—

(१) सिन्द्री में रासायनिक खाद तैयार करने का कारखाना;

(२) चित्तरंजन में रेल इंजिन बनाने का कारखाना; (३) भारतीय टेलीफोन कारखाना; (४) भारतीय रेयर अर्थस (मूल्यवान मिट्टियों) का कारखाना; (५) अलीपुर की नई टकसाल; और (६) मशीन-टूल प्रोद्योगिकी फैक्ट्री, अंबरनाथ (प्रतिरक्षा उद्योग)

निम्नलिखित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई: (१) सूती कपड़ा, (२) सीमेंट, (३) लोहा तथा इस्पात, (४) कागज तथा गत्ते, (५) सीने की मशीनें, (६) साइकिल और (७) रेयान तथा पटसन की चीजें ।

निम्नलिखित नए कार्यक्रम शुरू किए गए:

(१) ५५ सामूहिक योजनाएं जो अक्टूबर सन् १९५२ में शुरू हुईं,

(२) एक व्यापक राष्ट्रीय विस्तार-सेवा कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत १२०,०००

गांव आते हैं ।

खेती

खेती संबंधी कार्यक्रम में सिंचाई तथा बिजली की बहुमुखी योजनाएं, सामूहिक विकास योजनाएं तथा पडती जमीन को काश्त योग्य बनाने जैसी कई ऐसी योजनाएं आती हैं जिनसे पहले दो वर्षों में लाभ की कोई आशा नहीं की जा सकती, फिर भी कई क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक अनुमान से यह पता लगता है कि सन् १९५१-५२ में अनाज में ८.८ लाख टनों की वृद्धि हुई। इसके अलावा सिंचाई की बड़ी योजनाओं के फलस्वरूप सन् १९५१-५२ में ८ लाख एकड़ अधिक भूमि काश्त में लाए जाने से उपज में २.७ लाख टन की बढ़ोतरी होने का अनुमान किया गया है।

योजना के खेती सम्बन्धी विकास-कार्यक्रम में जो चीजें महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय हैं वे बड़ी संख्या में नल-कूप खोदना, तथा सिंचाई की बहुत सी छोटी योजनाएं, केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा लगभग ४.१४ लाख एकड़ पडती जमीन को फिर से खेती योग्य बनाना, गड़ी मात्रा में रासायनिक म्वाद तथा उत्तम बीजों का वितरण, मवेशियों की नसल सुधारना, मछली उद्योग का विकास, चक्रवंदो तथा किसानों को खेती के कार्यों के लिए कर्जे देना।

सन् १९५२-५३ में ६० लाख एकड़ अधिक भूमि में खरीफ फसल की खेती हुई, खरीफ फसल वाली जमीन कुल रकबे में लगभग ५३ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

जहां तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है, पटसन रुई तथा गन्ने की उपज में सन् १९५१-५२ में काफी वृद्धि हुई।

राज्य सरकारों के खेती सम्बन्धी विकास कार्यों पर सन् १९५१-५२ में २०.६ करोड़ रुपये तथा सन् १९५२-५३ में २२.३ करोड़ रुपये खर्च किए गए। केन्द्र ने सन् १९५१-५२ में १७.४ करोड़ रुपये तथा सन् १९५२-५३ में २१ करोड़ रुपये की सहायता दी।

सामूहिक विकास योजनाएं

सन् १९५२ में दो ऐसे महत्वपूर्ण विकास-कार्य हुए जिनका आपस में

निकट का सम्बन्ध है। इनमें से एक है—सामूहिक विकास योजनाओं का आरम्भ और दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का उद्घाटन। पंचवर्षीय योजना में सामूहिक विकाश तथा विस्तार कार्यक्रम के लिए ६० करोड़ की रकम अलग रखी गई है।

इस समय ३० विस्तार केन्द्रों में काम हो रहा है और १,३२४ ग्राम कार्यकर्ता तथा ६६ निरीक्षक अधिकारी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अब तक ६४६ ग्राम कार्यकर्ता तथा १८० निरीक्षक अधिकारी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और योजना-क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। २ अक्टूबर सन् १९५२ के दिन देश भर के ८१ विकास मंडलों में काम शुरू किया गया।

सामूहिक विकास कार्यक्रम में खेती की उपज बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा जिन विषयों पर अधिक जोर दिया गया है वे हैं—भूमिसुधार तथा न्यूनतम मजदूरी के कार्यक्रमों को लागू करना और भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों और अन्य लोगों के लिए कामकाज के अधिक अवसर देना।

योजना कमीशन ने फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से, सामूहिक विकास योजनाओं तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में किए जाने वाले कार्यों का ठीक से मूल्यांकन करने के लिए हाल में ही योजना मूल्यांकन संगठन की स्थापना की है जिसमें सामूहिक योजना प्रशासन का कोई दखल नहीं होगा।

राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा

पंचवर्षीय योजना में गांवों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को ग्राम विस्तार द्वारा बदलने की व्यवस्था है। योजना के शेष समय में १२०,००० गांवों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लागू करने का सुभाव है। सामूहिक योजनाएं सन् १९५२-५३ में शुरू की गईं और सन् १९५३-५४ में जिन ५५ नए विकास मंडलों में काम शुरू होगा, उनको भिला कर ३०० ऐसे विकास मंडल हो जाँगे जिनमें से प्रत्येक में सौ-सौ गांव हैं।

सन् १९५३-५४ में १८०, १९५४-५५ में २७० और सन् १९५५-५६ में ४५० विकास मंडल शुरू करने और उनमें आवश्यक विस्तार संगठन स्थापित करने का सुभाव है। इन विकास मंडलों में से सन् १९५४-५५ में १५० और

सन् १९५५-५६ में २५० ऐसे मंडल चुने जाने का सुझाव है जहां अधिक विकास किया जायगा। अब इस कार्यक्रम का व्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सिंचाई तथा बिजली की योजनाएं

सिंचाई तथा बिजली की ऐसी योजनाओं पर कुल व्यय ७६५ करोड़ रुपया होगा जिन पर काम हो रहा है। इस में कुछ बहुमुखी योजनाएं भी शामिल हैं। पंचवर्षीय योजना में, उन योजनाओं पर जिनका निर्माण कार्य हो रहा है, पांच वर्षों में ५१८ करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है। सन् १९५१-५३ में २०६ करोड़ रुपए खर्च किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन उनमें से केवल १६० करोड़ ही खर्च किए गए। इसको देख कर यह कहा जा सकता है कि योजना का कार्य संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है।

योजना के लाभों की दृष्टि से भी सन् १९५२-५३ के लिए नियत किए गए लक्ष्यों को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है। सन् १९५२-५३ में १,८६०,००० कड़ जमीन में सिंचाई करने का जो अनुमान किया गया था उनमें से १,४२०,००० एकड़ जमीन में सिंचाई की गई। बिजली उत्पन्न करने का जो अनुमान लगाया गया था उससे अधिक बिजली उत्पन्न की गई है। सन् १९५२-५३ में २३६,००० किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था जबकि ३१५,००० किलोवाट बिजली पैदा की गई। इसमें दामोदर घाटी योजना के बोकारो बिजली घर में तैयार की जाने वाली ५०,००० किलोवाट बिजली भी शामिल है।

सन् १९५१-५३ में केन्द्रीय बहुमुखी योजनाओं द्वारा १०६,००० एकड़ अधिक भूमि में सिंचाई की गई और ५४,००० किलोवाट बिजली पैदा की गई। राज्य सरकारों की योजनाओं द्वारा १,३१०,००० कड़ नई जमीन में सिंचाई की गई और २६१,००० किलोवाट बिजली पैदा की गई।

सन् १९५१-५३ में भाखरा-नांगल योजना पर ३१.१४ करोड़ रुप खर्च किए गए और मार्च सन् १९५३ के अन्त तक इस पर कोई ५५ करोड़ रुपए की लागत आई। सन् १९५१-५२ में कोई १६,००० एकड़ जमीन में और सन् १९५२-५३ में कोई १००,००० एकड़ जमीन में सिंचाई की गई। इसी प्रकार दामोदर घाटी योजना पर सन १९५१-५३ में २६.२२ करोड़ रुपए

खर्च किए गए। अब तक इस पर कुल ४६ करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। आशा है कि यह सारी योजना सन् १९५३ के मध्य तक पूर्ण होगी। हीराकुड योजना पर अब तक खर्च की गई रकम २४ करोड़ से ज्यादा है जिसमें से सन् १९५१-५३ में १८.०८ करोड़ रुपए खर्च किए गए। सतलज तथा व्यास के संगम का हरीके बांध तैयार हो गया है और अब उसमें केवल द्वार लगाने बाकी हैं। सन् १९५१-५३ में विभिन्न राज्यों की सिंचाई तथा विजली की योजनाओं में भी काफी उन्नति हुई है।

उद्योग

उद्योग के दोनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी, क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में, सिन्धी रासायनिक खाद तैयार करने का कारखाना, चितरंजन का रेल इंजिन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, भारतीय कीमती मिट्टियों का कारखाना, अलपुर नई टक्काल, तथा मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी (प्रतिरक्षा उद्योग) जैसे सरकारी कारखानों में सन् १९५१-५३ में काम शुरू हो गया। 'दि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' में १९५२ में तीन जहाज तैयार किए गए। इस कारखाने को सात और जहाज तैयार करने के आर्डर मिल चुके हैं। सरकारों द्वारा चलाए गए उद्योगों में उत्तर प्रदेश सरकार की 'प्रेसिशन इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्ट्री' में पानी के मिटर तथा अणुवीक्षण यन्त्र (माइक्रोस्कोप) तैयार होने लगे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में, कई ऐसे उद्योगों में, जिनका निर्माण १९५१ में हो रहा था, माल तैयार होने लगा है। कई उद्योगों में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है जैसे सीमेंट, भारी रासायन, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, सूती कपड़ा, इंजीनियरिंग उद्योग, लोहा और इस्पात, कागज तथा गत्ते, सीने की मशीनों, बाहसिकल, रेयान तथा पटसन का माल, बाल और टोलर बेयरिंग इत्यादि।

सन् १९५२ के अप्रैल से दिसम्बर तक कई उद्योगों के उत्पादन में कमी हुई जिनमें कुछ ये हैं, एल्यूमिनियम, पम्प, डीज़ल इंजिन, कल पुर्जे, करघे, लालटेन ड्राइ और स्टोरेज, बैटरियाँ, इत्यादि। कुल उद्योगों में उत्पादन में कमी होने का कारण यह है कि कोरिया की लड़ाई के बाद ही बड़ी मात्रा में चीजें

मंगाने से इनका स्टॉक हो गया। बदली हुई दशा को देखकर आयात की नीति बहुत कुछ बदल दी गई है।

इस साल में गवेषणा तथा सहायक क्षेत्रों में काफी उन्नति हुई है। इस से योजना कमीशन के इन सुझावों की पूर्ति होती है, (क) उद्योगों के गौण उत्पादन का प्रयोग में लाया जाए, (ख) गन्धक की तेजाब बनाने के लिए दूसरे कच्चे माल ढूंढे जाएं, (ग) सोडा एश तैयार करने के नये कारखानों की स्थापना में सुविधा देने तथा हिमालय के फेर वृक्ष से अखबारी कागज तैयार करने के सम्बन्ध में एक सर्वे की कार्य जाए, तथा (घ) नए तरीकों तथा चीजों के विकास के लिए खोज किए जाएं। जहां तक औद्योगिक विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का सवाल है राष्ट्रीय अनुसंधानशालाएं तथा सार्वजनिक और गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न विषयों के खोज कार्य में लगी हुई हैं।

साथ ही कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। दस्तकारी, खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए क्रमशः 'अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, तथा' अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड' स्थापित किए गए हैं। कई राज्यों में हाथ-करघा उद्योग की दशा सुधारने के लिए सहकारी समितियों के निर्माण की लंबे समय की योजनाएं तैयार की गई हैं। कपड़ों की रंगाई के कारखाने शुरू करना, दस्तकारों को ट्रेनिंग देना, बुनकरों को सूत, रंग और अन्य कच्चा माल मुहैया करना, अच्छे किस्म के औज़ार मौल लेने के लिए आर्थिक सहायता देना, तथा सहकारी ढंग पर कपड़े की कटाई की मिले स्थापित करना-ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनमें हाथ-करघा उद्योग को सहायता पहुंचाई जा सकती है।

कुटीर-उद्योग विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सन् १९५१-५२ में ६७५,८०८ रुपए और सन् १९५२-५३ में २५५,९५० रुपए दिए। इस के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों को ४५६,९४० रुपए तथा १,१२५,४०० रुपए दिए गए।

खनिज साधनों के विकास कार्य-क्रम में ये बातें उल्लेखनीय हैं, भूगर्भ सम्बन्धी नक्शे बनाने में की गई उन्नति; खनिज पदार्थ सम्बन्धी

जांच, महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थों के लिए प्रारम्भिक अन्वेषण, भूतल स्थिति खानों में सोनामन्त्री धातु की खोज, खानों की जांच करना जिससे खनिज-पदार्थ निकालने के ऐसे तरीकों को रोका जाए जिससे चीजें वेकार न जाय ।

परिवहन तथा संचार

परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में भी संतोषजनक उन्नति हुई है । रेल गाड़ी के डिब्बों को ठीक-ठाक करने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ा है । चित्तरंजन के रेल इंजिन के कारखाने और पेराम्बुर के रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने में, जो रेलों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देने के लिए बनाए गए हैं, कार्यक्रम के अनुसार उन्नति हो रही है । रेल मार्ग तथा रेलों के अचल सामान को पुनः स्थापित करने के लिए योजना में जो आर्थिक व्यवस्था की गई है, सन् १९५१-५३ में उसका पूरी तरह से उपयोग किया गया । लोको शोडों तथा बर्षापाओं की कार्य कुशलता में भी काफी सुधार हुआ है । इस के कर्मचारियों की कार्य दक्षता भी बढ़ गई है । कई एक नए रेल-माँ खोले गए हैं और कई रेलमार्गों पर काम हो रहा है । रेलयात्रियों को उत्तरोत्तर यात्रा की अधिक अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं ।

योजना में, बड़े बन्दरगाहों को केन्द्र द्वारा मिलने वाली सहायता २०.२७ करोड़ रुपए रखी गई है । कांडला बन्दरगाह को एक बड़े बन्दरगाह में बदलने के लिए प्रारम्भिक विकास-कार्य पूरा किया जा चुका है और सन् १९५१-५३ में लगभग २ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं । जहां तक तटवर्ती व्यापार का सम्बन्ध है, सन् १९५०-५१ में भारतीय जहाजों ने ८० प्रतिशत व्यापार किया । सन् १९५१-५२ में यह बढ़कर ९४ प्रतिशत तथा सन् १९५२-५३ में १०० प्रतिशत हो गया । इस काल में भारतीय तटवर्ती जहाजों में ७७,००० जी. आर. टी. की वृद्धि हुई ।

राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए पांच वर्षों में जिन २७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, उसमें से सन् १९५१-५३ के लिए ८.१५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जो प्रायः सब का सब खर्च हो गया । लगभग २४० मील लम्बे नए मार्ग बनाए गए तथा १,०५० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया । इसके अलावा १,९५० मील लम्बी सड़कों पर कार्य जारी है ।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, सन् १९५१-५२ में कोई ३,३०० मील लम्बी सड़कें बनाई गईं या उनकी मरम्मत की गई। आर्थिक दृष्टि से इस काम पर पांच वर्षों के लिए ७,२६६.४ लाख रुपए के खर्च की व्यवस्था है। भाग 'क', 'ख' (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर) तथा 'ग' राज्यों में सन् १९५१-५२ तथा सन् १९५२-५३ में क्रमशः १,१२८.८ लाख और १,६७२.५ लाख रुपए व्यय किए गए।

इसके अतिरिक्त इस काल में जो-जो ठोस कार्य किए गए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—'हवाई परिवहन फ़ानून' स्वीकृत करना, स्टेशनों पर वायरलैस टेलीसंचार व्यवस्था का स्थापन तथा विस्तार, और बहुत बड़ी संख्या में डाकखाने, तारघर, और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना। तारघरों की संख्या ३,६०० से बढ़कर ४,००० हो गई है जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वृद्धि के लक्ष्य का ५० प्रतिशत है। टेलीफोनों की संख्या दिसम्बर १९५२ तक लगभग १६८,००० से बढ़कर २००,००० हो गई है। इसके अलावा ६४ नए एक्सचेंज खोले गए और १०५ एक्सचेंजों को ठीकठाक किया गया।

सामाजिक सेवाएं

सामाजिक क्षेत्र में, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पिछड़ी हुई जातियों का विकास, श्रम, मकान मुहैया करना तथा पुनर्वास आते हैं, यथेष्ट उन्नति हुई है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए जाने वाले १०० करोड़ रुपयों में से राज्यों के खर्च में ८२ करोड़ और केन्द्र के खर्च में १८ करोड़ आते हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम में कई चुने हुए कार्य कम शामिल हैं जिनका उद्देश्य राज्यसरकारों के कार्यक्रमों में सहायता देना है। इनमें से कुछ ये हैं; एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना, मलेरिया ज्वर के नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, परिवार नियोजन, चिकित्सा कालिजों तथा अस्पतालों के दर्जों में बढ़ोतरी, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, और गवेषणा-कार्य।

विभिन्न योजनाओं को लागू करने की दिशा में काफी कार्य किया गया है। एक अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के निर्माण के लिए जो सुझाव रखा गया है उस पर अमल किया जा रहा है। कई चिकित्सा कालेजों में कई विभागों के दर्जे बढ़ाए गए हैं। राज्यों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उनमें मलेरिया की रोकथाम के कार्यक्रमों के लिए ७.२७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। अभी तक मलेरिया के प्रभाव-क्षेत्र में आने वाले २००,०००,००० लोगों में से लगभग ३०,०००,००० लोग ही चालू योजनाओं से लाभ उठाते हैं। बी. सी. जी. के टीके लगाने के काम के विस्तार में काफी प्रगति हुई है। प्रशिक्षण की योजनाओं के अतिरिक्त, कई राज्यों ने प्रस्ता तथा शिशु कल्याण की योजनाएं शुरू की हैं। केन्द्र की आवादी, खोज और कार्यक्रम समिति पंचवर्षीय योजना में निर्धारित परिवार नियोजन के सुझाव कार्यान्वित करने का काम कर रही है।

शिक्षा

योजना में शिक्षा के विकास के लिए पांच वर्षों में १५१.७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। सन् १९५१-५३ में कई नए प्राथमिक, बुनियादी तथा माध्यमिक स्कूल खोले गए और मौजूदा स्कूलों के शिक्षकों, मकान तथा अन्य सामान में सुधार हुआ।

केन्द्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन नियुक्त करने का फैसला किया है। राज्यों में भी, योजना में दी गई कई महत्वपूर्ण स्कीमों के काम में प्रगति हुई है। इनके अन्तर्गत ये स्कीमें आती हैं विश्वविद्यालयों का विस्तार, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ, स्नातकोत्तर तथा अंडर-ग्रेज्यूएट स्तर पर देशी भाषाओं के अध्ययन में विकास, खोज कार्यों की सुविधाएं प्रदान करना, तथा शिक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां देना।

योजना में वैज्ञानिक तथा टेकनिकल शिक्षा और गवेषणा के लिए भी ४.८२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस से विश्वविद्यालयों में शोधकों की संख्या बढ़ाने, प्रयोगशालाओं में अच्छे सामान और यंत्र आदि की व्यवस्था करने तथा स्नातकोत्तर विभाग स्थापित करने में सहायता मिली है। भारत सरकार की 'हाथ से काम करने (प्रैक्टिकल) की ट्रेनिंग वजीफा

स्कीम' के अंतर्गत पांच वर्षों के लिए जिन ४६६ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है, उनमें से सन् १९५१-५२ में ५३ लाख और सन् १९५२-५३ में ७५ लाख रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार १४ इंजीनियरिंग संस्थाओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए १५४.७ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसमें से सन् १९५१-५३ में ११०★ लाख खर्च किए गए।

सामाज शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सामूहिक विकास योजना क्षेत्रों में, समाज शिक्षा का काम निर्माण-कार्यों के साथ ही मिला दिया गया है, और कार्यकर्त्ताओं को व्यापक और व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जा रही है।

शिक्षाकों के ट्रेनिंग कालेज भी समाज शिक्षा पर खोज-कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा, सन् १९५३-५४ के बजट में शिक्षार्थियों के युवक कैम्पों तथा श्रम सेवाओं के लिए २० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है और इसके लिए एक ब्योरेवार स्कीम तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी चालू हैं, जैसे प्रबन्ध निरीक्षण और निर्देशन की योजनाएं, शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में कार्य के विकास की योजना, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास की योजना, नैशनल क्रेडिट कोर के विकास की योजना तथा विदेशों में ट्रेनिंग सुविधाएं देने की योजना।

श्रम

सन् १९५१-५३ में भूगड़ों के शान्तिपूर्ण हल कराने, श्रम की दशा को उन्नत करने, तथा कार्यदक्षता बढ़ाने की ओर यत्न किए गए। पांच वर्षों के लिए श्रम तथा श्रम कल्याण पर ६६१.५६ लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था है जिसमें से पहले दो वर्षों में राज्यों तथा केन्द्र के द्वारा १९७.२ लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान किया गया था।

इस समय तक जो महत्त्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं वे हैं : सन् १९५१ का बगान श्रम कानून, सन् १९५२ का कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड कानून। मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और उन्हें

हल करने के बारे में राज्यों की श्रम सलाहकार कमेटियों तथा केन्द्र के तीन दलीय संगठनों की सहायता ली गई। संक्षेप में इस काल में मज़दूर तथा मालिकों के सम्बन्धों में सुधार हुआ और साथ ही कर्मचारियों की आर्थिक दशा में उन्नति हुई। इसका प्रमाण यह है कि १९५१ और १९५२ में काम के घंटे कम किए गए, बहुत से उद्योगों में उत्पादन बढ़ा, तथा अधिकतर राज्यों में सन् १९५१ में औद्योगिक मज़दूरों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई।

योजना-काल में जिन पांच विकास-स्कीमों पर ३९७.३ लाख रुपए खर्च किए जाने हैं उनमें से तीन स्कीमों पर पहले से ही श्रमल हो रहा है जो इस प्रकार है :—

टैकनिकल तथा व्यवसाय सम्बन्धी स्कीम, ट्रेनिंग की स्कीमों के लिए श्रौज़ार तथा मशीनरी की व्यवस्था करना, तथा प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने की केन्द्रीय संस्था। अनुमान है कि सन् १९५२-५३ के अन्त तक इन पर १२५.७४ लाख रुपए खर्च होंगे।

राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत ये चीजें हैं। बीच-बचाव की व्यवस्था और जांच सेवाओं को मजबूत करना, श्रम-कल्याण-केन्द्रों को शुरू करना, नौकरी से पहले तथा बाद का प्रशिक्षण, बालिगों की शिक्षा, इत्यादि। ऐसी योजनाओं वाले ११ राज्यों में से ७ ने कार्य आरम्भ किया है। योजना-काल के लिए इन स्कीमों पर २९४.२६ लाख रुपया खर्च होगा। इन सात राज्यों में सन् १९५१-५३ में ७१.४६ लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

भवन-निर्माण

केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५२ में पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों के अनुसार औद्योगिक भवन निर्माण के काम में सहायता देने के लिए एक नया कार्यक्रम स्वीकार किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, कई राज्यों को १८, ३९५ मकान बनाने के लिए ५.१४ करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया गया है।

पिछड़े हुए वर्ग

अनुसूचित जातियों तथा क्षेत्रों के कल्याण तथा विकास के लिए केन्द्र ने, राज्य सरकारों को सन् १९५१-५२ में १.२५ करोड़ और सन १९५२-५३

में १.८ करोड़ रुपए की सहायता दी। सन् १९५३-५४ के लिए यह सहायता २.६५ करोड़ रुपए होंगी। योजना में इस काम के लिए १२ करोड़ की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की स्कीमों के लिए और भी ४ करोड़ रुपए की रकम रखी गई है।

इसके अतिरिक्त राज्यों की योजनाओं में पिछड़े वर्गों, जिनमें अनुसूचित कबीले तथा अनुसूचित जातियां- दोनों ही शामिल हैं, के कल्याण के लिए २२ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। सन् १९५०-५१ के २.६ करोड़ के कुल खर्च के मुकाबले में सन् १९५२-५३ में राज्यों का विकास व्यय ३.४ करोड़ रुपए था। सन् १९५३-५४ के बजटों में ५.२ करोड़ रुपयों के खर्च की व्यवस्था की गई है।

योजनाओं में शिक्षा, सड़कों तथा संचार के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। शिक्षा की स्कीमों में व्यावसायिक ट्रेनिंग को पहला स्थान दिया जा रहा है। सुविधाओं में वजीफों, तथा विभिन्न संस्थाओं में स्थान (सीटें) सुरक्षित रखने की सुविधाएं आती हैं। कल्याण कार्यों में पीने का पानी मुहैया करना खास तौर से उल्लेखनीय है।

उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी

उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के विकास के लिए सन् १९५१ में ३ करोड़ की एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। उस समय से विकास सम्बन्धी कार्य धीरे-धीरे बढ़ रहा है। विकास-व्यय सन् १९५०-५१ में ८ लाख से बढ़ कर सन् १९५१-५२ में २२ लाख और सन् १९५२-५३ में ३६ लाख हो गया। सन् १९५३-५४ के लिए ७३ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

इस में विकास योजनाओं के लिए आवश्यक कार्यकर्ता प्राप्त करने की कोशिश की गई है। कई एक विभागों को मजबूत बनाया जा रहा है। शिक्षा की सुविधाएं तेजी से बढ़ाई जा रही हैं, तथा युवकों को खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन-विद्या (forestry) इत्यादि जैसे विशेष विषयों में ट्रेनिंग पाने के लिए वजीफे और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

विस्थापित

३१ मार्च सन् १९५२ तक सरकार ने सहायता की रकम को छोड़ केवल

(२८५)

विस्थापितों के पुनर्वास पर ६०.५ करोड़ रुपए खर्च किए। योजना में सन् १९५१-५४ में पुनर्वास के खर्च के लिए ८५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से १९५१-५२ में २६.२ करोड़, सन् १९५२-५३ में २७.८ करोड़ तथा १९५३-५४ में २८.० करोड़ रुपए खर्च करने के सुझाव हैं। सन् १९५१-५२ (असली) व्यय सन् १९५२-५३ (संशोधित बजट) तथा सन् १९५३-५४ (बजट) के अनुसार पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास पर किए जाने वाले खर्च के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

सन् १९५१-५२ १९५२-५३ १९५३-५४
(करोड़ रुपयों में)

१. पश्चिमी पाकिस्तान	१६'८८	१५'६६*	६'५२*
२. पूर्वी पाकिस्तान	१२'२६	६'७७*	१०'२३*

पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकतर विस्थापित किसानों को फिर से बसा दिया गया है। शहरी लोगों के लिए मकान बनाने की दिशा में काफी उन्नति हुई है। अनुमान किया जाता है कि मार्च १९५३ के अन्त तक पश्चिमी पाकिस्तान के २३'८ लाख विस्थापितों के लिए रहने का प्रबन्ध हो जाएगा। जहां तक व्यावसायिक तथा टेकनिकल ट्रेनिंग का सम्बन्ध है सन् १९५२-५३ के अन्त तक ५७,००० व्यक्ति ट्रेनिंग पा चुके थे और १२,००० लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों की कठिनाइयों की पड़ताल करने के लिए तथ्य मात्तूम करने वाली एक कमेटी स्थापित की गई है।

भूमि सम्बन्धी नियमों का सुधार

सन् १९५१-५२ में राज्यों में भूमि सुधार के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। यह सुधार दो दिशाओं में हुआ (१) विचवैयों तथा खास पट्टों की समाप्ति तथा (२) काश्तकार के अधिकारों में वृद्धि। योजना कमीशन के

*इसमें 'रीहैबिलिटेशन फाइनैस अडमिनिस्ट्रेशन' के कर्जे शामिल नहीं हैं।

अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी सुधारों की पड़ताल के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया जा रहा है।

भूदान यज्ञ

भूदान यज्ञ आन्दोलन सन् १९५२ की एक महत्त्वपूर्ण घटना है जिसमें लोगों तथा सरकार ने काफी दिलचस्पी ली है। उत्तरप्रदेश में दान द्वारा प्राप्त की गई जमीन के ठीक-ठाक बटवारे तथा प्रबन्ध के लिए कानून बनाया गया है। उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा मध्यभारत में इस काम के लिए कानूनों के विशेष मसौदे तैयार किए गए हैं, और हैदराबाद तथा विन्ध्यप्रदेश के लिए कानूनी हिदायतें दी गई हैं।

सार्वजनिक सहयोग

पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने की दिशा में योजना कमीशन ने, राज्य सरकारों की सलाह से कुछ कदम उठाए हैं। जिन विभिन्न अभिकरणों के द्वारा यह सहयोग पाने की आशा है वे हैं, भारत सेवक समाज, समाज कल्याण के ऐच्छिक कार्यक्रम, ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ, छात्र संघ, सामूहिक योजनाएँ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ।

देश के सारे विकास-कार्यों, खास कर पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये विकास-कार्यों में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त सन् १९५२ में भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। योजना में, स्वयं सेवक संस्थाओं के लिए ४ करोड़ रुपये, शिक्षार्थियों की श्रम सेवाओं तथा युवक क्लबों के संगठन के लिये १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार एक केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड संगठित करने का भी विचार कर रही हैं। यह संगठन निम्नलिखित काम करेगा (क) समाज-कल्याण संगठनों की आश्यकताओं की पड़ताल, (ख) योग्य संगठनों को उहायता देना, (ग) सहायता पाने वाले संगठनों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, तथा (घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समाज-कल्याण-कार्यों के लिये दी जाने वाली सहायता में ताल-मेल स्थापित करना।

शिक्षा मंत्रालय, छात्रों की श्रम सेवाओं के संगठन के लिए एक स्कीम तैयार कर रहा है। इसके उद्देश्य ये हैं : (१) शिक्षार्थियों को अपने हाथों से श्रम करने के महत्त्व को समझाना, (२) छात्रों को, उनके रचनात्मक काल में, अनुशासन में रह कर राष्ट्रीय सेवा करने का अवसर देना, तथा (३) उनको यह समझाना कि योजना को पूरा करने लिये कितने महान प्रयत्न की जरूरत है। हाल की एक विशेष बात यह है कि स्त्रियां विकास कार्यों, खास कर छोटी बच्चों के आन्दोलन में अधिकाधिक सहयोग दे रही हैं। यह यत्न बहुत हद तक सफल रहा है और अब इसे लगभग १०० केन्द्रों में लागू करने का विचार है।

स्थानीय क्षेत्रों के कार्यक्रम, जिसके लिए सन् १९५३-५४ में ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय लोगों के मन में काम करने की हार्दिक इच्छा उत्पन्न कराने में सहायक होंगे।

इसके अतिरिक्त सामूहिक योजनाओं तथा अधिकतर विकास कार्यक्रमों द्वारा देहाती लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सामूहिक योजना क्षेत्रों की 'योजना सलाहकार कमेटियां' भी योजना के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने तथा विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बहुत हद तक सहायक होंगी।

बुवाई हुई जिससे ६,२७७, ५,५५४ तथा ६८६ टन उत्पादन होने का अनुमान है।

साथ ही ६०५ छोटी सिंचाई की योजनाएं पूरी की गईं। इन पर ५०६,१८४ रुपया खर्च किया गया और अनुमान है कि इससे ३५,३६८ टन अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन होगा। निर्माण विभाग ने जो २४ बड़ी सिंचाई योजनाएं हाथ में ली थीं, उनमें आठ पूरी हो गईं। परिणाम-स्वरूप ३०,००० एकड़ को लाभ हुआ जिससे ६,२१० टन अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का अनुमान है। इसके साथ १३ बिजली से चलने वाले पंपिंग सेटों से ७३७ एकड़ की सिंचाई हुई, जिससे ३३२ टन अतिरिक्त उत्पादन होगा। गांवों में २८२,१४४ टन मिश्र खाद तैयार की गई और ४४८ टन हड्डी का चूरा बांटा गया। इसका लाभ ५,५१० एकड़ भूमि को होगा जिससे अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन ३३५ टन होगा।

पौधा संरक्षण शाखा ने ७,६२६ एकड़ धान, ३,१५५ एकड़ आलू, २०८ एकड़ दाल, ५०७ एकड़ नींबू, ३११ एकड़ सब्जी, व ३,३४६ एकड़ पटसन के क्षेत्रफल पर विनाशकारी कीटों तथा रोगों से संरक्षण के उपाय किए। फसल रक्षण योजना के अन्तर्गत ६ दुष्ट हाथियों और २,५०० बंदरों को नष्ट किया गया। इस वर्ष के अन्दर ७ मैसी हेरिस ट्रैक्टर खरीदे गए जिससे ट्रैक्टरों की संख्या ४० हो गई। खेतों में जो २५ ट्रैक्टर चलाए गए उनसे २,६७५ एकड़ भूमि जोती गयी और ४,५२८ एकड़ पर बखर चलाया गया। कुल अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन १,४८६ टन का है जबकि इस पर २१५,६६० रुपया खर्च किया गया।

इसके साथ ही चाय के बगीचों की ४७,४६२ एकड़ के फालतू परती भूमि प्रबन्ध में लेकर भूमि-हीनों, वाढ़ पीड़ितों और विस्थापित लोगों को बांट दी गई। चाय उद्योग ने भी १६५२-५३ में ४५,७२५ एकड़ में खाद्य की खेती की। और बड़े किसानों को ६३,००० रुपए के कृषि-ऋण दिए गए।

दिसम्बर में बाकी भूमि पुनरुद्धार योजना चालू की गयी। बढ़िया खेती करने के लिए फसल प्रतियोगिताएं की गईं और १६५२-५३ में ४,५०० प्रतियोगियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

कृषि शिक्षा ने भी प्रगति की । वर्ष के अन्दर ११ विद्यार्थियों ने खानापारा के आसाम कृषि स्कूल से प्रथम बार कृषि में बी. एस. सी. की परीक्षा पास की

इस वर्ष पांच जिलों में मछलियों के छै बीज संग्रह केन्द्र चालू किए गए और १६०,००० मछलियां पकड़ी गईं । विभागीय जालों द्वारा भी बाजार में बेची जाने योग्य ३० टन मछलियां पकड़ी गईं और जनता को बेची गईं । १२ विद्यार्थियों का एक जल्था तीन महीने के शिक्षण के लिए चुना गया । इसके अतिरिक्त विज्ञान के एक स्नातक को सेन्ट्रल इनलैंड फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता में दस महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ।

बिहार

राज्य में सन् १९५१ में दुर्भिक्ष की सी स्थिति होने के कारण सन् १९५२ में भी खाद्य-स्थिति कठिन बनी रही । इसलिए खाद्यान्न को उचित मूल्य की १,८४६ शहरी और ६,६१३ देहाती दुकानों द्वारा बांटा गया । क्रमशः इनसे २,२५०,६६६ तथा १४,७२५,८६५ व्यक्तियों को अन्न दिया गया । परन्तु लोगों की उत्तरोत्तर कम होने वाली क्रय-शक्ति के कारण विक्री गिरती गई । इस प्रकार एक स्थिति तो ऐसी हो गई जब ६०,००० आदमियों को नित्य-प्रति मुफ्त अन्न वितरित किया गया । इसके साथ ही जो लोग बिना मूल्य सहायता प्राप्त करने को तैयार नहीं थे उनके लिए काम दिया गया । इसी समय काश्तकारों को सस्ती दर पर भारी संख्या में बीज वितरित किया गया । यह सस्ती दर सरकारी सहायता के कारण संभव हो सकी । इन कामों में १९५२ में सरकार का ३.६ करोड़ रुपये खर्च हुआ । अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ तक भरपूर खेती वाले भू-खण्डों के अन्दर व बाहर अनेकानेक विकास योजनायें कार्यान्वित की गईं । इस प्रकार १५२६ कुएँ, २० मध्यम अहार, पेंने व बांध बनाये गये, ७१४ खुले बोरिंग के व ७ नलकूप खोदें गये, २३१ रूँट बाँटे गये, तथा १७ लिफ्ट-इंजिन व पंप (ऊपर पानी खींचने के लिये) लगाये गये । इसके अतिरिक्त माल विभाग ने ३१ दिसम्बर १९५२ तक ४,३०४,१४४ रुपये के खर्च की २,१३१ छोटी सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित किया । नगर के कचरे की बारह लाख घन फुट खाद तथा देहाती कूड़े की १ करोड़ ६१ लाख घन फुट खाद तैयार की गई । अनुमान है कि इन योजनाओं से ४२,६२० एकड़ को लाभ पहुँचेगा ।

नलकूप सिंचाई योजना के अंतर्गत उत्तर बिहार के ३०० नलकूपों में से १७५ कुएं खोदे गये और दक्षिण बिहार के २८३ कुओं में से २०५ नलकूप तैयार किये गये। इनके अतिरिक्त सदा जल देने वाली नदियों पर २५० चलते-फिरते पानी फेंकने वाले पंप लगाये गये। लिफ्ट सिंचाई (नदी से ऊपर पानी फेंकने की योजना) के परिणामस्वरूप बिजली की लाइनों के क्षेत्र में पड़ने वाले अनेक गांवों में बिजली भी लगाई गई।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत १४ बाढ़ रोकने वाले बांध पूरे किये गये। इनसे ३०५ लाख एकड़ भूमि की रक्षा होगी। नालों से पानी खींचने वाली २६ योजनायें भी पूरी की गईं। इससे ०७७ लाख एकड़ भूमि पुनः काम में लाने योग्य हो गई। इसके साथ ही सात ऐसी योजनायें हाथ में ली गईं जो छोटी नदियों तथा नालों के सुधार की योजनायें हैं और जिनसे २८ लाख एकड़ भूमि को लाभ होने की संभावना है। उत्तर बिहार के चम्पारन जिले में १६ मील लम्बी बेलवा साठी नहर के अतिरिक्त छोटा नागपुर में १६५२ में मानभूमि जिले की कांसी व फाकीडीह योजनाये पूरी की गईं।

कृषि विभाग भारतवर्ष में प्रथम बार धान की रतून फसल को बढ़ा सका और साधारण फसल से एक तिहाई फसल अधिक उत्पन्न हुई। एक दूसरी महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि एक ही खेत में दो धान की तथा एक गेहूँ की फसल एक दूसरे के बाद उगाई जा सकी। यह गरमियों के धान की एक विशेष किस्म तथा गेहूँ नं० बी० आर० ३१६ के एक जल्दी पकने वाली बीज के उपयोग के कारण संभव हो सका। मक्का, चना, तिलहन, राहर, कपास और गन्ने की अनेक सुधरी हुई किस्में भी तैयार की गईं।

विभाग द्वारा किये गये प्रयोगों से पता लगा कि पोटाश का प्रयोग करने से फसलों का उत्पादन काफी बढ़ सकता है। पटसन का उत्पादन अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से और मक्के का उत्पादन तेजाबी मिट्टी पर चूने के प्रयोग से बढ़ सकता है। वर्ष के अन्दर धान के कीड़े गंधी पर प्रयोग किये गये और राज्य में पहली बार आकाश से वायुयान द्वारा से दवा फेंकी गई। सुधरी हुई काश्तकारी द्वारा आमों ने अन्तरे वर्ष के स्थान पर प्रति वर्ष फल देना प्रारम्भ कर दिया। हाल में ही हाजीपुर के केले बिगड़ने लगे थे उनको अच्छी किस्मों को बचाने का प्रयत्न किया गया। शाक-सब्जी के अचार मुर्ब्ये डालने, स्कवेश, जैली

आदि बनाने के आसान तथा काम में आनेवाले तरीके ढूँढ़ें गये ।

बम्बई

वर्ष १९५२-५३ के बीच में सरकार ने सुधरे हुये बीज व खाद वितरित की, सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई और गेहूँ, चावल, दाल तथा गन्ने जैसी महत्वपूर्ण फसलों पर गवेषणा की । खेड़ा जिले में आनन्द में अनेक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई । इस वर्ष ५४ कृषि प्रदर्शन केन्द्र खोले गये ।

ग्राम सुधार सप्ताह के समय ९३,००० कूड़े-कचरे के व खेती के गड्ढे खोदे गये और ७०,००० भरे गये, ८१,००० पेड़ लगाये गये, १५,००० ताल साफ किये गये, ५,२०० बंधरों की मरम्मत की गई और १,००० बंधरे बनाये गये । अन्य कार्यों में सड़कों, कुओं, कच्चे बंधरों और स्कूली इमारतों का निर्माण व मरम्मत सम्मिलित हैं । वन महोत्सव के समय ४० लाख बीज व पौधे बाँटे गये और टिड्डी-विरोधी कच्चायें चलाई गईं ।

सिंचाई के क्षेत्र में ५३ लाख रुपये के खर्च पर बनी मेशवा नहर परियोजना पूरी हो रही है । ६ अन्य बड़ी परियोजनाओं का भी काम चालू था । इनके अतिरिक्त सिंचाई की दस छोटी योजनायें भी थीं जिन पर अभी तक एक करोड़ रुपये से ऊपर व्यय हो चुका था । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण की सहायता से ५८७ निर्माण कार्य पूरे हो गये और ६६१ कार्यक्रमों का काम चालू था । सन् १९५२ में उन पर ४२ लाख रुपया व्यय किया गया । गुजरात की नलकूप योजना के अंतर्गत १३ नलकूपों का बोरिंग किया गया और अन्य ३६० के काम में शीघ्रता की जा रही थी ।

१९५२ में ही ५,००० गांवों में जिनकी कुल जनसंख्या ५० लाख थी अन्न की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । प्रायः कमी की स्थिति अन्य ३,००० ग्रामों में भी थी जिनकी कुल जनसंख्या १६ लाख थी । इसलिए सरकार ने इस कमी में सहायता देने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की । केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई योजनाओं पर द्रव्य लगाने के लिये एक ऋण भी दिया, जिससे बार-बार होने वाली खाद्यान्न की कमी को रोका जा सके ।

परिणामस्वरूप बंधरों को बनाने, बांध बांधने, तालाबों को खोदने व गहरा करने आदि का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया । उदाहरण के लिये सिंचाई

को ६३ छोटी योजनायें प्रारंभ की गईं और उन पर ३१३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। इन कमी वाले क्षेत्रों में १६,०००,००० पौंड चारा मुफ्त बांटा गया और ७५,००० मन कड़वी प्राप्त की गई। विभिन्न वन क्षेत्रों में ७५ पशु शिविर खोले गये और सिंचाई का पानी काम में लाकर घास उत्पन्न करने में ढाई लाख रुपये व्यय किये गये। इसके साथ ही जो सरकारी समितियां चारा उगाने के लिए लिफ्ट सिंचाई कर रही थीं उनको ७५ हजार रुपयों के ऋण दिये गये। इसी कार्य के लिये साढ़े तीन लाख रुपये के ८५ चलते-फिरते पंपिंग सेट भी दिये गये। कमी वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्य को गति देने के लिए विशेष सिंचाई क्षेत्र बनाये गये।

इनके अतिरिक्त ३४,००० वृद्धों तथा अशक्तों को दैनिक सहायता के रूप में ५ लाख रुपयों की मुफ्त सहायता दी गई। कुओं की योजना के अंतर्गत ३० लाख के विशेष अनुदान के अतिरिक्त तगाई की पेशगी में २५७ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

इसी वर्ष में बीजापुर जिले के ३७ ग्रामों में बिखरी हुई जोत की चकबन्दी की गई। खार भूमि (समुद्री ज्वार से प्रभावित भूमि) के विकास के लिये निर्मित विशेष बोर्ड ने विकास की १५ योजनायें स्वीकृत कीं जिनसे १०,५०० एकड़ के क्षेत्रफल की भूमि को लाभ होगा तथा जिन पर खर्च ५६८,००० रुपया आयागा।

इस वर्ष बम्बई कृषि काश्तकारी तथा भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया। भूमि का लगान, सींच की भूमि के उपज का चौथाई और बिना सींच की भूमि के उपज का तिहाई के स्थान पर, उपज का छठवां भाग निश्चित किया गया। विभिन्न प्रकार की भूमि के अधिकार को, विशेषतः विलीन हुये क्षेत्र में, समाप्त करने के लिये कानून बनाये गये। इस प्रकार कुछ भूमि अधिकार प्रथाओं में लगान वसूली के लिए विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों और उनकी वसूली को समाप्त किया गया।

२ दिसम्बर, १९५२ से १२ नगरों व ३३ कस्बों को छोड़ कर अन्न का राशन हटा दिया गया और २६ कस्बों में सरल राशनिंग प्रारंभ की गई। कानूनी अन्न वसूली यद्यपि बिल्कुल समाप्त कर दी गई परन्तु ज्वार तथा मोटा

अन्न स्वेच्छिक आधार पर प्राप्त किया गया और चावल, धान तथा गेहूँ सरकारी एकाधिकार विक्री योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये।

देश में सुधरी खाद्य स्थिति के कारण सरकार आंशिक नियंत्रण की नई नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकी। खाद्यान्नों के वितरण तथा उप-लब्धि की प्रणाली संतोषजनक रीति से चलती रही। केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य सहायता के बंद किये जाने के कारण मूल्यों में संशोधन करना पड़ा। बड़े नगरों में पाव-रोटी का राशन समाप्त कर दिया गया। संशोधित खाद्य नीति के कारण वर्ष में १,१२०,००० रुपयों की बचत हो गई।

पशुपालन तथा जानवरों को नस्ल सुधार के लिये कुंजी फार्म केन्द्र खोले गये जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था थी। इनके अतिरिक्त १४ ग्राम केन्द्र व फार्म खोले गये। प्रत्येक केन्द्र में ५०० गायें रखी गईं।

बम्बई के निकट 'ऐरे दूध केन्द्र' ने वर्ष में अपनी प्रगति जारी रखी और उचित मूल्य पर शुद्ध, गरम कर ठंडा किया गया तथा बोतल में बंद दूध जनता को देता रहा। आज इसकी १२ इकाइयां हैं जिनमें १२,४०० पशु हैं और नित्यप्रति ३,२०० मन दूध तैयार होता है।

मध्य प्रदेश

सन् १९५२-५३ में रायपुर के लभंडी फार्म में नई बर्मा मिश्रित नस्ल के चावल पर सफल प्रयोग किये गये। यह आशा है कि यह बीज साधारण बीज की दस गुनी बारह गुनी उपज के स्थान पर अठारह गुनी उपज देगा।

चावल उगाने की जापानी पद्धति का भी प्रचार किया गया। वर्ष के अंदर सुधरे हुये औजारों की सोलह किस्मों जैसे मूंगफली काटने वाले, जापानी प्रकार की धान कूटने वाले, भूसा उड़ाने के पंखे और नगर में मिश्र खाद बनाने की चलनी के नमूने बनाये गये तथा उनका परीक्षण किया गया।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत ६७ घने भरपूर खेती के समूह बनाये गये। प्रत्येक समूह में २५ से ३० तक गांव थे और कुल का क्षेत्रफल २५,००० एकड़ था। इसमें नागपुर जिले तथा विलीन राज्यों के समूहों की गिनती नहीं है। सन् १९५२ के बीच में १,४८२,५७६ रुपयों के मूल्य के धान के १२६,७४७ मन सुधरे बीज, ८,१८५ मन गिरुआ निरोधक गेहूँ के बीज, सात

लाख रुपयों की ४,२२२ टन मूंगफली की खली, १,२०० टन अमोनियम सल्फेट कृत्रिम खाद जिसका मूल्य ४६४,००० रुपये था, अठहत्तर हजार रुपयों का २४६ टन फास्फेट कृत्रिम खाद, २०२,००० रुपयों का ७८५ टन खाद का मिश्रण, और १५,६७५ टन नगरों का मिश्र खाद बांटा गया। वर्ष भर में जो प्राकृतिक व कृत्रिम खाद बांटी गई उसे ७६,७८० एकड़ भूमि में उपयोग किया गया और उससे ८,६८७ टन अतिरिक्त अन्न का उत्पादन होगा।

सन् १९५२ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पन्द्रह पन्द्रह ट्रैक्टरों की चार नई दुकानों ने होशंगाबाद तथा सागर जिलों में ७१,८५६ एकड़ भूमि जोती। इसके अतिरिक्त राज्य के मशीन ट्रैक्टर स्टेशन स्कीम के अंतर्गत ६१ ट्रैक्टरों ने ३७,१७४ एकड़ भूमि जोती थी। भूमि की कटान का प्रतिरोध करने के लिए सागर में १३२ एकड़ भूमि पर कंदूर खेती का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पानी की कटान रोकने के लिए दो व तीन फीट कंदूर बांधिया बांधी गई और ४०,३७० फीट के चबूतरे बनाये गये।

सिंचाई योजना के अंतर्गत ४०२ कुएं निर्मित हुये व ३३० कुओं की मरम्मत की गई। ३८६ तालाब बनाये गये या उनकी मरम्मत की गई और ४३४ रून्ट लगाये गये। किसानों को २५१ पंपिंग सेट खरीदने के लिये ४३८,५२८ रुपये की तकावी बांटी गई। खेतों पर अनेकानेक बाढ़ें भी बांधी गयीं और अनेकों की मरम्मत की गई। सिंचाई योजना ५,००३ एकड़ भूमि पर कारगर होगी और आशा है कि १,००५ टन अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा।

किसानों को ७४ ट्रैक्टरों की खरीद के लिये ४६६,७०७ रुपयों की तकावी दी गई। इस वर्ष का एक काम गोखरू का उखाड़ना भी था और २०,००० एकड़ भूमि से यह दुखदायी पौधा हटाया गया।

ग्राम सुधार सप्ताह के अंतर्गत दो लाख टन देहाती मिश्र खाद तैयार किया गया और ५१,००० खाद के गड्डे खोदे गये। वन महोत्सव के अवसर पर ३६ लाख पेड़ लगाये गये। गेहूँ, धान, ज्वार तथा कपास के लिए फसल प्रतियोगितायें की गई और जिन किसानों ने सबसे अधिक उपज दिखाई उनको पुरस्कार दिये गये।

पशु सुधार के लिये ६ नस्ल सुधार फारमों से ६४ पशु दिये गये और ६५ सांड खरीदे गये; साथ ही ३७७,३५५ पौंड दूध तैयार हुआ और १३४,१८४

पौड अन्न तथा २,१२१,८६८ पौड चारा का उत्पादन किया गया । इस वर्ष चार नये ग्राम उत्पादन केंद्र बनाये गये जिनसे कुल ऐसे केंद्रों की संख्या ७५ हो गई । फालतू पशुओं को अलग करने के लिए सरकार ने सागर जिले के देवल स्थान में एक प्रयोगात्मक गो सदन स्थापित किया है । अभी तक इस केंद्र में १०२ पशु आ चुके हैं । जनवरी १९५२ से पशुओं की महावारी के ११०० मामलों को निपटाया गया, १३ लाख टीके लगाये गये, ७२,००० अशक्त बैलों को बधिया किया गया और ३३,००० छूत वाले तथा १८,००० बगैर छूत वाले रोगों का इलाज किया गया । संक्रामक रोगों की प्रतिरोधक केन्द्रों में होकर ११८,००० पशु निकले जिनमें ११७,००० के रिंडर पेस्त (गाय-बैलों का एक रोग) का टीका लगाया गया ।

दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये डेयरी के बीस खेतों में से सात बोरगांव, चाँद, राटोना, बिलासपुर, यवतमल, पोहाराव चाँदा में स्थापित किये गये । इन्होंने ७२८,८४० पौड दूध का उत्पादन किया जबकि इन दस्तों से संबद्ध सहयोगी डेयरियों ने भी १३५,९८६ पौड दूध का उत्पादन किया ।

राज्य में मुर्गी पालन के विकास के लिये नागपुर को केन्द्र बना कर एक केन्द्रीय मुर्गी फार्म स्थापित किया गया था । सरकार ने एक मछली विकास स्कीम भी प्रारम्भ की । फिलहाल २३७ एकड़ के जल राशी वाले २३ तालाबों में मीठे पानी की छोटी छोटी कार्प मछलियाँ रखी गई हैं । ३२,००० फिंगर-लिंग मछलियाँ आयात की गईं और १,१५० मन मछलियों का उत्पादन तथा विक्री हुई । वर्ष में राज्य में मछली पालन की १२ सहकार समितियाँ थीं । साथ ही बीज मछलियों का संग्रह करने के लिये रायगढ़ जिले में पड़गाँव में एक प्रारंभिक योजना चालू की गई और महानदी नदी से इस केन्द्र पर ४००,००० बीज मछलियाँ इकट्ठी की गईं ।

शिक्षित कर्मचारियों की पूर्ति के लिये नागपुर कृषि कालेज में शिक्षा की सुविधा बढ़ाई गई और विद्यार्थियों की स्थान संख्या ६४ से १२८ कर दी गई । किसानों की ट्रेनिंग के लिये पन्द्रह सरकारी प्रशिक्षण व प्रदर्शन फार्मों पर गरमियों में १५ दिन के छोटे शिक्षण कोर्स खोले गये । इस वर्ष सागर विश्वविद्यालय के बी० वी० एस० सी० परीक्षा में २७ विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित

किये गये । पशु चक्रिस्ता को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने इस वर्ष प्रति मास पच्चीस पच्चीस रुपयों की वीस छात्रवृत्तियां दीं । प्रशिक्षण की संशोधित आयोजनों के अनुसार ४६ कृषि ओवरसियरों तथा ४६ कृषि कामदारों को स्टाक-सुपरवाइजर व पशु तथा स्वास्थ्य असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी गई ।

भूमि की चक्रबंदी के सम्बन्ध में रायपुर, दुर्ग और सागर जिलों में काम होता रहा । सागर जिले में ७६ गाँवों की जिनका क्षेत्रफल ५३,५७६ एकड़ है, स्कीम तैयार कराई गई और खसरा नंबरों की संख्या २५,०८४ से घटा कर १५,१३८ कर दी गई । इस प्रकार एक खसरा नंबर की लम्बाई चौड़ाई २*१३ एकड़ से ३*५४ एकड़ हो गई । इसी प्रकार रायपुर तथा दुर्ग जिलों में ४६ गाँवों की स्कीमें बनाई गई । इनका क्षेत्रफल ४३,५०४ था । यहाँ ६५,५७० खसरा नंबरा में कमी होकर २६,६३८ रह गये और एक खसरा नंबर का औसत माप ८४ एकड़ से बढ़कर २*१ एकड़ हो गया ।

मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार समाप्ति अधिनियम १९५० के कारण बढ़े हुये काम को संभालने के लिए सरकार ने नवम्बर १९५२ से फरवरी १९५४ तक १४७८ पटवारियों और रेवेन्यू इंस्पेक्टरों के अतिरिक्त अस्थायी पदों तथा चेयरमेनों के ८७ पदों को बढ़ाने की स्वीकृति दी थी । शीघ्र ही संशोधित हल्का बंदियों को लाने के लिये भी कदम बढ़ाये जा रहे थे ।

इस वर्ष चावल, ज्वार, तथा गेहूँ के आवागमन के ऊपर लगाया हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया और मुख्य उत्पादक जिलों में, जहाँ आवागमन निर्बाध था, खाद्य क्षेत्र बनाये गये । इस से किसानों और व्यापारियों को यह सुविधा हो गई कि अपने क्षेत्र के किसी जिले में अपना गल्ला बेच सकें ।

अट्टाईस अगस्त १९५२ से केवल उन्हीं लोगों को जो आधार काल में गल्ले का व्यापार करते थे, लाइसेंस देने की प्रथा बंद कर दी गई । गैरलाइसेंस-दार खुदरा व्यापारियों द्वारा किसी माल को बेचने की मात्रा बढ़ा कर चावल के लिए साढ़े पांच मन व अन्य अन्न के लिये दस मन कर दी गई । मौसम प्रारम्भ होने पर चावल में बसूली का प्रतिशत ७५ से घटा कर ६० कर दिया गया । जिन किसानों तथा व्यापारियों ने अधिकतम अन्न दिया उनको पुरस्कार दिये गये ।

नागपुर, जबलपुर, अमरावती व अकोला में प्रोवीजनिंग प्रणाली चलती रही और अन्य कमी वाले नगरों तथा देहाती क्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानें खुलती रहीं। देहाती क्षेत्रों में मूल्य कम किये गये और शहरी क्षेत्रों में अन्य के नियंत्रित मूल्य के समकक्ष लाये गये। राज्य के उपभोक्ताओं को बढ़िया चीनी नियंत्रित भाव पर या उससे भी कम पर उपलब्ध थी। खली नियंत्रण आदेश तथा चना और उससे तैयार चीजों पर नियंत्रण आदेश उठा लिया गया।

मद्रास

सन् १९५२-५३ में किसानों को रासायनिक खाद, हरी खाद, बीज, ट्रैक्टर तथा तेल के इंजिन के पंप दिये गये। किसानों पर खरीद प्रथा के द्वारा जुलाई १९५३ के अन्त तक २,१६० तेल के इंजिन व ४१८ बिजली के मोटर वितरित किये गये। राज्य में दो केन्द्रों में २, एक चित्तूर में तथा एक दक्षिण कनाड़ा जिले में दो नदियों से पानी खींचने के पंपिंग प्लांट (यंत्र) लगाये गये।

सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिये तथा चावलों की फसल के बाद की खाली भूमि में गरमियों में कपास की खेती करवाने के लिये नवम्बर १९५२ तक तंजौर जिले में १०० नल कूप तैयार किये गये। अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ तक ४४,१३१ एकड़ भूमि ट्रैक्टरों द्वारा पुनः काम के उपयोग योग्य बनाई गई।

राज्य के गवेषण केन्द्रों द्वारा कुछ अल्पकालिक तथा सूखा का प्रतिरोध कर सकने वाली धान की किस्में किसानों में बहुत लोकप्रिय हुईं। किसानों को तकावी तथा सहायता द्वारा ऋण की सुविधायें भी दी गईं।

सन् १९५३ के समाप्त होते तक तुंगभद्रा क्षेत्र में ५१४,२५२ एकड़ भूमि का फिर से उद्धार किया गया। लोअर भवानी क्षेत्र में ४७५ एकड़ अलग इसी प्रकार काम के योग्य बनाई जा चुकी थी। इसी प्रकार कोई ५८००० एकड़ खेती योग्य परती भूमि नेलोर, सेलम व रामनाथपुरम् जिलों में स्थानीय क्षेत्रों में बांट दी गई। धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद के भरपूर वितरण की एक योजना सरकार ने स्वीकृत की। रैयत को योजना के

अन्तर्गत अल्पकालिक ऋण दिये गये। इस वर्ष के अन्दर ८० लाख रुपयों से अधिक का भी एक ऋण दिया गया। ग्राम सहकारी समितियों द्वारा भरपूर खेती को योजना बढ़ाई गई और उसमें पन्द्रह नये जिले जो पहले सम्मिलित किये गये।

१९५२-५३ में कृषि और मछली पालन के विकास पर १९५१-५२ के ३१६.५३ लाख रुपयों की अपेक्षा ३२८.२६ लाख रुपये व्यय किये गये। सन् १९५३-५४ के लिये ३७३.१३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ के अन्त में ८.६० लाख टन अतिरिक्त चावल व ज्वार के उत्पादन की आशा की गई है। इसमें अन्न विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत १.६६ लाख टन अन्न का अतिरिक्त उत्पादन सम्मिलित है। जहां तक कपास का सम्बन्ध है १९५५-५६ के अन्त तक ७.५ लाख गांठों के अतिरिक्त उत्पादन की आशा है।

सिंचाई पर १९५२-५३ में १५८० लाख रुपये व्यय हुये। १९५३-५४ की पहली छमाही के लिये ४७० लाख रुपये अलग निकाल कर रख दिये गये हैं। सरकार के सिंचाई कार्यक्रम में ३०० छोटी सिंचाई योजनाओं का अल्पकालिक कार्यक्रम, मध्यम परियोजनाओं का मध्यकालीन कार्यक्रम व बहुदेशीय परियोजनाओं का दूरकालीन कार्यक्रम सम्मिलित है। इस पिछले कार्यक्रम में लोवर भावनी, तुंगभद्रा व मचकुन्द योजनाओं पर काम चालू है। लोवर भावनी योजना प्रायः पूरी होने वाली है। सितम्बर १९५२ में लोवर भावनी नहर से ५,००० एकड़ के लिये पानी दिया गया था। तुंगभद्रा योजना हैदराबाद राज्य के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम था और मचकुन्द योजना उड़ीसा राज्य के साथ एक संयुक्त है।

१६३,६०० एकड़ की सिंचाई के लिये तथा १५६,५०० एकड़ को अच्छी सिंचाई की सुविधा देने के लिये ३३८ स्कीमें मंजूर की गईं जिन पर 'अधिक अन्न उपजाओ' आंदोलन के उद्घाटन से अब तक ४.५४ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इन में लगभग १५६ स्कीमें १९५२ के अन्त तक पूरी की गईं।

रायलसीमा क्षेत्र में कमी तथा दुर्भिक्ष जैसी स्थिति को हटाने के लिये सरकार ने अनेक कार्यवाहियां की। उदाहरण के लिये हजारों आदमियों को जिनके भरण पोषण का कोई प्रबन्ध न था रोजगार दिया गया। बूढ़ों, अशक्तों, बच्चों, गर्भवती माताओं तथा अन्न अपंग व्यक्तियों के लिये सरकार ने लगभग २,००० क्षेत्रों पर प्रतिदिन ५ लाख आदमियों से अधिक के लिये खिचड़ी दलिये का मुफ्त वितरण किया। कुओं को गहरा करने तथा नये कुएँ खोदने के लिये सेना की सहायता ली गई और कुल मिला कर १३४ कुएँ गहरे किये गये। सरकार ने दुर्भिक्ष सहायता पर वर्ष में लगभग दस करोड़ रुपया व्यय किया।

सरकार ने उन लोगों की सहायता के लिये भी केन्द्र खोले जो तंजोर व तिरुचिरापल्ली जिलों में तूफान के कारण बेघरवार तथा निर्धन हो गये थे। इस मद में सरकार का २५ लाख से अधिक खर्च हुआ।

२३, अगस्त १९५२ को मद्रास के राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी किया जिसका उद्देश्य तंजोर जिलों में कृषकों की स्थिति का सुधार करना, किसानों द्वारा भूस्वामियों को लगान की दर निश्चित करना, तथा भूस्वामियों द्वारा पन्नेयालों की मजदूरी निश्चित करना था। यह अध्यादेश जो तंजौर टेनेन्टस एण्ड पेन्नेयाल (प्रोटेक्शन) आर्डिनेंस १९५२ कहलाया बाद में विधान मण्डल द्वारा एक संयुक्त प्रवर समिति के विचारोपरान्त स्वीकार कर लिया गया। इस अध्यादेश के लागू होने के थोड़े समय के अन्तर्गत समझौता अधिकारियों को १,३३६ प्रार्थना पत्र मिले जिनमें पर्याप्त पर निर्णय भी हो गया।

उड़ीसा

भरपूर खेती का काम १९५२-५३ में चलता रहा। इस कार्यक्रम में परती भूमि को उपजाऊ बनाने, सुधरे हुये बीज तथा खाद व कृषि औजार का वितरण और देहाती मिश्र खाद का उत्पादन तथा वितरण व विनाशकारी कीटों और रोगों से पौधों की रक्षा के कार्य सम्मिलित थे। इस वर्ष ३,००० एकड़ भूमि का प्रनरुद्धार किया गया।

सन् १९५२-५३ में २५ लाख रुपये उन बड़ी सिंचाई योजनाओं को दिये गये जिनको कार्यान्वित करना निर्माण विभाग के दायित्व में था। माल विभाग के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं में वर्ष के अन्त तक २३,५८६ रुपये खर्च हुये।

सन् १९५२-५३ में कुल मिला कर फसलों का उत्पादन संतोषजनक रहा। १ नवम्बर, १९५२ से लेकर ३१ अक्टूबर १९५३ तक की खरीफ फसल के लिये चावल की वसूली का लक्ष्य २००,००० टन रखा गया है जबकि पिछली खरीफ वर्ष का लक्ष्य १००,००० टन था। १ नवम्बर से लेकर ३१ मार्च, तक १९१,४११.६२ टन वसूल हो चुका है जबकि पिछले खरीफ की फसल में ६६,३३५.१७ टन वसूल हुआ था। इसमें से ११८,३४० टन मद्रास, मैसूर त्रावंकूर कोचीन, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, चन्द्रनगर तथा बिहार की कोयले की खानों को भेजा गया।

जिलों में कुशल नियंत्रण तथा समुचित मार्ग दर्शन के लिये सन् १९५२-५३ में जिला पशुपालन तथा चिकित्सा अधिकारियों के सात सात पद और बढ़ाये गये तथा इस प्रकार उनकी कुल संख्या १३ हो गई। इस के साथ ही पांच पशु दवाखाने खोले गये। इनमें तीन सामूहिक योजना केन्द्रों में स्थापित किये गये। एक सामूहिक योजना क्षेत्र के विकास समूह में सभी पशुओं को टीका लगाया गया। कटक में सरिम इंस्टीट्यूट के अतिरिक्त बोलांगिर में बकरी के पुट्टों का वेक्सीन (टीके की दवा) तैयार करने का केन्द्र खोला गया।

एक नये कृत्रिम गर्भाधान मुख्य केन्द्र तथा चार उपकेन्द्रों के अतिरिक्त पहली अप्रैल १९५२ को दो नस्ल सुधार ग्राम केन्द्र तथा दो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये। इस वर्ष ६,०३६ गायों का गर्भाधान कराया गया। १९५२-५३ में स्थानीय नस्ल के सुधार के लिये ८२ सांड केन्द्र चालू रखे गये।

इसी समय १२ नये मुर्गी पालन केन्द्र खोले गये। इनमें कुल मिला कर ३२,६४३ अण्डे पैदा हुये जिनमें ३२,४५८ अण्डे जनता को मुर्गी उत्पादन तथा व्यवहार के लिये बेचे गये। इसके अतिरिक्त ५०६ पक्षी नस्ल सुधारने के लिये बेचे गये।

१९५२-५३ में फसल के प्रतिकूल होने पर भी २७.८५ लाख छोटी मछलियां उत्पन्न की गईं। कोसलायागंगा केन्द्र, जिसका क्षेत्रफल २३० एकड़ का है, पूरा किया गया तथा उस में ४ लाख फिंगरलिंग मछलियाँ रखी गईं। वर्ष के अन्दर सहयोगी समितियों ने लगभग २८८,००० रुपये के मूल्य की ७२,००० मन मुहाने की मछलियों का व्यापार किया।

पंजाब

पंजाब के लिये १९५२-५३ का वर्ष अच्छा रहा। हिसार जिले में सूखा तथा अन्य स्थानों पर टिड्डियों के आक्रमण जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के होते हुये भी राज्य सरकार के अधिक अन्न उत्पादन के प्रयत्नों का फल निकला। पंजाब ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त ४६,००० टन गेहूँ, ५०,००० टन चावल, व लगभग ५,००० टन जौ १९५२ में निर्यात किया।

कृषि के सुधार के लिये कई स्कीमें प्रारम्भ की गईं। इन में परती भूमि को पुनरुद्धार, देहाती मिश्र खाद का रक्षण, रोगों और विनाशकारी कीटों पर नियंत्रण, फसल प्रतियोगितायें तथा नये और बढ़िया किस्म के बीजों का प्रचलन सम्मिलित था। पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम के कड़ाई के कारण नवम्बर १९५२ तक लगभग ६५,००० एकड़ नयी भूमि में खेती की गई।

पानी भर जाने की आपात्त को, जिससे पच्चीस लाख एकड़ भूमि अस्त है, कम करने के लिये २.५५ करोड़ की एक नाली योजना प्रारम्भ की गई। जनवरी से दिसम्बर १९५२ तक ३०६,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि नहरों से सींची गई और ५७१ नलकूप तथा १,८४० रिसने वाले कुयें खोदे गये।

कपास के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। सन् १९४८-४९ के २३२,८०० एकड़ भूमि के स्थान पर सन् १९५२-५३ में ५११,००० एकड़ भूमि खेती के काम में आ रही थी और उत्पादन ७७,७०० गांठों से बढ़ कर २६७,००० गांठें हो गईं।

अधिक उत्पादन में सहायता देने के लिये सरकार ने किसानों को ६७ लाख रुपये का २०,००० टन अमोनियम सल्फेट बांटने का प्रबन्ध किया जिससे

उसे अन्न कपास, गन्ना तथा अन्य फसलों के लिये काम में लाया जाय । जो किसान इसे नकद नहीं खरीद सकते उनको यह कृत्रिम खाद उधार मिलेगी । साथ ही १३,५००,००० एकड़ खेती की हुई भूमि की चकवंदी का काम प्रारम्भ हो गया और आशा है कि चार साल में पूरा हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश

सन् १९५२-५३ के कृषि विकास कार्यक्रम में कई सौ नलकूपों का खोदना, नई नहरों का खोदना तथा रंगवां तथा अहरौरा बांधों का कार्य पूरा करना सम्मिलित था । अकेले इनसे ही ३५०,००० एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । चन्द्रप्रभा, अर्जुन और माताटीला बांधों और बेनाल नहर पर कार्य की गति द्रुतगामी की गई और वर्ष के अन्दर १२५,००० एकड़ बंजर भूमि को तोड़ने के लिये कार्यवाही हो रही थी ।

४४० नलकूपों को लगाने का एक कार्यक्रम पूर्णतया निकट था और एक ऊंची शक्ति वाला जल बिजली का सब-पावर स्टेशन लखनऊ में स्थापित किया गया जिस से २५० कुओं को बिजली मिल सके । पूर्वी उत्तरप्रदेश के गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती में लगभग सौ नलकूप लगाये गये । इनसे ४८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

सन् १९५२ के अंत तक बुन्देलखंड में तीन बड़ी सिंचाई परियोजनायें पूर्ण की गईं । इनसे कोई १०५,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी । अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के जिलों में २५० मील क एक धारा खोदने में पर्याप्त प्रगति हुई । इससे २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । केन्द्रीय क्षेत्र में भी २,००० मील नये नहर की धाराओं को बनाने का कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है । शारदा नहर को आगे बढ़ाने और उनके सामर्थ्य को बीस प्रतिशत अधिक करने का प्रयत्न भी पिछले वर्ष किया गया । पश्चिमी भाग में अपर गंग नहर की सामर्थ्य बढ़ाई गई । इसका परिणाम होगा कि १००,००० एकड़ अधिक खरीफ क्षेत्र की भूमि को सिंचाई की सुविधा बढ़ जायगी । पूर्वी जमुना नहर को नये ढंग से बनाने की योजना भी स्वीकृत हो गई ।

पूर्वी उत्तरप्रदेश में जो बड़े निर्माण कार्य हुए हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में पक्के कुओं निर्माण, पर्सियन ह्वीलों का लगाना, कुओं की मरम्मत, अनेक पंपिंग मशीनों का लगाना व नलकूपों का खोदना सम्मिलित है । यह कार्य २४ लाख मूल्य की बानगंगा परियोजना, जो पूरी हो रही है तथा ८,००० पक्के कुओं के निर्माण के अतिरिक्त हैं ।

सन् १९५२ में सरकार ने निश्चय किया कि कृषि कालेज कानपुर में एक गवेषणा विभाग खोला जाय जो विभागीय शोध अधिकारियों की शोधों तथा किसान की आर्थिक आवश्यकताओं का समन्वय कर सके ।

कानपुर का विकास बोर्ड, राजकीय सहायता से, अधिक अन्न उत्पादन के लिए गंदगी के उपयोग की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है । इस योजना के अनुसार एक पंपिंग-सेट लगा दिया गया है और यह प्रतिदिन सिंचाई के लिये २० लाख गैलन कचरे को काम के लिये उपयोगी बना रहा है ।

यह निश्चय किया गया था कि पटसन का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक जांच पड़ताल की जाय । ट्रैक्टर आपरेटरों, ड्राइवरो, मिस्त्रियों तथा अन्य कारीगरों के प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई । तराई भाग बन क्षेत्र में ५० एकड़ भूमि का टुकड़ा इस प्रयोग के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया कि शिक्षित हाथियों की सहायता से किस प्रकार ट्रैक्टरों का उपयोग हो सकता है ।

इस वर्ष फसल प्रतियोगिता योजना में संशोधन किया गया । २६ जिलों में धान की जापानी पद्धति से खेती के लिये आंदोलन प्रारंभ किया गया । आगरा तथा मथुरा जिलों में राजस्थान के रेगिस्तान के अभियान को रोकने के लिए वनरोपण की योजना पर्याप्त प्रगति कर चुकी है । सरकार ने पुराने अस्वीकृत तथा रोगयुक्त गन्ने के बोने को निषिद्ध कर दिया । भूमि की पड़ताल और भूमि को कटान से रोकने के लिये उपाय चल रहे थे । कृषि तथा अन्य विशेषज्ञों का एक सम्मेलन भी हुआ । इसने इस समस्या के सभी पहलुओं की परीक्षा की और एक भूमि नीति निर्माण करने तथा कानून बनाने के लिये विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृत किये ।

छोटे किसानों को अधिकाधिक सहायता देने के लिये तकावी की अधि-

कतम सीमा घटा दी गई और जिन कार्यों के लिये तकावी दी जाती है उनकी संख्या भी कम कर दी गई । सन् १९५३-५४ में साधारण तकावी तथा नलकूपों, पक्के कुओं, पियन ह्वील, डोलों और बोरिंग के कुओं, बंधियों, ट्रेक्टरों, कृत्रिम खाद, सुधरी नस्ल के गाय बैल, सुधरे कोल्हू, कड़ाहियों तथा बिजली से गन्ना पेरने वाली मशीनों की तकावी के लिए ७५ लाख रुपये रखे गए हैं ।

इस वर्ष राज्य विधान मंडल ने जोत की चकबंदी का विधेयक स्वीकार कर लिया । माल के अफसरों की एक टोली पंजाब जाकर उस राज्य में चकबंदी के तरीके की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजी गई ।

इस वर्ष पटवारियों की नियुक्ति के नियम तथा लैंड रेकर्ड मेन्युअल के नियमों का संशोधन किया गया । जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप मालगुजारी वसूल करने का काम एक विशेष अधिकारी वर्ग को सौंपा गया । ३१ जनवरी, १९५३ तक सन् १,३६० फसली की खरीफ फसल के ८.५० करोड़ में से ४.४६ करोड़ रुपया वसूल हो चुका था ।

इस वर्ष अनेक कानून जैसे भूमाधिकार (वैधानिक कठिनाई हटाने वाला अधेश) उ० प्र० भूमि सुधार (सहयोगी) कानून, उ० प्र० जमींदारी ऋण कम करने वाला कानून और उ० प्र० संपत्ति प्राप्त करने वाला (वाढ सहायता अस्थायी अधिकार) कानून पास किए गए ।

पशुओं की रक्षा तथा सुधार के लिये एक स्कीम स्वीकृत की गई थी कि अनेक नस्ल सुधार के फार्म केन्द्रों को नस्ल सुधार के ग्राम समूहों में परिवर्तित किया जाय । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक केन्द्र के चारों ओर बीस बीस गांवों के ऐसे समूह छुट्टे गये जिनमें कम से कम बीस हजार गाये हों । अशक्त बैलों तथा अनावश्यक संतान को बधिया करने और रोके जाने योग्य छूत की बीमारियों से पशुओं को बचाने के सामूहिक प्रयत्न भी इन समूहों में किये गये । सन् १९४६ में गोशालाओं की दशा सुधारने तथा उन्हें नस्ल सुधार केन्द्रों के रूप में संगठित करने की जो योजना स्वीकृत की गई थी उसे स्थायी कर दिया गया । इस वर्ष तीन नये पशु चिकित्सालय खोलने की भी स्वीकृति दी गई ।

सरकार ने राज्य में गाय तथा गोवंश की जनसंख्या में सामयिक परिवर्तनों

की गतिविधि को देखने के लिए गोरक्षा तथा गोसुधार, गोवध संबंधी वर्तमान नियम तथा इस दिशा में कानून की आवश्यकता की जांच के लिए एक गो-सम्बर्द्धन जांच समिति नियुक्त की।

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में यह है कि इस वर्ष खाद्य की पूर्ण राशनिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई और राज्य में स्वतन्त्र बाजारों की पद्यति चालू की गई। राज्य के अन्दर खाद्यान्न के आवागमन पर नियंत्रण हटा लिया गया और अन्नवसूली स्थगित कर दी गई। इसके साथ विभिन्न खाद्यान्नों का जो अधिकतम मूल्य निर्धारित था, वह भी हटा लिया गया। परन्तु राशन किये हुए नगरों में राशन कार्ड वालों को सरकारी दूकानों से अन्न देने की व्यवस्था बंद नहीं की गई। लेकिन नियंत्रणों के ढीले होने के पश्चात् प्रायः सभी खाद्य सामग्री के मूल्य बढ़ गये। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने बिना राशन व्यवस्था वाले नगरों में आयात किये हुये गेहूँ को सस्ते मूल्य पर वितरित करने की एक योजना चलाई। दूसरा उपाय यह किया गया कि मिलिंग योजना चालू की गई इसके अनुसार आटे की मिलों को आयात किया हुआ गेहूँ दिया गया जिससे वह उपभोक्ता को सस्ते दर पर आटा उपलब्ध करा सकें।

सोलह नवम्बर १९५२ से सरकारी दूकानों से चावल तथा मोटे अन्न की बिक्री बिल्कुल रोक दी गई। सन् १९५२ के अंत तक उ० प्र० खाद्य उपयोग (प्रतिबन्ध) आदेश १९४९ संशोधित कर दिया गया जिससे दावतों के लिये मेहमानों की संख्या में ढील दे दी गई। जब केन्द्रीय सरकार के लिये दूसरे राज्यों को देने के लिये चावल की वसूली की गई तो चावल तथा धान के अंतर्देशीय आवागमन को निषेध कर दिया गया था। सन् १९५३ के प्रारम्भ में कई नगरों में गेहूँ तथा मोटे नाज के मूल्य में लगातार वृद्धि होती गई। इस लिये यह निश्चय किया गया कि सभी नियंत्रित नगरों में आयात किये गये गेहूँ की बिक्री की जाय और वहां कार्डवालों को उचित मूल्य पर प्रति इकाई दो छुटांक के हिसाब से यह गेहूँ दिया जाय। यह भी प्रबन्ध किया गया कि राशन-वाले नगरों में मोटे अनाज की बिक्री की जाय। बाद में एक लाख की जन-संख्या से कम वालों नगरों में राशनिंग समाप्त कर दी गई।

पूर्वी तथा पहाड़ी जिलों के उन क्षेत्रों को, जो सूखा तथा अन्य प्राकृतिक

विपत्तियों के कारण त्रस्त थे, सरकार ने सहायता देने के लिये कई उपाय किये । इन उपायों में अन्य उपायों के साथ त्रस्त भागों को अधिक खाद्यान्न भेजना, मुफ्त सहायता तथा तकावी देना, काम के लिये टेस्ट वर्क खोलना तथा लगान व मालगुजारी में कमी करना सम्मिलित थे । कुछ क्षेत्रों में जहां बरसात के कारण अन्य शीघ्रगामी यातायात सम्भव न था अन्न हवाई जहाज द्वारा भी भेजा गया ।

मई १९५१ से १५, नवम्बर १९५२ तक २५,००० गांवों को संयमित खाद्य व्यवस्था के अंतर्गत ४,५१०,६२७ मन अन्न बांटा गया । इस योजना पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च पड़ा । इसी समय वृद्धों, अशक्तों तथा अनाथों को मुफ्त नकद सहायता अथवा खाद्यान्न के रूप में बांटने के लिए १,१००,००० रुपयों की स्वीकृति दी गई । भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और अन्य गरीब जनसंख्या के लिये विभिन्न स्थानों पर टेस्ट तथा सहायता कार्य खोले गये और इसके लिये ६,६००,००० रुपये स्वीकृत किये गये । इसके अतिरिक्त कच्चे कुआँ के बनाने, बैलों की खरीद, बीज आदि के लिये ८,१५९,००० रुपयों की तकावी बांटी गई और खरीफ की फसल कटने तक के लिये तात्कालिक विपत्ति को दूर करने के लिये सहायता के रूप में १,९३०,००० रुपये स्वीकृत किये गये । सरकार ने भी लगान में ९,०४९,००० तथा मालगुजारी में २,६१६,००० की छूट स्वीकृत की ।

अन्य जो सहायता कार्य किये गये उनमें ये सम्मिलित थे— सारे कमी वाले क्षेत्र में कपड़े का मुफ्त वितरण, मिर्जापुर जिले में वनिज पदार्थों का उपयोग, विद्यार्थियों की फीस में रियायत आदि । इसी के साथ साथ दीर्घकालीन योजनायें भी चल रही थीं । इन योजनाओं में मलेरिया नियन्त्रण उपाय, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार तथा नौकरी के नये स्रोत खोलना सम्मिलित हैं ।

पश्चिमी बंगाल

भरपूर खेती को संवर्द्धन देने के लिये ४४७ छोटी सिंचाई तथा नाली योजनायें, जिनसे १४६,२५६ एकड़ के क्षेत्रफल को लाभ होगा, वर्ष में पूरी की गईं और २९० अन्य कार्यक्रम पूरे होने की विभिन्न स्थितियों में थे वेकार

पड़े हुये २७७ तालाबों को फिर से नया किया गया और ३२५ तालाबों का सुधार किया गया ।

सन् १९५०-५१ के पांच वर्ष पश्चात पटसन की दस लाख अतिरिक्त गांठों के उत्पादन का लक्ष्य सन् १९५२-५३ में ही पूरा हो गया जबकि उपज २४.१५ लाख गांठें हुईं और इस प्रकार लक्ष्य तीन वर्ष पूर्व ही पूरा हो गया ।

केन्द्रीय पशु गवेषणा तथा नस्ल सुधार केन्द्र हरीघटा में, जिसमें २,००० पशुओं के लिये स्थान है इस समय १,४४० पशु हैं । इस केन्द्र में उत्पन्न अनेकों सांड पशु सुधार योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बांटे गये । कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र जो अभी तक कलकत्ता में ही सीमित थे अब देहाती क्षेत्रों में भी फैला दिये गये और वहां दो केन्द्र तथा सात उपकेन्द्र स्थापित किये गये ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले दो जहाजों ने इस वर्ष अपनी खोजबीन का कार्य जारी रखा और प्रति मास कलकत्ते के बाजारों के लिये २,००० मन्. मछली लाये ।

मछली पालन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आंतरिक साधनों में से ३०,६०० बीघों का सुधार किया गया । निजी तालाबों के मालिकों को राजी किया गया कि वैज्ञानिक तरीकों को प्रचलित करें । बंगाल तालाब पुनरुद्धार अधिनियम के अंतर्गत जिन तालाबों का पुनरुद्धार हुआ उनसे बहुत मछली पैदा हुई और ठेकेदारों से लगान के रूप में १४०,००० रुपये मिले ।

खाद्य मोर्चे पर सरकार इस योग्य हो गई कि जनवरी १९५३ से प्रति व्यक्ति के साप्ताहिक राशन में चावल की मात्रा एक सेर से एक सेर पाँच छुंटांक तक बढ़ा दे । इसलिए वर्ष के लिये स्थानीय वसूली का लक्ष्य चार लाख टन रखा गया ।

सरकार ने १ जनवरी १९५३ से अनिवार्य अन्न संग्रह भी प्रारम्भ कर दिया । परन्तु गरीब किसान इस पद्धति की परिधि से दूर रखे गये । केवल उन्हीं किसानों के लिये जो दस एकड़ या अधिक की भूमि के स्वामी थे आवश्यक था कि अपना फालतू अन्न सरकार के हाथ बेचें । उनके लिए भी पारिवारिक खर्च, बीज, खेतिहर मजदूरों को खाना खिलाने तथा उपज के रूप में लगान अथवा ऋण के लिये उदार रूप से कटौतियाँ स्वीकार की गईं । एक जिले से दूसरे जिले में खाद्यान्न के आवागमन पर नियंत्रण भी हटा दिया गया ।

शिक्षा

आसाम

वर्ष के अंदर राज्य में शिक्षा की प्रगति की विशेषता यह रही कि सभी वर्गों की शिक्षण संस्थाओं में तीव्र गति से संख्या वृद्धि हुई । सन् १९५२-५३ में कुल मिला कर ९,८६० लोअर प्राइमरी स्कूल थे जबकि १९५१-५२ में ९,६१० थे । इसी प्रकार १४,२५३ अध्यापकों के स्थान पर १४,६०३ अध्यापक हो गये और ५६९,६४० विद्यार्थियों के स्थान पर ६००,००० विद्यार्थी हो गये । साथही सन १९५१-५२ में ३,३२४ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया । इस वर्ष ७,२२९,५११ रुपयों के खर्च होने की आशा थी ।

सन् १९५२-५३ में ११ परगनों में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लागू की गई । आज इसमें १२ नगर और ४,१६३ ग्राम सम्मिलित हैं । ६ तथा ११ वर्ष के बीच के बच्चों की कुल संख्या २८०,००० है । सरकार ने जनजातियों की प्रारंभिक शिक्षा में भी बड़ी रुचि ली और इस वर्ष जनजातियों के विद्यार्थियों को अनेक छात्रवृत्तियां दी गई ।

इसके साथ ही और अधिक स्कूल बेसिक शिक्षालयों में परिवर्तित किये गये और उनकी संख्या १४२ हो गई । केन्द्रीय सरकार से जनजातियों के लिये बेसिक स्कूलों के वारंटे १३४,२०० रुपये मिले थे । १०० अध्यापकों को ट्रेनिंग देने तथा इस योजना के अंतर्गत इमारतें बनाने का प्रवन्ध किया गया । सेवाग्राम तथा जामिया मिलिया दिल्ही में तीन ग्रेजुएट बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग पा रहे थे ।

बेकार लोगों को नीचे ही छांटने के लिये और मैट्रिक परीक्षा में असफलताओं को कम करने के लिये स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट तथा छात्रवृत्ति परीक्षा इस साल बढ़ा दी गई और माध्यमिक शिक्षा के बीच की स्थिति के विद्यार्थियों के लिये सभी प्रकार के स्कूलों में वे अनिवार्य कर दी गईं । माध्यमिक शिक्षा पर कुल खर्च १९५२-५३ में ४,७३५,९२८ रुपये था जबकि १९५१-५२ में वह केवल ३,३२०,९०९ था ।

इस वर्ष के अंदर सहायक संस्थाओं की सूची में २५ हाईस्कूल सम्मिलित किये गये । स्थानीय संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों के खर्च के लिये उदार सहायता दी गई । इसके साथ ही जनजातियों के क्षेत्र में माध्यमिक स्कूलों को स्कूली इमारतों के सुधार के लिये २६२,५०० रुपये अनावर्तक सहायता दी गई । इसके अतिरिक्त दस हजार रुपये की फीस में रियायत तथा ६८,१५१ रु० जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में दिये गये । पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने इस वर्ष चार मिडिल इंगलिश स्कूल अपने हाथ में लिये । माध्यमिक स्कूलों में पहाड़ी जातियों को आसामी सिखाने के लिये टीटाबर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षा संस्था में एक ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया, जहां लगभग ३३,४३३ रुपये प्रतिवर्ष के अनुमानित व्यय से ४० अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जायगी । इन शिक्षार्थियों की पहली टोली अपना शिक्षण सन् १९५३ के मध्य तक समाप्त कर लेगी और तब वह माध्यमिक स्कूलों में नौकरी के लिये उपलब्ध होंगे ।

सन् १९५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा में दो महत्त्वपूर्ण घटनायें हिन्दी तथा समाज सेवा का अनिवार्य विषयों के रूप में प्रचलन था । योग्य हिन्दी अध्यापकों की उपलब्धि के लिये राज्य के तीन नार्मल स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध किया गया । मिसामेरी (तेजपुर) में प्रतिवर्ष १२५ अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला गया । इसके साथ ही सरकार ने आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को राज्य में हिन्दी का प्रचार करने व विद्यालयों में हिन्दी सिखाने के लिये प्रचारकों के प्रशिक्षण के लिये २५,००० रुपये की सहायता दी ।

३० अगस्त, १९५२ को राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में अनिवार्य समाज शिक्षा की योजना प्रचलित की गई । इस कार्यक्रम में जंगल काटने, गांवों की सड़कों की सफाई व मरम्मत, गड्डों का भरना, गांवों के रास्तों तथा पुलों का निर्माण, तथा कूड़े कचरे को ठिकाने लगाना सम्मिलित था । सप्ताह में एक दिन निश्चित किया गया जबकि लड़के गांवों में जाते और ग्रामसुधार के कार्य में सहायता देते ।

सामाजिक शिक्षा योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष में ३२,००० रुपये खर्च किये । राज्य में ८०० सामाजिक शिक्षा केन्द्र तथा ४०० सहायता प्राप्त

ग्राम्य पुस्तकालय थे। मैदानों के जनजाति क्षेत्रों में २५ केन्द्र खोले गये। नवम्बर १९५२ में होने वाली साक्षरता परीक्षा में जो १६,७६४ पुरुष व १,२९८ स्त्रियां बैठीं उनमें १३,८५४ पुरुष व १,०८८ स्त्रियां पास हो गईं। तीन साक्षरता के पश्चात की तथा एक अध्यापकों की मार्गदर्शिका पुस्तिका प्रकाशित की गई। पांच १६ मिलीमीटर के फिल्म भी खरीदे गये और वर्ष में ओडोविजुयल (चित्रों तथा भाषण द्वारा शिक्षा देने वाली) टोली ने ५०० फिल्म प्रदर्शन किये।

राष्ट्रीय क्रेडिट कोर ने भी विस्तार का कार्यक्रम अपनाया और जंची शाखा की दो टुकड़ियां व नीची शाखा की ९ टुकड़ियां बढ़ाई गईं। इसमें १७५,००० रुपयों का खर्च आया। ये टोलियां शिलांग, एजल, सिल्चर व करीमगंज में बढ़ाई गईं। इन टोलियों की कुल स्वीकृत संख्या इस प्रकार बढ़ा कर १,८५७ क्रेडेटों तथा ६१ अधिकारियों तक कर दी गई।

बिहार

सन् १९५२-५३ में पटना विश्वविद्यालय को एक विशुद्ध शिक्षण विश्व-विद्यालय में परिवर्तित किया गया और इसका क्षेत्राधिकार पटना के समस्त कालेजों तक निश्चित कर दिया गया। पटना से बाहर के कालेज नये बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिये गये। प्रायः सभी सरकारी कालेजों में स्थान बढ़ा दिये गये और कुछ नये अतिरिक्त विषयों को प्रचलित किया गया।

इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया जिससे हाई स्कूल परीक्षा एक स्वयंपूर्ण परीक्षा हो सके और उसमें पेशों में जाने के लिये भी पर्याप्त गुंजायश हो। मेट्रीकुलेशन परीक्षा को विश्वविद्यालय से पृथक कर एक नवनिर्मित बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत कर दिया गया। दुइकी में एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोल दिया गया।

राज्य की दो प्राच्य विद्या अनुसंधान संस्थानों तथा नालंदा पाली प्रतिष्ठान और मिथिला संस्कृत प्रतिष्ठान ने इस वर्ष अच्छी प्रगति की और काशीप्रसाद जायसवाल अनुसंधान परिषद ने कुमराहर में खुदाई की तथा कुछ प्राचीन तिब्बती पांडुलिपियों का संपादन किया।

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने हिन्दी में एक पुस्तक, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य का आदिकाल, प्रकाशित की। सात और पुस्तकें प्रेस में हैं। अनेक बहुमूल्य व्याख्यानों की व्यवस्था की गई और वर्ष के विशिष्ट प्रकाशनों तथा हिन्दी के लिए की गई विशेष सेवाओं पर पुरस्कार दिये गये।

बम्बई

सन् १९५२-५३ में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिये ३,८५८.४६ लाख, स्कूल की इमारतों के लिए ५१.०५ लाख, बेसिक शिक्षा के लिये १५०.७६ और अध्यापकों की शिक्षण संस्थाओं के लिए ५० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। जो १६ नये कालेज खुलने थे उनमें १३ खुल चुके हैं। विलीन क्षेत्रों के लिये १४.४० लाख रुपयों के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के लिए ६२.०३ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई। लगभग सोलह लाख रुपया ऐसे १,३४६ गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता के रूप में दिये गए, जिन में ४२६,१३२ विद्यार्थी हैं।

इस वर्ष के अन्दर टेकनीकल तथा धंधे की शिक्षा के लिए १३५.८० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। अनेकों माध्यमिक स्कूल टेकनीकल स्कूलों में परिवर्तित कर दिए गए। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित धंधों के स्कूलों को भी आर्थिक सहायता दी गई। उच्च शिक्षा के लिये भी व्यवस्था की गई और सामाजिक शिक्षा के लिये १३२.०६ लाख रुपये दिए गए। शारीरिक शिक्षा तथा नेशनल ट्रेकेडेट कोर के लिए भी २३ लाख व ८५.६० लाख रुपयों की व्यवस्था की गई। पुस्तकालयों को खोलने के लिए २४.४१ लाख और सचित्र शिक्षा के लिए १६ लाख रुपयों की भी व्यवस्था की गई।

सन् १९५२-५३ में बाल भवन में एक अभिवाचक-अध्यापक समूह द्वारा संचालित एक प्रदर्शनात्मक बाल शिक्षण सदन स्थापित किया गया। विलीन क्षेत्रों में जहां निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रचलित की गई अध्यापकों को योग्यता परीक्षाएँ पास करने के लिए अधिक समय दिया गया। प्राइमरी अध्यापकों को पेंशन देने में शीघ्रता करने की एक प्रणाली निश्चित की गई। हिन्दी के विशेष अध्यापकों को एस० एस० सी० व अन्य इसी प्रकार की परीक्षाएँ पास करने के लिए दस रुपये का विशेष वेतन दिया गया।

स्कूलों के भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भवन फंडों के लिए सरकारी सहायता को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई, जिससे जहां उसकी आवश्यकता हो वह दिए जा सकें। इस प्रकार ३७८,६०० रुपयों की रकम स्थानांतरित की गई।

सौराष्ट्र, कच्छ तथा गोआ के पुर्तगाली वस्ती के हाईस्कूलों को यह सुविधा दी गई कि वह अपने विद्यार्थियों को राज्य की एस० एस० सी० परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा दें। माध्यमिक स्कूलों का शिक्षण वर्ष सूत्र और अवकाश की दृष्टि से परिवर्तित किया गया।

सन् १९५२-५३ में हिन्दी का अध्ययन ऊंची कक्षाओं में अनिवार्य किया गया। एक स्वेच्छिक तथा अतिरिक्त लिपि के रूप में उर्दू की भी अनुमति दी गई।

मध्य प्रदेश

सन् १९५२-५३ में बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले गए और अध्यापकों का वेतन बढ़ाया गया। सरकार ने जनवरी १९५२ में बरार विक्टोरिया मेमोरियल टेकनीकल इंस्टीच्यूट को अपने प्रबन्ध में लिया। अगस्त १९५२ में अमरावती में भी एक टेकनीकल हाई स्कूल खोला गया। सितम्बर १९५२ से जबलपुर कला निकेतन में पूर्व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चालू किया गया।

वर्ष के अन्दर सामाजिक शिक्षा विभाग ने ५०३५ केन्द्र चलाए। इनमें ११,०४० अध्यापकों तथा अन्य लोगों को २६०,४५३ वयस्कों को शिक्षित करने के लिये नियुक्त किया गया। देहात में ६४ रेडियो सेट और लगाए गए और इस प्रकार लगाए गए रेडियो सेटों की कुल संख्या ५७१ हो गई। इसके साथ ही देहाती क्षेत्र में पुस्तकालय खोलने की योजना सन् १९५२-५३ में चालू की गई और सौ से डेढ़ सौ पुस्तकों के बक्स राज्य के ७०० केन्द्रों में बांटे गए। एक समिति इस बात का लेखा जोखा लेने तथा सुझाव देने के लिए बनाई गई कि किस प्रकार सामाजिक शिक्षा की अधिकाधिक उन्नति हो सकती है।

राज्य के विभिन्न स्कूलों में स्थापित नेशनल केडेट फोर के नीची शाखा की ट्रेनिंग पर अधिक प्रभावपूर्ण निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ने एक अतिरिक्त संपर्क अधिकारी को सेवाएं प्रदान कीं।

मद्रास

राज्य में शिक्षा पर व्यय सन् १९४५-४६ के ४५६.७३ लाख रुपयों से बढ़ कर सन् १९५२-५३ में १,२०० लाख रुपये हो गया। सन् १९५३-५४ की पहली छमाही के लिए ६५० लाख रुपए अलग निकाल लिए गए हैं। वर्तमान प्रारंभिक तथा साधारण ट्रेनिंग स्कूलों को बेसिक ढंग के स्कूलों में परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य में वर्ष के अन्दर ५० बेसिक ट्रेनिंग स्कूल व ७१५ बेसिक स्कूल थे। ढाई से पांच वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के लिए २७ बेसिक स्कूलों में पूर्व बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी थे। दो पूर्व बेसिक ट्रेनिंग विभाग और थे जिनमें एक गांधीग्राम बेसिक ट्रेनिंग स्कूल से तथा दूसरा लेडी विलिंगडन ट्रेनिंग कालेज से संबद्ध था।

सरकार ने भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को उदार शिक्षण सम्बन्ध रियायतें तथा आर्थिक सहायता दी। सरकारी आर्ट कालेजों में उनके लिए १५ प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए २५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे। यह सुरक्षिता अन्य पेशेवर काम के कालेजों में भी लागू थी।

हाल ही में सरकार ने नान गजटेड अफसरों, स्थानिक संस्थाओं के उन कर्मचारियों के जो ३०० रुपया मासिक से कम वेतन पाते थे और सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को भी प्रारम्भिक और लोअर माध्यमिक स्कूलों में पूरी फीस माफ और हाई स्कूलों में आधी फीस माफ की रियायत दे दी है।

उड़ीसा

सन् १९५२-५३ में ८८४ प्राइमरी स्कूल खोले गये और ११० स्कूलों को अपर प्राइमरी स्थिति तक बढ़ाया गया। नया पाठ्यक्रम, जिस में बेसिक शिक्षा के अनेक तत्व थे, ४,००० चुने हुये प्राइमरी और १६ प्रारम्भिक ट्रेनिंग स्कूलों में प्रचलित किया गया। इन स्कूलों की सामग्री के लिये १०२,४०० रुपये मंजूर किये गये।

इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये राज्य विधान सभा में उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विधेयक उपस्थित किया गया । इस वर्ष २५ मिडिल इंगलिश स्कूल व १५ हाई स्कूल खोले गये और इस प्रकार इन स्कूलों की संख्या क्रमशः ५५० व १६८ हो गई । अनेक माध्यमिक स्कूलों को ३१५,००० रुपये व ७७ नये मिडिल इंगलिश स्कूलों को १०७,१४४ रुपये दिये गये । इसके अतिरिक्त मिडिल तथा हाई इंगलिश स्कूलों को खेल-कूद का सामान, पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों आदि के लिये ११०,००० रुपयों के विशेष अनुदानों की व्यवस्था की गई । कालेजों में शिक्षण का मापदण्ड ऊंचा करने के लिये विभिन्न संस्थाओं को अच्छे योग्य अध्यापक तथा बढी हुई सहायता दी गई ।

सन् १९५२-५३ में राज्य में वयस्क शिक्षा के लिये १६२ केन्द्र थे । तीन सघन क्षेत्रों में भरपूर काम किया गया और १५,६६६ वयस्कों को साक्षर बनाया गया । वर्ष के अन्दर सामाजिक शिक्षा के लिये १४० लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

पंजाब

वर्ष में राज्य के अन्दर एक चतुर्थ सूत्री शिक्षा विकास की योजना चलाई गई । इसमें सस्ती शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य में कमी, नये स्कूलों का खोलना, तथा शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सम्मिलित थी ।

सन् १९५२-५३ में प्राथमिक शिक्षा पर कुल १०,६४८,८५३ रुपये व्यक्त हुये जबकि सन् १९५१-५२ में ९,१५३,९१८ रुपये व्यय हुए थे । मुख्यतः देहाती क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों की इमारतों को बनाने के लिये ६ लाख रुपये की अतिरिक्त रकम दी गई । इस वर्ष के अन्दर २५ बेसिक, ६०० प्राइमरी तथा ३० हाई स्कूल और रोपड़ में शारीरिक शिक्षा के लिये एक कालेज की स्थापना की गई । इस वर्ष चंडीगढ़ में एक सरकारी कालेज भी आरम्भ किया जा रहा है । इसके साथ ही पाठ्य पुस्तकों का भी धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण हो रहा है । यह आशा की जाती है कि स्कूली किताबों का मूल्य कम से कम तीस प्रतिशत घटा दिया जायगा ।

शिक्षा पर व्यय सन् १९५१-५२ के १८ लाख से बढ़ कर सन् १९५२-५३ में २०३ लाख रुपये हो गया है। सन् १९५३-५४ के बजट में २४४ लाख रुपये की व्यवस्था रखी गई है।

उत्तर प्रदेश

इस वर्ष में अनेक नई संस्थाएं खोली गईं और ८६ म्यूनिसिपैलिटियों में लड़कों के लिये अनिवार्य शिक्षा की योजना लागू की गई। राज्य में शिक्षा पाने वाले बालकों की संख्या में १,२००,००० की वृद्धि हो गई। सरकार ने देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये पर्याप्त धन रशि उपलब्ध की जिससे ग्रामों के विद्यार्थी ग्राम समुदाय के विकास में सजीव होकर भाग ले सकें।

विद्यार्थियों में नेतृत्व, सूक्ष्मबुद्धि, आत्म-नियमन तथा आत्म-विश्वास को विकसित करने के लिये सरकार ने जिलों में समाज सेवा की योजना प्रचलित की। इंटरमिजियेट कक्षाओं के लिये सैनिक ट्रेनिंग की योजना १७ जिलों में चालू ही है।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की और उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। बहरों तथा गूंगों की शिक्षा के लिये अधिक ध्यान दिया गया। इस प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाली संस्थाओं की अनावर्तक सहायता आवर्तक बना दी गई। सरकार ने यह भी निश्चय किया कि केन्द्रीय सरकार के वयस्क अधि शिक्षा केन्द्र देहरादून में अधों को छात्रवृत्ति देने की योजना में आधी-आधी सहायता के आधार पर भाग लें। एंग्लो इंडियनों में हिन्दी की पढ़ाई की उन्नति करने के लिये राज्य के एंग्लो इंडियन शिक्षा मण्डल ने यह सिफारिश की थी कि आठवीं कक्षा में एक परीक्षा विशेष ली जाय और आगे की कक्षा में तरक्की से पहले इस परीक्षा में पास होने योग्य अंक पाना अनिवार्य हो। यू० पी० हिन्दुस्तानी एकेडमी की कौंसिल का पहली अप्रैल १९५३ से तीन वर्ष के लिये पुनर्निर्माण किया गया।

मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और बनारस में जिला मनोविज्ञान विभाग के कार्य का विस्तार किया गया। इस विभाग का एक मुख्य कार्य यह है कि विद्यार्थियों को अपनी भावी शिक्षा तथा धंधे के सम्बन्ध में उचित आयोजन करने पर परामर्श दे।

पश्चिमी बंगाल

सरकार ने शिक्षा पर सन् १९४८-४९ के १'९७ करोड़ व्यय के स्थान पर ३'३६ करोड़ रुपयों का व्यय किया। बंगाल (देहाती) प्राइमरी शिक्षा अधिनियम को संशोधित किया गया, जिससे दस वर्षीय योजना के आधार पर अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रचलन हो सके और देहाती क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के लिये अधिक धन जुटाया जा सके। पश्चिमी बंगाल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम भी स्वीकृत किया गया जिससे एक कानूनी अधिकार प्राप्त संस्था के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें। कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम (१९५१) भी, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों सम्मिलित कर ली गई थीं, इस वर्ष अमल में लाया गया। देहाती क्षेत्र में नये प्राइमरी स्कूल खोले गये और पुरानों को सुधार किया गया। वर्तमान ३१ ट्रेनिंग स्कूलों के अतिरिक्त, प्राइमरी अध्यापकों को वर्तमान पद्धति से प्रशिक्षण देने के लिए १२ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोले गये।

वर्ष के अंदर माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा को जीवनोपयोगी तथा विस्तीर्ण बनाने की नीति अपनाई और कुछ वर्तमान हाई स्कूलों में टेकनिकल शिक्षण की सुविधा प्रचलित की गई जिससे उनको वर्तमान पद्धति के टेकनिकल हाई स्कूलों में परिवर्तित किया जा सके।

इसी के साथ साथ स्कूलों में तथा मेट्रिक के बाद की स्थितियों में टेकनिकल शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। जो ३७ जूनियर टेकनिकल स्कूल स्थापित होने थे उनमें २० तो काम कर रहे हैं। सात नई पोलिटेकनिक संस्थाओं में १५,००० शिक्षार्थियों को टेकनोलोजी (औद्योगिक शास्त्र) की विभिन्न शाखाओं में ट्रेनिंग दी गई। विकास योजना के अंदर शिवपुर के बंगाल इंजीनियरिंग कालेज का पुनर्गठन किया गया। जाधवपुर के इंजीनियरिंग व टेकनोलोजी कालेज के रसायन इंजीनियरिंग विभाग को भी बढ़ाया जा रहा है।

सामाजिक तथा वयस्क शिक्षा योजना के अंतर्गत साक्षरता तथा समाज शिक्षा के केन्द्र खोले गये । देहाती क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गये और ग्रामीण मनोरंजन संगठनों का पुनर्जीवन किया गया । इसके साथ सवाक तथा सचित्र सामग्री का उपयोग भी किया गया ।

समाज सुधार योजना के अंतर्गत ५,००० अनार्यों और अपाहिज बच्चों का पालन पोषण किया गया और उनको विभिन्न केन्द्रों में काम सिखलाया गया । उनमें से अनेक व्यापारिक जहाजरानी तथा औद्योगिक संगठनों में खप गये हैं । सरकार ने इस वर्ष में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर भी ग्यारह लाख रुपये से ऊपर खर्च किया ।

संस्कृति परीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने संस्कृत कालेज में ऊंची गवेषणा के लिए एक स्नातकोत्तर विभाग खोला । देहाती क्षेत्रों में वितरण योजना के अनुसार १२ इंटरमीजियेट कालेज खोले गये और कलकत्ते से बाहर बीस कालेजों में इंटरमीजियेट में विज्ञान की शिक्षा की पढ़ाई में उन्नत की गई । कलकत्ता विश्वविद्यालय की सहायता भी बढ़ा कर १६ लाख कर दी गई ।

नेशनल क्रेडिट कोर में इस समय पैदल सेना, तोपखाना, इथियारबंद टोली, तथा इंजीनियरिंग इकाइयां और चिकित्सा, नौसेना व नभ सेना की टोलियां हैं । एक लड़कियों की शाखा भी थी । इस वर्ष नेशनल क्रेडिट कोर के ऊपर १३ लाख रुपया खर्च किया गया ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

आसाम

देहाती क्षेत्रों में काला जार के बचने के लिये सहायता देने के लिये वर्ष में दो दवाखाने खोले गये । इसके साथ गोलपाड़ा जिले में दुधनई स्थान पर २० स्थानों का एक ० ए० अस्पताल खोलना भी स्वीकृत किया गया । पेट में केंचुये के रोग को रोकने के लिये सरकार ने पांच हुकवार्म चलती-फिरती टोलियों की स्थापना स्वीकृत की । मलेरिया निरोधक उपाय बहुत विस्तार से किये

गये और २०,००० रुपये की दवायें मुफ्त बांटी गईं । नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाया गया और कार्यक्रमों की संख्या ३२ से ३६ तक कर दी गई । इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों की विस्तृत पड़ताल की गई । अभी तक पांच सामूहिक योजना क्षेत्रों की पड़ताल हो चुकी है ।

इसी समय कोढ़ विरोधी उपाय भी विस्तार से किये गये । कुल मिला कर ३७ कोढ़ चिकित्सालयों में ४२६ मरीजों का तो इलाज हो गया तथा २५१ व्यक्तियों का इलाज प्रारम्भ किया गया । १ अगस्त, १९५२ तथा २३ फरवरी, १९५३ तक ७६,४०७ व्यक्तियों की जांच की गई और ४६,५६० व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया ।

देहाती क्षेत्र में गभवेती माताओं तथा बच्चों को आराम पहुँचाने के लिए सरकार ने वर्ष में जच्चा-बच्चा केन्द्रों को अतिरिक्त कर्मचारी तथा आवश्यक दवायें जुटाईं ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में डाक्टरी सहायता का काम अपने हाथ में लिया । महामारियों को रोकने के आवश्यक उपाय किये गये । यूनैसेफ द्वारा प्राप्त ४६८ ड्रम पाउडर के दूध को बच्चों तथा आपत्ति-ग्रस्त स्त्रियों को बांटने का प्रबंध किया गया ।

बिहार

सन् १९५२-५३ में राज्य के कमी वाले क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण करने के लिये विशेष उपाय किये गये । प्रारंभिक मलेरिया निरोधक स्कीम के अंतर्गत उन क्षेत्रों से मलेरिया को हटाने का प्रयत्न किया गया जहाँ वह बड़ी शक्ति के साथ अपने आप उत्पन्न होता है । उत्तरी बिहार में कालाजार विरोधी केन्द्र ने उन क्षेत्रों में कालाजार का सफलतापूर्वक सामना किया । सन् १९५२-५३ में ६४६,५०१ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और २६२,२७७ के बी. सी. जी. का टीका लगाया गया ।

सितंबर १९५२ से पटना के ज्ञेय केन्द्र ने कार्य प्रारंभ किया । वर्ष में सरकार ने भी अस्पतालों में ४८ अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की जिसके लिये ६६,७६४ रुपये आवर्तक और ८६० रुपयों के

अनावर्तक खर्च का प्रबंध किया गया। इसके अतिरिक्त हैजा तथा चेचक को रोकने के लिये वातावरण की सफाई का सुधार करने के लिये एक देहाती तथा नागरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य पुनर्संगठन की योजना स्वीकृत की गई। सरकार ने स्थानिक संस्थाओं को इस कार्य के लिये २,०००,००० रुपयों का अनुदान दिया।

सन् १९५२-५३ में टी. ए. वी. वेक्सीन के अतिरिक्त हैजा विरोधी वेक्सीन के साठ लाख सी. सी. बनाये गये। अस्पतालों में चिकित्सा तथा चीरफाड़ के इलाज की भी अधिक सुविधायें दी गईं। दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल में ५५,७१८ रुपयों के आवर्तक और ११,०५० रुपयों के अनावर्तक खर्च के पचास अतिरिक्त स्थानों की स्वीकृति दी गई। पटना मेडिकल कालेज तथा अस्पतालों को भी काफी बढ़ाया गया। अत्यन्त आधुनिक ढंग के २५० स्थानों का एक चीरफाड़ का ब्लॉक प्रायः पूरा बन चुका है। रांची तथा भागलपुर में शरीर तथा शरीर द्रव्य संबंधी दो प्रयोगशालायें खोली गईं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ शतों पर स्थानीय संस्थाओं के अस्पतालों और दवाखानों में प्रत्येक को ६०० रुपये तक की वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया।

बम्बई

सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के बढ़ने के कारण वर्ष में मृत्यु संख्या प्रति १,००० व्यक्ति २८.५ से घट कर १८.३१ रह गई। बच्चों की मृत्यु संख्या १६०.८३ से १२८.६६ प्रति हजार रह गई जो सन् १९०० से लेकर सबसे कम है। जच्चा की मृत्यु ६.९२ से घट कर ५.३८ प्रति सहस्र रह गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च सन् १९४५-४६ के १६४ लाख से बढ़ कर सन् १९५२-५३ में ४६१ लाख रुपयों तक पहुँच गया।

सरकार ने दो तपेदिक के स्वास्थ्यागारों का संचालन किया तथा जो 'गैर-सरकारी संस्थाएँ' तपेदिक विरोधी कार्य कर रही थीं, उनको आर्थिक सहायता दी। श्रौंघ के तपेदिक अस्पताल में विस्थापितों के लिये पचास अतिरिक्त स्थान होंगे। इसी प्रकार का एक दूसरा अस्पताल भी खोला जाएगा। जिसके लिए ३०.८६ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

वर्ष में आंख के इलाज की गश्ती टोलियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर नेत्र कैंप खोले गये जहां आंख के आपरेशन किए गए और सहस्त्रों ग्रामीणों की चिकित्सा की गयी। चिकित्सा पद्धति में सुधार कर उसे आधुनिक माप के समरूप बनाया गया। रक्त बैंक तथा प्लाज्मा बनाने के काम भी चालू रखे गए।

वर्ष के अन्दर बी. सी. जी. के टीके भी लगाये गये। मलेरिया निरोधक २३ केन्द्र खोले गये और डी० डी० टी० छिड़कने से ३५,०००,००० लोगों में से ११,७२०,००० लोगों ने लाभ उठाया। मलेरिया का प्रकोप ७५ प्रतिशत कम हो गया। मलेरिया निरोधक कार्य के लिये जिसमें डी० डी० टी० का छिड़कना भी सम्मिलित है १२७.२२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई। डी० डी० टी० बनाने की मशीन लगाने के लिए भी चालीस लाख रुपये दिये गये।

पांच अस्पतालों को खोलने के लिये वर्ष में २२.४८ लाख रुपये दिये गये। इसके साथ ही शोलापुर में एक कुष्ठ शिविर के विस्तार, एक कुष्ठालय की स्थापना तथा कुष्ठ रोगियों के लिये एक शिविर की स्थापना के लिए १५ लाख रुपये दिये गये। सहायता प्राप्त डाक्टरों के ४२ केन्द्रों के लिए जो विलीन क्षेत्र में भी होंगे, ६१.५७ लाख रुपया दिया गया और बम्बई की हेफकिन्स इन्स्टीट्यूट में शोध प्रयोगशाला तथा पोषण विभाग की स्थापना के लिए ३.७० लाख रुपये दिये गये।

पुनः २६६.२७ लाख रुपये पीने का पानी तथा सफाई की योजनाएँ और ऐसे पुराने कामों को पूरा करने तथा नये काम चालू करने के लिये दिये गये। बारह योजनाओं का खर्च सरकार उठा रही थी जिनमें सात पर कार्य प्रारंभ भी हो चुका था। इसके अतिरिक्त चुंगी की १६ स्कीमें सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा चलीं। उनमें से एक पूरी हो चुकी है और नौ में ५० प्रतिशत प्रगति हुई है।

सन् १९५२-५३ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पानी जुटाने के लिए ४१५ लाख रुपयों का प्रबन्ध किया गया। वर्ष में १,७६३ कुंए खोदे गये और १,०८३ में काम चालू था। जिला बोर्डों ने भी यह कार्यक्रम उठा लिया और इसके अन्तर्गत ७२८ कुंए व ३३१ तालाब पूरे हो गये और ७६४ कुंओं तथा ८५ तालाबों में कार्य प्रगति पर था।

इसके अन्तर्गत सन् १९५२ के प्रारंभ से २६८ करोड़ रुपयों के व्यय के ६,८७८ पानी देने तथा सफाई की योजनाएं स्वीकृत की गयीं। इनमें २,५८१ काम पूरे हो गये और १,४८२ में प्रगति जारी थी। सरकार ने इन कार्यों के लिये म्यूनििसिपैलिटियों को १७ करोड़ रुपये दिये।

वर्ष में मेडिकल प्रेक्टीशनर्स एक्ट संशोधित किया गया और इसमें नीम हकीमों तथा अनधिकृत चिकित्सकों के लिए दरद बढ़ाया गया था। भारतीय डेप्टल कौंसिल के चुनाव के लिए परिपाटी निश्चित करने के लिये डेप्टल कौंसिल के नियम संशोधित किये गये। एक तरफ चिकित्सा की आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथी पद्धतियों को संगठित तथा नियमित किया गया तो दूसरी ओर नर्सों और दाइयों पर नियन्त्रण के लिए विधेयक उपस्थित किया गया। दवाइयों के निर्माण पर नियन्त्रण रखने के लिए एक औषधि विधेयक उपस्थित किया गया और दवा बेचने वालों की रजिस्ट्री के लिए एक फार्मसी रजिस्टर खोला गया।

मध्य प्रदेश

सन् १९५२-५३ में होमियोपैथिक तथा वायोकेमिक प्रेक्टीशनर्स एक्ट पास किया गया और एक बोर्ड संगठित किया गया। इस वर्ष में ४६० अंग्रेजी दवाखाने तथा २६० आयुर्वेदिक दवाखाने थे। जनपद सभाओं द्वारा संगठित ८० आयुर्वेदिक दवाखानों को सरकार ने आर्थिक सहायता दी। इसके साथ तीन नये दवाखाने खोले गये। चार चलते-फिरते ऐलौपैथिक दवाखानों में देहाती आबादी को इलाज की राहत दी। नागपुर में मेडिकल कालेज तथा अस्पताल का अधिकांश पूर्ण हो रहा था। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल तथा अकोला के मुख्य अस्पताल का विस्तार किया जा रहा था। दमोह तथा रेंहेली के अस्पताल दुबारा बनाये जा रहे थे।

नागपुर के मेयो अस्पताल में २५ स्थानों का एक तपेदिक बोर्ड व अकोला के मुख्य अस्पताल में १६ अतिरिक्त स्थान बढ़ाये गये।

सोलह अगस्त १९५२ को छिंदवाड़ा में सौ रोगियों के लिए एक तपेदिक का सेनीटोरियम खोला गया। बुलडाना तपेदिक सेनाटोरियम कमेटी के प्रयत्नों से, जिसने २.३० लाख का फण्ड इकट्ठा कर लिया था, बुलडाना में ५० रोगियों

के लिए एक दूसरे सेनीटोरियम की आधार शिला रखी गई। नागपुर में मेयो अस्पताल में एक चलता-फिरता तपेदिक का दवाखाना खोला गया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष में ऐसे अनेक कार्य किए जैसे मलेरिया विरोधी तथा चर्म रोग विरोधी आन्दोलन, बी० सी० जी० का टीका, पोषण की पड़ताल तथा स्वास्थ्य प्रचार। ग्यारह मलेरिया निरोधक टुकड़ियों ने कार्य किया और मलेरिया निरोधक कार्य काकनार, डरतलाई और नञ्जौरा न्याय पंचायतों के क्षेत्र में बढ़ाया गया। इस क्षेत्र में ८० गांव व लगभग ५०,००० की जनसंख्या है।

चर्म रोगों के नियन्त्रण के लिए सन् १९५२-५३ में एक स्कीम बनाई गयी। मार्च १९५२ में दो डाक्टर पहले बेंगलूर व बाद में इण्डोनेशिया अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने तथा इण्डोनेशिया में चर्मरोग निरोधक काम को देखने गये। चांदा जिले में २२ नवम्बर १९५२ से इस रोग को दूर करने के उपाय किए गए। इस आंदोलन के लिए यूनीसेफ ने ३ जीप ऋणस्वरूप दीं और आन्दोलन के पहले अटारह महीने पेंसीलीन मुफ्त दी। विश्व स्वास्थ्य संघ के बड़े परामर्श-दाता अहीरी में थे। वहां चर्म रोग निरोधक कार्य की शिक्षा के लिए एक केन्द्र खोला जा रहा है।

बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० का टीका लगाया गया। इस कार्य के लिए विश्व-स्वास्थ्य-संघ व यूनीसेफ ने दो लाख रुपए का सामान दिया था। सिंदवेही जिले में प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम में तथा धमतरी, होशंगाबाद, मोर्सी और कोंडागांव के चार देहाती तथा नागरिक संयुक्त विकास कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्य करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आवश्यक कर्मचारी जुटाये गये। मोरसी तथा होशंगाबाद पर मलेरिया विरोधी कार्य करने के लिये डी० डी० टी० तथा छिड़कने का सामान प्रदान किया गया।

वर्ष के अंदर नागपुर मेडिकल कालेज का पहला जत्था एम० बी० बी० एस० परीक्षा पास कर निकला। वर्ष के अन्दर सरकार ने एक एम० पी० उपाधिधारियों के लिये संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम चलाया और इसके लिए १२ विद्यार्थी प्रविष्ट किये गये। एक तीन साल का चिकित्सा क्रम भी प्रारम्भ किया गया और जो विद्यार्थी इस कोर्स को पास कर लेते थे वह स्वास्थ्य सहायक नियुक्त किये जाते थे।

सन् १९५२-५३ में लगभग १,००० बालकों की चिकित्सालयों में परीक्षा की गई और उनके पोषण की कमियों के बारे में जो पता लगा उसे प्रथम पोषण पड़ताल अनुसूचियों में लिखा गया। पोषण के तरीकों को लोकप्रिय करने के लिए प्रदर्शनियों और मेलों में पोषण-स्टाल खोली गईं, व्याख्यानों का प्रबन्ध किया गया और पत्रकारों को जानकारी दी गई।

मद्रास

इस वर्ष डाक्टरी सहायता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ५२७ लाख रुपये व्यय किये गये। सन् १९५३-५४ की पहली छमाही के लिये २५५ लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है।

अठारह जिलों में जिनमें ३,६०० ग्राम थे, तथा जिन का कुल क्षेत्रफल १०,००० वर्गमील का था सैंटीस मलेरिया निरोधक योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी अन्य क्षेत्रों में फैलाया जा रहा था। इस के अतिरिक्त अस्पतालों में रोगियों के लिये स्थानों की भी वृद्धि की गई। अस्पतालों में विशेषज्ञ विभाग खोल कर उसमें होने वाले काम के स्तर में भी सुधार तथा तरक्की की गई।

उड़ीसा

सन् १९५२-५३ में सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों के लिये ५,४३९,५७७ रुपये व्यय किये गये थे। कटक के रामचंद्र भंज मेडिकल कालेज तथा अस्पताल में रोगियों के स्थान बढ़ाए गए और अतिरिक्त कर्मचारियों तथा सामान पर लगभग दो लाख रुपये व्यय किये गये। उतिद्वारायणपुर के लक्ष्मीसेनीटोरियम में दस स्थान बढ़ाये गये। इसके अतिरिक्त उड़ीसा टी० बी० एशोशियेशन को कटक में एक तपेदिक चिकित्सालय बनवाने के लिये ४०,००० रुपये दिये गये। कोरापुर जिले में मोटू एजेंसी भागों में आदिवासी आबादी को डाक्टरी सहायता देने के लिए एक भ्रमणकारी डाक्टर नियुक्त किया गया। अनेक स्थानों पर अस्पतालों को अतिरिक्त सामान दिया गया। पुरी की गोपाबंधु विद्यापीठ के कर्मचारी बढ़ाये गये और १६,५५० रुपये का सामान दिया गया। इस के अतिरिक्त इमारत के लिये ७५,००० रुपये दिये गये। ऊंची ट्रेनिंग के लिये पांच डाक्टर विदेश भेजे

गये। सरकार ने आँखों के विभिन्न राहत संगठनों को नेत्र कैंप खोलने के लिये ६,००० रुपये की स्वीकृति दी तथा एक ऐसा कैंप संवलपुर में खोला गया।

इस वर्ष रक्तदान दाताओं की सूची बड़ी, कटक में एक रक्तदान की समिति बनी व रक्तदाताओं के रक्त के नमूनों का बिना खर्च परीक्षण किया गया। कालाहांडी व पुरी जिलों में कुत्ते काटने के इलाज के दो केन्द्र खोले गये।

केन्द्रीय सरकार ने जच्चा-बच्चा केन्द्रों के विस्तार के लिये ३०,००० रुपये की सहायता दी। डेंकनाल पर केन्द्र की इमारत ४,२७४ रुपये खर्च कर बनाई गई। बौध और भवानीपाटन पर दो जच्चा-बच्चा केन्द्र खोले गये तथा चौदह चौदह हजार रुपयों के लागत की दो इमारतें बन रही थीं। इनके अतिरिक्त वर्ष के अंदर १० इमारतें बनाने के काम पूरे किये गये। इनमें ६७६,६८१ रुपये खर्च हुये।

राज्य के महामारी उत्पादक रोग क्षेत्रों में डी० डी० टी० के टीके के लिये १२४,६६० रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त मच्छर तथा मलेरिया के कीटाणु-विनाशक कार्य भी कटक तथा अन्य नगरों में किये गये और इनमें २०६,८७३ रुपये व्यय हुये। यूनीसेफ द्वारा प्रदत्त ५० प्रतिशत वाले डी० डी० टी० के साढ़े बारह टन तथा १०१,००० पौंड डी० डी० टी० इमल्शन की भेंट का उपयोग किया गया और चिल्का भील तट पर अनेक चुंगी तथा सामूहिक योजना क्षेत्रों में डी० डी० टी० छिड़की गई। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया कि ३० लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिये ३ मलेरिया नियंत्रण टोलियां बनाई जाएं।

तपेदिक के प्रकोप को रोकने के लिये वर्ष में ३ दल तैयार किये गये और १५२,०२६ व्यक्तियों की जांच की गई तथा २६,७३५ आदमियों को बी० सी० जी० का टीका दिया गया। चेचक तथा हैजे की रोकथाम के लिये सरकार ने चेचक तथा हैजे के टीके की दवाओं के लिये ८ लाख रुपये स्वीकृत किये। वर्ष में चेचक के ८२५,६७५ तथा हैजे के ७१५,५७५ टीके लगाये गये। देहाती क्षेत्र में पीने का पानी का प्रवन्ध करने के लिये १,१००,००० रुपये दिये गये।

में रखी गई। विश्व स्वास्थ्य संघ के टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में एक आधुनिक तपेदिक नाशक चिकित्सालय की स्थापना की व्यवस्था की गई।

आंख के रोगों की चिकित्सा की सुविधा की विस्तार करने के लिये एक नेत्ररोग परामर्शदात्री समिति बनाई गई और जिला नेत्र सहायक समितियों का निर्माण करने के लिये कार्यवाही की गई। यह निश्चय किया गया कि नेत्र सहायता कार्य को आर्थिक अनुदान ५०,००० रुपयों से बढ़ा कर ७५,००० रुपये कर दिया जाये।

जच्चों तथा बच्चों की निगरानी की एक विस्तृत योजना, जिस पर ३० लाख रुपया खर्च होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ की सहायता से शीघ्र ही चालू की जायगी।

एक योजना बनाई गई थी कि योग्य महिला वैद्यों तथा हकीमों को सरकारी सहायता की एक योजना के अंतर्गत उचित गांवों तथा कस्बों में बसाया जाय। सरकार ने भारतीय दवा बोर्ड को सम्बन्धित आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की।

होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये १५ अगस्त १९५२ से उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडीसन एक्ट १९५२ के प्रथम भाग को लागू किया गया तथा अधिनियम के अंतर्गत एक 'बोर्ड आफ होमियोपैथिक मेडीसिन,' बनाया गया। होमियोपैथिक चिकित्सकों को स्वीकृत स्थानों, विशेषतः देहातों में बसने में सहायता देने के लिये एक योजना बनाई गई।

१५ अक्टूबर १९५२ उ० प्र० आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम लागू कर दिया गया जिससे समाचारपत्र आपत्तिजनक विज्ञापन, विशेषतः अश्लील विज्ञापन न छाप सकें। मिलावट के बढ़ते रोग को रोकने के लिये उ० प्र० शुद्ध खाद्य अधिनियम को २६ जनवरी १९५३ से लागू किया जाना दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। इस बात के प्रयत्न किये गये कि नकली दवाइयों का निर्माण न हो और उनको सुपरिचित निर्माताओं के लेबिल तथा ट्रेड मार्क के अंतर्गत न बेचा जा सके।

पश्चिमी बंगाल

सन् १९५२-५३ में १,८०३ व्यक्तियों के स्थान योग्य १३३ स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। १२० स्थानों के १२ स्वास्थ्य केन्द्र चालू होने को तैयार थे और ४५२ स्थानों के ३६ केन्द्रों का निर्माण हो रहा था।

कलकत्ता का प्रेसीडेंसी जनरल अस्पताल और पांच जिला केन्द्रों के अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है। अन्य चार केन्द्रों के लिये नये अस्पताल बनाने को पैसा दिया गया। कलकत्ते के समीप टालीगंज का २०० रोगियों के रहने योग्य एम० आर० बांगड़ अस्पताल प्रायः बन चुका है।

कंचरपारा के टी० बी० अस्पताल तथा डीगरी के एम० आर० बांगड़ सैनीटोरियम में रोगियों के स्थान की संख्या क्रमशः ६०० से १,००० तथा १०० से २०० बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ है। इस वर्ष में सरकार ने तपेदिक के रोगियों को जिनका सरकारी अस्पताल में सुप्त इलाज हुआ तथा जाधवपुर के के० एम० राय टी० बी० अस्पताल में १०० निशुल्क इलाज वाले सरकारी रोगियों को बिना मूल्य पेटेंट औषधियां तथा अन्य सुविधायें देने की स्वीकृति दी।

चार जिलों में मलेरिया नियंत्रण योजना चालू थी। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद राज्य में १६ टोलियां होगी जिनमें एक प्रत्येक जिले में होगी तथा दो अतिरिक्त टोलियां २४ परगना तथा मिदनापुर के बड़े जिलों में होंगी। इस मद पर आवर्तक खर्च २६ लाख रुपया वार्षिक होगा।

मिदनापुर, हावड़ा, कृष्णानगर, बरहामपुर, तथा बर्दवान के कुष्ट चिकित्सालयों का प्रांतीयकरण किया गया तथा इलाज की आधुनिकतम प्रणालियों की व्यवस्था की गई। फरवरी १९५३ तक १,१३०,३८१ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया तथा ३६८,२४५ को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

सहायता केन्द्रों, अनाथालयों, जच्चा-बच्चा केन्द्रों, स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में कम पोषण पाने वाली माताओं को यूनीसेफ का १,४६०,२६० पौंड दूध का पाउडर बांटा गया। सुप्त दूध वितरण के १,००० से ऊपर केंटीन भी खोले गये।

देहातों में जल देने के लिये लगभग एक करोड़ रुपया व्यय किया गया । अब तक लगभग २,००० नलकूप खोदे जा चुके हैं और २,८०० के लगभग नलकूप दुबारा खोदे जा चुके हैं । इसके साथ २४० पक्के कुयों भी बनाये गये ।

बाहरी म्यूनिसिपैलिटियों को अच्छा पीने का पानी तथा उचित सफाई व्यवस्था की योजना के अंतर्गत ६ परियोजनायें पूरी की गईं तथा अन्य पूरी होने की स्थिति में थीं ।

श्रम

आसाम

सन् १९५२-५३ में बगीचों, चावल तथा तेल मिलों और सार्वजनिक मोटर यातायात के मजदूरों के न्यूनतम वेतन निश्चित किये गये । परन्तु उद्योग में गंभीर संकट के कारण सरकार का कच्चार तथा अन्य स्थानों से चाय बागानों में मजदूरी में संशोधन करना पड़ा । इस कार्य का परिणाम यह हुआ कि २७ बगीचों को पुनः काम चालू करने में सहायता मिली और इस प्रकार मजदूरों में होने वाली व्यापक बेकारी टल गई ।

वर्ष में राज्य समझौता व्यवस्था द्वारा १,७५९ मामले सुलभ्नाये गये और २६ विवाद निर्याय के लिये श्रम अदालत के सिपुर्द किये गये । समझौते के मार्ग से विवादों को समाप्त करने के हल ढूँढने के लिये छै त्रिदलीय सम्मेलन भी हुये । वर्ष के अन्दर विभिन्न प्रकार के २१ स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया गया और ३६ नये श्रमिक संघ रजिस्टर किये गये ।

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत चाय के बगीचों से छूटे मजदूरों के लिये ९ केन्द्र तथा स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिये एक केंद्र बनाया गया । स्त्री तथा पुरुष मजदूरों के पांच केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी था । मोरिया के श्रम कल्याण केन्द्र में २७ नवयुवक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई तथा सात को ट्रेनिंग दी जा रही है ।

औद्योगिक मजदूरों के मकानों के सम्बन्ध में प्रगति यह हुई कि १४,६४५ पक्के मकान, ४२,७७४ आधे पक्के मकान तथा १३६,७३८ कच्चे घर अभी तक चाय बागान और अन्य उद्योगों के मजदूरों के लिये बनाये गये हैं ।

मजदूरों को मकान बनवाने के लिये निश्चित दस लाख की रकम में से सरकार ने कुछ उद्योगों को ५५,००० रुपया नाममात्र के व्याज पर दिया है । मजदूरों को मकान के लिये आर्थिक सहायता के वास्ते अन्य अनेकों आवेदन पत्र विचाराधीन थे ।

बिहार

सन् १९५२-५३ में औद्योगिक सम्बन्धों में स्पष्ट सुधार लक्षित हुआ । विवादों को निपटारा करने के लिये समझौता व्यवस्था पर्याप्त सफल सिद्ध हुई और केवल अपवाद स्वरूप मामले ही निर्णय के लिये श्रम पंचायत के सिपुर्द किये गये । सन् १९५२ में मजदूर संघों की संख्या ४४३ थी । मजदूरों के मकानों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति की गई और वर्ष में लगभग ८० लाख रुपये व्यय किये गये ।

सन् १९५२ में कर्मचारी प्रोवीडेंट फंड स्कीम चालू की गई । अभी तक ४२ कारखानों को सम्मिलित किया गया है । उन सब में मिलाकर लगभग ८०,००० कर्मचारी होंगे और उनका मासिक चन्दा लगभग ६ लाख रुपया होगा ।

वर्ष में खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चय करने का काम प्रारम्भ किया गया । पटना जिले में भी कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित किया गया ।

बंबई

सन् १९५२-५३ में तेल मिलों, टेनरी तथा चमड़ा का माल तैयार करने के उद्योग, सार्वजनिक मोटर यातायात, पत्थर तोड़ने, चावल तथा आटा की मिलों, सड़क बनाने, मकान बनाने तथा तंबाकू बनाने के उद्योगों में मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित किये गये । बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम चीनी उद्योग में भी लागू कर दिया गया । बहुत से औद्योगिक विवाद समझौते तथा पंच फैसले से निश्चित हो गये । इसके अतिरिक्त मजदूरों के वेतन तथा काम की शर्तों संबंधी सैकड़ों शिकायतें लेबर अफसरों के हाथ में आईं । इसी वर्ष सरकार ने मजदूरों के लिये एक कल्याण फण्ड के सम्बन्ध में एक विधेयक उपस्थित किया ।

सन् १९५२-५३ में औद्योगिक नगरों में ५१ कल्याण केन्द्रों ने मजदूरों तथा

उनके परिवारों को मनबहलाव की, सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षण की सुविधायें दीं। बम्बई में श्रम कल्याण संस्थान ने कल्याण अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये अल्पकालीन और दीर्घकालीन शिक्षण-क्रम चलाये।

कल्याण केन्द्रों का खर्च चलाने तथा नये कल्याण केन्द्र खोलने के लिये ३८.७८ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई थी। इनमें २७.६७ लाख औद्योगिक ट्रेनिंग वर्कशाप के लिये, १२ लाख तपेदिक निवारक सेनीटोरियम के लिये और १०.४४ लाख नौकरी पाने से पूर्व तथा बाद की ट्रेनिंग पाने के लिये।

मध्य प्रदेश

सन् १९५२-५३ में श्रम कार्यालय ने समझौता द्वारा ४२ विवादों में समझौता कराया और ३३६ शिकायतों की जांच की।

सी० पी० एण्ड बिरार इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सेटलमेण्ट एक्ट १९४७ की धारा ३७ (२) के अंतर्गत ११ समझौतों को रजिस्टर किया गया। स्वीकृत श्रमिक संघों तथा राज्य के मिल मालिकों के प्रतिनिधियों का एक सरकारी समझौता बोर्ड बनाया गया, जिसको वह सब प्रश्न भेजे जाने हैं जो प्रथम स्थान पर निश्चित नहीं होते। वर्ष के अन्दर ५ अन्य कार्यालयों में स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया गया। वर्ष में २५ श्रमिक संघों की रजिस्ट्री भी हुई।

एक कपड़े की मिल में एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया तथा अन्य मिलों में सुरक्षा समितियां बनाई गईं। न्यूनतम मजदूरी नियम १९५१ व मध्य-प्रदेश हाउसिंह बोर्ड नियम १९५२ को अंतिम रूप दिया गया। ८,१०६ दूकानों तथा कारखानों की रजिस्टरी की गई या उन्हें आगे के लिये बढ़ाया गया।

जबलपुर, पुलगांव, अचलपुर तथा नागपुर में औद्योगिक मजदूरों के आवास के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश गृहनिर्माण बोर्ड ने सारा प्रारंभिक कार्य समाप्त कर लिया है। इस कार्य के लिये बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा बिना व्याज के उधार दिये गये बीस लाख रुपये बोर्ड को इस कार्य के लिये दिये गये। केन्द्रीय सरकार की नई सरकारी सहायता प्राप्त आवास योजना के अंतर्गत बोर्ड ने विभिन्न केन्द्रों पर १,५०० अकेले कमरे वाले मकानों को बनाने का निश्चय किया गया।

राज्य में १ नवम्बर १९५२ से कर्मचारी प्राचीण्डेण्ट फंड स्कीम, कपड़ा, सीमेण्ट बिजली, मेकेनीकल तथा जनरल इंजिनियरिंग उद्योगों में लागू हुई।

इस योजना से लगभग ३८,००० मजदूरों को लाभ होगा ।

मद्रास

श्रम कल्याण पर सन् १९५२-५३ में १९.०५ लाख खर्च हुये और सन् १९५३-५४ की पहली छमाही के लिये १० लाख रुपये रखे गये हैं ।

इसी वर्ष सरकार ने राज्य यातायात की सेवा में लगे हुये कर्मचारियों को अनेकों रियायतें दीं जैसे दस वर्ष तक की नौकरी से अवकाश ग्रहण करने पर पुरस्कार में प्रत्येक पूरे वर्ष के लिये एक-एक महीने का वेतन । यह रियायत उन लोगों के लिये भी थी जिनका कार्यकाल पांच साल से कम का था । जिन लोगों ने दस साल से अधिक की सेवा कर ली है उनको पहले दस वर्षों के लिए एक-एक माह का वेतन प्रति वर्ष के हिसाब से और इसके उपरांत की हुई नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिये दो माह का वेतन होगा । कर्मचारी की कार्यकाल में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वही मिलेगा जो कर्मचारी को पुरस्कार के रूप में मिलता । रात्रि के काम के लिये एक कार्यकर्ता को ऐसी प्रत्येक रात्रि के लिये २५ प्रतिशत अधिक मिलेगा ।

उड़ीसा

छोटी मोटी शिकायतों के श्रुतिरिक्त सन् १९५२-५३ में १८ विवाद उपस्थित हुये जिनमें पांच पंच फैसले या निर्णय के लिये भेजे गये । तीन औद्योगिक संस्थानों में स्थायी आदेशों को प्रभावित किया गया । इस वर्ष १५ श्रमिक संघों की रजिस्ट्री की गई और इस प्रकार उनकी संख्या कुल मिलाकर ११९ हो गई ।

नवम्बर १९५२ से कर्मचारी प्रोबीडेंट फण्ड एकट चालू किया गया । विधेयक का क्षेत्र उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, चौडवार, कटक, दुर्गा टैक्सटाइल वर्क्स बडाबाग, ओरियण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड ब्रजराजनगर और वीविंग सेक्टर तूरा बारागढ़ तक विस्तारित कर दिया गया । इसके साथ-साथ यह चावल, आटा, दाल की मिलों, तंबाकू के कारखानों, सड़क तथा भवन निर्माण, पत्थर के तोड़ने के उद्योग तथा सार्वजनिक मोटर यातायात पर भी लागू कर दिया गया ।

मजदूरों को शिक्षा तथा मनबहलाव की सुविधा देने के लिये दो श्रमकल्याण केन्द्र चनवेली और भरसुगुडा में खोले गये। अच्छा आवास देने के विचार से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त दस लाख रुपयों में से पांच लाख रुपये उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को १९६६ एक कमरे वाले मजदूर-क्वाटर बनाने के लिये दिये गये।

सन् १९५२-५३ में ६७ फैक्टरियों की रजिस्ट्री हुई और २६,६०४ रुपये लैसंस फीस के रूप में वसूल हुये। इस वर्ष निर्माणकारी उद्योगों की जनगणना भी की गई।

पंजाब

सन् १९५२-५३ में अनेक उद्योगों के मजदूरों के न्यूनतम वेतन नियत किये गये और अन्य उद्योगों में भी ऐसे न्यूनतम वेतन निश्चित करने की कार्यवाही की गई। कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना भी प्रचलित की गई। अमृतसर, बटाला, तथा लुधियाना में ९७०,००० रुपये के खर्च पर औद्योगिक मजदूरों के लिये ३८२ मकान बनाने की योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृति की गई। राज्य के विभिन्न औद्योगिक नगरों में छै श्रम कल्याण केन्द्र भी खोले जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश

कर्मचारी राज्य बीमा योजना कानपुर में सन् १९५२ में उद्घाटित हुई थी। साल समाप्त होते-होते इससे लगभग एक लाख कर्मचारियों का लाभ हो रहा था। कर्मचारी प्रोवीडेंट फण्ड योजना भी राज्य में इस वर्ष चालू की गई।

छटनी किये गये मजदूरों का एक समूह बनाने तथा मजदूरों के अस्थायी पन को कम करने की योजना बहुत लोकप्रिय हो रही थी। स्क्रीम इसलिए स्वीकृत की गई थी कि छटनी किये गये कर्मचारियों का एक समूह (गोलक) हो जिसमें से ही किसी कपड़ा मिल में खाली होने वाले स्थानों को भरा जाय और जावर तथा मिस्त्रियों द्वारा भरती को बंद किया जाय। जबसे योजना चालू हुई है ४७,००० मजदूरों को इस गोलक प्रणाली द्वारा उचित नौकरियां मिल गई हैं।

श्रम तथा पूंजी के विवादों के लिये सन् १९५२-५३ में अनेक समझौता

वोड़ों तथा राज्य श्रम पंचायत की नियुक्ति की गई। अनेक उद्योगों के लिये कम से कम वेतन भी निर्धारित किया गया।

कानपुर में मजदूरों के लिए एक विशेष न्यून चिकित्सालय खोला गया और एक भ्रमणकारी डाक्टरों की टोली की योजना क्रियान्वित की गई। राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की संख्या बढ़ कर ४० हो गई। चायबागानों में लगे हुये मजदूरों के कल्याण के लिये तीन नये श्रम कल्याण केन्द्र भी खोले गये। बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों के लाभ के लिये भांसी तथा रामपुर में दो केन्द्र चालू करने का प्रबन्ध किया गया।

औद्योगिक मजदूर आवास कार्यक्रम के अंतर्गत कानपुर के तीन विभिन्न केन्द्रों में मजदूरों के मकान बन रहे हैं। इसी प्रकार के ५६० मकानों की एक बस्ती स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा ऐशबाग लखनऊ में बसाई जा रही है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता द्वारा मजदूरों की आवास योजना का भी लाभ उठाया।

पश्चिमी बंगाल

सन् १९५२-५३ में श्रम संबंधों में स्पष्ट सुधार था। हड़तालों और ताले-बंदियों की संख्या सन् १९५१ से १७३ से घटकर सन् १९५२ में १४१ रह गई। जीवन यापन के स्तर का औसत भी सन् १९५१ में ३६९'५ और १९५२ में ३५१ था। श्रमिकों की सही मजदूरी बढ़वाने में सन् १९५२ में मूल्यों के आंकड़े में १८'५ बिंदुओं की कमी सबसे महत्वपूर्ण अकेली बात है।

वर्ष में ७०४ औद्योगिक संस्थानों में से, जो १०० या इससे अधिक मजदूरों से काम कराते हैं, ४०० में वर्क्स कमेटी बनी। यह निश्चय किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट १९४८ को कलकत्ता तथा हुगली जिलों में जुलाई १९५३ तक लागू किया जाय और इसमें २३७,३६७ मजदूर सम्मिलित थे। न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अंतर्गत न्यूनतम वेतन खेती को छोड़ अन्य सब अनुसूचित रोजगारों में निश्चित कर दिये गये।

वर्ष में २४ श्रम कल्याण केन्द्र कार्य करते रहे। औसतन ७,००० आदमी नित्य प्रति इन केन्द्रों में आये और १,००० बच्चों तथा ९०० वयस्क क्रमशः प्रातः तथा सायंकालीन कक्षाओं में उपस्थित हुये।

केन्द्रीय सरकार की मजदूरों को मकान की नई योजना के अंतर्गत अंतिम स्वीकृति के लिये दो कार्यक्रम भेजे गये । एक योजना में यह प्रस्तावित किया गया था कि ६५ लाख रुपयों के खर्च पर हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी में एक कई मंजिलों वाले मकान के सात खंडों में १६८ अकेले कमरे वाले मकान बनाये जायं । दूसरी योजना थी कि ६ लाख के खर्च पर कलकत्ता कारपोरेशन क्षेत्र में एक नई मंजिल वाली इमारत में १०४ अकेले कमरे वाले घर बनाये जायं ।

उद्योग

आसाम

कुटीर उद्योग विभाग ने १५ अगस्त १९५२ से ३१ मार्च १९५३ तक विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ५४,५०० रुपयों के औद्योगिक ऋण दिये गये ।

राज्य सरकार तथा आसाम विलियमसन धर्मस्व कोष द्वारा कुटीर उद्योगों की ट्रूनिंग के लिये १,२०७ रुपये १२ आने छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये । इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा २,८६७ रुपये दिये गये । इन निधियों से कुटीर उद्योग में लगे हुये व्यक्तियों तथा संस्थाओं को १,१७२ रुपये ४ आने सहायता के रूप में दिये गये । इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये ८,७७० रुपयों की सहायता दी ।

पहाड़ी जिलों में मधुमक्खी पालन को संगठित करने के लिये सन् १९५२-५३ में एक शिक्षक नियुक्त किया गया । चपरमुख पर एक लाख के कारखाने की इमारतें बन रही थीं और उसका बहुत कुछ साज सामान इस वर्ष खरीद लिया गया ।

बिहार

राज्य में मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये यह निश्चय किया गया कि एक राज्य वित्तीय निगम की स्थापना की जाय और उसके लिये सन् १९५३-५४ में दस लाख रुपयों की व्यवस्था की गई । सिंदरी में स्थापित सुपरफास्फेट के कारखाने ने इस वर्ष अच्छी प्रगति की । कारखाने के

लिये स्थान का अंतिम रूप से चुनाव कर लिया गया और यंत्रसमूह (प्लांट) और मशीनों के आर्डर दिये गये ।

सन् १९५२-५३ में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल की बढ़ोतरी के साथ यह आशा की जाती है कि चीनी का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा । गन्ने की सुधरी हुई किस्म के संबंध में खोजबीन चालू रही और यह कोशिश भी की गई कि गन्ने की अच्छी किस्म की खेती को गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा बढ़ाया जाय ।

कुटीर उद्योग के विकास की पुनर्गठन योजना के अंतर्गत सन् १९५२-५३ में सूत, रेशम तथा ऊन की बिनाई, बर्तन बनाने, कटलरी का सामान बनाने, रंगरेजी तथा छपाई, और चमड़े को पकाने आदि को सिखाने के लिये १४ कक्षाएँ खोली गईं । इस बात का प्रयत्न किया गया कि मुंगेर जिले में एक अंडी के बीज उत्पादन का फारम खोजा जाय, पुर्निया जिले में शाहतूत के प्रदर्शन के लिये फारम खोला जाय तथा सिंहभूम व मानभूम में टसर के बीज के वितरण के गोदाम खोले जाय और उनके तीन उपकेन्द्र हजारीबाग, सिंहभूम तथा संथाल परगना के जिलों में हों । इसी वर्ष कच्चे माल तथा कांच और मिट्टी के उद्योगों का गवेषणा कार्य भी प्रारंभ हुआ ।

बम्बई

सरकार ने हाल ही में नये उद्योगों को स्थापित करने के लिये ३२ लाइसेंस दिये हैं । इनमें सीमेण्ट, कागज, औषधि निर्माण, रेडियोसेट, स्टूडियो का सामान, मोटर गेसोलीन, थरमस, बैटरी आदि सम्मिलित हैं । इनमें जो पूंजी लगी है वह ६५७.७९ लाख होगी । यह भी निश्चय किया गया है कि दो करोड़ रुपये की पूंजी लगा कर एक औद्योगिक ऋण निगम चालू की जाय जिसके द्वारा मध्यम तथा छोटे मोटे उद्योगों को ऋण देकर सहायता दी जा सके ।

इस वर्ष विभिन्न उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिये टेकनीकल कालेजों तथा स्कूलों को कारीगर तैयार करने की सुविधायें भी पर्याप्त रूप से अधिक दी गईं । विकास योजना में १२५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

उद्योगों की परामर्शदात्री समिति का सन् १९५२-५३ पुनर्गठन किया गया ।

इसमें उद्योगपति, श्रम तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं का प्रति निश्चित है । समिति ने सरकार को औद्योगिक संगठन की समस्याओं पर परामर्श दिया ।

मध्य प्रदेश

औद्योगिक क्षेत्र में बल्लारपुर कागज मिल तथा नेपा मिल ने सन् १९५२-५३ में अच्छी उन्नति की । इस वर्ष में ११८ खदानों के लाइसेंस, १३१ खानों के लाइसेंस और ४८७ जांचकर पता लगाने के लाइसेंस दिये गये । डमुआ, कालीचप्पर, राक्रीखोल कोयला खानों से कोयले के नमूने ईंधन गवेषणा शाला (फ्यूल् रिसर्च इंस्टीट्यूट) भेजे गये और प्रारंभिक अनुसंधान किये गये ।

उद्योगशाखा ने विभिन्न केन्द्रों पर बुनाई, रंगाई तथा छुपाई के चलते फिरते प्रदर्शन किये । सुधरी तथा श्रम बचाने वाली तरकीबों के प्रयोग भी किये गये । और बुनकरों को विशेष कपड़ा बुनने की, जैसे फर्नीचर की चादरों, पैदों तथा पलंग पोशों के बुनने की ट्रेनिंग दी गई । विशिष्ट प्रकार का ३८,०३४ गज कपड़ा तैयार हुआ और बेचा गया जबकि १९,००० रुपयों के आर्डर इस वर्ष पूरे किये गये । कुटीर उद्योग विभाग ने फलों का रस निकालने और मिठाई बनाने के केन्द्र संगठित किये और उनकी व्यावहारिक ट्रेनिंग की कक्षाएँ चलाई । इस विभाग ने अपनी एलोडीकोरटीकेटिंग मशीन द्वारा रस्सा बनाने के काम में विशेषता प्रकट की और इस उद्योग का भी व्यावहारिक प्रदर्शन किया । दो कपास दाबने की मशीनों—एक हाथ द्वारा चलाई जाने वाली और दूसरी पैर द्वारा चलाई जाने वाली—को बनाया गया । इसके अतिरिक्त कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के लिये विशेष उपयोग की एक शक्ति संचालित सूट कातने की मशीन भी बनाई गई ।

इसके अतिरिक्त टंड में दवाये हुये संतरों का तेल निकालने, आफिस पैरट की तैयारी, रंगीन एनोडाइज्ड अल्यूमिनियम प्लेट, चपरा आदि के प्रयोग भी कुटीर उद्योग प्रयोगशाला में किये गये । मायब्रोलांस से नीली-काली स्याही बनाने का एक तरीका निकाला गया । इस विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों में प्रयुक्त स्टेशनरी की वस्तुयें जैसे लिफाफों, टीपने के कागज, फाइल बंड, धागा, लिखने की स्याही, गोंद, चपरा, खड़ियां, आदि को तैयार करने के मशीनों के नमूने बनाये गये ।

१ नवम्बर, १९५३ से कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की गवेषणा तथा शिक्षण के लिये उद्योगशाला योजना प्रारम्भ हो गई । सरकारी केन्द्रीय बर्कशाप ने भाप के रोड रोलर के भागों की मरम्मत, सभी गेरेजों के लिये उपयुक्त तीन टन का बोझ उठाने वाला प्लोर जैक, एक टन का उठायू अरेवी, बैलट बक्स, चलते फिरते पुस्तकालय के लिये बक्स, केशबक्स तथा रहट बनाने का काम अपने हाथ में लिया ।

मद्रास

दक्षिणी अर्काट जिले में लिगनाइट (भूरे कोयले) की खानों का दोहन करने के लिये सत्तर लाख रुपये के व्यय की एक प्रारंभिक मार्ग प्रदर्शक योजना ५ माचे १९५३ को प्रारंभ हो गयी । जांच से पता चला कि लगभग १०० वर्ग मील में धरती की सतह से १७५ फीट नीचे कोई दो अरब लिगनाइट अर्थात् भूरे कोयले के झाने का पता चला । इस कोयले के जो नमूने लिए गये उनको जब काम के योग्य बनाया गया तो वह बंगाल से प्राप्त प्रथम कोटि के कोयले की बराबरी का निकला । इस कार्य के लिये भारत सरकार ने १५ लाख रुपये की मशीनें दीं । सन् १९४४-४५ से राज्य में ज्वाइंट स्टाक कंपनियों की संख्या १,६९५ से ३५४४ हो गयी, तेल मिलें ३४९ से ११९२, चीनी मिलें १४ मे १७ तथा कपड़े की मिलें ६७ से ८५ हो गयीं । सरकार ने राज्य में ९ चुने हुए क्षेत्रों में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए एक संशोधित योजना स्वीकृत की ।

उड़ीसा

बड़े औद्योगिक कार्यों में सूत कातने के लिए एक कारखाना स्थापित करने, १०,००० टन अलम्यूनियम की गोठें बनाने का दूसरा कारखाना बनाने तथा ३०,००० टन इस्पात के नल बनाने के कारखाने की तैयारियां हो रही थीं । बाहर से मशीनों को मंगाने के आर्डर दिए गए तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है । स्टील रीरोलिंग मिल का काम चालू कर दिया गया । चौडवार पर एक कागज की मिल तथा एक जूट मिल बनाने की वार्ता पर्याप्त प्रगति कर चुकी थी ।

कपास की गांठें बांधने के दो यन्त्र समूहों और औद्योगिक कार्यों के लिए न खाने योग्य तैलों के उपयोग की सम्भावना को जानने के लिए एक कारखाने

की स्थापना की स्कीमें स्वीकृत की गयीं । इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे पैमाने के उद्योगों को आर्थिक सहायता मिली । इसके साथ ही अनेक उद्योगों को स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया । इनमें कटक में एक रिकाडिंग प्लांट, बेरंग पर पत्थर की नालों की पाइप कम्पनी, बरहानपुर पर एक लोहेतर धातु का रोलिंग कारखाना, जबलपुर तथा बरहानपुर पर बिजली से चलने वाले पावरलूमों की फैक्टरी, एक बिस्कुट फैक्टरी तथा दो नमक निकालने वाली कम्पनियां सम्मिलित हैं । इनमें से अनेकों ने उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया है ।

कुटीर तथा ग्राम उद्योगों में कटक के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारोबार, गंजम जिले में मिट्टी के तथा न टूटने वाले खिलौने बनाने वाली दूकान और बालासोर के पीतल तथा कांसे के वर्तन बनाने वाले कारोबार की चर्चा को जा सकती है ।

संभलपुर जिले में बुनकरों के एक समूह को इस बात में सहायता दी गयी कि वह अपने उत्पादन का विस्तार करें और अपनी वस्तुओं का स्तर स्थायी रखें । औद्योगिक स्कूलों से सीखे हुए लगभग २० शिक्षित कारीगरों को आर्थिक सहायता देकर बड़ईगीरी, बुनाई, सिलाई, बेंत के काम तथा लोहार-गीरी में लगाया गया । राज्य से बाहर की टेकनिकल संस्थाओं में ४८ व्यक्तियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया ।

पहली अप्रैल १९५२ से १५ मार्च १९५३ तक आर्थिक सहायता के लिए २५९ प्रार्थना पत्र आए और उनकी जांच की गयी । सरकार ने ऋण देने के लिए लगभग दस लाख रुपए स्वीकृत किए, ६०३,००० रुपए पूंजी में हिस्से के रूप में दिए और १०,००० रुपए उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता के रूप में दिए ।

खादी योजना के अन्तर्गत मार्च १९५३ तक १०३,७७६ गज खादी तैयार की गयी । हाथ करघे से बना हुआ लगभग ६ लाख गज कपड़ा तैयार हुआ ।

पंजाब

उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में २ करोड़ रुपए की स्वीकृत पूंजी के एक औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई । सरकार तथा उद्योगपतियों में संपर्क स्थापित करने के लिए दो परामर्श समितियां उद्योगों

के लिए स्थायी परामर्श समिति व कुटीर-उद्योग बोर्ड स्थापित किए गये । सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणामस्वरूप १३०,५४६,००० रुपयों की स्वीकृत पूंजी की और १३,४३०,७६७ रुपयों की आर्थिक पूंजी की ४४१ नयी कम्पनियां इस वर्ष रजिस्टर की गयीं । फैक्टरी एक्ट १९४८ के अन्दर रजिस्टर की गयीं फैक्टरियों की संख्या सन् १९४७ में ६०० से बढ़ कर सन् १९५२-५३ में लगभग १५०० तक पहुँच चुकी थी ।

उत्तर प्रदेश

सन् १९३६ में नियुक्त छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की समिति सन् १९५२ में समाप्त कर दी गयी और उसके स्थान पर एक छोटे पैमाने का तथा कुटीर उद्योगों का बोर्ड बनाया गया । कर्षा उद्योग की रक्षा तथा विकास लिए एक पृथक राज्य कर्षा बोर्ड स्थापित किया गया जो सरकार को उद्योग की समस्याओं पर परामर्श दे और उसके विकास की योजनाओं का परीक्षण करे ।

कर्षे के कपड़े के चार उत्पादन केन्द्र और ऊनी कपड़े के तीन उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए । कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए १३५ शिक्षा तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गये । इनमें निर्माण के सुधरे हुए तरीकों की ट्रेनिंग दी गयी । आजमगढ़ जिले में मऊ में पालिश तथा रंगने की फैक्टरी स्थापित की गयी । पूर्वी जिलों में देहाती कारीगरों को टेकनीकल शिक्षा देने के लिए जौनपुर में एक पोलिटेकनिक खोलने के लिए १२१,००० रुपयों की व्यवस्था की गयी । इसके साथ ही सरकार ने निश्चय किया कि सरकार द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं में कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को कुछ मूल्य रियायत दी जाएगी ।

सरकार एक ऐसा पंचवर्षीय कार्यक्रम भी प्रचलित कर रही थी जिसमें ३,०००,००० रुपयों के व्यय से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में उच्च कोटि के ऊन के उत्पादन के लिए बकरियों तथा भेड़ों की उन्नति की जाएगी । साथ ही कुटीर उद्योग द्वारा उत्पन्न वस्तुओं, कंबल तथा कालीन, आदि के लिए ऊन के निर्यात को कम करने के लिए दो सांड मेढ़ों के केन्द्र खोले गये ।

एफ० ए० थ्रो० द्वारा राज्य को प्रदत्त विशेषपत्र की देख-रेख में बस्ती के तालाब लखनऊ में खाल खींचने, उसको पकाने तथा सिंभाने का एक केन्द्र स्थापित किया गया । फलों के मौसम में फलों को सुरक्षित रखने के अल्पकालीन शिक्षा

सूत्र चलाए गए। इस योजना के अन्तर्गत स्थापित एक प्रयोगशाला में इस बात के बड़े पैमाने पर प्रयोग किए गए कि विभिन्न फलों तथा सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन फलादि उपयोगी हैं। इस प्रयोगशाला की एक महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि बेकार जंगली फलों को जो अब तक भारी मात्रा में नष्ट हो रहे थे, फलों की टाफी के रूप में परिवर्तित करने का तरीका ढूंढ निकाला गया। भारतीय वातावरण, विशेषतः देहाती क्षेत्र के लिए उपयुक्त, एक साधारण निर्जलीकरण यंत्र बनाया गया जिससे विभिन्न फलों तथा सब्जियों का निर्जलीकरण किया जा सके और टाफियां बनायी जा सकें। फलों के रक्षण उद्योग के लिये नैनीताल जिले का रामगढ़ पसंद किया गया। एक शक्ति-चालित यंत्र वहां लगा दिया गया है और उत्पादकों को अपने फलों को सुरक्षित रखने व डिब्बों में बंद करने की सुविधा दी गयी।

भारी उद्योग के क्षेत्र में मिर्जापुर जिले के रावर्टसगंज की राज्य सीमेंट फैक्टरी ने द्रुतगति से प्रगति की। इमारतें बन रही हैं और मशीनें लगायी जा रही हैं। सरकारी सूक्ष्म यंत्र फैक्टरी में जो लखनऊ में है, पानी के मीटर का उत्पादन स्थिरतापूर्वक बढ़ रहा था। वर्तमान मासिक उत्पादन ७०० के लगभग था और सन् १९५३-५४ के निर्माण कार्यक्रम में १०,००० पानी के मीटरों तथा ५०० खुर्दवीनों की व्यवस्था है।

गन्ने की फसल में कुल गन्ने के पेरने का अनुमान २० करोड़ मन था। सन् १९५२-५३ में गन्ने का मूल्य एक रुपया बारह आना मन से जो सन् १९५१-५२ के गन्ना पेरने के मौसम में था, मूल्य कम कर के एक रुपया पांच आना कर दिया गया। इससे चीनी का मूल्य लगभग चार रुपया मन सरता हो गया। आशा थी कि सन् १९५२-५३ के पेरने के मौसम में कोई दो करोड़ मन चीनी तैयार होगी।

पश्चिम बंगाल

इस वर्ष छोटे पैमाने के उद्योगों पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और वह एक प्रथक मंत्री की निगरानी में रख दिए गए।

रेशम उद्योग को सुधारने के लिए शाहूत के उत्पादन के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया और उत्पादकों के लिए रेशम के कीड़ों का अच्छे किस्म का स्टोक

उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त रेशम के कारीगरों को सहकारी समितियों में संगठित किया गया। मिट्टी के बर्तन, हाथ के बने कागज तथा खादी उद्योगों को भी विभिन्न स्कीमों द्वारा विकसित किया गया।

कच्चे पटसन तथा पटसन के बने माल के मूल्य को स्थिर रखने के लिए जो कि धीरे-धीरे गिर रहा था, सरकार ने फाटके पर रोक लगा दी। हिमालय के ऊंचे स्थलों पर महत्वपूर्ण दवाओं के पौधों और जड़ी बूटियों को उगाने की योजना स्वीकृत की गयी।

विकास

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में ग्रामसुधार कार्य के लिए ४० लाख रुपया निर्धारित हुआ है। सन् १९५२-५३ में ४७ पंचायतों की स्थापना की गयी जिसे पंचायतों की कुल संख्या ६८ हो गयी और उनको ६८०,००० रुपए सहायक अनुदानों में दिए गए। सरकार ने गांव वालों को तालाब खोदने, कुआं खोदने अथवा सड़क बनाने जैसे सामुदायिक कार्यों में स्वयं-सेवा को भी प्रोत्साहन दिया। वर्ष में इस कार्य पर ३१८,६६६ रुपए व्यय हुए।

बिहार

राज्य में इस समय दो लाख की सदस्यता की ६५ सहकारी विकास तथा गन्ना विक्री संघों के अतिरिक्त लगभग ६,६०० अन्य सहकारी समितियां हैं। इस वर्ष सहकारी प्रबन्ध में एक नया अनुभव यह था कि गुरारू की गया मिल का प्रबन्ध उस स्थान के सहकारी विकास तथा गन्ना विक्री संघ ने ले लिया।

सन् १९५२-५३ में राज्य के कोष से सड़कों के विकास पर २.१५ करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर तथा केन्द्रीय सड़क कोष से किया गया कुल खर्च ६० लाख रुपए का हुआ। पन्द्रह अगस्त १९५२ को जमशेदपुर नगर की यातायात व्यवस्था राज्य ने अपने हाथ में लेली। सरकार ने २८ जनवरी १९५३ से पटना नगर क्षेत्र में तथा पटना से अनेक स्थानों को जाने वाली सड़क यातायात सर्विस का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया।

नलकूप सिंचाई योजना के अन्तर्गत विद्युत-शक्ति का विशेषतः दक्षिण बिहार में पर्याप्त विकास हुआ।

(३४३) :

सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम २ अक्टूबर १९५२ को चार योजना क्षेत्रों व एक विकास समूह में आरम्भ किया गया । योजना में बिहार के लिए १६० योजनायें हैं जिनपर पांच वर्ष में ५७.२६ करोड़ रुपया व्यय होगा । सन् १९५२-५३ में कुल व्यय जो इन कार्यक्रमों पर हुआ १२.२३ करोड़ रुपया था । तीस नवम्बर १९५२ तक विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप ६५,०२३ टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ ।

बम्बई

सन् १९५२-५३ में २५ लाख की सदस्य संख्या की १७,००० सहकारी समितियां थीं । इनके अतिरिक्त कृषि, विक्रय, गृहनिर्माण, सिंचाई आदि सम्बन्धी बहुसंख्यक समितियां थीं । सहकारी समितियों की कुल पूंजी १०० करोड़ रुपया थी । वर्ष में ५,४०० ग्राम पंचायतों ने काम किया और उन को सन् १९५२-५३ में सरकारी सहायता ३८ लाख रुपयों की वैटी जबकि सन् १९४६-४७ में कुल साढ़े चार लाख की थी ।

विकास कार्यक्रम के अनुसार ६३ मील लम्बी सड़कों के ४५ कार्य तथा एक पुल का कार्य पूरा किया गया और ४८ नये काम शीघ्र लिए जाने वाले थे । विकास योजना में राज्य शासित राज्यपथ के तथा अन्य सड़कों के लिए, कुल मिला कर १,०७५ पक्की तथा कच्ची सड़कों के लिए ११.६३ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है । महत्त्वपूर्ण सड़कों के १६६ मील लम्बे भाग का आधुनिकीकरण भी, जिस पर १२८ लाख रुपए खर्च होंगे, पूरा हो रहा था । राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के अन्तर्गत बम्बई-अहमदाबाद सड़क पर टूटी कड़ियों और पुलों को प्राथमिकता दी गयी ।

अब तक गृह निर्माण बोर्ड ने औद्योगिक मजदूरों के लिए तथा कम आमदनी वाले समूहों के लिए २३ करोड़ रुपए के व्यय से ७,००० मकान बनाए । सन् १९५२-५३ में ८४० मकानों पर निर्माण कार्य जारी था और १६६५ मकानों पर शीघ्र ही चालू होगा । इसके अतिरिक्त सहकारी भवन निर्माण समितियों को मकान बनाने के लिए भांति-भांति की सुविधाएं दी गयीं ।

विकास योजना के अन्तर्गत बिजली उत्पादन की सात बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की गयीं । ये थीं कोल्हापुर में राधानगरी जल-बिजली योजना

पंचगंगा नदी का बिजली घर, जोग वितरण योजना, चोला थर्मल-बिजली घर, उत्तर तथा दक्षिण गुजरात ग्रिड-योजना और सतारा जिले की कोयला परियोजना।

वर्ष के लिए मछली पालन विकास कार्यक्रम में मछुओं के बच्चों की ट्रेनिंग, बर्फ तथा कोल्ड स्टोरेज यंत्रों का प्रवन्ध, अन्दरूनी मछुलियों का विकास, तारापुरवाला मस्यागार का विस्तार तथा रत्नागिरी में सामुद्रिक जीव-जन्तु गवेषणा केन्द्र की स्थापना सम्मिलित है। वर्ष में पांच मछुओं के बच्चों को वजीफे तथा बिना फीस शिक्षा दी गयी।

पंच वर्षीय योजना पर कुल व्यय का अनुमान १४६ करोड़ रुपया था। इसमें से १३० करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार ने की।

तेरह समूहों में जिसमें १,२२३ गांव हैं सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल ७०७,६६४ एकड़ तथा जनसंख्या १२२,८५६ थी।

मार्च १६५३ तक मिश्रखाद के ४,००० और कूड़ा सोखने वाले २,६०३ गढ़े खोदे गये और १,०७२ भरे गये। इसके अतिरिक्त १६८ टन रासायनिक खाद वितरित की गयी। और गतिविधियां ये थीं कि कपास, अन्न तथा भाजी की बढ़िया किस्म की खेती हुई, फलों के पेड़ों की कलमें वितरित की गयीं और बंजर भूमि पर बबूल के पेड़ उगाये गये। पशु चिकित्सा व्यवस्था द्वारा ११,२६८ पशुओं का इलाज किया गया।

एक क्षेत्र में एक सिंचाई योजना, जिस पर १३५ लाख रुपए खर्च होंगे, प्रारम्भ की गयी। दूसरे क्षेत्र में ६०,००० रुशों के खर्च के १० बंधरों का काम प्रारम्भ हुआ। तीसरे क्षेत्र में ६ लिफ्ट सिंचाई सड़कारी समितियां बनायी गयीं, २३ पानी सिंचने वाले पंपिंग-सेट लगाए गए, ३४ नये कुएं बनाए गए व ३७ पुराने कुओं की मरम्मत की गयी। एक क्षेत्र में छः तेल एंजिन भी लगाए गए।

शिक्षा के क्षेत्र में एक इलाके में २३ स्कूल खोले गए और १२८,००० रुपयों के व्यय की इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दूसरे क्षेत्र में बहुत से स्कूलों को खोलने के लिए १५ लाख रुपए स्वीकृत किए गए और तीसरे क्षेत्र में १४ स्कूल खोले गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिक्षा की ७३ कक्षाएं संगठित की गयीं।

(३४५)

एक क्षेत्र में ४३ मील लम्बी गांव की सड़कें बनायी गयीं और अन्य क्षेत्रों में २६ और सड़कें बनायी जाएंगी । एक दूसरे क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए ३००,००० रुपये स्वीकृत किए गए ।

डाक्टरों सहायता के सिलसिले में १,३६४ व्यक्तियों का इलाज किया गया, ८,६४६ के टीका लगाया गया और २०,००० के दोवाग टीका लगाया गया; गांवों में स्वच्छता को बढ़ाने का काम भी उन्नति कर रहा था और एक क्षेत्र में ५०,००० रुपयों के खर्च में ३६ पानी पीने के कुंओं की स्वीकृति दी गयी ।

मध्य प्रदेश

चार सामूहिक विकास योजनाएं जिन में प्रत्येक में ३०० गांव हैं, रायपुर, होशंगाबाद, अमरावती व बस्तर जिलों में २ अक्टूबर १९५२ को प्रारम्भ की गयीं । निगरानी करने वाले वर्मचारियों के लिए एक शिक्षण शिविर सिदेबाही के शिक्षण तथा विकास केन्द्र में १६ जून १९५२ को खोला गया । यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, बम्बई और भोपाल के ४० शिक्षार्थियों ने ६ महीने ट्रेनिंग पायी । विकास कार्य बी शिक्षा के लिए इसी प्रकार का एक तीन मास का शिक्षण शिविर होशंगाबाद जिले के पोवार खेड़ा में गांवों के कार्यकर्त्ताओं के लिए खोला गया । दूसरा सत्र चल रहा था ।

सामूहिक योजना क्षेत्रों में ग्रामसुधार कार्य जैसे कुओं का खोदना, सड़कों तथा पुलियों की मरम्मत आदि काम उठाये गये । रायपुर तथा अमरावती सामूहिक विकास योजनाओं के अंतर्गत ग्राम विकास समितियों का संगठन किया जा रहा था । बस्तर योजना में गांव वालों ने बिना किसी खर्च के परचनपल-करपावंड सड़क की २० मील ऊंचाई-निचाई को तथा १७ मील मिट्टी के काम को पूरा कर दिया । बस्तर-रेटावंड सड़क पूरी कर दी गई । चुने हुये गांवों में प्रदर्शन के लिये ११ सिलों के गड्ढे पूरे किये गये तथा भर दिये गये । बस्तर तथा होशंगाबाद-दोनों योजनाओं में ईंटों को बनाने का प्रबन्ध किया गया तथा चूने की भट्टियां तैयार की गईं ।

मद्रास

बिजली पर सन् १९५२-५३ में १,५०० लाख रुपये खर्च किये गये । सन् १९५३-५४ की पहली छमाही के लिये इस उद्देश्य से ८२० लाख रुपये रखे गये हैं ।

बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये १८०,००० अतिरिक्त किलोवाट शक्ति उत्पन्न करने की अनेक बड़ी योजनायें हाथ में ली गईं । इनमें से कुछ योजनायें इस वर्ष पूर्ण हो गईं । यह भी आशा है कि छूँ नयी योजनायें शीघ्र ही पूरी हो जायंगी । साथ ही सरकार देहातों में बिजली फैलाने में बड़ी रुचि लेती रही है । अभी तक २,००० से अधिक गांवों को बिजली पहुँचायी जा चुकी है ।

राज्य में सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम २ अक्टूबर १९५२ को उद्घाटित किया गया था । कई क्षेत्रों में काम चल रहा था । ये क्षेत्र राज्य में ६ देहाती तथा शहराती सामूहिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए चुने गये थे ।

उड़ीसा

एक जुलाई, १९५२ से २८ फरवरी १९५३ तक १५१ सहकारी समितियाँ रजिस्टर की गईं और उनकी कुल संख्या ५,७६४ हो गई । इस प्रकार इन समितियों की संख्या में ७.७३ प्रतिशत वृद्धि हो गई । उनकी सदस्य-संख्या में ८.४३ प्रतिशत की और उनकी चालू पूंजी में ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष में जितने ऋण दिये गये उन में ४८.६८ लाख रुपये उत्पादन बढ़ाने के लिये दिये गये । अ-कृषि कर्ज समितियों ने २,५२१,००० रुपये सदस्यों को उधार दिये ।

वर्ष में निर्माण विभाग की सब से महत्त्वपूर्ण सफलता ५७ लाख रुपये के खर्च से भुवनेश्वर में नई राजधानी का निर्माण है । विधान सभा के सदस्यों के होस्टल, मंत्रियों के लिये सिंहाइशी स्थान तथा कुछ और इमारतें बनाई गईं । पानी तथा सफाई की नालियों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य जारी था ।

अनेक पुलों के निर्माण का कार्य भी चालू रहा । बहुत सी सड़कों को मरम्मत की गई तथा कुछ सड़कें बनाई गईं । महानदी नदी पर शक्तिचालित घाट बन रहा था और चार बड़ी सिंचाई की योजनायें पूर्ण की गईं । मचकुंड से रायगाड़ा और रायगाड़ा से वरहामपुर तक बिजली के तारों की लाइनें डालने का प्रबन्ध पूरा किया गया और रायगाड़ा पर एक फ़ैरोमैग्नीज का कारखाना स्थापित करने की वार्ता को अंतिम रूप दिया जा रहा था । इसी समय कटक थर्मल बिजली घर से बरंग, जटनी, खुदी, तथा पुरी को बिजली देने के लिये तार की लाइनें लगाई जा रही थीं ।

२ अक्टूबर १९५२ को तीन सामूहिक योजनायें प्रारम्भ की गईं । प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिये २,०६१,००० रुपये का प्रबन्ध किया गया था और इस रकम को तीन वर्ष के अन्दर सिंचाई योजनाओं पर खर्च करना है । भद्रक क्षेत्र में तीन योजनाओं की नापजोख पूरी की गई । इन पर २०८,००० रुपया व्यय होगा और अनुमान है कि ३,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । रसलकोंडा में ११ सिंचाई की योजनाओं की, जिन पर कुल १,४४१,००० रुपया खर्च होगा, जांच की गई तथा कुछ पर काम प्रारम्भ भी कर दिया गया । अनुमान है कि इन योजनाओं से २७,१०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । जूनागढ़ क्षेत्र में दो सिंचाई योजनाओं की जिन पर क्रमशः २,८२६,०००, रुपये व ३८५,००० रुपये खर्च होंगे-खोजवीन की गई । इन से १२,००० एकड़ तथा ७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ।

यह सोचा गया है कि सभी योजना-क्षेत्रों के तीनों समूहों में प्रत्येक में एक विस्तार सेवा का उपकार्यालय खोला जाय जहां से अच्छी कोटि के बीज, खाद, रासायनिक खाद, और सुधरे हुये कृषि औजार एकत्र किये जायेंगे । प्रत्येक विस्तार केन्द्र के साथ एक विक्रय केन्द्र तथा एक जीप सर्विस स्टेशन होगा । इस बीच कृषि कर्मचारियों तथा गांव के कार्यकर्त्ताओं ने ३०० से अधिक मिश्र खाद के गड्ढे बना दिये, अनेक गांवों के तालाबों को साफ किया तथा फालतू पौधों का उपयोग मिश्र-खाद के लिए किया । तीनों योजना क्षेत्रों में धान की फसलों को, जिन पर चावल के खटमलों तथा अंखफोड़ों का आक्रमण हो चुका था, गेमेक्सिन छिड़कने का आंदोलन प्रारम्भ किया गया । इस प्रकार फसल का बहुत बड़ा भाग नष्ट होने से बचा लिया गया ।

इस के साथ ही बैलों के रोगों का नियंत्रण करने, नस्ल सुधारने तथा बधिया करने के काम की निगरानी करने के लिये मवेशियों के एक डाक्टर की प्रत्येक योजना क्षेत्र में नियुक्ति की गई ।

पंजाब

चंडीगढ़ की नई राजधानी पंजाब की सबसे बड़ी विकास योजना थी । सरकारी नौकरों की रिहाइश के लिये लगभग १,००० मकान बन चुके हैं और २,००० मकान पूरे हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त लगभग ५,००० प्लॉट बेच दिये गये । सरकारी कार्यालय नई राजधानी में आने लगे हैं और यह आशा की जाती है कि प्रायः पंजाब सरकार के सभी विभागों के कैम्प-कार्यालय अक्टूबर १९५३ तक चंडीगढ़ आ जायेंगे ।

पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिये पांच वर्ष का खर्च २९५३-०८ लाख रुपया रखा गया है । इनमें से १२८ करोड़ रुपये राजधानी योजना पर खर्च होंगे, ३२१ करोड़ सामूहिक योजनाओं पर, २८६ करोड़ भूमियों की चक्रबंदियों पर, १२३ करोड़ चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, ७५ लाख सड़कों पर, ७८ लाख शिक्षा पर और ७५ लाख लाहौल तथा स्पीती में अनुसूचित क्षेत्रों की दशा सुधारने पर ।

भाखरा-नांगल-योजना पूरी हो जाने पर अकेले पंजाब में ही ३८ लाख एकड़ भूमि को निरंतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती रहेगी । अनुमान है कि इससे १३ लाख टन अन्न, ८ लाख गांठ कपास, पांच लाख टन गन्ना, एक लाख टन दालें और तिलहन और १५ लाख टन सूखी और हरी घास होगी इसके अतिरिक्त ४ लाख किलोवाट की १०० प्रतिशत बोझ देने वाली तथा १५०,००० किलोवाट दूसरे कोटि की बिजली उत्पन्न होगी ।

नांगल वेयर का मुख्य ढांचा पूरा हो चुका है और नांगल जल-बिजली नहर तथा भाखरा नहर का काम शीघ्रता से बढ़ रहा है । यह आशा की जाती है कि सारी नहरी व्यवस्था मई १९५४ तक पूरी हो जायगी । तब यह संभव हो सकेगा कि ३८ लाख एकड़ नई भूमि को खरीफ की सिंचाई के लिये पानी दिया जा सके ।

जून १९५४ में नांगल जल-बिजली नहर के दो बिजली घरों में एक से

२४,००० किलोवाट की बिजली मिल सकेगी । दूसरे बिजली घर के बन जाने पर जून १९५५ में यह बढ़ कर ७०,००० किलोवाट हो जायगी ।

पंजाब में १९५२ की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सोनेपत, जगाधरी, नवाशहर, बटाला तथा फरीदाबाद में सामूहिक विकास योजना का प्रारंभ होना था । इसके अतिरिक्त नीलोखेड़ी के आसपास के १०० गांवों का एक विकास समूह भी ले लिया गया । इस प्रकार लगभग १,५०० गांव, जिनका क्षेत्रफल २,५०० वर्गमील, तथा जनसंख्या १० लाख थी, विकास-कार्य के लिये चुने गये ।

उत्तर प्रदेश

सहकारिता आन्दोलन का विस्तार करने के लिये उपाय जारी रहे । नये सहकारिता विकास आंदोलन में इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि पूरी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सहकारी पद्धति पर पुनर्संगठित किया जाय । इस लिये २३,००० बहुदृशीय समितियों का संगठन किया गया है ।

राष्ट्रीयकरण किये हुये सड़क-यातायात-कार्यक्रम में रोडवेज सेवाओं का विस्तार किया गया , अनेकों नये रास्ते सरकारी मोटर यातायात ने अपने प्रबन्ध में ले लिया । यातायात के लिये पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है कि बसों की संख्या १,३०० से १,८०० कर दी जाय और वर्कशॉप तथा डिपो बनाने का कार्य पूर्ण कर दिया जाय । इसका खर्च १२० लाख रुपया होगा जो योजना के प्रथम तीन वर्षों में व्यय होगा । राज्य सड़क यातायात अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के मुख्यालय में एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई ।

पंचवर्षीय योजना में इस बात की व्यवस्था है कि नये बिजली-घर बनाये जाय, वर्तमान बिजली-घरों की क्षमता बढ़ाई जाय, बिजली ले जानेवाले तारों की लम्बाई में मीलों वृद्धि की जाय आदि । बहादुराबाद बिजली घर के पास पथरी बिजलीघर के निर्माण में अच्छी प्रगति हुई । यह बड़ी बिजली योजना जब पूरी हो जायगी तो उससे राज्य के पश्चिमी भाग को २०,४०० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी । अन्य जो कार्य-क्रम हाथ में थे उनमें से बहुत से सन् १९५२-५३ में पूरे हो गये ।

उत्तर प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित विजली घरों की प्रस्थापित क्षमता सन् १९४५ में ४३,२०० किलोवाट से बढ़ कर सन् १९५२-५३ में १३८,१४९ किलोवाट हो गई है । इन विजलीघरों की सन् १९५२ में प्रस्थापित क्षमता १२५,३४९ किलोवाट थी । इस प्रकार इस वर्ष में ११,८०० किलोवाट की वृद्धि हुई ।

सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत ६ योजनायें उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित की गईं, जो १३ जिलों में चलाई जायंगी । इनमें ४,०२८ वर्ग-मील का क्षेत्रफल, २,१००,००० की जनसंख्या, ५,०७० गांव और १,४००,००० जुती हुई भूमि आती है ।

२ अक्टूबर १९५२ को अलमोड़ा, मैनपुरी, भांसी, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया तथा गाजीपुर के ९ खण्डों में जिनमें लगभग १,५०० ग्राम थे, कार्य प्रारंभ कर दिया गया । इन क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में बहुमुखी प्रगति कायम रखी जा रही है । सामूहिक योजनाओं के लिये सन् १९५३-५४ के बजट में ६,१८२,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

कृषि के क्षेत्र में २६,००० मन से ऊपर के विभिन्न प्रकार की रबी की फसल के बीज किसानों को वितरित किये गये । इससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई । गेहूँ पंजाब ५६१, कानपुर १३, एन पी ५२ और पी ४ ने स्थानीय बीजों पर अपना बढ़ियापन प्रमाणित कर दिया है । यह अनुमान किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में इससे जो अतिरिक्त उत्पादन होगा वह १५ से २५ प्रतिशत होगा । इसी प्रकार किसान लोग मटर में १६३ छ्वाप को स्थानीय बीज से कहीं बढ़िया मानते हैं । इससे अतिरिक्त उत्पादन ४० से ६० प्रतिशत होगा ।

उत्पादन में इसी प्रकार की बढ़ोतरी बढ़िया बीज के प्रयोग के कारण अन्य फसलों जैसे चना, आलू, धान और गन्ने में हुई है । जौ २५१ व चना टी ८७ के द्वारा स्थानीय बीज की अपेक्षा १० से १५ प्रतिशत अधिक उपज हुई । आलू के सुधरे बीज के कारण ६० से १०० प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ । धान एन २२, टी ८२ व टी १०० का प्रयोग भी बढ़ा सफल रहा । गन्ने के क्षेत्र में पुराने बीजों को छोड़ सबसे ताजे बीज का प्रयोग किया गया । ५,३०० से ऊपर अर्द्ध-खेत प्रदर्शन भी किये गये ।

बढ़िया बीजों के अतिरिक्त सबसे अच्छी घास भी, जो पशुओं के दूध की उपज २५ प्रतिशत बढ़ा देती है और साथ ही भूमि को उपजाऊ बनाती है, प्रचलित की गई। सफल प्रदर्शनी के कारण रासायनिक खाद का प्रयोग लोक-प्रिय हो रहा था। इस समय समूहों में ६० नये बहूदेशीय सहकारी बीज गोदाम स्थापित किये जा रहे हैं। किसानों को उत्पादन के लिये सस्ते ऋण देने का प्रबन्ध किया गया। पहली छुमाही में कुल ऋण जो दिये गये वह ३ लाख रुपये से ऊपर के थे। सामूहिक योजना क्षेत्रों में जापानी पद्धति से धान की खेती को प्रचलित कराया जा रहा था।

सिंचाई के क्षेत्र में १,००० नलकूपों में से २० खोदे जा चुके हैं और आशा है कि ४०० और इस वर्ष पूर्ण हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक सहकारी नलकूपों, पक्के कुओं, बंधियों, तालाबों आदि में काम चालू था।

प्रथम ६ महीनों में ६३,००० से ऊपर पशुओं के रोग निरोधक टीका लगाया गया। जहाँ कोई मवेशी दवाखाना न था वहाँ पर ५ पशु-चिकित्सालय खोले जा चुके हैं।

योजना क्षेत्रों में स्वावलम्बन की पुकार का बड़ा उत्साहवर्द्धक उत्तर मिला। स्वावलम्बी सामूहिक कार्यों के कार्यक्रम में सड़कों, स्कूलों, बीज गोदामों, तालाबों, सिंचाई के बंधों और बंधियों का बनाना सम्मिलित था। ६ महीने के अंदर जो कार्य ऐच्छिक परिश्रम द्वारा हुआ, उसका मूल्य ४.२६ लाख रुपये था। सामूहिक विकास कार्यों में एक महत्त्वपूर्ण कार्य अतमोड़ा जिले में एक २८ मील लम्बी मोटर की सड़क का निर्माण था। इस योजना में २० लाख रुपया खर्च हुआ और सैकड़ों ग्रामवासी इस कार्य में लगे रहे।

सामूहिक योजना क्षेत्रों में गांवों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता लोगों को रोग का निरोध और साधारण महामारियों की रोकथाम करने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहे थे। उन्होंने ६०,००० मकानों में डी० डी० टी० छिड़का और बड़े पैमाने पर चेचक का टीका लगाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग २०,००० व्यक्तियों को साधारण बीमारियों में प्राथमिक सहायता दी।

ग्राम उद्योग क्षेत्र में कुछ इलाकों में सहकारी ईंटों के भट्टे लोकप्रिय हो गये। इस बात का प्रबंध किया गया कि खाल उतारने, साफ करने और मुर्दा

भांस के उपयोग के लिये केन्द्र बनाये जाय ।

वयस्क सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम में पहली छमाही में ही २५८ नये स्कूल खोले गये । इसके अतिरिक्त पूर्वी जिलों में अनेकों वयस्क महिला स्कूल खोले गये । साक्षरता कार्यक्रम के पश्चात् ही साक्षरता सामूहिक केन्द्र तथा चलते-फिरते पुस्तकालय भी खोले गये ।

इस वर्ष जनवरी १९५३ के अंतिम सप्ताह में श्रमदान आंदोलन भी प्रारम्भ किया गया । इसमें जो बड़े कार्य हुये उनमें ६,००० मील सड़कों का निर्माण अथवा मरम्मत, ६०० तालाबों का खोदना अथवा गहरा करना, ३५० पंचायत घरों का निर्माण तथा ६० स्कूली इमारतों का निर्माण सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त १३१,००० गज नालियाँ, १०० पुलियाँ, ६ पुल तथा ६०० गांभी चबूतरा बनाये गये व ३३,७०० मिश्र खाद के और ४६,००० मूत्र सोखने वाले गड्ढे खोदे गये । एक दूसरा श्रमदान आंदोलन मई में हुआ । इस समय सिंचाई की सुविधाओं का विकास करने पर ध्यान केन्द्रित रहा ।

विकास कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिये लखनऊ जिले में बख्शी के तालाब में एक शिक्षण व विस्तार योजना केन्द्र खोला गया । राज्य सरकार ने ऐसे २१ केन्द्र और खोलने का आयोजन किया है । दूसरा ट्रेनिंग केन्द्र फोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वावधान में भांसी जिले के चिरगांव स्थान में खोला गया । अलमोड़ा, गोरखपुर, बुलन्दशहर तथा गाजीपुर में चार अन्य केन्द्र खोलने का काम जारी था ।

पश्चिम बंगाल

सामूहिक विकास योजना २ अक्टूबर १९५२ को उद्घाटित की गई । पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं में ६९६.६ वर्ग मील का क्षेत्रफल, ४४६,४५२ व्यक्तियों अथवा १००,८६३ परिवार, सम्मिलित हैं । इन योजनाओं पर कुल अनुमानित खर्च ३.३१ करोड़ रुपया है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन योजनाओं में काम किया गया । प्रत्येक योजना में ८ समूह हैं और प्रत्येक समूह में एक प्रस्तावित देहाती कसबे के आस-पास १०० गांव हैं । आठ समूहों में एक लाख परिवारों का कृषि तथा आर्थिक पर्यावलोकन हो चुका है, जिससे कि विस्तृत योजना तैयार हो सके । योजना

क्षेत्र में कृषि, औद्योगिक तथा व्यापार संबंधी उद्योगों और विभिन्न प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं तथा रोजमर्रा की वस्तुओं की मांग के आँकड़े इकट्ठे किये गये। कस्बों के लिये स्थान चुने गये हैं और भूमि प्राप्त करने का काम चल रहा है। कस्बों को बनाने के नक्शे भी पूरे हो गये।

इसी समय इस बात को व्यवस्था की गई कि गांव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जाय। बर्दवान के फोर्ड प्रतिष्ठान केन्द्र में शिक्षित कार्यकर्ताओं की प्रथम टोली विभिन्न समूहों में काम पर लगाई जा चुकी है। हाल ही में तीन और केन्द्र खोले जा रहे हैं। सामूहिक योजना क्षेत्रों में विभिन्न विभागों का काम करने वाला क्षेत्रीय कर्मचारी मण्डल शिक्षित हो चुका है और विभिन्न समूहों में लगा दिया गया है।

कल्याणी की नगरी जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएँ हैं जैसे नालियाँ, कूड़ा ढोने की बंद नालियाँ, बिजली, पानी तथा बड़ी सड़कें, और जो चारों ओर से ४,००० एकड़ की हरी पट्टी से घिरी हुई है, अच्छी प्रगति कर रही है।

उत्तरी कलकत्ता देहात विद्युत्तीकरण योजनाओं में ११० मीलों में से ६६ किलोवाट की ४७ मील लाइनें और ११ किलोवाट लाइनों के ७० मील में से ३० मील पूरी की गईं। योजना की पहली मंजिल पूरी हो चुकी है और रानाघाट, शांतीपुर व कालना को घरेलू तथा औद्योगिक दोनों कार्यों के लिये बिजली प्रदान की गई। उपरोक्त नागरिकों को खुदरा बिजली देने के साथ-साथ हरिन घाटा कृषि फार्म, नदी गवेषणा तथा कृष्णनगर व नवद्वीप में वर्तमान लाइसेंसदारों को थोक में भी बिजली बेची गई। फूलिया में, जहाँ पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिये नया नगर बनाया गया था, शांतीपुर से ११ किलोवाट की एक लाइन द्वारा बिजली दी गई। भागीरथी नदी के उस पार कालना तक शांतीपुर से एक दूसरी ११ किलोवाट की लाइन तैयार की गई और ग्रिड से बिजली दी जाने लगी। उत्तर ग्रिड से शीघ्र ही बहुत से छोटे नगरों और अर्द्ध नागरिक गांवों को बिजली मिलेगी। इस वर्ष कृष्ण नगर से धरहामपुर तक की दूसरी मंजिल का काम हाथ में लिया गया और आशा है कि सन् १९५३ की समाप्ति तक पूरा हो जायगा।

सरकार सड़क विकास के एक विस्तृत कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही थी । इसमें २६५ मील राष्ट्रीय राजपथ तथा १,६६५ मील राज्य की सड़कें सम्मिलित है । जिन सड़कों की मरम्मत व रक्षा की जाती है उनकी लम्बाई सन् १९४८ के १,३४६ मील से बढ़ कर सन् १९५२ के अन्त में २,६४८ मील हो गई । जब नये निर्माण तथा सुधार का विकास कार्य पूरा हो जायगा तो सन् १९५५-५६ के अन्त में सड़कों की लम्बाई ४,६३८ मील होगी और उनपर पुलों की संख्या भी बहुत बढ़ जायेगी ।

सरकार ने एक अंशदायी ग्राम सड़क स्कीम को आरंभ किया जिसमें गांव की कच्ची सड़कों की मरम्मत की गई और प्रत्येक योजना के लिये १५,००० से अधिक खर्च नहीं पड़ा । इसमें से दो तिहाई खर्च सरकार ने दिया व शेष स्थानीय लोगों ने स्वयं दिया ।

१५ करोड़ रुपये के खर्च वाली मयूराक्षी योजना पर कार्य बहुत अच्छी तरह प्रगति कर रहा है । सूरी के पास तिलपाड़ा का बड़ा बांध व नहर का मुख्य भाग नियमित समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया । दो हाइड्रॉप (छिपे हुये) बांध भी पूरे हो गये और दो में कार्य प्रगति पर था । मसंजोर बांध पर भी कार्य निश्चित समयानुसार हो रहा था । नहरों की खुदाई चालू थी और लगभग १००,००० एकड़ की सिंचाई हो चुकी थी ।

पुनर्वास

आसाम

सन् १९५२-५३ में पासपोर्ट की व्यवस्था से उत्पन्न भय के कारण लगभग ४,२०० विस्थापित परिवार पूर्वी पाकिस्तान से आये । जिनको रहने का स्थान नहीं मिल सका उनको स्थान तथा नकद सहायता दी गई और जो कृषक थे उनको विभिन्न केन्द्रों में भेजा गया और स्थायी पुनर्वास के लिये ऋण तथा भूमि दी गई । फरवरी १९५३ में कचार में भी सहायता तथा पुनर्वास का कार्य केन्द्रीय सरकार से अपने हाथ में ले लिया ।

विस्थापितों को फिर से बसाने के साधारण कार्य इस वर्ष भी चलते रहे । इसलिए अग्रस्त तथा दिसस्वर १९५२ के बीच ४६७ खेतिहर और ४२३ गैर खेतिहर विस्थापित परिवारों को क्रमशः ४३६,२९१ रुपयों तथा ३३५,३८३ रुपयों के ऋण दिये गये ।

गौहाटी में विस्थापितों के लिये ३४४ दूकानों का एक बाजार खोला गया । शिलांग में ३५० शहरी विस्थापित परिवारों के लिये मकान बनाना स्वीकृत किया गया और अन्य १०० परिवारों के लिये लमडिंग में घर बन रहे थे । इसके साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग गौहाटी में ५०० शहरी विस्थापितों के लिये घर बनाने को भूमि प्राप्त कर रहा था । हेबरगांव व नलबरी की नगरपालिकाओं को विस्थापितों के लिये बाजार बनाने के लिये ऋण दिये गये ।

पुनर्वास की बहुतेरी अन्य योजनायें भी विचाराधीन थीं । उदाहरण के लिए धोंग बाजार में ८४ दूकानें बनाने तथा तेजपुर में १५० दूकानें बनाने और कुपतिनियेनी जिले में कुपती में, तथा नेरावारी में जो नौगांव जिले में है, बाजार बनाने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा था । गोलपाड़ा कृषि योजना तथा गोलपुर गैर कृषि योजना भी विचाराधीन थीं । जब ये पूरी हो जायेंगी तो इनसे क्रमशः ५०० तथा ६३० परिवारों को स्थान मिलेगा । इस के अतिरिक्त ४९४ कृषकों तथा ५०० गैर खेतिहरों के पुनर्वास की तथा मल्लुओं के अतिरिक्त २०० परिवारों को जो विभिन्न जिलों में फैले थे, फिर से बसाने की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था ।

बिहार

बिहार में सन् १९५० से पूर्व पाकिस्तान से लगभग ४५,००० विस्थापित आये । वृद्धों, अशक्तों तथा बिल्लुड़ी हुई स्त्रियों और उनके बच्चों को छोड़कर शेष सब अपनी जीविका कमा रहे हैं ।

गैर-खेतिहर विस्थापितों के पुनर्वास के लिये १०० रुपये से लेकर १,५०० रुपये प्रति कुटुम्ब तक के ऋण स्वीकृत किये गये । सरकार ने विभिन्न नगरों में ६६९ घर बनाये और जमशेदपुर में गोलमुरी में ६० घर और बन रहे थे ।

खेतिहर विस्थापितों के लिये सरकार ने पूर्णिया जिले में ५४३,३७१ एकड़ भूमि प्राप्त की और प्रत्येक परिवार को ४ से १२ एकड़ तक भूमि, एक जोड़ी बैल तथा बीज, खाद व औजारों को खरीदने को नकद रुपये दिये। प्रत्येक परिवार को गुजारे के लिये ३०० रुपयों का एक ऋण भी दिया गया। प्रत्येक बस्ती में पीने के पानी का भी प्रबन्ध किया गया। सन् १९५० में बिहार में आने वाले विस्थापितों के ११,७३५ खेतिहर परिवारों को फिर से बसा दिया गया।

नये आगमन के २६,१७६ विस्थापित व्यक्तियों के अतिरिक्त जो सरकार की मारफत आये थे १,५०० गैरखेतिहर परिवार अपने आप ही आये। उनको पुनर्वास के लिये ऋण तथा सुविधायें दी गईं। सरकार ने स्थायी दायित्व की कोटि के लोगों को भी पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा से स्वीकार किया। गया के शिविर में इस कोटि के ६६६ व्यक्ति थे। पूरबसराय, देवघर तथा मिहीजाम की तीन बस्तियों में, १५७ गैर-खेतिहर परिवारों को, जो पश्चिमो बंगाल से आये थे, बसाया गया।

सन् १९५२ में पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के १५,००० के निर्धारित कोटा में से ३५ खेतिहर परिवारों को, जिनमें १४० व्यक्ति थे, पूर्णिया जिले के इस्लामपुर में बसाया गया। ८० खेतिहर परिवारों को, जिनमें ३१९ व्यक्ति थे, जमशेदपुर में बसाया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग जो अपने आप आये थे, पूर्णिया के परिवर्तन-शिविर में जो १७ अक्टूबर १९५२ को खुला था, दाखिल किये गये।

केन्द्रीय सरकार की टैकनीकल व बंधे की ट्रेनिंग में ५८ विस्थापित लड़कों ने हाथ की कारीगरी के काम की ट्रेनिंग पाई और ६० ट्रेनिंग पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त १४ लड़कियों को दाई के काम की तथा २२ को विभिन्न कलाओं, जैसे बुनने, सिलाई कढ़ाई की शिक्षा दी गई।

बम्बई

भारत सरकार ने विस्थापितों की ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों की कार्यविधि की जांच के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने बम्बई के निकट उल्हासनगर

तथा अहमदाबाद के सरदार नगर केन्द्रों को देखा । इसने विस्थापितों के नगरों तथा बस्तियों के पांच उत्पादन केन्द्रों का भी निरीक्षण किया । सरकार ने विकास के एक सूत्रीकरण के लिये एक समिति नियुक्त की । मकान बोर्ड ने ५,००० घर बनाये और पुरानी मिलिटरी बारकों को बदल कर ३,००० घर बनाये गये । नई बस्तियों में औद्योगिक तथा अन्य विकास कार्य के लिये खाली प्लॉट निश्चित किये गये ।

विस्थापितों को जो रियायतें दी गईं उनमें ५० रुपये मासिक की उस छात्रवृत्ति का जो नर्स बनने के लिये दी गई, ऋण वापसी के स्थगित करने का, नगरों में रहने वालों को व्यापारिक ऋण देने का, विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता का तथा किराया के संशोधन और कम करने आदि का उल्लेख होना चाहिये ।

विस्थापित महिलाओं के कल्याण के लिये एक कार्य समिति, विस्थापितों के लिए पुनर्वास के डायरेक्टोरेट के समाप्त होने पर बनाई गई ।

मध्य प्रदेश

सरकार विस्थापितों को व्यापार तथा घर व दूकान बनाने के लिए ऋण देती रही । गल्ले व कपड़े के लाइसेंस भी दिये गये । इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों के साथ ये लाभ उन विस्थापितों को भी दिये गये जो ३० सितम्बर १९५० या उससे पूर्व रजिस्टर हुये थे ।

कटनी, टिल्दा, चक्रभाटा तथा रायपुर में लगभग ४,००० परिवारों को निवास की व्यवस्था करने के लिये चार नगर बनाने का काम हाथ में है । दूसरे केन्द्रों पर नजूल तथा निजी भूमि प्राप्त की जा रही है, जिससे विस्थापितों का मकान बनाने के लिये दी जा सके ।

बिछुड़ी स्त्रियों तथा उनके बच्चों के लिए नागपुर में एक महिला आश्रम है जिसमें १०० निवासी हैं । यह आश्रम बढ़िया कार्य कर रहा है । बूढ़े तथा अशक्तों को, जिनकी संख्या २०० के लगभग है, आर्थिक सहायता दी गई । विस्थापितों को विभिन्न व्यापारों तथा धंधों में शिक्षा देने के लिये कटनी में एक शिक्षा तथा कार्य का केन्द्र खोला गया ।

उड़ीसा

सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास के लिये विभिन्न योजनायें बनाईं । देहाती योजना के अंतर्गत ११६६ परिवारों को कृषि कार्य में, ६१ परिवारों को बुनकर, २१ परिवारों को पान उत्पादक और ४ परिवारों को मछुओं के रूप में बसाया गया । नागरिक योजना में ५१८ परिवारों को पुनर्वास की सुविधायें दी गईं । अनेक विस्थापितों को ऋण भी दिये गये ।

उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल में विस्थापितों को ट्रेनिंग के लिये १५० स्थान सुरक्षित रख दिये गये । प्रत्येक विद्यार्थी को दो वर्ष के लिये ३० रुपया मासिक की छात्रवृत्ति दी गई । अभी तक ११० विद्यार्थी सफल हो चुके हैं और उनमें बहुत से विभिन्न सहायकारी विभागों में खपा लिये गये । उनमें प्रत्येक को इस बात के लिये ऋण भी दिये गये कि वह अपने स्वतंत्र कारखाने चला सकें ।

पंजाब

सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप पंजाब में २६ लाख विस्थापितों में से २० लाख को देहातों में तथा ६ लाख को नगरों में फिर से बसा दिया गया है । भूमि का वितरण प्रायः पूर्ण हो चुका था । सरकार ने देहाती विस्थापितों को ४५ करोड़ रुपयों की तकावी दी जबकि २५ करोड़ रुपये शहरी विस्थापितों को उधार दिये गये । १४ नये नगरों में ३,६२६ मकान व १७६ दूकानें बन चुकी हैं और ५,५०६ स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है । लगभग १६,००० कच्चे मकान बनाये गये जिससे शहरी विस्थापितों को आश्रय मिल सके । यह निश्चित किया गया कि और ४,००० चार मरला घर उचित स्थानों पर बनाये जायें । अन्य मकान बनाने की योजनायें जिन में बाजार तथा मंडियां बनाना भी सम्मिलित हैं, अच्छी प्रगति कर रही हैं ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में अधिकांश विस्थापितों के पुर्वासित होने के पश्चात् दो को छोड़ शेष सहायता-शिविर बंद कर दिये गये । इन शिविरों के स्थान पर अच्छे ढंग से निर्मित बस्तियां व नगर बन गये हैं । इसके अतिरिक्त जो

लोग क़ैलों से बाहर तम्बुओं, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक स्थानों में रह रहे थे उनके लिये भी स्थान देना आवश्यकता था ।

शरणालयों में पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए २५० अशक्त तथा बिलुड़ी हुई स्त्रियों और १०० से ऊपर बच्चों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आई ८०० से ऊपर स्त्रियों तथा बच्चों को मुफ्त राशन दिया गया । यह प्रबंध किया गया था कि ६०० साधनहीन परिवारों को जो साधारण किराया नहीं दे सकते थे और धर्मशालाओं तथा राज्य की सार्वजनिक इमारतों में रह रहे थे, प्रायः मुफ्त निवास स्थान दिया जाय ।

इन आश्रमों तथा मुहताजखानों के अतिरिक्त बहुतेरे विस्थापितों को गुजारे के लिये नकद सहायता स्वीकृत की गई । विस्थापित महिलाओं को, जिन्होंने आश्रमों में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, सिलाई की मशीनें खरीदने के लिये नकद सहायता दी गई जिस से वे आश्रमों से बाहर अपने को पुनः बसा सकें । विस्थापित महिलाओं तथा लड़कियों को धंधा सिखाने वाली संस्थायें तथा ट्रेनिंग व उत्पादन केन्द्र जो अभी चल रहे हैं, जारी रखे गये ।

८,७०० मकानों, १०० पक्की दुकानों और २,००० लकड़ी की दुकानों के अतिरिक्त २,१०० और घर, ६०० से ऊपर पक्की दूकानें तथा ४०० से ऊपर निर्धनों के लिये सस्ते मकान तैयार हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त विस्थापितों की सहकारी समितियों को घर बनाने के लिये ५३५,००० रुपयों के ऋण दिये गये । स्थानीय संस्थानों को भी इसी कार्य के लिये ५५५,००० के ऋण दिये गये ।

विस्थापित विद्यार्थियों के लिये आर्थिक सहायता देने की योजना चालू रही । इस योजना में अन्य रियायतों के साथ साधारण प्रकार की मान्य संस्थाओं में प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क थी और ६० प्रतिशत विस्थापित विद्यार्थी नकद सहायता के अधिकारी थे । सन् १९५२-५३ में २६,०० से ऊपर विद्यार्थियों को पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता दी गई ।

१०० विस्थापितों को ईंट बनाने तथा राजगीरी का शिक्षण देने की योजना इस वर्ष कार्यान्वित की गई । ५० विस्थापितों को राज्य अस्पतालों

में कम्पाउण्डरी की ट्रेनिंग देना भी स्वीकृत किया गया। विस्थापित महिलाओं तथा लड़कियों को नर्सों की ट्रेनिंग के लिए चुनाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

सन् १९५२-५३ में भारत सरकार ने शहरी ऋण योजना में विस्थापितों को व्यापारिक, औद्योगिक तथा धन्धे सम्बन्धी ऋण देने के लिए ४००,००० रु० निर्धारित किए। भारत सरकार ने हस्तिनापुर नगर में बसने वालों को ऋण देने के लिए १००,००० रुपये भी निर्धारित किए। सन् १९५२ के अन्त तक पुनर्वास वित्त प्रशासन ने भी राज्य में १,००० लोगों को ६,४४५,०५० रुपये ऋण दिए।

पुनर्वास समस्या को सुलभाने के लिए एक विशेष योगदान के रूप में राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था कि पूर्वी बंगाल से पटसन-उत्पादकों के ५०० परिवारों को नैनीताल जिले में किछा उपनिवेश क्षेत्रों में बसाया जाय। इनमें से ३०० परिवार सन् १९५१ में आ गये थे और शेष सन् १९५२ में आये। सरकार ने ५०० परिवारों की एक दूसरी टोली को भी बसाना स्वीकार कर लिया है।

वह सरकारी आज्ञा, जिसके अनुसार विस्थापितों की उम्र तथा शिक्षा सम्बन्धी शर्तों को ढीला कर नौकरी पाने की सुविधा दी गई थी, इस वर्ष भी जारी रही। साथ ही यह रियायत कि लोकसेवा आयोग यदि यह समझे कि कोई प्रार्थी विस्थापित व्यक्ति है और परीक्षा-शुल्क नहीं दे सकता है तो शुल्क माफ कर दे, सन् १९५३ के अन्त तक के लिये बढ़ा दी गई। सरकारी तथा गैरसरकारी नौकरियों में सन् १९५२ के अंत तक लगभग २२,००० विस्थापितों को काम मिला।

विस्थापितों में तपेदिक के रोगियों के लिए भोवाली सेनटोरियम में १८ स्थानों वाला एक भाग जोड़ा गया।

पश्चिम बंगाल

अप्रैल १९५२ के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान से २,३८६,६७१ विस्थापित लोग आये। इसके पश्चात् पारपत्र (पासपोर्ट) की आशंका से १९३,६३६

व्यक्तियों का पुनः आगमन हुआ और कैदों में रहने वालों की संख्या ३१ अक्टूबर १९५२ तक ७२,००० से बढ़कर १२१,००० पहुँच गई।

इस स्थिति का सामना करने के लिए एक नई नीति स्वीकार की गई कि नकद दान के बदले कैदों में रहने वाले प्रत्येक दृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को कुछ न कुछ काम करने के बदले मजदूरी दी गई। यह काम था पानी के पम्पों की सफाई, नालियों की खुदाई, सड़कों की मरम्मत आदि। इसी बीच पुनर्वास की ठीक व्यवस्था करने के लिये सरकार अपनी योजनाओं का पुनर्गठन कर रही थी, विशेषतः गैर खेतिहर विस्थापित लोगों के लिये।

भवन-निर्माण-योजनाओं के अन्तर्गत हावरा में १,४३२ घर बनाये गए, वासदानी में तथा गरिया में १०७ अलम्यूनियम की भौंपड़ियां ४,००० युगल भौंपड़ियाँ और २१३ अन्य इमारतें बनाई गईं। विस्थापितों को विभिन्न रोजगारों की ट्रेनिंग दी गई। बच्चों की शिक्षा के लिये स्कूलों तथा कालेजों को आर्थिक सहायता दी गई। वर्ष के अन्दर ही प्रारम्भिक स्कूलों में १२७,०६६, माध्यमिक स्कूलों में २१,२१६, टेकनीकल स्कूलों में ३,२२६ व कालेजों में ६,४०६ बच्चे थे। अनेक विद्यार्थियों को ऋण तथा वृत्तियाँ भी दी गईं। सहायता कार्य पर अक्टूबर १९५२ तक कुल खर्च १२७,६५६,४६६ रुपये आया।

खाद्य और कृषि

हैदराबाद

सन् १९५२-५३ में, हिमायतसागर, वारंगल, रुद्रूर, परभानी और रायचूर में कृषि-फार्मों के अलावा, बदनापुर में गेहूँ के लिए और करीमनगर में मक्का के लिए प्रयोग-फार्म खोले गए। तुंगभद्रा योजना के अधीन उस क्षेत्र के लिए कृषि-विकास योजनाएँ तैयार करने के लिए धारेसुगुर में भी एक फार्म खोला गया।

पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास के लिए लगभग ३॥ करोड़ रुपया खर्च करने का अन्दाजा लगाया गया है। विभिन्न योजनाओं पर काम सन्तोपजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। सन् १९५१-५२ के लिए निश्चित अतिरिक्त खाद्य उत्पादन का लक्ष्य तथा सन् १९५१-५२ के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित कपास उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो चुका है।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने स्वयं टूटे-फूटे तालाबों की मरम्मत का खर्चा उठाने के लिए जो प्रस्ताव किया था, उससे लाभ उठाया गया। ग्राम-कार्यकर्ताओं को ग्रामोन्नति कार्य में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कृषि, सहकारिता और पशुपालन की क्रियात्मक शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए।

इस साल, कई सिंचाई-योजनाएं पूरी की गईं। अब तक मध्यम आकार के २० सिंचाई-साधन बनाए जा चुके हैं, जिनसे लगभग २१५,३४२ एकड़ जमीन को लाभ पहुँचेगा और लगभग १,४१४,२२६ रुपए की आमदनी होगी। इसके अलावा, सरकार ने ३ मध्यम आकार की और ४ छोटे आकार

की योजनाएं और स्वीकार की हैं । जब ये पूरी हो जाएंगी, तो इनसे लगभग १०,३५० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी । इन योजनाओं पर काम हो रहा है ।

जून सन् १९५२ के अन्त तक ३३८ तालाबों की मरम्मत की गई और २,९१५ तालाबों को फिर से सुधारने की योजना स्वीकार की गई । इससे १९०,००० एकड़ जमीन में खेती-बाड़ी हो सकेगी ।

कई जिलों में कमी की हालत होने के कारण, १,५४५,००० रुपया सहायता कार्यों के लिए और तकावी के लिए स्वीकार किया गया । इसके अलावा, लगान की किरतें रोक दी गईं और कुल्लु और भी रियायतें दी गईं ।

खाद्य के मामले में सरकार ने धीरे धीरे नियन्त्रण हटाने की नीति का अनुसरण किया और बम्बई, मद्रास तथा मैसूर को लगभग १७,५०० टन ज्वार का निर्यात किया ।

इस साल, केवल चावल और धान ही किसानों से लिया गया । ज्वार-बाजरा व्यापारियों से निश्चित दर पर खरीदा गया ; किसानों से उगाही करके नहीं लिया गया । बम्बई की सीमा पर १० मील चौड़ी पट्टी को छोड़ कर, शेष राज्य में सर्वत्र ज्वार-बाजरा के बेरोक-टोक स्थानान्तरण की आज्ञा दे दी गई । जिलों में राशन की प्रथा हटा दी गई ।

इस साल पशु-पालन, भेड़-पालन, सुर्गी-पालन, और पशु-सुधार सम्बन्धी कई योजनाएं पूरी की गईं । खूनी दस्तों की बीमारी की रोकथाम के लिए ५५७,१५० पशुओं को टीका लगाया गया और २७,१९९ घोड़ी-घोड़ों, २२७,६४४ गाय-बैलों और ९४,१०६ अन्य पशुओं तथा चिड़ियों की चिकित्सा की गई । १०९ चलते-फिरते औषधालय भी काम करते रहे ।

योजना कर्मिशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कार्तकारी कानून में संशोधन के लिए एक बिल तैयार किया गया । किसानों के जमीन सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित कराने के लिए, उनसे मनमाना लगान लेने की प्रथा को रोकने के लिए तथा उचित लगान बंधवाने के लिए केन्द्र में कार्तकारी-सलाहकार-समिति काम करती रही । सहूलियत के साथ कानून का पालन कराने के लिए जिलों में परिपालन समितियां भी बनाई जा रही हैं । २१,८१६

जम्मू और काश्मीर

जमीन मुआवजा समिति ने मार्च १९५३ के अन्तिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट राज्य की संविधान सभा को दी। समिति ने सिफारिश की थी कि सिद्धांत और नीति दोनों की दृष्टि से अधिकारच्युत जमींदारों को मुआवजा देना वांछनीय नहीं है। तदनुसार संविधान सभा ने ३१ मार्च १९५३ को सर्वसम्मति से निश्चय किया कि राज्य में जमींदारों को कोई मुआवजा न दिया जाए।

राज्य के विभिन्न भागों में बृहत् जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत किसानों को जो जमीनें दे दी गई हैं उनके अधिकार-परिवर्तन के प्रमाणीकरण का कार्य सन्तोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। काश्मीर की घाटी और लद्दाख के जिले में यह कार्य पूरा हो चुका है। जम्मू प्रान्त में भी कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा।

मई १९५३ के अन्त तक १,६३०,७८२ कनाल जमीन पर १७०,७५४ किसानों के अधिकार का प्रमाणीकरण हो चुका था। इस जमीन से ६२१,५८६ आदमियों का भला होगा। इसके अलावा, लगभग ६ लाख कनाल जमीन सरकार के कब्जे में आ चुकी थी।

जो जमीन सरकार के कब्जे में आ गई है, वह भी किसानों में बांटी जा रही है। इस जमीन के लिए उन शरणार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनको निष्क्रान्त व्यक्तियों की जमीनें नहीं मिलीं। दूसरी प्राथमिकता उन लोगों को दी जा रही है, जिनके पास जमीन नहीं है। इस सम्बन्ध में, जम्मू, कश्मिर और राजौरी-पूंच के जिलों में भूमि-वितरण समितियां काम कर भी रही हैं।

मध्य भारत

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों के अलावा खेती की पैदावार सुरक्षित रखने और उसे हानि से बचाने के लिए भी कदम उठाए गये। ६६,३०२ एकड़ जमीन में बोये जाने के लिए सुधरे बीज और २२,८६६ एकड़ जमीन के लिए रासायनिक खाद, उर्वरक, हरी खाद, कूड़ा-ककट-खाद और खली बांटी गई। जंगली घास और आधाशीशी काट कर १२,७३५ एकड़ जमीन साफ की गई, १,९५७ एकड़ ट्रैक्टरों द्वारा ठीक की गई, और

औषधियों द्वारा २,४३८ एकड़ की फसलों की हानिकारक कीड़ों-मकोड़ों से रक्षा की गई ।

सन् १९५२-५३ में भंडारों के अन्न को कीड़ों से बचाने के लिए विशेष उपाय किए गये । उदाहरणार्थ, ५,७३३,६४४ मन अनाज औषधि-प्रयोग द्वारा कीड़ा लगने से बचाया गया । इन्दौर में एक ट्रेनिंग कोर्स का प्रबन्ध किया गया और विभाग के कर्मचारियों को भंडाराल, निरीक्षण आदि की शिक्षा दी गई ।

इस साल, कृषि-विभाग की गवेषणा-शाखा का पुनर्गठन किया गया और उसे संयुक्त गवेषणा-निर्देशक के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखा गया । साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन और मौसम सम्बन्धी पडतालों की गई और लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन आरम्भ किया गया । कृषि-महाविद्यालय में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की दृष्टि से अध्यापकों की संख्या बढ़ा दी गई और अधिक सामान खरीदा गया ।

अगस्त १९५२ में, ' केन्द्रीय अन्न (अनुज्ञप्ति और प्राप्ति) आदेश सन् १९५२ ' अमल में लाया गया । राज्य के अन्दर ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चावल और उनसे बनी चीजों की खरीद, फरोस्त, कीमत और लाने-लेजाने पर लगे अधिकांश प्रतिबन्ध हटा दिए गए ।

सन् १९५२-५३ में खरीद की जगहों से खपत की जगहों को १,०१२,७३० मन अनाज ट्रकों द्वारा और ३,००१,६६१ मन रेल द्वारा भेजा गया । इन्दौर और मज शहरों में राशन-प्रथा समाप्त कर दी गई और अनाज खरीदने के लिए उचित मूल्य वाली दुकानों पर प्रबन्ध कर दिया गया । विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में, सहायक मात्रा वाली दुकानों की संख्या ४५८ से बढ़ाकर ४७३ कर दी गई और दर सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों के साथ, देहाती आबादी के लिए मोटे अनाज की खुली खरीद की आज्ञा दे दी गई । सहायक मात्रा वाली दुकानों ने गांव की २,६८२,००० आबादी की सेवा की । अनाज की मात्रा १२ सेर प्रति व्यक्ति प्रति मास रही ।

इसके अलावा, मध्य भारत से बाहर चोरी से अनाज ले जाने की रोक-थाम के लिए विशेष उपाय किए गए और व्यापारियों के गोदामों पर कड़ी

नजर रखने के लिए खास हिदायतें दे दी गईं जिससे वे अनुचित रूप से अनाज जमा न कर सकें ।

मैसूर

बंगलौर, देवनगर और कोलार की सोने की खानों में १ मई १९५३ से राशन-प्रथा समाप्त हो जाने के साथ ही सरकार ने राज्य भर में खाद्य-वस्तुओं से सब प्रकार के नियन्त्रण हटा लिए ।

वर्षा न होने से कम अन्न वसूल होने के कारण, केन्द्रीय सरकार से १८०,००० टन अन्न मांगा गया । कृषि सम्बन्धी व्यय बढ़ जाने के कारण तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से धान का प्राप्ति-मूल्य ४ रुपए प्रति पल्ला बढ़ा दिया गया, जिससे कुल लगभग ५० लाख रुपए का घाटा रहा । परन्तु जनता के हाथ बेचने का मूल्य भी बढ़ा दिया गया ।

सन् १९५२-५३ में, 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत भारत सरकार ने १००.२० लाख रुपए का ऋण स्वीकार किया और ३१.१० लाख रुपए का अनुदान दिया । दिसम्बर १९५२ के अन्त तक कई योजनाओं पर ५७.०७ लाख रुपया खर्च हुआ ।

कृषि-गवेषणा और विकास सम्बन्धी कई नई योजनाएं भी शुरू की गईं । खाने के रूप में तथा स्टार्च के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए मीठे आलू की उपयुक्त किस्मों के विकास के वास्ते अनुसन्धान किए गए । यहाँ की जलवायु में मिश्र की कपास-समिति की सहायता से गवेषणा-कार्य आगे जारी रखा गया । केन्द्रीय सुपारी समिति द्वारा स्वीकृत एक योजना के अनुसार सुपारी सुधार सम्बन्धी समस्याओं पर विचार हो रहा है । सुपारी मालनद की एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक फसल है ।

फोर्ड फाउंडेशन केन्द्र की सहायता से ३१ ग्राम-कार्यकर्ताओं को, जिनमें कृषि-स्नातक और लाइसेंशियेट भी थे, विस्तार-प्रणाली की शिक्षा दी गई और उन्हें मालावल्ली तालुक के कई गांवों में नियुक्त किया गया । यहाँ इटावा योजना की किस्म का एक नमूने का विस्तार-कार्य शुरू किया गया है । लगभग ४० उम्मीदवारों का एक दूसरा जत्था भी ट्रेनिंग पा रहा है । जापानी

ढंग से धान उगाने की प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के उपाय किए जा रहे हैं ।

इसके अलावा, नई-नई किस्म की फसलें विकसित की जा रही हैं और उनकी जांच की जा रही है । पौधों की बीमारियों और कीड़ों की रोकथाम के लिये बहुत सी कीड़े मारने वाली दवाओं की परीक्षा की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि वे कितनी असरदार हैं । औषधियों से कीड़ों की रोकथाम के और भी नये नये तरीके निकाले गये हैं ।

पेप्सू

सन् १९५२-५३ में १ लाख टन से भी अधिक अनाज, जिसमें अधिकतर गेहूँ था, किसानों से वसूल किया गया और ६०,००० टन से भी अधिक क्षेत्रों को भेज दिया गया । यद्यपि अनाज की पैदावार काफी हुई थी, फिर भी राज्य के मुख्य-मुख्य शहरों में राशन-प्रथा जारी रही ।

सन् १९५२ में, कृषि-सुधार की समस्या पर रिपोर्ट देने के लिए एक भूमि सुधार-समिति बनाई गई थी । इसी बीच, बैंकटाचार कृषि-सुधार समिति ने जो भारत सरकार द्वारा कुछ समय पहले बनाई गई थी, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर, नवम्बर और दिसम्बर १९५२ में, राज्य विधानसभा के अधिवेशनों में उस विषय पर कई बिल पेश किये गये । इनमें से, पेप्सू आला मालिकियत अधिकार बिल, पेप्सू बंजर भूमि सुधार बिल और पेप्सू सदुपयोग बिल विधान सभा द्वारा पास हो चुके हैं । इसके अलावा, पेप्सू काश्तकारी अस्थायी व्यवस्था कानून, २,००८, जो किसानों के वैध अधिकारों की रक्षा करता है और उनको अधिकारच्युत होने से बचाता है, लागू कर दिया गया है ।

इसके साथ ही, खेतों की चकवन्दी का काम तेजी से आगे बढ़ा और सन् १९५२ के अन्त तक १०.३४ लाख बीघा खामे से भी अधिक भूमि की चकवन्दी हो गई । सरकार ने महेन्द्र गढ़ जिले के १,३७२ अकाल पीड़ित गांवों में लगभग ५ लाख रुपये लगान की वसूली भी रोक दी । अन्य सहायता-कार्यों के अलावा, २६०.००० रुपये का तकावी ऋण भी दिया गया ।

राजस्थान

जवाई और मोरेल बांधों के बन जाने से, सन् १९५२-५३ में, ३ लाख एकड़ जमीन और सींची जाने लगी। जवाई बांध ११० फुट ऊंचा और ३,००० फुट लम्बा है। यह नदी के तल से ५५॥ फुट गहरा गलाया गया है। इससे जो जलाशय बनेगा उसमें लगभग ७० लाख घन फुट पानी आ सकेगा। मोरेल बांध ५३ फुट ऊंचा, २६३० फुट लम्बा और १४५ फुट गहरा है। इसमें से दो गूलें खोद कर निकाली गई है, जिनसे ४३,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। बीकानेर में नहर की मरम्मत हो जाने से लगभग १ लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई होने लगी है।

लगभग ४०० नये कुएं खोदे गए और बहुत से मौजूदा कुओं की मरम्मत की गई। ५०० से भी अधिक स्थानों पर पम्प लगाये गये और लगभग इतनी ही रहटें लगाई गईं।

सौराष्ट्र

सन् १९५२-५३ के पूर्वार्द्ध में कृषि-विभाग ने २,१५६ टन खाद-मिश्रण बांटा और शहरी कूड़े-ककट से ४,७७७ टन खाद तैयार किया। हरी खाद के लिए २० टन सन का बीज भी बांटा गया। इसके अलावा, सरकार ने आलू और कपास की खेती के विस्तार की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया। ७४ टन प्रताप और कल्याण बीज भी बांटे गए।

इस साल, कृषि-सम्बन्धी कई गवेषणा और प्रशिक्षण योजनाएं चालू की गईं। भारतीय कृषि-गवेषणाशाला की सिफारिशों के अनुसार, उधार और बाजार की फसलों के सम्बन्ध में प्रयोग भी किए गए।

सन् १९५२-५३ में, देहात में पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति में सुधार की दृष्टि से २२ मशीनी बमों और १५ हथ-बमों का प्रयोग किया गया। खेती-बाड़ी के काम के लिए मशीनी बमों से ७५ और हथ-बमों से ११६ छेद जमीन में किए गए। इसके अलावा, ६ ट्रैक्टरों से ३,१३४ बीघे जमीन जोती गई।

पशुपालन की उन्नति के लिए, सरकार ने २४ पशु-नस्ल-सुधार-शालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। चरागाहों के सुधार और दुग्धशालाओं के विकास की योजनाएं भी आरम्भ की गईं।

सरकार ने किसानों से मोटा अनाज लेना बन्द कर दिया और उगाही की प्रथा भी बन्द कर दी। इस नर्मी के कारण, खुले बाजार में कीमते, जो बहुत ऊंची चढ़ गई थीं, काफी नीचे गिर गईं। सरकार ने अनाज के वितरण के लिए उचित मूल्य वाली लगभग एक हजार दुकानें निश्चित कर दीं। अगस्त १९५२ से राजकोट, जामनगर और भावनगर शहरों में राशन-प्रथा समाप्त कर दी गई।

सरकार ने वनों के लगाने और मौजूदा वनों के सुधारने की योजनाएं भी हाथ में लीं। विभिन्न केन्द्रों में १६ एकड़ भूमि में ११ पौधघर बनाए गए। इन पौधघरों में लगभग १,५००,००० पौधे तैयार हो रहे हैं। सामूहिक योजना के क्षेत्र में खारापत में बन लगाने का काम शुरू किया गया।

द्रायन्कोर-कीचीन

सन् १९५२-५३ में, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत ३७ लाख रुपए की कीमत की १३,६५० टन खाद बांटी गई। इसमें हड्डी का बारीक चूरा, मूंगफली की खली, अमोनियम सल्फेट भी था। इसके फलस्वरूप धान के उत्पादन में २०,००० टन की वृद्धि हुई। साल में २३,६६० पारा सुधरा बीज भी बांटा गया।

इसके अलावा, ५०,००० एकड़ काली जमीन का सुधार किया गया। ४,००० एकड़ भूमि में लगभग १८ मील लम्बे बन्ध बनाए गए, जिन पर लगभग ५१०,१०० रुपया खर्च हुआ। जमीन की अम्लता दूर करने के लिए ७६४ टन कैल्शियम कार्बोनेट बांटा गया। ६ लाख पारा धान पैदा हुआ, जो पिछले साल से तीन गुना था।

सन् १९५२-५३ में २० नगरपालिकाओं ने २६,०१२ टन शहरी कूड़ा-खाद बनाया और बांटा। इसके अलावा, फसलों को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए लगभग १० टन कीटाणुनाशक औषधियां बांटी गईं।

भरपूर खेती के लिए किसानों को प्रति कुआं ६०० रु० आर्थिक सहायता दी गई। साल में ४० कुएं खोदे गए और ३५ अभी खोदे जा रहे हैं।

धान-पुरस्कार-प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत प्रति तालुक १०० रु० और प्रति जिला २५० रु० नकद इनाम दिया गया। सितम्बर-अक्टूबर की फसल में २५३ किसानों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। धान की अधिक से अधिक उपज ६,५५० पौंड प्रति एकड़ थी।

सूखा के दिनों में दक्षिण ट्रावन्कोर में २६ स्थानों पर पम्प लगाए गए। इसके अलावा, लगभग २,००० सिंचाई के छोटे साधनों पर भी काम किया गया।

स्वीकृत नस्लों के सांड तैयार करने के लिए एक निजी फार्म के अलावा ४ सरकारी फार्म खोले गए। अब तक लगभग ४०० सोरब साँडों को बधिया बनाया जा चुका है और २,००० कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं।

शिक्षा

हैदराबाद

सन् १९५२-५३ में हैदराबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून पास हुआ। १७० प्राइमरी स्कूलों और ७० मिडिल स्कूलों में अतिरिक्त क्लासें खोली गईं और उनका दर्जा बढ़ा कर क्रमशः लोअर सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्कूल कर दिया गया। सामूहिक योजना क्षेत्रों के और बेसिक शिक्षा ट्रेनिंग केन्द्रों से मिले हुए स्थानों के प्राइमरी स्कूल बेसिक स्कूलों में बदले जा रहे हैं।

इस साल भीकनूर और मोमिनाबाद के बेसिक शिक्षा केन्द्र, महिला गृह-विज्ञान ट्रेनिंग कालेज और नृत्य-संगीत-विद्यालय अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गए। कन्नड़ के माध्यम से शिक्षा देने के लिए थारमारुस, रायचूर, में भी एक बेसिक शिक्षा ट्रेनिंग-केन्द्र खोला जा रहा है।

सामान्य रूप से हैदराबाद में शिल्प-शिक्षा के प्रसार और विशेष रूप से एक बहुशिल्प शिक्षालय की स्थापना के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए विशेषज्ञों की जो समिति बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अब सरकार उस पर विचार कर रही है। इस साल इस समिति की कुछ सिफारिशों क्रियान्वित भी की जा चुकी हैं। मेट्रिक्युलेशन के बाद तीन वर्ष का यन्त्र और विद्युत् इंजीनियरिंग का पृथक् डिप्लोमा-पाठ्यक्रम चालू करने के लिए सरकारी टेक्निकल कालेज का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजी और तेलगू के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सिकन्दराबाद में एक टेक्निकल हाई स्कूल खोला गया। कला-विद्यालय का भी पुनर्गठन हो गया है और अब इसमें चित्रकारी, मूर्तिकला, व्यापारकला, डिजाइन और वास्तुविद्या के डिप्लोमा-पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाएगी।

युक्तियुक्त ढंग से काम करने और खर्च में कमी करने के लिए प्रशासन-व्यवस्था के पुनर्गठन के उपाय किए गए। स्त्री और पुरुष मेट्रिक्युलेट और इन्टर-मीडियेट अध्यापकों का प्रशिक्षण एक मात्र सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज में केन्द्रित करने के लिए उपाय किए गए। साथ ही, प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा भी शिक्षण देने की व्यवस्था की गई। अध्यापकों को शारीरिक व्यायाम की शिक्षा देने का काम व्यायाम-शिक्षा-शाला को सौंप दिया गया। इसका उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने जनवरी १९५३ में किया था।

इसके अलावा, भारतीय शिक्षालयों में वैज्ञानिक और शैल्पिक विषयों की ऊंची शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को वर्जीफे देने की एक योजना स्वीकार की गई। निजी शिक्षालयों के प्रोत्साहन के लिए सहायक अनुदान के नियमों में संशोधन किया गया और वे समान रूप से सभी शिक्षालयों पर लागू किए गए। सन् १९५२-५३ में इस काम के लिए २ लाख रुपये की अतिरिक्त रकम दी गई। निजी कालेजों को भी आर्थिक सहायता दी गई। इसके लिए १ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

जम्मू और काश्मीर

शिक्षा पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के अनुसार सन् १९५२-५३ में राज्य में बहुद्देशीय शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया। दो बहुद्देशीय

नगर स्कूल जम्मू और श्रीनगर में और एक बहुदेशीय ग्राम स्कूल श्रीनगर के पास शालीमार गांव में खोला गया । ६० प्राइमरी स्कूल केन्द्रीय स्कूलों में बदल दिए गए और २० मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए । पुस्तकालयों, प्रयोगशाला-सामग्री, फर्नीचर, और नेशनल क्रेडिट कोर के लिए पर्याप्त अनुदानों की व्यवस्था की गई । सन् १९५२-५३ में शिक्षा के लिए ४६.०४ लाख रु० की व्यवस्था की गई थी, यह रकम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित ८ लाख रु० की रकम के अलावा थी । शिक्षा के बजट में इतनी रकम पहले कभी निर्धारित नहीं की गई थी ।

मध्य भारत

विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने सन् १९५२-५३ में, मौजूदा प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने और नए प्राइमरी स्कूल बेसिक स्कूलों के रूप में खोलने का निश्चय किया । पाठ्यविधि, शिक्षा का स्तर और तरक्की के नियमों आदि में समानता लाई गई और फीस का स्तर भी एक सा ही कर दिया गया । अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना के अन्तर्गत, जो कि १६ जिलों के मुख्य नगरों में शुरू की गई, २०,००० से भी अधिक विद्यार्थी स्कूलों में शिक्षा पा रहे थे । प्राइमरी स्कूलों की संख्या सन् १९५१-५२ में ४,५१२ से बढ़ कर सन् १९५२-५३ में ४,८१४ हो गई ।

इस साल, भिंड में एक इन्टरमीडिएट कालेज और इन्दौर में एक महिला कालेज खोला गया । सन् १९५३-५४ में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए २,३२३,००० रु० की व्यवस्था की गई है । अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिक शिक्षा-सुविधाएं दी गईं ।

इस साल, मध्य भारत युनिवर्सिटी बिल विधान मंडल में उपस्थित किया गया । इस बिल में राज्य में एक ऐसी युनिवर्सिटी स्थापित करने की व्यवस्था है जो शिक्षा भी प्रदान करे और दूसरे कालेजों को अपने से सम्बद्ध भी करे । विद्यार्थियों को भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, शिक्षा वृत्तियों आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, इस साल एक विद्यार्थी-व्योरो भी शुरू किया गया ।

मैसूर

मैसूर में पूर्व-प्राइमरी से युनिवर्सिटी अवस्था तक शिक्षा की हालत की जांच करने के लिए तथा उस के विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकार ने सितम्बर १९५२ में एक समिति बनाई थी। इस समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। समिति ने सिफारिश की है कि अनिवार्य प्राइमरी और बेसिक शिक्षा, गवेषणा-सुविधा, नेशनल क्रेडिट कोर, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के विकास तथा जनता कालेजों की स्थापना पर व्यय अधिक होना चाहिए। उस ने यह भी सिफारिश की है कि शारीरिक श्रम और समाज सेवा को शिक्षा पद्धति के आवश्यक अंग मानते हुए शिक्षा-पद्धति को सर्वथा नया रूप दे देना चाहिए।

१ अप्रैल १९५२ को राज्य में शिक्षा-संस्थाओं की कुल संख्या १३,८८८ थी, जिनमें ६२७,१३३ विद्यार्थी पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूलों की संख्या १०,४७४, मिडिल स्कूलों की ७०३, हाई स्कूलों की २१७ और कालेजों की ३७ थी। सन् १९५३-५४ में शिक्षा के लिए ३७७.३५ लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

पेप्सू

सन् १९५२-५३ में प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देहात में १०८ सहशिक्षा प्राइमरी स्कूल खोले गए। बचत की दृष्टि से लड़कों और लड़कियों के प्राइमरी स्कूलों को एक में मिलाने की कोशिश की गई। २२ स्कूल मिडिल स्कूल बना दिए गए और ५ मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए गए।

प्रौढ़ शिक्षा में भी एक नवीनता की गई। राज्य में लगभग १,१०० शिक्षा-संस्थाएं और लगभग ५,००० गांव हैं। नई योजना के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि हर शिक्षा-संस्था के अध्यापक और विद्यार्थी हर साल एक गांव में प्रौढ़ों को शिक्षा दिया करें। इस प्रकार, ५ वर्ष में ५,००० गांवों के सब प्रौढ़ शिक्षित हो जाएंगे। पहले वर्ष में ८०० शिक्षा-संस्थाओं ने यह काम शुरू किया।

राजस्थान

सन् १९५२-५३ शिक्षा पर २९१,४० लाख रु० व्यय हुआ, जबकि सन् १९४९ में १६० लाख ही व्यय हुआ था । सन् १९५३-५४ के लिए २९१.६० लाख रु० की व्यवस्था की गई है ।

इस साल टोंक और सिरोंही के हाईस्कूल इंटरमीडिएट कालेज बना दिए गए । सरकार ने पुनः संस्थापन विभाग द्वारा संचालित ६७ प्राइमरी स्कूलों, २१ मिडिल स्कूलों और ७४ अन्य स्कूलों को अपने कब्जे में ले लिया । कई प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और ५८० मौजूदा प्राइमरी स्कूल विस्तृत किए जाएंगे । इस के अलावा, प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में और मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों में बदला जाएगा । निजी स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए तथा अधवनी इमारतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था की गई ।

बेसिक और समाज शिक्षा की उन्नति के लिए जो प्रस्ताव रखे गए हैं उनमें बेसिक ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए एक स्नातकोत्तर-कालेज, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक ट्रेनिंग कालेज, ३ बेसिक माडल स्कूल, और ग्राम-कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग के लिए एक जनता कालेज खोलने के प्रस्ताव भी हैं । जोधपुर में इंजीनियरिंग कालेज की इमारत लगभग पूरी हो चुकी है ।

इसके अलावा, पुरातत्व-मन्दिर संस्कृत और राजस्थानी की पुस्तकों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण गवेषणा कर रहा है । वह लगभग २,५०० अप्राप्य पुस्तकें और लगभग २,००० हस्तलिखित पुस्तकें संगृहीत कर चुका है । इस साल, इस में से कुछ पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी आरम्भ किया गया ।

मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षाविधि में संशोधन किया गया । छुटी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के लिए साधारण विज्ञान को पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन के राष्ट्रीयकरण की ओर भी कदम उठाए गए ।

सौराष्ट्र

शिक्षा-प्रसार-कार्यक्रम के अन्तर्गत, शहरी प्राइमरी स्कूलों में ७५ अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए गए, और प्राइमरी स्कूल-अध्यापकों के ट्रेनिंग कालेज में ३११ प्राइमरी स्कूल-अध्यापक और १६८ अन्य विद्यार्थी भर्ती किए गए। सन् १९५२-५३ में लगभग १०० और प्राइमरी स्कूल खोले गए, जिससे उनकी कुल संख्या २,४८६ हो गई। हस्त-शिल्प द्वारा शिक्षा देने के उद्देश्य से प्राइमरी स्कूलों में लगभग १०,००० चर्खें भेजे गए।

लोगों को सामाजिक शिक्षा देने के लिए लगभग २४० केन्द्र काम कर रहे थे। सन् १९५२-५३ में युनिवर्सिटी-शिक्षा के लिए ७०४,००० रु० की, माध्यमिक शिक्षा के लिए २,७७८,००० रु० की और प्राथमिक शिक्षा के लिए ७,०२१,००० रु० की व्यवस्था की गई थी। साल में, शिक्षा के लिए कुल १२,२१२,००० रु० की व्यवस्था की गई थी।

द्रावन्कोर-कोचीन

राज्य में शिक्षा पर व्यय धीरे-धीरे बढ़ता ही रहा है। सन् १९४८-४९ में कुल व्यय २३७.८९ लाख रु० था, पर सन् १९५२-५३ में यह बढ़ कर लगभग ३७० लाख रु० हो गया। ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था वाले बच्चों में से ९८.८ प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे।

सन् १९५२-५३ में ३ कालेज, ३७ हाई स्कूल, ४० मिडिल स्कूल, ४७ प्राइमरी स्कूल, ५ ट्रेनिंग स्कूल और १ संस्कृत स्कूल खोला गया।

राज्य के ३ बेसिक स्कूलों में १७४ विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई और ६० अध्यापकों ने ३ महीने का ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। कुल मिला कर १५७ अध्यापकों को बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई। बेसिक शिक्षा पद्धति २० विभागीय प्राइमरी स्कूलों में भी जारी की गई।

प्रौढ़ शिक्षा गवेषणा प्रदर्शन और ट्रेनिंग केन्द्र में लगभग १०० व्यक्तियों ने ३ दलों में ट्रेनिंग पूरी की और अब ३० उम्मेदवार और ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। जनवरी १९५३ में ६० सामाजिक शिक्षा केन्द्र खोले गए, जो मौजूदा ३९ केन्द्रों के अलावा हैं।

इस साल, १०८ अपर और १२ लोअर सेकंडरी छात्रवृत्तियां, १२

जूनियर युनिवर्सिटी छात्रवृत्तियां और ६ पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्तियां जारी की गईं ।

इसके अलावा, मिडिल और हाई स्कूल क्लासों के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूली सामग्री और कपड़े खरीदने के वास्ते ३ लाख रु० दिए गए, जिससे लगभग १२,००० विद्यार्थियों का भला हुआ । उनकी फीस भी माफ कर दी गई । इसके अलावा, कितानें और कपड़े खरीदने के लिए उनको एक-मुश्त रकमों भी दी गईं और भोजन और निवास के खर्च के लिए मासिक वृत्तियां दी गईं । शैल्पिक, औद्योगिक और व्यापारिक स्कूलों में उनको ट्रेनिंग की सुविधाएं भी दी गईं । आगामी शिक्षा-वर्ष से उनके लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में स्थान भी सुरक्षित रखे जा रहे हैं । दिसम्बर १९५२ तक पिछड़ी जातियों की कालेज और शिस्त्र की शिक्षा पर कुल लगभग २५०,००० रु० खर्च हुआ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

हैदराबाद

सन् १९५२-५३ में राज्य में कुल २१७ अस्पताल और औषधालय थे । इनमें ४५ नये औषधालय भी शामिल हैं । हैदराबाद के तपेदिक अस्पताल में ४५ पलंगों का एक नया वार्ड खोला गया साथ ही सरकार ने उस्मानिया मेडिकल कालेज को युनिवर्सिटी से अपने नियन्त्रण में ले लिया । वह राजकुमारी नीलोफर अस्पताल को भी अपने नियन्त्रण में ले रही है और उसे प्रथम श्रेणी का प्रसव-अस्पताल बनाने के लिए सब साधनों से सज्जित कर रही है । मोमिनाबाद में एक तपेदिक आरोग्यशाला और एक सामान्य अस्पताल भी खोला गया है । इस साल, गांवों में १,५७२ दवाई के बक्स बांटे गए । कोढ़, मलेरिया और हैजा के निवारण और इलाज के उपायों के अलावा प्लेग की रोकथाम के उपाय भी किए गए ।

शहर में २४ और जिलों में २१ शिशु कल्याण-केन्द्र थे । सभी जिलों में पोषण सम्बन्धी जांच-पड़ताल हो रही है ! अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात-फंड और विश्वस्वास्थ्य संघ की सहायता से नीलोफर अस्पताल के लिए साज-सामान की

व्यवस्था, परिचारिकाओं, प्रसाविकाओं और स्वास्थ्य-निरीक्षिकाओं की ट्रेनिंग, जिलों में चिकित्सा कार्य के लिए २२ ग्राम स्वास्थ्य यूनिटों और ८ चलते-फिरते औषधालयों का खोलना, सामूहिक रूप से बी० सी० जी० के टीके लगाना आदि बहुत सी योजनाएं सन् १९५३-५४ में पूरी की जाएंगी ।

जम्मू और काश्मीर

सन् १९५२-५३ में लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी अधिक सहायता दी गई । अस्पतालों का पुनर्गठन किया जा चुका है और उन्हें आधुनिक साज-सामान से युक्त कर दिया गया है । उदाहरणार्थ, श्रीनगर के अस्पताल के लिए सरकार ने लगभग १ लाख रु० की औषधियां और औजार खरीदे हैं, जिनमें एक्स-रे और बिजली चिकित्सा सम्बन्धी यन्त्रसामग्री भी है । बारामूला के अस्पताल में एक्स-रे यन्त्र लगाया भी जा चुका है ।

इस साल जम्मू में गुत्तेन्द्रियों के रोगों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया । इस काम के लिए कुछ मेडिकल अफसर शिमला में विश्वस्वास्थ्य संघ की प्रयोगशाला में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए । अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात-फंड ने भी प्रयोगशाला का सामान और पेनिसिलिन दैकर सहायता की । अप्रैल १९५३ तक १ लाख से भी अधिक लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए ।

जम्मू और काश्मीर प्रान्तों के कुछ दूरस्थ औषधालयों में आस-पास के गांवों के रोगियों को बुलाया गया और उनकी शल्यचिकित्सा एवं नेत्रचिकित्सा के लिए विशेषज्ञों का एक चलता-फिरता दल भेजा गया ।

मध्य भारत

राज्य के दोनों मेडिकल कालेजों में कुछ गवेषणा एकक और बढ़ाए गए और सामान खरीदने के लिए उदारता के साथ अनुदान दिए गए । दो डाक्टर विदेशों में विशिष्ट ट्रेनिंग पाकर वापस लौट आए । देहात में १६ आयुर्वेदीय और ६ ग्रेडिड औषधालय खोले गए, जिनमें से ४ आयुर्वेदीय और १ ग्रेडिड औषधालय गांवों में रोगियों की चिकित्सा के लिए ५ मील के अर्द्धव्यास में घूमे । ग्राम-पंचायतों को दिए जाने वाले औषधि-बक्कों की संख्या ३,००० से बढ़ कर ३,८२६ हो गई ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले १३ तपेदिक चिकित्सालयों में से चार भिड, राजगढ़, मन्दसौर और धार में खोले जा चुके हैं और अब उनकी कुल संख्या १० हो गई है। दो तपेदिक अस्पतालों की आधारशिलाएं और रखी जा चुकी हैं—एक की इन्दौर में और दूसरे की उज्जैन में। बी० सी० जी० के टीके का आन्दोलन गांवों में दूर-दूर तक किया गया। १,२५८,१०६ रोगियों की चिकित्सा की गई और ३५३,२१८ व्यक्तियों को टीके लगाए गए।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने वाले २३ मातृ-गृहों में से सात इस साल खोले गए। स्त्रियों और बच्चों के लिए कमला राजा अस्पताल भी बाकायदा खुल गया।

१२० गांवों में मलेरिया की रोकथाम के उपाय किए गए। गुना, सोनकाछ, नर्सिंहगढ़, खाते गांव, शिवपुर-कलां और अलीराजपुर में शिविर खोले गए, जहां ४,५७२ रोगियों की चिकित्सा की गई और ८२८ आपरेशन किए गए।

मैसूर

सन् १९५२-५३ में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधीन १७५ स्वास्थ्य एकक थे। अपने काम को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में राज्य में ४४ और स्वास्थ्य-एकक खोलने की स्वीकृति दे दी है।

पेप्सू

सन् १९५२-५३ में चिकित्सा और स्वास्थ्य के कामों पर ३७.५६ लाख रु० व्यय हुआ। सन् १९५३-५४ के लिए ४७.३० लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

इस साल, न्यू राजेन्द्र अस्पताल का निर्माण आरम्भ हुआ। इस पर लगभग ३० लाख रु० व्यय होगा। जब यह बन कर तैयार हो जाएगा तो इसको बीजरूप मानकर एक बड़े मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धर्मपुर की हार्डिंज आरोग्यशाला में एक नया वार्ड बढ़ाया गया।

आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए १ अगस्त १९५२

को एक आयुर्वेदिक कालेज खोला गया, जिसमें ४० विद्यार्थी पढ़ते थे । देहात में बहुत से आयुर्वेदीय औषधालय भी खोले गए । सन् १९५२ में सरकारी औषधालयों से लाभ उठाने वाले रोगियों की संख्या १० लाख हो गई । छूत की बीमारियों से बचने के उपाय किए गए और राज्य के किसी हिस्से से किसी महामारी के फैलने की रिपोर्ट नहीं आई ।

राजस्थान

सीकर, लाडनू, श्रीमहाबीर जी और कांसली में शल्यचिकित्सा और नेत्र-चिकित्सा के लिए चार शिविर स्थापित किए गए । बी० सी० जी० के टीके लगाने वालों के चार दल राजपूताने भर में टीके लगाने के लिए तैयार किए गए । तपेदिक आरोग्यशाला के लिए ४ लाख रु० की व्यवस्था की गई ।

सामूहिक विकास योजना कार्य के आरम्भ के समय लोगों को स्वास्थ्य और सफाई के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान कराने के लिए जगह-जगह स्वास्थ्य-प्रदर्शनियां की गईं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात-फंड और विश्वस्वास्थ्य संघ से प्राप्त खाद्य पदार्थों के पार्सल और औषधियां गरीब आदमियों और राज्य के अकालपीडित क्षेत्रों में बांटी गईं ।

रोकफैलर फाउंडेशन फैलोशिप के अन्तर्गत प्रायोगिक औषधिनिर्माण विधि, नफील्ड फैलोशिप के अन्तर्गत कीटाणु विज्ञान, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन अंकसंकलन के अध्ययन के लिए राज्य के कई अस्पतालों में प्रबन्ध किया गया ।

सौराष्ट्र

इस साल, अस्पतालों और औषधालयों में सुधार किए गए और अधिक स्थान एवं सुविधाओं की व्यवस्था की गई । सामूहिक रूप से चेचक के टीके लगाए गए और गिनीवर्म (पेट के कीड़े) की रोकथाम के उपाय किए गए । मलेरिया और फीलपांव की रोकथाम में लगे दलों की कार्रवाई कुछ नये क्षेत्रों में भी शुरू की गई । सन् १९५२-५३ में ८०७,७५२ व्यक्तियों को इन बीमारियों

से बचाया गया। मलेरिया-निरोधक कार्रवाई के २२ केन्द्र थे, जो १,२५७ गांवों की देखभाल करते थे। गोहिलवाड जिले के महुआ और जफराबाद कस्बों में फीलपांव रोग की पड़ताल की गई। बी० सी० जी० आन्दोलन के अन्तर्गत ६३, ८६५ व्यक्तियों की परीक्षा की गई और २१, २८५ को टीके लगाए गए।

इस साल २५ नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई। इनमें से १४ खुल चुके हैं और बाकी ११ जल्दी ही खुलने वाले हैं। ग्राम-चिकित्सा-सहायता योजना के अन्तर्गत, उन गांवों में, जहां औषधालय नहीं खोले जा सकते थे, औषधियों के बक्स बांटे गए। लगभग ३२१ बक्स सामूहिक योजना क्षेत्र को भी दिए गए।

द्रावन्कोर-कोचीन

सन् १९५२-५३ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के लिए १४२ लाख से भी अधिक रुपयों की व्यवस्था की गई थी।

इस साल, सात औषधालय खोले गए और दो अर्धसाप्ताहिक औषधालयों को पूरे समय वाले औषधालयों में बदल दिया गया। लगभग १,५००,०० चेचक के टीके लगाए गए। हैजा निवारण के उपाय किए गए, और १४ बड़े तथा ४ छोटे मलेरिया-निवारण दलों द्वारा डी० डी० टी० छिड़क कर मलेरिया की रोकथाम की गई। मलेरिया-नाशक औषधियां भी बांटी गईं। शेतलाई, अम्बालापुजा, और हरिपाद शहरों के आस पास फीलपांव की रोकथाम के उपाय भी किए गए। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फीलपांव-निरोधक उपायों के लिए २ लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। इस साल, ८३०,७०० व्यक्तियों की परीक्षा की गई और ३३१,४०० को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। शिल्पियों को बी० सी० जी० के टीके लगाने की ट्रेनिंग भी दी गई।

सरकार ने प्रभावपूर्ण ढंग से कुष्ठ-निवारण की एक योजना बनाई है, जिस पर लगभग ६ लाख रु० व्यय होगा। एक कोढ़ी बस्ती बसाने और एक पुनः संस्थापन-केन्द्र खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। यहां पर समर्थ शरीर वाले रोगी रखे जाएंगे।

तपेदिक रोग के निदान और चिकित्सा के लिए त्रिवन्द्रम के तपेदिक

प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र ने स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी और एक स्थानीय औषधालय-सेवा का विकास किया। सन् १९५१ में कार्यारम्भ के समय से फरवरी १९५३ के अन्त तक ४१,०४५ व्यक्तियों की ट्यूबरकुलिन परीक्षाप्रणाली और स्क्रीनिंग द्वारा तथा १४,३६६ व्यक्तियों की सामूहिक जांच-पड़ताल द्वारा परीक्षा की गई।

त्रिवन्दम की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने पागल कुत्ते के काटे का जहर दूर करने के लिए और चेचक, हैजा तथा और भी कई बीमारियों के रोकने के लिए सफलता के साथ बड़े पैमाने पर टीके तैयार किए। सन् १९५२-५३ में चेचक के टीके की २० लाख से अधिक मात्रा और टी० ए० बी० टीके तथा हैजा के टीके की १ लाख मात्राएं तैयार की गईं।

सन् १९५२-५३ में, राज्य की १८५ दुग्धशालाओं की मार्फत अन्तर्राष्ट्रीय बाल-आपात-फंड द्वारा दानस्वरूप भेजा गया ३७,९७५ पौंड दुग्धचूर्ण और स्विस् सरकार द्वारा दानस्वरूप भेजा गया २०,०१० पौंड दुग्धचूर्ण शिशुओं, बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को मुफ्त बांटा गया। इस दुग्धचूर्ण से कुल ६११,७२४ व्यक्तियों को लाभ पहुँचा। सन् १९५३ के आरम्भ में बाल-आपात-फंड से ८०,००० पौंड दुग्धचूर्ण और प्राप्त हुआ।

इस साल, ट्रेनिंग के लिए मेडिकल कालेज से ६० विद्यार्थियों का दूसरा जत्था चुना गया। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल के निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ गया है। नर्सिंग का काम सिखाने के लिए कुछ छात्राएं चुनी गईं, इनमें ८५ ऐसी थीं जिनको छात्रवृत्ति दी गई और १८ ऐसी थीं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई। चिकित्सा विज्ञान में नवीन से नवीन विकास के अध्ययन के लिए ४ मेडिकल अफसर एडिनबरा भेजे गए। इसके अलावा, लगभग ७० स्वास्थ्य सहायकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा की शिक्षा दी गई।

सन् १९५२-५३ के आरम्भ में ११ आयुर्वेदीय अस्पताल, ४ औषधालय, ३४१ वैद्यशाला और २ औषधि निर्माण शालाएं थीं। औषधालय बढ़ा कर अस्पताल बना दिए गए और २६ औषधालय नये खोले गए। औषधि निर्माण-शालाओं से ३७,६०५ रु० की शुद्ध बचत हुई।

श्रम

हैदराबाद

सन् १९५२-५३ में २३ भूगड़े समझौता-निकाय द्वारा तै किए गए और ६८ पंच-अदालतों के पास निर्णय के लिए भेजे गए । व्यक्तिगत शिकायतों के १,३११ मामले भी तै किए गए ।

जनवरी १९५३ तक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या ५१ थी, जिनके कुल १७,४५३ सदस्य थे । दुकान और दफ्तर कानून राज्य के ८ नये स्थानों में लागू किया गया । इस कानून के अनुसार कुल, १,०१६ मामलों में से ८९५ तै किए गए और २९,२१३ रु० नौकरी से हटाए गए आदमियों को ग्रैच्युइटी के रूप में दिए गए ।

न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कर्मकरों के लिए, जिनमें कृषि-मजदूर भी शामिल हैं, कम से कम वेतन-निर्धारण के सम्बन्ध में जांच करने के लिए १० समितियां बनाई गईं । वस्त्र उद्योग में व्यावसायिक संस्थाओं के समीकरण के लिए भी एक समिति बनाई गई ।

फैक्टरी कानून के अनुसार, हैदराबाद फैक्टरी नियम २८ अगस्त १९५२ से लागू कर दिए गए । उनके लागू होते ही कारखानों की रजिस्ट्री और उन्हें लाइसेंस देने का काम शुरू कर दिया गया । ६५० कारखानों को लाइसेंस दिए गए, जिनसे ११४,९०० रु० शुल्क प्राप्त हुआ । इंडियन बाइलर्स एक्ट के अनुसार, २५ मितव्ययकारियों की रजिस्ट्री की गई और ३८,१०८ रु० लाइसेंस-शुल्क प्राप्त हुआ ।

कर्मकरों के लिए मुशिराबाद में २ कमरों वाले ३०० मकान बन कर तैयार हो गए और एक-कमरे वाले ७९ मकान अभी बन रहे हैं । इनके अलावा, २०० मकान चीकडपल्ली में बनाए जा चुके हैं । सन्तनगर में १५५ मकानों के बनाने का काम १० सड़कारी समितियों को सौंप दिया गया है ।

कामदिलाऊ केन्द्रों में ४०,७६७ आदमियों ने अर्जियां दीं, और उनके द्वारा ३,८६९ आदमियों को नौकरी मिली । प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना

के अन्तर्गत, नौकरी चाहने वालों की उस्मानिया शिल्प-महाविद्यालय और आख्विन धातु-कारखानों में क्रियात्मक प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गईं । इसी प्रकार, अग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत ६८ भूतपूर्व सैनिकों और ३,५६३ आश्रितों ने शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं से लाभ उठाया ।

हैदराबाद की सेना के विघटन के फलस्वरूप ३५,६४३ व्यक्तियों को सेवामुक्त कर दिया गया । इनमें से २८,७०२ व्यक्तियों ने कामदिल्लाऊ केन्द्रों में अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिए । सरकार ने भी उनके पुनः संस्थापन के लिए चार योजनाएं शुरू कीं ।

इस के अलावा, २७ भूतपूर्व सैनिकों को जवाहरनगर में २०२ एकड़ जमीन देकर बसा दिया गया और १७० व्यक्तियों को विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में ट्रेनिंग दी जा रही है ।

राष्ट्रीय नियोजन सेवा संगठन के काम में विस्तार करने की दृष्टि से ८ प्रादेशिक नियोजन रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित किए गए । इन कार्यालयों ने ७,२१६ व्यक्तियों के नाम दर्ज किये और १,३४६ व्यक्तियों को नौकरी दिलाई ।

जम्मू और काश्मीर

राज्य में श्रम सम्बन्धी जो कानून लागू थे उनपर इस साल अधिक सख्ती से अमल किया गया । व्यापारों में लगे कर्मचारियों को बहुत सहायता मिली है ।

उद्योग विभाग ने काश्मीर दियासलाई कारखाने के मालिकों और मजदूरों के बीच हुए झगड़ों में हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों में समझौता करा दिया, जिस से दोनों को सन्तोष हुआ ।

मध्य भारत

सन् १९५२-५३ में कर्मकर प्राविडेंट फंड कानून और कर्मकर सरकारी बीमा कानून लागू किए गए । औद्योगिक सम्बन्ध कानून, न्यूनतम वेतन कानून, कर्मकर मुआवजा कानून, पैक्टरी कानून, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, वेतन भुगतान कानून और ट्रेड यूनियन कानून (विनियम) के अधीन नियमों को भी अन्तिम रूप दिया गया ।

इस साल, बीड़ी और कृषि उद्योगों और स्थानीय स्वायत्तशासन संस्थाओं के कर्मकरों के लिए कम से कम वेतन निर्धारित करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर का चूरा बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, मकान बनाने वाले और चावल, तेल, दाल और आटे की मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए निर्धारित कम से कम वेतन जनता की राय जानने के लिए प्रकाशित कर दिए गए।

इस साल, दो कल्याण-केन्द्र खोले गए—एक उज्जैन में और दूसरा रतलाम में। इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम में एक मातृ और शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की और एक उद्यमशिक्षण केन्द्र खोलने की योजनाएं सन् १९५३-५४ में पूरी हो जाएंगी, ऐसी आशा है।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मकान-निर्माण-सहायता योजना से लाभ उठाने का और सन् १९५३ के मध्य तक इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम में औद्योगिक कर्मकरों के लिए ६०० मकान बनाने का निश्चय किया।

मैसूर

अगस्त १९५२ में श्रमिक निवास-व्यवस्था कारपोरेशन का निर्माण हुआ। तात्कालिक उपाय के रूप में यह सोचा गया कि मैसूर की कृष्णराजेन्द्र मिल के मजदूरों के लिए २००, हिन्दुस्तान एयरोक्राफ्ट लिमिटेड के मजदूरों के लिए १०० और इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री के लिए १०० क्वार्टर बनाए जाएं। औद्योगिक कर्मकरों के लिए मकान-निर्माण-सहायता-योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से अनुदान और ऋण के रूप में अधिक सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया।

पेप्सू

सन् १९५२-५३ में राज्य के विभिन्न कारखानों में २७,००० नौकर काम करते थे।

सरकार कर्मकरों की धीरे-धीरे दशा सुधारने की नीति पर अमल कर रही है, और भारत में जहाँ कहीं भी इससे सम्बन्ध रखने वाले कानून हैं, वे सब राज्य में लागू कर दिए गए हैं। मालिकों और मजदूरों के मध्य अच्छे सम्बन्ध

स्थापित करने की दृष्टि से सरकार ने सन् १९५३ के आरम्भ में एक त्रिदल-श्रम-सम्मेलन किया, जिसमें श्रम और प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार हुआ ।

सरकार ने औद्योगिक कर्मकरों के लिए बस्तियां बसाने की एक योजना भी बनाई है, जिसके लिए ४ लाख रुपया अलग रखा गया है । इसमें से आधा केन्द्रीय सरकार ने दिया है । बड़े-बड़े शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना भी स्वीकृत हो चुकी है । सरकार ने नाभा और फगवाड़ा में शिल्प-शिक्षण-संस्थाएं भी स्थापित की हैं ।

राजस्थान

इस साल, कर्मकर प्राविडेंट फंड कानून, राजस्थान फैक्टरी कानून और श्रमिक-कल्याण अफसर कानून लागू किए गए । साप्ताहिक छुट्टियों के लिए नियम भी बनाए गए और लागू किए गए । उन कारखानों के लिए जहां १०० या १०० से अधिक मजदूर काम करते हैं, काम-समितियां बनाईं । अब तक ४३ समितियां बनाई जा चुकी हैं । जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में लेबर-अफसर नियुक्त किए गए हैं जिनमें एक स्त्री लेबर-अफसर भी है ।

साल में १६२ औद्योगिक भूगड़े रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें से ६३ का फैसलावादियों के पक्ष में हुआ और ६२ का उनके खिलाफ । मालिक और मजदूर आपस में मिलकर जिन मामलों को तै न कर सकें उनके लिए एक औद्योगिक पंच-अदालत बनाई गई । कर्मकर मुआवजा कानून के अन्तर्गत १४० मामले तै किए गए और कर्मकरों को ८२,७२७ रु० मुआवजे के रूप में दिए गए । छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले प्रौढ़ स्त्री-पुरुष और बालक कर्मकरों के लिए कम से कम दैनिक वेतन भी निश्चित किया गया । मार्च १९५३ में एक त्रिदल-श्रम-सम्मेलन भी हुआ । इस सम्मेलन में औद्योगिक सम्बन्ध, श्रमिक कल्याण फंड, सेवामुक्ति, राष्ट्रीय और त्यौहारों की सवेतन छुट्टियां, औद्योगिक निवास-व्यवस्था आदि विषयों पर विचार हुआ ।

द्रावन्कोर-कीचीन

३,५०० भूगड़ों में से ३,००० भूगड़े समझौते द्वारा तै हो गए और ६०

पंच-अदालत के पास फैसले के लिए भेजे गए। औद्योगिक पंच-अदालतों के फैसलों ने वेतन, महँगाई-भत्ता और बोनस की दरों में काफी वृद्धि कर दी और काम की अवस्थाओं में भी सुधार कर दिया। मालिकों और मजदूरों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कई त्रिदल-सम्मेलन किए गए। कई औद्योगिक सम्बन्ध समितियाँ भी बनाई गईं, जिनमें बागान, छापेखाने और मोटर-परिवहन सम्बन्धी समितियाँ अधिक महत्वपूर्ण थीं।

राज्य में केन्द्रीय कानूनों के लागू हो जाने से, बहुत से कानूनों के अधीन नियम बनाए गए। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, मातृ-सहायता कानून और वेतन भुगतान कानून (बागान) के बारे में नियमों के मसविदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मातृ-सहायता की दर ८ आने से बढ़ा कर १२ आने कर दी गई है और यह बागों पर भी लागू कर दी गई है।

चावल, आटा और दाल मिलों में और चमड़े के कारखानों में काम करने वाले कर्मकरों के लिए कम से कम वेतन की दरें निर्धारित करने के लिए प्रस्तावों के मसविदे प्रकाशित कर दिए गए। एक न्यूनतम वेतन-सलाहकार बोर्ड भी बनाया गया और बागों, नारियल और काजू उद्योगों, सार्वजनिक मोटर-परिवहन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायतों और तेल-मिलों में काम करने वाले कर्मकरों के लिए कम से कम वेतन की दरों के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए कई समितियाँ भी बनाई गईं।

इस साल, १८३ ट्रेड यूनियनों रजिस्टर्ड हुईं, जिससे उनकी कुल संख्या ६८६ हो गई। २१४ नये कारखाने भी रजिस्टर्ड हुए। कारखानों के इन्स्पेक्टरों ने १०६ कारखानों का निरीक्षण किया और कारखानों के कर्मकरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था में सुधार के उपाय किए गए। कर्मकरों तथा उनके बच्चों के लाभ के लिए भोजनालय और शिशु-शालाएँ स्थापित करने के लिए कई और कारखानों को भी नोटिस दिए गए। कारखानों में कुछ ऐसी सचित्र पुस्तिकाएँ भेजी गईं जिनमें चित्रों द्वारा यह बताया गया था कि दुर्घटनाएँ किस प्रकार रोकी जा सकती हैं।

उद्योग

हैदराबाद

सन् १९५२-५३ में, उत्पादन बढ़ाने के लिये हैदराबाद के कई मुख्य उद्योगों ने अपने यन्त्रों और साज-सामान में वृद्धि की। इसके फलस्वरूप आजमजाही और उस्मानशाही की दो सूती मिलों और शाहाबाद के सीमेंट कारखाने का उत्पादन ५० प्रतिशत, बोधन के चीनी कारखाने का २०० प्रतिशत, कोयले का २५ प्रतिशत और कागज का १०० प्रतिशत बढ़ गया।

घरेलू उद्योगों को शैल्पिक सहायता देने की दृष्टि से, शिक्षण-सुविधाएं देने के लिए तथा उत्पादनविधि के प्रदर्शन के लिए शीघ्र ही ४-५ केन्द्र खोलने का विचार हो रहा है। इन केन्द्रों का सम्बन्ध कातना, बुनना, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, बड़ईगिरी, लोहारी, ताड़-गुड़-निर्माण आदि घरेलू उद्योगों से रहेगा। घरेलू उद्योगों के विकास के लिए एक हस्त-शिल्प बोर्ड भी बनाया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर

इस साल, सरकार ने जापान से कुछ मशीनी सामान मंगाया। उसका इस्तेमाल सिखाने के लिए एक शिक्षण-प्रदर्शन-केन्द्र भी खोला गया। कपड़ा-छपाई के पुराने उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। जम्मू के समीप सम्बा शहर प्राचीन काल में इस उद्योग के लिए बहुत मशहूर रह चुका है।

उद्योग-बोर्ड, जो सन् १९४७ से निष्क्रिय था, अब फिर काम करने लगा है। छोटे पैमाने के कई उद्योगों के विकास के लिए २०,८०० रु० के ऋण दिए गए हैं।

राज्य के निर्यात व्यापार का ठीक ढंग से विकास करने के लिए तथा निर्यात किए जाने वाले माल की श्रेष्ठता का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए सरकार ने श्रेष्ठता-नियन्त्रण जारी कर दिया है। नग्दा की श्रेष्ठता के नियन्त्रण के लिए राज्य का विधान मंडल एक बिल भी पास कर चुका है।

मध्य भारत

सन् १९५२-५३ में, ३ तेल-पीडन केन्द्र स्थापित किए गए। मन्दसौर ऊन केन्द्र के प्रसार की योजना हाथ में ली गई और एक पेटिका-निर्माण-केन्द्र भी खोला गया। शिवपुरी में मधुमक्खी-पालन और भिंड में ऊन बुनने का काम शुरू किया गया। सितम्बर १९५२ में प्रधान मन्त्री ने एक आदिवासी करघा-केन्द्र का उद्घाटन किया और चन्देरी और महेश्वर में मौजदा करघा केन्द्रों में उत्पादन के सुधरे तरीके जारी किए गए। रेशम-कीट-पालन को एक सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किसानों को सुविधाएं और रियायतें दी गईं। खालियर में औद्योगिक भंडार के लिए एक नई इमारत बनाई गई। घरेलू उद्योगों की वस्तुओं की हाटव्यवस्था के सुधार के उपाय भी किए गए।

औद्योगिक मामलों और घरेलू उद्योगों के विकास तथा तत्सम्बद्ध विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए क्रमशः एक औद्योगिक सलाहकार बोर्ड और एक घरेलू उद्योग बोर्ड बनाए गए। इसके अलावा, मध्य भारत उद्योग सरकारी सहायता कानून के अन्तर्गत एक उद्योग सहायता बोर्ड की भी स्थापना की गई।

इस साल, उद्योग (विकास और विनियमन) कानून १९५२, सरकारी विच्छेद कारपोरेशन कानून, मध्य भारत उद्योग सरकारी सहायता कानून और कृषि पैदावार हाट-व्यवस्था कानून आदि कई महत्वपूर्ण कानून पास हुए और लागू किए गए।

मैसूर

इस साल, सरकार ने औद्योगिक कामों में ५२० लाख ६० से भी अधिक पूंजी लगाई। मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने की प्रबन्धक समिति का फिर से निर्माण किया गया। कारखाने के बड़े हुए कामों के अच्छे प्रबन्ध के लिए समिति को और अधिक अधिकार देने की बात भी सोची जा रही है। औद्योगिक संस्थानों की प्रबन्धक समिति का भी फिर से निर्माण किया गया और उसे सरकारी बिजली कारखाने और सरकारी चीनी मिट्टी के बर्तनों के कारखाने की प्रबन्धक समिति के साथ मिला दिया गया। यह इस लिए किया गया था कि

ऐसा करने से एक सी नीति बरती जा सकेगी और सब संस्थानों में उत्पादन, संगठन और वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन ठीक ढंग से किया जा सकेगा।

पेप्सू

उद्योग को दृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से आरम्भिक पड़ताल पूरी की गई। छोटे पैमाने के उद्योगों में लगाने के लिए पूंजी आमन्त्रित करने के वास्ते तथा मध्यम श्रेणी के औद्योगिक कर्मकरों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने लगभग २ लाख रु० के ऋण दिए।

एक औद्योगिक सलाहकार बोर्ड सरकार को औद्योगिक नीति के बारे में सलाह देता रहा। वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य के वास्ते एक औद्योगिक वित्त-सहकार स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

शिल्प-प्रशिक्षण देने के लिए, नाभा में एक औद्योगिक प्रशिक्षणशाला खोली गई, जिसमें १२० व्यक्तियों के लिए स्थान था। इस शाला में धातु की चद्दरें बनाने का काम, बड़ ईंगीरी और लोहारी सिखाई जाती है। सरकार ने दो विक्रय भण्डार और प्रदर्शन कोष्ठ भी खोले। मार्च-अप्रैल १९५३ में पटियाला में एक अखिल-भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी भी हुई।

घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों की विस्तृत पड़ताल के लिए एक योजना पर काम हो रहा है। अब तक पटियाला, राजपुरा, नाभा, बस्ती पठानान् में और भादसों आदर्श विस्तार योजना और धूरी सामूहिक योजना के क्षेत्रों में पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। राजपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को फिर से घरेलू उद्योगों में लगाने की एक और योजना हाथ में ली गई।

ट्रावन्कोर-कोचीन

सन् १९५२ में उद्योग सरकारी सहायता कानून बनाया गया और एक बोर्ड भी बनाया गया। एक करोड़ रु० की पूंजी से एक औद्योगिक वित्त कारपोरेशन भी बनाया जा रहा है।

सन् १९५२-५३ में ३ नये कारखाने खोले गए—(१) जमुना थ्रैड मिल्स लि० कोरट्टी, (२) ट्रावन्कोर-कोचीन केमिकल्स लि०, अलवाए, और (३) रेअर

अर्थसँ फैक्ट्री, अलवाए। पहला कारखाना सीने के इतने धागे बनाएगा, जो समस्त भारत की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। दूसरे कारखाने की क्षमता प्रति वर्ष ७,००० टन कार्बिक सोडा बनाने की है। इस कारखाने ने अक्टूबर १९५२ में आजमाइश के लिए काम करना शुरू किया है। तीसरे कारखाने का उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने दिसम्बर १९५२ में किया था। यह कारखाना अधिक से अधिक १,६८० टन क्लोराइड या १,१५० टन कार्बोनेट बना सकता है।

इसी साल, घरेलू उद्योग बोर्ड का पुनर्निर्माण किया गया, और करघा, मधुमक्खी पालन और तेलपीड़न उद्योगों के विकास के लिए योजनाएं स्वीकार की गईं। करघा उद्योग के पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत, त्रिवेन्द्रम की श्रीमूलम् केन्द्रीय करघा सहकार समिति को ७५,००० रु० और कोचीन केन्द्रीय सहकारी विक्रय समिति को २५,००० रु० दिये गये।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सहकारिता के आधार पर नारियल-रेशा उद्योग के पुनर्गठन के लिए भी एक योजना बनाई गई। उद्योगों की मन्दी का मुकाबला करने के लिए बहुत से सहायता-कार्य शुरू किए गए। उदाहरणार्थ, कर्मकरों को राहत देने के लिए सरकार ने ५ लाख रु० अलग रख दिये। औसतन १,७०० व्यक्तियों को विभिन्न कामों में लगाया गया। अभावग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दोपहर का खाना दिया गया। इस पर इस साल १३०,००० रु० व्यय हुआ।

इसके अलावा, चार व्यक्तियों को तेल पेरने और घानी बनाने के नये तरीके सीखने के लिए वर्धा भेजा गया। तेल पेरने के लिए ६ सहकारी समितियां बनाई गईं, जो प्रदर्शन-केन्द्रों के रूप में काम करेंगी। इन समितियों में से प्रत्येक को १,००० रु० दिया गया। सहायक उद्योग के रूप में मधुमक्खी-पालन का प्रचार करने के लिए, १७ सहकारी समितियां बनाई गईं और उन्हें ५,००० रु० की सहायता दी गई। सहकारिता के आधार पर स्कूपाइन उद्योग के संगठन के लिए एक संगठनकर्त्ता नियुक्त किया गया। मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग को भी सहकारिता के आधार पर संगठित करने के लिए २६,७७८ रु० व्यय किए गए।

विकास

हैदराबाद

१९५२-५३ में भिन्न-भिन्न प्रकार की १३५ सहकारी संस्थाएँ स्थापित की गईं। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से देहातों के लोगों को थोड़े समय के लिए कर्ज देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। एक ऐसा कानून बनाने का भी विचार है जिससे देहात में रहने वाले लोगों की ऋण-ग्रस्तता को दूर करने में सहायता मिलेगी।

इस वर्ष तुंगभद्रा-राजोली बांध और गोदावरी उत्तरी नहर योजना जैसी बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं के निर्माण का काम संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ा।

इसके अलावा नदी कोंडा और पूर्णा-योजनाओं के लिए जाँच हो रही है और आंकड़े वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। तेलंगाना जिले में मध्यम-श्रेणी की योजनाओं के अलावा मराथवाड़ा में अकाल सहायता के रूप में कामली और तलवार योजनाओं पर काम शुरू हुआ।

विजली के विकास के क्षेत्र में निजामसागर में पन-विजली केन्द्र बनाने का काम जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है। करीमनगर जिले में रामगुन्दम नामक स्थान पर एक थरमल-पावर (विजली) स्टेशन बनाने का काम जारी रहा, जबकि दूसरी ओर प्रस्तावित तुंगभद्रा पन-विजली केन्द्र नं० १ के लिए सार्वजनिक कार्य शुरू कर दिए गये। हैदराबाद और सिक्ंदराबाद शहरों की विजली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजामसागर पन-विजली और रामगुन्दम केन्द्रों को हुसैनसागर विजलीघर से सम्बद्ध करने की दिशा में कार्रवाही की जा रही है।

पहली पंचवर्षीय-योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ के लिए ८ करोड़ ४६ लाख १६ हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी। खर्च की मुख्य मुख्य मदें इस प्रकार थीं :— सिंचाई योजनाएँ— ४ करोड़ ६४ लाख ५१ हजार रुपये

विजली योजनाएँ— ७८ लाख ३१ हजार रुपये, उद्योग— ६७ लाख ५३ हजार रुपये, खेती— ५० लाख ८८ हजार रुपये, चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य ३१ लाख ८७ हजार रुपये, शिक्षा— २७ लाख ६० हजार रुपये और सड़कें २४ लाख १२ हजार रुपये ।

जहाँ तक सफलताओं का सम्बन्ध है, १४,०८५ एकड़ भूमि पर ट्रैक्टरों से खेती शुरू की गई और २,११,३६६ मन अच्छे बीज और ८०,१३६ टन खाद बांटा गया ; और ३६४ तेल के इंजिन और २२ रूट दिए गए । साथ ही प्रचार के काम और चित्रों आदि द्वारा शिक्षा देने के लिये तीन संस्थाएँ, ४ प्रादेशिक-स्कूल, ४ बाजार और २२ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थाएं स्थापित की गईं । इसके अतिरिक्त ७६० एकड़ जमीन में जंगल उगाया गया और २१ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा सिंचाई की गई ।

जम्मू और काश्मीर

१९५२-५३ में परिवहन-विभाग के पास ४५० बसें आदि गाड़ियां थीं । पर्यटकों की सुख-सुविधाओं की ओर इस वर्ष अधिक ध्यान दिया गया । पठानकोट और श्रीनगर के बीच एक नियमित बस-सर्विस चलाई जाती रही । स्टेशन वैगन और कारें भी मिल सकती थीं । जम्मू प्रान्त में उधमपुर और रामनगर के बीच हाल ही में एक बस-सर्विस शुरू की गई है ।

सिंचाई के क्षेत्र में राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में पाँच नई नहरें बनाने का काम शुरू हो गया है । इन नहरों के बन जाने पर इनसे ४३ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकेगी । सिंधु-घाटी पन-विजली योजना का काम भी आगे बढ़ रहा है । इस योजना से लगभग २,००० एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी और साथ ही १३,००० किलोवाट बिजली भी तैयार की जाएगी ।

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए निर्धारित एक मात्र सामूहिक-विकास योजना को काश्मीर, जम्मू और लद्दाख जिले के लिए तीन अलग अलग विकास-योजनाओं में बांट दिया गया है ।

काश्मीर-प्रान्त की विकास योजना बृदगम तहसील में पड़ती है । इसका क्षेत्रफल २३० वर्गमील है और इसकी आबादी लगभग १ लाख की है । अनुमान है इस पर कोई २० लाख रुपया खर्च होगा । पच्चीस ग्राम-कार्यकर्ताओं का चुनाव किया जा चुका है और इन्हें श्रीनगर में शिक्षण दिया जा रहा है ।

जम्मू प्रान्त की विकास योजना के लिये मनसूर का चुनाव किया गया है । इसका क्षेत्रफल २५० वर्गमील है और इसकी आबादी कोई ७० हजार की है । इसके विकास के लिये विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं । जम्मू में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है जहां ग्राम-कार्यकर्ताओं को शिक्षण दिया जाएगा । इस योजना पर २० लाख रुपया खर्च करने का विचार है ।

लद्दाख की विकास योजना पर लगभग १० लाख रुपए खर्च होंगे । योजना के अन्तर्गत लेह तहसील में सिंचाई की तीन नहरों का निर्माण; दो बड़ी नहरों और कई नालों और कूओं का निर्माण; पेड़ लगाना ; कारगिल और लेह में बीज तैयार करना और प्रदर्शन के फार्म खोलना, प्रारंभिक-स्वास्थ्य और प्रारंभिक चिकित्सा की स्थापना; मवेशी, भेड़ और बकरियों के लिए गवेषणा-फार्मों की स्थापना; बुनियादी शिक्षा और प्राइमरी स्कूलों आदि की व्यवस्था शामिल हैं ।

अनुमान है कि राज्य की पंच-वर्षीय-योजना पर १३ करोड़ रुपए खर्च होंगे । इसको तीन भागों में बांटा गया है :— (१) बनीहाल सुरंग योजना, (२) विकास-कार्य जो भारत-सरकार की सहायता से पूरे किए जाएंगे (३) विकास-कार्य जो राज्य की आय से पूरे किए जाएंगे ।

खेती और पशुपालन के क्षेत्र में प्रति एकड़ जमीन में अन्न की फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रदर्शन-केन्द्र खोले जा रहे हैं । आवश्यक तेल-उद्योग स्थापित करने और ऐसे पौधे अधिक से अधिक मात्रा में उगाने के उद्देश्य से जिनसे दवाएं तैयार की जा सकती है, औषधि-अनुसंधान प्रयोगशाला ने काश्मीर की पहाड़ियों में उगने वाले ऐसे पौधों आदि की पड़ताल का काम शुरू कर दिया है जिनसे तेल निकल सकता है । पन-बिजली के विकास के लिए तीन

-तीन हजार किलोवाट बिजली तैयार करने के दो यन्त्र लगाने का काम शुरू हो गया है और आशा है यह काम १९५४-५५ में पूरा हो जाएगा। इस पर कोई १८ लाख रुपए खर्च होंगे।

सिंचाई-योजनाओं पर कोई २ करोड़ ६६ लाख ५२ हजार रुपए खर्च होंगे। नहरें और पुल बनाने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर ६२ हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन में सिंचाई होगी और वर्तमान सिंचाई व्यवस्था ४० हजार एकड़ तक की जमीन की सिंचाई के लिए स्थायी इना दी जाएगी, १७ हजार एकड़ जमीन खेती योग्य बन जाएगी और १४ हजार एकड़ जमीन को बाढ़ के खतरे से बचा लिया जाएगा।

बनिहाल सुरंग सवा मील लम्बी होगी और यह समुद्र-सतह से ७,२०० फुट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी। इस पर कोई ३ करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मध्य भारत

मध्य भारत के लिए पंचवर्षीय-योजना में २२ करोड़ ४२ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना में शामिल विभिन्न विकास-योजनाओं का काम सफलतापूर्वक चलने के लिए इस वर्ष एक विशेष विकास संगठन स्थापित किया गया।

अनुमान है कि सड़क विकास कार्यक्रम पर २९५३,९६० रुपए खर्च होंगे। इस कार्यक्रम की १५० मील लम्बी सड़कों के जल्दी ही पूरी होने की आशा है। केन्द्रीय-सड़क-कोष ने जिन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है, उनका काम कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ा।

इंदौर में एक रेल का पुल बनाने और मैरोंगढ़ पुल के पुनर्निर्माण का काम पूरा हो गया। दूसरी ओर ग्वालियर में रेल के पुल और निसारपुर पुल का काम संतोषजनक रूप से चलता रहा।

१९५२-५३ में मध्य भारत रोडवेज की बस-सर्विसों में वृद्धि की गई और बसों के नये रास्ते खोले गये। साथ ही २२ नयी बसें भी चलाई गईं। अब बसें हर दिन कुल मिलाकर १७,४४२ मील की दूरी तय करती हैं जबकि पहिले

१५,५७६ मील की दूरी तय करती थीं। बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़कर ६,०८४ प्रति मास हो गई। ग्वालियर के जनरल वर्कशाप के लिए १,००,००० रुपए के मूल्य की मशीनें और पुर्जों खरीदे गये। रास्ते पर यात्रियों के लिए प्रतिक्षा-गृह बनवाए गए। इंदौर और गुना में वेस्टिंग-रूम और पैसेंजर शेड बनवाए जा रहे हैं। इस वर्ष मध्य भारत रोडवेज के कर्मचारियों के लिए एक केन्द्रीय समाज-कल्याण क्लब खोला गया तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर इस क्लब की शाखाएं खोली गई हैं।

मध्य भारत सहकारी योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट जून १९५२ में पेश की। राज्य में एक सर्वोच्च बैंक बनाने की दिशा में कार्यवाई हो रही है। कोई ३०० सहकारी संस्थाएँ रजिस्टर्ड और संगठित की गईं। आठ केन्द्रीय बैंकों की आर्थिक सहायता के लिए लगभग ५० हजार रुपए स्वीकृत किये गये।

इस वर्ष ६२ कुएं, ११ पंचायत-भवन और लड़कियों का एक स्कूल बनवाने और कई छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत कराने का काम शुरू किया गया। एक न्याय पंचायत को ५०० रुपए तक के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। साथ ही पांच ग्राम पंचायतों को न्याय पंचायतों के अधिकार दिए गए।

पंचायतों को ६,१२,००० रुपए की सहायता की मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राम विकास कार्यों के लिए मंडल-पंचायतों को पंचायत-भवन बनवाने, अच्छी सड़कें बनवाने, कुएं खुदवाने और स्कूलों के लिए पुस्तकें खरीदने आदि के लिये २,९५,००० रुपए दिए गए।

१९५२-५३ में तीन बड़ी सिंचाई योजनाओं के काम में काफी प्रगति हुई। धार और रतलाम जिलों के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुँचाई गई। योजना काल में कांस निकाल कर ४,००,००० एकड़ जमीन साफ करके उसे खेती योग्य बनाने का विचार किया गया है।

दो सामूहिक विकास योजनाओं पर भी काम चालू है। श्रम के क्षेत्र में योजना में सुखालिया नामक स्थान पर कारखानों के मजदूरों के लिए १,३०० छोटे-छोटे मकान बनाने की व्यवस्था की गई है।

(३६७)

मैसूर

पंचवर्षीय योजना के अधीन इस वर्ष खेती, सिंचाई और बिजली के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी। इन कामों पर २४ करोड़ २७ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। पांच वर्षों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली आठ करोड़ रुपए की सहायता में से दो वर्षों के लिये साढ़े चार करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। योजना में ७ करोड़ १६ लाख ३२ हजार रुपए के आयोजित खर्च में से ५ करोड़ १७ लाख ४३ हजार रुपए खर्च हुए। १९५३-५४ में ५ करोड़ ६३ लाख ३६ हजार रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है जबकि योजना में ७ करोड़ ६२ लाख १ हजार रुपये की व्यवस्था की गई। इस प्रकार योजना के पहिले दो वर्षों के लिये आयोजित खर्च में ४ करोड़ ४० लाख ५४ हजार रुपये कम खर्च हुए।

सामूहिक-विकास योजना कार्यक्रम २ अक्टूबर १९५२ को शुरू किया गया था। यह क्षेत्र तीन विकास-खंडों में बांटा दिया गया है। इनके अधीन कोई ३७८ गांव आते हैं। १९५२-५३ में पहले विकास-खंड में काम शुरू किया गया। इन का प्रधान कार्यालय शिरालकोप्पा में है। इस वर्ष पहले विकास-खंड में आने वाले गांवों की पड़ताल का काम पूरा किया गया। छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत का काम भी शुरू किया गया। गांवों में सड़कें बनाने, खाद के गड्डे बनाने, अच्छी किस्म का धान बांटने आदि का काम जल्दी ही शुरू किया जायेगा। इस काम के लिये १९५३-५४ में २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

पेप्सू

पेप्सू सरकार भाखरा-बांध तथा नांगल योजनाओं में सिंचाई तथा पनबिजली दोनों के लिये एक बड़ी भागीदार है। सिंचाई की दो छोटी योजनाओं का काम भी स्वतंत्र रूप से उठाया गया। पहली कपूरथला स्थित बेन नदी योजना है जिस पर ८ लाख ८८ हजार रुपये व्यय होंगे। इससे ४०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और प्रति वर्ष ४००० टन अन्न तथा

४००० टन गन्ने का उत्पादन होगा। दूसरी योजना नारनोल के समीप दो स्रोतों के संगम पर एक बांध के निर्माण की थी। इसमें ६ लाख ३७ हजार रुपये व्यय होंगे।

वर्ष में दो विकास योजनाओं का भी काम प्रारम्भ किया गया। भादसों की आदर्श विस्तार योजना अप्रैल १९५२ में प्रारम्भ हुई जिसमें पटियाला तथा नाभा तहसील के १८८ वर्गमील क्षेत्रफल में फैले हुए १३६ ग्राम सम्मिलित थे। धूरी सामूहिक योजना में जो अक्टूबर १९५२ में प्रारम्भ हुई, ३७८ गांव थे। इनका क्षेत्रफल ६५० वर्गमील था। भादसों क्षेत्र में २१ वयस्क शिक्षा केन्द्र, २७ प्रारम्भिक और ५ मिडिल स्कूल, ३० युवक-कल्याण संस्थाएं, २० नवयुवक किसान क्लब तथा १८ सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त स्वेच्छिक श्रम द्वारा ६५ सड़कें बनाई गईं। ३७ सहकारी संस्थायें संगठित की गईं, १,१३० एकड़ भूमि साफ करके खेती योग्य बनाई गई, १०,८६२ ईंधन तथा फलों के पेड़ लगाये गये और मिश्र खाद के ६३० गड्डे खोदे गये। १८० गांवों में भूमि की चकबंदी का काम पूरा किया गया। साथ ही २६ सह-शिक्षण स्कूल, ६ स्त्री शिक्षा तथा ५३ सामूहिक केन्द्र खोले गये।

राजस्थान

सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम में सात खंड हैं जिन में १,०४३ गांव हैं। इनका क्षेत्रफल १,९५१ वर्गमील है। राज्य की पांच कमिश्नरियों में से प्रत्येक को एक-एक खंड में रखा गया है और अलवर में एक खंड विस्थापित हरिजनों के लिये तथा एक खंड पिछड़ी जातियों के लिये उदयपुर कमिश्नरी के डूंगरपुर में रखा गया है। अलवर का विशेष खंड एक विकास-कार्यकारी मंडल के अधीन है।

कुल मिला कर २०० एकड़ के क्षेत्रफल में ५६५ खेतों में मेंड डाली गई और चार नए नलकूप खोदे गये। अब तक कुल ४,६५००० घनफीट मिट्टी

उठायी गयी जिस में २००,००० घन फीट मिट्टी उठाने के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त ११ पंपिंग सेट प्रस्थापित किये गये, दो नालों की मरम्मत की गई और ११५ एकड़ भूमि खेती के योग्य भी बनाई गई।

सभी खंडों में स्वच्छता-आन्दोलन चलाया गया और वारां खंड का नलका गांव सामूहिक-योजना प्रशासक द्वारा भारतवर्ष में सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया। १६ कुएँ साफ किये गये, १४ कुओं की मरम्मत की गई और उनको गहरा किया गया तथा ५ डिग्गी, ४ कुएँ, २ जलाशय तथा तथा एक तालाब मवेशियों के लिये बनाया गया।

लगभग २० मील सड़क भी बनाई गई।

सामूहिक विकास योजना के अंतर्गत ६७ स्कूल खोले जाने के कारण राजस्थान का योगदान सभी राज्यों से अधिक रहा। इसके अतिरिक्त ३३ वयस्क-शिक्षा केन्द्र, ७६ विकास मण्डल, ७ पुस्तकालय, युवक-संघ की एक शाखा और अनेक मनोरंजन केन्द्र खोले गये।

इसके साथ साथ दस्तकारी तथा उद्योगों के विकास के लिये १३ चरखे बाटे गये और साबुनसाज़ी, मूँज बनाने, लोहारगिरी, जैसे उद्योगों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया जा रहा है। ग्राम विकास कार्यकर्ताओं तथा राजस्थान के देहाती क्षेत्रों के अधिकारियों के शिक्षण के लिए एक शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया। इसके सुधरे हुए कृषि के औजारों के प्रयोग के साथ-साथ बारी-बारी से बोने, बोने से पहले बीज को तैयार करने, फलों के बगीचे लगाने, विनाशकारी कीटों की रोकथाम करने आदि का भी शिक्षण दिया गया। इस केन्द्र में इस वर्ष ६४ शिक्षार्थी थे।

सौराष्ट्र

सहकारी संस्थाओं की संख्या दिसम्बर १९५२ में ६८१ हो गई, जब कि ८ अप्रैल १९५२ को इनकी संख्या ८८६ ही थी। इसी वर्ष सौराष्ट्र सहकारी

बैंक भी स्थापित किया गया । सहकारी संस्थाओं को ऋण के रूप में ३७,४५० रुपये तथा सहायता के रूप में १८,४०१ रुपये दिये गये ।

दिसम्बर १९५२ में १११४ पंचायतें थीं जबकि अप्रैल १९५२ में ८३६ पंचायतें थीं । दिसम्बर १९५२ के अंत तक पंचायतों को १३,६०,८७ रुपये दिये जा चुके थे । अकाल संरक्षित कोष में २,४५, १७० रुपये संग्रहीत हो गये और विकास-संरक्षित कोष में २,०१,२६३ रुपये ।

पंचायतों को विकास-संरक्षित-कोष से ६५,००० रुपयों के ऋण दिये गये । पंचायत-कार्य के शिक्षण के लिये १४ विद्यार्थियों के लिये दो कक्षाएं खोली गईं ।

शाहपुर बिजली घर के जो १०,००० किलोवाट बिजली तैयार कर सकेगा, नाप-जोख का काम चल रहा है । गोहिलवाड में एक बिजली घर बनाने के लिये ४०,०० पौंड वजन के एक बायलर का आर्डर दे दिया गया है ।

१९५२-५३ में राजकोट, पोरबंदर, गोंडल, ध्राजी, उपलेटा, पलिताना और जूनागढ़ के बिजली घरों का विस्तार किया गया जिसमें ४३ लाख रुपये खर्च हुए । इससे इन बिजली घरों में ५३०० किलोवाट के स्थान पर ११,३०० किलोवाट बिजली पैदा होने लगी । बिजलीघरों से देहाती तथा शहरी क्षेत्र को लिफ्ट द्वारा सिंचाई के लिए तथा कुटीर और बड़े उद्योगों के लिये बिजली पहुंचाने का काम जारी है ।

राज्य की चवर्षीय योजना में २१ करोड़ ८४ लाख ८७ हजार रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है । कृषि तथा ग्राम-सुधार पर ५ करोड़ २६ लाख ६० हजार रुपये, मध्यम सिंचाई तथा बिजली उद्योग योजनाओं पर ६ करोड़ ८६ लाख ७० हजार रुपये, उद्योगों पर १४ लाख ८० हजार रुपये, यातायात पर ३ करोड़ ८६ लाख रुपये, समाज सेवाओं के लिये ३ करोड़ ५४ लाख ५० हजार रुपये तथा इमारतों पर ७२ लाख रुपये व्यय करने का विचार किया गया है । १९५२-५३ के लिये ४ करोड़ २८ लाख ७२ हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

सामूहिक-योजना-कार्यक्रम में सौराष्ट्र के लिए एक ग्राम सामूहिक योजना रखी गई है जिसे के अन्तर्गत मानवाडर ताल्लुक तथा, बंधली महाल

आते हैं। इस में १०६ गांव हैं जिनकी जनसंख्या १,३१,११७ और जिस का क्षेत्रफल ३७२ वर्ग मील है। वर्ष में अनेकों बांध, कुएँ, ग्राम सामुदायिक इमारतें, नालियाँ आदि बनाई गईं। चार स्कूल भी खोले गये।

त्रावणकोर कीचीन

इस वर्ष में ताड़-गुड़-विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत ५० प्रारम्भिक और दो केन्द्रीय सहकारी संस्थाएँ बनाई गईं। इस उद्देश्य के लिये ६७,००० रुपये स्वीकृत किये गये जिसमें ५,००० रुपये केन्द्रीय संस्थाओं को तथा २०,००० रुपये प्रारम्भिक संस्थाओं को दिये गये। गुड़ बनाने वालों के लिये बढ़िया गुड़ बनाने के औजारों की खरीद पर भी २०,००० रुपये व्यय किये गये।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक आवश्यक तेल योजना कार्यान्वित की गई। नीबू की घास के तेल को आयोनोन में परिवर्तित करने की पद्धति की प्रारम्भिक जांच पूरी हो चुकी है और नीबू की घास तथा अन्य आवश्यक तेलों का प्रभावीकरण करने का कार्य चल है। सरकारी शार्क लिवर आयल फैक्टरी में शार्क मछली के जिगर का तेल निकालने के लिये भी आवश्यक मशीन लगाई गईं।

पंचवर्षीय योजना में ६ बड़ी-सिंचाई योजनाओं पीची, चलकुडी, वडक्कनचेरी, कुट्टनद, नैयार और पेरीचनी के लिये ४ करोड़ ७८ लाख रुपये सम्मिलित हैं।

पीची बांध का कंक्रीट के तीन-चौथाई कार्य से अधिक और राजगिरी का आधा काम पूरा हो चुका है। चार जलमार्गों में से तीन बन चुके हैं। दक्षिणी किनारे की नहर (जलमार्ग) २२ फरवरी १९५३ को खोली गई। नवम्बर १९५२ तक इस योजना पर १ करोड़ ४ लाख १५ हजार रुपये खर्च हुए। उस बांध का भी, जो चलकुडी योजना का भाग है, निर्माण हो चुका है। नवम्बर १९५२ तक इस योजना पर ५१ लाख ६३ हजार रुपये व्यय हुये।

आवश्यकता है, सरकार ने विस्थापितों की संख्या तथा उनकी आवश्यकताओं के आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रह करने का निश्चय किया ।

सरकार ने पाकिस्तान से आये विस्थापितों के कई सौ परिवारों को निजामाबाद जिले में बसाने का भी निश्चय किया । केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक धन की स्वीकृति दे दी है और उनको फिर से बसाने की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है ।

जम्मू और काश्मीर

नगरौटा शिविर के प्रायः सभी ३२,००० विस्थापितों को फिर से बसा दिया गया । उन पर २,६०,००० रुपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त योल शिविर के १,४५० परिवारों और होशियारपुर शिविर के ७५३ परिवारों को भी बसा दिया गया । अभी भी योल शिविर के २,३०० परिवारों को राज्य में लाना बाकी है ।

जम्मू प्रान्त में अभी तक फिर से बसाये गये विस्थापितों के परिवारों की कुल संख्या ७६,६६७ है और उनको ३,६३,५०० एकड़ भूमि दी जा चुकी है । काश्मीर प्रान्त में १२,००० व्यक्तियों को फिर से बसाया जा चुका है ।

मध्य भारत

३१ मार्च १९५२ तक विस्थापित व्यक्तियों के लिए इन्दौर, उज्जैन और ग्वालियर में १,१६८ मकान बन चुके थे । १९५२-५३ में ४,०२,२०६ रुपये की लागत पर नीमच, शामगढ़, मनसा, मुरैना और तराना में २३५ मकान और बनाये गये । इन सब पर कुल २४,२७,२७१ रुपये व्यय हुए ।

सितम्बर १९५२ में विस्थापित व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये सहायता देने की एक योजना स्वीकृत हुई थी । यथानुसार उन लोगों को जो मकान बनाने में एक चौथाई व्यय अपने पास से लगाने को तैयार थे, ऋण दिये गये । अभी तक २२,२०० रुपयों के ऋणों की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

चंबल पन-बिजली योजना में काम करने के लिये शिविर से ७२ विस्थापित परिवार भेजे गये। बाद में उनमें से प्रत्येक परिवार को २० एकड़ भूमि देने का निश्चय किया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में अभी तक ८०० एकड़ भूमि दी जा चुकी है जिसके लिए ८६,६०० रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं।

१९५२-५३ में दो शिक्षण उद्योग केन्द्रों और ५ उद्योग केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों को टेकनिकल और धंधे का शिक्षण दिया गया। इस प्रकार कुल १०५ शिक्षार्थियों ने विभिन्न कला-कौशल का शिक्षण प्राप्त किया।

ग्वालियर तथा इन्दौर में दो अनाथालय भी चल रहे हैं। प्रत्येक में १०० अनाथ व्यक्ति हैं। जो अनाथ व्यक्ति किसी स्थायी अशक्तता के कारण इन आश्रमों में भरती न हो सके उनको नकद सहायता दी गई। जनवरी १९५३ तक अनाथालयों में तथा इनसे बाहर कुल ८२,४०० रुपयों की नकद सहायता दी गई।

अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ तक जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में भी १,२७,६०० रुपये दिये गये।

इसके अतिरिक्त आदर्श विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये क्रमशः ४,५६० तथा ७,२०० रुपयों की वक्तियां दी गईं।

पेप्सू

राज्य के नगरों में विस्थापितों के पुनर्वास-कार्य ने पर्याप्त प्रगति की। शहरी क्षेत्रों में अब तक लगभग दो लाख व्यक्ति फिर से बसाये जा चुके हैं और उन्हें २१,५०० घर तथा १,८२३ दुकानें दी जा चुकी हैं। पेप्सू विकास बोर्ड ने राजपुरा तथा त्रिपुरी में दो नये नगर बसाये जहां २,३८२ दुकानें व १,१०० मकान हैं। संगरूर में चलाये जा रहे एक अनाथालय में ३१२ अनाथ व्यक्ति हैं। भटिंडा, पटियाला तथा समाना में तीन प्रशिक्षण उद्योग केन्द्र चालू हैं। देहाती क्षेत्र में भी पुनर्वास के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति हुई। मुसलमान निष्कांतों द्वारा छोड़ी गयी ४,२३,५३८ एकड़ भूमि में से अबतक ४,०८,५३८ एकड़ भूमि

दी जा चुकी है। मुसलमानों के निष्क्रमण के तुरन्त पश्चात् ही निष्क्रान्त भूमि पट्टे पर उठा दी गई और भूमि भाड़े से आज ८३ लाख रुपये से अधिक प्राप्त होते हैं। शहरी तथा देहाती ऋणों के रूप में १ लाख ८० हजार रुपये दिये गये।

राजस्थान

राजस्थान में चार लाख से अधिक शरणार्थी फिर से बसाये जा चुके हैं। १९५२-५३ तक उन पर कुल ५,४५,९६,६८० रुपये व्यय हुए जिनमें से ३,६१,००,२९७ रुपये पुनर्वास पर और १,८४,९६,३८२ रुपये सहायता पर व्यय किये गये। शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में ४६,७२४ व्यक्तियों को क्रमशः ८०,५२,२२९ तथा २,२९,४४,३७० रुपये के ऋण दिये गये। साथ ही ६,२८,७९९ एकड़ भूमि भी दी गई।

वर्ष में १६ ऐसे केन्द्र थे जहाँ ६ विभिन्न दस्तकारियों तथा धंधों का शिक्षण दिया जाता था। इनमें अभी तक कुल मिला कर २३५ कार्यकर्ता शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और २८० कार्यकर्ता शिक्षण पा रहे हैं।

सौराष्ट्र

सौराष्ट्र में विस्थापितों की संस्था ८४,८५२ है। अब तक ८० प्रतिशत व्यक्तियों को फिर से बसाया जा चुका है। १९५३-५४ में सहायता कार्य के लिये भारत सरकार ने ८,३३,०५० रुपये निर्धारित किये हैं।

विलासपुर

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अन्तर्गत, स्वीकृति के लिए कई एक योजनाएं भारत सरकार के पास भेजी गई थीं। इनमें से तीन योजनाएं— फसल-प्रतियोगिता योजना, बीज-प्रगुणन योजना तथा हरी खाद योजना— स्वीकृत हो चुकी हैं। मक्का की फसल-प्रतियोगिता में ७०० प्रतियोगियों ने भाग लिया। इससे ऐसी १०७ एकड़ भूमि को, जहाँ पर मक्का बोई गई थी,

लाभ हुआ। इस भूमि में कुल मिला कर १,६५३ मन मक्का पैदा हुई जो इस खेत की साधारण पैदावार से लगभग तिगुनी थी।

बीज प्रगुणन योजना के अन्तर्गत १० मन गेहूँ के बीज बाँटे गये, १३ मन आलू के बीज वाहर से मंगा कर राज्य में बोये गये तथा ५० मन गन्ने के बीज प्रगुणित किये गये। हरी-खाद-योजना को बढ़ावा देने के लिए ५,००० रुपये की कीमत के सन के बीज प्राप्त किये गये, ताकि ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में ही उसकी फसल तैयार कर ली जाय। सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में कृषि-विकास के लिए आठ योजनाएँ बनाई गई थीं।

धुमरविन में एक पशु-चिकित्सालय खोला गया। साथ ही, पशु-पालकों को इसलिए नियुक्त किया गया कि वे देकार सड़ों को बधिया करें। पशुओं की सुरक्षा के लिए काम आने वाले सीरा और बैकसीन के संग्रह के लिए एक रेफ्रीजरेटर प्राप्त किया गया। भारत सरकार ने इस साल आठ ग्रामों के लिए दो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की भी स्वीकृति दे दी।

कुर्ग

सिंचाई के लिए ६१ तालाब तथा ७६ छोटी नहरें और बाँध बनाए गए या उनकी मरम्मत की गई। फसल की ऋतु में ८५२'७५ एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए १० पम्प किराए पर दिए थे गए। ६२५ एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई गई, २,००,००० टन मिश्र खाद तैयार की गई तथा १०,२८१ एकड़ सीली जमीन में हरी पत्तियाँ डाली गईं। इसके अतिरिक्त १०,००० एकड़ अन्न भूमि में डालने के लिये १६ टन अमोनियम सल्फेट, ३६१ टन मिश्र-खाद, ५५०'७१ टन मूंगफली की खली तथा १४७'७ टन हड्डी का चूरा कम कीमत पर बाँटा गया। इसके अलावा १,३५० एकड़ अन्न के खेतों, २,३०० एकड़ फलों के खेतों तथा ३,०५० एकड़ अन्य फसलों के खेतों को कृषि नाशक कीटों तथा बीमारियों से बचाने के लिए उपाय किये गये।

इसी समय कृषि विभाग की ओर से खेती-बाड़ी के सुधरे हुए औजारों को लोकप्रिय बनाने के लिए ६ प्रदर्शनियों की गईं, और ४०० प्रदर्शन किये गये

(४०७)

तथा कृषि प्रणाली में होने वाले आधुनिक सुधारों को समझाने के लिए ८३८ व्याख्यान भी दिये गये । बड़े पैमाने पर किये गये विस्तार कार्य के परिणाम-स्वरूप धान की औसत पैदावार लगभग ४० प्रतिशत बढ़ गई अर्थात् जबकि १९४७-४८ में धान की पैदावार प्रति एकड़ १,४६५ पौंड थी तो १९५२-५३ में वह २,१६० पौंड प्रति एकड़ हो गई । सहायक अन्नो की खेती का क्षेत्रफल भी १०० एकड़ से बढ़ कर १,००० एकड़ हो गया । फसल-प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत १९५१-५२ में कुर्ग के एक किसान द्वारा स्थापित धान की उपज के अखिल भारतीय रिकार्ड को, जो १२,१०० पौंड प्रति एकड़ था, १९५२-५३ में एक दूसरे किसान ने प्रति एकड़ १२,४०० पौंड धान पैदा करके तोड़ दिया । इस फसल प्रतियोगिता में लगभग ४,८४५ किसानों ने भाग लिया ।

३ 'ग' भाग

खाद्य और कृषि

अजमेर

सरकार ने १ मई १९५३ से अजमेर, ब्यावर और नसीराबाद में अन्नोत्पत्ति से राशन हटा लिया ।

'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत ५१,७६६ मन बीज बांटे गये, जो १,५४,५५० एकड़ जमीन पर बोए गये । २,१३,४०८ मन शहरी कुड़ा-कंकट की खाद के अतिरिक्त, जिससे १,९७६ एकड़ भूमि को लाभ पहुंचने की संभावना है, किसानों में १६२ मन अमोनियम सलफेट, ४८ मन खली और ६ मन सुपर फास्फेट भी बांटा गया । ११८ नए तथा ३४७ पुराने कुओं का काम भी चालू रहा । इसके लिए तकावी-ऋण दिये गये थे । इसके अलावा २,२६६ पुराने कुओं को हवा का दबाव डाल कर (कम्प्रेसर द्वारा) अधिक गहरा किया गया ।

१९५२-५३ में, टिड्डियों की रोकथाम के लिए अधिक बड़े पैमाने पर प्रयत्न किये गये । इसी तरह 'फालका' तथा सब्जियों और फलों को नष्ट करने वाले अन्य कीड़ों तथा चूहों के नाश के लिए कार्रवाई की गई । बीज में लगने वाली बीमारियों को रोकने के लिए बीजों पर अग्रेसन जी० एन० का प्रयोग किया गया ।

इस साल गाँव वालों को ताड़ गुड़ बनाने का शिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएँ दी गईं । फरवरी १९५३ तक लगभग १३,६४० पौंड गुड़ तैयार किया गया था ।

भीपाल

१९५२-५३ में गेहूँ की पैदावार लगभग ८४,००० टन थी, जबकि इसके मुकाबिले में सन् १९५१-५२ में ५९,०४९ टन ही गेहूँ पैदा हुआ था ।

खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग १,७८,००० टन हुआ जो पिछले साल के उत्पादन से ४४,७०० टन अधिक था ।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजनाओं के अंतर्गत लगभग ३० तालाबों तथा १,०५६ कुओं की मरम्मत की गई, ६३ नए कुए खोदे गए, और १६ बांध बनाए गए । इन सब पर लगभग ६ लाख रुपया खर्च आया । इसके अतिरिक्त गांवों में १२६ रूट लगाए गए ।

१९५२-५३ में सिंचाई के जो बड़े काम किए गए उनमें अष्टा में पावती बांध, भोजपुर में बैतवा बांध, पापनासा, कालीयासोते तथा पलकमती नदियों से पानी पम्प करने की योजनाएं तथा भोपाल में नाली-योजना का उल्लेख किया जा सकता है । अजनाल, अजनार, मचवई, तथा हलाली नदियों पर भी कई छोटे-छोटे बांध बनाये गये ।

इस साल ८०,००० एकड़ भूमि फिर से खेती योग्य बनाई गई । इस प्रकार कुल मिला कर २,००,२१९ एकड़ भूमि खेती योग्य हो गई । इसमें से २,००,००० एकड़ भूमि ‘कॉस’ से मुक्त की गई । यह आशा की जाती है कि ट्रैक्टर से जोती गई भूमि से अन्न तथा अन्य फसलों का अतिरिक्त उत्पादन लगभग ४०,००० टन प्रति वर्ष बढ़ जाएगा ।

जो किसान अपनी भूमि को ट्रैक्टर से जोतने में असमर्थ थे, वे भोपाल ट्रैक्टर द्वारा दिये जाने वाले ट्रैक्टरों से अपने खेत जोतवा सके तथा उन्हें इस पर होने वाला व्यय कृषकों में चुकाने की सुविधा भी दी गई । इस प्रकार ४,०४२*४६ एकड़ भूमि ट्रैक्टरों द्वारा जोती गई । अधिक जमीन वाले बड़े किसानों को ट्रैक्टर तकावी पर दिये गये ।

भंवरी गांव में जापानी ढंग से धान उपजाने का काम आरम्भ किया गया है । इसके लिए १०० एकड़ भूमि में फैले हुए २०० प्रदर्शन-क्षेत्र चुने गये हैं । किसानों को धान के नये खेत तैयार करने और रबी की फसल के लिए आवश्यक जल-संग्रह का प्रबन्ध करने के लिए ६८,५०० रुपये सहायता के रूप में दिए गए । २,००० मन पुराने किस्म के धान के बीज मध्य प्रदेश से, अड़िया किस्म के गेहूं के ५,००० मन बीज पेरू से और ३,००० मन गेहूं के

बीज उत्तर प्रदेश से प्राप्त किये गये तथा उन्हें किसानों में बांटा गया । कई किसानों को बीज खरीदने के लिये ऋण भी दिया गया । इस प्रकार १६,११५ मन गेहूँ के तथा ३,७८४ मन चने के बीज बांटे गये ।

शहरी क्षेत्रों में भोपाल और सिहोर में १२,००० टन गद्दे की खाद तैयार की गई और ८००० टन से अधिक खाद बांटी गई । देहाती क्षेत्रों में कई गाँवों में मिश्र-खाद तैयार करने की विधि का प्रदर्शन किया गया । सामूहिक योजना और 'फोर्ड प्रतिष्ठान' योजना के क्षेत्रों में देहाती गद्दे की खाद तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया । इस प्रकार कुल मिला कर १,१८,६२० टन खाद तैयार की गई और ६०,६१५ टन खाद बांट दी गई ।

ताड़-गुड़-विकास योजना के अन्तर्गत मिसरौद, बरखेड़ा, फांदा सांची तथा जवार में पांच प्रशिक्षण-केन्द्र खोले गये । इस साल १४ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा १० शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इन प्रशिक्षण केन्द्रों में १,२४२ पौंड गुड़, १६० पौंड राब तथा ४० पौंड शक्कर बनाई गई । किसानों को सब्जी और फल उगाने का विशेष शिक्षण देने के उद्देश्य से, एक स्कूल खोलने की ओर कदम उठाया गया ।

इस साल देश में मछली विकास योजना शुरू की गई । राज्य की नदियों और सोतों में मछलियों की संख्या का अध्ययन किया गया तथा सर्वोत्तम प्रकार की २,६६५ स्थानीय छोटी मछलियों की किस्मों का संग्रह और किया गया इस के अतिरिक्त देश में ६,०५० विदेशी प्रकार की छोटी मछलियाँ भी पैलाई गईं ।

मरकारा स्थित कृषि-प्रयोगशाला ने किसानों को भिन्न-भिन्न फसलों और मिट्टी के लिये कैसी और कितनी खाद लगेगी, इसका अनुमान लगाने में सहयोग दिया । इस साल २४ प्रकार की खाद और पानी आदि के अतिरिक्त ४८ प्रकार की मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया गया ।

१९५२-५३ में कृषि विभाग ने कुडीगे, मरकारा, ओडरमौती और पोन्नमपेट में चार फार्म स्थापित किये । इन फार्मों का ध्येय था (१) सूखे और हरे चारे की फसल की उन्नति करना (२) वितरण के लिये बढ़िया किस्म के धान तथा अन्य

बीजों को प्रगुणित करना, (३) नारंगियों की किस्म को सुधारने के लिये अनुसन्धान करना तथा (४) धान की ऐसी तीन किस्मों का चुनाव करना, जो लोकप्रिय हों तथा जिनकी पैदावार अधिक हो ।

दिल्ली

१९५२-५३ में अन्नोत्पादन बढ़ाने की तथा गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के सुधार की भी कार्यवाहियों की गईं । 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अंतर्गत, १९५२-५३ के लिये १०,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

इस साल लगभग ६०० कुएँ खोदे गए, १६ नलकूप लगाए गए तथा ४०० रूहट लगाए गए । उसके परिणाम स्वरूप ११,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जाने लगी । किसानों को लगभग ८ लाख रुपये तककी ऋण के रूप में दिये गये, जबकि लगान में २२,०२० रुपयों की छूट दी गई । इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप २२,५०० मन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होने की आशा है ।

ग्राम-क्षेत्रों की उन्नति के लिए कई उपायों पर काम किया गया । उदाहरणार्थ ५२ गाँवों में ४,९९८ एकड़ भूमि की चकबन्दी की गई और ६७ गाँवों में ८८,४८० एकड़ भूमि की चकबन्दी का काम चालू है । गाँवों के औजार बनाने वालों के माध्यम से गाँव की खेती के सुधरे हुए औजार के बनवाये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये गये जिससे किसानों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें ।

इसके अलावा दिल्ली में मुर्गी-पालन का विस्तार करने तथा दुग्ध-वितरण सम्बन्धी योजनाओं का काम चालू है । पशु-चिकित्सा विभाग ने पशुओं के लिए कई योजनाएँ चलाई तथा मछली विभाग का भी विकास किया जा रहा है । वनमहोत्सव समारोहों के अवसर पर गाँवों के तालाबों में मछलियों की संख्या बढ़ाई गयी ।

हिमाचल प्रदेश

‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना के अंतर्गत चार ऐसे कृषि-फार्म चलाए गए, जहां पर फसलों और शाक-भाजी के बढ़िया किस्म के बीजों का प्रगुणन किया गया। हरी खाद के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया और लगभग ६२१ मन सन के बीज हरी खाद के लिए बांटे गये। इसके अतिरिक्त किसानों को फलों के पेड़, फलों के बगीचे आदि लगाने के बारे में टेकनिकल जानकारी कराई गई। भिन्न-भिन्न किस्म के फलों के १६,१०४ पौधे बांटे गये तथा १,४३८ पौधों की कलम लगाई गई।

फसलों को कीड़े-मकोड़े तथा बीमारियों से बचाने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। जहां-तहां नमूने की जांच के तरीके के अनुसार गेहूँ, चावल तथा आलू की फसल काटने के प्रयोग किए गए। फसल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

आलू विकास-केन्द्र, शिलार में रोगमुक्त आलुओं को प्रगुणित करने के अतिरिक्त किस भूमि में कैसी और कितनी खाद डालनी चाहिये, इसके सम्बन्ध में और जमीनों में जुताई सम्बन्धी सादृश्यता लाने तथा मुख्य-मुख्य बीमारियों की रोकथाम करने के लिए कई प्रयोग भी किये गये। पटना स्थित केन्द्रीय अनुसन्धान-शाला के सहयोग से फसलों की नई किस्मों और मिलीजुली उपज के विषय में प्रयोग किये गये। हिमाचल प्रदेश के रतुआ से मुक्त उपयुक्त गेहूँ का पता लगाने के लिए प्रयोग किये गये।

१६५२-५३ में राज्य ने काश्मीर सरकार को ५,००० मन गेहूँ तथा कन्द्रीय सरकार को १०,००० मन मक्का दी। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत १२ अन्य चिकित्सालयों के अतिरिक्त महासू तथा सिरमौर जिलों में दो पशु-चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की गई। ६ व्यक्तियों को पशु-विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भी भेजा गया। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत १२६ गावों में सात सिंधी सांडों के सहवास से स्वाभाविक ढंग से गर्भाधान कराया गया।

राज्य की विधान सभा ने पंजाब-काश्तकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, १६५२ तथा हिमाचल प्रदेश काश्तकार (अधिकार और पुनर्प्राप्ति)

विधेयक, १९५२ पास किया। परिवर्तित स्थिति का ध्यान रखते हुए काश्तकारी और लगान सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की गयी है। वर्तमान नातोर नियम में संशोधन करने का प्रश्न जिस के अंतर्गत जोतने-बोने के लिए सरकारी जमीन किसानों को दी जाती है, विचाराधीन है।

मछली विभाग, २६ सितम्बर १९५२ से स्थायी बना दिया गया है। मछली पकड़ने पर नियन्त्रण रखने और उसे नियमित करने के लिए तथा मछलियों के संरक्षण तथा उनके विकास के लिए उपयुक्त नियम बनाए गए हैं। तदनुसार ठेके पर मछली पकड़ने की अनुमति देने की पुरानी प्रणाली रद्द कर दी गई है तथा उसके स्थान पर लाइसेन्स देने की अधिक युक्ति-युक्त प्रणाली चलाई गई है। पुराने मछेंगे भाव भी रद्द कर दिये गये हैं।

अप्रैल १९५२ से नवम्बर १९५२ तक मछली पकड़ने के लिए दिये गये ८१६ लाइसेन्सों से ५,७५७ रुपये की आय हुई जबकि १९५१-५२ में ६८८ लाइसेन्सों से ४,७७१ रुपये की आय हुई थी। इसके अतिरिक्त १९५२-५३ में तालाबों और ऐसे स्थानों से, जहाँ का पानी सूख गया था, २८,७२७ छोटी मछलियां मरने से बचाई गईं जबकि १९५१-५२ में इसकी तुलना में कुल १२,००० ही मछलियां बचाई गईं थीं।

बरोत में एक मछली फार्म का विकास किया गया है। लम्बाघाग नदी में मिलनेवाले नाले में जहाँ पर मछलियां पैदा की जाती हैं लगभग ४.१२६ ट्राउट जाति की छोटी मछलियाँ छोड़ी गईं तथा ३२७ मछलियाँ तिलोकपुर के तालाब में छोड़ी गईं। मुख्य-मुख्य नदियों और सोतों में मछलियों के अंडे देने के अन्य २४ स्थलों का पता लगाया गया।

कच्छ

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अंतर्गत १९५२-५३ में ८,६६,१५० रुपये खर्च करके ८०० कुएं खोदे गये। ७,५०,००० रुपये नये कुएं खोदने के लिए स्वीकृत किये गये। साथ ही, जलाशयों का घेरा बनाने के लिए भी ४२,००० रुपयों की, सिंचाई के छोटे कार्यों के लिये ५००,००० रुपयों की

तथा १६ वर्तमान बाँधों पर जल-प्लावन द्वार तथा जल-प्लावन सुरगों बनाने के केलिये ४,३२,७०० रु० की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त ७,६८० रुपये फसल प्रतियोगिता के लिए स्वीकृत किये गये ।

जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । बंबई का ऋणी-किसान-सहायक कानून कच्छ पर भी लागू किया गया जिसके अनुसार ४७,५०० प्रार्थनापत्र दिये गये जो ३२,००० कर्जदारों तथा लगभग ३,१६,००,००० रुपयों के ऋण के विषय में थे । इस साल लगभग १५,००० प्रार्थनापत्रों का निवटारा कर दिया गया ।

भारत सरकार ने किसानों को तकावी ऋण के रूप में देने के लिए १० लाख रुपया स्वीकार किया ताकि वे बीज, बैल, खेती के औजार आदि खरीद सकें ।

मणिपुर

१९५२-५३ में भिन्न-भिन्न प्रकार की खरीफ और रबी की फसलें, जिनमें विदेशी किस्मों की फसलें भी शामिल हैं, बोई गईं । समशीतोष्ण कटिबन्ध तथा शीतोष्ण कटिबन्ध के भिन्न-भिन्न प्रकार के फलों की एक पौधशाला (नर्सरी) भी लगाई गई ।

प्रयोग और प्रदर्शन के लिए तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य में, उखरुल में एक फल-अनुसन्धान संस्था भी खोली गयी है । इसी साल चरचन्दपुर में एक दूसरा फल-फार्म खोलने के लिए, भूमि को खेती योग्य बनाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है ।

कृषि विभाग ने नई किस्मों की फसलों की खेती का प्रचार करने के लिए किसानों को खाद और रासायनिक खाद के अतिरिक्त, बाहर से मँगा कर बहुत अधिक मात्रा में बीज और पौधे कम मूल्य पर बाँटे ।

पड़ती पड़ी हुई कड़ी भूमि की जुताई करके उसे खेती योग्य बनाने के लिए किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से एक ट्रैक्टर बहुत कम किराये पर दिया गया । इससे ३०० एकड़ बेकार भूमि को खेती योग्य बना कर उसे जोता-बोया

गया। खेतों की सिंचाई तथा फालतू पानी को बाहर निकालने के लिए एक पम्प भी किराये पर दिया गया। इसके अतिरिक्त फसल को कीड़े-मकोड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए भी कदम उठाये गये।

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अंतर्गत १९५२-५३ में एक योजना चलाई गई जिसका उद्देश्य धान तथा रबी की ऐसी अन्य फसलों को लोकप्रिय बनाना था जिनसे पैदावार अधिक मात्रा में हो सके। साथ ही इस योजना का उद्देश्य दोहरी फसल प्रणाली को भी लोकप्रिय बनाना था। इसके अलावा ५०० मन आलू, ११० मन गेहूँ, १०० मन धान और २०० मन चने के बीज भी बाँटे गये। जोतने-बोने योग्य बंकार पड़ी हुई सारी जमीन को खेती के योग्य बनाने की भी चेष्टाएं की जा रही हैं। समूसंग रिजर्व भूमि नाम की एक बंकार पड़ी भूमि की, जो कि लगभग ८,६५० एकड़ थी, पड़ताल इस वर्ष पूरी हुई। इस भूमि को खेती योग्य बनाने की ओर इसे किसानों में बाँटने की व्यवस्था की गई।

त्रिपुरा

१९५२-५३ में खाद्यान्न की स्थिति प्रायः सन्तोषजनक ही रही। इस साल १,२८,२१४ मन चावल प्राप्त किया गया तथा २७,००० मन गेहूँ बाहर से मंगाया गया तथा ४१,२१५ मन चावल तथा १५,३५१ मन गेहूँ पैदा हुआ।

इस साल कुछ किसानों ने ऊँची-नीची धरती पर सीढ़ीदार खेत बना कर खेती करना शुरू किया और मिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें बोई गईं। लगभग ३०० टन गढ़े की खाद तैयार की गई और २०० टन खाद बाँट दी गई। देहाती क्षेत्रों में भी गढ़े की खाद तैयार की गई।

सरकारी-कृषि-फार्म की ओर से किसानों को ‘असै’ तथा ‘अमन’ नाम के बढ़िया किस्म के धान, गन्ना, अरहर, मक्का, आदि प्रशुद्ध करने के लिए बाँटे गये। सब्जी के बीज भी बाँटे गये। सदर, कैलाशहर, सोनापुरा तथा उदयपुर सब डिवीजनों में सफल-प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

इस साल आदिवासियों की बस्तियों में सिंचाई की सुविधा देने के लिए सिंचाई के १० पम्प प्राप्त किये गये।

अगर तल्ला का २½ वर्गमील का क्षेत्र तथा उसके आसपास की भूमि पशु-प्रजनन आदर्श ग्राम-योजना कार्य के लिए चुनी गई और इसके लिए आवश्यक सामान तथा ४ थारपारकर सांड भी प्राप्त किये गये ।

मछली पालन के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया । अगरतल्ला म्यूनिसिपैलिटी के अधीन जो २६ एकड़ जलयुक्त भूमि है उसमें देशी छोटी मछलियां काफी अधिक मात्रा में छोड़ी गईं ।

विन्ध्य प्रदेश

१९५२-५३ में बढ़िया किस्म के बीजों के प्रगुणन, खेती करने और खाद डालने की सुधरी हुई प्रणालियों के प्रदर्शन हुए तथा खेतों पर प्रयोग के लिये चार ऐसे फार्म स्थापित किये गये जहाँ खेती मशीनों से की जाती थीं । 'अधिक अन्न उत्पादाओ' योजना के अंतर्गत २१४ टन रासायनिक खाद तथा २,५२६ टने शहरी कूड़े कचरे की और देहाती (गढ़े की) खाद के अतिरिक्त किसानों में १,००० मन गेहूँ, १,६८० मन आलू, ८५ मन धान तथा ३८० मन अन्य प्रकार के बीज बाँटे गये ।

सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ६० कुएं और एक तालाब बनवाये गये तथा ३० रहट और ४२ अन्य प्रकार के पम्प लगाये गये इनके लिये तकावी ऋण भी दिये गये । इन से १,१८० एकड़ भूमि की सिंचाई होने की आशा है । जमीन में सुधार करने के लिए लगभग १० लाख रुपये तकावी ऋण के रूप में बाँटे गये जिससे ५,५३८ एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा । खेती के सुधरे हुए नए तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए २०० से अधिक प्रदर्शन किये गये । जापानी ढंग से धान बोने की प्रणाली का भी प्रयोग किया गया ।

वनमहात्सव के अवसर पर १,१६,२६२ पौधे लगाये गये । भूमि-संरक्षण-योजना के अंतर्गत ८१५ एकड़ भूमि में पानी और मिट्टी को बहने से रोकने की व्यवस्था की गई ।

फसल-प्रतियोगिता योजना को नया रूप दिया गया ताकि किसानों में प्रतियोगिता की भावना का प्रसार अधिक हो और उत्पादन के अधिक विश्वास-५६ आँकड़े प्राप्त हो सकें ।

शिक्षा

अजमेर

केकड़ी सब-डिवीजन में ६५ बेसिक स्कूल खोलने तथा ११५ प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने से देहाती क्षेत्रों में ३६० बेसिक स्कूलों का जाल-सा बिछ गया। इन स्कूलों में १३,६०० बच्चे पढ़ते हैं। इस साल राज्य की विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा कानून को लागू करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गई। जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए एक पाठ्य-क्रम तैयार किया गया।

१९५२-५३ में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का भी काफी विस्तार हुआ। देहाती स्कूलों में जो अध्यापक काम कर रहे थे, उन्हें अपने दैनिक कार्य के ही एक अंग के रूप में सामाजिक शिक्षा का काम भी सौंपा गया। इस प्रकार सामाजिक शिक्षा के कई केन्द्र खुल गये और उन की संख्या १,००० तक पहुँच गई। एक शिक्षण दल गांवों में गया। श्रव्य-दृश्य-शिक्षा (दिखा-सुना कर शिक्षा देने की) पद्धति के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई।

भोपाल

१९५२-५३ में गवर्नमेंट हमीदिया कालेज को स्नातकोत्तर कालेज बना दिया गया। इस कालेज में बी० एस० सी० की शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा बी० ए० और बी० काम० के विद्यार्थियों के लिये शाम की कक्षाओं का प्रबन्ध किया गया। भंगीरिया हाई स्कूल तथा मुलतानिया गर्ल्स हाई स्कूल में विज्ञान-कक्षाएं खोली गईं। सिहोर में एक वृषि-विद्यालय, तथा बैरागढ़ और बेरासिया, बेगमगंज, रायसेन तथा सिहोर में पांच और हाई स्कूल खोले गये। १८ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया तथा १०३ प्राइमरी स्कूल और १३ बेसिक स्कूल खोले गये। विद्यार्थियों की संख्या

भी १९५२-५३ में बढ़ कर २३,८०० हो गई जब कि १९५१-५२ में वह १७,६०० ही थी ।

राज्य में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को २२,००० रुपये की छात्रवृत्तियां दी गयीं, जब कि राज्य से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को २५,००० रुपये दिये गये । इसके अतिरिक्त १५,००० रुपये गरीब विद्यार्थियों पर तथा १५,००० रुपये हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा पर खर्च किये गये ।

स्कूलों के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया । यह भी निर्णय किया गया कि मिडिल कक्षा तक की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सरकार की ओर से हो । इस काम के लिए नियुक्त एक समिति ने लेखकों से उनकी रचनाओं की पाण्डुलिपियां मांगी ।

इस साल, सरकार ने सामूहिक योजना क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को पंचायतों के मंत्री नियुक्त करने का निर्णय किया, और इसी दृष्टि से अप्रैल १९५२ में ५८ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया । अध्यापकों के दूसरे दल ने अपना प्रशिक्षण जून १९५३ में पूरा किया ।

अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक अध्यापक को एम० एड० के लिये, १० अध्यापकों को बी० टी० के लिये, ५ अध्यापकों को एल० टी० के लिये, ८ अध्यापकों को वैसिक ट्रेनिंग के लिए तथा ४ अध्यापकों को डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया । १९५३ के आरम्भ में ५० प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के शिक्षण के लिए एक 'नार्मल ट्रेनिंग संस्था' खोली गई ।

१९५२-५३ में सामाजिक शिक्षा के लिए २३,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

बिलासपुर

एक इंटरमीजियेट कालेज, ४ मिडिल तथा ६ प्राइमरी स्कूल खोले गये, जब कि बिलासपुर में एक ग्रामीण स्कूल और एक बालिका मिडिल स्कूल

हाई स्कूल बना दिये गये । आदर्श विकास-योजना के अन्तर्गत शुक्रविन में एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गयी ।

१४ अध्यापकों को बेसिक ट्रेनिंग के लिए जामिया मिल्लिया, दिल्ली, तथा एक अध्यापक को बी० एड० करने के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्था, दिल्ली, भेजा गया । धन्धे सम्बन्धी और टेकनिकल ट्रेनिंग के लिए १००-१०० रुपये की पांच छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गयीं । इनमें से इस साल दो छात्रवृत्तियां दी गईं ।

एक केन्द्रीय प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र के अतिरिक्त गांवों में ऐसे चार नए केन्द्र खोले गये, और उन्हें रेडियो, पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं आदि दी गईं । राजधानी में एक केन्द्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय खोला गया ।

कुर्ग

१६५२-५३ में यहां १० हाई स्कूल, ४४ मिडिल स्कूल और ८३ प्राइमरी स्कूल थे । उत्तर कुर्ग के भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रौढ़ शिक्षा के २० केन्द्र खोले गये और २७४ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया तथा उन्हें प्रमाणपत्र दिये गये । साक्षरता केन्द्रों में कई विद्या-मंदिर खोले गये और ३० प्रौढ़-शालाएं खोली गईं । सामाजिक-शिक्षा-योजना के अन्तर्गत एक चलते-फिरते शिक्षा-दल की व्यवस्था की गई । गांववालों को भिन्न-भिन्न विषयों के चित्र दिखाये गये ।

बेसिक-शिक्षा-योजना के अन्तर्गत २५ हायर एलीमेन्ट्री स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदला गया । ५२ पुरुषों तथा १२ स्त्रियों की एक टोली ने गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में अपना शिक्षण पूरा किया । ७० पुरुषों और ८ स्त्रियों की दूसरी टोली शिक्षण प्राप्त कर रही है । एक नेशनल क्वेट कोर यूनिट भी बनाई गई । ऐसी यूनिटों की संख्या पांच तक पहुँच गई है ।

दिल्ली

स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं लगाने की पद्धति चलाई गई, जिससे ४०,००० और अधिक लड़के-लड़कियां स्कूलों में प्रवेश पा सके । हरिजन विद्यार्थियों के लिए हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई ।

शहर के विभिन्न भागों में ३ से लेकर ५ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दस शिशु-शालाएं (नर्सरी स्कूल) खोलने की एक योजना चालू की जा रही है । अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

६ से ११ साल की आयु के बच्चों के लिए लगभग ३०० बेसिक स्कूल देहात में खोले गये । शहर से १२ मील दूर अलीपुर गांव में एक जनता कालेज खोला गया । नई योजनाओं के अन्तर्गत स्काउटिंग, कैम्पिंग तथा सैर-सपाटे को काफी महत्व दिया गया ।

हिमाचल प्रदेश

शिक्षा के क्षेत्र की सफलताओं के अन्तर्गत मंडी के डिग्री कालेज में भौतिक और रसायन विज्ञान की कक्षाएं खोल दी गईं, १ चीनी तथा कार्सोंग के मिडिल स्कूल को हाईस्कूल के स्तर का बना दिया गया, २१ लोअर मिडिल स्कूलों तथा ११ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया तथा ग्राम-पंचायत-केन्द्रों में ३६ प्राइमरी स्कूल खोले गये ।

१९५२-५३ में ८ अध्यापकों को बी० टी० के लिए, ५ महिला अध्यापिकाओं को जे० ए० बी० के लिए, ४ अध्यापकों को एस० बी० के लिये तथा १०० पुरुषों और ६ महिलाओं को बेसिक शिक्षा के लिए और १३७ पुरुषों तथा ४५ महिलाओं को जे० बी० की ट्रेनिंग के लिए विभिन्न संस्थाओं में भेजा गया ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले साल १४५ प्राइमरी स्कूल खोले गये । भारत सरकार ने १ अप्रैल १९५३ से नेशनल केडेट कोर की स्थापना की भी स्वीकृति दे दी है । प्रारम्भिक कार्य के रूप में एस० डी० ओ० और जे० डी० ओ० की कमीशन से पूर्व की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ६ अध्यापकों को मेरठ भेजा गया ।

स्वेच्छा से सामाजिक शिक्षा का कार्य करने की एक योजना भी चलाई गई । अध्यापकों तथा विद्यार्थियों से कहा गया कि वे अपनी जाड़ों की छुट्टियों

में अधिक से अधिक प्रौढ़ों को साक्षर बनायें। खास तौर पर तैयार की गई प्रौढ़-शिक्षा प्राइमर की १०,००० प्रतियाँ समाज-सेवी कार्यकर्ताओं में बाँटी गईं। १९५३-५४ में सामाजिक शिक्षा के लिए ५०,००० रुपये की व्यवस्था की गई। पिछड़ी हुई जातियों के बीच शिक्षा-प्रचार के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में सभी कक्षाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। इसके अतिरिक्त मिडिल स्कूलों में ३३ लड़कों और ४ लड़कियों को, हाई स्कूलों में १२ लड़कों और ३ लड़कियों को तथा इंटरमीजिएट कक्षाओं में ५ लड़कों और एक लड़की को छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

कच्छ

१९५२-५३ में देहात में ५ प्राइमरी स्कूल खोले गये और पांच और स्कूलों की इमारतें बनाने का काम शुरू किया गया। प्रत्येक तालुका के शहरों में सामाजिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये। १ नवम्बर १९५२ को तालुकों के सभी शहरों में अखिल-भारत सामाजिक शिक्षा-दिवस मनाया गया। प्राइवेट स्कूलों को पुस्तकालय तथा खेल की सामग्री के लिये कच्छ सहायक कोष से ७,५०० रुपये की सहायता दी गई।

एक टेकनिकल और धंधे सम्बन्धी स्कूल को शुरू करने तथा चार मिले-जुले स्कूलों को बढ़ा कर मिडिल स्कूल के स्तर तक लाने के प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं।

उखराल में एक हाई स्कूल और ५ मिडिल स्कूल तथा २२ अपर प्राइमरी स्कूल खोले गये। आदि-वासियों की बस्तियों में ५० लोअर मिडिल स्कूल खोले गये। इसके अतिरिक्त २२ लोअर प्राइमरी प्राइवेट स्कूलों को सरकारी संस्थाओं में बदल दिया गया। इसके साथ ही एक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल भी चालू किया गया जिसमें एम० ई० तथा अपर प्राइमरी स्कूलों के ३० अध्यापक ट्रेनिंग प्राप्त करने आये। दो अध्यापक बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजे गये। इनके अलावा ५ सरकारी स्कूलों के अध्यापक बी० टी० की ट्रेनिंग के लिए गौहाटी तथा दो अध्यापक बी० एड० की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजे गये। कई स्कूलों की आवर्तक आर्थिक सहायता बढ़ाई गई। अनेक स्कूलों को अपनी इमारत तथा साज-सामान सुधारने के लिए अनावर्तक आर्थिक सहायता भी दी गई।

इसी वर्ष वैसिक ट्रेनिंग के लिए ६ अध्यापक बम्बई भेजे गये, उच्चतर शिक्षा के लिए ६१ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं तथा ७० प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दिये गये ।

हिंदी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हिंदी की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को २५०० रु० का अनुदान दिया ।

त्रिपुरा

१९५२-५३ में प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए ४,८६,००० रुपये के अतिरिक्त, ४,३६,८०० रुपये की व्यवस्था कालेज-शिक्षा के लिए की गई । ७० प्राइवेट संस्थाओं को ३५,१६० रुपये दिये गये, जबकि छात्रवृत्तियों के रूप में २४,५०० रुपये दिये गये ।

आदिवासियों तथा किसानों के वच्चे जब इतने बड़े हो जाते हैं कि वे घर में आर्थिक सहयोग दे सकें, तो उन्हें उनके मां-बाप प्राइमरी स्कूलों से हटा लेते हैं । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, इस साल ५०,००० रुपये खर्च करके ८० ऐसे लोअर प्राइमरी स्कूल, जिनमें प्रत्येक स्कूल में एक ही अध्यापक काम संभालता है तथा १० ऐसे अपर प्राइमरी स्कूल, जिनमें प्रत्येक में दो अध्यापक होते हैं, खोले गये ।

विन्ध्य प्रदेश

१९५२-५३ में १५० प्राइमरी स्कूल खोले गये । इस प्रकार कुल मिलाकर इनकी संख्या १,८५८ तक पहुँच गई । इन स्कूलों में ६७,०५९ विद्यार्थी हैं । अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी एक कानून स्वीकृत किया गया । १५ प्राइमरी स्कूलों को बड़ा कर मिडिल स्कूल और ७ एंग्लो-वनविंगलर मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया गया । हिंदी मिडिल स्कूलों को ६० बी० एम० स्कूलों से मिला दिया गया ।

टेकनिकल तथा धंधे सम्बन्धी शिक्षा की सुविधा देने के उद्देश्य से, इस साल, नौगांव में एक पोलिटेकनीक संस्था, रीवा में एक कृषि-संस्था तथा प्रत्येक

जिले में एक के हिसाब से आठ मॉडल बेसिक स्कूल खोले गये । एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में भी खोला गया ।

छतरपुर के हाई स्कूल में नेशनल केडेट कोर की एक यूनिट संगठित की गई । सामाजिक-शिक्षा-योजना के अंतर्गत एक चलते-फिरते दल ने गांवों का दौरा किया । हाई स्कूलों तथा कालेजों में शारीरिक-श्रम आनवार्थ करने के लिए एक योजना स्वीकृत की गई ।

सरकार ने बोर्डिंग हाउसों में १० प्रतिशत जगहें सुरक्षित रख कर, पुस्तकें तथा स्टेशनरी मुफ्त दे कर तथा बोर्डिंग और आश्रमों के खर्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ देकर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों और आदिवासी विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं दीं । उन्हें प्रत्येक कक्षा में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा भी दी गई । इसके अतिरिक्त १० हरिजन स्कूल तथा ३४ रात्रि-पाठशालाएं खोली गईं । १९५२-५३ में रीवा के हरिजन आश्रम को १२,००० रुपये तथा अन्य आश्रमों को ६,००० रुपये दिये गये ।

१९५२ के अन्त तक हाई स्कूल कक्षाओं तक की शिक्षा सबके लिए निःशुल्क थी, लेकिन इस साल जिन विद्यार्थियों के अभिभावक आयकर देते थे, उनसे नवीं और दसवीं कक्षा में शुल्क लिया गया । १९५२-५३ में छात्रवृत्तियों के रूप में ६५,००० रुपये दिये गये । उच्च स्तर की टेकनिकल तथा धन्धे सम्बन्धी शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए एक पंचवर्षीय प्रशिक्षण-योजना भी चालू की गई ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अजमेर

१९५२-५३ में केकड़ी का मिसेज गिडनी जनाना अस्पताल सरकारी दवा-खाने से मिला दिया गया । अजमेर के विकटोरिया अस्पताल में तपेदिक के रोगियों के चिकित्सालय के रूप में एक इमारत बनाई गई । इसके अतिरिक्त मदार-यूनियन-आरोग्याश्रम में ३२ स्थान गरीब रोगियों के लिए मुफ्त सुरक्षित

रखे गये, २० स्थान विस्थापितों के लिए मुफ्त रखे गये तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए २ स्थान मुफ्त रखे गये । व्यावर के अस्पताल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी गई । विजयनगर स्थित राज्य के दवाखाने को सरकार ने अपनी देख-रेख में ले लिया तथा उसके लिये अतिरिक्त कर्मचारी भी रखे गये ।

मलेरिया-निरोधक-संगठन ने, जिसके लिए और अधिक कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई थी, गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रयत्न किया । सामूहिक योजना के लिए चिकित्सा कर्मचारी तथा सार्वजनिक-स्वास्थ्य-सेवा कर्मचारी भी स्वीकृत किए गए । अप्रैल १९५२ में बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन शुरू किया गया और एक साल से अधिक के व्यक्तियों का परीक्षण करके टीके लगाये गये ।

भोपाल

इस साल एक लाख से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और उन्हें बी० सी० जी० के टीके लगाए गए । भोपाल में एक तपेदिक रुग्णालय, जिसमें २० पलंग थे, पूरी तौर से तैयार था, जबकि ईदगाह पहाड़ी पर १०,००,००० रुपये खर्च करके एक तपेदिक अस्पताल बन रहा है । २२३ गांवों में डी० डी० टी० छिड़का गया । टेकनिकल-सहयोग-करार-प्रशासन के सहयोग से मलेरिया-निरोधक टुकड़ी बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

चार चलते-फिरते दवाखानों ने गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी और तीन ऐसे और चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था शीघ्र ही की जाने वाली है । सिलवानी, नसरुल्लागंज तथा बरासिया में चिकित्सा कर्मचारियों के निवास-स्थान तथा बीमारों के रहने के कमरों से युक्त दवाखाने बन रहे हैं । इसके अतिरिक्त दूसरे शहरों में भी ६ और दवाखाने शीघ्र ही खुलने की आशा है । हमीदिया अस्पताल के वाडों में १०० अतिरिक्त पलंग बढ़ा दिए गए । इस साल २६ ००० रुपये का एक नया एक्स-रे प्लान्ट हमीदिया अस्पताल में लगाया गया । एक दूसरा एक्स-रे प्लान्ट सिहोर अस्पताल में शीघ्र ही लगाया जाने वाला है । यह भी प्रस्ताव किया गया है कि बच्चों के प्रजनन तथा शिशु कल्याण

के लिए चार स्वास्थ्य रक्षा-टुकड़ियों का निर्माण किया जाये। बरेली के दवाखाने को भी बढ़ा कर अस्पताल बना दिया गया।

इस साल गरीबों की सहायता के लिए एक स्वास्थ्य-मंत्री धर्मार्थ-कोष शुरू किया गया था। तपेदिक के रोगियों की सहायता के लिए अर्थ-संग्रह करने के उद्देश्य से खेल-तमाशे के भी आयोजन किये गये।

१९५२-५३ में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नये कानून बनाये गए, उनमें औषधि-नियंत्रण-कानून तथा भोपाल मेडिकल प्रैक्टिसर कानून हैं।

बिलासपुर

१९५२-५३ में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की ६ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा की चार योजनाएं स्वीकार की थीं। तदनुसार, इस साल दो नये दवाखाने खोलने की ओर कदम उठाये गये। इनके लिए कर्मचारी भर्ती किए गए, साज-सामान तथा औषधियाँ प्राप्त की गईं, तथा इनकी इमारतें बनाने का काम चालू है।

साथ ही, दो मातृत्व तथा शिशु-कल्याण केन्द्र, जिनमें से एक तो चल भी रहा है, एक सार्वजनिक-स्वास्थ्य-केन्द्र तथा एक मलेरिया निरोधक योजना स्वीकृत हो चुकी है। बिलासपुर के जनरल अस्पताल में गुप्त बीमारियों के इलाज का एक केन्द्र भी खोला गया है जिसके लिए संयुक्तराष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय चाल-संकट-कोष ने अस्पताल सम्बन्धी सामग्री दी है। उसी समय सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग की आधुनिक ढंग से व्यवस्था की गई। टीका लगाने वाले कई कर्मचारी (वेकसीनेटर) तथा सफाई-निरीक्षक (सेनिटरी इंस्पेक्टर) भर्ती किये गये, तथा स्वास्थ्य-रक्षा पर व्याख्यान, मैजिक-लालटेन-शो, मलेरिया-निरोधक आन्दोलन और लावारिस कुत्तों तथा चूहों आदि के नाश का आन्दोलन चलाने की व्यवस्था की गई। देहाती क्षेत्रों के वर्तमान तीन दवाखानों की इमारतों का भी प्रमापीकरण किया गया। चलता-फिरता आयुर्वेदिक दवाखाना भी खोला गया। हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए चार उम्मीदवार चुने गये।

कुर्ग

इस साल चेचक से बचाव करने के लिए ३५,००० से अधिक व्यक्तियों को चेचक के टीके लगाए गए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को स्कूलों में मुपत दूध, नाश्ता तथा दोपहर का खाना दिया गया। लौरैकजेन नाम की एक नई दवाई, जिससे सिर और शरीर की जूएं नष्ट हो जाती हैं, अनुसूचित जातियों में मुपत बांटी गई और इससे आशातीत परिणाम निकला।

सभी मुख्य केन्द्रों में बस के अड्डों तथा स्कूलों में शौच जाने के लिए गड्डे, मल शोषक गड्डे, गड्डे वाले शौचालय, मूत्रालय तथा कूड़ा-ककट के गड्डों की व्यवस्था की गई। सभी कुअरों की नियमित रूप से सफाई की गयी। मलेरिया-निरोधक उपाय पहले की तरह ही किये गये। निवास-स्थानों में डी० डी० टी० भी छिड़क दिया गया।

दिल्ली

१९५२-५३ में इर्विन अस्पताल में ४८ पलंग और एस० जे० टी० वी० अस्पताल में १८ पलंग बढ़ाये गये। क्रूत की बीमारी के अस्पताल (इन्फेक्शस डिजीजेज होस्पिटल) में भी २४ पलंगों का एक वार्ड बढ़ाया गया। भील कुरंजा में एक दवाखाना तथा शहर के दो क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त लाजपतनगर, मालवीयनगर, तिलकनगर और कालकाजी की नई बस्तियों में चार अस्पताल खोले गये। प्रत्येक अस्पताल में १५ रोगियों के लिये स्थान रखा गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारे राज्य में एक स्वच्छता-आन्दोलन चलाया। इस में काफी सफलता मिली। हैजा-निरोधक तथा चेचक-निरोधक टीके लगाने के आन्दोलनों के भी अच्छे परिणाम निकले। दी० सी० जी० के टीके लगाने का एक आन्दोलन चलाया गया। दिल्ली में एक चिकित्सा-स्वास्थ्य-पुनर्गठन-समिति सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में पूछताछ कर रही है।

१९५२ में दिल्ली में मलेरिया की रोगियों की संख्या पहले से कम रही। १९३३ में यह संख्या प्रति हजार १८० थी जब कि १९५२ में यह घट कर प्रति हजार २'१ रह गयी। देहाती क्षेत्रों में भी मलेरिया के रोगियों की संख्या में कुछ कम घटती नहीं हुई। गांवों में लगभग ३,७८० पौंड डी० डी० टी० पाउडर कम से कम एक बार तो अवरुध ही छिड़का गया। खून के रोगों के पैलने पर पूरी तौर से नियंत्रण रखा गया। राज्य की विधान सभा द्वारा स्वीकृत नर्सिंग-होम विधेयक से यह आशा की जा सकती है कि प्राइवेट नर्सिंग होम तथा अस्पतालों में चिकित्सा सम्बन्धी देख-भाल काफी हद तक सुरक्षित बनी रहनी।

हिमाचल प्रदेश

महासू जिले के स्नोडोन नगर के अस्पताल का स्तर प्रान्तीय अस्पताल के बराबर कर दिया गया और अब उस का नाम 'हिमाचल प्रदेश अस्पताल' शिमला पड़ गया है। इस अस्पताल में ३४,००० रुपये के मूल्य का एक नया एक्स-रे प्लान्ट भी लगाया गया। वर्तमान क्लिनिकल-प्रयोगशाला को, जिसके लिये १०,००० रुपये के मूल्य का साज-सामान खरीदा गया था, बढ़ाया गया और उसके लिए एक प्रशिक्षण-प्राप्त रोग-निर्णायक नियुक्त किया गया।

एक परिवार-नियोजन तथा एक दंत-चिकित्सा क्लिनिक, जिनके लिए ४,३३२ रुपये के मूल्य का सामान मंगाया गया था, खोले गये। सिविल अस्पताल मंडी में ३४,००० रुपये खर्च कर एक नए प्रसूतिका-वार्ड का निर्माण हुआ। चम्बा में एक मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोला गया। १२ आयु-वैदिक दवाखाने शीघ्र ही खोले जानेवाले हैं।

१९५२-५३ में चम्बा और मंडी में गुप्त रोगों के इलाज के लिए यूनिट खोले गए। कई स्थानों पर कार्य किये गये और भाषण भी दिये गये। मार्च-नवम्बर १९५२ में २,२५२ व्यक्तियों के गुप्त रोगों की चिकित्सा की गयी।

महासू जिले के मनोहरा नामक स्थान में एक तपेदिक का अस्पताल खोला जा रहा है तथा उसके लिए आवश्यक साज-सामान भी खरीदा गया है। मई-दिसम्बर १९५२ में ८५,६३७ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और ३६,२६६ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए।

इसी समय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों की कुष्ठ, दांतों तथा भोजन में उचित पौष्टिकत्व के विषय में जांच-पड़ताल की गई। सामूहिक योजना-क्षेत्र में मलेरिया निरोधक उपाय किए गए।

कच्छ

१९५२-५३ में मांडवी में एक प्रसूतिका-गृह तथा बागड़ में एक चलता-फिरता दवाखाना खोला गया। निजी तौर पर संचालित ६ चिकित्सा-संस्थाओं को कुल मिला कर २१,५०० रु० का अनुदान दिया गया।

भुज में एक मानसिक रोगों के चिकित्सालय, दो ग्रामीण दवाखानों, एक चलते-फिरते दवाखाने तथा जुबली अस्पताल में एक शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की नियुक्ति के विषय में सरकार विचार कर रही है। भरतपुर के तपेदिक-आरोग्य सदन को सरकारी देख-रेख में लेने, भुज में एक आम अस्पताल बनाने तथा मांडवी में आंखों का अस्पताल खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भाचन अस्पताल में एक्स-रे प्लान्ट लगाने, नालिया में एक नेत्र-दान कैम्प खोलने, प्राइवेट डाक्टरों को गाँवों में जाकर रहने के लिए प्रेरणा देने के लिए सहायता देने सम्बन्धी योजनाओं को कच्छ-सहायक कोष से चलाया जा रहा है।

मलेरिया-निवारक-योजना गाँवों में भी चलाई गई तथा अनेक पोषक तत्वों वाली गोलियाँ (मल्टी-विटामिन टेब्लेट) अस्पतालों और दवाखानों द्वारा जनता में बाँटी गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य-योजनाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा के लिये एक अलग विभाग का खोला जाना और एक स्वास्थ्य-शिक्षा-प्रचार यूनिट तथा बच्चों के लिए दो दुग्ध-केन्द्रों का खोला जाना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

मणिपुर

इस साल उपाधिप्राप्त डाक्टरों को विशेष विषयों तथा संक्षिप्त एम० बी० कोर्स की ट्रेनिंग देने के लिए एक योजना बनाई गई। १९५२-५३ में १०,७५८ रुपये के मूल्य की दवा मुफ्त बाँटी गई। बी० सी० जी० के टीके

लगाने के आन्दोलन के फलस्वरूप ४०,७१५ लोगों की जांच की गई तथा १४,२३५ लोगों को टीके लगाये गये। चेचक से बचाव के लिए ६८,३८८ व्यक्तियों को चेचक के टीके और ३५,५०० व्यक्तियों को हैजा के टीके लगाए गए तथा मलेरिया इंस्टीट्यूट, दिल्ली में मलेरिया-निरोधक ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये एक डाक्टर भेजा गया। इस साल तमाम अस्पतालों और दवाखानों के आम साज-सामान में सुधार किया गया।

त्रिपुरा

इस साल गांवों में सात दवाखाने तथा अग्रतला के वी० एम० अस्पताल में एक आधुनिक ढंग का प्रसूतिका-वार्ड खोला गया। अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों तथा प्रसूतिका और शिशुकल्याण विभागों में महिला डाक्टर नियुक्त की गईं।

सार्वजनिक-स्वास्थ्य-रक्षा कार्य-क्रम में देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी दूर करने के लिए १७० नल-कूपों का लगाया जाना उल्लेखनीय है। इस साल आम जनता को बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन चलाया गया तथा मलेरिया के विषय में जांच-पड़ताल की गई। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सजग रखने तथा व्याख्यानों, प्रदर्शनियों और मैजिक-लालटेन-शो के द्वारा उन्हें स्वास्थ्यकर जीवन की मुख्य-मुख्य बातें समझाने का प्रयत्न किया गया।

विन्ध्य-प्रदेश

१९५२-५३ में सरकार ने प्रत्येक मुख्य ाम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए सफाई कराने वाले कर्मचारियों का एक दल देना स्वीकार किया। दो मलेरिया-निरोधक दलों को भी स्वीकृति दी गयी। रीवा को पानी देने की योजना बनाने की कार्यवाही की गयी जिसके लिये ३ लाख रुपये स्वीकृत हो चुके थे।

इस साल चार मातृत्व तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की स्वीकृति मिली, जिनमें से दो केन्द्रों का काम एक का रीवा में और दूसरे का नौगांव में चालू हो गया। अन्य केन्द्रों के निर्माण का काम शुरू हो गया है और ऐसी आशा है कि वह शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

गुप्त बीमारियों तथा कुष्ठ से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए चार-चार चिकित्सालय स्वीकृत किये गये। इन केन्द्रों के लिए आवश्यक चिकित्सा-कर्मचारी भर्ता करने, साज-सामान खरीदने तथा इमारत बनाने के लिए भी कार्रवाई की गयी। छतरपुर में एक बी० सी० जी० की टुकड़ी ने भी टीके लगाने का काम शुरू किया।

श्रम

अजमेर

१९५२-५३ में समझौते द्वारा २५ औद्योगिक भूगड़े निपटायें गये। अनियमित भुगतानों तथा मजदूरों को काम से हटा देने के विषय में लगभग ५६६ शिकायतों का भी फैसला किया गया।

निर्माता-उद्योग-नियम तथा औद्योगिक-अंक-संकलन-श्रम-नियम की पड़ताल के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के अंकड़े इकट्ठे किये गये। सूती कपड़ा उद्योग तथा ऊन साफ करने और उनकी गांठें बांधने के उद्योग में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय कर दी गईं।

६ अक्टूबर १९५२ से कर्मचारी प्राविडेन्ट फंड कानून भी लागू किया गया। आजकल इस योजना के अन्तर्गत ४ सूती मिलें तथा दो मोजे-वनियानों के कारखाने हैं। इससे प्रति मास औसतन ५,४५४ कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचता है।

भोपाल

१९५२-५३ में राज्य में एक भी हड़ताल नहीं हुई। समझौते द्वारा कुछ बड़े भूगड़े निपटा दिये गये जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को काफी लाभ पहुँचा।

कर्मचारी प्राविडेंट फंड कानून १९५२ और उसके अन्तर्गत बनी योजना १ नवम्बर १९५२ से लागू की गई, जिसका सम्बन्ध ३,००० मिल मजदूरों से है । कारखाना कानून, १९४८, मजदूरी भुगतान कानून १९३६, कर्मचारी क्षति-पूर्ति कानून, १९२३, साप्ताहिक अवकाश कानून, १९४२, भारतीय ट्रेड यूनियन कानून, १९२६, औद्योगिक-अंक-संकलन कानून, १९४२, तथा राज्य कर्मचारी बीमा कानून, १९४८ के अन्तर्गत नियम बनाये गये तथा उनके विषय में लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए उन्हें प्रकाशित भी कराया गया ।

सरकार द्वारा प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं को कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं देने के लिये प्रेरित किये जाने के परिणामस्वरूप 'स्ट्रा-प्रोडक्ट्स लिमिटेड' ने एक प्राइमरी स्कूल खोला । सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए एक प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र भी खोला जायेगा ।

भोपाल शुगर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा भोपाल यूनिंसिपैलिटी ने क्रमशः अपने लगभग ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत तथा ६० प्रतिशत कर्मचारियों को मकान की सुविधाएं दीं । केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक आवास-योजना भोपाल में भी लागू कर दी गई ।

सरकार के प्रयत्न के फल-स्वरूप, न्यू टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल में पूरे समय के लिए एक कल्याण-अधिकारी (वेल्फेयर ऑफिसर) 'न्युक्त्त विद्या' गया । इसके अतिरिक्त मजदूरों की भलाई के लिए अन्य उपाय भी किए गए । स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने मजदूरों को तीन महीने की मजदूरी वोनस के रूप में दी ।

१५ अगस्त १९४२ को सार्वजनिक-निर्माण-विभाग श्रमिक-दल का उद्घाटन हुआ । यह अपने ढंग की पहली संस्था थी । इसका उद्देश्य आंशिक रूप से बेकारी दूर करने, बीच के दलालों को दूर करने तथा विभिन्न विकास योजनाओं सम्बन्धी कार्यों में लगे मजदूरों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने का है ।

कुर्ग

१९५२-५३ में यहां २१ रजिस्टर्ड कारखाने तथा ३ ट्रेड यूनियनें थीं । ३७ औद्योगिक भूगडों का निपटारा समझौते के द्वारा किया गया ।

न्यूनतम-मजूरी कानून की धारा ७ के अन्तर्गत नियुक्त सलाहकार बोर्ड ने इलायची के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सिफारिश की । सरकार ने उसकी सिफारिशों के अनुसार मजूरी तय कर दी है ।

परिवहन-सेवाओं में कर्मचारियों की मजूरी की न्यूनतम दरें प्रकाशित कर दी गईं । औद्योगिक-अंक-संकलन (श्रम) नियम, १९५१ से सम्बन्धित काम करने के लिए दो सहकर्मचारी नियुक्त किए गए । श्रम-कल्याण योजना के अन्तर्गत एक श्रम-कल्याण सहकर्मचारी तथा एक श्रम-कल्याण कार्यकर्ता नियुक्त किया गया । कइवा के बागों के क्षेत्रों में पारिवारिक बजट की योजना बनाने के लिए एक आर्थिक जांच करने वाले अधिकारी की भी नियुक्त किया गया ।

दिल्ली

इस साल लगभग २६,००० मजदूरों के लिए प्राविडेन्ट फंड योजना चालू की गई । राज्य के औद्योगिक विकास पर सरकार को सलाह देने के लिये एक श्रम-सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया । वर्तमान न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति का नये सिरे से निर्माण किया गया ताकि वह अधिक लोकप्रिय हो सके । न्यूनतम मजूरी कानून को छापेखाने, मोटर इंजीनियरिंग तथा लोहे के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू किया गया । श्रम सम्बन्धी भारत सरकार का औद्योगिक अंक-संकलन-श्रम-नियम दिल्ली में भी लागू किया गया तथा इसी नियम के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों की जांच-पडताल का काम शुरू किया गया ।

कच्छ

कारखाना कानून, १९४८, न्यूनतम मजूरी कानून, १९४७, औद्योगिक भण्डे कानून, १९४७, मजूरी भुगतान कानून, १९३६, कर्मचारी राज्य बीमा-कानून, १९४८, मजदूर-क्षतिपूर्ति कानून, १९२३, नियोजन उत्तरदायित्व-कानून १९३८, और बाल-नियोजन कानून, १९३६, कच्छ में लागू किए गए ।

(४३३)

कारखानों के इंस्पेक्टर के अधीन एक अलग विभाग इन कानूनों को लागू करने के लिए खोला गया। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी कानून के अन्तर्गत मजूरी निश्चित की गई।

त्रिपुरा

८१ भगडों में से ३८ भगडे समझौते द्वारा निपटा दिए गए। लगभग १७ कानून त्रिपुरा में लागू किए गए। इस साल ४ ट्रेड यूनियनों रजिस्टर्ड हुईं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के विषय में भी जांच-पड़ताल का काम शुरू किया गया।

विन्ध्य प्रदेश

न्यूनतम मजूरी कानून, १९४८ के अन्तर्गत सरकार ने बीड़ी उद्योग, सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ने आदि कामों में लगे हुए मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी। मोटर-परिवहन-उद्योग में लगे हुए मजदूरों की जांच पड़ताल की गई। श्रम-कमिश्नर ने चमड़ा कारखाना-संचालकों तथा मजदूरों के और बीड़ी-सौदागरों तथा बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के भगडों का निवटारा किया। इस साल ३ मजदूर संघ रजिस्टर्ड हुए।

उद्योग

भोपाल

कुटीर तथा छोटे उद्योगों का विकास करके रोजगार के नए स्रोत खोलने के लिये अक्टूबर १९५२ में एक उद्योग विभाग स्थापित किया गया।

सरकार ने इस साल औद्योगिक कार्यों के लिये ऋण देने के लिए २,००,००० रुपये की व्यवस्था की। रिजर्व बैंक के साथ हुए एक समझौते के अनुसार बैंक आफ़् भोपाल को एक केन्द्रीय सहकारी बैंक में बदलने के लिए राज्य में बैंक के कारबार की सुविधाएं शीघ्र ही मिलने वाली हैं।

१९५२-५३ की अन्तिम तिमाही में बढईगरी तथा घर में काम आने वाली वस्तुओं के बनाने के काम, टोकरियों तथा रस्सी बनाने के काम, बुनाई, कताई, रंगाई, कालीन बुनने, सांचे ढालने और सिलाई के धन्धों की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया। शिक्षार्थी अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर गांवों में काम करेंगे और अन्य ग्राम उद्योगों के साथ-साथ कताई तथा खादी के उत्पादन का प्रचार करेंगे। इस बीच शिक्षार्थियों ने २,१३,००० गज सूत काता तथा ४०० गज कपडा बुना। वर्ष में केन्द्र में १५० शिक्षार्थी थे और सब को सरकारी वृत्ति मिलती थी। गांधी आश्रम में एक अलग केन्द्र और खोला गया जहाँ देहात के ३० शिक्षार्थियों को कताई, बुनाई, साबुनसाज़ी तथा अन्य संबन्धित ग्राम-उद्योगों की शिक्षा दी जा रही है। इस के अतिरिक्त केवल स्त्रियों के लिए भी एक पृथक केन्द्र संगठित किया जा रहा है जहाँ स्त्रियों को सिलाई तथा अन्य दस्तकारी के कामों की शिक्षा दी जायगी। लगभग ३२० न्यक्तियों को बीड़ी बनाना सिखाया गया। इस कार्य में ८,५०० रुपए व्यय हुए। सरकार ने भोपाल बिजली कम्पनी, सरकारी प्रेस तथा निर्माण विभाग के अधिकारियों में ट्रेनिंग के लिये ६५ शिक्षार्थी भरती किये।

कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने उनसे सामान खरीदा। एक वाणिज्यालय भी खोला गया, जहाँ कुटीर-उद्योग संगठन तथा व्यक्तिगत रूप से कारीगरों द्वारा निर्मित माल प्रदर्शन और बिक्री के लिये रखा गया। उद्योगों को राजकीय सहायता-नियमों के अनुसार औद्योगिक सहकारी संस्थाओं तथा कारीगरों को ३०,००० रुपये की सरकारी सहायता दी गई जो मुख्यतः पशीनों और औजारों के रूप में थी।

अनेक मिटते हुए उद्योगों को सहायता देने तथा सीमेंट, चूना, इस्पात, ऊन आदि के सम्बन्ध में नये उद्योग स्थापित करने के लिये कार्रवाइयों की गयीं।

कुर्ग

राज्य-कुटीर उद्योग बोर्ड ने मधुमक्खी पालन, कुम्हारगरी, सुर्गीपालन, रस्सी बनाने तथा बुनाई आदि उद्योगों के विकास की सिफारिश की। मगमा-

डला में २० शिक्षार्थियों को मधुमक्खी-पालन की ट्रेनिंग देने का एक केन्द्र खोला गया, जिससे शहद उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोले जा सकें। बलोजीपेट (रामनगर) में सरकारी खर्च पर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सीखने के लिये दो शिक्षार्थी चुने गये।

भारत सरकार की धंधे तथा कारीगरी की प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत जुलाई १९५० में विराजपेट में खोली गयी औद्योगिक शिक्षणशाला उपयोगी कार्य करती रही। इस शिक्षणशाला में इस वर्ष धंधों की परीक्षाएँ ली गयीं और जो लोग इन परीक्षाओं में सफल हुये उनमें से अधिकांश को समुचित नौकरियाँ मिल गईं। शनिवारसति के बुनाई स्कूल का पुनरुद्धार किया गया जिससे देहात में बुनाई उद्योग का विकास हो सके। इस उद्देश्य के लिये एक बुनाई शिक्षक नियुक्त किया गया।

मधुमक्खी पालन उद्योग के लिये केन्द्रीय मधुमक्खी-पालन शिक्षणालय में २४ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई और १,५०० रुपये के मूल्य के बढ़िया छूते तथा आवश्यक औजार मक्खी पालकों को दिये गये।

दिल्ली

पिछले वर्ष स्थापित उद्योग-परामर्श-मण्डल ने उद्योगों के विकास के लिये, विशेषतया शहरी क्षेत्र के छोटे उद्योगों के विकास के लिये, अनेक योजनाएँ बनाईं। भूमि, पानी तथा बिजली सम्बन्धी साधनों की नाप-जोख के लिये कार्यवाही की गई। कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के भी प्रबन्ध किये गये। इसी बीच सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम में खादी तथा अन्य उद्योगों का विकास कार्यक्रम निश्चित किया गया।

कच्छ

नामक के तीन नये कारखानों ने, जिन्होंने १९५१-५२ में अपना कार्य प्रारम्भ किया था, इस वर्ष पर्याप्त प्रगति की। भारत सरकार ने कुटीर तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये ३०,००० रुपये का ऋण स्वीकृत किया। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना के लिये कार्यवाही की गई।

मणिपुर

कुटीर उद्योगों के विकास के लिये औद्योगिक ऋण के रूप में दिये गये २०,००० रुपये से ८,००० रुपये करवा उद्योग को, ४,००० रुपये लोहे तथा खिलौना उद्योग को तथा ३,००० रुपये स्लेट उद्योग को दिये गये । १९५२-५३ में जापान तथा सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से २,२३,८५९ रुपये के मूल्य के सामान के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये । इस वर्ष राज्य में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये उपाय सुझाने तथा नये उद्योगों के विकास की संभावनाओं का निश्चय करने के लिये एक औद्योगिक बोर्ड बनाया गया ।

त्रिपुरा

योजना आयोग ने छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये दो लाख रुपये निर्धारित किये हैं । इसमें ४०,००० रुपये की व्यवस्था इस वर्ष की गई । आवश्यक टेकनिकल कारीगर रख लिये गये हैं और एक ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करके योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा ।

विन्ध्य-प्रदेश

१९५३ में रीवा के टेकनिकल इंस्टीट्यूट के बड़ई-विभाग का विस्तार किया गया । बुनाई-विभाग के विस्तार की योजना पर भी विचार हो रहा है । इस वर्ष रीवा में एक राज्य वाणिज्यालय खोला गया ।

कुटीर उद्योग विभाग ने जून १९५२ से कुटीर उद्योगों की पड़ताल करने का निश्चय किया । जैसे ही पड़ताल पूरी हो जायगी योजनायें बनाई जापंगी । इन योजनाओं के लिये पंचवर्षीय योजना में ६,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

टीकमगढ़ में ताड़-गुड़ उद्योग चलाने तथा सतना में हड्डि के चूरे की खाद की फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया गया है ।

विकास

भोपाल

१९५२-५३ में ६० मील लम्बी नई सड़कें बनाई गईं और २२ मील की पक्की सड़कों पर काम निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चला। दो पुराने पुलों की मरम्मत की गई तथा दो नई पुलियां बनाई गईं। ६ नये पुलों पर काम प्रारम्भ हुआ और नई सड़कों के लिये ५५ मील की पड़ताल की गई। १९५२-५३ के लिये कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक काम पूरा हो गया।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के लिये ३ करोड़ ८६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। कुटीर-उद्योगों के विकास, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सुधार और सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये और अधिक धन प्राप्त किया जा रहा है। ऐसी अनेक योजनायें हैं, जिनमें सामूहिक योजनाओं, शिक्षण केन्द्रों, अनुसंधानशालाओं, राष्ट्रीय विस्तार-सेवा तथा मलेरिया-विरोधी टुकड़ी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन द्वारा भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना है, जिसके परिणाम-स्वरूप ३ करोड़ रुपये की अतिरिक्त फसल पैदा होने की आशा है। इस प्रकार राज्य को यह भरोसा है कि उसे अपने विभिन्न कार्यों के लिये लगभग आठ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो जायगी।

योजना के प्रथम दो वर्षों में योजना की सफलतायें वास्तविक रही हैं और कुछ दिशाओं में विशेष उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिये भूमि को खेती योग्य बनाने के कार्य में यह राज्य सभी राज्यों से आगे है; इसकी शिक्षण संस्थाओं ने बहुतों का ध्यान आकृष्ट किया है और ग्रामसुधार का कार्य बहुत आगे बढ़ा है।

१९५२-५३ में ६३ कुएं खोदे गये और १,०८४ कुओं को मरम्मत कराई गई, ४४ तालाब चालू किये गये और २२ बांध बांधे गये, जिससे सिंचाई का क्षेत्रफल ११,४४८ एकड़ और बढ़ गया। इसके अतिरिक्त ८०,००० एकड़

भूमि को खेती योग्य बनाया गया जिसमें से २४,००० एकड़ भूमि नई थी । एक इंटरमीजियेट कालेज, ५ हाई स्कूल, १४ मिडिल स्कूल, व १०३ प्राइमरी स्कूल खोले गये और १२० प्राइमरी स्कूलों के लिये नये भवन बनाये गये । इसके अतिरिक्त ५ ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों ने कार्य प्रारंभ कर दिया और हरिजनों के लिये मकान तथा भोपाल बिजली कंपनी के मजदूरों के लिये ४८ क्वार्टर बनाये गये ।

भोपाल में २ अक्टूबर १९५२ को सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम, जिसपर ६५ लाख रुपये व्यय होंगे, प्रारंभ किया गया । राज्य के लिए एक विशेष योजना निर्धारित की गई । योजना में ६०० वर्गमील का क्षेत्रफल है जिसमें ३०० गाँव हैं जो ३ खंडों में विभक्त हैं । मध्यखंड के १०० गाँवों में कार्य प्रारंभ किया गया । दो खंडों में २५ ग्राम-कार्यकर्ता नियुक्त किये गये और जाँच-पड़ताल का कार्य प्रारंभ हुआ । मध्यखंड की सिंचाई योजना से ४,००० एकड़ भूमि को लाभ पहुँचेगा ।

भोपाल से २० मील दूर तूमरा में ६ मई १९५३ को एक युवक-शिविर का उद्घाटन किया गया । लगभग २०० व्यक्तियों ने दो घंटे मिट्टी खोदी और इस प्रकार तीन सप्ताह के रचनात्मक कार्य का प्रारंभ हुआ । जो प्रगति हुई उसे देख कर केन्द्रीय सामूहिक विकास योजना प्रबंधक ने अप्रैल १९५३ में भारतवर्ष के ट्रेनिंग केन्द्रों के प्रिंसिपलों का एक सम्मेलन बुलाने के लिये भोपाल को चुना ।

युवकों ने स्कूल बनाने, कुओं तथा एक बावड़ी की मरम्मत करने, एक बाजार का रूप परिवर्तन करने और खाद के ५० गड्डों की खुदाई के कामों में भाग लिया । ६ मील लम्बी एक सड़क के निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

बहुद्देशीय ग्राम-कार्यकर्ताओं को शिक्षण देने के लिये फोर्ड प्रतिष्ठान के अंतर्गत भारत भर में स्थापित होने वाले २० केन्द्रों में से एक केन्द्र भोपाल के लिये निर्धारित किया गया । इस केन्द्र ने १६ अगस्त १९५२ से कार्य प्रारंभ कर दिया । शिक्षार्थियों को ५० रुपया मासिक वृत्ति मिलती है । पचास

शिद्धारिथियों की पहली टोली ने अप्रैल १९५३ में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया ।

बिलासपुर

१९५२-५३ में सड़कों के निर्माण और यातायात की सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया । निम्नलिखित नई सड़कें पहियेदार सवारियों के लिये खोल दी गईं—शिमला-मंडी सड़क का हंबोल से बरमाना तक का ३२ मील लंबा भाग, शिमला-हमीरपुर सड़क का दाधोल से लडरा और तक का ११ मील लंबा भाग, बिलासपुर-भामला सड़क का घुमरविन से कुठेरा तक का ८ मील लंबा भाग, बिलासपुर-बरसर सड़क का औरहार से तलाई तक का १५ मील लंबा भाग । इस प्रकार १९५२-५३ में लगभग ६६ मील ऐसी सड़क बढ़ाई गई जिस पर मोटरें चल सकती हैं । पहले मोटर के योग्य सड़क कुल ४० मील थी । इसके साथ ही भारत सरकार की स्वीकृति के लिये सड़क निर्माण का एक व्यापक योजना उपस्थित की गई है ।

यातायात की बसों की संख्या दुगुनी से भी अधिक कर दी गई । इस वर्ष पिछले स्टाक में आठ नई गाड़ियाँ और जोड़ी गईं ।

शिक्षा के क्षेत्र में एक सरकारी इन्टरमीजियेट कॉलेज व एक देहाती हाई स्कूल खोला गया । इनके अतिरिक्त ८ प्राइमरी स्कूल, ४ मिडिल स्कूल, दो वयस्क केन्द्र तथा एक केन्द्रीय सार्जनिक पुस्तकालय भी खोले गये ।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिलसिले में, एक अयुर्वेदिक औषधालय के साथ-साथ दो जन्ना बच्चा केन्द्र तथा दो अंग्रेज़ी औषधालय खोले गये । एक महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, अनेक सैनिटरी इन्स्पेक्टर, मलेरिया विरोधी योजनाओं के लिए कर्मचारी तथा गुप्त रोगों का चिकित्सालय इस वर्ष बढ़ाये गये ।

२ अक्टूबर १९५२ को सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया । खंड के क्षेत्र में ३४२ गांवों को ६५ इकाइयों और २० हल्कों में बांटा गया । प्रत्येक हल्के तथा इकाई में परामर्शदात्री समितियों की स्थापना

दिल्ली

इस वर्ष राज्य में सहकारिता आन्दोलन ने और भी प्रगति की । लगभग १०० संस्थाओं की रजिस्ट्री की गई । इस प्रकार सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या १,०६५, चालू पूंजी लगभग १ करोड़ ६१ लाख २६ हजार रुपये और सदस्य-संख्या ६५,४२४ व्यक्तियों की हो गई ।

बाजार में धोखाधड़ी से खरीदारों को बचाने के लिये उड़ीसा बांट तथा माप अधिनियम दिल्ली राज्य में भी लागू कर दिया गया ।

सरकार को विकास योजनाओं पर परामर्श देने के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई । राज्य में विभिन्न भूमि-विकास-कार्यों में रंपक स्थापित करने के लिये तथा उनको शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये एक विकास समिति की भी स्थापना की गई । शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों की सफाई का काम चलता रहा । जितनी खाली भूमि थी उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिससे ऊट-पटाँग इमारतों का बनना रुक सके और नगर का सुयोजित विकास हो ।

सौ गांवों के एक खंड में जिसका मुख्य कार्यालय अलीपुर में है, सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं । अभी तक देहाती क्षेत्र में लगभग ३८ नालियों को ठीकठाक किया गया तथा उनकी सफाई की गई जिससे बरसात में जुती हुई भूमि पानी से न भर जाये । इसके साथ ही गांवों को सड़कों से मिलाने वाली सात मील लम्बी सड़कें बनाई गईं और ११ ग्रामीण तालों की मिट्टी हटाई गई ।

हिमाचल प्रदेश

राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या जून १९५१ में ८४३ थी । यह संख्या जून १९५२ में बढ़कर ९६७ हो गई । इन सहकारी संस्थाओं की समस्त चालू पूंजी भी १९५१ से २१,४०,८६१ रुपयों से बढ़ कर १९५२ में ३६,६०,०३५ रुपये हो गई । इस प्रकार १९५२-५३ में १५ लाख १६ हजार रुपयों की शुद्ध आय हुई । सहकारी संस्थाओं को १९५२-५३ में ३,७५,००६ रुपयों की सरकारी सहायता दी गई ।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय सड़क विकास योजना बनाई गई जिस पर १५० लाख रुपये व्यय होंगे। १९५२-५३ में नये कामों के लिये १७ लाख व मरम्मत आदि के लिये ८ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई।

सामूहिक योजना क्षेत्रों में लगभग १०० मील लम्बी सड़कें बनानी हैं और शामलाछार से कुनीहार तक की पहली सड़क का काम पूरा हो रहा है। दूसरी सड़कों का धरातल ठीक करने का काम चालू है।

यातायात विभाग के काम की देखभाल करने के लिये एक यातायात नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। विभाग को यातायात सेवा तथा समय में सुधार करने तथा अन्य सुविधाएं देने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये यातायात परामर्श समितियां बनाई गईं। प्रत्येक क्षेत्र के प्रधान कार्यालय में एक सुसज्जित वर्कशाप भी स्थापित किया गया।

इस वर्ष यातायात सेवाओं की बसें ७८१ मील लम्बे यात्रा-मार्गों पर चलीं। विभाग ने अनेक मार्गों पर डाक ले जाने का काम भी हाथ में लिया। ६०,००,००० रुपयों के खर्च की एक विकास योजना में २० नगरों व ८० गांवों को पानी देने की व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत देहात में ८ वाटर वर्क्स के अतिरिक्त विभिन्न नगरों में पानी के सात कारखानों के निर्माण पर २९५२-५३ में ७ लाख रुपये व्यय हुये।

पन-विजली विकास योजना, जिस पर १३.५ लाख रुपये व्यय होंगे, स्वीकृत की गई। तदनुसार केन्द्रीय जल तथा विजली आयोग के परामर्श से चार योजनायें बनाई गईं। इन सभी योजनाओं पर काम चालू है। पंचवर्षीय छोटी सिंचाई विकास योजना, कार्य का जिस पर ११० लाख रुपये व्यय होंगे, प्रारंभ हुआ।

सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम में कुनीहार, बहाल तथा पावोंटा के खंड हैं जिनका क्षेत्रफल २,१४,५७६ वर्गमील व जनसंख्या १,२४,१७३ है। कुनीहार खंड में जहां अनुमानतः ६५ लाख रुपया खर्च होगा, कार्य प्रारंभ हो गया है। जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं वे व्यय के सहित निम्नलिखित हैं : कृषि तथा पशु-पालन, ८४,००० रुपया; स्वास्थ्य तथा ग्रामों की सफाई, १,९०,०००

रुपया; शिक्षा, १,६२,००० रुपया; यातायात ३,४०,००० रुपया; ग्रामीण कला-
कौशल तथा उद्योग, १५,५०० रुपया; सिंचाई, २०,२५,००० रुपया; तथा
परती भूमि का पुनरुद्धार, ३,००,००० रुपया ।

इन योजनाओं में अर्की में एक केन्द्रीय फल तथा सब्जी पौधघर स्थापित
किया गया है जिससे किसानों को फलों के वृक्ष दिये जाते हैं । एक प्रधान
सामाजिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई । थेला में एक प्रारंभिक वैसिक
स्कूल खोला गया और अनेकों स्कूलों में वैसिक शिक्षा प्रचलित की गई ।
कुनीहार खंड में लगभग एक मील लम्बी सड़क बनाई गई और शालाघट से
सोलन तक की सड़क के लिये अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया । साथ ही
बहुदेशीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई और शहदूत के १,००० पेड़
लगाए गए । एक बुनाई का मास्टर बुनाई का काम कर रहा है और एक जूता
बनाने का कारखाना सभी प्रकार के जूते बना रहा है ।

इस वर्ष में कुकी तथा नरकंडा के बीच की योजना में विस्तार-सेवा का
प्रारंभ किया गया और उसके लिये ४,६७,००० रुपये स्वीकृत किये गये । इस
क्षेत्र की साधारण पड़ताल की गई । लगभग ६५ मन बढ़िया बीज वितरित किये
गये और सेव तथा चेरी के ३१० पौधे लगाये गये । कुनीहार खंड में ग्रामसेवकों
की ट्रेनिंग, फलों के पेड़ों के लिये पौधघरों की स्थापना, औजार तथा कलपुरजों
की उपलब्धि आदि के कार्य किये गये । माशोबरा में ग्राम सेवकों के लिये
शिक्षण-केन्द्र की स्थापना की योजना को अंतिम रूप दिया गया ।

इस वर्ष पाच कृषि-निरीक्षक बरुशी के तालाब, लखनऊ के शिक्षण तथा
विस्तार योजना केन्द्र में विस्तार-कार्य की ट्रेनिंग के लिये भेजे गये । एक अधि-
कारी अमेरिका व जापान भी भेजा गया । दूसरा अधिकारी पौधा संरक्षण कार्य
की ट्रेनिंग लेने भेजा गया ।

कच्छ

१६५२-५३ में ५२ मील लम्बी अन्य सड़कों के साथ-साथ ४० मील वर्त-
मान जल प्लावित मुकदम सड़कों की मरम्मत की गई तथा उनको फिर चौरस
किया गया । इन सड़कों पर चार नये पुल भी बनाये गये । इसके अतिरिक्त १३

मील लम्बी अन्य सड़कों में सफाई की नालियाँ, पुल तथा पुलियां बनाई गईं। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना काल में ५८ लाख २६ हजार रुपयों के व्यय पर ३२८ मील लम्बी नई पक्की सड़कों और ६०० पुलियों का निर्माण स्वीकृत किया।

मुद्रा के गोदाम तथा बंदरगाह की इमारतें १६५३ के मध्य तक तैयार हो जायेंगी। माँडवी बंदरगाह मुहाने के जल तथा स्थल भाग की पड़ताल पूरी हो गई। जख्दाऊ की पड़ताल चल रही है। पंचवर्षीय योजना में कच्छ के छोटे बंदरगाहों के विकास के लिये १३ लाख ३५ हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है।

२ अक्टूबर १९५२ को १७० मील लम्बी डीसा-गांधीधाम मीटरगेज रेल लाइन यातायात के लिये खोल दी गई। राज्य की मोटर सर्विस ने ८,२४६ वर्गमील के क्षेत्रफल में १,३०० कच्ची सड़कों पर ४६ मार्गों से सर्विस चला कर अपना विस्तार किया।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये ३ करोड़ ५ लाख ६ हजार रुपयों के व्यय का प्रबन्ध किया गया। १९५२-५३ में ७८ लाख १२ हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है।

कृषि के क्षेत्र में प्रदर्शन, बीज उत्पादन तथा चुनाव के लिये नखतराना, मुद्रा और मचाऊ में तीन कृषि फार्म खोलने का विचार किया गया है। १,००० मन गेहूँ के बीज के अतिरिक्त २५ टन सुपर फास्फेट और १० टन अमोनियम सल्फेट वितरित किये गये।

पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित चार बड़ी सिंचाई योजनाओं में से दो—कनकवती तथा कैला—पर काम आरंभ हो चुका है और अन्य दो—गाजोड और सनाधरों—पर काम शीघ्र ही आरंभ होगा। ६ छोटी सिंचाई योजना के कार्य चल रहे हैं। एक छोटी सिंचाई के तालाब लीपुर नं० २ का निर्माण करीब-करीब पूरा हो रहा है। सातवें छोटे सिंचाई कार्यक्रम की योजना तैयार हो रही है। इसके साथ ७५० कुएं भी खोदे गये।

पशुपालन कार्य के विकास के लिये नस्ल सुधार योजना तथा पशुविकास की योजनायें प्रारंभ हो चुकी हैं। पशुपालन की शिक्षा लेने के लिए तीन शिक्षार्थी जवलपुर भेजे गये। इसी समय अंजार में एक नर्सरी फार्म खोला गया और नखतराना में एक दूसरा फार्म खोला जा रहा है। तूना में मछली-पालन के फार्म की योजना तथा प्राक्कलन तैयार हो रहे हैं। एक गृह-उद्योग बोर्ड भी बनाया जा रहा है।

भुज, बीवार, मूरु और अमारा में चार स्कूल खोले गये और बेसलपुर में पाँचवाँ स्कूल शीघ्र ही खोला जायेगा। कालेज शिक्षा देने के उद्देश्य से गुजरात विश्वविद्यालय की जाँच समिति ने कच्छ का दौरा किया।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडवी का जच्चा-बच्चा केन्द्र २ दिसम्बर १९५२ को खोला गया। चार नगरों में मलेरिया निरोधक उपाय किये गये।

राज्य के सामूहिक विकास कार्यक्रम में ५४० वर्गमील का एक खंड है जिस में नखतराना तालुका के ६४ गांव तथा भुज तालुका के २४ गांव हैं।

इस योजना के अंतर्गत, जो २ अक्टूबर १९५२ को प्रारंभ हुई, ४५० मन गेहूँ के बढ़िया बीज, १३८ मन अमोनियम सल्फेट, तथा ५१ मन सुपर फास्फेट भुज-नखतराना खंड में बाटे गये। इसके साथ २७ खाद के गड्ढे खोदे गये।

यह विचार किया गया है कि योजना क्षेत्र में सिंचाई के ५ छोटे तालाब बनाये जायें। इनसे ३०० से ४०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। साथ ही सरकार यह भी विचार कर रही है कि अगले तीन वर्षों में ७ लाख १६ हजार रुपयों के ऋण दे, जिससे ५,४०० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई और हो सकेगी। यह अनुमान किया गया है कि तीसरे वर्ष के अंत में ६ लाख रुपये के मूल्य का २,००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होगा।

अनेक सड़कों पर भिठी के काम तथा जंगल काटने के काम प्रायः पूरा थे। भारासर के पास लोगों के संयुक्त प्रयत्न से एक सोते पर छोटा पुल बाँध कर रास्ता बनाया गया।

चार प्राइमरी स्कूल, पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये एक महिला

कार्यक्रमों ने वयस्क शिक्षा, बुनार्ई, सिलार्ई, कढ़ार्ई, बच्चों की देखभाल आदि कार्यों को संगठित किया ।

ग्राम सेवकों को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई । सामूहिक योजना क्षेत्र के प्रमुख गांवों में डी० डी० टी० का छिड़काव प्रारंभ किया गया । एक चलता-फिरता औषधालय नियमित रूप से अनेकों गांवों में गया ।

चार पशु-प्रजनन ग्राम केन्द्र खोले गये और योजना क्षेत्र में नस्ल सुधारने के लिये थारपारकर नस्ल के बढिया सांड मंगाये गये । नखतराना में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व एक मवेशी दवाखाना खोल दिया गया है । ग्राम नस्ल सुधार केन्द्रों में चार मवेशी दवाखाने खोलने का विचार है ।

त्रिपुरा

१९५२-५३ में ११ सहकारी संस्थाओं की रजिस्ट्री हुई । लगभग १० लाख रुपये इस वर्ष विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य पर व्यय हुये ।

विंध्य प्रदेश

प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा अग्य विकास योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने इस वर्ष एक विकास कमिश्नर नियुक्त किया ।

सतना जिले में १३२ गांवों के एक सामूहिक विकास योजना खंड का २ अक्टूबर १९५२ को उद्घाटन हुआ । योजना के बजट-अनुदान स्वीकृत हो गये हैं और जाँच-पड़ताल का कार्य पूरा हो रहा है ।

फोर्ड प्रतिष्ठान योजना भी ३०० वर्गमील क्षेत्र के ३०० गांवों में अक्टूबर १९५२ में प्रारंभ की गई । वयस्क शिक्षा के लिये चार रात्रि-पाठशालायें खोली गईं । इसके अतिरिक्त फरवरी १९५३ में गाँव के स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये नौगाँव में एक विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र भी खोला गया ।

पुनर्वास

अजमेर

१९५२-५३ में विधवाओं के लिए गृह-सहित-शिक्षण केन्द्र को ८१,००० रुपये दिये गये। ब्यावर में ५० निराश्रित विधवाओं को सिलाई के काम का शिक्षण देने के लिए एक शिक्षण सहित-कार्य-केन्द्र खोला गया। विस्थापित हरिजनों के रहने के लिए २९६ निवास स्थान—१६० अजमेर में तथा १३६ बंधावर में—बनाए गए। यह भी सुझाव दिया गया कि विस्थापित विद्यार्थियों को १,२०० रुपये शिक्षा-प्राप्ति के लिए ऋण के रूप में देने के अतिरिक्त, उन्हें फिर से बसाने के लिए ऋण रूप में लगभग २,३८,००० रुपये का अनुदान दिया जाये।

भोपाल

फिर से बसाये जा चुके विस्थापितों के अलावा ३२ विस्थापित काश्मीरी-परिवारों को १९५२-५३ में फिर से बसाया गया। इन लोगों ने विभिन्न साधनों को, जिसके लिए १५,००० रुपये दिये गये, एक जगह एकत्रित करके, सामूहिक रूप से खेती शुरू की। अन्य मामलों में भी सामूहिक रूप से खेती करने के लिए, पहले कदम के रूप में प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया गया। ग्रामीण पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने १,००,००० रुपयों की व्यवस्था की थी, और इस बात का सुझाव दिया गया है कि विस्थापित परिवारों में यह रुपये तकावी ऋण के रूप में बांट दिये जायें।

शहरी पुनर्वास के सिलसिले में २,२०० परिवारों को बैरागढ़, सिहोर, बुधनी तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों में बसाया गया। छोटे ऋण योजना के अंतर्गत १०,९३,४०० रुपये ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई।

विस्थापित व्यक्तियों के उन परिवारों को जो कि स्वेच्छा से शहरों में जाकर बस गये थे पर जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, कुल मिला कर

१,०६,४०० रुपये ऋण के रूप में दिये गये । केन्द्रीय सरकार ने शहरी विस्थापितों को ऋण के रूप में देने के लिए १,००,००० रुपयों की व्यवस्था की थी । इसके अतिरिक्त ३४ शिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को, जिन्होंने शिक्षण-सहित-कार्य केन्द्र गांधी नगर में ट्रेनिंग प्राप्त की, कारोबार चलाने के लिए छोटे ऋण दिये गये ।

शिक्षण-सहित-कार्य केन्द्र, जिसे आरम्भ में केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने चलाया था, इस साल राज्य सरकार को सौंप दिया गया । केन्द्र के उत्पादन तथा शिक्षार्थियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के अभिप्राय से, राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी का सामान, बर्दियां आदि केन्द्र से ही खरीदी जाती थीं । दोनों केन्द्रों के कार्यक्रम में सहायता तथा सहयोग बनाए रखने के लिए उसकी देख-रेख एक संयुक्त सलाहकार बोर्ड के जिम्मे थी ।

भारत सरकार ने ४५,००,००० रुपये खर्च करके बैरागढ़ में छोटे-छोटे मकान बनाने की योजना स्वीकार कर ली है । यह भी फैसला हो गया है कि इन मकानों के निर्माण का कार्य विस्थापित व्यक्तियों के जिम्मे ही छोड़ा जाये । इससे उन्हें रखने के लिए जगह मिल सकेगी तथा दैनिक जीविकोपार्जन में भी सहायता मिलेगी । ४० लाख रुपये खर्च कर बैरागढ़ को नये रूप में विकसित करने की भी योजना थी । इसके अतिरिक्त १,३७,००० रुपये खर्च कर के इसरानी-बोनारजी और शाजहाबाद के बाजारों को निवास-संयुक्त-दुकानों के रूप में परिवर्तित करने का काम आंशिक रूप से शुरू कर दिया गया था ।

गांधी नगर में निराश्रितों, विधवाओं और अनार्यों के लिए एक आश्रम की व्यवस्था की गई । १९५२-५३ में विस्थापित विद्यार्थियों को स्वतंत्र खोलवर, मासिक सहायता देकर तथा मुफ्त पुस्तकें बांटकर अतिरिक्त सुविधाएं दी गईं ।

दिल्ली

१९५२-५३ में ६,००० विस्थापित परिवारों को रहने के लिए मकान दिए गये । इधर उधर पटरियों पर अनधिकार रूप से बैठे हुए १,७०० विस्थापित दुकानदारों को जगह की सुविधा दी गई । विस्थापितों के लिए बसाई गईं नहीं

वस्तियों में पांच अस्पताल खोले गये जिनमें से प्रत्येक में १५ पलंग थे । अब तक दिल्ली में आये हुए ५ लाख विस्थापितों में से दो तिहाई व्यक्तियों को मकान तथा दुकानों की सुविधाएं दी जा चुकी हैं, अतएव अब केवल लगभग डेढ़ लाख के करीब विस्थापितों के लिए व्यवस्था करना बाकी रह गया है ।

इस साल समाज-कल्याण-पुनर्वास निदेशालय का संगठन किया गया । इस निदेशालय ने अपने जिम्मे वह सब काम लेलिया जो कि पहले दिल्ली-राज्य महिला-विभाग संभालता था । इस निदेशालय का निर्माण विशेष रूप से विस्थापितों, निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की संभाल तथा विस्थापितों को ऋण, मासिक सहायता तथा गुजर-बसर के लिए भत्ता देने के लिए हुआ था ।

इस निदेशालय ने अपने १६ शिक्षण-सहित-उत्पादन केन्द्रों-के द्वारा जिन में ६ केन्द्र पुरुषों के लिए तथा १० केन्द्र महिलाओं के लिए थे—अनेक निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा समाज का उपयोगी अंग बनाया । विस्थापित विद्यार्थियों को ७ लाख रुपये शिक्षा-ऋण तथा ४३ लाख रुपये वृत्तियों के रूप में देने के अतिरिक्त, अल्प शहरी-ऋण-योजना के अंतर्गत २७ लाख रुपये सहकारी संस्थाओं तथा अनेक विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये । साथ ही ३३ लाख रुपये जीवन-निर्वाह के लिए भत्ते के रूप में बांटे गये ।

कच्छ

इस साल सिन्ध से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए गांधीधाम में एक सिन्ध-पुनर्वास-समिति की स्थापना की गई । ६,१७५ एकड़ भूमि पर ४,००० घर बनाने के लिए १ करोड़ १० लाख रुपये के ऋण दिये गये । १६५२-५३ में गांधी धाम में कुल मिलाकर ८,००० विस्थापित थे ।

भारत सरकार ने विस्थापितों के लिए ८५,००० रुपये शहरी ऋण तथा ५०,००० रुपये देहाती ऋण के रूप में देना स्वीकार किया । इसमें से ८४,८२५ रुपये शहरी-ऋण तथा ४८,३७५ रुपये देहाती-ऋण विस्थापितों में इस अभिप्राय से बांटे गये कि वे अपने व्यवसाय फिर से जमा लें ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्थापित विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत २५,००० रुपये में से १० ३०० रुपये ५५४ विद्यार्थियों को दिये गये । प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले १३६ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आर्थिक सहायता दी गई ।

गांधीधाम में अक्टूबर १९५२ में सिन्ध-पुनर्वास-समिति की देख-रेख में असहाय वृद्ध तथा अनाथ स्त्रियों और बच्चों के लिए एक आश्रम खोला गया । भारत सरकार ने इस आश्रम को चलाने के लिए ११,५०० रुपयों की सहायता दी ।

मणिपुर

इस साल विस्थापितों को फिर से बसाने की कोई बड़ी समस्या सुलभाने को वाकी नहीं रह गई थी । विस्थापितों को भूमि देने का कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो गया था । केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से स्थापित हुए स्कूल राज्य सरकार ने मार्च १९५३ में अपनी देख-रेख में ले लिये ।

त्रिपुरा

राज्य सरकार ने १९५२-५३ में विस्थापितों की सहायता देने तथा फिर से बसाने के कार्य पर १,००,११,६८६ रुपये व्यय किये । जुलाई १९५२ में पार-पत्र (पासपोर्ट) की समस्या से घबड़ा कर लगभग ७७,३१८ व्यक्ति त्रिपुरा आये । इससे राज्य में विस्थापितों की संख्या २,७६,४३८ तक पहुँच गई । बहुतायत से आये हुए विस्थापितों के रहने के लिए २२ शिविर खोले गये । इस साल १५ शिविर चालू थे, जिनमें ११,२२३ व्यक्ति रहते थे । इसके अतिरिक्त एक निराश्रित-नारी शिविर भी था जिसमें ६६५ नारियां थीं ।

विस्थापित लोगों के लिए ३४ पुनर्वास-केन्द्र भी खोले गए थे । सरकार अब तक २५,४५५ परिवारों को, जिनमें १,२०,१८१ व्यक्ति थे, फिर से बसा चुकी है । साथ ही रुद्रसागर के भील क्षेत्र में मछुहारों के ६०० परिवारों को फिर से बसा दिया गया है ।

इस साल विस्थापित व्यक्तियों के लिए १८ स्कूलों ने शिक्षा की सुविधाएं दीं, तथा ४४ स्वास्थ्य-रक्षा टुकड़ियों ने उन्हें चिकित्सा सहायता पहुँचाई। विस्थापितों को घरेलू उद्योग की शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने अग्ररतला के कालेज तिल्ला में स्थित शिक्षण-सहित-कार्य-केन्द्र को १ मार्च १९५३ को अपनी देख-रेख में ले लिया।

विन्ध्य प्रदेश

सरकार ने वृद्ध, असहाय तथा निराश्रित स्त्रियों और बच्चों की जिनकी संख्या लगभग ५०० थी, देखभाल अपने ऊपर ले ली है। उन्हें सतना और दतिया के सहायता शिविरों में रखा गया है। जनवरी १९५३ तक १,०४,२३२ रुपये पुनर्वास पर व्यय किये जा चुके थे।

छतरपुर, दतिया तथा टीकमगढ़ के जिलों में ३०४ विस्थापित परिवारों को ४,१७,८३९ एकड़ भूमि दी जा चुकी है जबकि देहाती ऋण के रूप में लगभग ३,३७,३१४ रुपये भी दिये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, पुनर्वास-वित्त प्रशासन ने ६ विस्थापित परिवारों का अपना व्यापार चलाने के लिए लगभग ४६,५०० रुपये ऋण के रूप में देना स्वीकार किया। सरकार ने १९५२-५३ में १६ लाख ३८ हजार रुपये खर्च करके ७८० मकान बनाने का भी निर्णय किया।

१९५३-५४ में विस्थापित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए १२,००० रुपयों की व्यवस्था की गई। अभी तक ७ विस्थापित विद्यार्थियों को, जो कि कालेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वृत्तियां दी गईं।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह

खाद्य और कृषि

१९५२-५३ में ५,५५६ एकड़ जमीन में धान बोया गया, जबकि १९५१-५२ में ५,४२१ और १९५०-५१ में ५,१०० एकड़ में ही बोया गया था। इस साल सरकारी प्रयोग फार्मों में १६ किस्मों का धान बोया गया ; इनमें से ६ किस्में कोयम्बटूर से मँगाई गईं, २ पश्चिमी बंगाल से, ४ करनाल (पंजाब) से, २ बर्मा से, १ मद्रास से और १ दक्षिण भारत से। निरीक्षण से पता चला कि बर्मा, पश्चिम बंगाल, मद्रास और कोयम्बटूर से जो किस्में मँगाई गई थीं, उनकी उपज अपेक्षाकृत अच्छी रही। फिर भी उनकी उपयोगिता और उपज का निश्चय करने के लिये उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीनों और ऋतुओं में बो कर देखा जा रहा है।

गन्ना, अरहर, कपास, रागी, सन और चना आदि की कुछ व्यापारिक फसलें सरकारी फार्मों में और कुछ किसानों द्वारा अधिकतर प्रयोग के रूप में बोई गईं।

मार्च १९५३ में एक कृषि-उद्योग-प्रदर्शनी की गई और उसमें प्रदर्शित विभिन्न फसलों के लिये किसानों को इनाम दिए गए। द्वीपों में उगाये जाने वाले धान की किस्मों के नमूने इकट्ठे किए गए और किसानों से अन्न वसूली की कीमत निर्धारित करने लिए उनका वर्गीकरण किया गया। १९५२-५३ में ५४६ टन धान वसूल किया गया, जबकि १९५१-५२ में ३८६ टन ही धान वसूल किया गया था।

एक सहायक मछली उद्योग अनुसन्धान अधिकारी की अधीनता में साज-सामान से युक्त एक प्रयोगशाला है, जहां मछली पकड़ने के साधनों और तरीकों

के सम्बन्ध में अनुसन्धान होते हैं। इस साल, मछली के शिकार का वैज्ञानिक आधार पर संगठन करने के लिए और पकड़ी हुई मछली की विक्री का प्रबन्ध करने के लिए एक सहकारी समिति बनाई गई है। द्वीप के पास, विशेष प्रकार के साधनों से युक्त नावों में, पकड़ी हुई मछली के विशाल पैमाने पर निर्यात की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षा

इन द्वीपों में नेशनल क्रेडेट कोर की एक जूनियर डिवीजन यूनिट है, जिसमें ६० क्रेडेट और २ अफसर हैं।

दो अध्यापकों की अधीनता में सरकारी हाई स्कूल के ३० बड़े विद्यार्थियों और कार-निकोवार स्कूल के १० बड़े विद्यार्थियों ने मिल कर एक शिक्षा-यात्रा का आयोजन किया। इस दल ने २५ मार्च से २६ अप्रैल १९५३ तक भारत की यात्रा की। इस अवधि में यह दल कलकत्ता, इलाहाबाद, डूँडला, आगरा, दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और मद्रास घूमा। इस यात्रा से यह लाभ हुआ कि विद्यार्थियों को यह पता चल गया कि भारत की मुख्य भूमि की अवस्था कैसी है और भारत की मुख्य भूमि के निवासियों को भी यह पता लग गया कि द्वीपों की अवस्था कैसी है। यह विचार है कि विचार और संस्कृति के इस प्रकार के आदान-प्रदान के लिए भारत सरकार ने जो अन्तर्राज्यीय सम्पर्क व्यवस्था आरम्भ की है उसके अंग के रूप में शिक्षा-यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाये।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

इस साल, मध्य अन्दमान में रंगत क्षेत्र की सेवा के लिए एक औपधालय खोलने का विचार किया गया। कार-निकोवार में एक नया अस्पताल बनवाने के लिए एक फर्म ने २०,००० रुपये दिए थे। इस अस्पताल का एक भाग बन कर तैयार हो चुका है। मायाबन्दर में २० पल्लों वाला एक अस्पताल खुल गया है। लोगों का चिकित्सा सम्बन्धी अधिक सहायता देने के लिए एक

मेडिकल अफसर रखा गया है । यह भी प्रस्ताव रखा गया कि गुप्त रोगों की चिकित्सा के लिए चिकित्सकों का एक दल निकोबार द्वीपसमूह भेजा जाये !

इन द्वीपों की सबसे बड़ी बला मलेरिया है, इसलिए इससे बचने के लिए बड़े परिमाण में मलेरियानाशक औषधि छिड़की गई । स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षण किया गया और जिसको इलाज के योग्य समझा गया, उसका इलाज किया गया ।

श्रम

१९५२-५३ में, विस्थापित लोगों को फिर से बसाने की दृष्टि से खास तौर से जहाज पर माल चढ़ाने-उतारने के लिए तथा वनों को साफ करने के लिए और विकास सम्बन्धी विभिन्न सरकारी विभागों की माँगों को पूरा करने के लिए, सरकार ने एक श्रमिक-दल की व्यवस्था कर रखी थी । जुलाई के दिनों में किसानों को सहायता के लिए नौकर दिए जाते थे ।

श्रमिक-दल की सुख-सुविधा की व्यवस्था सरकार करती थी । इस साल, राशन तथा अन्य सामान खरीदने और वितरित करने के लिए श्रमिका ने अपनी अलग सहकारी दुकान खोली थी । मनोरंजन और खेलों की सुविधाएँ भी उन्हें दी गई थीं ।

उद्योग

द्वीपसमूह में दो बड़े औद्योगिक कारखाने हैं—वन-विभाग की 'जैथम सा मिल' और 'वेस्टर्न इन्डियन मैच कम्पनी' का दियासलाई उद्योग ।


छोटे उद्योगों के क्षेत्रों में एक करघा-बुनकर-समिति बुनाई का काम करती थी । कार-निकोबार में सहकारी आधार पर नारियल से तेल निकालने के उद्योग के शुरु करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । निकोबार में नारियल के रेशे से बनाई गई रस्सी पोर्टब्लेयर में बेची गई ।

(४५५)

पुनर्संस्थापन

१९५२-५३ के अन्त तक, पूर्वी बंगाल से आए ३५० विस्थापित परिवारों को अन्दमान में बसाया गया । सरकार ने जमीन और पुनर्संस्थापन तथा तकावी ऋण देकर विस्थापितों की सहायता के लिए सब प्रकार के प्रयत्न किए । अब तक विस्थापितों को २,७९,७३३ रुपये पुनर्संस्थापन सम्बन्धी ऋण के रूप में और ३९,८४८ रुपये तकावी ऋण के रूप में दिए जा चुके हैं । इन परिवारों के लोगों के पास जब काम न होता था, तो उन्हें श्रमिक-दल और निर्माण-विभाग में काम दे दिया जाता था ।

“इंडिया” मशीन के औजार



सब तेज गति में गीयर किए हुए

शेपिंग मशीन

दर्जा—१

हमारे दूसरे उत्पादन :

स्कू कटिंग लेद : ड्रिलिंग मशीन :

स्लॉटिंग मशीन : प्लेनिंग मशीन :

मशीन वाइसेज

१२", १८", और २४" स्ट्रोक



दी इंडिया मशीनरी कंपनी, लिमिटेड

२६, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता


बक्स— दास नगर हावड़ा

तार का पता : MARVELLOUS

टेलीफोन : बैंक १३६१

हावड़ा ५६५, ५६२

“इंडिया” मशीन के औजार



अब तेज गति में गीयर-किए हुए
शेपिंग मशीन
दर्जा—१

हमारे दूसरे उत्पादन :

स्कू कटिंग लेद : ड्रिलिंग मशीन :
स्लॉटिंग मशीन : प्लेनिंग मशीन :
मशीन वाइसेज

१२", १८", और २४" स्ट्रोक



दी इंडिया मशीनरी कं०, लिमिटेड

२६, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता

बक्स:— दासनगर हावड़ा

तार का पता : MARVELLOUS

टेलीफोन : बैंक ११६१

हावड़ा ५६५, ५६६

“इंडिया” मशीन के औजार

सब तेज गति में गीयर - किए हुए

शक्ति मशीन


दर्जा—१

हमारे दूसरे उत्पादन :

एक कटिंग लेट : ड्रिलिंग मशीन :

स्लॉटिंग मशीन : प्लेनिंग मशीन :

मशीन वाइसेज



२२", १८", और २४" स्त्रोक



डी इंडिया मशीनरी कं०, लिमिटेड

२६, एम्बे रोड, कलकत्ता

बक्स— शासनगर हावड़ा

भारत का पता : MARYBLOUS

टेलीफोन : बैंक ११६१

शाखा ५६५, ५६८

विश्वसनीयता

आप जो कुछ भी एक पूर्णरूप प्रसाधन के साबुन से
आशा कर सकते हैं वह सब आपको

मैसूर

सन्दल

साबुन

से मिलेगा

इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं

सर्वत्र मिल सकता है।

गवर्नमेंट सोप फैक्टरी, बंगलौर ।

पंजाब नैशनल बैंक लि०

गर्व से

स्वतन्त्रता के पश्चात ६ वर्षों से राष्ट्रीय सरकार की
सफलताओं का भागी बनता है ।

पिछले १२ वर्षों से राष्ट्र की एक प्रधान बैंकिंग संस्था के रूप
में राष्ट्र की सेवा करता आया है ।

बी० एन० पुरी
चेयरमैन व जनरल मैनेजर